पंचदश माला, खंड 17, अंक 5

शुक्रवार, 5 अगस्त, 2011
14 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 10 Feb 2014

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वनाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 17, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 5 अगस्त, 2011/14 श्रावण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 84	1-74
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 100	74-180
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	180-794
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
12वां और 13वां प्रतिवेदन	818-819
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
14वां और 15वां प्रतिवेदन	819
सभा का कार्य	819-823
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	824
श्रीमती सुषमा स्वराज	824-843
श्री गुरुदास दासगुप्त	843-847
श्री सर्वे सत्यनारायण	847-857
डॉ. के.एस. राव	857-862
श्री पी. चिदम्बरम	862-870
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011	871
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश 2011 (2011 का संख्यांक 2) से संबंधित विवरण	871
श्री प्रणब मुखर्जी	872-882
मांगों पर मतदान हुआ	882
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011	883
विधेयक पुर:स्थापित	883

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

विचार करने के लिए प्रस्ताव 884

खंड 2, 3, और 1 884

पारित करने के लिए प्रस्ताव 884

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी) बैंक निधि) संशोधन विधेयक, 2009

विचार करने के लिए प्रस्ताव 884-885

श्री नमोनारायन मीणा 884-885

श्री निशिकांत दुबे 885-891

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव. 891-894

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित. 894

(एक) भूमि अर्जन विधेयक, 2011

श्री जयंत चौधरी 894

(दो) मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक, 2011

श्री प्रदीप टम्टा 894-895

(तीन) सरकारी सेवक (आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण) विधेयक, 2011

श्री प्रदीप टम्टा 895-896

(चार) आसूचना सेवा (शक्तियां और विनियमन) संशोधन, विधेयक 2011

श्री मनीष तिवारी 896

(पांच) संविधान (संशोधन), विधेयक, 2011

(अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

श्री एस. सेम्मलई 896

(छह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 302क और 364ख का अंत:स्थापन)

श्रीमती सुषमा स्वराज 897

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंत:स्थापन)

श्री निशिकांत दुबे 897-898

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 275(क) और 371(ज) का अंत:स्थापन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव 898

प्रो. रंजन प्रसाद यादव 898-902

श्री अधीर चौधरी 902-907

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 907-912

विषय **कॉलम**

श्री शैलेन्द्र कुमार 912-914

श्री रमाशंकर राजभर 914-918

श्री भर्तृहरि महताब 918-924

श्री एस. सेम्मलई 924-926

श्री विश्व मोहन कुमार 926-929

श्री अर्जुन राम मेघवाल 929-932

श्री घनश्याम अनुरागी 932-935

श्री दारा सिंह चौहान 935

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में 935-945

श्री शैलेन्द्र कुमार 935-942

श्री अर्जुन राम मेघवाल 942-945

श्री हरीश रावत 945

(दो) दिल्ली मेट्रो के लिए प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में 945

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 945-946

श्रीमती कृष्णा तीरथ 946

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 957

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 958-968

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 969-970

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 969-972

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 5 अगस्त, 2011/14 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 81: श्री सुरेन्द्र सिंह नागर-उपस्थित नहीं। योगी आदित्यनाथ उपस्थित नहीं। क्या कोई अन्य सदस्य इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह।

[अनुवाद]

+

*81. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से स्रोत वार, वर्ष-वार एवं राज्य वार कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार द्वारा किए जा रहे अनेक उपायों के बावजूद व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम दोनों समय में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की कमी रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम दोनों समय में राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत की कुल मांग, उपलब्धता और कमी कितनी-कितनी रही; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (जून 2011 तक) में सकल विद्युत उत्पादन विभिन्न पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों नामत: थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लीयर एवं भूटान से हाइड्रो विद्युत का आयात क्रमश: 723.794 बिलियन यूनिट (बि.यू.) 771.551 बि.यू., 811.143 बि.यू. तथा 217.226 बि.यू. था। सकल विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार, स्रोत-वार विवरण नीचे दिया गया है-

कुल ऊर्जा उत्पादन (बिलियन यूनिट)

स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12* #
1	2	3	4	5
थर्मल	590.101	640.877	665.008	176.251
हाइड्रो	113.081	106.680	114.257	32.265

+चूंकि श्री सुरेन्द्र सिंह नागर और योगी आदित्यनाथ उपस्थित नहीं थे, माननीय अध्यक्ष महोदया ने चौधरी लाल सिंह को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

1	2	3	4	5
न्यूक्लियर	14.713	18.636	26.266	7.895
भूटान से आयात	5.889	5.358	5.611	0.815
कुल	723.794	771.551	811.143	217.226

**जून, 2011 तक

#जून, 2011 माह के लिए अनंतिम आंकड़ों सहित।

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जून, 2011 तक) के दौरान स्रोत-वार विद्युत उत्पादन का राज्यवार विवरण ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप, 11वीं योजना में 30 जून, 2011 तक 37.971 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, जो कि अब तक किसी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक है और 10वीं योजना में कुल क्षमता वृद्धि से 180% अधिक है। परिणामस्वरूप, विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर घटने की प्रवृत्ति देखने में आई है। 2008-09 से 2011-12 (जून, 2011 तक) ऊर्जा की कमी 11.1% से 6.6% तक कम हुई है एवं पीक कमी 11.9% से 9.2% तक कम हुई है।

(घ) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2011) के दौरान ऊर्जा एवं व्यस्ततमकालीन विद्युत (पीकिंग पावर) के सदंर्भ में देश में विद्युत की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी का विवरण नीचे दिया गया है-

वर्ष	ऊर्जा			
	मांग (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	कमी (एमयू)	(%)
2008-09	7,77,039	6,91,038	86,001	11.1
2009-10	8,30,594	7,46,644	83,950	10.1
2010-11	8,61,591	7,88,355	73,236	8.5
2011-12* #	2,27,657	2,12,629	15,028	6.6

एमयू = मिलियन यूनिट

* जून, 2011 तक

जनवरी 2011 माह के अनंतिम आंकड़े शामिल हैं।

वर्ष	अधिकतम			
	मांग (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	कमी (एमयू)	(%)
2008-09	1,09,809	96,785	13,024	11.9
2009-10	1,19,166	1,04,009	15,157	12.7
2010-11	1,22,287	1,10,256	12,031	9.8
2011-12 *#	1,22,391	1,11,163	11,228	9.2

एम. डब्ल्यू-मेगा वाट

* जून, 2011 तक

जनवरी 2011 माह के अनंतिम आंकड़े शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष (अप्रैल से जून, 2011) के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न अनुबंध-II में दी गई है।

(ङ) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले/उठाए जा रहे अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में गति लाना।

(ii) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।

(iii) बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ लेने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(iv) 12वीं योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं का पूर्व नियोजन।

(v) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपकरण की घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ाना।

(vi) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं रखरखाव।

(vii) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले की आपूर्ति में हो रही कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर बल।

(viii) पुरानी तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(ix) उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

(x) हानि को कम करने के लिए मुख्य कदम के तौर पर उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

(xi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कार्यकुशलता एवं मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।

अनुबंध-I

चालू वर्ष 2011-12 और गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार और स्रोत-वार विद्युत उत्पादन (अप्रैल-11 से जून, 2011)*

वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)

क्षेत्र	राज्य	श्रेणी	30-06-2011 के अनुसार क्षमता	2011-12 (अप्रैल-जून*)	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
उ.क्षे.	बीबीएमबी"	हाइड्रो	2866.3	3054	11273	9371	11109
	दिल्ली	थर्मल	2011.9	2488	9130	10153	11018
	हरियाणा	थर्मल	4091.59	5165	18855	18155	15885
		हाइड्रो				235	282
	कुल हरियाणा		4091.59	5165	18855	18390	16167
	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	3732	6010	15389	14452	14467
	जम्मू और कश्मीर	थर्मल	175	0	14	13	0
		हाइड्रो	2340	4205	12418	11422	9871
	कुल जम्मू और कश्मीर		2515	4205	12432	11435	9871

1	2	3	4	5	6	7	8
	पंजाब	थर्मल	2620	4511	18325	20296	18066
		हाइड्रो	1051	1185	4191	3499	4228
कुल पंजाब			3671	5696	22516	23795	22294
	राजस्थान	थर्मल	4873.13	7335	27156	25554	24034
		हाइड्रो	411	11	390	352	671
		न्यूक्लीयर	1180	2015	7705	3488	2255
कुल राजस्थान			6464.13	9361	35251	29394	26960
	उत्तर प्रदेश	थर्मल	13475.14	22955	91646	86514	83723
		हाइड्रो	501.6	158	700	947	1097
		न्यूक्लीयर	440	479	1886	818	740
कुल उत्तर प्रदेश			14416.74	23592	94232	88278	85560
		हाइड्रो	3226.35	3545	11489	9780	11325
कुल उत्तरी क्षेत्र			42995.01	63117	230567	215049	208771
प.क्षे.	छत्तीसगढ़	थर्मल	7480	13968	56030	51518	42084
		हाइड्रो	120	13	125	280	292
	गोवा	थर्मल	48	54	292	321	325
कुल गोवा			48	54	292	321	325
	गुजरात	थर्मल	11633.81	17819	65604	61137	51305
		हाइड्रो	1990	981	4164	2957	2861
		न्यूक्लीयर	440	939	1446	1068	1213
कुल गुजरात			14063.81	19739	71214	65162	55379
	मध्य प्रदेश	थर्मल	6192.5	10481	42709	43597	42659
		हाइड्रो	2395	1152	4898	4830	4828
	कुल मध्य प्रदेश		8587.5	11633	47607	48427	47487
	महाराष्ट्र	थर्मल	13562	20356	71839	69767	65965
		हाइड्रो	2887	1777	5828	5740	5204
		न्यूक्लीयर	1400	2426	9117	7991	6298
कुल महाराष्ट्र			17849	24559	86784	83498	77467

1	2	3	4	5	6	7	8
कुल प.क्षे.			48148.31	69966	262053	249206	223034
द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	थर्मल	11827.7	21788	77123	73401	63950
		हाइड्रो	3783.35	825	8010	5880	8160
	कुल आंध्र प्रदेश		15611.05	22614	85132	79281	72110
	कर्नाटक	थर्मल	4514.42	6193	22213	19586	14786
		न्यूक्लीयर	880	1424	3873	3226	2688
कुल कर्नाटक			8979.82	10659	36833	35463	30628
	केरल	थर्मल	768.18	562	2461	3658	3619
		हाइड्रो	1881.5	2045	6802	6710	5912
	कुल केरल		2649.68	2607	9263	10369	9531
	लक्षद्वीप	थर्मल				29	28
	पुडुचेरी	थर्मल	32.5	45	195	227	258
	तमिलनाडु	थर्मल	7138	12303	45222	47025	47130
		हाइड्रो	2122.2	793	4958	5615	5369
		न्यूक्लीयर	440	613	2239	2046	1518
कुल तमिलनाडु			9700.2	13709	52419	54686	54017
कुल द.क्षे.			36973.25	49633	183843	180055	166572
पू.क्षे.	अंडमान और निकोबार	थर्मल	40.05	23	87	214	201
		हाइड्रो				11	10
कुल अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			40.05	23	87	225	210
	बिहार	थर्मल	2870	3412	14569	12036	9742
	डीवीसी	थर्मल	4290	4094	16550	14691	15321
		हाइड्रो	143.2	25	115	198	432
	कुल डीवीसी		4433.2	4120	16665	14889	15753
	झारखंड	थर्मल	1550	1170	5678	5558	5421
		हाइड्रो	130	22	3	116	238
	कुल झारखंड		1680	1192	5682	5673	5659

1	2	3	4	5	6	7	8
	उड़ीसा	थर्मल	5090	9165	30910	30774	29963
		हाइड्रो	2027.5	1526	4754	3920	5714
	कुल उड़ीसा		7117.5	10692	35665	34694	35677
	सिक्किम	हाइड्रो	570	817	2976	2968	2266
	कुल सिक्किम		570	817	2976	2968	2266
	पश्चिम बंगाल	थर्मल	8275	11208	43956	42239	40232
		हाइड्रो	977	240	1130	1111	945
	कुल पश्चिम बंगाल		9252	11447	45086	43350	41178
कुल पू.क्षे.			25962.75	31703	120729	113865	110535
उ.पू.क्षे.	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	405	221	1400	1053	1591
	असम	थर्मल	590	803	3130	3133	3110
		हाइड्रो	325	397	1199	1185	1400
	कुल असम		915	1200	4329	4318	4510
		हाइड्रो	105	45	604	381	498
	कुल मणिपुर		141	45	604	382	498
	मेघालय	हाइड्रो	206	140	439	675	742
	मिजोरम	थर्मल				0	3
	नागालैंड	हाइड्रो	75	35	256	258	313
	कुल नागालैंड		75	35	256	258	313
	त्रिपुरा	थर्मल	232.5	352	1313	1283	1274
		हाइड्रो				50	51
	कुल त्रिपुरा		232.5	352	1313	1332	1325
कुल उ.पू.क्षे.			1974.5	1993	8340	8018	8982
भूटान से आयात		हाइड्रो		815	5611	5359	5899
कुल योग			156053.82	217226	811143	771551	723794

* अनंतिम

** पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना

नोट-101.04.10 से विद्युत उत्पादन केंद्र से 25 मेगावाट से नीचे के उत्पादन को सीईए द्वारा मॉनीटर नहीं किया जाता।

नोट-2राज्यों के संबंध में उत्पादन आंकड़ों में राज्य में अवस्थित केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन केंद्रों द्वारा उत्पादित विद्युत शामिल है।

अनुबंध-II

2008-09 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (संशोधित)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2008-मार्च, 2009				व्यस्ततम अप्रैल, 2008-मार्च, 2009			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)	अधिकतम मांग (मेगावाट)	अधिकतम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,414	1,414	0	0	279	279	0	0
दिल्ली	22,398	22,273	-125	-0.6	4,036	4,034	-2	0.0
हरियाणा	29,085	26,625	-2,460	-8.5	5,511	4,791	-720	-13.1
हिमाचल प्रदेश	6,260	6,241	-19	-0.3	1,055	1,014	-41	-3.9
जम्मू और कश्मीर	11,467	8,698	-2,769	-24.1	2,120	1,380	-740	-34.9
पंजाब	41,635	37,238	-4,397	-10.6	8,690	7,309	-1,381	-15.9
राजस्थान	37,797	37,388	-409	-1.1	6,303	6,101	-202	-3.2
उत्तर प्रदेश	69,207	54,309	-14,898	-21.5	10,587	8,248	-2,339	-22.1
उत्तराखंड	7,841	7,765	-76	-1.0	1,267	1,267	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	227,104	201,951	-25,153	-11.1	33,034	29,504	-3,530	-10.7
छत्तीसगढ़	14,866	14,475	-391	-2.6	2,887	2,830	-57	-2.0
गुजरात	67,482	60,851	-6,631	-9.8	11,841	8,960	-2,881	-24.3
मध्य प्रदेश	42,054	34,841	-7,213	-17.2	7,564	6,810	-754	-10.0
महाराष्ट्र	121,901	95,761	-26,140	-21.4	18,049	13,766	-4,283	-23.7
दमन और दीव	1,797	1,576	-221	-12.3	240	215	-25	-10.4
दादरा और नगर हवेली	3,574	3,457	-117	-3.3	504	443	-61	-12.1
गोवा	2,801	2,754	-47	-1.7	466	413	-53	-11.4
पश्चिम क्षेत्र	254,475	213,715	-40,760	-16.0	37,240	30,153	-7,087	-19.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	71,511	66,673	-4,838	-6.8	11,083	9,997	-1,086	-9.8
कर्नाटक	43,168	40,578	-2,590	-6.0	6,892	6,548	-344	-5.0
केरल	17,645	15,562	-2,083	-11.8	3,188	2,751	-437	-13.7
तमिलनाडु	69,668	64,208	-5,460	-7.8	9,799	9,211	-588	-6.0
पुडुचेरी	2,020	1,773	-247	-12.2	304	275	-29	-9.5
लक्षद्वीप	24	24	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	204,012	188,794	-15,218	-7.5	28,958	26,245	-2,713	-9.4
बिहार	10,527	8,801	-1,726	-16.4	1,842	1,333	-509	-27.6
डीवीसी	14,002	13,699	-303	-2.2	2,217	2,178	-39	-1.8
झारखंड	5,361	5,110	-251	-4.7	889	887	-2	-0.2
उड़ीसा	20,519	20,214	-305	-1.5	3,062	2,987	-75	-2.4
पश्चिम बंगाल	31,289	30,290	-999	-3.2	5,387	5,379	-8	-0.1
सिक्किम	343	330	-13	-3.8	97	95	-2	-2.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	236	184	-52	-22	40	38	-2	-5
पूर्वी क्षेत्र	82,041	78,444	-3,597	-4.4	12,901	11,789	-1,112	-8.6
अरुणाचल प्रदेश	426	271	-155	-36.4	130	79	-51	-39.2
असम	5,107	4,567	-540	-10.6	958	797	-161	-16.8
मणिपुर	556	477	-79	-14.2	128	95	-33	-25.8
मेघालय	1,713	1,386	-327	-19.1	457	293	-164	-35.9
मिजोरम	330	269	-61	-18.5	100	64	-36	-36.0
नागालैंड	475	436	-39	-8.2	95	86	-9	-9.5
त्रिपुरा	800	728	-72	-9.0	167	156	-11	-6.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,407	8,134	-1,273	-13.5	1,820	1,358	-462	-25.4
अखिल भारतीय	777,039	691,038	-86,001	-11.1	109,809	96,785	-13,024	-11.9

लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

2009-10 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (संशोधित)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2009-मार्च, 2010				व्यस्ततम अप्रैल, 2009-मार्च, 2010			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)	अधिकतम मांग (मेगावाट)	अधिकतम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,576	1,528	-48	-3	308	308	0	0
दिल्ली	24,277	24,094	-183	-0.8	4,502	4,408	-94	-2.1
हरियाणा	33,441	32,023	-1,418	-4.2	6,133	5,678	-455	-7.4
हिमाचल प्रदेश	7,047	6,769	-278	-3.9	1,118	1,158	40	3.6
जम्मू और कश्मीर	13,200	9,933	-3,267	-24.8	2,247	1,487	-760	-33.8
पंजाब	45,731	39,408	-6,323	-13.8	9,786	7,407	-2,379	-24.3
राजस्थान	44,109	43,062	-1,047	-2.4	6,859	6,859	0	0.0
उत्तर प्रदेश	75,930	59,508	-16,422	-21.6	10,856	8,563	-2,293	-21.1
उत्तराखंड	8,921	8,338	-583	-6.5	1,397	1,313	-84	-6.0
उत्तरी क्षेत्र	254,231	224,661	-29,570	-11.6	37,159	31,439	-5,720	-15.4
छत्तीसगढ़	11,009	10,739	-270	-2.5	2,819	2,703	-116	-4.1
गुजरात	70,369	67,220	-3,149	-4.5	10,406	9,515	-891	-8.6
मध्य प्रदेश	43,179	34,973	-8,206	-19.0	7,490	6,415	-1,075	-14.4
महाराष्ट्र	124,936	101,512	-23,424	-18.7	19,388	14,664	-4,724	-24.4
दमन और दीव	1,934	1,802	-132	-6.8	280	255	-25	-8.9
दादरा और नगर हवेली	4,007	3,853	-154	-3.8	529	494	-35	-6.6
गोवा	3,092	3,026	-66	-2.1	485	453	-32	-6.6
पश्चिम क्षेत्र	258,528	223,127	-35,401	-13.7	39,609	32,586	-7,023	-17.7
आंध्र प्रदेश	78,996	73,765	-5,231	-6.6	12,168	10,880	-1,288	-10.6
कर्नाटक	45,550	42,041	-3,509	-7.7	7,942	6,897	-1,045	-13.2
केरल	17,619	17,196	-423	-2.4	3,109	2,982	-127	-4.1
तमिलनाडु	76,293	71,568	-4,725	-6.2	11,125	9,813	-1,312	-11.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पुडुचेरी	2,119	1,975	-144	-6.8	327	294	-33	-10.1
लक्षद्वीप	24	24	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	220,576	206,544	-14,032	-6.4	32,178	29,049	-3,129	-9.7
बिहार	11,587	9,914	-1,673	-14.4	2,249	1,509	-740	-32.9
डीवीसी	15,199	14,577	-622	-4.1	1,938	1,910	-28	-1.4
झारखंड	5,867	5,407	-460	-7.8	1,088	947	-141	-13.0
उड़ीसा	21,136	20,955	-181	-0.9	3,188	3,120	-68	-2.1
पश्चिम बंगाल	33,750	32,819	-931	-2.8	6,094	5,963	-131	-2.1
सिक्किम	388	345	-43	-11.1	96	94	-2	-2.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	87,927	84,017	-3,910	-4.4	13,220	12,384	-836	-6.3
अरुणाचल प्रदेश	399	325	-74	-18.5	95	78	-17	-17.9
असम	5,122	4,688	-434	-8.5	920	874	-46	-5.0
मणिपुर	524	430	-94	-17.9	111	99	-12	-10.8
मेघालय	1,550	1,327	-223	-14.4	280	250	-30	-10.7
मिजोरम	352	288	-64	-18.2	70	64	-6	-8.6
नागालैंड	530	466	-64	-12.1	100	96	-4	-4.0
त्रिपुरा	855	771	-84	-9.8	176	173	-3	-1.7
उत्तरी क्षेत्र	9,332	8,296	-1,036	-11.1	1,760	1,445	-315	-17.9
अखिल भारतीय	830,594	746,644	-83,950	-10.1	119,166	104,009	-15,157	-12.7

लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

2010-11 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (संशोधित)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2010-मार्च, 2011				व्यस्ततम अप्रैल, 2010-मार्च, 2011			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)	अधिकतम मांग (मेगावाट)	अधिकतम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,519	1,519	0	0	301	301	0	0
दिल्ली	25,625	25,559	-66	-0.3	4,810	4,739	-71	-1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	34,552	32,626	-1,926	-5.6	6,142	5,574	-568	-9.2
हिमाचल प्रदेश	7,626	7,364	-262	-3.4	1,278	1,187	-91	-7.1
जम्मू और कश्मीर	13,571	10,181	-3,390	-25.0	2,369	1,571	-798	-33.7
पंजाब	44,484	41,799	-2,685	-6.0	9,399	7,938	-1,461	-15.5
राजस्थान	45,261	44,836	-425	-0.9	7,729	7,442	-287	-3.7
उत्तर प्रदेश	76,292	64,846	-11,446	-15.0	11,082	10,672	-410	-3.7
उत्तराखंड	9,850	9,255	-595	-6.0	1,520	1,520	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	258,780	237,985	-20,795	-8.0	37,431	34,101	-3,330	-8.9
छत्तीसगढ़	10,340	10,165	-175	-1.7	3,148	2,838	-310	-9.8
गुजरात	71,651	67,534	-4,117	-5.7	10,786	9,947	-839	-7.8
मध्य प्रदेश	48,437	38,644	-9,793	-20.2	8,864	8,093	-771	-8.7
महाराष्ट्र	128,296	107,018	-21,278	-16.6	19,766	16,192	-3,574	-18.1
दमन और दीव	2,181	1,997	-184	-8.4	353	328	-25	-7.1
दादरा और नगर हवेली	4,429	4,424	-5	-0.1	594	594	0	0.0
गोवा	3,154	3,089	-65	-2.1	544	467	-77	-14.2
पश्चिम क्षेत्र	268,488	232,871	-35,617	-13.3	40,798	34,819	-5,979	-14.7
आंध्र प्रदेश	78,970	76,450	-2,520	-3.2	12,630	11,829	-801	-6.3
कर्नाटक	50,474	46,624	-3,850	-7.6	8,430	7,815	-615	-7.3
केरल	18,023	17,767	-256	-1.4	3,295	3,103	-192	-5.8
तमिलनाडु	80,314	75,101	-5,213	-6.5	11,728	10,436	-1,292	-11.0
पुडुचेरी	2,123	2,039	-84	-4.0	319	302	-17	-5.3
लक्षद्वीप	25	25	0	0	7	7	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	229,904	217,981	-11,923	-5.2	33,256	31,121	-2,135	-6.4
बिहार	12,384	10,772	-1,612	-13.0	2,140	1,659	-481	-22.5
डीवीसी	16,590	15,071	-1,519	-9.2	2,059	2,046	-13	-0.6
झारखंड	6,195	5,985	-210	-3.4	1,108	1,052	-56	-5.1
उड़ीसा	22,506	22,449	-57	-0.3	3,872	3,792	-80	-2.1
पश्चिम बंगाल	36,481	35,847	-634	-1.7	6,162	6,112	-50	-0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	402	402	0	0.0	106	104	-2	-1.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	94,558	90,526	-4,032	-4.3	13,767	13,085	-682	-5.0
अरुणाचल प्रदेश	511	436	-75	-14.7	101	85	-16	-15.8
असम	5,403	5,063	-340	-6.3	971	937	-34	-3.5
मणिपुर	568	505	-63	-11.1	118	115	-3	-2.5
मेघालय	1,545	1,352	-193	-12.5	294	284	-10	-3.4
मिजोरम	369	315	-54	-14.6	76	70	-6	-7.9
नागालैंड	583	520	-63	-10.8	118	110	-8	-6.8
त्रिपुरा	882	801	-81	-9.2	220	197	-23	-10.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,861	8,992	-869	-8.8	1,913	1,560	-353	-18.5
अखिल भारतीय	861,591	788,355	-73,236	-8.5	122,287	110,256	-12,031	-9.8

लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।
नोट- अधिकतम पूर्ति तथा ऊर्जा उपलब्धता दोनों ही विभिन्न राज्यों में शुद्ध खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाती हैं। आयात करने वाले राज्यों की खपत में शुद्ध आयात को शामिल किया गया है।

2011-12 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (संशोधित)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2011-मार्च, 2011				व्यस्ततम अप्रैल, 2011-मार्च, 2011			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)	अधिकतम मांग (मेगावाट)	अधिकतम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	438	438	0	0	267	267	0	0
दिल्ली	7,506	7,500	-6	-0.1	5,194	4,994	-200	-3.9
हरियाणा	8,328	8,151	-177	-2.1	6,156	5,949	-207	-3.4
हिमाचल प्रदेश	1,998	1,992	-6	-0.3	1,141	1,141	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	3,302	2,511	-791	-24.0	2,250	1,469	-781	-34.7
पंजाब	11,384	11,207	-177	-1.6	8,606	8,374	-232	-2.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	12,051	12,000	-51	-0.4	7,054	6,768	-286	-4.1
उत्तर प्रदेश	19,341	17,600	-1,741	-9.0	11,445	10,537	-908	-7.9
उत्तराखंड	2,627	2,534	-93	-3.5	1,568	1,517	-51	-3.3
उत्तरी क्षेत्र	66,975	63,933	-3,042	-4.5	37,651	34,575	-3,076	-8.2
छत्तीसगढ़	3,300	3,245	-55	-1.7	3,239	2,745	-494	-15.3
गुजरात	19,943	19,907	-36	-0.2	10,292	10,221	-71	-0.7
मध्य प्रदेश	11,170	9,412	-1,758	-15.7	7,442	7,290	-152	-2.0
महाराष्ट्र	35,499	30,104	-5,395	-15.2	20,072	16,340	-3,732	-18.6
दमन और दीव	564	508	-56	-9.9	294	269	-25	-8.5
दादरा और नगर हवेली	1,112	1,111	-1	-0.1	541	541	0	0.0
गोवा	833	824	-9	-1.1	514	471	-43	-8.4
पश्चिमी क्षेत्र	72,421	65,111	-7,310	-10.1	39,566	33,705	-5,861	-14.8
आंध्र प्रदेश	21,314	20,660	-654	-3.1	12,636	11,579	-1,057	-8.4
कर्नाटक	13,882	12,783	-1,099	-7.9	8,479	7,509	-970	-11.4
केरल	4,870	4,776	-94	-1.9	3,281	3,017	-264	-8.0
तमिलनाडु	21,201	19,692	-1,509	-7.1	11,911	10,566	-1,345	-11.3
पुडुचेरी	576	571	-5	-0.9	318	312	-6	-1.9
लक्षद्वीप	9	9	0	0	7	7	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	61,843	58,482	-3,361	-5.4	33,937	31,489	-2,448	-7.2
बिहार	2,917	2,297	-620	-21.3	2,031	1,426	-605	-29.8
डीवीसी	4,038	3,735	-303	-7.5	2,250	2,007	-243	-10.8
झारखंड	1,453	1,395	-58	-4.0	1,030	833	-197	-19.1
उड़ीसा	5,645	5,630	-15	-0.3	3,350	3,310	-40	-1.2
पश्चिम बंगाल	9,637	9,598	-39	-0.4	6,409	6,098	-311	-4.9
सिकिक्म	97	97	0	0.0	100	95	-5	-5.0
अंडमान और निकोबार	60	45	-15	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	23,787	22,752	-1,035	-4.4	14,000	12,879	-1,121	-8.0
अरुणाचल प्रदेश	128	115	-13	-10.2	90	87	-3	-3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	1,428	1,352	-76	-5.3	1,050	984	-66	-6.3
मणिपुर	134	119	-15	-11.2	102	97	-5	-4.9
मेघालय	475	343	-132	-27.8	280	238	-42	-15.0
मिजोरम	97	85	-12	-12.4	77	67	-10	-13.0
नागालैंड	146	129	-17	-11.6	100	83	-17	-17.0
त्रिपुरा	223	208	-15	-6.7	192	184	-8	-4.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2,631	2,351	-280	-10.6	1,762	1,581	-181	-10.3
अखिल भारतीय	227,657	212,629	-15,028	-6.6	122,391	111,163	-11,228	-9.2

लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

नोट- अधिकतम पूर्ति तथा ऊर्जा उपलब्धता दोनों ही विभिन्न राज्यों में शुद्ध खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाती हैं। आयात करने वाले राज्यों की खपत में शुद्ध आयात को शामिल किया गया है।

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रश्न के सप्लीमेंट में पूछना चाहता हूं कि सलाल में एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट बनाया था, उसके लिए तय हुआ था कि बनाने के बाद हमें वापिस किया जाएगा। यह 690 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। जम्मू-कश्मीर का 10 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट हमें वापिस कब देंगे, जिससे कि हमारे राज्य का भला हो सके।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न इस सवाल से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं जरूर उत्तर दूंगा। कश्मीर में सलाल एनएचपीसी का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत सालों से ये बातें चलती आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री गणेश सिंह: महोदया, पूरे देश में मांग के अनुपात से विद्युत की बहुत कमी है। पीक ऑवर में भी कहीं आठ परसेंट और कहीं दस परसेंट की कमी है। ऐसी स्थिति में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने का काम, मैं समझता हूं कि दो कारणों से प्रभावित हो रहा है। पहला-थर्मल पावर को पर्याप्त कोयला नहीं मिलता और दूसरा-जो थर्मल पावर राज्यों में बन रहे है, उनकी निर्माण एजेंसियां जो भारत सरकार की हैं वे निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करती हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, देश में एनर्जी की शार्टेज है, यह हमेशा फ्लकचुएट होती है। हमने जुलाई में देखा था कि एनर्जी शार्टेज 3 परसेंट थी और पीकिंग शार्टेज 5.3 परसेंट भी थी। आज की स्थिति में एनर्जी शार्टेज 4.5 परसेंट और पीकिंग शार्टेज लगभग 8 परसेंट है। यह बात सही है कि कोयले की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सदन को बताने में मुझे बहुत खुशी है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद जैसे एनवायरमेंट की डिफिकल्टी है, कोयले की डिफिकल्टी है, ज़मीन लेने की डिफिकल्टी है, ऐसी हालत में भी देश में इस समय 40131 मेगावाट कैपेसिटी एडिशन हो गया है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 21 हजार था, अब लगभग डबल हो गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साढ़े पांच साल में 47 हजार मेगावाट बिजली का एडीशन हुआ है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं कि बजट में उन्होंने हमारे विभाग को प्रोत्साहन दिया। पिछले साल हमने लगभग 16 हजार मेगावाट सिंक्रोनाइज्ड किया और इससे हम और ज्यादा काम करने लगे हैं, हम देश को ज्यादा बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने काम शुरू किया है और 12वीं योजना का हमें अभी टार्गेट मिलना है।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 21 हजार मेगावाट एडीशन किया था।

लेकिन हमें टार्ग्रेट 78,000 मेगावाट का मिला यानी चार गुना ज्यादा टार्गेट मिला और इतनी ज्यादा कठिनाइयां आईं लेकिन तब भी हमने इतना काम किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अभी हमें प्लानिंग कमीशन से टार्गेट नहीं मिला है लेकिन अभी इस देश में 80,000 मेगावाट का काम वर्तमान में चालू है, यह मैं सदन को बताना चाहूंगा।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे: अध्यक्ष महोदया, बिजली समवर्ती सूची का विषय है और बिजली की आपूर्ति और वितरण में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, केन्द्र सरकार को देश में बढ़ती विद्युत आवश्यकता का स्थायी हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। क्या माननीय मंत्री राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अस्तित्व में आने से लेकर देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो से तीन प्रश्न पूछे हैं पर मैं विशेष तौर पर उत्तर दूंगा क्योंकि हर व्यक्ति की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बहुत अधिक दिलचस्पी है।

आरंभ में इस योजना के अंतर्गत, 1,25,000 गांवों का अनुमान लगाया गया था परन्तु बाद में गांवों के विद्युतीकरण लक्ष्य घट गया क्योंकि उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में ग्रामों की दो बार गिनती हो गयी थी और अब 1,11,000 गांव का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से आज तक लगभग 98.000 गांवों को विद्युतीकरण किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: अध्यक्ष महोदया, जो उत्तर हमें दिया गया है उस पर गौर करने पूर्व मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मुद्दा यह है कि हम भूटान से विद्युत का आयात करते हैं। यदि आप वर्ष दर वर्ष जम्मू-कश्मीर के आंकड़े देखें तो आप पाते हैं विद्युत उत्पादन के संबंध में ये आंकड़े बहुत निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। जम्मू-कश्मीर के वर्ष दर वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षमता तो 2515 है पर उपलब्ध बहुत कम है। मैं सरकार का ध्यान इस मसले की ओर दिलाना चाहता हूं तथा मैं इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। हम जम्मू और कश्मीर में बारबांर प्रयास कर रहे हैं तथा इसे प्रत्येक मंच एवं प्रत्येक रूप में उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में भारी जल संसाधन हैं तथा हम विद्युत उत्पादन कर सकते थे। ऐसा करके न केवल जम्मू और कश्मीर आत्मनिर्भर हो गया होता परन्तु यह देश के अन्य राज्यों को भी विद्युत प्रदान करता। पर दुर्भाग्यवश, 1960 में हमने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया था जिससे जम्मू और कश्मीर राज्य अपने विशाल जल संसाधनों के इस्तेमाल से वंचित हो गया। समय-समय पर माननीय प्रधानमंत्री ने भी हमें आवश्वस्त किया था कि हालांकि इस संधि को रद्द नहीं किया जा सकता परन्तु कम से कम हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकते हैं।

क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, यह अनुपूरक प्रश्न जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है। हालांकि मैं कह सकता हूं कि जम्मू-कश्मीर बहुत गंभीर समस्या से ग्रस्त है। हमने सीमा पर किशनगंज में परियोजना प्रारंभ की है तथा किशनगंज परियोजना के अलावा दो परियोजना भी सीमा पर है। हमने जम्मू और कश्मीर को बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना है तथा हम उन्हें विद्युत प्रदान कर रहे हैं। वहां की स्थिति पर विचार करते हुए हमने हाल ही में पिछले जाड़े में 250 मेगावाट तक की अतिरिक्त अनाबंटित बिजली दी थी। केवल इतना ही नहीं है। मैंने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की है तथा उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया है कि वे अधिकाधिक परियोजना स्थापित कर सकते हैं। वर्षा तथा जल उपलबधता पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए जल विद्युत क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन मैंने उन्हें सुझाव दिया है कि वे ताप परियोजना से विद्युत ले सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं। इसलिए मैंने कथना में पठानकोट के पास जगह की तलाश करने का सुझाव दिया और यदि राज्य सरकार जल एवं विद्युत की आपूर्ति करती है, तो एन.टी.पी.सी. वहां पर एक परियोजना आरंभ कर सकती है। दो सरकारों के बीच परामर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: मैं क्षतिपूर्ति के बारे में बात कर रहा था।...

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आपकी बारी खत्म हुई।

[हिन्दी]

श्री तूफ़ानी सरोज: अध्यक्ष महोदया, आपने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश बिजली की समस्या से लगातार जूझ रहा है। हम समझते हैं कि जो हालात उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर हैं, ऐसे हालात पूरे देश में किसी प्रांत में नहीं हैं। टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम था। यू.पी. के विभाजन के बाद वह उत्तराखंड राज्य में चला गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टिहरी डैम से विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? क्या वह लक्ष्य पूरा किया गया है? यदि हां तो उसमें से कितनी बिजली उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मिल रही है और कितनी उत्तराखंड तथा भारत सरकार को मिल रही है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: एक बार में एक ही सवाल पूछिए। अब समाप्त करिए।

श्री तूफ़ानी सरोज: क्या उत्तर प्रदेश में इसी तरह की कोई परियोजना बनाने की सरकार की कोई योजना है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, टिहरी का सवाल हाइड्रो से संबंधित है और अभी इस समय मेरे पास इस बारे में पूरे रिकार्ड नहीं हैं। लेकिन जब ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकट्ठे थे, तब यह प्रोजेक्ट चल रहा था। अभी इस समय डिस्ट्रीब्यूशन के मेरे पास पूरे रिकार्ड नहीं है।

[अनुवाद]

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं माननीय विद्युत मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ देश बिजली की कमी से जूझ रहा है और, दुर्भाग्य से, दूसरी ओर 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की महत्वाकांक्षी परियोजना लंबित हैं और पीपरवाड के उत्तर करनपुरा में एक दशक से अधिक समय से आगस्थगित रखा गया है, जिसका शिलान्यास माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था।

[अनुवाद]

श्री सुशीलकुमार शिंदे: यह सही है कि करनपुरा का शिलान्यास पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1999 में किया गया था। यह मुद्दा कई बार उठा था। परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक कोयले का भंडारण किया गया है और यही कारण है कि कोयला विभाग आपत्ति उठा रहा है। आरंभ में यह 2,000 मेगावाट की योजना थी, लेकिन हमने इसे घटाकर 3 × 660 मेगावाट कर दिया है। तथापि वहां अभी भी कुछ समस्याएं हैं। अब, माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है और यह मामला उस समूह के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिंहा: अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि जो कमेटी है, उसका कृपया जल्दी फैसला दें।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, अभी नहीं। अभी सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जगदानंद सिंह: अध्यक्ष महोदया, पूरे राष्ट्रीय सिनेरियों में डिमांड और सप्लाई में कमी है। जब हम विभिन्न राज्यों की तुलना करते हैं तो उसमें बहुत अंतर आता है। राष्ट्रीय सिनेरियों में 6.6 ऑफ पीक ऑवर में और 9.2 प्रतिशत पीक ऑवर में कमी है लेकिन वहीं बिहार में जब हम देखते हैं तो ऑफ पीक ऑवर में 21 प्रतिशत और पीक ऑवर में 29 प्रतिशत है। गत वर्ष से यह अंतर और बढ़ता जा रहा है जबकि राष्ट्रीय पैमाने पर डिमांड और सप्लाई में घटोतरी हो रही है। पूरे राष्ट्रीय सिनेरियों में केवल उत्पादन नहीं बल्कि ट्रांसमिशन की भी जिम्मेदारी नेशनल ग्रिड द्वारा भारत सरकार की है। नेशनल ग्रिड का कांसैप्ट ही यह है कि जिस रीजन में डिमांड और सप्लाई में सबसे बड़ा गैप होगा, वहां राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि उस इलाके में बिजली दी जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में लगातार मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है। ईस्टर्न रीजन में डिमांड और सप्लाई में घटोतरी हो रही है अर्थात ईस्टर्न रीजन हर रीजन से बेहतर है। बिहार इसी ईस्टर्न रीजन का हिस्सा है।

ईस्टर्न रीजन में घटोतरी डिमांड और सप्लाई होने के बाद बिहार में गैप बढ़ता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में जितने प्रस्तावित प्रोजेक्ट हैं, जब तक उनके लिए अनुमति नहीं मिलती है तब तक राष्ट्रीय उत्पादन और नेशनल ग्रिड द्वारा बिहार को डिमांड और सप्लाई का अंतर राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए कौन सा प्रयास करना चाहते हैं?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि बिहार में पावर की बहुत शार्टेज है। सम्मानित सदस्य ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कन्क्रंट लिस्ट में है, राज्यों की जिम्मेदारी पावर निर्माण करना और देना है। भारत सरकार केवल सप्लीमेंटरी काम

करती है। बहुत सालों से बिहार में पावर निर्माण का काम नहीं हुआ, मैंने व्यू ले लिया। मैं हर छ: महीने में देश के सभी पावर मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करता हूं। मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी। हमने विचार करके मुजफ्फरपुर को 500 मेगावाट का कांटी प्रोजेक्ट दिया है और एक और 390 मेगावाट का दिया है। नबीनगर 1980 मेगावाट Barh (बाढ़), 1000 मेगावाट नबीनगर रेलवे का प्रोजेक्ट दिया है, एक और 1980 मेगावाट का भी काम शुरू है। इतना ही नहीं लिंकेज जिन्हें नहीं मिल रहा था, हमारा एक क्राइटेरिया है, 50 मार्क्स मिल जाएं तो कोल लिंकेज रिकमेंड करते हैं। बिहार को 20 प्रतिशत और 30 परसेंट मिले थे तो भी हमने राज्य का स्पेशल कन्सीडरेशन किया और कोल लिंकेज के लिए रिकमेंड किया है। यह स्थिति बिहार के सुधार के लिए है, भारत सरकार बिजली दे रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या-82-श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री अर्जुन राय, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: 1800 मेगावाट का कोटा है और 900 मेगावाट दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* रमजान का महीना चल रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इस पर चर्चा कर लेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नोटिस देकर चर्चा कर लीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

इस समय श्री दिनेश चन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री अर्जुन राय, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पहले आप प्रश्न संख्या बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, सप्लीमेंटरी प्रश्न पर कुछ तो जवाब आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप नोटिस भेजकर चर्चा करा लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह लंबा विषय है। आप इस पर चर्चा करा लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश चन्द्र यादव: हमारे यहां से एक भी सदस्य को नहीं बोलने का मौका नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जगदानंद सिंह जी बोले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अर्जुन राय: कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

*(व्यवधान)... **

अध्यक्ष महोदया: आप मेरे निर्णय पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा सकते।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कृपया मेरे निर्णय पर प्रश्न-चिह्न मत लगाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्या चाहते हैं कि प्रश्न काल बंद कर दें?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अर्जुन जी, आपको सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना है तो पूछिए।

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11:20 बजे

इस समय श्री दिनेश चन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राय: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का जवाब आंकड़ों का खेल है।

अध्यक्ष महोदया: हम इससे आगे बढ़ गए हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, आपसे हमने कहा है कि जगदानंद सिंह जी बोले हैं। इस पर चर्चा के लिए कह दिया है, आप नोटिस दे दीजिए, चर्चा हो जाएगी। अब हम प्रश्न 82 पर पहुंच गए हैं, इस तरह रिवर्स मत कीजिए। अब अगला पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इस पर नोटिस आ जाए तो चर्चा कर लीजिए। अब आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

***82. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**
श्री अर्जुन राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर नियंत्रण रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ग) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की धनराशि तथा प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंकों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में राहत प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राहत देने के लिए किन मानदंडों का पालन किया गया है; और

(च) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की तुलना में सकल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों के अनुपात में वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2009 को यह अनुपात 2.09% था जो 31 मार्च, 2011 को बढ़कर 2.31% हो गया और जून 2011 में यह बढ़कर 2.55% हो गया था। हालांकि, निरपेक्ष आधार (आब्सल्यूट टर्मस) पर सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि हुई है लेकिन इसी में वर्ष 2010-11 में 24.0% की वृद्धि दर्ज की गई है जो वर्ष 2009-10 के दौरान 30.1% वृद्धि की तुलना में कम है।

सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की तुलना में सकल सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अग्रिमों के अनुपात में कमी हुई है। 31 मार्च, 2009 को यह अनुपात 3.55% था जो 32 मार्च, 2011 में घटकर 2.62% हो गया है। जून 2011 की स्थिति के अनुसार सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तायों का अनुपात 2.62% था। सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की तुलना में नए निजी क्षेत्र के बैंकों के सकल अग्रिमों का अनुपात 31 मार्च, 2009 को 2.36% था जो 31 मार्च, 2011 को कम होकर 1.97% हो गया। बैंकों के समूह-वार आंकड़े निम्नानुसार है:

के अंत में बकाया राशि (करोड़ रुपए में)

	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	जून 2011 तक
सकल एनपीए				
नए निजी क्षेत्र के बैंक	13,815	13,772	14,277	14,622
पुराने निजी क्षेत्र के बैंक	3,072	3,612	3,695	3,996
सरकारी क्षेत्र के बैंक	44,039	57,301	71,047	78,119
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)				
नए निजी क्षेत्र के बैंक	3.55	3.22	2.62	2.62
पुराने निजी क्षेत्र के बैंक	2.36	2.31	1.97	2.09
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.09	2.27	2.31	2.55

निरपेक्ष आधार पर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में मोटे तौर पर जो वृद्धि हुई है, उसके कारण हैं-वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव, व्यापार-चक्र, आर्थिक-मंदी और पिछले कुछ वर्षों के दौरान बैंकिंग उद्योग में बैंकों द्वारा बारम्बार लेखों को फिर से तैयार करने की आवश्यकता आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होना।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में बैंकों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने, बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने और वसूली के लिए अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान पहले से कई कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रावधानों और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को तय करना, त्रुटियों (स्लिपेज) को रोकने हेतु दिशानिर्देश, निगमित ऋण पुनर्सरचना स्कीमें, एकबारगी निपटान करने वाली स्कीमें, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2022, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरटी) अधिनियम, 1993 को लागू करना, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राय: माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया है, वह आंकड़ों का खेल है। देश में नॉन परफारमिंग एसेट्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और विगत तीन सालों से बहुत तेजी से बढ़ी है। माननीय मंत्री जी ने कई प्रेस कांफ्रेंसिस में इस पर चिंता की है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2009-10 में नॉन परफारमिंग एसेट्स 30 प्रतिशत बढ़े और इसकी तुलना में 2010-11 में 24 प्रतिशत हो गए, क्या 24 प्रतिशत की वृद्धि संतोषजनक है? क्या यह वृद्धि देश के लिए उपयुक्त है? तक तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि देश में उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश में कर्ज की देनदारी बढ़ रही है। पिछले वर्ष होम लोन घोटाले में डीएसबी और फाइनेंस के बहुत से पदाधिकारी पकड़े गए। इस तरह से नॉन परफारमिंग एसेट्स देश में बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें भी कोई घोटाले की आशंका महसूस होती है? अगर होती है तो इस पर जांच के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है?

श्री नमोनारायन मीणा: महोदया, नॉन परफारमिंग एसेट्स के बारे में जो रिप्लाई दिया है, उसमें पब्लिक सैक्टर बैंकों का 2009 में 2.09 था, मार्च 2011 में 2.31 है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नाम परफारमिंग एसेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं है। इसके बावजूद ग्रास एनपीए तीन परसेंट और नेट उनपीए एक परसेंट से कम है तो भी वे एक्सेप्टेबल होते हैं।

भारत सरकार के जितने भी बैंक हैं, उनका नान परफारमिंग एसेट्स 2011 में 2.31 था और जून में 2.55 था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 26 बैंकों में से तीन बैंक ऐसे हैं जिनका एक और एक से कम ग्रास एनपीए है। ग्यारह बैंक ऐसे हैं जिनका एक से दो प्रतिशत एनपीए है, 10 ऐसे हैं जिनका दो से तीन परसेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक दो ऐसे बैंक हैं जिनका तीन परसेंट से ऊपर है। मैं इनका कम्पेरिजन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर के पांच ऐसे बैंक हैं जिनका एनपीए बहुत ज्यादा है, उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई बैंक का मार्च 2000 में 5.65, मार्च 2010 में 6.52, मार्च 2011 में 5.80 प्रतिशत था और इस जून तक 5.82 है।

कुल मिलाकर हमारे पब्लिक सैक्टर बैंक्स का अंडर कंट्रोल है। आप यह देखें कि एनपीए काफी कम हुआ है। एक जमाना था जब एनपीए बहुत हुआ करते थे और उनमें मैं आपको बताऊंगा कि 1998-99 में पब्लिक सैक्टर बैंक्स का एनपीए 15.9 परसैंट था, 1999-2000 में 14 परसैंट था, 2000-2001 में 12 परसैन्ट था, 2000-2001 में 11 परसैन्ट था, 2002-2003 में 9 परसैन्ट था और 2003-04 में 7.8 परसैन्ट था। उसके बाद यह फिर घटने लगा और 2006-2007 में 2.7 परसैन्ट हुआ, 2.2 हुआ, इस समय 2.55 परसैन्ट है, जिसे ज्यादा नहीं कह सकते। यह स्वीकार्य लिमिट के अंडर है। इसके दो-तीन कारण मैं और बताना चाहूंगा कि यदि थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ा है तो यह क्यों बढ़ा है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। एक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी आई तो उस समय हमारे पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने 25 परसैन्ट के ग्रोथ से एडवांसेज दिये। जबकि प्राइवेट बैंक्स ने 10 परसैन्ट और फॉरेन बैंक्स ने चार परसैन्ट दिये। हमारे जितने भी बैंक्स हैं, उनका नैट प्रोफिट बढ़ता जा रहा है। 2006-2007 में बीस हजार करोड़ था, 2007-2008 में 26 हजार करोड़ रुपये, 2008-2009 में 34 हजार करोड़ रुपये और 2009-2010 में 39 हजार करोड़ रुपये हमारे बैंको ने प्रोफिट कमाया। इसके रीजन्स मैंने आपको बताये कि प्रथम आर्थिक मंदी में हम लोगों ने ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाया। दूसरा उस आर्थिक मंदी में जब हमने यह किया तो उसके बाद में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। हम जो स्टैप्स ले रहे हैं, उनमें कुछ रिजर्व बैंक ने डायरेक्शंस दी हैं, कुछ भारत सरकार ने डायरेक्शंस दी है, जितने भी हमारे लीगल रिकोर्स हैं, चाहे लोक अदालत है, चाहे सर्फेसी एक्ट है, चाहे डीआरटी एक्ट है, उनके तहत रिकवरीज हो रही हैं। रेस्ट मैनेजमैन्ट सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा रहा है। सारे बैंक्स अपने लैवल पर अपने रिकवरी मैकेनिज्म को और सुधार रहे हैं और भारत सरकार ने भी एक डायरेक्शन दी है कि रिकवरी ऑफ एनपीए के बारे में एक्शन प्लान बताइयेगा। कुल मिलाकर जितने भी एनपीएज हैं, वे परमिसिबल लिमिट्स में हैं। हमारे बैंक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे प्रोफिट में हैं और जो एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है, वह लिमिट में आ जायेगा, उसमें से मैंने बताया कि कुछ ही बैंकों का है जो तीन परसैन्ट से ऊपर है, बाकी ऐसे भी बैक्स हैं, जिनका ग्रॉस एनपीए एक परसैन्ट से कम है।

श्री अर्जुन राय: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एनपीए डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं और समाचार पत्रों में जो खबर छपी है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी और इनके इकोनोमिक एडवाइजर का भी बयान है। इसमें यह है कि मार्च 2010 में सरकारी सूत्रों के अनुसार 69.927 करोड़ रुपये एनपीए और मार्च 2011 में 74.617 हजार करोड़, मतलब 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक एनपीए देश में हैं, जो मार्च 2011 का है और 2010 में यह लगभग साठ हजार करोड़ रुपये था। यह आंकड़े बता रहे हैं कि इनका एनपीए बढ़ रहा है। मैंने सवाल किया था कि लास्ट ईयर हाउसिंग लोन घोटाले में आपके पदाधिकारी पकड़े गये और माननीय मंत्री जी ने सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्ट्रीट्यूशंस की समीक्षा की थी और चिंता भी व्यक्त की थी। आपके जो इकोनोमिक एडवाइजर, बसु साहब हैं, उन्होंने अपना स्टेटमैन्ट दिया कि जो भी पदाधिकारी करप्शन के खिलाफ जांच के लिए जाते हैं, वे खुद करप्शन में इलडल्ज हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। मेरे पास बसु यादव और माननीय मंत्री जी का भी बयान है। हम आपसे इतना ही जानना चाहते हैं कि जब इस तरह की कन्ट्रोवर्शियल बातें आ रही हैं, आपको शंका हो रही है कि देश में जो नॉन पर परफार्मिंग ऐसेट्स बढ़ रहे हैं और जब हाऊसिंग लोन में घोटाले हुए तो उनकी जांच हुई। उसमें कुछ पदाधिकारी पकड़े गए। जो नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स बढ़ रहे हैं, क्या इनसे भी किसी घोटाले की आशंका आपको लगती है? अगर आशंका लगती है तो सरकार इसकी जांच करने पर विचार क्यों नहीं करती है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, मैं माननीय सदस्यों की आशंकाओं, से सहमत हूं और इसी कारणवश मेरे सहयोगी ने विस्तृत उत्तर दिया है कि गत तीन वर्षो के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की गैर-निष्पादन कारी आस्तियों में बढ़ोत्तरी का रूझान है। इसी कारणवश बैंकों के मुख्य कार्यकारियों के सम्मेलन और पूर्व अवसरों पर भी मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया कि वे इस पर विचार करें।

सबसे आसान तरीका है कि ऋण देने से रोका जाय परन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि सिरदर्द है तो हम सिर को काट नहीं सकते, हमें दवाई लेनी होगी। इसलिए मैंने उन्हें सरकार के

द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार आवश्यक क्षेत्र में ऋण मानकों का पालन करने को कहा है परन्तु साथ ही पर्याप्त प्रावधान करने को भी कहा है जिससे कि गैर निष्पादनकारी आस्तियों पर ध्यान दिया जा सके और साथ ही ऋण स्वीकृत करते हुए बिना विलंब किए यथा निष्ठा से कार्य करें। अनेक माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि बैंकों के विरूद्ध अनेक शिकायते हैं कि वे ऋण देने और स्वीकृत करने में अधिक समय लेते हैं। अत: एक संतुलन बनाने के लिए हमने उनसे निवेदन किया है। मैं माननीय सदस्यों की चिंताओं से सहमत हूं कि जब कभी भी कतिपय भ्रष्टाचार अथवा कतिपय केदाचार के मामले सामने आते हैं हम इसकी जांच कर सकते हैं परन्तु मैं इस पर कोई वैश्विक प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, प्रथम प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने कहा है कि गैर निष्पादानकारी आस्तियों के निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि गैर निष्पादनकारी आस्तियां आज अत्यंत सहनीय सीमा है और उन्होंने इस सभा को सूचना दी है कि भारतीय स्टेट बैंक और यूको बैंकों गैर निष्पादनकारी आस्तियां 3 प्रतिशत से अधिक है जो सहनीय नहीं है।

मेरा भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित एक प्रश्न है। यह सत्य है कि भारतीय स्टेट बैंक के सकल गैर निष्पादनकारी ऋण की राशि गत तीन वर्षों में दोगुनी हो गई है जो मार्च 2008 में 12837 करोड़ रुपये की तुलना में मार्च 2011 में बढ़कर 25326 करोड़ हो गया? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक वित्तीय जांच के पश्चात घटिया प्रणाली सहित अनेक खामियों, उचित नीतियों के अभाव, अनुवर्ति कार्य के अभाव और कर्मचारियों की जवाबदेही के अभाव के लिए बैंक की आलोचना की है। यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के द्वारा अपने पुनगर्ठित पोर्टफोलियों की समीक्षा करने और अपने कर्मचारियों की जवाबदेही की समीक्षा नहीं करके बैंक की प्रगति, निदेशक मंडल द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए बैंकों की खिंचाई की है?

श्री नमोनारायन मीणा: महोदया मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय स्टेट बैंक की गैर निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि हुई हैं। मार्च 2009 में भारतीय स्टेट बैंक की सकल घरेलू गैर निष्पादनकारी आस्तियां 3.26 प्रतिशत या मार्च 2010 में 3.48 प्रतिशत और मार्च 2011 में 3.8 प्रतिशत था। मैंने जो कुछ बताया वह वास्तविकता है। मैंने आरंभ में बताया कि दो बैंकों की गैर निष्पादनकारी आस्तिया तीन प्रतिशत से अधिक हैं।

वर्ष 2009 में भारतीय स्टेट बैंक की सकल घरेलू निष्पादनकारी आस्तियां 15,000 अधिक थी, वर्ष 2010 में 17,000, वर्ष 2011 में 23,000 थी। जहां तक भारतीय स्टेट बैंक की जवाबदेही का संबंध है, हाल ही के वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक में प्रति कर्मचारी कारोबार में वृद्धि हुई है। यह 6.36 करोड़ था, अब यह 7 करोड़ है। यह सबसे बड़ा बैंक है। देश भर में इसकी 13,000 शाखाएं हैं। इस बैंक की विशेषता यह है कि अन्य बैंकों की तुलना में चाहे वे राष्ट्रीयकृत बैंक हो अथवा अन्य बैंक इस बैंक की 65 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। यह बैंक लाभ अर्जित कर रहा है यह बैंक लाभ अर्जित कर रहा है।

गैर निष्पादनकारी आस्तियों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदया, नॉन-परफार्मिंग ऐसेट्स में जो वृद्धि हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस समय बैंक्स लोन सैंक्शन करते हैं, उस समय वह सारी चीजें देखी नहीं जाती हैं। इसमें लापरवाही बरती जाती है। कंपनीज की रेटिंग और पॉस्ट परफॉरमेंस भी ठीक से नहीं देखी जाती है और इसीलिए एनपीए में वृद्धि हो रही है। दूसरा मेरा यह कहना है कि जैसे लोग इंट्रेस्ट रेट में जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण भी एनपीए बढ़ जाता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बैंक्स के पास जो क्वालिटी एनपीए मानीटरिंग सिस्टम है, इसके संबंध में जो एलर्टनेस होनी चाहिए, क्या सरकार उसे करेगी?

श्री नमोनारायन मीणा: महोदया, माननीय सदस्य ने लोन देने के लिए जो सिस्टम अपनाना चाहिए, उसके बारे में बताया है। अभी बैंकों ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंग्थेन किया है। जब कंपनीज को लोन देते हैं। तो उनकी रेटिंग इंडिपेंडेंट एजेंसी से करायी जाती है। यह मानकर कि जिसे हम लोन दे रहे हैं, वे सारे के सारे परफॉर्मिंग ऐसेट्स हैं और हमारा लोन वापस आ जायेगा। विशेष पक्षों को ऋण देते समय सभी सावधानियां अपनाई जा रही हैं।

मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एनपीए, एक-दो साल से थोड़ा राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ष 1998, 1999, 2001 में 14-14, 15-15 परसेंट रह चुका है। आपको कंपैरिजन में यह भी बताया कि आईसीआईसीआई बैंक जो एक बहुत बड़ा बैंक है, उसका भी एनपीए अभी पांच परसेंट के आसपास चल रहा है। मैं कोई ऐसा

कॉज ऑफ कंसर्न नहीं मानता हूं कि अगर किसी एक-दो बैंक का एनपीए तीन परसेंट है, एन.बी.ए. को निर्धारित सीमा लाने के लिए हम सभी सावधानियां अपना रहे हैं। डिजायरेबल लिमिट में हम इसे ला रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को काफी स्ट्रेंथेन किया जा रहा है ताकि वह नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स न हों। एक और खास बात है, जो मैं बताना चाहता हूं। हमारे नेशनलाइज बैंक्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40 पर परसेंट लोन देते हैं। हमारे सारे बैंक्स 40 परसेंट लोन दे रहे हैं और जहां तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, उसने तो 40 से भी बढ़कर 42 परसेंट लोन हमारे प्रायोरिटी सेक्टर को दिया है, किसानों को दिया है, वीकर सैक्शन ऑफ द सोसायटी को दिया है, एजुकेशन लोन दिया है, छोटे कारखानों को दिया है और बीपीएल परिवारों को दिया है। हमारे इस बैंक का और हमारे जितने भी बैंक्स हैं, उनकी एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी है कि हम इन्हें इस प्रकार से दें जबकि प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स उस नॉर्म्स को अच्छी तरीके से पूरा नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर: अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने इशारा किया है कि एन.पी.ए. दो से तीन प्रतिशत तक की स्वीकार्य सीमा में है परन्तु मैं व्यापक दृष्टिकोण की ओर देख रहा हूं। उदाहरण के रूप में मैंने पढ़ा है कि चीन में सरकार नियंत्रित बैंकों का एन.पी.ए. 32 प्रतिशत तक है। माननीय वित्त मंत्री जी का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव व्यापक है। क्या वे, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस सदन को यह बताएंगे कि भारत की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की तुलना कैसे ब्रिक्स (बी.आर.आई.सी.के.एस.) जैसी समान अर्थव्यवस्था की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) से की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रणब मुखर्जी: पुडिंग का स्वाद उसे खाने में है। अंतर्राष्ट्रीय संकट में, माननीय सदस्य, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं, ने देखा कि बड़े बैंक कैसे विफल हो गए हैं। वे ताश के पत्तों की तरह गिर गए। इसके बावजूद भारतीय बैंकिंग प्रणाली सफल रही। मैं इसे न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं कि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बढ़ने दिया जाए। पहली बात तो यह है कि चीन की प्रणाली और भारत की प्रणाली बिल्कुल अलग है। इसीलिए, उनकी तुलना नहीं हो सकती है। कभी-कभी आपके पास तुलनात्मक आंकड़ा भी नहीं होता है। उनकी अपनी लेखा प्रणाली है और आंकड़ों को संग्रह करने का उनका अपना ढंग है। हमारी प्रणाली अलग है। हम दो तुलना न की जा सकने वाली प्रणालियों की तुलना नहीं कर सकते हैं।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम लोग सचेत हैं। इसी के साथ, हम लोगों को इस सदन में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए या करना चाहिए जिससे बैंक जरूरत मंद और वांछनीय क्षेत्र को अग्रिम धन देने, ऋण देने में हतोत्साहित हों। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का सृजन नहीं हो सकता यदि बैंक कठोर हो जाए और अग्रिम नहीं दें, कोई जोखिम न उठाए और जनता भुखमरी से त्रस्त हों। इसलिए, संतुलन होना चाहिए।

४५-६०

वन अधिकार अधिनियम, 2006

+

***83. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने दावे दाखिल किए गए और सरकार द्वारा कितने दावे स्वीकार और मंजूर किए गए;

(ग) क्या उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में खामियां और अन्य कदाचार ध्यान में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अधिनियम को सही तरीके से कार्यान्वित करने तथा भूमिहीन वन निवासियों सहित जनजातीय लोगों को विभिन्न क्षेत्रों विशेषत: कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31 दिसंबर, 2010 को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति संलग्न अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) जैसा सभी योजनाओं में है, अधिनियम के कार्यान्वयन में कभी-कभी प्रचालनात्मक समस्याओं का सामना किया जा रहा

है परन्तु जहां भी आवश्यक हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनका समाधान ढूंढ़ा जा रहा है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

अनुबंध-I

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वियन की राज्यवार स्थिति

31.12.2010 तक

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या	निरस्त किये गए दावों की संख्या	निपटाये गऐ दावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3,29,858 (3,22,995 व्यक्तिगत तथा 6,903 सामुदायिक)	1,67,582 (1,65,482 व्यक्तिगत तथा 2,100 सामुदायिक)	1,52,606	3,20,188
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3.	असम	1,14,857 (1,10,019 व्यक्तिगत तथा 4,838 सामुदायिक)	29,885	-	29,885
4.	बिहार	2,291	-	128	128
5.	छत्तीसगढ़	4,91,374 (4,87,332 व्यक्तिगत तथा 4,042 सामुदायिक)	2,14,918 (2,14,668 व्यक्तिगत तथा 250 सामुदायिक)	2,71,468	4,86,386
6.	गोवा	-	-	-	-
7.	गुजरात	1,92,045 (1,83,136 व्यक्तिगत तथा 8,909 सामुदायिक)	25,771	52,061	77,831
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
9.	झारखंड	29,551 (29,097 व्यक्तिगत तथा 454 सामुदायिक)	6,079 (6,022 व्यक्तिगत तथा 57 सामुदायिक)	4,105	10,184
10.	कर्नाटक	1,62,874 (1,60,101 व्यक्तिगत तथा 2,773 सामुदायिक)	6,394 (6,393 व्यक्तिगत तथा 1 सामुदायिक)	1,42,017	1,48,411

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	37,432 (36,063 व्यक्तिगत तथा 1,369 सामुदायिक)	14,758	2,816	17,574
12.	मध्य प्रदेश	4,19,226 (4,10,765 व्यक्तिगत तथा 8,461 सामुदायिक)	1,12,148 संवितरित तथा 26,857 संवितरण हेतु तैयार	2,58,402	3,70,550
13.	महाराष्ट्र	3,39,689 (3,35,701 व्यक्तिगत तथा 3,988 सामुदायिक)	1,04,767 (1,04,344 व्यक्तिगत तथा 423 सामुदायिक)	2,21,795 (2,20,523) व्यक्तिगत तथा 1,272 सामुदायिक)	3,26,562
14.	मणिपुर	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	4,26,051 (4,23,903 व्यक्तिगत तथा 2,148 सामुदायिक	2,39,567 (2,38,912 व्यक्तिगत तथा 655 सामुदायिक	1,02,974 (1,02,489 व्यक्तिगत तथा 485 सामुदायिक)	3,42,541
18.	राजस्थान	60,353 (60,019 व्यक्तिगत तथा 334 सामुदायिक)	30,083 (30,038 व्यक्तिगत तथा 45 सामुदायिक)	30,270	60,353
19.	सिक्किम	-	-	-	-
20.	तमिलनाडु	21,781	(3,163 संवितरण हेतु तैयार)	-	-
21.	त्रिपुरा	1,75,492 (1,75,215 व्यक्तिगत तथा 277 सामुदायिक)	1,17,404	56,020	1,73,424
22.	उत्तर प्रदेश	91,406 (91,089 व्यक्तिगत तथा 317 सामुदायिक)	10,092 (10,084 व्यक्तिगत था 8 सामुदायिक)	67,788	77,880
23.	उत्तरांचल	182	-	1	1

1	2	3	4	5	6
24.	पश्चिम बंगाल	1,37,162 (1,29,357 व्यक्तिगत तथा 7,805 सामुदायिक)	27,093 (27,004 व्यक्तिगत तथा 89 सामुदायिक) तथा 2,764 संविरतण हेतु तैयार	79,504	1,06,597
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
26.	दमन और द्वीव	-	-	-	-
27.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
	कुल	30,31,624	11,06,541 संवितरित तथा 32,874 संवितरण हेतु तैयार	14,41,955	25,48,496

टिप्पणियां:

1. **अरुणाचल प्रदेश** : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि उन्होंने अधिनियम के तहत एस.डी.एस.सी., डी.एल.सी. तथा एस.एल.एम.सी. का गठन कर लिया है परन्तु भारतीय संघ के अन्य राज्यों, जहां दूसरे प्रबल गैर-जनजातीय जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अल्प संख्या में है तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, के विपरीत अरुणाचल प्रदेश पूर्ण रूप से विभिन्न नृजाति के जनजातीय समूहों का आवास है तथा जिनकी भूमियों एवं वनों को पहाड़ियों, शृंखलाओं, नदियों तथा जल धाराओं के साथ विशिष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। वन जीव अभ्यारण्यों, संरक्षित वनों के तहत भूमि के कुछ पाकेटों को छोड़कर पूरे राज्य की अधिकतर भूमि सामुदायिक भूमि है।

   जनजातियों में वन भूमि या वाटर बॉडी के अधिकार पर किसी विवाद का कोई गुंजाइश न रखते हुए किसी समुदाय या जनजाति से संबंधित भूमि तथा वन की क्षेत्रीय सीमा को भी उसी प्रकार से चिह्नित किया गया है। इसलिए, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वास्तव में अरुणाचल प्रदेश राज्य से अधिक संगतता नहीं रखता है।

2. **हरियाणा:** राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा के वनों में कोई अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी नहीं रह रहे हैं।

3. **मणिपुर:** राज्य सरकार ने सूचित किया था कि जनजातीय समुदाय तथा जनजातीय मुखिया पहले ही गैर आरक्षित वन क्षेत्र में अपनी पैतृक भूमि के रूप में वन भूमि का स्वामित्व धारण किये हुए हैं। अत: मणिपुर में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन अल्पतम समझा जाता है।

4. **मिजोरम:** राज्य सरकार ने सूचित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 371 (छ) के अनुसार राज्य विधान सभा द्वारा इस अधिनियम का अनुमोदन किया जाना है। मिजोरम की छठी विधान सभा के चौथे सत्र की दिनांक 29.10.2009 को हुई बैठक में संकल्प किया है कि वन अधिकार दिनांक 31.12.2009 से सम्पूर्ण मिजोरम राज्य में लागू किया जाएगा। दिनांक 03.03.2010 को इसे मिजोरम सरकार द्वारा अधिसूचित भी कर दिया गया है।

5. **नागालैंड:** नागालैंड सरकार ने सूचित किया है कि नागा लोगों की भूधारण प्रणाली एवं ग्राम प्रणाली खास है जिसमें लोग भूमि के मालिक हैं। इस प्रकार से, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 नागालैंड राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(क) के प्रावधानों के अनुसार नागालैंड में अधिनियम की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

6. **सिक्किम:** सिक्किम सरकार ने दिनांक 28.01.2008 को सुरक्षित क्षेत्रों (पी.ए.) में महत्वपूर्ण वन जीव आवासों को चिह्नित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है तथा अधिनियम के तहत विभिन्न समितियां भी गठित की है परन्तु राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन

की प्रगति के संबंध में कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सिक्किम में वास्तव में कोई वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी नहीं हैं। सिक्किम की अधिकतर अनुसूचित जनजातियां अपने स्वयं के नाम पर राजस्व भूमि धारण किये हुए हैं तथा वे अपनी आजीविका के लिए केवल वनों पर निर्भर नहीं हैं।

7. **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:** अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि जैसी अधिनियम में व्याख्या की गई है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई गैर-जनजातीय वन निवासी नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जनजातियों द्वारा आबाद क्षेत्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूल निवासियों की सुरक्षा (विनियमन), 1956 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों में स्थित भूमि पर जनजातियों के हितों की सुरक्षा विनियमन के प्रावधानों के तहत की जाती है। जनजातीय संरक्षण को संरक्षित या सुरक्षित वन संरक्षण के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

8. **दमन और दीव:** कोई प्रगति नहीं।

9. **लक्ष्यद्वीप:** संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि वहां कोई स्थलीय वन नहीं है तथा लक्षयद्वीप में कोई वन निवासी या परम्परागत वन निवासी नहीं है।

10. **पुडुचेरी:** पुडुचेरी सरकार ने सूचित किया है कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी अनुसूचित जनजाति की पहचान नहीं की गई है तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के खंड-2 (घ) की व्याख्या के अंतर्गत आने वाली "वन भूमि" के रूप में किसी भूमि को वर्गीकृत नहीं किया गया है।

अनुबंध-II

विगत तीन वर्षों (2008, 2009 तथा 2010) के दौरान अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अधिकार पत्रों को जारी करने के लिए दायर किये गए एवं स्वीकृत किये गए दावों की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दायर किये गए दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या	दायर किये गए दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या	दायर किये गए दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3,12,564	330	13,254	1,54,440	4,040	12,812
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	1,01,454	12,056	13,403	17,829
4.	बिहार	495	-	293	-	1,503	-
5.	छत्तीसगढ़	4,00,000 (लगभग)	85,549	77,309	1,15,257	14,065	14,112
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	1,13,785	-	72,549	7,584	5,711	18,187
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
9.	झारखंड	-	-	25,220	2,505	4,331	3,574

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	-	-	45,801	-	1,17,073	6,394
11.	केरल	-	-	36,807	108	625	14,650
12.	मध्य प्रदेश	2,97,000	8059	87,466	64,426	34,760	39,663
13.	महाराष्ट्र	107,863	-	1,96,097	2,453	35,729	1,02,314
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	2,26,080	-	1,03,434	97,595	96,537	1,41,972
18.	राजस्थान	34,417	321	25,483	13,746	453	16,016
19.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
20.	तमिलनाडु	1080	-	8,275	-	12,426	-
21.	त्रिपुरा	74370	-	90,356	84,750	10,766	32,654
22.	उत्तर प्रदेश	-	-	70,033	3,302	21,373	6,790
23.	उत्तराचंल	-	-	182	-	-	-
24.	पश्चिम बंगाल	1,36,027	5	1,090	17,355	45	9,733
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
26.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
27.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
	कुल	17,03,681	94,264	9,55,103	5,75,577	3,72,840	4,36,700//

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि माननीय मंत्री और वामदलों ने यू.पी.ए. सरकार में एक युग प्रवर्त्तक विधान लाने के माध्यम बने थे और आज वे उस विधान का कार्यान्वयन करने हेतु प्रभारी हैं।

जनजातीय कार्यमंत्री का कार्य भार संभालने के बाद उन्होंने सटीक कहा कि जनजातीय अधिकार अधिनियम ऐतिहासिक गलतियों को समाप्त करने का प्रयास है। 2006 में जो कुछ किया गया था, नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद, एक वर्ष के बाद, काफी प्रयास के बाद और 2007 में सदन में तथा सदन के बाहर लड़ाई लड़ने के बाद, उसे आज उन्हें सुधारा जा रहा है। अब, जनजाति लोगों की भूमि हड़पी जा रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें वन और वनभूमि पर नियंत्रण रखने के लिए बड़ी बेशर्मी से कानूनों और जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार का एजेंडा निजी उद्योगों और कार्पोरेट घरानों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

खनन के मामले में, उद्योग के मामले में, विद्युत-संयंत्रों के मामले में, जनजातीय भूमि को हड़पा जाता है। तुच्छ आधारों पर दावों को निरस्त कर दिया जाता है।

महोदया, आप भी माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर और वक्तव्य से आश्चर्यचकित होंगी। 30,64,424 दावें हैं। निरस्त किये गये दावों की संख्या 14,64,380 है। निरस्त किए जाने वाले दावे

कुल दावों का लगभग 50 प्रतिशत है। ग्राम सभा के स्तर पर दावों को निरस्त नहीं किया जा रहा था। मैं कुछ जिलों कम-से-कम अपने जिले के बारे में जानता हूं और मैं इस अधिनियम के कार्यान्वयन से निकट से जुड़ा हूं। लेकिन उच्चतर स्तर पर, जहां वन विभाग का प्रतिनिधित्व है। अधिनियम और नियमों में ही खामियां है।

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य जी, अपना प्रश्न पूछे।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए क्या सरकार इस अधिनियम का उचित ढंग से कार्यान्वयन करने पर गंभीरता से विचार करेगी।

अधिनिम के कार्यान्वयन को प्रक्रियांतर्गत वनभूमि कार्पोरेट घरानों को सौंप दी गई है और जनजातियों को उनके निवास से हटाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसकी कमियों को दूर करने पर गंभीरता से विचार करेगी ताकि छद्म-आधार पर उनके दावों को अस्वीकार न किया जाए और जनजातियों को वर्ष 2006 में उनके अधिकार से वंचित किया जाए।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अधिनियम के प्रभावी होने के बाद, हमने कुछ मार्ग निदेश जारी किए हैं, परिपत्र भेजे हैं और हम इस अधिनियम के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमें विभिन्न राज्य सरकारों से उनकी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। मैंने कहा कि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सरकारों की है, हम उन्हें यहां से मार्गनिदेश भेज कर उसकी निगरानी कर रहे हैं और विभिन्न राज्य सरकारों से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस प्रयोजनार्थ वनभूमि के विपणन के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा किए गए सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि गैर वन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि का विपथन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। अतः यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। यदि ऐसे मामले हैं जहां ऐसा उल्लंघन हुआ हो, तो माननीय सदस्य इसे हमारे संस्थान में लाएं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में ऐसा न हो, संबंधित राज्य सरकारों के साथ निश्चित रूप से इस मामले को उठाएंगे।

जहां तक उन कमियों का संबंध है जिनका आपने उल्लेख किया, तो अब दो वर्ष हो गए हैं, और पिछले दो वर्षों का जो अनुभव है हमारे पास है, उसमें यदि आपके अनुसार कोई कमी है, जिसे आप दूर करना चाहते हों, तो उसे मेरी जानकारी में लाएं। मैं स्वयं उन्हें देखूंगा और यदि वाकई ऐसी कमियां होंगी तो उन्हें दूर करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और यह असंगत नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बसुदेव आचार्य जी, आज आप प्रसन्न मुद्रा में हैं। अतः प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने हाल में इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा अधिनियम की मूल भावना का पालन किए बिना, किसी भी वनक्षेत्र को संवेदी वन्यप्राणी पर्यावास घोषित करने की शक्ति है? मैं जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा परिपत्र जारी किया गया है, तो सरकार इसकी समीक्षा करेगी या नहीं?

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: इस पहलू का भी स्पष्ट उल्लेख अधिनियम में है। जहां तक वन्य प्राणी पर्यावास के संवेदी होने की बात है, तो इसके लिए यह विर्निदिष्ट प्रक्रिया है। जब तक इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता और जब तक वन्यप्राणी विशेषज्ञ तथा उस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के आवागमन से परिचित हों, इसे प्रमाणित न करें तब तक उस भूमि को संवदी घोषित नहीं किया जाएगा। ये बातें अधिनियम के अधिनियमित होने के तत्काल बाद राज्य सरकारों को बताई जा चुकी हैं।

दूसरा प्रश्न आपने अस्वीकृति में की कुल संख्या के बारे में पूछा। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में पचास प्रतिशत अस्वीकृतियां अन्य परंपरागत वनवासियों से संबंधित हैं। उनमें से अधिकांश यह साबित नहीं कर सके कि 75 वर्षों की अवधि से वह भूमि उनके पास है। कुछ मामलों में, एक ही भूमि पर कई दावे किए गए हैं और कतिपय मामलों में गैर-आदिवासी व्यक्तियों ने ऐसे दावे किए हैं। इन कारणों से ऐसे अधिकांश दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन यदि अन्याय का कोई मामला हो, अथवा ऐसा मामला हो जहां अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन किया गया हो तो उसे मेरे संज्ञान में लाया जाए। तब निश्चित रूप से हम उसकी जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदया: श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे-अनुपस्थित।

श्री संजय निरुपम।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, मैं मुंबई शहर के एक विषय की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां सब कुछ चमकता हुआ दिखता है। मुंबई में एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, जिसमें 111 गांव ऐसे हैं, जहां सिर्फ आदिवासी रहते हैं। इन छोटे-छोटे गांवों में लगभग 30 से 40 हजार के करीब आदिवासी हैं। इनके जमीन के मालिकाना हक की बात तो दूर है, इन्हें पानी का कनेक्शन तक नहीं मिला और राशन कार्ड भी नहीं है। जमीन का पट्टा देने का सवाल तो बाद में आएगा। मेरे चुनाव क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। जब मैं वन अधिकारियों या राज्य सरकार से बात करता हूं, तो वे कहते हैं कि एक संरक्षित वन भूमि है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त कायदे हैं, इसलिए हम यहां कुछ नहीं कर सकते हैं।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन आदिवासियों के अस्तित्व को मान्यता देने की दिशा में केंद्र सरकार कोई दखल देगी? आप कह रहे हैं कि इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट, फोरेस्ट लैंड, फोरेस्ट एक्ट और यह एक बहुत बड़ा पार्क है, जहां वाइल्ड लाइफ है और पेड़-पौधे बचा कर रखने हैं, जब ऐसी भावना ले कर, पता नहीं कितनी जनरेशन्स से वे आदिवासी वहां रह रहे हैं, उन आदिवासियों के अस्तित्व को राज्य सरकार नहीं मान रही है। क्या ऐसे मामले में केंद्र सरकार दखल देगी? उन जंगलों में जो नाले हैं, उन नालों में पानी के जो छोटे-छोट स्रोत हैं, जहां जानवर भी पानी पीते हैं और उन्हीं स्रोतों से आदिवासी समाज के लोग पानी लेते हैं। उन्हीं स्रोतों पर कभी चीता आ जाता है, कभी बंदर आ जाता है, कभी गीदड़ आ जाता है और वहीं इन्हें जा कर पानी पीना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा मानवीय प्रश्न है। इस दिशा में मंत्री जी सरकार से बात करें। चाहे तो आप आकर संजय गांधी उद्यान का दौरा करें। वहां के आदिवासियों से मिलें और स्वयं एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हुए उन आदिवासियों के साथ न्याय कीजिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: अध्यक्ष महोदया, वास्तव में हमारे देश में वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया गया और व्यवस्थापन नहीं किया गया। इस वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता था कि वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और व्यवस्थापन किया जाए और लोगों को उनके पूर्व विद्यमान अधिकार दिए जाएं।

माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि कतिपय मामलों में वे वहां सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, तो वे सही कह रहे हैं।

इस वन अधिकार अधिनियम का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सर्वप्रथम उनके पूर्व विद्यमान अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाए। अब जहां तक अधिकारों को मान्यता दिये जाने का प्रश्न है, यह प्रक्रिया जारी है। यदि किसी पार्क विशेष में कोई कठिनाई है, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं निश्चित ही राज्य सरकार को पत्र लिखूंगा और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करूंगा। यदि इस मामले का निपटान नहीं किया गया तो हम उन्हें मामले पर कार्रवाई करने के लिए भी कहेंगे।

किंतु मैं इस सदन और माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा को इस प्रक्रिया को शुरू करना है। ग्राम सभा द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू करने के पश्चात यदि उल्लिखित क्षेत्र वहां नहीं होंगे तो वे...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम: मुंबई में कोई ग्राम सभा नहीं है। वहां केवल मुंबई नगर निगम है। इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्हें उत्तर देने दें।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: किंतु आपने इस राष्ट्रीय पार्क में रह रहे कुछ लोगों के बारे में उल्लेख किया है। स्पष्टतया उन्हें कुछ बसावटों में होना चाहिए। इसलिए ये लोग उन बसावटों में रह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे स्थान गांवों का एक समूह है। इसलिए जो लोग वहां रह रहे हैं वे एक ग्राम सभा का गठन करते हैं। उन्हें एक संकल्प पारित करना होगा। इस अधिनियम की धारा 2(पी) में दी गई परिभाषा के अनुसार उन्हें ऐसा करना है। मेरा मानना है कि एक बार प्रक्रिया शुरू करने के पश्चात निसंदेह अन्य चीजें स्वयं हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं मंत्री जी को नया पद मिलने पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उनका ध्यान इस प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं कि लगभग 30 लाख से ज्यादा क्लेम फाइल किए गए और 11 लाख लोगों को उनका हक मिला। 50 प्रतिशत क्लेम रिजैक्ट कर दिए गए और 25 प्रतिशत लोगों को उनका हक मिल पाया। क्या आजादी के 60 वर्ष बाद भी इस देश में यह हाल रहेगा कि जहां इस एक्ट के अंतर्गत उनको जो लाभ मिलना चाहिए, आज भी उनको नहीं मिल पाया है। कारण जानने

की आवश्यकता है। क्या कारण रहे होंगे कि जो जमीन सरकार द्वारा दी गई या जो अधिकार उनको दिए गए, वह भी आज तक उनको नहीं मिल पाए?

क्या सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, वह इसका एक कारण है या जैसा मंत्री जी ने बताया केवल यह कारण है कि वे अपनी ओर से पूरे सबूत नहीं दे पाएं कि वे कितने वर्षों से वहां रह रहे थे। यह भी जानने की आवश्यकता है कि क्या अपने ही सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको उनके अधिकार नहीं देना चाहते हैं। एक कारण तो यह भी है कि वे लोग वनों से बाहर नहीं आना चाहते हैं। आपकी चकाचौंध और इन बड़े-बड़े शहरों में वे नहीं आना चाहते। उनको वे मूलभूत सुविधाएं, चाहे वह सड़क की व्यवस्था हो, अस्पताल की हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, क्या हम आज तक उन्हें वे भी दे पाएं हैं? शायद हममें ही कमी रह गयी जिससे आज नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा सिस्टम फेल हुआ है। मैं मंत्री जी से आज यह जानना चाहता हूं कि इस पद को संभालने के बाद वे ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि हमें यह रिपोर्ट न मिल पाए कि 50 प्रतिशत लोगों के क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए? क्या आप कोई सोसायटी बनाएंगे? क्या आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंतर्गत उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिले और जो हक उन्हें मिलने चाहिए थे, वे भी मिले जिससे लोग नक्सलवाद की ओर आकर्षित न हो।

अध्यक्ष महोदया: समय कम है, मंत्री जी को जवाब के लिए भी समय दीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: वहां पर जो संसाधन हैं, हम उनका तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन बदले में क्या हम उनको मूलभूत सुविधाएं भी दे पा रहे हैं या नहीं? मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी वे इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: अध्यक्ष महोदया, जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह नजर अंदाज किए जाने के कारण है, तो वे सही कहते है, जहां तक इन क्षेत्रों के लोगों का संबंध है वे काफी निराश हैं और उनका दमन किया गया। जिसके कारण वहां अशांति व्याप्त है और इन क्षेत्रों में अवांछनीय गतिविधियां घटित हो रही हैं।

मैं इस सदन पर जोर देना चाहूंगा कि यह वन अधिकार अधिनियम यह उन लोगों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम है कि जिन्हें शुरूआत में अधिकार दिए गए हैं, उन्हें मान्यता प्रदान की जाए। उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के पश्चात एक बार उन्हें पट्टा दिया जाए तो स्वतः ही स्वच्छता, जलापूर्ति और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं सामुदायिक केन्द्र और ऐसी ही अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ स्थान छोड़ा जाए।

जहां तक इन अधिकारों को निरस्त किए जाने का संबंध है, मैंने पहले भी उल्लेख किया है और मैं दोबारा भी कहना चाहूंगा कि अधिकांश अधिकारों का निरस्तीकरण अन्य परंपरागत वन निवासियों से संबंधित है। उन्हें यह सिद्ध करना होता है कि वे 75 वर्षों से उन क्षेत्रों में रहे हैं और अपनी जीविका उस वन से चलाते हैं। इन अधिकांश मामलों में उपयुक्त साक्ष्य की कमी के कारण उनके मामलों को निरस्त कर दिया गया है। किंतु यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है, यदि कोई वास्तविक मामला है जिनका उल्लेख करना जरूरी है और जहां हमें नए सिरे से देखने की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य ऐसे ब्यौरे हमें दें। मैं निःसंदेह इसे राज्य सरकार को भेज दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इन मामलों की सही ढ़ंग से जांच की जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या-84-श्री जयवंत गंगाराम आवले।

हमारे पास बहुत कम समय है। इसलिए हमें इस प्रश्न को उपलब्ध समय में समाप्त करना चाहिए।

60-74

वेक्टर-जनित रोग

+

***84. श्री जयवंत गंगाराम आवले:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक वेक्टर-जनित रोगों अर्थात् डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों का पता लचा है तथा इनसे कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे रोगों की रोकथाम और साथ ही उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त कार्ययोजना की समुचित निगरानी और उसके कार्यान्वयन के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है तथा इसके लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान डेंगू एवं मलेरिया के सूचित रोगियों एवं उनसे हुई मौतों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार संख्या क्रमश: संलग्न अनुबंध-I एवं II में दी गई है। इसी प्रकार चिकनगुनिया के सूचित रोगियों की राज्य/संघ क्षेत्रवार संख्या संलग्न अनुबंध-III में दी गई है। चिकनगुनिया के कारण मौत की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार वेक्टर जन्य रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र संरक्षण के अधीन एकीकृत राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। वेक्टर जन्य रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए मुख्य कार्यनीति में रोगियों के शुरू में ही पता लगाने एवं रोगियों के पूर्ण उपचार, एकीकृत वेक्टर नियंत्रण और व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कार्यक्रम को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

मलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च मलेरिया स्थानिकमारी क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशी मच्छरदानियों (एलएलआईएन) का वितरण बढ़ाया गया है। प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम (पीएम) मलेरिया की शुरू में ही जांच एवं तुरंत उपचार सुनिश्चित करने के लिए आशाओं एवं अन्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा त्वरित नैदानिक जांच (आरडीटी) एवं आर्टमिसनिन आधारित मिश्रण थेरापी (एसीटी) का प्रयोग किया जाता है। डेंगू एवं चिकनगुनिया के लिए रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से कार्यान्वयन हेतु एक मध्यावधि योजना तैयार की गई है।

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-IV में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आवधिक बैठकों के जरिए तथा राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के जरिए राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-संघ राज्य क्षेत्रों में रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से मानीटरिंग करती है। इसके अलावा, राज्य मिशन निदेशकों एवं राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठकों में भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यानिष्पादन की समीक्षा की जाती है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान डेंगू के सूचित रोगियों एवं मृत्यु की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

	2008		2009		2010		2011 (अनंतिम) (30 जुलाई तक)	
	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	25	0	0	0
आंध्र प्रदेश	313	2	1190	11	776	3	30	0
असम	-	-	-	-	237	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	1	0	1	0	510	0	0	0
चंडीगढ़	167	0	25	0	221	0	1	0
छत्तीसगढ़	0	0	26	7	4	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	46	0	0	0
दिल्ली	1312	2	1153	3	6259	8	15	1
गोवा	43	0	277	5	242	0	6	0
गुजरात	1065	2	2461	2	2568	1	180	0
हरियाणा	1137	9	125	1	866	20	4	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	3	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	2	0	0	0	0	0
झारखंड	–	–	–	–	27	0	0	0
कर्नाटक	339	3	1764	8	2285	7	175	2
केरल	733	3	1425	6	2597	17	574	3
महाराष्ट्र	743	22	2255	20	1489	5	131	2
मणिपुर	0	0	0	0	7	0	0	0
मेघालय	–	–	–	–	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	3	0	1467	5	175	1	0	0
नागालैंड	0	0	25	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	29	5	1	1
पुडुचेरी	35	0	66	0	96	0	30	0
पंजाब	4349	21	245	1	4012	15	93	0
राजस्थान	682	4	1389	18	1823	9	26	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	530	3	1072	7	2051	8	644	2
उत्तर प्रदेश	51	2	168	2	960	8	0	0
उत्तराखंड	20	0	0	0	178	0	2	0
पश्चिम बंगाल	1038	7	399	0	805	1	74	0
कुल	11523	73	15136	96	28292	110	1986	11

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मलेरिया के सूचित रोगियों एवं मृत्यु की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008		2009		2010		2011 (अनंतिम) (जून तक)	
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	26424	0	25152	3	33217	20	16088	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	29146	27	22066	15	16120	0	5549	0
3.	असम	83939	86	91413	63	59309	34	23054	20
4.	बिहार	2541	0	3255	21	1203	3	494	0
5.	छत्तीसगढ़	123495	4	129397	11	146165	32	36529	8
6.	गोवा	9822	21	5056	10	2368	2	534	1
7.	गुजरात	51161	43	45902	34	64730	10	19461	0
8.	हरियाणा	35683	0	30168	0	9711	0	5911	0
9.	हिमाचल प्रदेश	146	0	192	0	203	0	47	0
10.	जम्मू और कश्मीर	217	1	346	0	767	0	239	0
11.	झारखंड	214299	25	230683	28	196267	17	54489	4
12.	कर्नाटक	47344	8	36859	0	44122	11	11590	0
13.	केरल	1804	4	2046	5	2299	6	158	0
14.	मध्य प्रदेश	105312	53	87628	26	81831	0	11698	0
15.	महाराष्ट्र	67333	148	93818	227	138506	190	45141	27
16.	मणिपुर	708	2	1069	1	947	4	194	0
17.	मेघालय	39616	73	76759	192	41330	85	11515	15
18.	मिजोरम	7361	91	9399	119	15557	22	3208	19
19.	नागालैंड	5078	19	8489	35	4956	5	1401	2
20.	उड़ीसा	375430	239	380904	198	357320	241	129113	12
21.	पंजाब	2494	0	2955	0	3477	0	728	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	57482	54	32709	18	48166	26	3910	0
23.	सिक्किम	38	0	42	1	49	0	24	0
24.	तमिलनाडु	21046	2	14988	1	15271	2	8782	0
25.	त्रिपुरा	25894	51	24430	62	23846	8	7982	4
26.	उत्तर प्रदेश	1059	0	1264	0	1660	0	272	0
27.	उत्तरांचल	93383	0	55437	0	62173	0	11285	0
28	पश्चिम बंगाल	89443	104	141211	74	115056	49	23451	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4688	0	5760	0	2503	0	5067	0
30.	चंडीगढ़	347	0	430	0	351	0	69	0
31.	दादरा एवं नगर हवेली	3037	0	3408	0	5701	0	2130	0
32.	दमन और दीव	115	0	97	0	204	0	80	0
33.	दिल्ली	253	0	169	0	251	0	41	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	8	0	6	0	5	0
35.	पुडुचेरी	72	0	65	0	175	0	62	0
	अखिल भारत कुल	1526210	1055	1563574	1144	1495817	767	440301	115

*अनंतिम

अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान नैदानिक रूप से चिकनगुनिया बुखार की आशंका वाले रोगियों की राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2008 रोगी	2009 रोगी	2010 रोगी	2011* (30 जुलाई तक रोगी)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	59	0
2.	आंध्र प्रदेश	5	591	116	69
3.	चंडीगढ़	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6
4.	दिल्ली	14	18	120	0
5.	गोवा	52	1839	1429	257
6.	गुजरात	303	1740	1709	208
7.	हरियाणा	35	2	26	1
8.	कर्नाटक	46510	41230	8740	623
9.	केरल	24685	13349	1708	47
10.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	0	30	113	24
12.	महाराष्ट्र	853	1594	7431	1655
13.	मेघालय	----	----	16	0
14.	उड़ीसा	4676	2306	544	45
15.	पुडुचेरी	0	0	11	0
16.	पंजाब	----	----	1	0
17.	राजस्थान	3	256	1326	323
18.	तमिलनाडु	46	5063	4319	1170
19.	उत्तर प्रदेश	11	0	5	0
20.	पश्चिम बंगाल	17898	5270	20503	708
	कुल	95091	73288	48176	5131

*अनंतिम

अनुबंध-IV

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य/संघ क्षेत्र वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2008-09 जारी	2009-10 जारी	2010-11 जारी	2011-12 (जुलाई, 2011 तक) जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1172.30	1048.06	1159.24	532.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	884.57	963.24	880.69	264.55

1	2	3	4	5	6
3.	असम	3635.08	3206.06	4910.03	*
4.	बिहार	2681.21	2231.78	4213.38	*
5.	छत्तीसगढ़	2054.90	1922.97	2117.94	756.38
6.	गोवा	16.91	35.81	61.08	3.46
7.	गुजरात	483.29	1116.15	267.00	*
8.	हरियाणा	47.93	260.46	0.00	*
9.	हिमाचल प्रदेश	11.13	9.55	7.74	*
10.	जम्मू और कश्मीर	17.97	27.42	15.54	*
11.	झारखंड	3438.25	1906.27	3586.13	1359.40
12.	कर्नाटक	681.46	403.41	443.88	*
13.	केरल	307.59	439.15	305.75	196.18
14.	मध्य प्रदेश	739.83	1813.99	1824.64	*
15.	महाराष्ट्र	1084.11	706.37	487.54	*
16.	मणिपुर	323.85	239.75	602.04	96.34
17.	मेघालय	497.63	611.29	1089.04	103.84
18.	मिजोरम	418.78	627.12	774.11	138.64
19.	नागालैंड	610.04	675.57	1287.91	416.50
20.	उड़ीसा	2153.06	5360.88	4324.05	396.40
21.	पंजाब	92.71	254.69	98.07	*
22.	राजस्थान	1033.16	1262.96	1310.26	*
23.	सिक्किम	10.77	11.83	137.71	*
24.	तमिलनाडु	289.55	681.58	372.50	*
25.	त्रिपुरा	627.31	765.15	1430.54	151.73
26.	उत्तर प्रदेश	2007.84	1999.87	2730.95	*
27.	उत्तराचंल	40.93	56.98	77.53	*
28.	पश्चिम बंगाल	1439.47	1794.54	2964.01	1005.16

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	57.31	61.10	40.88	*
30.	चंडीगढ़	287.47	464.05	349.58	204.87
31.	दादर और नगर हवेली	57.86	60.02	23.13	15.46
32.	दमन और दीव	45.55	43.77	69.60	27.14
33.	दिल्ली	22.15	27.91	31.70	13.45
34.	लक्षद्वीप	14.37	2.32	19.80	*
35.	पुडुचेरी	3.19	24.29	36.83	*
	कुल	27289.53	31116.36	38050.82	5681.85

*निधियां अभी जारी की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले: धन्यवाद महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने डेंगू बुखार का कोई स्थायी इलाज खोजा है? अगर हां तो रोगियों को यहां इलाज कब तक उपलब्ध हो जाएगा और अगर नहीं तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कब तक इसका इलाज खोजा जा सकता है?

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, भारत सरकार रोगाणु जनित रोगों के रोक और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वृहत छत्रछाया के अंतर्गत समेकित राष्ट्रीय रोगाणुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रही है।

इन रोगाणु जनित रोगों के निवारण तथा नियंत्रण हेतु मुख्य रणनीति मामलों के शीघ्र पता लगाने तथा पूर्ण उपचार करने, समेकित रोगाणु नियंत्रण तथा व्यवहार संबंधी परिवर्तन संचार पर केन्द्रित है। यह कार्यक्रम राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू किया जाता है।

मलेरिया निवारण हेतु राष्ट्रीय रोगाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया महामारी से अधिक प्रभावित राज्यों में टिकाऊ कीटनाशी नेट के वितरण में तेजी लाई गयी है। प्लाज्मोडियम फालसीपेरम मलेरिया की शीघ्र जांच तथा त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए त्वरित निदान जांच तथा दवा आधारित मिश्र उपचार का प्रयोग आशा तथा अल सामुदायिक कार्यकत्ताओं के माध्यम से किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

काला धन

***85. श्री राजीव रंजन सिंह** उर्फ **ललन सिंह:**
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कथित रूप से परिचालित तथा विदेशों में जमा काले धन का अनुमान लगाया है या उसका अनुमान लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्विट्जरलैंड सहित कुछ देश अपने बैंकों में जमा धनराशि तथा इसे जमा करने वाले व्यक्तियों, कार्पोरेट्स तथा अन्य विधि अस्तित्वों के नामों के बारे में भारत सरकार को जानकारी देने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्विट्जरलैंड सहित विभिन्न देशों के साथ मौजूदा दोहरे कराधान बचाव करार में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा काले धन को वापस लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है तथा इनमें कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वित्त संबंधी स्थाई समिति की सिफारिश के आधार पर देश के अंदर एवं बाहर बेहिसाबी आय/धन की मात्रा का पता लगाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों का एक अध्ययन शुरू किया है। राष्ट्रीय स्तर की तीन संस्थाओं नामत: राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी), राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (एन आई एफ एम) और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) द्वारा अलग-अलग अध्ययन किया जाएगा। 21.3.2011 को संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अध्ययन के 18 माह की अवधि में पूरा होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) अनेक देश/क्षेत्राधिकार कर के प्रयोजनार्थ दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए)/कर सूचना विनिमय करार (टीआईईए) के अंतर्गत भारत के साथ विशिष्ट मामलों में बैंकिंग सूचनाएं साझा करने के इच्छुक हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने अब तक विभिन्न देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ पिछले दो वर्षों में 16 नए टी आई ई ए, 18 नए डी टी ए ए एवं 21 विद्यमान डी टी ए ए के लिए वार्ताएं निष्पन्न की हैं। इन सभी डी टी ए ए एवं टी आई ई ए में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान का प्रावधान है। भारत एवं स्विट्जरलैंड के बीच संशोधनकारी प्रोटोकॉल, जिसमें दो देशों के मध्य विद्यमान डी टी ए ए को संशोधित करने की अपेक्षा की गई है, पर 30 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए तथा भारतीय पक्ष की ओर से प्रभावी बनाने के लिए तैयार है। तथापि, संशोधनकारी प्रोटोकॉल तभी प्रभावी होगा जब स्विट्जरलैंड अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर लेगा। प्रवृत्त होने पर, संशोधित प्रोटोकॉल भारत को 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए विशिष्ट मामलों में स्विटजरलैंड से बैंकिंग सूचनाओं के साथ-साथ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा जिसमें घरेलू हित नहीं होगा।

(छ) देश में काले धन को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा एक पांच स्तरीय रणनीति तैयार की गई है जिसका सार निम्नतया है:

क. 'काले धन' के खिलाफ वैश्विक जंग में शामिल होना;

ख. एक समुचित विधायी ढ़ांचे का सृजन करना;

ग. अवैध निधियों से निपटने हेतु संस्थाओं की स्थापना करना)

घ. कार्यान्वयन हेतु तंत्र का विकास करना; एवं

ङ. कारगर कार्रवाई के लिए जनशक्ति को कौशल-प्रशिक्षण देना।

भारतीय नागरिक द्वारा अनेक देशों में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं भुगतानों के ब्यौरे से संबंधित सूचना मिलने लगी है जो अब प्रक्रिया एवं जांच के अलग-अलग चरणों के तहत है। अधिसंख्य विशिष्ट मामलों में सूचना डी टी ए ए के तहत प्राप्त की गई है। भारतीय निवासियों द्वारा लीचेन्स्टीन बैंक में रखे गए धन के मामलों में विदेश में रखी गई राशि के बराबर ही कर, ब्याज एवं अर्थदंड की उगाही की गई है और उसमें से कुछ की वसूली पहले ही कर ली गई है। कर अपवंचन के लिए इन मामलों में अभियोजन भी शुरू कर दिया गया है।

अंतरण मूल्यन निदेशालय ने विगत पांच वर्षों में 15,655 करोड़ रुपए के गलत मूल्यन की तुलना में गत दो वित्तीय वर्षों में 34,145 करोड़ रुपए के गलत मूल्यन का पता लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय ने गत दो वित्तीय वर्षों में सीमा-पार लेन-देनों से 33,784 करोड़ रुपए के कर का संग्रहण किया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच स्कंध ने गत दो वित्तीय वर्षों में 18,750 करोड़ रुपए की अप्रकट आय का पता लगाया है। 76-85

बैंकों में अदावाकृत जमा राशि

***86. श्री राधा मोहन सिंह:**
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अदावाकृत जमा राशि का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बैंकवार ऐसे खातों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले दस वर्षों से अधिक समय से परिचालित नहीं किया गया है तथा उनमें अदावाकृत जमा धनराशि कितनी है;

(ग) उक्त बैंकों में पड़ी ऐसी अदावाकृत जमा राशि के उपयोग के बारे में मौजूदा नीति क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐसी अदावाकृत जमा राशि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस जमा राशि का उपयोग देश के विकास के लिए किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य तथा सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में 1,03,45,857 खातों में लगभग 1,723.24 करोड़ रुपए की कुल धनराशि अदावाकृत जमा राशि के रूप में पड़ी हुई है। अदावाकृत जमा राशि के बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22.08.2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि बैंकों को निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा करने के साथ-साथ, इन खातों का परिचालन करवाने के लिए संयुक्त प्रयास करके इनमें नियमित आधार पर ब्याज जमा करना चाहिए। अदावाकृत जमा की धनराशि संबंधित बैंकों के पास रहती है और बैंक इसका उपयोग किसी अन्य जमा की तरह, अपने सामान्य व्यवसाय के लिए करते हैं।

विवरण

31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत जमा राशि दर्शाने वाला विवरण

(10 वर्ष से अधिक समय के)

	बैंक का नाम	कुल अदावाकृत जमा राशि	
		खातों की संख्या	राशि (रुपए में)
1	2	3	4
	भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	945,173	1,974,020,401.00
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	77,731	145,915,803.00
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	95,842	279,231,104.00
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	127,816	312,884,086.00
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	532	3,660464.00
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	63,962	81,648,867.00
	भारतीय स्टेट बैंक समूह का योग	1,311,056	2,797,360,725.00
	राष्ट्रीयकृत बैंक		
1.	इलाहाबाद बैंक	12,333	70,944,916.00
2.	आंध्रा बैंक	162,931	388.463,522,00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	168,484	1,063,350,116.00

1	2	3	4
4.	बैंक ऑफ इंडिया	138,032	204,888,215.00
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	269,774	282,249,515.00
6.	केनरा बैंक	2,568,006	2,746,779,602.00
7.	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	324,328	567.457.585.00
8.	कार्पोरेशन बैंक	434.522	54.778.017.00
9.	देना बैंक	47.798	156,984,227.00
10.	इंडियन बैंक	224.633	152,381,283.00
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	604,456	1,088,153,105.00
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	69,816	730,569,501.00
13.	पंजाब नेशनल बैंक	600,004	1,722,839.00
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	79.69	357,277,000.00
15.	सिंडिकेट बैंक	676.060	687,268,013.00
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	525,116	1,636,722,724.00
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	206,431	254,299,945.00
18.	यूको बैंक	195,037	291,329,354.00
19.	विजया बैंक	93,382	180,353,310.00
	राष्ट्रीयकृत बैंक का योग	7,400,838	10,915,972,792.00
	अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक		
1.	आईडीबीआई लि.	122,546	959,339,570.00
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	8,834,440	14,672,673,087.00
	गैर-सरकारी बैंक		
1.	ऐक्सिस बैंक लि.	733	12,151,160.00
2.	दि कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	179,685	41,592,244.00
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	62,626	20,792,655.00
4.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	8,600	82,321,232.00
5.	दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	54,247	11,798,998.00

1	2	3	4
6.	दि फेडरल बैंक लि.	82,869	139,859,278.00
7.	एचडीएफसी बैंक लि.	4,9899	48,377,423.00
8.	इंडसइंड बैंक लि.	1,335	28,539,319.00
9.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	302,601	742,279,881.00
10.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	163,341	301,271,012.00
11.	दि जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	31,744	83,775,153.00
12.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	168	2,035,000.00
13.	दि कर्नाटक बैंक लि.	57,151	110,062,438.00
14.	दि करूर वैश्य बैंक लि.	89,016	63,748,733.00
15.	दि लक्ष्मी विलास बैंक लि.	120,747	47,575,254.00
16.	दि नैनीताल बैंक लि.	17,534	12,247,920.00
17.	दि रत्नाकर बैंक लि.	13,499	17,206,452.00
18.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	0	0.00
19.	दि साउथ इंडियन बैंक लि.	14,615	8,444,387.00
20.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	258,250	185,004,618.00
21.	यस बैंक लि.	0	
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	1,463,660	1,959,083,157.00
	विदेशी बैंक		
1.	एबीएन आमरो बैंक	521	7,002,350.00
2.	आबू धाबी कमर्शिलय बैंक	32	1,255,579.00
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैकिंग कॉर्पोरेशन	0	0.00
4.	एंटवर्प डायमंड बैंक	0	0.00
5.	अरब बांग्लादेश बैंक	0	0.00
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0	0.00
7.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	299	2,273,372.00
8.	बैंक ऑफ सिलोन	0	0.00

1	2	3	4
9.	बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिसी	297	7,822,056.00
10.	बारक्लेज बैंक	13	290,564.00
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	66	2,403,547.00
12.	बीएनपी पारीबास	34	6,523,525.24
13.	बैंक ऑफ अमेरिका	1,000	28,052,584.00
14.	चाइना ट्रस्ट कमर्शिलय	2	1,750.00
15.	क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इंवेस्टमेंट बैंक	5	30,205.00
16.	सिटीबैंक	4,445	63,024,069.00
17.	इयूश बेंक	54	3,093,952.00
18.	डीबीएस बैंक लि.	0	0.00
19.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	1,760	57,308,790.00
20.	जे.पी. मोरगन चेस बैंक	0	0.00
21.	करुंग थाई बैंक	0	0.00
22.	मिजुहो कार्पोरेट बैंक	0	0.00
23.	मशरेक बैंक	141	985,826.00
24.	ओमान इंटरनेशनल	298	7,212,931.00
25.	शिन्हन बैंक	0	0.00
26.	सोसिएट जनरेल	3	39,705.00
27.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि.	0	0.00
28.	सोनाली बैंक लि.	0	0.00
29.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	38,787	413,312,856.00
30.	कामनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया	0	0.00
31.	फर्स्ट रैण्ड बैंक	0	0.00
32.	जेएसवी वीटीबी बैंक	0	0.00
33.	यूबीएस ए.जी.	0	0.00
34.	युनाइटेड ओवरसीज बैंक	0	0.00
	विदेशी बैंकों का योग	47,757	600,633,664.24
	सकल योग	10,345,857	17,232,389,908.24

मधुमेह के मामले

***87. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में मधुमेह के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है तथा इस रोग के कारण होने वाली मौतों की दर ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोग विभिन्न प्रकार के मधुमेह से पीड़ित हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में मधुमेह के सस्ते निदान और उपचार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार मधुमेह के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जांच अभियान शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अभियान किस तरह से चलाया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश में विभिन्न प्रकार के मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन्टरनेशनल डायबेटिज फेडरेशन (आईडीएफ) ने भारत में वर्ष 2010 में कुल लगभग 50.8 मिलियन मधुमेह के रोगी होने का अनुमान लगाया है जिनके वर्ष 2030 तक बढ़कर 87 मिलियन होने की संभावना है। मधुमेह के कारण होने वाली मृत्यु की सही संख्या ज्ञात नहीं है। मधुमेह के कारण विभिन्न जटिलताएं एवं रोग हो सकते हैं तथा मृत्यु सामान्यतया इससे संबद्ध रोगों के कारण होती हैं न कि विशेषकर मधुमेह से। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, शारीरिक निष्क्रियता एवं अनुपयुक्त आहार, मधुमेह में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 2010-12 के दौरान 21 राज्यों में चयन किए गए 100 जिलों में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। समुदाय आधारित कार्यनीतियों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी में विभिन्न स्तरों अर्थात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला आदि स्तर पर मधुमेह की रोकथाम एवं नियंत्रण शामिल है। भारत सरकार 30 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों एवं सभी गर्भवती महिलाओं के ब्लड शूगर एवं उच्च रक्तचाप को जांच करने के लिए एएनएम एवं अन्य क्षेत्र कार्यकर्ताओं को ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स एवं लेन्सेट्स तथा प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(घ) एवं (ङ) जी, हां। सरकार का मधुमेह के बढ़ते रोगियों से निपटने के लिए देश भर में कार्यक्रम के अन्य घटकों के साथ जांच कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है।

[अनुवाद]

अपीलों/न्यायालयों में अवरूद्ध राजस्व

***88. श्री सी. शिवासामी:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार आयुक्त (अपील) से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विभिन्न स्तरों पर लंबित अपीलों की संख्या कितनी है तथा सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर संबंधी मामलों में कितनी धनराशि अवरूद्ध है;

(ख) ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि के उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क तथा सेवा कर अपवंचन के संबंध में विभागीय एवं न्यायिक कार्यवाही चल रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड/सरकार का विचार अपील के लंबित मामलों का न्यायालय से बाहर निपटान करने के लिए कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) अवरूद्ध राजस्व के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (प्रणब मुखर्जी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर लंबित अपीलों की संख्या और सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में अवरूद्ध राशि निम्नानुसार है:

स्तर	लंबित अपीलों की संख्या	अवरूद्ध राशि (करोड़ रुपये में)
सर्वोच्च न्यायालय	2675	7255.3
उच्च न्यायालय	15211	10882.7
सेस्टेट (अधिकरण)	46094	39564.1
आयुक्त (अपील)	23882	4840.85

विवरण-II

वे कंपनियां, जिनके विरूद्ध पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क तथा सेवा कर के अपवंचन के लिए विभागीय एवं न्यायिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	राशि करोड़ रुपये में
1	2	3
1.	एजीलिटी लोजिस्टिक, मुम्बई	238.87
2.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	685.7
3.	आलसीज़ मैरिन कंस्ट्रक्शन, विज़ाग	646.29
4.	अमेरिकन पॉवर कम्पनी कार्पोरेशन लि., बंगलौर	210.17
5.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि.	671.39
6.	भारत पेट्रोलियम कार. लि.	1836.18
7.	भारती एयरटेल	1893.48
8.	भारती इंफ्राटेल	671
9.	बोथरा शिपिंग सर्विसिस, विजाग	129.87
10.	बीपीएसएलसी, बोकारो	100.96
11.	ब्रिटिश एयरवेज़	133
12.	सीसीएल रांची	529
13.	चैतन्य एजुकेशनल समिति	273.88
14.	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	121.09
15.	चोलामंडलम डीबीएस फाइनेंस लि.	211
16.	सीआईएससीओ	112.66
17.	कंटेनर कारपो.	190.99
18.	दिल्ली असम रोडवेज कार्पोरेशन	248.8
19.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	899.4
20.	डेल्टा इलैक्ट्रॉनिक्स, रामनगर	213.7
21.	देवास फ्रैबिक्स	105.1
22.	धर्मपाल सत्यपाल	101.83
23.	इलैक्ट्राथर्म इंडिया लिमिटेड, बचाऊ कच्छ	175
24.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	2808.12
25.	इरिक्सन इंडिया प्रा.लि.	174
26.	इरिक्सन प्रा.लि.	162.35
27.	ईएसपीएन साफ्टवेयर	225.8
28.	एस्सार ऑयल लि., वदिनार	109.33
29.	एस्यार स्टील	140.35
30.	फिएट इंडिया	311.16
31.	गमन इंडिया	139
32.	जीएमआर पॉवर कार्पोरेशन	152.75
33.	गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड, अहमदाबाद	334.3
34.	गुजरात राज्य ट्रांसमिशन कार्पोरेशन	438.3
35.	एचएएल एयरक्राफ्ट आर एंड डी	139.53
36.	हरसिंगार गुटका	275.6

1	2	3
37.	हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन लि., मुम्बई	387.09
38.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार. लि.	1786.55
39.	आईसीआईसीआई लम्बर्ड	159.9
40.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	2969.39
41.	इंडस पॉवर लि.	1104.85
42.	जैगसंस इंटरनेशनल	102.4
43.	जय प्रकाश एसोशिसटस्	631
44.	जैट एयरवेज	943.85
45.	जेटलाइट लि.	.128.92
46.	जॉन डीरे	139.2
47.	जेएसडब्ल्यू स्टील	289.7
48.	कर्नाटका पॉवर ट्रॉसमिशन कार.	290.8
49.	केईसी इंटरनेशनल, मुम्बई	115.72
50.	केरला राज्य बेवरेजस	224.13
51.	केआईडीएबी	1294.14
52.	कृष्णा रोलिंग मिल्स, जयपुर	117.95
53.	कुर्ले पान प्रोडक्ट्स लि., गाजियाबाद	118.95
54.	लार्सन एंड टर्बो	323.66
55.	एल जी इलैक्ट्रॉनिक्स	210.9
56.	लुफथांसा जर्मन एयरलाईन	635.24
57.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन	657
58.	मारूति सुजूकी	938.91
59.	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हैदराबाद	217.07
60.	माइक्रोसॉफ्ट कार.	302.84

1	2	3
61.	एमपी रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	250
62.	मुंद्रा पोर्ट	174.57
63.	नेशनल एविएशन, मुम्बई	297.6
64.	नीलाचल इस्पात (भुवनेश्वर)	117.7
65.	नोबल एसेस्ट क. लि.	189.63
66.	ओराकल इंडिया	230.9
67.	पटेल इंजीनियरिंग, हैदराबाद	101.4
68.	पॉवरग्रिड कार.	1185.79
69.	पीएसएल, लि., अहमदाबाद	309.46
70.	पुंज लॉयड	104.1
71.	क्यूपो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर	126
72.	राजस्थान टुरिज्म डेवलपमेंट कार.	113.17
73.	रैनबेक्सी लैब्स लि.	196.17
74.	राठी इस्पात, गाजियाबाद	147.28
75.	रिलायंस इंडस्ट्रीज	288.97
76.	रेप्रो इंडिया लि.	162
77.	सहारा इंडिया	204.6
78.	एसएपी इंडिया	156.52
79.	श्री फलैवरस लि.	250.1
80.	सिस्टेमा श्याम टेली सर्विसेज, दिल्ली	171.37
81.	स्टलाईट इंडस्ट्रीज	249.79
82.	तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	196
83.	टाटा कैमिकल्स	278.4
84.	टाटा मोटर्स	423.57
85.	टाटा स्टील	164.8
86.	टाटा टेली सविसेज़ लि.	155.31

1	2	3
87.	ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश	213.14
88.	यूनाइटेड स्प्रिट्स लि., बंगलौर	106.66
89.	वेस्टास आरआरबी इंडिया लि., चेन्नई	139
90.	वेस्टर्न जेको इंटरनेशनल लि., दिल्ली	343.75
91.	योगेश एसोशिएटस, वड़ोदरा	156.8

विवरण-III

मामले जिनमें राजस्व अवरूद्ध है, के शीघ्र निपटान हेतु निम्नानुसार कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) न्यायालय के आदेशों को खारिज करने की मांग करना;

(ii) उन मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए कार्यवाही करना जिनमें महत्वपूर्ण राजस्व शामिल है और न्यायालयों में लंबित मामलों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई;

(iii) अधिकरण के सदस्य के पद को भरना;

(iv) मामलों में शीघ्र निपटान हेतु सेस्टेट में नई प्रक्रिया शुरू करना अर्थात् छोटे मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाता है और नियमित मामलों को शेष दिनों में सूचीबद्ध किया जाता है;

(v) सुनवाई के लिए मामलों को विषय-वार इकट्ठा करना। इससे निपटान की गति बढ़ेगी;

(vi) उन मामलों में और मुकदमेबाजी से बचना जिनमें छोटी राजस्व राशि शामिल है। इससे आगे अपीलों में कमी आएगी और इस प्रकार न्यायालयों और अधिकरणों में अप्रत्यक्ष कर मामलों के डि-क्लॉनिंग में मदद मिलेगी;

(vii) उच्च न्यायालयों में विभाग के मामलों की प्रतिरक्षा हेतु कांउसिलों का एक समर्पित पैनल गठित करना;

(viii) विधि मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया की समीक्षा।

[हिन्दी]

[हिन्दी] 92-93

पुराने और जीवन शैली से संबंधित रोग

***89. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:**
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुराने तथा जीवन शैली से संबंधित विभिन्न रोगों से पीड़ित विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे रोगों और उनके प्रभाव के संबंध में कोई सर्वेक्षण/आकलन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय धमनी रोग तथा आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार पूरे देश में करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के संबंध में राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इसकी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए क्या कार्य पद्धति तैयार की गई है एवं उक्त प्रयोजनार्थ अनुमानत: कितने संसाधनों की जरूरत है तथा केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा कितने संसाधन जुटाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) एवं (ख) यद्यपि रोग भार एवं चिरकारी और जीवनशैली से जुड़े रोगों के रूझानों के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है; यद्यपि विभिन्न राष्ट्रीय (अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां (अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुमानों से पता चलता है कि विभिन्न असंचारी रोगों की घटना का रूझान बढ़ रहा है।

असंचारी रोगों में वृद्धि का प्रमुख कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली है। चिरकारी असंचारी रोगों के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े चार प्रमुख जोखिम कारक निम्नलिखित हैं:

(i) तंबाकू का सेवन (धूम्रपान एवं चबाना)

(ii) अल्होकल सेवन

(iii) शारीरिक निष्क्रियता

(iv) अस्वास्थ्यकर आहार

(ग) एवं (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के रोग भार संबंधी अध्ययन के अनुसार इस्सेमिक हृदय रोग (आईएचडी), आघात, मधुमेह एवं कैंसर का अनुमानित रोग भार नीचे दिया गया है:

इस्सेमिक हृदय रोग (आई एन डी), आघात, मधुमेह एवं कैंसर के रोगा भार संबंधी अनुमान (2004)

रोग	रोगियों की संख्या (मिलियन में)	मृत्यु की संख्या (मिलियन में)
आई एच डी	22.4	0.55
आघात	0.93	0.64
मधुमेह	37.8	0.10
कैंसर	0.82	0.26

इसके अतिरिक्त, सेंट्रल ग्लोबल हेल्थ रिसर्च (जीजीएचआर) के साथ मिलकर भारत के पंजीयक द्वारा किए गए मृत्यु के कारण संबंधी सर्वेक्षण (2001-03) के अनुसार असंचारी रोग देश में मृत्यु के समग्र रूप से प्रमुख कारण हैं जिनसे 42 प्रतिशत मौतें होती हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम की कवरेज को पूरे देश में बढ़ाने की योजनाएं हैं। मॉनीटरिंग कार्य राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय असंचारी रोग सेलों के जरिए किया जाएगा। असंचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित कार्यनीतियाँ कार्यक्रम के प्रमुख घटक बने रहेंगे। वित्त पोषण आवश्यकता 11वीं पंचवर्षीय योजना में 100 जिलों के लिए आबंटित बजट के छह गुणा से अधिक अर्थात 1230.90 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार का शेयर 20 प्रतिशत होगा जबकि केन्द्र का शेयर 80 प्रतिशत होगा।

93-96

निराश्रित बच्चे

***90. श्री अंजन कुमार एम. यादवः**
श्री हरिन पाठकः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार निराश्रित बच्चों के कल्याण तथा संरक्षण के लिए कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पता लगे निराश्रित बच्चों की लिंगवार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी बालिकाओं को गोद लिया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण (आईसीपीएस) स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से चला रहा है, जिसका उद्देश्य बेसहारा बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों सहित देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित माहौल तैयार करना है।

इस स्कीम में शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के बेसहारा बच्चों सहित देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को देखरेख और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 'मुक्त आश्रयों' की स्थापना का प्रावधान है। इन मुक्त आश्रयों के कार्यक्रमों और कार्यकलाप में अन्य बातों के साथ-साथ आयु के अनुसार उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, सेतु शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रम से संबद्धता, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि उपलब्ध कराना शामिल है।

(ग) सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेसहारा बच्चों की संख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं करता है और न ही देश में किसी अन्य स्रोत से ऐसे प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध हैं। इसका एक कारण ऐसे बच्चों की संख्या घटते-बढ़ते रहना है। तथापि, उपर्युक्त स्कीम के 'मुक्त आश्रय' घटक से अब तक लाभान्वित हुए लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी से जुड़ी दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से दत्तक ग्रहण कराए गए अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के आंकड़े रखता है। ये बच्चे अपना दत्तक ग्रहण होने से पहले मान्यता-प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों की देखरेख में रहते हैं। बेसहारा बच्चों की दत्तक ग्रहण के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के मुक्त आश्रय घटक से वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (31.7.2011 तक) में लाभान्वित हुए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या		
		2009-10	2010-11	2011-12 (31.7.2011 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	2850	425	-
2.	असम	500	438	-
3.	गुजरात	2950	2182	-
4.	कर्नाटक	1450	1200	-
5.	केरल	400	400	-
6.	महाराष्ट्र	-	1300	-
7.	मणिपुर	100	25	-
8.	उड़ीसा	300	1375	-
9.	राजस्थान	800	100	-
10.	तमिलनाडु	-	350	-
11.	त्रिपुरा	-	25	-
12.	उत्तर प्रदेश	-	-	2350
13.	पश्चिम बंगाल	7855	8255	-
14.	दिल्ली	-	750	150
15.	पुडुचेरी	-	50	-
	कुल	17205	16845	2500

शिक्षा ऋण

***91. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
श्री भक्त चरण दास:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले छात्रों सहित छात्रों को शिक्षा ऋण संवितरित करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले विस्तृत मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त बैंकों द्वारा ऐसे छात्रों को संवितरित किए गए शिक्षा ऋणों का बैंक-वार तथा मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को ऐसे छात्रों को शिक्षा ऋण देने से इंकार करने के लिए बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अपने सदस्य बैंकों के बीच एक माडल शैक्षिक ऋण योजना परिचालित की है। बैंक यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस योजना को अपना सकते हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए है। प्रवेश परीक्षा/योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर भारत अथवा विदेश में व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले भारतीय नागरिक इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक ऋण के लिए पात्र हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 2009, 2010 एवं 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंक-वार (सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक) और मार्च 2008, 2009 एवं 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया शिक्षा ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा (सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक) (नवीनतम उपलब्ध क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा शिक्षा ऋणों की गैर-मंजूरी, गैर-संवितरण अथवा इनकी मंजूरी अथवा संवितरण में विलम्ब, 4 लाख रुपए से कम के ऋणों हेतु प्रतिभूति की मांग से संबंधित विभिन्न शिकायतें प्राप्त होती हैं। तुरन्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए इन शिकायतों को संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

(ङ) शैक्षिक ऋण योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शैक्षिक ऋण योजना को पूरी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाए तथा ऋण आवेदनों का निपटान निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। आईबीए अपनी माडल शैक्षिक ऋण योजना को अधिक ग्राहकानुकूल बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन कर रहा है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंक-वार बकाया शैक्षिक ऋण

खातों की संख्या लाख में, राशि करोड़ रुपए में

बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार					
	2009		2010		2011	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	3.14	6182.00	4.20	8711.00	5.31	10367.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.15	279.52	0.19	367.89	0.20	435.04
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.46	835.53	0.51	1009.48	0.52	1055.94
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.10	165.29	0.11	210.03		
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.23	391.17	0.26	489.39	0.29	533.70

1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.21	245.00	0.51	304.43	0.13	340.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.99	1370.00	0.47	1682.00	1.06	1719.00
कुल 'क'	5.28	9468.51	6.25	12774.22	7.51	14450.68
इलाहाबाद बैंक	0.30	638.00	0.39	818.82	0.43	1030.64
आंध्रा बैंक	0.75	1390.83	0.79	1647.81	0.74	1629.34
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.60	1165.09	0.70	1466.36	0.81	1685.11
बैंक ऑफ इंडिया	0.75	1324.00	0.90	1716.00	1.03	1917.64
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.17	314.68	0.21	379.21	0.23	409.41
केनरा बैंक	1.47	2301.00	1.71	2896.00	1.93	3503.00
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.53	810.62	0.68	1161.69	0.83	1515.89
कार्पोरेशन बैंक	0.32	651.75	0.45	814.39	0.43	926.17
देना बैंक	0.13	240.96	0.13	288.56	0.15	286.02
इंडियन बैंक	1.28	1590.56	1.61	2160.98	1.80	2635.19
इंडियन ओवरसीज बैंक	0.78	1032.65	1.12	1447.45	1.56	1970.92
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	0.36	769.92	0.41	938.52	0.46	1070.96
पंजाब नेशनल बैंक	0.93	1611.25	1.14	2131.69	1.35	2642.01
पंजाब एंड सिंध बैंक	0.06	179.15	0.07	204.23	0.07	218.28
सिंडिकेट बैंक	0.81	1150.27	0.95	1459.68	1.02	1889.03
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.53	956.57	0.67	1289.05	0.75	1536.76
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.20	343.70	0.22	421.80	0.21	457.19
यूको बैंक	0.28	490.00	0.35	659.00	0.47	856.79
विजया बैंक	0.24	431.02	0.30	534.47	0.31	602.90
कुल 'ख'	10.49	17392.02	12.82	22435.71	14.57	26783.25
कुल 'क+ख'	15.77	26860.53	19.08	35209.93	22.08	41233.93
आईडीबीआई लि.	0.03	52.20	0.04	82.18	0.05	109.88
कुल 'क+ख+ग'	15.80	26912.73	19.12	35292.11	22.13	41343.81

स्रोतः आरबीआई टिप्पणीः आंकड़े अनंतिम हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंक-वार बकाया शैक्षिक ऋण

खातों की संख्या लाख में, राशि करोड़ रुपए में

बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार					
	2009		2010		2011	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.00	6.02	0.00	9.19		
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	0.03	51.52	0.04	63.44	0.05	80.41
सिटी यूनियन बैंक लि.	0.02	24.12	0.04	41.75	0.06	65.85
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.00	0.99	0.00	1.51	0.00	2.18
धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.02	27.17	0.02	30.56	0.02	33.11
दि फेडरल बैंक लि.	0.12	183.82	0.13	222.67	0.15	265.40
एचडीएफसी बैंक लि.	0.06	145.71	0.09	246.54	0.11	279.50
आईसीआईसीआई बैंक लि.	0.01	6.14	0.01	5.85	0.02	348.18
इंडसइंड बैंक लि.	0.00	0.13	0.00	0.44	0.00	0.63
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	0.01	15.38	0.01	11.42	0.01	9.69
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	0.05	83.20	0.06	99.17	0.06	116.92
कर्नाटक बैंक लि.	0.04	75.58	0.05	94.54	0.05	111.00
करूर वैश्य बैंक लि.	0.02	39.72	0.04	52.20	0.05	75.92
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0.01	17.10	0.03	35.87	0.05	57.62
नैनीताल बैंक लि.	0.01	11.89	0.01	13.11	0.01	15.97
रत्नाकर बैंक लि.	0.00	0.98	0.00	1.40	0.00	1.88
एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00	0.04
द साउथ इंडियन बैंक लि.	0.02	35.06	0.03	50.72	0.04	69.6
तमिलनाड मर्केटाइल बैंक लि.	0.04	49.13	0.06	67.29	0.08	92.8
ऐक्सिस बैंक लि.	0.01	22.94	0.01	19.83	0.01	25.67
कुल	0.47	796.98	0.61	1067.56	0.76	1652.37

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया शैक्षिक ऋण संबंधी राज्य-वार आंकड़े

(राशि हजार रुपए में) (खातों की वास्तविक संख्या)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार					
	2008		2009		2010	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**8626**	**1763603**	**11464**	**2659347**	**15100**	**3669422**
असम	6461	1303634	8300	1856046	10809	2604257
मेघालय	552	122553	715	165837	919	220091
मिजोरम	18	4862	339	119429	439	163653
अरुणाचल प्रदेश	113	19352	421	88266	458	98711
नागालैंड	148	33825	204	58443	239	63808
मणिपुर	687	172232	738	222306	1259	318643
त्रिपुरा	647	107145	747	149020	977	200259
पूर्वी क्षेत्र	**110820**	**18794416**	**148272**	**28178282**	**184379**	**37557976**
बिहार	21335	3881636	33344	6436966	42215	9125266
झारखंड	17347	3162421	22456	4896225	30094	6729769
पश्चिम बंगाल	39390	6561467	52227	9587869	60429	11616783
उड़ीसा	31903	5045559	39706	7135842	50957	9925865
सिक्किम	658	107567	293	74417	334	86562
अंडमान एवं निकोबार	187	35766	246	46963	350	73733
मध्य क्षेत्र	**115844**	**19630317**	**167664**	**2983234**	**210304**	**40768951**
उत्तर प्रदेश	60857	11020099	85661	15442367	107901	22548388
उत्तराखंड	11710	2001876	15725	2866466	19624	3930961

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	35432	5372483	57580	9860740	71265	11787917
छत्तीसगढ़	7845	1235859	8698	1662761	11514	2501685
उत्तरी क्षेत्र	**101241**	**22600876**	**141661**	**31810580**	**158550**	**39239593**
दिल्ली	21558	6326054	31386	9785297	35657	11324374
पंजाब	21553	4972341	30819	6190630	30387	7741727
हरियाणा	19107	3989240	26647	5445928	29916	6865756
चंडीगढ़	4448	1148956	4938	1449529	5738	1732121
जम्मू और कश्मीर	2302	550200	2990	690143	3522	913040
हिमाचल प्रदेश	5441	928464	8660	1367096	10194	1925362
राजस्थान	26832	4685621	36221	6881957	43136	8737213
पश्चिम क्षेत्र	**115020**	**24184274**	**141455**	**31684065**	**167839**	**40442208**
गुजरात	33248	7543332	35542	9323707	40286	11612845
महाराष्ट्र	79759	16243708	101967	21488206	123627	27854564
दमन और दीव	25	5963	429	130765	440	135689
गोवा	1925	373784	3103	644338	3347	803891
दादरा और नगर हवेली	63	17487	414	97049	139	35219
दक्षिणी क्षेत्र	**730566**	**104802921**	**904248**	**137736465**	**1150900**	**191837426**
आंध्र प्रदेश	167034	30791560	188809	38035840	213903	46940608
कर्नाटक	109292	16675193	132163	22964070	154518	27886279
लक्षद्वीप	11	1900	13	1558	14	1606
तमिलनाडु	304683	34496762	387490	48572760	544776	69922880
केरल	143591	22253660	187900	27165536	228050	45743402
पुडुचेरी	5955	583846	7873	996701	9639	1342651
अखिल भारत	1182117	191776407	1514764	261901073	1887072	353515576

स्रोत: आरबीआई

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया शैक्षिक ऋण संबंधी राज्य-वार आंकड़े

(राशि हजार रुपए में) (खातों की वास्तविक संख्या)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार					
	2008		2009		2010	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**22**	**3677**	**66**	**40462**	**56**	**12653**
असम	20	2991	36	6323	50	11553
मेघालय	1	77	2	130	4	605
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	1	609	2	1535	2	495
मणिपुर	0	0	26	32474	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र	**400**	**92141**	**742**	**185000**	**968**	**262751**
बिहार	15	1160	27	5404	38	11166
झारखंड	79	15093	97	23558	132	31739
पश्चिम बंगाल	206	59624	514	135563	662	190095
उड़ीसा	95	14352	99	18189	130	27663
सिक्किम	4	1586	4	1421	5	1332
अंडमान और निकोबार	1	326	1	865	1	756
मध्य क्षेत्र	**642**	**127655**	**891**	**175378**	**1178**	**246249**
उत्तरर प्रदेश	285	57541	425	91432	586	144942
उत्तराखंड	228	42928	327	56644	363	54792

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	112	23411	122	22714	206	40390
छत्तीसगढ़	17	3775	17	4588	23	6125
उत्तरी क्षेत्र	**2700**	**563138**	**7066**	**1387924**	**8516**	**1901136**
दिल्ली	382	136097	1437	481589	2074	724397
पंजाब	64	19106	162	43739	242	71043
हरियाणा	72	18260	232	59215	383	11682
चंडीगढ़	15	7766	97	28746	139	44880
जम्मू और कश्मीर	1938	340003	4806	706579	5187	842631
हिमाचल प्रदेश	12	2339	11	1930	8	1010
राजस्थान	217	39567	321	66126	483	100493
पश्चिम क्षेत्र	**1049**	**306214**	**2740**	**678383**	**4109**	**1044655**
गुजरात	194	50047	409	101774	651	179481
महाराष्ट्र	834	247211	2299	567322	3419	853781
दमन और दीव	1	486	3	1340	5	2547
गोवा	20	8470	24	7138	27	7297
दादरा और नगर हवेली	0	0	05	809	7	1549
दक्षिणी क्षेत्र	**24977**	**3529319**	**35477**	**5488241**	**45659**	**7198472**
आंध्र प्रदेश	1508	358577	2258	603349	2656	812177
कर्नाटक	2971	523655	4100	792258	4904	1007669
लक्षद्वीप	4	1296	0	0	10	1459
तमिलनाडु	7206	878082	12828	1633229	19463	2397787
केरल	13162	1744559	16164	2414667	18447	2956450
पुडुचेरी	126	23150	127	17738	179	22930
अखिल भारत	29790	4622144	46982	7955388	60486	10665916

स्रोत: आरबीआई

111-14

[अनुवाद]

सोने और चांदी के मूल्य

***92. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सोने और चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सोने और चांदी की घरेलू बिक्री से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, भारत विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है जिसके बाद चीन का स्थान आता है। भारत संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के साथ चांदी के बड़े उपभोक्ता देशों (लेकिन सबसे बड़ा नहीं) में से एक है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, सोने के आयात से संगृहीत सीमा शुल्क के संबंध में कुल राजस्व आय संबंधी आंकड़े वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के संबंध में निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। चांदी पर लगे सीमा शुल्क संबंधी सूचना एकत्र की जाएगी और अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राजस्व
2007-08	847.8
2008-09	673.66
2009-10	1567.64
2010-11	2553.52

पिछले तीन वर्ष में एमसीएक्स मंच पर उद्धत सोने और चांदी की हाजिर तथा निकट महीनों की वायदा कीमतें नीचे दी गई हैं:

एमसीएक्स पर उद्धत सोने और चांदी की हाजिर तथा निकट महीनों की वायदा कीमतें

तारीख	सोना रुपये प्रति 10 ग्राम		चांदी रुपये प्रति कि.ग्रा.	
	हाजिर कीमत	निकट माह की वायदा कीमत	हाजिर कीमत	निकट माह की वायदा कीमत
1	2	3	4	5
1 अप्रैल 08	11656.00	11482.00	22113.00	21961.00
30 जून 08	12936.00	12879.00	24545.00	24260.00
30 सितम्बर 08	13337.00	13192.00	20511.00	20109.00
31 दिसम्बर 08	13445.00	13630.00	17847.00	18355.00
31 मार्च 09	15066.00	15132.00	21890.00	21855.00
30 जून 09	14558.00	14451.00	22357.00	21768.00
30 सितम्बर 09	15620.00	15703.00	26040.00	26486.00

1	2	3	4	5
31 दिसम्बर 09	16705.00	16686.00	26870.00	26771.00
31 मार्च 10	16300.00	16295.00	26875.00	26935.00
30 जून 10	18805.00	18852.00	29575.00	29604.00
30 सितम्बर 10	19165.00	19035.00	33350.00	32962.00
31 दिसम्बर 10	20575.00	20728.00	46065.00	46217.00
31 मार्च 11	20760.00	20693.00	55900.00	55970.00
अप्रैल, 2008 की तुलना में मार्च, 2011 में प्रतिशत वृद्धि	78.11	80.22	152.79	154.86

जहां तक सोने और चांदी का संबंध है, भारत एक वास्तविक आयातक है तथा इन मूल्यवान धातुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर होती हैं। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आयी अस्थिरता मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन वस्तुओं की कीमतों में हुई घट-बढ़ के कारण है।

एचआईवी/एड्स रोगी

***93. श्री सुशील कुमार सिंह:**
श्री उदय सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एड्स पीड़ित पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की कुल संख्या कितनी हैं तथा इनमें से कितने एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेन्ट (ए आर टी) प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एचआईवी/एड्स के कितने मामलों का पता लगाया गया तथा इन रोगों से कितने पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की मृत्यु होने का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण II (एनएसीपी II) के अंतर्गत एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(ङ) देश के कुछ राज्यों में एंटी रेट्रोवायरल औषधियों की पता चली कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): भारत सरकार देश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। एचआईवी संक्रमण का पता लगाने तथा पुष्टि करने एवं आगे अनुवर्तन के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5246 एकीकृत परामर्शी और जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं। आज तक कुल 13,20,797 एच आई वी पॉजिटिव रोगियों की पुष्टि हो गई है तथा ये 313 ए आर टी केन्द्रों में पंजीकृत हैं। एक बार किसी व्यक्ति का पंजीकरण हो जाता है तो चाहे वह एच आई वी संक्रमित व्यक्ति एड्स से ग्रस्त हो अथवा नहीं, उसका बेसलाइन सी डी 4 काउंट के साथ-साथ नैदानिक (क्लीनीकल) मूल्यांकन किया जाता है। सी डी 4 काउंट 250 से कम होने के बाद और/अथवा एड्स को स्पष्ट करने वाली बीमारी का साक्ष्य होने पर रोगी को राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार ए आर टी में रखा जाता है। आज की तारीख में पूरे देश में एड्स से ग्रस्त (पुरूष, महिलाएं और बच्चे) तथा नि:शुल्क एंटी रिट्रोवायरल उपचाराधीन (ए आर टी) रोगियों की कुल संख्या 4,26,195 है।

ए आर टी उपचाराधनी रोगियों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I पर संलग्न है। विगत 3 वर्षो और मौजूदा वर्ष के दौरान पता लगाए गए एच आई वी/एड्स के रोगियों तथा सूचित मौतों की वर्ष वार संख्या संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

एच आई वी/एड्स के फैलाव की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II (एन ए सी पी-II,

1999-2006) शुरू किया था। इस परियोजना की समाप्ति तक हासिल किया जाने वाला लक्ष्य "एच आई वी स्थानिकमारी को उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में वयस्क जनसंख्या के <5% पर तथा निम्न व्याप्तता वाले राज्यों में <3% पर नियंत्रित करना" था।

विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2006 में जारी क्रियान्वयन, समापन और परिणाम रिपोर्ट (आई डी ए 32420) के अनुसार एन ए सी पी चरण-II के दौरान उपलब्धि को इस आधार पर संतोषजनक श्रेणी में रखा गया है कि पूरे देश में वयस्क व्याप्तता 0.97% है, जो उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में 3.79% और अन्य राज्यों में 0.12% और 1.29% के बीच है। अत: स्थानिकमारी को नियंत्रित करने के संबंध में संचालित परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

देश में कतिपय राज्यों में यथासूचित एंटीरिट्रोवायरल औषधों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:

1. राज्यों में ए आर टी केन्द्रों में दैनिक आधार पर औषध स्टॉक संबंधी स्थिति पर निगरानी रखने के लिए सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है।

2. संबंधित ए आर टी केन्द्रों में स्टॉक की स्थिति और किसी भी ए आर वी औषध के स्टॉक में कमी के आधार पर पुनर्वस्थापन (रिलोकेशन) किया जाता है ताकि ऐसे ए आर टी केन्द्रों में ए आर वी औषधों की समयपूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। औषधों की अपेक्षित मात्रा संबद्ध ए आर की केन्द्रों को तत्काल प्रेषित की जाती है।

3. केन्द्रीय रूप से प्रापण की जाने वाली ए आर वी औषधों की वर्ष 2011-12 से राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से ए आर टी केन्द्रों को आपूर्ति की जाएगी ताकि राज्य यूनिट भी ए आर टी केन्द्रों में एंटीरिट्रोवायरल औषधों की कोई भी कमी होने की दशा में उनकी निगरानी रख सकें तथा उनका पुनर्वस्थापन (रिलोकेशन) कर सके।

विवरण-I

ए आर टी केन्द्रों और ए आर टी उपचाराधीन जीवित पी एल एच आई वी ग्रस्त रोगियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	एआरटी केंद्रों की संख्या	पुरुष	महिला	ट्रांस जेंडर्स	बच्चे	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	43	46187	39889	74	4394	90544
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	24	9	0	1	34
3.	असम	3	897	438	0	60	1395
4.	बिहार	6	5717	2831	1	435	8984
5.	चंडीगढ़	1	1099	587	5	187	1878
6.	छत्तीसगढ़	4	1343	747	1	166	2257
7.	दिल्ली	9	5707	2503	98	659	8967
8.	गोवा	1	724	479	0	87	1290
9.	गुजरात	22	12760	7081	76	1157	21074

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हरियाणा	1	1333	821	2	138	2294
11.	हिमाचल प्रदेश	3	640	582	0	123	1345
12.	जम्मू और कश्मीर	2	396	241	0	46	683
13.	झारखंड	4	1529	889	1	166	2585
14.	कर्नाटक	44	28845	26661	103	4029	59638
15.	केरल	8	3330	2047	0	294	5671
16.	मध्य प्रदेश	10	3182	1812	13	343	5350
17.	महाराष्ट्र	51	54795	40215	141	6567	101718
18.	मणिपुर	7	3688	2697	34	497	6916
19.	मेघालय	1	76	73	0	4	153
20.	मिजोरम	3	539	533	0	72	1144
21.	नागालैंड	5	1297	1153	1	112	2563
22.	उड़ीसा	5	2004	1138	2	126	3270
23.	पुडुचेरी	1	397	303	2	69	771
24.	पंजाब	6	3889	2782	11	398	7080
25.	राजस्थान	6	5704	3840	5	596	10145
26.	सिक्किम	1	30	26	0	1	57
27.	तमिलनाडु	41	27207	22008	126	2932	52273
28.	त्रिपुरा	1	118	34	0	3	155
29.	उत्तर प्रदेश	12	9208	5937	19	876	16040
30.	उत्तरांचल	2	491	378	0	72	941
31.	पश्चिम बंगाल	9	5651	2837	16	440	8944
	कुल	313	228807	171571	731	25050	426159

विवरण-II

विगत 3 वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान पता लगाए गए एच आई वी/एड्स रोगियों और सूचित मौतों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	पता लगाए गए एचआईवी/ एड्स रोगी	एचआईवी/एड्स मौतें
1.	2008-09	302053	18744
2.	2009-10	319085	25215
3.	2010-11	317336	30047
4	2011-12	82042*	6950*

(30 जून 2011 तक)*

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का द्वितीय चरण

***94. राजकुमारी रत्ना सिंह:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का द्वितीय चरण शुरू हो गया है/शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा राज्य सरकारों ने इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) वित्त मंत्रालय ने फेज-I के लिए पहले ही अनुमोदित 33,000 करोड़ रुपये के अलावा 6,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता से फेज-II में कुछ अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने संबंधी इस मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमति जताई है बशर्ते कि कोई परियोजना अनुमोदन हेतु मॉनीटरिंग समिति के समक्ष तब तक न लाई जाए जब तक कि उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर तैयार न की गई हो और राज्य सरकार तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) द्वारा इस तरह का आश्वासन न दिया गया हो। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों से ऐसी परियोजनाओं में बढ़ी हुई पूरी लागत के वित्तपोषण की अपेक्षा भी रहेगी। योजना आयोग ने भी फेज-II के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं के लिए "सिद्धांत" रूप में अपनी सहमति दे दी है बशर्ते कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अनुमोदित दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा हो। बेंचमार्क लागत में संशोधन, मंजूरी की प्रक्रिया और ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु पद्धतियों का पता लगाया जा रहा है।

(ख) योजना आयोग द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित परियोजनाएं मुख्यत: मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा हरियाणा के शेष जिलों की परियोजनाएं हैं जिन्हें योजना लागत बेंचमार्क लागत से अधिक होने के कारण चरण-I में अनुमोदित नहीं किया गया था।

(ग) फेज-II की परियोजनाएं अभी मंजूर की जानी हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय

***95. श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री बाल कुमार पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में नए आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना/उन्हें मान्यता प्रदान करने के संबंध में कोई समान मानक तथा मानदंड बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना/उन्हें मान्यता प्रदान करने के संबंध में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया और कितने प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया है और इन्हें अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में 67 आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों को छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी है जबकि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ने पाया है कि उन्होंने पिछले वर्ष लागू किए गए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश में नए आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने के लिए एकरूप मानक और मापदंड "नए चिकित्सा कॉलेज की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम की शुरूआत और किसी चिकित्सा कॉलेज द्वारा प्रवेश क्षमता वृद्धि विनयम, 2003" में निर्धारित हैं, जिन्हें 16 मार्च, 2004 को भारत के राजपत्र-असाधारण में अधिसूचित किया गया था। इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, नए चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता मापदंड संलग्नक-1 में दिए गए हैं। वर्तमान चिकित्सा कॉलेजों के लिए आवश्यक अपेक्षाएं "भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (वर्तमान चिकित्सा कॉलेजों को अनुमति) विनियम, 2006" में दी गई हैं, जिन्हें 10 अक्टूबर, 2006 को भारत के राजपत्र-असाधारण में अधिसूचित किया गया था। (तथापि, इन विनियमों के अंतर्गत किए गए उपबंध के अनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी कॉलेजों के लिए अवसंरचना, कार्मिकों, उपकरणों आदि के संबंध में न्यूनतम मानक अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं)।

केन्द्र सरकार विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार आवेदन करने के पात्र पाए गए कॉलेजों के संबंध में चार बुनियादी मापदंडों के आधार पर नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुमति देने अथवा न देने के मामले पर निर्णय लेती रही है। इन चार मापदंडों का अनुसरण भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सीसीआईएम) के परामर्श से शैक्षणिक वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक किया जाता रहा है। एक समान रूप से लागू ये बुनियादी मापदंड इस प्रकार हैं:

(i) संबंधित कॉलेज में अपेक्षित संख्या में पात्र शिक्षण संकाय हो, जो स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम चलाने के लिए अपेक्षित शिक्षकों की पूरी संख्या का कम से कम 80% है;

(ii) 50 छात्र-छात्राओं तक की प्रवेश क्षमता वाले संबंधित कॉलेज के साथ एक कार्यशील अस्पताल हो, जिसमें बिस्तरों की न्यूनतम संख्या 100 हो;

(iii) संलग्न अस्पताल की ओपीडी में औसत वार्षिक उपस्थिति प्रति दिन 100 रोगी हो; और

(iv) संलग्न अस्पताल में आईपीडी में रोगियों की औसत संख्या कम से कम 40% हो।

शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए शिक्षकों की संख्या को छोड़कर अन्य शर्तें यथावत हैं। शिक्षण संकाय के मापदंड को शिक्षकों की कुल संख्या का 90%, उच्चतर संकाय की संख्या 50% तथा स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक विभाग में कम से कम एक शिक्षक का दिया गया है।

(ग) नए आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 13-क के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:

सत्र	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत
2008-09	38	6	32
2009-10	25	7	18
2010-11	22	2+ 1 आशय पत्र*	19
वर्तमान वर्ष	22	13 कार्रवाई चल रही है	9

*आशय पत्र जारी किया गया है। निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

संलग्न विवरण-I में दिए गए पात्रता मापदंडों अथवा उपर्युक्त चार बुनियादी मापदंडों में से किसी एक मापदंड अथवा एक से अधिक मापदंडों को पूरा न करने वाले आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है और अस्वीकृति के कारण संलग्न विवरण-III, IV और V में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार सीसीआईएम की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आईएमसीसी (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 12-क के अंतर्गत नए कॉलेजों तथा धारा 13-ग के अंतर्गत वर्तमान कॉलेजों के लिए अनुमति देने अथवा न देने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। इस प्रकार, अनुमति प्रदान करने अथवा न करने का अंतिम निर्णय सरकार के पास है। इस प्रकार, अनुमति प्रदान करने अथवा न करने का अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार लेती है। सीसीआईएम की दौरा रिपोर्टों के आधार पर चार बुनियादी मापदंडों को पूरा न करने वाले कॉलेजों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 13-क (5) के उपबंधों के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया गया। इस धारा में यह प्रावधान है कि सुनवाई के दौरान आवेदक कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत विवरण पर विचार किया जाए। सीसीआईएम की दौरा रिपोर्टों, उनकी सिफारिशों और सुनवाई के दौरान कॉलेजों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्ड/प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर 67 कॉलेजों सहित केवल उन्हीं कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए प्रवेश देने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई, जो न्यूनतम बुनियादी अपेक्षाए पूरी करते थे।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

एएसयू चिकित्सा कॉलेजों को स्थापित करने हेतु प्रस्तावों संबंधी पात्रता मापदंड

"नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003', नामक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सीसीआईएम) के अधिसूचित विनियमों के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध चिकित्सा के कॉलेजों को स्थापित करने हेतु पात्रता शर्ते निम्नानुसार है:

"6. आवेदन-पत्र भेजने के लिए पात्रता-

(1) विनियम 4 के उपविनियम (1) के अधीन व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन भेजने के पात्र हैं यदि-

(क) उसका एक प्रयोजन आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब के बारे में शिक्षा प्रदान करना हो;

(ख) यदि प्रस्ताव 50 छात्रों की प्रविष्टि की अनुमति के लिए है, तो कम से कम दस एकड़ भूमि का अपना अथवा 99 वर्ष के लिए पट्टे पर उपयुक्त भूखंड हो, और यदि प्रस्ताव 100 छात्रों तक की प्रविष्टि के लिए है, तो कम से कम 15 एकड़ का भूखंड हो तथा उसी भूखंड में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की वचनवद्धता हो;

(ग) प्रस्तावित स्थान पर नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से प्रपत्र 4 में "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर लिया हो;

(घ) किसी केंद्र अथवा राज्य संविधि अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रपत्र 5 में "सम्बद्धता हेतु सहमति" प्राप्त कर ली हो;

(ङ) आवश्यक सुविधाओं और अवसरंचना सहित कम से कम 100 शैय्याओं वाला भारतीय चिकित्सा में अपने अस्पताल का प्रबंधन करता हो;

(च) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय में भी किसी कक्षा अथवा स्तर अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में पहले से ही छात्रों को प्रवेश नहीं दिया हो; और

(छ) वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध निम्न दो निष्पादन प्रत्याभूति देने की स्थिति में हो:

(i) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए-

50 सीटों तक	-	रुपये एक करोड़
51-100 सीटों तक	-	रुपये बीस लाख प्रति 10 अथवा कम सीटों के लिए

(ii) शैक्षणिक अस्पताल और इसकी अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए-

150 शैय्याओं तक	-	रुपये एक करोड़ पचास लाख
अतिरिक्त शैय्याओं के लिए	-	रुपये दस लाख प्रति 10 अथवा कम सीटों के लिए

छूटः उपर्युक्त शर्त राज्य सरकारों/केंद्रशासित सरकारों पर लागू नहीं होगी यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कायर्रूक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्ध हो।"

केंद्र सरकार ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय ही एक पूर्वापेक्षा के रूप में पूर्णतः क्रियाशील अस्पताल की अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008 से ही अस्पताल के लिए निष्पादन बैंक गारंटी देने से छूट प्रदान की है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तक वर्तमान वर्ष के दौरान एएसयू मेडिकल कॉलेजों की स्थापना/मान्यता हेतु प्राप्त, अनुमोदित एवं अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11			वर्तमान वर्ष		
		प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	प्रक्रियाधीन	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	1	1	0	1	2	0	2	3	1	2
2.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
5.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	1	आशय पत्र* जारी किया गया	0	0	0	0
7.	दिल्ली	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
8.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	गुजरात	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0
10.	हरियाणा	1	0	1	2	1	1	0	0	0	1	0	1
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
13.	झारखंड	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14.	कर्नाटक	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	1	1
15.	केरल	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1
16.	मध्य प्रदेश	8	0	8	3	1	2	2	0	2	1	1	0
17.	महाराष्ट्र	12	1	11	6	2	4	4	0	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	मणिपुर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
22.	पंजाब	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	1	1	0	4	1	3	2	0	2	1	0	1
24.	तमिलनाडु	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4	2	2	0	0	0	2	0	2	5	5	0
27.	उत्तराखंड	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	कुल	38	6	32	25	7	18	22	2+1 आशय पत्र*	19	22	13	9

*आशय पत्र, आशय पत्र जारी किया गया है तथा अनुमति पत्र निष्पादन बैंक गारंटी की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों तक वर्तमान वर्ष के दौरान नए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना हेतु आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के कारणों के सार

क्र.सं.	नए कॉलेजों की स्थापना हेतु आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के कारण	2008-09 में प्रस्तावों की संख्या	2009-10 में प्रस्तावों की संख्या	2010-11 में प्रस्तावों की संख्या	2011-12 में प्रस्तावों की संख्या
1.	आवेदक के अनुरोध के अनुसार, आवेदन पत्र वापिस भेज दिया गया।	3	2	1	0
2.	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।	15	8	9	9
3.	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों जैसा कि प्रश्न में उत्तर के भाग (ग) में दिया गया है, को पूरा नहीं करता था।	14	8	9	13 आवेदन पत्रों पर कार्रवाई चल रही है)

विवरण-V

5 अगस्त, 2011 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या-95 के संबंध में विगत तीन शैक्षणिक वर्षों तथा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अंतर्गत नए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों की स्थापना हेतु अस्वीकृत प्रस्तावों और उनकी अस्वीकृति के कारणों का राज्य/संघ राजय क्षेत्र-वार विवरण।

क्र.सं.	(I) कॉलेज का नाम (2008-09)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्वीकृति के कारण
1	2	3	4
1.	**देवनगर, हैदराबाद**, आंध्र प्रदेश में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेद चिकित्सा कॉलेज शुरू करने के लिए देवास मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का आवेदन पत्र (आर.12011/27/2008-ईपी)।	आंध्र प्रदेश	आवेदक के अनुरोध के अनुसार, आवेदन पत्र वापिस भेज दिया गया।
2.	**हसन,** कर्नाटक, में 50 सीटों वाला नया राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंस एंड रिसर्च सेंटर शुरू करने के लिए भी राजीव एजुकेशन ट्रस्ट का आवेदन पत्र। (आर.12011/16/2008-ईपी)।	कर्नाटक	आवेदक के अनुरोध के अनुसार, आवेदन पत्र वापिस भेज दिया गया।
3.	**नंदुरबार, महाराष्ट्र** में 50 सीटों वाला नया धनवंतरि मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए ध्यानोपासक शिक्षण-मंडली का आवेदन पत्र। (आर.12011/7/2008-ईपी)।	महाराष्ट्र	आवेदक के अनुरोध के अनुसार, आवेदन पत्र वापिस भेज दिया गया।
4.	**गुलबर्गा,** कर्नाटक में 50 सीटों वाला नया यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए इस्लामिया एजुकेशन ट्रस्ट, गुलबर्गा का आवेदन पत्र।	कर्नाटक	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
5.	**बिदर,** कर्नाटक में 50 सीटों वाला नया सप्तगिरि रूरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए गायत्री मेडिकल रिसर्च एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का आवेदन पत्र। (आर.12011/33/2008-ईपी)	कर्नाटक	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
6.	**भोपाल**, में 50 सीटों वाला आरकेडीएफ इंस्ट्रीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन शुरू करने के लिए आरकेडीएफ एजुकेशन सोसाइटी का आवेदन पत्र (आर.12011/1/2008-ईपी)	मध्य प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
7.	**भिंड,** मध्य प्रदेश में 50 सीटों वाला नया नवल किशोर शिवहरे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल शुरू करने के लिए पतिराम शिवहरे लोक कल्याण एवं शिक्षण न्यास का आवेदन पत्र। (आर.12011/6/2008-ईपी)।	मध्य प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
8.	**सिथली,** झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 50 सीटों वाला नया श्री रामनाथ सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए श्री रामनाथ सिंह शिक्षा प्रसार समिति, भिंड का आवेदन पत्र। (आर.10211/15/2008-ईपी)।	मध्य प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
9.	**जबलपुर,** मध्य प्रदेश में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए जगन्नाथदास प्रेमवती वेलफेयर 5 सासाइटी का का आवेदन पत्र। (आर.12011/22/2008-ईपी)।	मध्य प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
10.	**गंज-बसोदा** विदिशा, मध्य प्रदेश में 50 सीटों वाला नया लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए श्री मिश्रीलाल स्वास्थ्य शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्था समिति, गंज-बसोदा का आवेदन पत्र। (आर.12011/23/2008-ईपी)।	मध्य प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
11.	**भोपाल,** मध्य प्रदेश में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए कत्यान शिक्षण समिति, भोपाल का आवेदन पत्र। (आर.12011/29/2008-ईपी)।	मध्य प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
12.	**औसा,** जिला लातूर, महाराष्ट्र में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए हिन्दुस्तानी एजुकेशन सोसाइटी, औसा का आवेदन पत्र। (आर.12011/4/2008-ईपी)	महाराष्ट्र	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
13.	**पुणे,** में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेद मेडिकल ऑलेज शुरू करने के लिए महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र का आवेदन पत्र। (आर.12011/24/2008-ईपी)।	महाराष्ट्र	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
14.	**खेड़ा डाबर** में 50 सीटों वाला यूजी एवं पीजी हेतु नया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्था, दिल्ली सरकार का आवेदन पत्र। (आर.12011/28/2008-ईपी)।	नई दिल्ली	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
15.	**मंसा, पंजाब** में 50 सीटों वाला नया वैद्य सल्खान सिंह आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल शुरू करने के लिए माघे मोगावाले एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का आवेदन पत्र। (आर.12011/19/2008-ईपी)।	पंजाब	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
16.	**कोत्तर,** नगरकोइल, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 50 सीटों वाला नया राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आवेदन पत्र। (आर.12011/2/2008-ईपी)।	तमिलनाडु	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
17.	**फतेहपुर,** उत्तर प्रदेश में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए गौशिया आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रस्ट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का आवेदन पत्र। (आर.12011/32/2008-ईपी)।	उत्तर प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
18.	**पूर्व मेदिनीपुर** में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेद महाविद्यालय शुरू करने के लिए आयुर्वेद सेवक संघ का आवेदन पत्र। (आर.12011/2/2008-ईपी)।	पश्चिम बंगाल	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
19.	**सिरसा,** हरियाणा में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने के लिए आयुज्योति एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, जोधपुरिया, सिरसा का आवेदन पत्र। (आर.12011/31/2008-ईपी)।	हरियाणा	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
20.	**हिंदवाड़ी,** बेलगाम, कर्नाटक में 50 सीटों वाला नया गोमतेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए गोमतेश विद्यापीठ का आवेदन पत्र। (आर.12011/5/2008-ईपी)।	कर्नाटक	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
21.	**मंदसौर,** मध्य प्रदेश में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल शुरू करने के लिए भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान, मंदसौर का आवेदन पत्र। (आर.12011/5/2008-ईपी)।	मध्य प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
22.	**धार,** मध्य प्रदेश में 50 सीटों वाला नया चरक आयुर्वेद महाविद्यालय शुरू करने के लिए आवेदन पत्र। (आर.12011/14/2008-ईपी)।	मध्य प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
23.	**भंडारा** में 50 सीटों वाला नया स्वर्गीय निर्धनराव (पाटिल) वाघवे आयुर्वेद कॉलेज शुरू करने के लिए लक्ष्मी शिक्षण संस्था एवं क्रीड़ामंडल, केशलवाड़ा, भंडारा का आवेदन पत्र। (आर.12011/17/2008-ईपी)	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
24.	**गड़ेगांव,** लखानी, भंडारा, महाराष्ट्र में 50 सीटों वाला नया श्री सेवकभा वधाए (पाटिल) आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एवं तिरूपति आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने के लिए स्वर्गीय श्री निर्धन भगवानजी वधाए (पाटिल) मेमोरियल चैरिटेबल संस्था, केसलवाड़ा (वाघ), लखानी, भंडारा, महाराष्ट्र का आवेदन पत्र। (आर.12011/25/2008-ईपी)	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
25.	**बुलढाना** में 50 सीटों वाला नया दत्ता आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आनंदी प्रसारक मंडल, बुलढाना का आवेदन पत्र। (आर.12011/25/2008-ईपी)।	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
26.	**पौनी,** जिला भंडारा, महाराष्ट्र में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए ग्राम विकास संस्था का आवेदन पत्र। (आर.12011/12/2008-ईपी)।	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
27.	**नेहरू नगर,** कंधार, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में 50 सीटों वाला नया ग्रामीण आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने के लिए ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडल का आवेदन पत्र। (आर.12011/11/2008-ईपी)।	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
28.	**चंद्रपुर,** महाराष्ट्र में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने के लिए श्री गुरू कृपा शिक्षण प्रसारक मंडल, चुंद्रपुर, महाराष्ट्र का आवेदन पत्र। (आर.12011/30/2008-ईपी)।	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
29.	**वाजेगांव**, महाराष्ट्र में 50 सीटों वाला नया यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए मराठवाड़ा एजुकेशन सोसाइटी, नांदेड़ का आवेदन पत्र। (आर.12011/3/2008-ईपी)।	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
30.	**जलना**, महाराष्ट्र में 50 सीटों वाला नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए डायमंड एजुकेशन सोसाइटी, जलना, महाराष्ट्र का आवेदन-पत्र। (आर.12011/9/2008-ईपी)	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
31.	**दंडपुरा**, खन्ना, पंजाब में 50 सीटों वाला नया संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल शुरू करने के लिए भाई कन्हैया एजुकेशन सोसाइटी का आवेदन पत्र। (आर.12011/10/2008-ईपी)	पंजाब	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
32.	**हरदोई रोड**, लखनऊ में 50 सीटों वाला नया अवध यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल शुरू करने के लिए आवेदन पत्र। (आर.12012/12/2008-ईपी)।	उत्तर प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए चार बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

क्र.सं.	(II) कॉलेज का नाम (2009-2010)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्वीकृति के कारण
1	2	3	4
1.	देवनगर, आर.आर. जिला, आंध्र प्रदेश में देव्य मेडिकल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश द्वारा एक नया देव्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साईंसिज खोलने के लिए (12011/007/2009-ईपी)	आंध्र प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
2.	चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, दिल्ली (12011/023/2009-ईपी)	दिल्ली	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
3.	गुजरात में श्री प्रभा कामधेनु गिरीविकास ट्रस्ट, गुजरात द्वारा एक नया आयुर्वेद कॉलेज शुरू करने हेतु (12011/004/2009-ईपी)	गुजरात	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
4.	श्री राम चेरिटेबल ट्रस्ट, कोयडम (कजिया) पोस्ट ऑफिस-राजपुर, तहसील-वीरपुर, जिला खेड़ा (गुजरात) द्वारा कोयडम (कजिया) पोस्ट ऑफिस-राजपुर, तहसील-वीरपुर, जिला-खेड़ा (गुजरात) में 60 सीटों वाला एक नया धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज शुरू करने हेतु (12011/014/2009-ईपी)	गुजरात	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
5.	डिवाइन मिशन सोसाइटी, जगाधरी, यमुनानगर, हरियाणा, द्वारा एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने हेतु (12011/006/2009-ईपी)	हरियाणा	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
6.	वनांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा गढ़वा, झारखंड में एक नया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने हेतु (12011/017/2009-ईपी)	झारखंड	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
7.	आर.वी.एस. मेडिकल ट्रस्ट, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा सुलुर, पल्लाडम लातुक, इलिप्पड़ा, कोझिप्पड़ा, पलक्कड, केरल में एक नया आर.वी.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शुरू करने हेतु (12011/001।2009-ईपी)	केरल	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
8.	श्री रामनाथ सिंह शिक्षा प्रसार समिति, गोरमी, भिंड, मध्य प्रदेश द्वारा सिथोली, झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक नया श्री राम नाथ सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु (12011/008/2009-ईपी)	मध्य प्रदेश	आवेदक के अनुरोध के अनुसार आवेदन पत्र वापिस भेज दिया गया।
9.	शिव गोमती जन कल्याण समिति, रायसेन, मध्य प्रदेश द्वारा ग्राम बरला, रायसेन, मध्य प्रदेश में एक नया सांची आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए (12011/018/2009-ईपी)	मध्य प्रदेश	आवेदक के अनुरोध के अनुसार आवेदन पत्र वापिस भेज दिया गया।
10.	कृष्ण एजुकेशन सोसाइटी, इसलामपुर, तहसील वलवा जिला सांगली, महाराष्ट्र द्वारा तहसील चिपलुन जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एक नया कुसुमताई राजरामबापु पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर शुरू करने के लिए (12011/003/2009-ईपी)	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
11.	डायमंड एजुकेशन सोसाइटी पुणे, महाराष्ट्र द्वारा जालान, महाराष्ट्र में नया श्री छगनराव भुजबल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए (12011/019/2009-ईपी)	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
12.	श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडल द्वारा हट्टा हिंगोली, महाराष्ट्र में नया सौ, शांता देवी पाटिल आयुर्वेद कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए (12011/016/2009।-ईपी)	महाराष्ट्र	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
13.	महाराष्ट्र कौंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा न्यू माइनॉरिटी यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए (12012/002/2009-ईपी)	महाराष्ट्र	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
14.	लामडिंग चेरापुर होम्योपैथिक एवं यूनानी एसोसिएशन, चेरापुर डाकखाना बाक्स वांगजिंग, जिला थाऊबल, मणिपुर द्वारा चेरापुर, मणिपुर में न्यू यूनानी तिब्ब कॉलेज खोलने के लिए (12012/001/2009-ईपी)	मणिपुर	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
15.	सीकर विकास एवं शिक्षण अनुसंधान संस्थान सीकर, राजस्थान द्वारा न्यू नेशनल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सीकर, राजस्थान खोलने के लिए (12011/009/2009-ईपी)	राजस्थान	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
16.	मयुराक्षी शिक्षा और विकास संस्थान द्वारा संस्थान द्वारा जोधपुर, राजस्थान में नया मारवाड़, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए (12011/021/2009-ईपी)	राजस्थान	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
17.	निरोगधाम जन कल्याण सेवा संस्थान, अकलेरा, राजस्थान द्वारा नया केशव आयुर्वेद, कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने के लिए (12011/022/2009-ईपी)	राजस्थान	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
18.	आयुर्वेद सेवक संघ, जिला पुर्बा मेदिनीरपुर (प.बं.) द्वारा कौटई जिला पुर्बा, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में नया रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल खोलने के लिए (12011/005/2009-ईपी)	पश्चिम बंगाल	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

क्र.सं.	(III) कॉलेज का नाम (2009-2010)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्वीकृति के कारण
1	2	3	4
1.	हरिओम शक्ति चेरिटेबल ट्रस्ट, शालीमार बाग, नई दिल्ली द्वारा जिला भिवानी, हरियाणा में एक नया एसआरएल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र फा.सं.आर. 12011/01/2010-ईपी	नई दिल्ली	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
2.	शिव गोमती जन कल्याण समिति, रायसेन, मध्य प्रदेश द्वारा ग्राम बारला, रायसेन, मध्य प्रदेश में एक नया सांची आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए केन्द्र सरकार को अनुमति हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/04/2010-ईपी)	मध्य प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
3.	श्री छगनराव भुजबल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल द्वारा डर्गा रोड, मस्तगढ़, जालना-431203, महाराष्ट्र में एक नया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु डायमंड एजुकेशन सोसाइटी का आवेदन पत्र। फा.सं.आर.12011/05/2010-ईपी	महाराष्ट्र	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
4.	आनंदी शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर द्वारा जिला बुलढाना, महाराष्ट्र में एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए प्रदान केन्द्र सरकार की अनुमति किए जाने हेतु आवेदन पत्र। फा.सं.आर.12011/06/2010-ईपी	महाराष्ट्र	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
5.	एम.एन.एस. मेडिकल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, बीकानेर द्वारा बीकानेर, राजस्थान में एक नया एम.एन. आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र। फा.सं.आर.12011/07/2010-ईपी	राजस्थान	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
6.	निरोगधाम जन कल्याण सेवा संस्थान, अकलेरा, जिला झालावाड़, राजस्थान द्वारा एनएच-12, झालावाड़ रोड, अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान में एक नया केशवल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र। फा.सं.आर.12011/08/2010-ईपी	राजस्थान	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
7.	त्रिपुरा सरकार, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, द्वारा उदयपुर, त्रिपुरा में एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र। फा.सं.आर.12011/09/2010-ईपी	त्रिपुरा	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
8.	देव्ज मेडिकल एवं एजुकेशनल सोसाइटी, अनुपुरम, हैदराबाद द्वारा देवनगर आरआर जला, आंध्र प्रदेश में एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/10/2010-ईपी	आंध्र प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
9.	जीएसएल एजुकेशनल सोसाइटी लक्ष्मी पुरम, राजमुंद्री द्वारा एनएच 6, लक्ष्मी पुरम, राजमुंद्री-533294, आंध्र प्रदेश में एक नया जीएसएल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र। फा.सं.आर.12011/11/2010-ईपी	आंध्र प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
10.	डॉ. डी.पी. सिंह स्मृति सेवा संस्थान, खीरी बाग, शाहजहांपुर द्वारा शाहजहांपुर-242001, उत्तर प्रदेश में एक नया एस.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र। फा.सं.आर.12011/12/2010-ईपी	उत्तर प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
11.	श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडल, कालंब जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र द्वारा हट्टा जिला हिंगोली महाराष्ट्र में नया स्व. शांता देवी वेद	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
	प्रकाश पाटिल आयुर्वेद कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/13/2010-ईपी		
12.	श्री प्रभाव हेम कामधेनु गिरी विहार ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, वाघलधारा गांव, जिला वलसाड, गुजरात में एक नया श्री रशिकलाल एम धारीवाल आयुर्वेद अस्पताल खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/15/2010-ईपी	गुजरात	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
13.	कात्यान शिक्षण समिति भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में एक नया डॉ. शंकर दयाल शर्मा कॉलेज एंड हॉस्पीटल खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/11/16/2010-ईपी	मध्य प्रदेश	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
14.	श्री विद्यासागर अल्पसंख्यतर शैक्षणिक समिति, बाड़गांव द्वारा बाड़गांव, तालुक चिकोड़ी जिला, बेलगाम, 5.1216, कर्नाटक में एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/17/2010-ईपी	कर्नाटक	आवेदन के अनुरोध के अनुसार आवेदन पत्र वापिस भेज दिया गया।
15.	राजीव गांधी एजुकेशनल सोसाइटी, नरवाल, जम्मू द्वारा सत्र 2010-11 से बीएएमएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/18/2010-ईपी	जम्मू	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
16.	भीमचंद्र एजुकेशन ट्रस्ट, जयनगर, बैंगलोर द्वारा बैंगलोर, कर्नाटक में एक न्यू हिलसाइड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12011/20/2010-ईपी	कर्नाटक	आवेदक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु विनियम, 2003 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों, जो कि संलग्नक-1 में दिए गए हैं, को पूरा नहीं करता था।
17.	अमजदिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा बड़ाचकिया, ईस्ट चंपारण, अहमद नगर, बिहार में एक न्यू यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12012/01/2010-ईपी	बिहार	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

1	2	3	4
18.	मराठवाड़ा, एजुकेशन सोसाइटी का मौहमदिया यूनानी कॉलेज, नांदेड़ द्वारा नांदेड़ महाराष्ट्र में एक नया यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12012/02/2010-ईपी	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
19.	वारसी वेलफेयर एंड एजुकेशनल ओआरबी (रजि.) द्वारा बिलाल पाट, असमोली, संभल (मुरादाबाद) में न्यू यूनानी कॉलेज ऑफ इंडियन मेडिकल साईंसिज एंड हॉस्पिटल खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति हेतु आवेदन पत्र फा.सं.आर.12012/03/2010-ईपी	उत्तर प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

क्र.सं.	(IV) कॉलेज का नाम (2011-2012)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्वीकृति के कारण
1.	अंकीरेड्डीपल्ली, कीसरा, जिला आरआर, आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित नए एएमसी देवनगर के लिए देव मेडिकल एंड एजुकेशन से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/15/2011-ईपी (आईएम.1)	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई चल रही है
2.	पालाकोल रोड, पश्चिम गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित नए स्वर्णाधरा एएमसी के लिए जय श्री सरस्वती देवी एजुकेशनल सोसाइटी से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/16/2011-ईपी (आईएम-1)	आंध्र प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
3.	एम. सरूरनगर, आरआर जिला, पोस्ट शाहीन नगर, हैदराबाद, आंध्र पदेश में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज, वी कुरुमल गुडा के लिए मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाइटी से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/16/2011-ईपी (आईएम.1)	आंध्र प्रदेश	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
4.	बड़ा चकिया पूर्वी चंपारण, बिहार में प्रस्तावित नए यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए अमजदिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर01/2011-ईपी (आईएम-1)	बिहार	कार्रवाई चल रही है

1	2	3	4
5.	वलसाड, गुजरात श्री रशिकलाल एम धारीवाल एएमसी एंड एच के लिए हेम कामधेनु गिरीविहार ट्रस्ट से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/19/2011-ईवी (आईएम-1)	गुजरात	कार्रवाई चल रही है
6.	जिला यमुना नगर, हरियाणा में प्रस्तावित नया महिला एएमसी एंड हॉस्पीटल के लिए कल्याण सोसाइटी से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/13/2011-ईपी (आईएम-1)	हरियाणा	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
7.	बीदर, कर्नाटक में प्रस्तावित नए एएमसी एंड हॉस्पीटल हुमनाबाद के लिए के.के.ई. ट्रस्ट से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/18/2011-ईपी (आईएम-1)	कर्नाटक	कार्रवाई चल रही है
8.	केंगरी, होबली, बंगलौर में प्रस्तावित नए हिलसाइड एएमसी आगरा के लिए भीमचंद्र एजुकेशन ट्रस्ट से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/14/2011-ईपी (आईएम-1)	कर्नाटक	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
9.	कीझाकोंबु, एर्नाकुलम, केरल में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज के लिए श्रीधरयम आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/12/2011-ईपी (आईएम-1)	केरल	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
11.	हत्ता, तालुक बासमत, जिला हिंगोली, एमएसम में प्रस्तावित नए सौ, शांता देवी वेदप्रकाश पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्युट के लिए श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडल सिडको, औरंगाबाद से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/09/2011-ईपी (आईएम-1)	महाराष्ट्र	कार्रवाई चल रही है
12.	बुलडाना में प्रस्तावित नए आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए आनंदी शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/07/2011-ईपी (आईएम-1)	महाराष्ट्र	कार्रवाई चल रही है

1	2	3	4
13.	राजगढ़, मंथा रोड, खरपुडी, जालना, महाराष्ट्र में नया छगनराव भुजबल एएमसी और एच खोलने के लिए सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/05/2011-ईपी (आईएम-1)	महाराष्ट्र	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
14.	मवाडियांगडियांग, शिलौंग, मेघालय में प्रस्तावित नए एएमसी के लिए नार्थ इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/17/2011-ईपी (आईएम-1)	मेघालय	कार्रवाई चल रही है
15.	सीकर रोड़ अजमेर, राजस्थान में प्रस्तावित नए भगवंत कॉलेज ऑफ आयुर्वेद के लिए भगवंत एजुकेशन फाउंडेशन से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र आर.12011/11/2011-ईपी (आईएम-1)	राजस्थान	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
16.	शाहजहांपुर में प्रस्तावित नए एस.के. एएमसी एंड एच के लिए डॉ. डी.पी. सिंह स्मृति सेवा संस्थान शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/08/2011-ईपी (आईएम-1)	उत्तर प्रदेश	कार्रवाई चल रही है
17.	प्रस्तावित न्यू पोसिफिक आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर, गोरखपुर में पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड साईस सोसाइटी से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/01/2011-ईपी (आईएम-1)	उत्तर प्रदेश	कार्रवाई चल रही है
18.	माल मलिहाबाद रोड, ग्राम-बक्का खेड़ा, पोस्ट थाड़ी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नए प्रस्तावित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और रिसर्च सेंटर के लिए प्रबुद्ध शिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने सबंधी आवेदन पत्र आर.12011/00/2011-ईपी (आईएम-1)	उत्तर प्रदेश	कार्रवाई चल रही है
19.	सरमाऊ, झांसी में प्रस्तावित नया डॉ. कृष्ण गोपाल द्विवेदी एएमसी एंड एच, के लिए सर्वोदया एजुकेशन एंड ट्रस्ट, झांसी से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12012/03/2011-ईपी (आईएम-1)	उत्तर प्रदेश	कार्रवाई चल रही है

1	2	3	4
20.	संभल, मुरादाबाद में प्रस्तावित नया हकीम रईस यूनानी चिकित्सा कॉलेज के लिए हकीम रईस शैक्षणिक, सामाजिक कल्याण सोसाइटी से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12012/03/2011-ईपी (आईएम-1)	उत्तर प्रदेश	कार्रवाई चल रही है
21.	रूड़की हरिद्वार रोड, बेलदा, हरिद्वार, उत्तराखंड में प्रस्तावित नए क्वाद्रा आयुर्वेद संस्थान के लिए चौधरी हरचन्द्र सिंह आत्माराम शिक्षा न्यास से सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र। आर.12011/20/2011-ईपी (आईएम-1)	उत्तराखंड	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।
21.	कोंटई, जिला पुर्बा, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल-721401 में प्रस्तावित नए रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए सीजी को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी ओवदन पत्र। आर.12011/02/2011-ईपी (आईएम-1)	पश्चिम बंगाल	प्रस्तावित कॉलेज आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के अंतर्गत अनुमति देने के लिए 4 बुनियादी मापदंडों को पूरा नहीं करता था।

[अनुवाद]

चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन

***96. श्री रवनीत सिंह:**
श्री रमेश बैस:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्राप्त चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ख) चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनके द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस मंत्रालय में चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन से संबंधित कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता योजना (एम.डी.ए.) के तहत अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं जैसे कि ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल (जे.सी.आई.) और नेशनल एक्रेडिटेशन

बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एन.ए.बी.एच.) द्वारा प्रत्यायित अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं (ट्रैवल एजेंटों/टूर ऑपरेटरों) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत मंत्रालय अनुमोदित निरोगता केन्द्रों, जैसे कि, एन.ए.बी.एच. अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायित निरोगता केन्द्रों के प्रतिनिधियों को भी सहायता प्रदान करता है। बाजार विकास सहायता चिकित्सा/पर्यटन मेलों/चिकित्सा सम्मेलनों/निरोगता केन्द्रों/निरोगता मेलों और संबंधित रोड शो में भाग लेने के लिए दी जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने निरोगता पर्यटन के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं। इन दिशा-निर्देशों में क्वालिटी प्रचार सामग्री को उपलब्ध करना, सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निरोगता संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने जैसे विभिन्न मुद्दों का उल्लेख है। निरोगता केन्द्रों की तेज गति से बढ़ रही संख्या से संबंधित मामले के समाधान के लिए नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स (एन.ए.बी.एच.) द्वारा आयुर्वेद, येग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) के परामर्श से निरोगता केन्द्रों के प्रत्यायन के लिए दिशा-निर्देशों को बनाया गया है और फरवरी, 2011 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित निरोगता पर्यटन पर कार्यशाला में इन्हें जारी किया गया। प्रत्यापन प्रणाली के महत्व और पर्यटन पर कार्यशाला में इन्हें जारी किया गया। प्रत्यायन प्रणाली के महत्व और पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न संवर्धनात्मक प्रयत्नों के बोर में निरोगता केन्द्रों को सुग्राही बनाने के लिए पूरे देश में शृंखलाबद्ध सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में विदेशी बाजारों में रोड शो के माध्यम से संवर्धन, ट्रेवल मार्ट में भाग लेना, ब्रोशर, सीडी, फिल्मों और अन्य प्रचार सामग्री तैयार करना शामिल है।

[हिन्दी] 15 7-61

राज्यों को विद्युत का आबंटन

***97. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्राः**
श्री विश्वमोहन कुमारः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध अनाबंटित विद्युत के हिस्से में से विभिन्न राज्यों को विद्युत का आबंटन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या हाल ही में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों की अनाबंटित विद्युत में से विद्युत का आबंटन कुछ राज्यों में कम कर दिया गया था और इसे कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों सरकारों ने अपने राज्यों में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत का आबंटन करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की ग॒ है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से अनाबंटित विद्युत का आबंटन केंद्रीय सरकार के निपटान पर रखा गया है जिसकी, आवश्यकता की आकस्मिकता तथा मौसमी प्रवृति, प्रासंगिक विद्युत आपूर्ति स्थिति, उपलब्ध विद्युत संसाधनों के उपयोग, प्रचालन एवं भुगतान निष्पादन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं संशोधन किया जाता है।

(ख) एवं (ग) अनाबंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने तथा हर समय पूरी तरह से आबंटित रहने के कारण, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं होता है। पिछले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई, 2011) के दौरान, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत के आबंटन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे,

(i) बिहार के आबंटन में 29 अप्रैल, 2011 को 80 मेगावाट की वृद्धि की गई थी।

(ii) गर्मी के महीनों में विद्युत की आवश्यकता तथा उत्तरी राज्यों में उत्पादन ढांचे को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र के केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत के आबंटन में 3 मई, 2011 को निम्नानुसार संशोधन किया गया था-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संशोधन से पहले आबंटन (मेगावाट में)				संशोधन के पश्चात आबंटन (मेगावाट में)			
	2300-0600 बजे	0600-1000 बजे	1000-1800 बजे	1800-2300 बजे	2300-0600 बजे	0600-1000 बजे	1000-1800 बजे	1800-2300 बजे
चंडीगढ़	56	97	70	97	111	97	111	125
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	222	0
हरियाणा	195	125	181	125	354	348	257	299
हिमाचल प्रदेश	118	167	188	195	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	222	306	222	306	0	181	42	209
पंजाब	104	35	111	56	354	348	257	299
राजस्थान	215	215	215	215	125	14	111	97
उत्तर प्रदेश	675	648	620	578	661	634	606	578
उत्तराखंड	104	97	83	118	83	70	83	83

(iii) बाद में, 20 मई 2011 को उत्तर क्षेत्र के केंद्रीय उत्पादन उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत के आबंटन में, दिल्ली में सायंकालीन अधिकतम मांग के घंटों (1800-2300 बजे) में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए निम्नानुसार संशोधन किया गया था:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संशोधन से पहले आबंटन (मेगावाट में) 1800-2300 बजे	संशोधन के पश्चात आबंटन (मेगावाट में) 1800-2300 बजे
चंडीगढ़	125	111
दिल्ली	0	222
हरियाणा	299	257
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	209	181
पंजाब	299	257
राजस्थान	97	56
उत्तर प्रदेश	578	536
उत्तराखंड	83	70

(iv) काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र से भारी जल संयंत्र (हजिरा) को अनाबंटित विद्युत में से 4 मेगावाट विद्युत का आबंटन उनके अनुरोध पर 3 जून, 2011 को कम कर दिया गया तथा दमन एवं दीव को प्रदान किया गया।

(घ) एवं (ङ) जैसे कि देश में अधिकतर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत में से अतिरिक्त आबंटन हेतु अनुरोध करते हैं। सीजीएस की अनाबंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने के कारण, यह अन्य स्रोतों से उपलब्ध विद्युत का केवल संपूरण ही कर सकती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई संचयी मांग उपलब्ध अनाबंटित विद्युत से निरपवाद रूप से ज्यादा होती है। तथापि, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की संपूर्ण अनाबंटित विद्युत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रहती है, अत: अनाबंटित विद्युत का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग की मात्रा के अनुसार आबंटन कर पाना अधिकतर मौकों पर संभव नहीं होता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आबंटन/उपयोग

***98. श्री संजय धोत्रे:**
श्री वरुण गांधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि में कथित भ्रष्टाचार/अनियमितताओं/दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को कार्यक्रम-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा प्रत्येक द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन और नियमित मूल्यांकन के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या आबंटित धनराशि को व्यय करने में ढील बरतने के कारण धनराशि का आबंटन कम कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यय क्षमता तथा एजटीय आबंटन के बीच अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के अंतर्गत राज्य स्तर पर सीधे प्राप्त शिकायतों पर राज्य एड्स नियंत्रण समितियों (एएससीएस) द्वारा कार्रवाई की जाती है। विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार निधियों के आबंटन और उपयोग को दर्शाने वाला विवरण-I में दिया गया हैं जब कभी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया जाता है। अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार गुमनाम/छद्मनाम होने के कारण अनेक शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 (30-6-2011 तक) के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन, रिलीज और उपयोग को दर्शाने वाला संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

सरकार देश में बहु निगरानी तंत्रों के माध्यम से इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है जिनमें मासिक तथा तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण, सामान्य समीक्षा मिशन/संयुक्त समीक्षा मिशन, आवधिक टीम द्वारा दौरे/समीक्षाएं, लेखा परीक्षा रिपोर्टें, कार्यशालाओं का प्रचार-प्रसार आदि शामिल हैं। मंत्रालय वित्तीय निगरानी रिपोर्टों के जरिए निधियों के उपयोग की निगरानी करता है तथा राज्यों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा और वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करने पर बल देता है।

राज्य प्रश्नाधीन अवधि के दौरान अधिकांश निधियों का उपयोग करने में सफल हुए हैं। आरंभिक वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की गति धीमी रही थी किन्तु उसके बाद इसमें सुधार हुआ। खर्च न की गई निधियों की अधिशेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाता है और अनुमोदित गतिविधियों को कार्यान्वित करने में इनका उपयोग किया जाता है। चूंकि राज्यों में अवशोषी क्षमताओं का सुधार हुआ है, इसलिए निधिओं के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यय करने की क्षमता एवं बजटीय आबंटन के बीच अंतर को दूर करने के लिए, व्यय न की गई अधिशेष राशि आदि की निकासी की ठोस निगरानी करने के लिए तंत्र बनाया गया है।

विवरण-I

नाको के बारे में 2007-08 से 2010-11 तक जारी की गई, आबंटित की गई एवं उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपए में)

राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद एमसीएसीएस	319.35	427.72	288.90	367.33	385.02	563.55
अंडमान और निकोबार एसएसीएस	97.94	186.14	118.03	158.69	113.78	184.60
आंध्र प्रदेश एसएसीएस	5516.17	5472.02	7058.19	8243.18	6307.74	9049.52
अरुणाचल प्रदेश एसएसीएस	712.02	706.83999	685.21	816.31	862.92	929.28
असम एसएसीएस	1409.32	1912.37	1447.57	1794.83	1562.44	1935.51
बिहार एसएसीएस	1019.93	2179.49	1126.25	2174.73	1891.99	2492.33
चंडीगढ़ एसएसीएस	306.81	386.02	280.94	205.35	596.65	626.34
छत्तीसगढ़ एसएसीएस	425.78	1106.37	788.51	1195.93	1127.37	1708.15
चेन्नई एसएसीएस	337.53	652.49	169.51	594.67	218.12	183.91
दादर और नगर हवेली	88.56	119.25	103.34	136.00	110.00	149.11
दमन और दीव एसएसीएस	121.43	111.54	100.35	167.24	114.45	231.19
दिल्ली एसएसीएस	1788.07	2524.8	1911.57	2669.70	2832.58	3535.44
गोवा एसएसीएस	401.85	624.72	535.81	650.23	517.51	777.46
गुजरात एसएसीएस	3172.17	3559.86	3722.54	4593.00	4162.33	4994.99
हरियाणा एसएसीएस	634.08	1099.08	912.30	1745.94	1370.36	1742.80
हिमाचल प्रदेश एसएसीएस	615.40	869.35	881.66	1125.27	1036.95	1136.99
जम्मू और कश्मीर एसएसीएस	277.73	655.371	257.09	677.60	243.76	680.96
झारखंड एसएसीएस	1228.83	1119.73	466.58	2000.30	1040.50	1754.17
कर्नाटक एसएसीएस	2641.20	6458.035	2069.46	3056.51	4492.40	6040.84
केरल एसएसीएस	2153.47	2341.68	2169.92	2500.02	2954.92	3183.55
लक्षद्वीप एसएसीएस	26.25	34.86	29.01	35.89	18.42	39.63

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश एसएसीएस	1257.22	2458.36	2040.36	3341.73	1928.85	3679.63
महाराष्ट्र एसएसीएस	4319.95	5756.8359	4484.84	3452.12	6020.92	7976.57
मणिपुर एसएसीएस	2558.15	2740.071	1579.34	2281.98	1927.88	2491.69
मेघालय एसएसीएस	186.79	475.91	269.95	459.53	409.84	494.69
मिजोरम एसएसीएस	1454.45	1353.27	1224.75	1331.25	1497.00	1719.02
मुंबई एमसीएसीएस	1579.11	1810.062	1696.63	2163.16	1837.31	2328.38
नागालैंड एसएसीएस	1664.07	1895.1251	1729.50	1938.71	1782.02	2134.13
उड़ीसा एसएसीएस	1536.00	2188.282	1473.61	2353.38	2445.71	2867.59
पुडुचेरी एसएसीएस	216.43	358.84	243.58	345.82	299.09	386.98
पंजाब एसएसीएस	724.98	1341.85	1070.96	1815.12	1825.91	2163.50
राजस्थान एसएसीएस	914.44	2087.1872	1869.59	2618.60	2637.94	3298.70
सिक्किम एसएसीएस	320.74	347.34	363.66	415.62	500.45	523.65
तमिलनाडु एसएसीएस	8490.54	4550.3955	3262.32	7193.00	7960.39	8006.02
त्रिपुरा एसएसीएस	554.98	569.47999	621.46	724.52	640.50	746.41
उत्तर प्रदेश एसएसीएस	3168.41	3791.85	2516.97	3458.40	3461.86	4067.19
उत्तराखंड एसएसीएस	663.02	762.61	840.22	1048.55	1038.48	1215.40
पश्चिम बंगाल	4437.88	3630.5352	3327.78	4427.18	3616.79	4760.34
कुल	57341.05	68665.74	53738.28	74277.40	71791.16	90800.21

विवरण-II

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत 2008-09 से 2011-12 (जून, 2011 तक) की अवधि के लिए निधियों के आबंटन, रिलीज तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	कार्यक्रम	2009-09			2009-10			2010-11			2011-12	
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज (30.6.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आरसीएच-II	2973.03	2955.83	2928.80	3292.00	3327.91	3124.62	3647.00	3443.80	3777.58	4009.75	1434.54
2	एनआरएचएम के अंतर्गत अतिरिक्त राशियां	2597.44	2597.44	3256.08	3561.71	3365.65	4777.37	4180.74	4153.60	5867.85	4913.40	1447.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	नेमी प्रतिरक्षण	150.01	114.58	148.36	250.00	150.03	176.74	200.00	178.20	189.89	200.00	0.00
4	पीपीआई	618.02	618.02	461.55	600.94	593.46	462.62	485.57	369.88	395.43	299.34	0.00
5	अवस्थापना अनुरक्षण	2836.47	2527.16	2965.29	2859.79	3139.28	3845.72	3365.48	3764.54	4850.18	3599.37	893.33
6.	**राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम**											
क	समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	25.99	7.01	17.78	25.00	23.05	25.68	29.00	32.24	31.55	50.00	7.50
ख	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण	8.10	5.40	3.53	7.91	2.11	3.75	7.91	4.83	3.97	9.10	3.15
ग	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम*	47.17	35.53	29.46	43.01	30.95	34.97	41.10	31.70	33.64	42.25	4.94
घ	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम*	233.97	230.08	223.21	239.30	235.55	188.20	248.70	184.07	220.79	277.50	110.22
ङ	राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम*	440.04	272.90	272.33	403.40	311.16	300.30	382.76	380.51	338.28	482.01	54.98
च	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कायक्रम*	262.00	261.15	258.71	298.25	291.03	286.04	335.00	327.70	335.31	381.00	138.00
	कुल	10192.23	9625.09	10565.10	11581.31	11470.18	13226.01	12923.26	12871.07	16044.47	14263.72	4094.13

टिप्पणियां:

1. *अनेक प्रकार के अनुदानों को सूचित करता है।
2. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए व्यय के आंकड़े अनंतिम है। भारत सरकार के आबंटन में व्यय के आंकड़ों में राज्य अंशदान तथा पूर्व के वर्षों से संबंधित व्यय न की गई अधिशेष राशि शामिल है।
3. रिलीज के आंकड़ों में "अन्य" अर्थात मुख्यालय का व्यय शामिल नहीं है।
4. विवरण के आंकड़ों की आपूर्ति, आईईसी, आरसीएच औषधें तथा उपकरण शामिल नहीं है।

एन आर एच एम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 (जून, 2011 तक) तक के दौरान निधियों के आबंटन, रिलीज तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12	
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.71	12.56	12.76	16.82	8.23	20.11	20.28	15.84	18.65	22.64	3.09
2	आंध्र प्रदेश	663.37	638.73	700.13	717.30	708.32	774.92	816.11	810.23	673.31	931.81	242.02
3	अरुणाचल प्रदेश	43.95	36.51	57.69	51.14	57.32	66.16	66.67	73.76	80.79	56.02	20.78
4	असम	638.94	606.89	698.32	906.72	813.93	763.71	894.01	736.45	945.55	851.35	304.63
5	बिहार	777.70	821.18	783.19	860.29	649.71	826.20	977.40	1035.18	1434.84	1122.10	226.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	चंडीगढ़	8.04	5.31	6.47	9.86	7.59	8.25	11.20	6.91	9.81	11.72	0.61
7	छत्तीसगढ़	259.35	249.72	162.12	292.01	261.65	240.41	345.76	327.24	306.89	392.54	111.17
8	दादरा और नगर हवेली	3.45	3.28	3.86	4.27	3.27	4.62	4.77	6.30	5.77	5.92	0.99
9	दमन और दीव	3.07	2.60	2.41	3.51	2.33	3.46	3.92	3.06	3.97	4.98	0.50
10	दिल्ली	100.37	99.62	55.68	121.25	83.03	75.82	136.74	108.48	89.77	145.27	8.10
11	गोवा	13.52	14.09	8.89	12.90	12.43	18.59	16.68	17.21	19.07	20.47	5.84
12	गुजरात	414.07	342.81	495.43	464.90	500.55	634.27	528.69	556.79	757.88	600.61	164.86
13	हरियाणा	166.20	165.02	187.73	179.72	206.17	336.78	203.94	219.69	263.82	233.52	62.27
14	हिमाचल प्रदेश	77.74	64.21	94.84	97.07	115.41	167.81	110.68	113.22	164.79	123.89	31.21
15	जम्मू और कश्मीर	102.24	76.48	111.94	134.94	130.34	155.59	153.87	173.80	209.97	175.54	47.69
16	झारखंड	294.00	247.27	299.30	349.39	179.34	195.45	398.78	356.90	348.50	458.88	106.56
17	कर्नाटक	461.83	437.84	428.94	505.17	436.86	680.64	551.80	586.38	752.43	612.69	246.31
18	केरल	253.61	222.88	331.20	284.34	237.62	385.19	308.59	253.41	420.48	345.37	160.90
19	लक्षद्वीप	2.13	1.22	2.18	2.09	1.09	2.86	2.28	2.54	2.57	3.99	0.39
20	मध्य प्रदेश	609.02	707.88	686.97	705.88	604.79	741.28	766.66	784.40	956.56	870.83	203.00
21	महाराष्ट्र	779.15	587.43	873.15	860.39	959.72	1044.71	981.28	903.36	1229.62	1078.51	289.28
22	मणिपुर	66.34	56.58	62.06	90.09	81.45	64.11	98.67	67.98	73.76	88.49	6.94
23	मेघालय	65.48	44.76	51.27	85.75	79.78	75.13	88.95	52.50	86.35	94.25	3.59
24	मिजोरम	40.24	37.44	54.26	50.72	49.87	58.66	62.15	70.49	54.04	63.46	18.79
25	नागालैंड	57.96	56.23	57.65	78.30	73.87	64.26	82.47	66.40	81.84	83.31	46.86
26	उड़ीसा	392.88	388.05	334.05	457.57	470.18	646.74	494.09	549.44	661.58	568.53	210.09
27	पुडुचेरी	11.31	5.12	7.29	11.32	12.04	13.34	13.94	16.32	17.36	15.17	4.68
28	पंजाब	185.89	183.03	190.08	209.58	359.53	241.41	246.77	252.81	335.95	276.56	69.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	राजस्थान	596.53	798.15	909.16	633.19	748.96	1001.74	743.41	863.97	1164.51	824.17	327.34
30	सिक्किम	21.44	19.88	50.62	26.73	25.80	35.73	35.54	32.94	33.37	34.01	4.25
31	तमिलनाडु	515.70	501.60	534.42	568.68	639.10	691.93	659.92	702.09	931.11	765.42	286.623
32	त्रिपुरा	88.32	77.58	68.73	125.20	111.98	81.10	116.91	85.47	106.12	117.46	6.27
33	उत्तर प्रदेश	1727.59	1474.91	1546.06	1867.65	1965.82	2230.74	2079.73	2191.36	2677.69	2224.00	554.39
34	उत्तराखंड	100.16	98.44	132.48	117.75	130.85	144.00	129.18	147.39	203.21	169.95	62.98
35	पश्चिम बंगाल	639.93	539.79	563.75	678.81	741.25	730.24	771.41	680.79	922.54	870.31	254.97
	सकल योग	10192.23	9625.09	10565.10	11581.30	11470.18	13225.99	12923.25	12871.11	16044.48	14263.72	4094.13

1. वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के व्यय आंकड़े अनंतिम हैं।
2. रिलीज आंकड़ों में "अन्य" अर्थात् मुख्यालय का व्यय शामिल नहीं है।
3. विवरण के आंकड़ों में वस्तुओं की आपूर्ति, आरसीएच औषधें एवं उपकरण शामिल नहीं है।

171-77

दूरस्थ गांवों का विद्युतीकरण

***99. श्री आर.के. सिंह पटेल:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों को आबंटित तथा उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र बनाया है; और

(घ) देश में ऐसे सभी दूरस्थ गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) मंत्रालय के दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव भेजने के बाद परियोजनाओं को मामला-दर-मामला आधार पर स्वीकृत किया जाता है। तथापि, 11वीं योजना के लिए आरवीई कार्यक्रम के अंतर्गत एमएनआरई का समग्र लक्ष्य 10,000 गांवों/बस्तियों का है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल किए जाने जाने वाले गांवों और बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों तथा अनुमोदित परियोजनाओं में उपयोग करने हेतु जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित की जाती है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद सरकार/स्वायत्त संगठन द्वारा तृतीय पक्ष निगरानी अनिवार्य है। संस्थापना के बाद भी प्रणालियों की कार्यात्मकता सुनिश्चित करना और इसकी देखरेख करने हेतु आवधिक रूप से निगरानी करना कार्यान्वयन एजेंसियों का दायित्व है।

(घ) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम की अवधि मार्च, 2012 तक अनुमोदित की गई है। इसलिए भी सभी पात्र दूरस्थ गांवों को शामिल करना राज्य सरकारों द्वारा उनका चयन करने और कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु प्रस्ताव भेजने पर निर्भर करता है।

विवरण-I

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों और बस्तियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.06.2011 के अनुसार)	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश		13						13		
2.	अरुणाचल प्रदेश		89		1				51		
3.	असम	1485	169		77	171	581		525		297
4.	छत्तीसगढ़	36	74	184		94			169		
5.	गोवा							19			
6.	गुजरात		36								
7.	हिमाचल प्रदेश								20		
8.	हरियाणा		149	92					92		
9.	जम्मू एवं कश्मीर	27	13	68		177	30	48			
10.	झारखंड		153	8	9	36		78			
11.	कर्नाटक	46	16	13	14						
12.	केरल	49							49		
13.	मध्य प्रदेश	75	42		89	126	27	203	87		106
14.	महाराष्ट्र		55	82	91		82				
15.	मणिपुर	14	40	35	17						
16.	मेघालय		2			66	70				
17.	मिजोरम										
18.	नागालैंड		3					8			8
19.	उड़ीसा		42	91	14	371	150	770	331		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	राजस्थान		90				73	90			
21.	सिक्किम										
22.	तमिलनाडु	32									
23.	त्रिपुरा	205	165			251			90		284
24.	उत्तराखंड	23	76	50		12		84			
25.	उत्तर प्रदेश		65		14	105		152	105		
26.	पश्चिम बंगाल					22		2	5		
	कुल	1992	1279	636	326	1431	1013	1454	1537		742

विवरण-II

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (30.06.2011)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	17.94	6.13	0	
2.	अरुणाचल प्रदेश	197.52	278.57		0	
3.	असम	7001.88	2025.79	1185.43	444.86	217.07
4.	बिहार	0			0	
5.	छत्तीसगढ़	290.50	820.01	510.83	0	
6.	दिल्ली	0			14.96	
7.	गोवा	0			9.74	
8.	गुजरात	0			0	
9.	हरियाणा	0	55.69	12.86	0	
10.	हिमाचल प्रदेश	0			0	
11.	जम्मू और कश्मीर	583.22	1107.89	366.83	2923.74	

1	2	3	4	5	6	7
12.	झारखंड	1416.29	1036.62	576.38	1.70	342.00
13.	कर्नाटक	106.03	10.13		0.42	
14.	केरल	8.08	330.96		0	
15.	मध्य प्रदेश	440.69	515.05	704.84	1085.83	
16.	महाराष्ट्र	1125.60	593.35		337.99	163.26
17.	मणिपुर	111.57	409.02		0	
18.	मेघालय	103.79	8.08	117.86	0	
19.	मिजोरम	0			0	
20.	नागालैंड	7.43			52.89	
21.	उड़ीसा	276.00	313.49	1750.65	185.08	2353.20
22.	राजस्थान	861.00		449.15	817.85	
23.	सिक्किम	0		8.04	0	
24.	तमिलनाडु	0		66.76	0	
25.	त्रिपुरा	547.31	1159.61	588.65	0	
26.	उत्तराखंड	203.93	184.11	55.23	8.39	22.01
27.	उत्तर प्रदेश	0.00		545.05	797.78	
28.	पश्चिम बंगाल	0.00		1340.63	1135.76	308.85
29.	अन्य (टेरी)	23.82	15.04		0	
	कुल	13304.76	8881.43	8285.32	7816.99	3406.39

चिकित्सा स्नातक

*100. **श्री समीर भुजबल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से कुल कितने चिकित्सा स्नातक पास हुए हैं तथा प्रत्येक स्नातक पर सरकार द्वारा औसतन कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार के पास नए चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण लोगों की सेवा के लिए प्रेरित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित चिकित्सा संस्थाओं से चिकित्सा स्नातकों/स्नातकोत्तरों के प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद):

(क) विगत तीन वर्षों अर्थात 2008, 2009 एवं 2010 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से कुल 148 एमबीबीएस

छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रत्येक चिकित्सा स्नातक पर होने वाले खर्च के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने डॉक्टरों को ग्रामीण जनसंख्या में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श से निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

(i) उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% आरक्षण जिन्होंने सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में कम-से-कम 3 वर्ष तक सेवा की है;

(ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों की 10% की दर से सुदूर अथवा दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रोत्साहन जो कि प्राप्तांकों का अधिकतम 30% होगा।

(घ) प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉक्टरों/संकाय सहित डॉक्टरों के वेतन एवं भत्तों में अत्यधिक वृद्धि की गई है।

(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं ऐसी ही संस्थाओं के संकाय की अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।

(iii) केन्द्र सरकार की संस्थाओं जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, जिपमेर, पुदुचेरी इत्यादि के संकाय के लिए सुनिश्चित पदोन्नति योजना को संशोधित किया गया है। सहायक प्रोफेसर से सह प्रोफेसर तथा सह प्रोफेसर से अपर प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा को कम करके तीन वर्ष कर दिया गया है तथा अपर प्रोफेसर से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा को कम करके 4 वर्ष कर दिया गया है।

(iv) संकाय को उपलब्ध विभिन्न भत्तों जैसे कि प्रैक्टिसबंदी भत्ता, विद्वता संसाधन भत्ता इत्यादि में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है।

उपर्युक्त उपायों से इन संस्थानों से न केवल संकाय/डॉक्टरों के निष्क्रमण को रोका जा सकेगा बल्कि चिकित्सा स्नातकों/स्नातकोत्तर छात्रों को इन संस्थाओं में ज्वाइन करने के लिए भी आकर्षित किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

180-92

किसानों के वित्तीय सहायता

921. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक, किसानों को दी गई कुल तथा औसत ऋण राशि का बैंक-वार तथा गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का किसानों को प्रदत्त दस हजार रुपए तक की राशि के ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित कृषि ऋण प्रवाह का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 कार्यान्वित की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के अंतर्गत लाभ हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के और सहकारी बैंकों के संबंध में, 186.92 लाख कृषि ऋण खाते एडीब्ल्यूडीआरएस, 2008 के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत सभी एजेंसियों द्वारा राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम संघ शासित प्रदेश	सरकारी क्षेत्र के सहकारी बैंक	गैर-सरकारी क्षेत्र के सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक*	एससीबी सीसीबी#	एलडीबी#	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अन्य एजेंसियां	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	364855	90317	455172					455172
2.	नई दिल्ली	1468576	739093	2207669	97				2207766
3.	हरियाणा	723801	176619	900420	413289	30697	147125		1491531
4.	हिमाचल प्रदेश	104420	11479	115899	28586	3277	11893	11775	171430
5.	जम्मू-कश्मीर	12601	31683	44284	2615	43	3947		50889
6.	पंजाब	1267493	382975	1650468	895634	34373	138221		2718696
7.	राजस्थान	555726	241473	797199	277306	18343	243264	2687	1338799
	उत्तरी क्षेत्र	**4497472**	**1673639**	**6171111**	**1617527**	**86733**	**544450**	**14462**	**8434283**
8.	अरुणाचल प्रदेश	2769	0	2769			197		2966
9.	असम	77245	4413	81658	1673		17467		100798
10.	मणिपुर	3450	0	3450	125		9		3584
11.	मेघालय	7996	78	8074	476		1138		9688
12.	मिजोरम	1304	0	1304	393		2073		3770
13.	नागालैंड	1004	6	1010	224		84		1318
14.	त्रिपुरा	19432	95	19527	290	61	8035		27913
15.	सिक्किम	945	107	1052	318				1370
	पूर्वी क्षेत्र	**114145**	**4699**	**118844**	**3499**	61	**29003**	**0**	**151407**
16.	बिहार	272169	2111	274280	31658		143824		449762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	झारखंड	69127	2476	71603			14220		85823
18.	उड़ीसा	287657	55841	343498	142593		52412	1769	540272
19.	पश्चिमी बंगाल	644189	281065	925254	159293	13672	64463	7	1162689
20.	अंडमान-निकोबार	864	62	926	224		84		1234
	पूर्वी क्षेत्र	**1274006**	**341555**	**1615561**	**333768**	**13672**	**275003**	**1776**	**2239780**
21.	मध्य प्रदेश	744011	167608	911619	251053	7585	172866		1343123
22.	छत्तीसगढ़	81442	23289	104731	59590	1567	28144		194032
23.	उत्तर प्रदेश	1205173	74179	1279352	204949	43893	588367		2116561
24.	उत्तरांचल	90381	31232	121613	41228		12967		175808
	मध्य क्षेत्र	**2121007**	**296308**	**2417315**	**556820**	**53045**	**802344**	**0**	**3829524**
25.	दादरा और नगर हवेली	664	41	705					705
26.	दमन और दीव	460	5	465					465
27.	गुजरात	647331	312122	959453	353590	7090	84762		1404895
28.	गोवा	10920	1446	12366	504			321	13191
29.	महाराष्ट्र	1377159	987707	2364866	405711		35237		2805814
	पश्चिमी क्षेत्र	**2036534**	**1301321**	**3337855**	**759805**	**7090**	**119999**	**321**	**4225070**
30.	आंध्र प्रदेश	2264773	690720	2955493	192416		366198		3514107
31.	कर्नाटक	1138948	333711	1472659	290929	20438	228758	1852	2014636
32.	केरल	1028248	650089	1678337	467542	26990	207598	1803	2382270
33.	लक्षद्वीप	92	0	92					92
34.	पुडुचेरी	24553	11944	36497	1648		277		38422
35.	तमिलनाडु	2020054	994862	3014916	163922	656	102838	2406	3284738
	दक्षिणी क्षेत्र	**6476668**	**2681326**	**9157994**	**1116457**	**48084**	**905669**	**6061**	**11234265**
	कुल	16519832	6298848	22818680	4387876	208685	2676468	22620	30114329
	आई.आई.डी.एफ.		76451	76451					76451
	सकल योग	16519832	6375299	22895131	4387876	208685	2676468	22620	30190780

* आरपीसीडी, आरबीआई

**राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत नाबार्ड रिजनल ऑफिस

वर्ष 2009-10 के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत सभी एजेंसियों द्वारा राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम संघ शासित प्रदेश	सरकारी क्षेत्र के सहकारी बैंक	गैर-सरकारी क्षेत्र के सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक	एससीबी सीसीबी	एलडीबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अन्य एजेंसियां	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	842995	274024	1117019	0	0	0	0	1117019
2.	नई दिल्ली	1135096	988712	2123808	104	0	0	0	2123912
3.	हरियाणा	1183565	129106	1312671	491008	155565	1031	204480	2024755
4.	हिमाचल प्रदेश	122545	20635	143180	37747	4873	20233	14006	220039
5.	जम्मू-कश्मीर	17076	52599	69675	3028	14	0	5056	77773
6.	पंजाब	1556542	222924	1779466	1053214	32706	0	161232	3026618
7.	उत्तर प्रदेश	1579230	78955	1658185	258217	60980	0	692749	2670131
8.	उत्तराखंड	136362	51196	187558	52078	0	0	14324	253960
	उत्तरी क्षेत्र	**6573411**	**1818151**	**8391562**	**1895396**	**114138**	**21264**	**1091847**	**11514207**
9.	अरुणाचल प्रदेश	3544	0	3544	0	0	0	297	3841
10.	असम	93453	2362	98515	2777	0	0	15840	114432
11.	मणिपुर	3632	0	3632	371	0	0	6	4009
12.	मेघालय	4585	64	4649	694	0	1	2214	7558
13.	मिजोरम	2459	47	2506	95	0	0	25	2626
14.	नागालैंड	3651	12	3663	380	0	0	131	4174
15.	त्रिपुरा	18570	166	18736	423	80	0	6703	25942
16.	सिक्किम	855	123	978	226	0	0	0	1204
	पूर्वी क्षेत्र	**130749**	**2774**	**133523**	**4966**	**80**	**1**	**25216**	**163786**
17.	बिहार	319527	4118	323645	35255	0	0	185109	544009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	छत्तीसगढ़	374673	76423	451096	84748	4218	0	36129	576191
19.	झारखंड	98330	4947	103277	0	0	0	14287	117564
20.	उड़ीसा	399766	112949	512715	261666	0	0	66657	841038
21.	पश्चिम बंगाल	735143	274989	1010132	195100	16059	398	102239	1323928
22.	अंडमान-निकोबार	483	0	483	317	0	0	0	800
	पूर्वी क्षेत्र	**1927922**	**473426**	**2401348**	**577086**	**20277**	**398**	**404421**	**3403530**
23.	दादरा और नगर हवेली	168	0	168	0	0	0	0	168
24.	दमन और दीव	310	3	313	0	0	0	0	313
25.	गुजरात	777187	479568	1256755	453044	5799	0	97031	1812629
26.	गोवा	19450	6108	25558	694	0	611	0	26863
27.	मध्य प्रदेश	861503	245259	1106762	388897	2687	0	209359	1707705
28.	महाराष्ट्र	1403058	1120575	2523633	801604	0	0	60318	3385555
29.	राजस्थान	962571	248283	120854	400057	0	1490	329983	1942384
	पश्चिमी क्षेत्र	**4024247**	**2099796**	**6124043**	**2044296**	**8486**	**2101**	**696691**	**8875617**
30.	आंध्र प्रदेश	2755044	828836	3583880	460081		0	531341	4575302
31.	कर्नाटक	1380216	372703	1752919	324851	0	1416	321399	2400585
32.	केरल	1141355	824836	1966191	631604	26588	272	309014	2933669
33.	लक्षद्वीप	94	0	94	0	0	0	0	94
34.	पुडुचेरी	37722	13726	51448	1030	93	0	2948	55519
35.	तमिलनाडु	2763973	1364660	4128633	204776	513	9972	138885	4482779
	दक्षिणी क्षेत्र	**8078404**	**3404761**	**11483165**	**1622342**	**27194**	**11660**	**1303587**	**14447948**
	कुल	20734733	7798908	28533641	6144086	170175	3524	3521762	38405088
	आई.आई.डी.एफ.		46332	46332					46332
	सकल योग	20734733	7845240	28579973	6144086	170175	35424	3521762	38451420

सहकारी बैंक	63496.85
आरआरबी	35217.62
योग	384514.20

वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत सभी एजेंसियों द्वारा राज्य-वार/एजेंसी-वार जीएलसी संवितरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	एससीबी/ सीसीबी#	एलडीबी #	सहकारी बैंक सहकारी बैंक	आरआरबी	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली	63		63	0	63
2.	हरियाणा	506469	40755	547224	255183	802407
3.	हिमाचल प्रदेश	38586	4433	43019	20496	63515
4.	जम्मू-कश्मीर	159	285	444	9199	9643
5.	पंजाब	1106678	34406	1141084	214440	1355524
6.	राजस्थान	56458	20908	585489	435962	1021451
	उत्तरी क्षेत्र	2216536	100787	2317323	935280	3252603
7.	अरुणाचल प्रदेश	42	0	42	217	259
8.	असम	2329	-	2329	22621	24950
9.	मणिपुर	468	0	468	-	468
10.	मेघालय	3281	427	3708	1590	5298
11.	मिजोरम	1758	-	1758	10001	11759
12.	नागालैंड	531	-	531	31	562
13.	त्रिपुरा	623	123	746	13849	14595
14.	सिक्किम	314	-	314		314
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9346	550	9896	48309	58205
15.	बिहार	42189	-	42189	245410	287599
16.	झारखंड	-	-	0	17989	17989
17.	उड़ीसा	296166	-	296166	83520	379686
18.	पश्चिम बंगाल	287341	22521	309862	117832	427694
19.	अंडमान-निकोबार	3492	-	3492	-	3492
	पूर्वी क्षेत्र	629188	22521	651709	464751	1116460

1	2	3	4	5	6	7
20.	मध्य प्रदेश	576545	1177	577722	264161	841883
21.	छत्तीसगढ़	106220	1353	107573	40662	148235
22.	उत्तर प्रदेश	315998	59993	375991	788152	1164143
23.	उत्तराखंड	70931	0	70931	15673	86604
	मध्य क्षेत्र	1069694	62523	1132217	1108648	2240865
24.	गुजरात	450562	2833	453395	109693	563088
25.	गोवा	1200	-	1200	-	1200
26.	महाराष्ट्र	921073	-	921073	83091	1004164
	पश्चिम क्षेत्र	1372835	2833	1375668	192784	1568452
27.	आंध्र प्रदेश	583504	-	583504	633253	1216757
28.	कर्नाटक	405682	12367	418049	436700	854749
29.	केरल	154044	26852	180896	297914	478810
30.	पुडुचेरी	1028	1	1029	7277	8306
31.	तमिलनाडु	340059	179	340238	271855	612093
	दक्षिणी क्षेत्र	1484317	39399	1523716	1646999	3170715
	योग	68781916	228613	7010529	4396771	11407300
	*वाणिज्यिक बैंक					33270598
		6781916	228613	7010529	4396771	44677898

*राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

#नाबार्ड रिजनल ऑफिस

[अनुवाद] 191-04

किसानों को राजसहायता

922. **श्री ए. सम्पत:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में किसानों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/सब्सिडी का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय किसानों को प्रदान की गई सब्सिडी/वित्तीय सहायता अन्य विकासशील देशों के किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के अनुपात में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (घ) भारतीय कृषकों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार

करते हुए, सरकार उन्हें अल्पावधि फसल ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान करती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित सब्सिडी प्राप्त कृषि ऋण की मात्रा निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	संवितरित सब्सिडी प्राप्त ऋणों की राशि		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
2008-09	94,14.87	62,642.72	156,790.59
2009-10	128,164.75	86,748.05	214,932.80
2010-11	74,344.21*	102,335.49	176,679.70

(*अंनतिम, आंकड़े अभी भी संग्रहित किए जा रहे हैं)

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं सरकारी क्षेत्र से संबंधित राज्य-वार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 के लिए उत्पादन ऋण (फसल ऋण) हेतु राज्य-वार/एजेंसी वार बुनियादी स्तरीय ऋण (जीएलसी)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0	0	0
2.	नई दिल्ली	82	0	82
3.	हरियाणा	344177	117049	461226
4.	हिमाचल प्रदेश	17925	6855	24780
5.	जम्मू-कश्मीर	1671	2466	4137
6.	पंजाब	845747	124872	970619
7.	राजस्थान	272550	212302	484852
	उत्तरी क्षेत्र	**1482152**	**463544**	**1945696**
8.	अरुणाचल प्रदेश	0	133	133

1	2	3	4	5
9.	असम	353	12382	12735
10.	मणिपुर	0	7	7
11.	मेघालय	303	877	1180
12.	मिजोरम	75	415	490
13.	नागालैंड	157	68	225
14.	त्रिपुरा	52	2789	2841
15.	सिक्किम	207	0	207
	पूर्वी क्षेत्र	**1147**	**16671**	**17818**
16.	बिहार	31658	137566	169224
17.	झारखंड	0	14220	14220
18.	उड़ीसा	134685	39883	174568
19.	पश्चिमी बंगाल	83120	43095	126215
20.	अंडमान-निकोबार	157	68	225
	पूर्वी क्षेत्र	**249620**	**234832**	**484452**
21.	मध्य प्रदेश	251053	148644	399697
22.	छत्तीसगढ़	56133	20791	76924
23.	उत्तर प्रदेश	204002	509540	713542
24.	उत्तरांचल	33326	9655	42981
	मध्य क्षेत्र	**544514**	**688630**	**1233144**
25.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
26.	दमन और दीव	0	0	0
27.	गुजरात	324693	73243	397936
28.	गोवा	125	0	125
29.	महाराष्ट्र	368267	28612	396879
	पश्चिमी क्षेत्र	**693085**	**101855**	**794940**

1	2	3	4	5
30.	आंध्र प्रदेश	184677	366377	451054
31.	कर्नाटक	268937	178606	447543
32.	केरल	441751	205237	646988
33.	लक्षद्वीप	0	0	0
34.	पुडुचेरी	1594	277	1871
35.	तमिलनाडु	15526	85240	240766
	दक्षिणी क्षेत्र	**1052485**	**735737**	**1788222**
	कुल	402300	2241269	6264272

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के लिए उत्पादन ऋण (फसल ऋण) हेतु राज्य-वार/एजेंसी वार बुनियादी स्तरीय ऋण (जीएलसी)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0	0	0
2.	नई दिल्ली	88	0	88
3.	हरियाणा	457287	181183	638470
4.	हिमाचल प्रदेश	24736	7158	31894
5.	जम्मू और कश्मीर	1761	2919	4680
6.	पंजाब	1023252	144244	1167496
7.	राजस्थान	364839	301382	666221
	उत्तरी क्षेत्र	**1871963**	**636886**	**2508849**
8.	अरुणाचल प्रदेश	0	163	163
9.	असम	327	7197	7524
10.	मणिपुर	0	0	0
11.	मेघालय	326	1482	1808
12.	मिजोरम	0	2	2

1	2	3	4	5
13.	नागालैंड	327	115	442
14.	त्रिपुरा	58	3152	3210
15.	सिक्किम	149	0	149
	पूर्वी क्षेत्र	**1187**	**12111**	**13298**
16.	बिहार	35250	166868	202118
17.	झारखंड	0	7893	7893
18.	उड़ीसा	251208	50728	301936
19.	पश्चिम बंगाल	119918	51248	171166
20.	अंडमान और निकोबार	271	0	271
	पूर्वी क्षेत्र	**406647**	**276737**	**683384**
21.	मध्य प्रदेश	387062	194367	581429
22.	छत्तीसगढ़	78927	22673	101600
23.	उत्तर प्रदेश	257098	601641	858739
24.	उत्तरांचल	41599	10486	52085
	मध्य क्षेत्र	**764686**	**829167**	**1593853**
25.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
26.	दमन और दीव	0	0	0
27.	गुजरात	396002	86943	482945
28.	गोवा	52	0	52
29.	महाराष्ट्र	731600	52409	784009
	पश्चिमी क्षेत्र	**1127654**	**139352**	**1267006**
30.	आंध्र प्रदेश	434651	413403	848054
31.	कर्नाटक	289624	247879	537503
32.	केरल	598083	302243	900326
33.	लक्षद्वीप	0	0	0
34.	पुडुचेरी	986	2724	3710
35.	तमिलनाडु	199088	119734	318822
	दक्षिणी क्षेत्र	**1522432**	**1085983**	**2608415**
	कुल	5694569	2980236	8674805

विवरण-III

वर्ष 2010-11 के लिए उत्पादन ऋण (फसल ऋण) हेतु राज्य-वार/एजेंसी वार बुनियादी स्तरीय ऋण (जीएलसी)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़			0
2.	नई दिल्ली	58.37		58.37
3.	हरियाणा	500216	228323	728539
4.	हिमाचल प्रदेश	24903.35	14615.17	39518.52
5.	जम्मू और कश्मीर	62.82	7231	7293.82
6.	पंजाब	1091785.53	200900.26	1292685.79
7.	राजस्थान	556046.14	406823.54	962869.68
	उत्तरी क्षेत्र	**2173072.21**	**857892.97**	**3030965.18**
8.	अरुणाचल प्रदेश	6	103.41	109.41
9.	असम	46.18	8857.12	8903.3
10.	मणिपुर	4.93	0	4.93
11.	मेघालय	1116.97	1304	2420.97
12.	मिजोरम	80.03	4063.56	4143.59
13.	नागालैंड	408.61	30.5	439.11
14.	त्रिपुरा	215.98	11715.36	11931.34
15.	सिक्किम	214.33	0	214.33
	पूर्वी क्षेत्र	**2093.03**	**26073.95**	**28166.98**
16.	बिहार	42189.21	173721.53	215910.74
17.	झारखंड	0	14077.18	14077.18
18.	उड़ीसा	284698.98	46666.79	331365.77
19.	पश्चिम बंगाल	208664	89659	298323
20.	अंडमान और निकोबार	24.73	0	74.73
	पूर्वी क्षेत्र	**535626.92**	**324124.5**	**859751.42**

1	2	3	4	5
21.	मध्य प्रदेश	574682.48	250280.99	824963.48
22.	छत्तीसगढ़	103319.99	34736.73	138056.72
23.	उत्तर प्रदेश	315361.7	687137.11	1002498.81
24.	उत्तरांचल	60989.25	10526.48	71515.73
	मध्य क्षेत्र	**1054353.42**	**982681.31**	**2037034.73**
25.	दादरा और नगर हवेली			0
26.	दमन और दीव			0
27.	गुजरात	423417.52	97302.27	520719.79
28.	गोवा	532.69	0	532.69
29.	महाराष्ट्र	829208.95	6257.6	891756.55
	पश्चिमी क्षेत्र	**1253159.16**	**159849.87**	**1413009.03**
30.	आंध्र प्रदेश	563112.45	500651.93	1063764.38
31.	कर्नाटक	384615.45	385316.05	769931.5
32.	केरल	165202.88	293667	458869.88
33.	लक्षद्वीप			0
34.	पुडुचेरी	1020.11	6268.62	7288.73
35.	तमिलनाडु	320468.78	244298.01	564766.79
	दक्षिणी क्षेत्र	**1434419.67**	**1430201.6**	**2864621.28**
	कुल	6452724.41	3780824.2	10233548.62

2.3.05

कृषि और लघु उद्योग में निजी निवेश

923. श्री पी.के. बिजू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में घरेलू स्तर पर सभी प्रकार का गैर-कार्पोरेट निवेश तथा उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में गैर-कार्पोरट लघु इकाइयों का निवेश वर्ष 2002 के बाद से घट गया है और सकल घरेलू उत्पाद की विलोम स्थिति में पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं और इसमें सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान निजी कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान निजी कार्पोरेट क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई रियायतों, तथा कर संबंधी छूटो, अप्रत्यक्ष राज-सहायता तथा नीची ब्याज दरों, इत्यादि का वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) घरेलू क्षेत्र से संबंधित निवेश का ब्यौरा समग्र रूप से उपलब्ध है। घरेलू क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश में होने वाले वर्षानुवर्ष परिवर्तन में उतार-चढ़ाव आता रहा है तथा पिछले वर्षों में इसमें निरंतर गिरावट नहीं देखी जा रही है। चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में घरेलू क्षेत्र के निवेश की दर 2004-05 से 2009-10 के दौरान 10.8 प्रतिशत से 13.4 प्रतिशत की बीच घटती-बढ़ती रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले पांच वर्षों में निजी कार्पोरेट क्षेत्र के निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	निजी कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजी निर्माण (करोड़ रुपए में) (2004-05 के मूल्य पर)
2005-06	485543
2006-07	578371
2007-08	768397
2008-09	546074
2009-10	705203

(घ) निजी कार्पोरेट क्षेत्र से संबंधित कोई पृथक ब्यौरा नहीं रखा जाता क्योंकि कार्पोरेट और गैर कार्पोरेट क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं किया गया है। ऐसा इस वजह से है कि रियायतें विशिष्ट वस्तुओं अथवा सेवाओं पर लागू होती हैं।

2105 205-07

बाल विकास

924. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ संगठनों का सुझाव है कि अनुसंधान कर्मचारिवृंद तथा नियोजन जैसे क्षेत्रों में समय पर निवेश करने से देश में बाल-मृत्यु तथा रोगों को काफी हद तक रोका जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) उत्तर प्रदेश राज्य के 8 जिलों में चाइल्ड राइटस एंड यू (सी आर आई) नामक एक संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन जिसमें यह पाया गया था कि 545 में से 88 बच्चे बुरी तरह से कुपोषित पाया गया था, का हवाला देते हुए कुछ समाचार पत्रों में यह सुझाव आया था कि अनुसंधान, कर्मचारीवृंद तथा नियोजन के संदर्भ में समय पर निवेश करने तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से कुपोषण के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है।

(ख) भारत सरकार ने, बच्चों की पौषणिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों को दूर करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. भारत सरकार ने विभिन्न विभागों के जरिए वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई है तथा पोषण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (1995) कार्यान्वित की जा रही है। भारत की पोषण चुनौतियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद भी स्थापित की गई है।

2. बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाए (आईसीडीएस) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या को 14 लाख तक बढ़ाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक जनसंख्या की कवरेज पर विशेष ध्यान देते हुए उसे व्यापक बनाया गया है।

3. पोषण स्थिति में सुधार के लिए लक्षित अन्य योजनाएं नीचे दी गई हैं:

   (क) **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:** माताओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को नवजात शिशु तथा छोटे बच्चों की आहार आदतों के साथ जोड़ दिया गया है जैसे पहले छह महीनों में कवेल स्तनपान करना।

   (ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम **(मध्याह्न भोजन कार्यक्रम)**

   (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए रियायती कीमत पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता

4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत **प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) सामुदायिक स्तर पर गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी परिचर्या प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता तथा कवरेज में सुधार के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)

(ख) नवजात शिशु तथा छोटे बच्चों की उपयुक्त आहार संबंधी आदतों पर जोर देना।

(ग) प्रतिरक्षण

(घ) नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रूग्णता तथा कुपोषण का एकीकृत प्रबंधन।

(ङ) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर स्थापित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) के जरिए अति गंभीर कुपोषण का उपचार।

(च) विटामिन ए व आयरन तथा फोलिक एसिड की सूक्ष्मपोषक कमियों को रोकने तथा उनसे लड़ने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विटामिन ए सम्पूरण तथा गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए आयरन तथा फोलिक एसिड सम्पूरण। कार्यक्रम में 6 से 60 महीनों के बच्चों के लिए आयरन तथा फोलिक एसिड सिरप को जोड़ा गया है।

5. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी)

[हिन्दी] 207-08

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम् 2000

925. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को लागू करने में असंवेदनशीलता बरते जाने के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्ग निदेश जारी किए गए हैं अथवा जारी किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बचपन बचाओं आंदोलन बनाम भारत सरकार और अन्य तथा संपूर्ण बहुरा बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे किशोर न्याय बोर्डों, बाल कल्याण समितियों और विशेष किशोर पुलिस एककों की स्थापना करें तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्य उपबंधों को भी लागू करें। इसके अतिरिक्त बचपन बचाओं आंदोलन बनाम भारत सरकार मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन का मानीटरन करने के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को नोडल एजेंसी नामित किया है। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियमित रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ इस विषय का अनुवर्तन कर रहे हैं।

किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस अधिनियम के अंतर्गत माडल नियमावली तैयार करके अधिसूचित भी कर दी है, जिसमें विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण (आईसीपीएस) स्कीम वर्ष 2009-10 मे शुरू कर दी है। अन्य बातों के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करने वाले तथा देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्डों, बाल कल्याण समितियों और विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना एवं संचालन के लिए इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

208-14

धार्मिक स्थल

926. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश स्थित विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो सहित देश के अन्यान्य धार्मिक स्थलों पर राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ; और

(ख) स्थानीय होटलों में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की कितनी घटनाएं मंत्रालय की जानकारी में आई?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में विभिन्न स्थानों की पर्यटक यात्राओं के आंकड़ों का संकलन नहीं करता है। तथापि, वर्ष 2008-2009 और 2010 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों की यात्राओं सहित घरेलू और विदेशी पर्यटक यात्राओं की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2011 के संबंध में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2008, 2009 और 2010 में खजुराहों की यात्रा करने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	घरेलू पर्यटक	विदेशी पर्यटक
2008	2,01,443	89,174
2009	2,28,503	68,839
2010	2,34,950	90,721

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक ऑर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, पर्यटकों के साथ अपराध सहित अपराध के रोकथाम की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के साथ होने वाले अपराध सहित अपराध के आंकड़ों का संकलन नहीं करता है। तथापि, विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करते हुए पर्यटक सुरक्षा संगठन के गठन के लिए, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुनर्वास महानिदेशालय के परामर्श से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ "सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन" के लिए आचार संहिता को अपनाया है, जो पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट है और जिसे गरिमा, सुरक्षा और पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों दोनों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से मुक्ति जैसे मूल अधिकारों के सममन के लिए अपनाया जाना है।

विवरण

वर्ष 2008 से 2010 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी पर्यटक यात्राएं

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2008		2009		2010	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.24	0.13	1.42	0.14	1.81	0.15
2	आंध्र प्रदेश	1326.85	7.89	1574.90	7.95	1557.90	3.23
3	अरुणाचल प्रदेश	1.49	0.03	1.95	0.04	2.28	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8
4	असम	36.17	0.14	38.51	0.15	40.51	0.15
5	बिहार	118.90	3.46	157.85	4.23	184.92	6.36
6	चंडीगढ़	9.09	0.35	9.15	0.38	9.05	0.39
7	छत्तीसगढ़*	4.43	0.01	5.12	0.01	5.66	0.02
8	दादरा एवं नगर हवेली	5.05	0.06	5.07	0.07	4.96	0.02
9	दमन एवं दीव	4.65	0.05	5.63	0.06	7.74	0.05
10	दिल्ली**	21.33	23.39	88.34	19.58	135.58	18.94
11	गोवा	20.20	3.51	21.27	3.77	22.02	4.41
12	गुजरात	155.05	1.11	159.10	1.03	188.61	1.31
13	हरियाणा	59.73	0.87	64.08	1.37	69.15	1.06
14	हिमाचल प्रदेश	93.73	3.77	110.37	4.01	128.74	4.54
15	जम्मू एवं कश्मीर	76.39	0.55	92.35	0.54	99.73	0.48
16	झारखंड**	60.30	0.06	76.10	0.14	68.85	0.16
17	कर्नाटक**	127.98	3.15	327.02	3.27	382.02	3.81
18	केरल	75.91	5.99	77.89	5.49	85.95	6.59
19	लक्षद्वीप	0.02	0.02	0.07	0.04	0.08	0.02
20	मध्य प्रदेश	220.89	2.52	231.06	2.01	380.80	2.50
21	महाराष्ट्र**	205.53	20.57	306.28	24.26	484.65	50.83
22	मणिपुर	1.12	0.00	1.24	0.00	1.14	0.00
23	मेघालय	5.50	0.05	5.91	0.05	6.53	0.04
24	मिजोरम	0.56	0.01	0.57	0.01	0.57	0.01
25	नागालैंड	0.21	0.01	0.21	0.01	0.21	0.01
26	उड़ीसा	63.58	0.44	68.92	0.46	75.92	0.50
27	पुडुचेरी	8.28	0.60	8.51	0.54	8.36	0.51
28	पंजाब**	5.09	1.58	53.70	1.10	105.84	1.37
29	राजस्थान	283.59	14.78	255.59	10.73	255.44	12.79

1	2	3	4	5	6	7	8
30	सिक्किम	5.12	0.21	6.16	0.18	7.00	0.21
31	तमिलनाडु	982.85	20.29	1157.56	23.69	1116.37	28.05
32	त्रिपुरा	2.45	0.04	3.18	0.04	3.42	0.05
33	उत्तर प्रदेश	1248.43	15.85	1348.32	15.50	1447.55	16.75
34	उत्तराखंड	205.46	1.00	219.35	1.06	302.06	1.27
35	पश्चिम बंगाल	193.14	11.34	205.29	11.80	210.72	11.92
	कुल	5630.34	143.81	6688.00	143.72	7402.14	178.53

*अखिल भारतीय वृद्धि दर का उपयोग करके अनुमानित की गई है।

**पर्यटन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर आंकड़े अनुमानित किए गए हैं।

[अनुवाद]

उ. गी 2.3-14

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के खातों की घटती संख्या

927. **श्री के. सुगुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यमों को बीस प्रतिशत के ऋण लक्ष्य की जगह पैंतीस प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उनके पास खाताबद्ध ऐसे उद्यमों की संख्या घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रकार के सभी उद्यमों को ऋण प्रदाय में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार पिछले दो वर्षों अर्थात मार्च 2009 एवं 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) खातों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति आई है:

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक खातों की संख्या (लाख में)
मार्च 2009	41.15
मार्च 2010	72.17

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि वर्ष 2010-11 में, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के खातों की संख्या 75.07 लाख है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

21/5 -18

दूध की गुणवत्ता

928. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक नगरों और शहरों में घटिया दर्जे का नकली दूध बिक रहा है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कृत्य के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) दूध की गुणवत्ता/मानकों की जांच के लिए तैनात सरकारी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस सिलसिले में कतिपय निदेश जारी किए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में उक्त मार्गनिदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2007-09 के दौरान दूध के जांचे गए और अपमिश्रित पास गए नमूनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत दूध सहित किसी भी अपमिश्रित और गलत ब्रांड की खाद्य वस्तु का विक्रय एक दंडनीय अपराध है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दूध के मानक निर्धारित किए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 44(1) के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में यथा निर्धारित को छोड़कर दूध में नहीं पाए जाने वाले पदार्थों से युक्त दूध और दुग्ध उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। समय-समय पर उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के लिए दूध तथा दुग्ध सहित खाद्य पदार्थों की मिलावट उत्पादों की कड़ी निगरानी करें और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत इस प्रकार के बेईमान व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।

(ङ) और (च) उच्चतम न्यायालय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में इस प्रकार के कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

वर्ष 2007-09 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दुग्ध उत्पादों के विश्लेषण के संबंध में प्राप्त हुई सूचना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जांच की गई	अपमिश्रित	अपमिश्रण का प्रतिशत	जांच की गई	अपमिश्रित	अपमिश्रण का प्रतिशत	जांच की गई	अपमिश्रित	अपमिश्रण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	121	12	9.92	156	27	17.31	144	25	17.361
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0.00	24	0	0	21	1	4.76
4.	असम	88	23	26.14	56	21	37.5	86	27	31.395
5.	बिहार	0	0	0.00	4	0	0	10	1	10
6.	चंडीगढ़	12	1	8.33	9	1	11.11	33	6	18.182
7.	छत्तीसगढ़	1	1	100.00	1	1	100	17	12	70.588
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00	2	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	1	0	0.00	2	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	181	33	18.23	86	19	22.09	222	38	17.117
11.	गोवा	27	0	0.00	21	0	0	19	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	गुजरात	317	8	2.52	329	14	4.255	621	58	9.3398
13.	हरियाणा	298	89	29.87	321	86	26.79	418	132	31.579
14.	हिमाचल प्रदेश	29	5	17.24	55	13	23.64	85	27	31.765
15.	जम्मू और कश्मीर	57	9	15.79	68	10	14.71	76	18	23.684
16.	झारखंड	0	0	0.00	5	2	40	5	0	0
17.	कर्नाटक	196	66	33.67	118	31	26.27	156	8	5.1282
18.	केरल	233	18	7.73	177	6	3.39	206	7	3.40
19.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	मध्य प्रदेश	280	57	20.36	256	52	20.31	436	103	23.624
21.	महाराष्ट्र	981	306	31.19	1063	167	15.71	1597	369	23.106
22.	मणिपुर	0	0	0.00	30	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23.	मेघालय	0	0	0.00	0	0	0	2	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	6	0	0.00	11	0	0	16	0	0
26.	उड़ीसा	5	0	0.00	0	0	0	5	2	40
27.	पुडुचरी	0	0	0	1	0	0	2	0	0
28.	पंजाब	492	111	22.56	619	211	34.09	588	176	29.932
29.	राजस्थान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	641	148	23.089
30.	सिक्किम	0	0	0	8	0	0	1	0	0
31.	तमिलनाडु	328	149	45.43	467	160	34.26	262	61	23.282
32.	त्रिपुरा	0	0	0.00	0	0	0	8	8	100
33.	उत्तर प्रदेश	1631	690	42.31	1522	633	41.59	2828	1069	37.801
34.	उत्तरांचल	60	19	31.67	22	8	36.36	20	3	15
35.	पश्चिम बंगाल	6	1	16.67	16	6	37.5	14	10	71.429
	कुल	5355	1598	29.84	5449	1468	26.94	8539	2309	27.04

संकेतक 0 = शून्य

सिक्कों का चलन

929. **श्री राकेश सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 25 पैसे तथा अन्य/अन्य मूल्यवर्ग के सिक्कों का चलन बंद कर दिया है अथवा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में उपभोक्ताओं की इस समस्या का विचार किया है कि जिन उत्पादों का मूल्य चुकाने के लिए उक्त प्रकार के सिक्कों की आवश्यकता होती है उन्हें खरीदते समय उनको अधिक भुगतान करनना होगा अथवा ठीक भुगतान के लिए उत्पाद की मात्रा में रद्दोबदल करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, हां। सरकार ने 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को 30.06.2011 से चलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।

(ख) पिछले कुछ समय से इन सिक्कों का धातु मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो गया था, इस प्रकार बेईमान तत्वों द्वारा इन सिक्कों को पिघलाने व बेचने की संभावना बनती थी। इसके अतिरिक्त, इनकी मांग मुश्किल से होती थी। इसलिए सरकार द्वारा 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को चलन में वापस लेने का निर्णय लिया गया था।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी है कि 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्के चलन से वापस लेने के परिणामस्वरूप विभिन्न वस्तुओं, मदों और करों/शुल्कों आदि के मूल्यों में समुचित परिवर्तन कर लें।

[अनुवाद]

न्याय पंचायत विधेयक

930. **श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसी न्याय पंचायत विधेयक को लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त विधेयक से ग्रामीण जनता के हित किस प्रकार संरक्षित हो सकेंगे?

पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) से (घ) सरकार न्याय पंचायत अधिनियम प्रस्तुत किए जाने पर विचार कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार प्रारूप अधिनियम के औपचारिक न्यायिक प्रणाली के बाहर नागरिकों को उनकी दहलीज पर दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों के लिए, एक निष्पक्ष और तीव्र न्याय प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के समूहों में न्याय पांचायतों की स्थापना की परिकल्पना की गई है प्रारूप अधिनियम वर्तमान में अंतर-मंत्रालय परामर्श के चरण में है।

अल्पसंख्यकों को ऋण

931. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी बैंक वर्ष 2010-11 के दौरान अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋण का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे कौन-कौन से बैंक हैं; और

(ग) अल्पसंख्यकों के विकास की दृष्टि से उन्हें पर्याप्त ऋण सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या सुधारकारी कदम उठाए हैं/उठा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 3 वर्षों में अर्थात 2009-10 तक उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का 15% तक अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ाने का निदेश दिया है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण के अंतर्गत समग्र प्राप्ति 31 मार्च, 2009, 2010 और 2011 को क्रमशः 12.42%, 13.14% और 14.16% थे।

आईडीबीआई बैंक लि. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कार्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा

बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और यूको बैंक वर्ष 2010-11 में 15% का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

(ग) यह देखा जा सकता है कि ऋण में अल्पसंख्यक समुदाय के हिस्से में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा नियमित आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। सरकार ने बैंकों से जल्द से जल्द 15% का लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह दी है।

सचल चिकित्सा वाहन

932. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्नाटक सहित देश के जनजाति तथा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सचल चिकित्सा वाहन उपलब्ध कराने तथा दवाइयों सहित स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजाति तथा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों आदि में उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाएंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दूरदराज के गांवों, विशेष रूप से अल्पसेवित और जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य परिचर्या ले जाने के उद्देश्य से सचल चिकित्सा एककों के लिए कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश भर में संचालित किए जा रहे सचल चिकित्सा एककों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अवसंरचना, मानव संसाधनों, उपकरणों, प्रशिक्षण आदि के संबंध में अपनी आवश्यकताओं को वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना में प्रक्षेपित करते हैं जिसे राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विवरण

सचल चिकित्सा एकक (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	सचल चिकित्सा एककों से सज्जित जिलों की संख्या	एनआरएचएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित सचल चिकित्सा एककों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	बिहार	38	38	48
2.	छत्तीसगढ़	18	0	0
3.	हिमाचल प्रदेश	12	1	1
4.	जम्मू और कश्मीर	22	2	0
5.	झारखंड	24	24	103
6.	मध्य प्रदेश	50	21	91
7.	उड़ीसा	30	27	210
8.	राजस्थान	33	21	32

1	2	3	4	5
9.	उत्तर प्रदेश	71	72	133
10.	उत्तराखंड	13	13	30
11.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	16
12.	असम	27	27	27
13.	मणिपुर	9	9	18
14.	मेघालय	7	7	9
15.	मिजोरम	8	9	9
16.	नागालैंड	11	11	11
17.	सिक्किम	4	4	4
18.	त्रिपुरा	4	4	4
19.	आंध्र प्रदेश	23	17	475
20.	गोवा	2	2	4
21.	गुजरात	26	24	88
22.	हरियाणा	21	6	6
23.	कर्नाटक	30	28	28
24.	केरल	14	7	14
25.	महाराष्ट्र	35	2	2
26.	पंजाब	20	24	24
27.	तमिलनाडु	32	30	385
28.	पश्चिम बंगाल	19	7	7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0	0
30.	चंडीगढ़	1	2	2
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	1
32.	दमन और दीव	2	1	1
33.	दिल्ली	9	0	0
34.	लक्षद्वीप	1	0	0
35.	पुडुचेरी	4	4	4
	कुल	640	461	1787

225-28

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सहायता

933. **श्री प्रभातसिंह पी. चौहाण:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईटी) का मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात सहित अन्य राज्यों की सरकारों को आधार संरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे इन राज्यों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित सभी आवासों तक बिजली पहुंचाने में कहां तक मदद मिलेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित देश के सभी राज्यों को विद्युत क्षेत्र के अवसरंचनात्मक विकास के लिए राज्य क्षेत्र विद्युत यूटिलिटी/राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी), केंद्रीय क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र कंपनियों को दीर्घावधिक वित्तीय सहातया प्रदान करती है। आरईसी राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर विधिवत उद्यम तथा मूल्यांकन के पश्चात ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों पर बल देने के साथ विद्युत क्षेत्रों अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) इस प्रकार से तैयार की गई विद्युत अवसंरचना सभी क्षेत्रों में विद्युत प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है जिसमें दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक चिकित्सक

934. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लक्षद्वीप सहित अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक चिकित्सकों की तैनाती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन): (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेद तथा होम्पोपैथी के चिकित्सकों सहित चिकित्सकों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) फ्लैक्सीपूल से नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है, जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्र एनआरएचएम की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में अपनी आवश्यकताओं को प्रक्षेपित करते हैं। तत्पश्चात, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आयुर्वेद और होम्पोपैथी चिकित्सकों सहित चिकित्सकों को संविदात्मक आधार पर लेने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता के महत्व पर विचार करता है।

(ग) और (घ) एनआरएचएम फ्लैक्सीपूल से आयुष चिकित्सकों को लिए जाने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित विवरण और कार्यवाही अभिलेख के अनुसार अनुमोदित वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्नक पर प्रस्तुत है।

विवरण

संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त और अनुमोदित राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12 के लिए संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्रस्तावित आयुष चिकित्सकों की संख्या	आयुष चिकित्सकों के लिए प्रस्तावित राशि	कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के अनुसार आयुष चिकित्सकों हेतु अनुमोदित राशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19	115.02	115.02
2.	चंडीगढ़	12	33.60	28.80

1	2	3	4	5
3.	दमन और दीव	4	9.60	9.12
4.	दादरा और नगर हवेली	5	17.25	13.80
5.	दिल्ली	30	77.50	0.00
6.	लक्षद्वीप	9	141.34	0.00
7.	पुडुचेरी	43	129.00	129.00

फ़ 227-28

आयकर विभाग की विदेश स्थित इकाइयां

935. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार किन-किन स्थानों पर आयकर विभाग की विदेश स्थित इकाइयां हैं;

(ख) क्या विभिन्न देशों में ऐसी और अधिक इकाइयां शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त इकाइयों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) देश की सीमाओं के पार से वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार में वृद्धि होने के मद्देनजर कर अपवंचन के प्रघटन पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) महोदय, इस समय मॉरीशस और सिंगापुर में आयकर विदेशी यूनिटें (आईटीओयू) कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार का आठ और देशों अर्थात् साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, यू.ए.ई., यू.के. और यू.एस.ए. में आयकर विदेशी यूनिटें (आईआईओयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और युनिटों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्थापित किए जाने की संभावना है।

(घ) भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवा के सीमा पार व्यापार में वृद्धि को देखते हुए कर अपवंचन के संकट से निपटने के लिए एक व्यापक पांच स्तरीय नीति तैयार की है। कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 'काले धन के विरूद्ध विश्वस्तरीय अभियान में शामिल होना: (उदाहरण के लिए जी-20, कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर विश्वस्तरीय मंच, वित्तीय एकता और आर्थिक विकास पर कार्यबल, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, संयुक्त राष्ट्र, ओईसीडी आदि में हमारी कार्रवाई);

(ii) एक उपयुक्त कानूनी ढांचा सृजित करना: (वर्तमान अधिनियम और प्रत्यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी;) में प्रस्तावित नए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों और कर सूचना आदान-प्रदान के करारों (टीआईईए) में बनाए गए कानूनों में विभिनन कर अपवंचन रोधी उपाय करना वर्तमान दोहरे कराधान के परिहार संबंध करारों में संशोधन करना);

(iii) गैर-कानूनी निधियों से निपटने के लिए संस्थाओं की स्थापना: (10 विदेशी आयकर युनिट, कम्प्यूटरीकृत सूचना का समर्पित आदान-प्रदान (सूचना के आदान-प्रदान संबंधी युनिट);

(iv) कार्यान्वयन के लिए प्रणाली का विकास करना: (नई कर्मचारी नीति); और

(v) प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को दक्षता प्रदान करना (दक्षता विकास के लिए लगातार प्रशिक्षण)।

228

राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण

936. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी अस्पतालों, नर्सिग होमों तथा विशेष परिचर्या गृहों द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा देने एवं वहनीय शुल्क लेने को सुनिश्चित करने तथा उपचार रोकने के लिहाज से सरकार का इनके लिए एक राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों के नियंत्रण तथा विनियमन के लिए वर्तमान में क्या तंत्र है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है तथापि, संसद ने नैदानिक संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है। राज्यों द्वारा इसको अपनाए जाते ही गुणवत्ता सेवाएं सुनिश्चित करने और प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा विशेष परिचर्या सुविधा केन्द्रों में दुराचार पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।

सौर तथा पवन ऊर्जा का इस्तेमाल

937. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सौर तथा पवन ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले पांच वर्षों में विद्युत की मांग और आपूर्ति का अंतर सौर तथा पवन ऊर्जा के इस्तेमाल से किस हद तक पूरा हो सकेगा;

(घ) क्या सरकार सौर ऊर्जा को वहनीय मूल्य पर उत्पादित करने के कम लागत वाले उपाय खोजने के लिए कोई अनुसंधान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा सौर विद्युत को वर्ष 2022 तक पारंपरिक ग्रिड विद्युत के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम; की शुरूआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य 20,000 मेगावाट ग्रिड सौर विद्युत और 2000 मेवा. ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों की संस्थापना करना है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 मीलियन वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र की संस्थापना करना है। इस मिशन को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाता है। सरकार द्वारा मिशन के प्रथम चरण के लिए मार्च, 2013 तक लघु सौर संयंत्रों के रूप में 100 मेवा. क्षमता के संयंत्रों सहित 1100 मेवा. के ग्रिड सम्बद्ध सौर संयंत्रों की संस्थापना करने के लक्ष्य को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं को निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर संस्थापित किया जाना है। मिशन के प्रथम चरण में अन्य 200 मेवा. क्षमता के ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों को भी सहायता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के संस्थापित किए जाने हेतु 11,200 मेवा. पवन विद्युत तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में संस्थापित करने हेतु 2400 मेवा. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) वर्तमान में पवन तथा सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं देश में कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 11.5% है। तथापि, ऊर्जा शेयर लगभग 4% है। 12वीं योजना के दौरान नए क्षमतावर्धन से ऊर्जा शेयर में और 2-3% की वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) जी हां।

(ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोर मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक, वर्ष 2022 तक ग्रिड टैरिफ समानर्ता प्राप्त करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा उत्पादों और प्रणालियों की लागत में और अधिक कमी को सुगम बनाने हेतु सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में सहायता कर रहा है। वर्तमान में कुल 31 अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। इसमें सौर प्रकाशवोल्टीय में 18 परियोजनाएं और सौर तापीय प्रौद्योगिकियों में 13 परियोजनाएं शामिल है।

[हिन्दी]

'सिकल सैल' नामक रोग

938. श्री मधुसूदन यादव:
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न भागों से 'सिकल सैल' नामक रोग के मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कतिपय राज्य सरकारों की ओर से उक्त रोगों का निदान तथा उपचार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) 'सिकल सैल' रोग के पीड़ितों के उपचार तथा पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं/करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। सिकल सैल रोग की व्याप्तता पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू होकर और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड होते हुए उड़ीसा के पूर्वोत्तर राज्य तक है। तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स तथा केरल के वायानाड जिले में भी सिकल सैल रोग का क्षेत्र है। आईसीएमआर (2000-05) की राष्ट्रीय बहुकेन्द्रिक अध्ययन के अनुसार सभी आदिवासी समूहों में सिकल सैल जीन मौजूद था और जीन बारम्बारता 0.003 से 0.110 तक भिन्न-भिन्न थी। चूंकि सिकल सेल रोग संबंधी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, इसलिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में रोगियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ सरकार ने सिकल रोग के निवारण और प्रबंधन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। स्वास्थ्य व सेवा महानिदेशालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक कोर कार्य समूह ने सिकल सेल रक्ताल्पता, थैलासीमिया ओर हीमोफीलिया के निवारण और नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(ङ) सिकल सेल रोग सहित जेनेटिक रक्त विकारों संबंधी एक कार्य योजना गैर-संचारी रोगों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने हेतु एक विशेष उप समूह द्वारा तैयार की गई है।

आर्थिक असंतुलन

939. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कमजोर राज्यों के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में खाद्य सामग्री पर सामग्री पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना है;

(घ) क्या कमजोर राज्यों में गरीबी की वजह से खाद्य सामग्री पर खर्च अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार योजना आयोग ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्यों की पहचान नहीं की है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2009-10 में 30 दिन की अवधि के लिए खाद्य एवं खाद्य-भिन्न वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत का राज्य-वार मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30 दिन की अवधि (एमपीसीई, यूआरपी) में खाद्य और खाद्य-भिन्न मदों की प्रति व्यक्ति खपत का राज्य-वार मूल्य (रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण 2009-10			शहरी 2009-10		
		खाद्य	खाद्य-भिन्न	कुल	खाद्य	खाद्य-भिन्न	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	571.82	448.32	1020.14	787.24	1194.99	1982.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	591.76	734.02	1325.78	698.56	950.41	1648.96

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	526.09	337.38	863.47	776.82	763.45	1540.27
4.	बिहार	411.06	269.97	681.03	529.35	562.98	1092.33
5.	छत्तीसगढ़	353.17	336.74	689.91	562.59	789.86	1352.45
6.	दिल्ली	793.22	773.35	1566.57	889.77	1292.21	2181.98
7.	गोवा	774.74	817.16	1591.89	914.09	1835.47	2749.55
8.	गुजरात	557.55	437.37	994.92	778.64	1080.37	1859.01
9.	हरियाणा	712.21	681.38	1393.59	785.71	1112.46	1898.18
10.	हिमाचल प्रदेश	659.87	705.47	1365.34	866.37	1455.15	2321.52
11.	जम्मू और कश्मीर	629.18	651.49	1280.67	740.87	913.03	1653.9
12.	झारखंड	411.9	320.43	732.33	663.01	727.86	1390.87
13.	कर्नाटक	463.45	343.09	806.54	746.12	970.26	1716.38
14.	केरल	700.09	1150.59	1850.68	826.59	1836.86	2663.45
15.	मध्य प्रदेश	411.3	385.29	796.59	562.39	906.96	1469.35
16.	महाराष्ट्र	515.16	495.77	1010.93	826.75	1405.23	2231.98
17.	मणिपुर	524.17	403.33	927.5	526.39	527.1	1053.49
18.	मेघालय	468.56	498.24	966.8	580.6	875.35	1455.95
19.	मिजोरम	556.98	555.9	1112.88	770.8	936.27	1707.07
20.	नागालैंड	704.07	665.02	1369.09	770.95	938.84	1709.79
21.	उड़ीसा	404.22	278.58	682.8	607.96	817.45	1425.41
22.	पंजाब	707.51	772.29	1479.8	793.97	1198.72	1992.68
23.	राजस्थान	547.69	456.79	1004.48	677.42	992.07	1669.5
24.	सिक्किम	608.04	540.4	1148.43	942	934.47	1876.46
25.	तमिलनाडु	500.12	468.32	968.44	716.53	962.16	1678.69
26.	त्रिपुरा	569.21	357.41	926.62	816.29	786.08	1602.37
27.	उत्तर प्रदेश	447.2	381.47	828.67	608.48	756.51	1364.99
28.	उत्तराखंड	696.73	663.58	1360.3	700.02	872.69	1572.71

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	पश्चिम बंगाल	494.01	361.09	855.1	737.87	997.79	1735.66
30.	अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह	906.14	808.17	1714.31	1070.99	1427.45	2498.44
31.	चंडीगढ़	863.25	1169.16	2032.41	1066.26	3086.4	4152.66
32.	दादरा और नगर हवेली	495.25	310.09	805.34	709.08	747.96	1457.04
33.	दमन और दीव	674.88	856.54	1531.42	707.79	855.27	1563.06
34.	लक्षद्वीप	877.21	589.62	1466.84	1036.26	1186.51	2222.77
35.	पुडुचेरी	738.75	772.22	1510.97	971.09	1123.84	2094.93
	समग्र भारत	497.09	430.62	927.7	727.49	1058.32	1785.81

स्रोत 1. भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय के मुख्य संकेतक, 2009-10, एनएसएस का 66वां दौर (जुलाई 2009-जून 2010)

2. एमपीसीई-मासिक प्रति व्यक्ति व्यय

235-42

'उज्ज्वल' योजना

940. श्रीमती रमा देवी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार तथा देश भर में 'उज्जवल' योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को कितनी राशि स्वीकृत तथा जारी की गई और उन्होंने कितनी राशि का उपयोग किया;

(घ) क्या सरकार ने उक्त गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) उज्ज्वल स्कीम 4 दिसंबर, 2007 को शुरु की गई थी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। यह स्कीम मुख्यत: गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अब तक 17 राज्यों में 153 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं। बिहार के लिए कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं हैं संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत/निर्मुक्त तथा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दर्शाया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है। उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार से निरीक्षण रिपोर्ट, पीड़ितों और पुनर्वास गृह के मामलों में अवसंरचनागत सुविधाओं के फोटोग्राफ एवं अन्य संबद्ध दस्तावेजों के प्रापत होने के बाद ही अनुदान की राशि एक वर्ष में दो किस्तों में निर्मुक्त की जाती है। किसी एजेंसी को लगातार अनुदान राशि दिया जाना, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संतोषजनक निस्पति के बारे में रिपोर्ट दिए जाने पर आधारित है। केंद्र सरकार के इस स्कीम के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन नहीं कराया है।

विवरण-I

उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कुल संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (अब तक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	असम	15

1	2	3
3.	झारखंड	1
4.	कर्नाटक	27
5.	केरल	2
6.	मध्य प्रदेश	2
7.	मिजोरम	1
8.	मणिपुर	2
9.	महाराष्ट्र	35
10.	नागालैंड	3
11.	उड़ीसा	21
12.	पंजाब	1
13.	राजस्थान	3
14.	तमिलनाडु	10
15.	उत्तर प्रदेश	8
16.	उत्तराखंड	1
17.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल योग	153

विवरण-II

उज्जवला स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत/निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	41.29	27.89	94.16	-
2.	असम	28.39	77.65	111.26	-
3.	झारखंड	-	-	0.75	-
4.	कर्नाटक	148.25	250.47	224.27	-
5.	केरल	6.62	-	-	-
6.	मध्य प्रदेश	-	-	1.50	-
7.	मिजोरम	-		10.35	-
8.	मणिपुर	29.37	18.70	27.22	18.30
9.	महाराष्ट्र	86.42	30.93	150.46	17.94
10.	नागालैंड	2.55	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11.	उड़ीसा	57.44	59.71	118.65	21.20
12.	पंजाब	-	-	10.35	-
13.	राजस्थान	-	-	3.00	-
14.	तमिलनाडु	17.89	9.97	34.82	-
15.	उत्तर प्रदेश	19.28	15.99	44.84	-
16.	उत्तराखंड	-	-	10.51	
17.	पश्चिम बंगाल	-	6.08	26.31	
	कुल योग	437.50	497.39	868.75	57.44

विवरण-III

उज्जवला स्कीम के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	-	7.51	35.05	18.37
2.	असम	-	4.37	74.97	8.70
3.	झारखंड*	-	-	-	-
4.	कर्नाटक	9.63	121.07	122.99	143.23
5.	केरल	-	-	5.87	-
6.	मध्य प्रदेश*	-	-	-	-
7.	मिजोरम	-	-	-	10.35
8.	मणिपुर	9.79	9.79	9.22	18.30
9.	महाराष्ट्र	-	39.65	89.90	44.41
10.	नागालैंड	-	-	2.55	-
11.	उड़ीसा	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
12.	पंजाब	–	–	0.75	–
13.	राजस्थान	–	–	32.19	10.50
14.	तमिलनाडु	–	15.98	26.12	9.75
15.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	10.51
16.	उत्तराखंड	–	6.00	3.70	–
17.	पश्चिम बंगाल	7			
	कुल योग	19.42	226.87	456.13	280.44

*केवल वर्ष 2010-11 में निधियां निर्मक्त हुई।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विकास कार्यक्रम

941. **श्री संजय निरूपम:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य विशेषकर मुंबई के लिए क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम/योजनाएं चलाई गई हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार को कितनी राशि संस्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी प्रयुक्त हुई;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत मुंबई के लिए कितनी राशि उद्दिष्ट की गई है;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में किसी प्रकार का विलंब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) भारत सरकार ने देश में 15% तक एटी व सी हानियों को कम करने के लक्ष्य से 11वीं योजना के दौरान पुनर्गठित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) तथा देश में सभी घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) नाम के 2 विकासात्मक कार्यक्रम विद्युत क्षेत्र में शुरू किए हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

देश में सभी घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए 4 अप्रैल 2005 को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। भारत सरकार ने 28000 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिजी के साथ देश में सभी घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 11वीं योजना में स्कीम को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरइसी) आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के प्रचालन हेतु नोडल एजेंसी है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने सूचना तकनीक हस्तक्षेप के माध्यम से ऊर्जा लेखा परीक्षा और लेखा को प्रोत्साहित करने तथा 15% एटी व सी हानियों को कम करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम शुरू किया था। आरएपीडीआरपी स्कीम का विशेष ध्यान सतत एटी व सी हानि के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर होता है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जा रही है। भाग क में ऊर्जा/लेखा परीक्षा हेतु आई टी आवेदनों, जी आईएस, उपभोक्ता सूची, स्काडा और आई टी आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्र आदि के लिए परियोजनाएं शामिल हैं और भाग ख वितरण नेटवर्क के प्रणाली

सुदृढ़ीकरण के लिए है। पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) आरएपीडीआरपी कार्यक्रम के प्रचालन हेतु नोडल एजेंसी है।

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत 40292 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण तथा 1876391 बीपीएल घरों को नि:शुल्क बिजली के कनैक्शन उपलब्ध कराने को शामिल करते हुए महाराष्ट्र में 34 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निधियों को कोई अपफ्रंट आबंटन नहीं हुआ है। निधियां पूर्व किश्तों में राशि के उपयोग तथा अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर किश्तों में मंजूर परियोजनाओं के लिए जारी की जाती हैं। महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों तथा वर्तमन वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वितरित राशि निम्नवत है-

2008-09:	139.53 करोड़
2009-10:	200.77 करोड़
2010-11:	162.08 करोड़
2011-12:	24.60 करोड़ (15.7.2011 तक)

आरएपीडीआरपी के अंतर्गत, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के लिए भाग-क के अंतर्गत 130 शहरों, भाग ख के अंतर्गत 122 शहरों तथा स्काडा के अंतर्गत 8 शहरों को शामिल करते हुए 3770.24 करोड़ मूल्य की स्कीमों को मंजूरी प्रदान की गई है और 323.37 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(29.7.2011 के अनुसार)

	स्वीकृतियां (रुपये करोड़)				वितरण (करोड़)			
	भाग क (आईटी)	भाग क स्काडा	भाग ख	कुल	भाग क (आईटी)	भाग क स्काडा	भाग ख	कुल
2008-09	162.18	0	0	162.18	46.34	0	0	46.34
2009-10	162.24	0	0	162.24	50.99	0	0	50.99
2010-11	0	0	1793.51	1793.51	0	0	197.09	197.09
2011-12	0	161.62	1490.69	1652.31	0	0	28.95	28.95
कुल	324.42	161.62	3284.20	3770.24	97.33	0	226.04	323.37

(ग) आरजीजीवीवाई केवल अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। मुंबई कवर क्षेत्रों के लिए आरएपीडीआरपी के अंतर्गत वितपोषण जो निजी क्षेत्र कंपनियों एमएसईडीसीएल के प्रबंधन के अंतर्गत है, अभी आरएपीडीआरपी के स्वीकार्य नहीं है। मंजूरियां एवं वितरणें निम्नवत हैं-

(29.7.2011 के अनुसार)

	स्वीकृतियां (रुपये करोड़)				वितरण (करोड़)			
	भाग क (आईटी)	भाग क स्काडा	भाग ख	कुल	भाग क (आईटी)	भाग क स्काडा	भाग ख	कुल
ग्रेटर मुंबई	45.98	36.58	1114.42	1196.98	13.79	0	0	13.79

इसके अतिरिक्त, आरएपीडीआरपी के भाग क (आईटी) के अंतर्गत नवी मुंबई के लिए 48.32 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की गई है तथा 13.65 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

(घ) से (च) सामान्यतया महाराष्ट्र राज्य में आर-एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई स्कीमों के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

2-45-46

प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण

942. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रजनन स्वास्थ्य में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान ने मुंबई की मलिन बस्तियों में एक सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या निकले;

(ग) क्या इस संस्थान की ऐसे और सर्वेक्षण कराने की योजना है; 'और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2004-09 के दौरान वृहद (ग्रेटर) मुंबई नगर निगम के सहयोग से "प्रजनन स्वास्थ्य में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शहरी मलिन बस्तियों में उपाय" नामक एक प्रचालनात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण किया है। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन में तीन क्षेत्रों में पुरुष की सहभागिता की परिकल्पना की जांच की गई अर्थात क्षेत्र-1 जहां केवल पतियों के लिए उपाय किया गया, क्षेत्र-2 जहां दम्पत्तियों के लिए उपाय किया गया तथा क्षेत्र-3 जहां कोई उपाय नहीं किया गया। बेसलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया गया तथा 1728 दम्पत्तियों (1728 विवाहित पुरुष एवं उनकी परिचर्या) से सूचना ली गई। परिणामों से गर्भनिरोधकों, जनन मार्गीय संक्रमणों (आरटीआई)/यौन संचारित संक्रमणों (एसटीआई), पुरुषों एवं महिलाओं में नियंत्रण क्षेत्रों की तुलना में दोनों प्रयोगात्मक क्षेत्रों में लक्षणों के बारे में जागरूकता में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि होने का पता चला है।

(ग) और (घ) इस समय दो प्रचालनात्मक अनुसंधान किए जा रहे हैं:

1. "मुंबई की शहरी मलिन बस्तियों में यौन संचारित संक्रमणों एवं ग्रीवा कैंसर के बारे में दम्पत्तियों का ज्ञान बढ़ाना एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना" नामक एक प्रचालनात्मक अनुसंधान जिसका उद्देश्य दम्पत्तियों में यौन संचारित संक्रमणों एवं ग्रीवा कैंसर के बारे में ज्ञान, रूझान, व्यवहार एवं प्रेक्टिसिस को समझना है।
2. "ग्रामीण भारत के लिए लिंग समानता संकेन्द्रित पुरुष केन्द्रित परिवार नियोजन" जो ग्रामीण भारत में परिवार नियोजन का नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

246

परा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान

943. श्री पी.टी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में एक क्षेत्रीय परा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद): (क) और (ख) सरकार ने केरल में कोझीकोड में एक क्षेत्रीय परा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आआईपीएस) स्थापित करने पर विचार किया था। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि इसे 'कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थापित करना ज्यादा उपयुक्त होगा।

246-49

इन्फ्लूएन्जा एच1एन1 के मामले

944. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश में इन्फ्लूएन्जा एच1एन1 के नए मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस महामारी से अब तक पीड़ित और मृत व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) देश में इन्फ्लूएन्जा एच1एन1 की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1 नए रोगियों को सूचना हाल में केरल एवं कर्नाटक राज्यों से प्राप्त हुई है। दिनांक 1.6.2011 से आज तक केरल ने 18 मौतों के साथ प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए 174 रोगियों की सूचना दी है तथा कर्नाटक ने 6 मौतों के साथ प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए 34 रोगियों की सूचना दी है।

(ग) इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1 के प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए रोगियों एवं इससे हुई मौतों के राज्य/संघ क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1 को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के जरिए इन्फ्लूएंजा जैसी रूग्णता की पुनरावृत्ति का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला आधारित निगरानी जारी है।
- नमूनों की जांच करने के लिए 45 प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क (सरकारी क्षेत्र में 26 एवं प्राइवेट क्षेत्र में 19) उपलब्ध है।
- राज्यों ने पिछले विश्वमारी के दौरान अस्पतालों एवं पृथक्करण सुविधा केंद्रों की पहचान की है जिसका उपयोग इस रोग की पुनरावृत्ति होने पर किया जाएगा।
- केन्द्रीय भंडार में ओसेल्टेमिविर कैप्सूल का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।
- चार भारतीय कंपनियां (सीरम इंस्टीट्यूट, पिनाक बायोटेक एवं भारत बायोटेक, जाइडस केडिला) अल्प सूचना पर एच1एन1 वैक्सीन विनिर्मित करने में सक्षम हैं।
- वेबसाइट www.mohfw_hlnl.nic.in के जरिए राज्यों एवं जनता को मार्गनिर्देश एवं प्रचालन संबंधी क्रियाविधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

विवरण

इन्फ्लूएंजा एएच1एच1 के प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए रोगियों एवं इससे होने वाली मौतों का राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा (13.7.2011 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए रोगी मई, 2009 से संचयी	प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए रोगियों की मृत्यु मई, 2009 से संचयी
1	2	3
दिल्ली	11188	151
आंध्र प्रदेश	1515	102
कर्नाटक	4508	255
तमिलनाडु	3273	22
महाराष्ट्र	9980	940
केरल*	3298	129
पंजाब	299	61
हरियाणा	2076	54
चंडीगढ़ (संघ क्षेत्र)	332	8
गोवा	138	4
पश्चिम बंगाल	256	17
उत्तराखंड	152	10
हिमाचल प्रदेश	24	5
जम्मू और कश्मीर	126	488
गुजरात	2284	0
मणिपुर	2	0
मेघालय	8	1
मिजोरम	4	2
असम	52	0
झारखंड	2	296
राजस्थान	4748	0
बिहार	7	43
उत्तर प्रदेश	1606	12
पुडुचेरी	138	14
छत्तीसगढ़	96	119
मध्य प्रदेश	416	0

1	2	3
दमन और दीव	1	32
उड़ीसा	118	0
नागालैंड	2	0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27	1
दादरा और नगर हवेली	1	2772
कुल	46777	

पर्यटन की संभावनाएं

945. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान भारत के पर्यटन संबंधी संभावनाओं को अन्य देशों में प्रदर्शित करने का कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन देशों का चयन किया गया है; और

(ग) इस अभियान के दौरान किन नयी विशेषताओं को उजागर किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार देश में इनबाउंड पर्यटन को बढ़ाने के लिए तथा भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांडलाइन के तहत अपने प्रचार, संवर्धनात्मक एवं मार्केटिंग क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियानों को जारी करता है। इन अभियानों को नये विशिष्ट उत्पादों जैसे कि मेडिकल एवं आरोग्यता, ग्रामीण पर्यटन, माइस (बैठक, प्रोत्साहन सम्मेलन, तथा प्रदर्शनी) पर्यटन, आदि सहित विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और देश के उत्पादों के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण और सक्षम विदेशी स्रोत बाजारों में आरंभ किया गया है।

घरेलू पर्यटन

946. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शहरों को श्रेणी-II तथा श्रेणी-III में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू पर्यटन के संबंध में कोई नई नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों तथा उनके लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) भारत की जनसंख्या जनगणना में शहरी जनसंख्या का वर्गीकरण श्रेणी अर्थात् वर्ग I (100,000 और उससे अधिक जनसंख्या), वर्ग II (50,000-99,999), वर्ग III (20,00-49,999 संख्या), वर्ग IV (10,000-19,999 जनसंख्या), वर्ग V (5,000-9,999) और वर्ग VI (5,000 से कम जनसंख्या) में नहीं बल्कि जनसंख्या आकार में किया जाता है।

(ग) और (घ) उद्योग संगठनों, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद वर्ष 2002 में सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति तैयार की गई। इस नीति के अनुसार घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन वृद्धि का प्रमुख चालक बनेगा।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार घरेलू पर्यटन के संवर्धन हेतु कई गतिविधियां चलाता है। इन गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए देश में पर्यटन का संवर्धन करना और पर्यटन संभावनाओं वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के साथ पर्यटकों के प्रति अच्छे व्यवहार की महत्ता से संबंधित मामलों के बारे में स्टेकहोल्डरों और आम जनता को संवेदनशील बनाने के लिए सार्वजनिक जागरुकता अभियानों को भी शुरू किया गया।

पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मेले, उत्सव और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत में घरेलू पर्यटक यात्रा (डीटीवी) वर्ष 2008 में 563 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2010 में 740 मिलियन हो गई।

[हिन्दी]

नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना

947. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के राज्य सरकारों से स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सरकार सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और नये स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की अपनी आवश्यकताओं को अपनी वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं में शामिल करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं को शुरू किया जाता है। भारत सरकार ने पहले ही वर्ष 2011-12 के लिए छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सरकार की कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी है।

[अनुवाद]

जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर

948. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनजातीय लोगों हेतु गांवों के भीतर ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग द्वारा जनजातीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) मंत्रालय ''जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण'' नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित करता है जो इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य उन्हें उपयुक्त रोजगार या स्वरोजगार दिलाने हेतु सक्षम बनाने के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक ट्रेंड तथा बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न परंपरागत/आधुनिक व्यावसायों में जनजातीय युवकों के लिए शिल्प का उन्नयन करके रोजगार के पथों तथा आयसृजन के अवसरों को सृजित करना है।

(ख) मंत्रालय समय-समय पर इस बात पर बल देता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण उन ट्रेडों में दिया जाए जो रोजगारपरक हों।

परिवार नियोजन की आधुनिक तकनीक

949. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्दरूनी इलाके के जनजातीय लोग परिवार नियोजन की आधुनिक तकनीकों से अवगत नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय लोगों में परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए कुछ विशेष पैकेज देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, एनएफएचएस-3 (2005-06) और जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण, डीएलएचएस-3 (2007-08) के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधुनिक परिवार नियोजन विधियों की जागरूकता काफी अधिक है जो उपाबंध में दी गई सूचना के अनुसार एनएफएचएस-3 में 95 प्रतिशत से लेकर डीएलएचएस-3 में 96.6 प्रतिशत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उपबंध-विभिन्न गर्भनिरोधन विधियों के बारे में महिलाओं का ज्ञान (प्रतिशत)

क्र.सं.	राज्य	एनएफएचएस-3 (2005-06)		डीएलएचएस-3 (2007-08)	
		कोई भी विधि	आधुनिक विधि	कोई भी विधि	आधुनिक विधि
1.	अरुणाचल प्रदेश	95.4	94.3	99.6	99.5
2.	असम	99.1	98.8	98.6	97.6
3.	मणिपुर	99.2	98.9	98.8	97.9
4.	मेघालय	90.0	88.2	86.0	84.9
5.	मिजोरम	98.0	98.0	99.3	99.3
6.	नागालैंड	84.3	83.2	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	सिक्किम	99.5	99.5	100.00	99.9
8.	त्रिपुरा	99.3	99.3	99.7	99.9
	औसत पूर्वोत्तर राज्य	95.5	95.0	97.4	96.9

आंगनबाड़ी कामगार 253-64

950. श्रीमती जे. शांता: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंगनबाड़ी कामगारों के लाभ के लिए कोई जीवन बीमा योजना या अन्य कल्याण योजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इससे लाभान्वित आंगनबाड़ी कामगारों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लाभार्थ कल्याणकार उपाय के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से दिनांक 1.4.2004 से शुरू की। यह स्कीम जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के माध्यम से चलाई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है:

(i) यह स्कीम 18 से 59 वर्ष के आयु की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं पर लागू है;

(ii) इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य के लिए वार्षिक प्रीमियम 280 रुपये है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

✓ जीवन बीमा निगम को सामाजिक सुरक्षा निधि से 100 रुपये

✓ भारत सरकार से 100 रुपये

✓ आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका से 80 रुपये (बीमित सदस्य को गंभीर स्त्री रोग होने के संबंध में अतिरिक्त राशि)। गंभीर स्त्री रोग के संबंध में इन कार्यकर्त्रियों द्वारा देय 80 रुपये के प्रीमियम के भुगतान से इन्हें दिनांक 31.03.2013 तक छूट दी गई है।

(iii) इस स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

✓ प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये

✓ दुर्घटना लाभ:

❖ गंभीर स्त्री रोग होने पर लाभ: निम्नलिखित अंगों में अनियंत्रित कैंसर (जहरीला फोर्ड) का निदान होने पर 20,000 रुपये की राशि देय है (बशर्ते कि जीवन बीमा निगम को संक्रमण का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए):

❖ स्तन

❖ गर्भाशय ग्रीवा

❖ गर्भाशय

❖ अण्डाशय

❖ डिम्बवाही नलिकाएं

❖ योनि

✓ शिक्षा सहयोग

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के उन बच्चों के लिए 300 रुपये प्रति तिमाही की छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ भी उपलब्ध है, जो 9वीं से 12वीं कक्षा (आईटीआई पाठ्यक्रमों सहित) के छात्र हैं। किंतु यह लाभ एक परिवार के दो ही बच्चों तक सीमित है।

फिलहाल सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को इस स्कीम के सभी लाभ प्राप्त है। "आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना" के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष से निपटाए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 180 दिन के संवेतन प्रसूति अवकाश, पर्यवेक्षकों के 25% पदों पर आरक्षण, 25% आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती आंगनवाड़ी सहायिकाओं में से किया जाना, वर्दी, पुरस्कारों आदि जैसे लाभ भी प्रदान किए हैं।

हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 1500 रुपये प्रतिमाह और आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 750 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि दिनांक 1.4.2011 से की गई है। राजय/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने संसाधनों से इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान करते हैं।

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी कुछ राज्य सरकारों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सेवा-निवृत्ति और पेंशन जैसे लाभ भी प्रदान किए हैं।

विवरण-I

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में निपटाए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2008-09							
		प्राकृतिक मृत्यु		दुर्घटना में मृत्यु		गंभीर स्त्री रोग		छात्रवृत्तियां	
		निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	83	2410000	5	375000	0	0	1585	1424700
2.	असम	42	1240000	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	2	60000	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	47	1280000	3	120000	0	0	824	927600
5.	छत्तीसगढ़	10	200000	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	152	91200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	36	1030000	3	200000	3	57666	7466	4530000
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	113	135600
9.	हिमाचल प्रदेश	17	510000	2	150000	1	20000	682	818400
10.	जम्मू और कश्मीर	1	30000	0	0	0	0	635	381000
11.	कर्नाटक	64	1800000	3	225000	1	30000	2250	2532300
12.	केरल	32	960000	0	0	10	200000	10383	12787200
13.	मध्य प्रदेश	92	2441000	9	580000	0	0	1345	899700
14.	महाराष्ट्र	54	1490000	1	75000	0	0	592	387060
15.	उड़ीसा	27	790000	1	75000	0	0	297	203800
16.	राजस्थान	3	90000	0	0	0	0	0	0
17.	तमिलनाडु	92	2720000	3	225000	5	100000	4067	2804700
18.	उत्तर प्रदेश	78	2280000	2	135000	0	0	77	82500
19.	उत्तरांचल	16	500000	0	0	2	75000	259	217200
20.	पश्चिम बंगाल	48	1430000	0	0	6	120000	9074	6344170
	कुल	744	21261000	32	2160000	28	602666	39801	34567130

विवरण-II

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में निपटाए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2009-10							
		प्राकृतिक मृत्यु		दुर्घटना में मृत्यु		गंभीर स्त्री रोग		छात्रवृत्तियां	
		निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	83	2470000	7	525000	0	0	4510	3321600
2.	असम	27	810000	1	30000	0	0	0	0
3.	बिहार	1	30000	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	72	2150000	0	0	0	0	3084	3358800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	11	220000	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	2	50000	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	63	1880000	3	195000	1	20000	4293	3224400
8.	हरियाणा	4	120000	0	0	0	0	137	164400
9.	हिमाचल प्रदेश	13	390000	3	225000	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	12	360000	0	0	0	0	215	102000
11.	कर्नाटक	68	2020000	1	75000	0	0	1841	2209200
12.	केरल	25	750000	0	0	26	520000	15980	9588000
13.	मध्य प्रदेश	44	1300000	6	450000	0	0	856	526500
14.	महाराष्ट्र	36	1025000	11	575000	0	0	417	210000
15.	उड़ीसा	30	895000	4	270000	0	0	1128	720900
16.	पंजाब	2	60000	0	0	0	0	0	0
17.	राजस्थान	1	30000	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	81	2430000	3	225000	0	0	2231	1540200
19.	उत्तर प्रदेश	98	2830000	3	240000	1	25000	0	0
20.	उत्तरांचल	18	530000	0	0	0	0	410	246000
21.	पश्चिम बंगाल	69	2060000	5	375000	0	0	22563	13537800
	कुल								

विवरण-III

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में निपटाए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2010-11							
		प्राकृतिक मृत्यु		दुर्घटना में मृत्यु		गंभीर स्त्री रोग		छात्रवृत्तियां	
		निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	98	2940000	1	75000	0	0	3606	3049200
2.	असम	61	1820000	0	0	0	0	752	451200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	3	90000	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	52	1560000	4	270000	0	0	1987	2384400
5.	छत्तसीगढ़	19	380000	4	150000	0	0	0	0
6.	गोवा	2	60000	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	39	1260000	4	210000	2	40000	6616	4427400
8.	हरियाणा	3	90000	0	0	0	0	96	115220
9.	हिमाचल प्रदेश	16	480000	0	0	0	0	1754	1945200
10.	जम्मू और कश्मीर	10	300000	0	0	0	0	335	171600
11.	कर्नाटक	76	2250000	4	300000	4	80000	3225	3864600
12.	केरल	23	690000	2	150000	21	420000	49202	29521200
13.	मध्य प्रदेश	48	1400000	6	450000	1	20000	532	324000
14.	महाराष्ट्र	59	1700000	6	415000	2	40000	4203	2489400
15.	उड़ीसा	24	710000	3	225000	5	100000	1170	702000
16.	पंजाब	0	0	0	0	0	0		0
17.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	53	1590000	2	150000	1	20000	7068	4241400
19.	उत्तर प्रदेश	102	3020000	3	225000	0	0	20	12000
20.	उत्तराचंल	18	540000	2	150000	6	120000	322	280800
21.	पश्चिम बंगाल	85	2540000	3	225000	0	0	29637	17787700
	कुल								

विवरण-IV

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2011-12 (1.4.2011 से 30.6.2011 तक) में निपटाए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2011-12							
		प्राकृतिक मृत्यु		दुर्घटना में मृत्यु		गंभीर स्त्री रोग		छात्रवृत्तियां	
		निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि	निपटाए गए दावे	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	40	1200000	1	75000	0	0	3587	4242600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	चंडीगढ़	6	180000	0	0	0	0	441	529200
3.	गोवा	2	60000	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	4	180000	2	90000			2705	1623000
5.	हिमाचल प्रदेश	14	420000					20	24000
6.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	80	48000
7.	कर्नाटक	30	900000	2	150000			1644	1972800
8.	केरल	3	90000			5	100000	1862	1117200
9.	मध्य प्रदेश	15	450000	2	150000			510	315000
10.	महाराष्ट्र	9	220000	1	75000			296	177600
11.	उड़ीसा	8	240000	0	0	0	0	0	0
12.	तमिलनाडु	23	690000	7	210000			94	56400
13.	उत्तर प्रदेश	14	420000	0	0	0	0	0	0
14.	उत्तरांचल	5	150000	2	150000			252	302400
15.	पश्चिम बंगाल	173	5200000	12	840000	5	100000	12779	11181000

[हिन्दी]

निमोनिया के कारण मृत्यु

951. **श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत उन देशों की सूची में पहले स्थान पर है जहां निमोनिया के कारण बच्चों की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों वर्तमान वर्ष के दौरान देश में इस प्रकार के रोगियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस बीमारी को रोकने तथा बच्चों को निमोनिया तथा अन्य समान बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, नहीं।

(ख) (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। तथापि, बाल्यावस्था निमोनिया एच इन्फ्लुएंजा व रेसपिरेटरी सिंसिशियल वाइरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफीलोकोकस औरियस तथा ग्राम नेगेटिव आरगेनिज्य (माइकोप्लाजमा क्लेमीडिया) के कारण होता है।

स्तनपान में कमी, छोटी उम्र (एक वर्ष से कम), खसरे के प्रतिरक्षण की कमी, घर के अन्दर वायु प्रदूषण तथा कुपोषण इत्यादि निमोनिया के अतिरिक्त जोखिम वाले कारक है।

(ग) निमोनिया की सूचित मौतों के संबंध में राज्यवार सूचना (एचएमआईएस आंकड़े 2008-09, 2009-10, 2010-11) संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) निमोनिया के कारण होने वाली मौतों पर ध्यान देने के लिए, भारत सरकार निम्नलिखित उपाय लागू कर रही है:

नवजात तथा बाल्यावस्था रूग्णता (आईएमएनसीआई) का एकीकृत प्रबंधन, शिशु उत्तरजीविता कार्यनीति का उद्देश्य पूरे देश में सामुदायिक के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर समग्रतावादी रूप में बेसलाइन कार्यकर्ताओं को बच्चों में निमोनिया सहित

रूग्णता तथा मृत्यु के मुख्य कारणों की शुरूआती पहचान व प्रबंधन में प्रशिक्षित करना है। परिवारों को बीमार नवजात शिशु तथा बच्चे में खतरे के संकेतों की शुरूआती पहचान करने के लिए परामर्श दिया जाता है ताकि परिवार शुरूआती लक्षणों को पहचान सके और सुविधा केंद्रों पर शुरूआती उपचार करवा सके तथा इस तरह से देर होने से बच सकें।

विवरण

5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की सूचित निमानिया से मौतें

राज्य	2008-09			2009-10			2010-11		
	1 महीने और 11 महीनों के बीच	1 वर्ष और 5 वर्ष के बीच	कुल	1 महीने और 11 महीनों के बीच	1 वर्ष और 5 वर्ष के बीच	कुल	1 महीने और 11 महीनों के बीच	1 वर्ष और 5 वर्ष के बीच	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	134	24	158	93	45	138	246	84	330
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	6	13	19	1	11	12
असम	10	5	15	125	38	163	155	75	227
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	44	17	61	41	68	109
छत्तीसगढ़	120	209	329	184	181	365	135	153	288
गोवा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	423	206	629	402	185	587
हरियाणा	51	97	148	35	38	73	46	17	63
हिमाचल प्रदेश	22	243	265	33	24	57	64	19	83
जम्मू और कश्मीर	1	4	5	49	144	193	10	1	11
झारखंड	1	उ.न.	1	39	20	59	49	19	68
कर्नाटक	346	246	592	528	616	1144	337	226	563
केरल	0	0	0	1	0	1	34	15	49
मध्य प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2159	1046	3205	739	513	1252
महाराष्ट्र	12	7	19	664	1235	1899	174	110	284
मणिपुर	3	3	6	4	1	5	6	4	10
मेघालय	10	5	15	135	83	218	218	90	308
मिजोरम	2	2	4	181	28	209	155	41	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नागालैंड	2	0	2	4	6	10	0	5	5
उड़ीसा	104	34	138	828	372	1200	769	213	982
पंजाब	52	34	86	116	54	170	120	44	164
राजस्थान	504	671	1175	551	401	952	528	310	838
सिक्किम	0	0	0	2	2	4	8	1	9
तमिलनाडु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	442	82	524	442	82	524
त्रिपुरा	30	28	58	61	37	98	16	9	25
उत्तर प्रदेश	44	87	131	142	183	325	91	94	185
उत्तराखंड	4	8	12	15	13	28	17	7	24
पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	585	90	675	1072	331	1403
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	15	0	15	0	1	1
चंडीगढ़	0	0	0	9	11	20	56	19	75
दादरा और नगर हवेली	2	4	6	20	13	33	14	6	20
दमन और द्वीव	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1	0	1
दिल्ली	24	19	43	287	143	430	267	126	393
लक्षदीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	5	14	19	1	1	2
भारत	1478	1730	3208	7785	5156	12941	6214	2880	9091

एन ए-उपलब्ध नहीं।

-शून्य।

आंकड़ों का स्रोत: वर्ष 2008-2009-10 तथा 2010-11 की एचएमआईएस रिपोर्ट

[अनुवाद]

267-68

चयनित गर्भपात

952. श्री जोस के. मणि: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व-बैंक के एक अध्ययन से यह पता चला है कि भारत में साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय में हाल में हुई वृद्धि से चयनित गर्भपात के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी नहीं।

विश्व बैंक अध्ययन, विश्व विकास सूचक, 2009 भार में केवल प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता में वृद्धि को दर्शाता है। इसमें लिग चयन गर्भपातों में उक्त वृद्धि के किसी अंशदान का उल्लेख नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कामकाजी महिलाएं

216

953. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में वर्तमान में कामकाजी महिलाओं की संख्या से संबंधित कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नियोजित महिलाओं की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे के अनुसार देश में महिला कर्मियों की संख्या 12.9 करोड़ होने का अनुमान है। महिला कर्मियों का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	महिला कर्मियों की संख्या (करोड़ों में)
कृषि	8.9
द्वितीयक क्षेत्र	2.1
तृतीयक क्षेत्र	1.9

कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं

219. 71

954. **श्रीमती सुस्मिता बाउरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में 16 मृत भ्रूणों तथा अविकसित शिशुओं के खुले में फेंके जाने की हाल की घटना सरकार के ध्यान में आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में लिंग-अनुपात में चिंताजनक कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए युवतियों की शिक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित किए जाने तथा राज्य की महिलाओं को और अधिकार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, हां।

सरकार ने इस घटना का संज्ञान लिया है जिसमें राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, किशनगंज, बिहार के परिसर में 14 अंग और भ्रूण पाए गए थे।

(ख) इस मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। मेडिकल बोर्ड ने यह पुष्टि की कि वहां पर पुरुषों के दो और महिलाओं के 5 भ्रूण, एक टेस्टिस, 5 यूटरी और एक ओवेरियन ट्यूमर था। बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृत भ्रूणों और अंगों को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय उच्च विद्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित के.बी. नर्सिंग होम के एक सर्जन स्वर्गीय डॉ. बी.के राय द्वारा संक्षरित किया गया था जिनकी अक्टूबर, 2010 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और जो उक्त नर्सिंग होम में स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन किया करते थे।

राज्य में लिंग अनुपात में कमी के कारणों में लिंग चयन, उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु के आरंभिक बाल्यावस्था में कमी के कारणों में लिग चयन, उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या, कन्या सांस्कृतिक मान्यताएं एवं परम्पराएं शामिल हैं।

(ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि छोटी कन्याओं की शिक्षा और सुरक्षा सहित महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण।
- सरकारी कार्यक्रमों में लिंग (जेंडर) आधारित बजट।
- किशोर कन्याओं को आईएफए गोलियों का वितरण।
- नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्डों का प्रावधान और किशोर कन्याओं और 0-14 वर्ष के बच्चों की जांच।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
- मुख्यमंत्री बालिका बाइसाइकिल योजना।
- मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना।

- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना।
- धनलक्ष्मी योजना।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।

[हिन्दी]

271-80

अ.जा. और अ.ज.जा. को ऋण

955. **श्री प्रेमचंद गुड्डू:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदायों के आवेदकों को ऋण वितरित करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के आवेदकों को उक्त बैंकों द्वारा वितरित ऋणों का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) को ऋण दिया जाना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कमजोर वर्गों का हिस्सा है भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों, जिनमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों बैंक सम्मिलित हैं, के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10% कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित करना अपेक्षित है। एससी/एसटी को सुचारू रूप से ऋण दिया जाना सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर आरबीआई बैंकों को समय-समय पर अनुदेश देता रहा है। एससी एवं एसटी के लिए ऋण सुविधाओं पर आरबीआई द्वारा 01 जुलाई, 2011 को निर्गत नवीनतम मास्टर परिपत्र में एससी/एसटी को दिए जाने वाले अग्रिमों में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बैंकों को सलाह दी गई है। इन सलाहों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ब्लाक स्तर पर प्लानिंग की प्रक्रिया में एससी/एसटी को एक निश्चित मात्रा में तरजीह दी जानी है।
- बैंकों को इन समुदायों की ऋण जरूरतों का विश्लेषण करना है और उन्हें ऋण योजना में समाविष्ट करना है।
- ऋण योजना का झुकाव एससी/एसटी की तरफ होना चाहिए और इन समुदायों के अनुकूल विशेष योजनाएं तैयार की जाती हैं।
- इन समुदायों के ऋण प्रस्तावों पर विचार करते समय पूरी सहानुभूति एवं समझ से काम लेना चाहिए।
- बैंकों को एससी/एसटी में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता लाना है जिससे कि वे ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
- फील्ड स्टाफ को योजनाओं और उनके लाभों को स्पष्ट करने के लिए ऐसे उधारकर्ताओं से सम्पर्क करना चाहिए। सरकार प्रायोजित गरीबी अन्मूलन योजनाओं/स्व-रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण आवेदनों पर विचार करते समय बैंकों को इन समुदायों के उधारकर्ताओं से जमा राशि जमा करने पर जोर नहीं देना चाहिए।
- एससी/एसटी के आवेदनों के स्वीकृत न करने की दशा में उसे अस्वीकृति के लिए उपयुक्त कारण देते हुए शाखा स्तर के बजाय अगले उच्चतर स्तर पर अस्वीकृत करना चाहिए।
- एससी/एसटी लाभार्थियों को ऋण दिए जाने की निगरानी करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ होना चाहिए और आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) मार्च 2009, 2010 और 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत एससी/एसटी को दिए गए ऋण के बकाए का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

मार्च 2008, 2009 और 2010 (नवीनतम उपलब्ध) के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत एससी/एसटी को दिए गए ऋण के बकाए का राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत एससी/एसटी को दिए गए अग्रिम

बैंक का नाम	2009		2010		2011	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)						
भारतीय स्टेट बैंक	2839000	113744700	2987000	118728000	2644516	139980133
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	138469	9831275	151387	11470005	170778	14208474
स्टेट बैंक ऑफ हैदाराबाद	79150	3463413	97343	4716288	107289	5876199
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	123468	5938829	136378	8972281	0	0
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	133330	9845800	138109	10406814	116779	10054500
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	81215	4079165	112153	5970754	94884	6628475
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	72023	11202700	80319	15614853	128175	19911100
इलाहाबाद बैंक	345418	21881012	407210	26480200	325410	30414800
आंध्रा बैंक	190125	7835421	267564	10025815	279944	11041600
बैंक ऑफ बड़ौदा	335337	27999446	370646	31403470	380587	37596088
बैंक ऑफ इंडिया	276061	17002500	223874	12093266	264329	14538100
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	73923	4620959	83769	6652100	88308	7757698
केनरा बैंक	612577	28626999	638305	39050035	640752	50868146
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	371201	31098926	422956	73357000	423833	47638900
कार्पोरेशन बैंक	23033	3032277	27336	3382378	25679	3783157
देना बैंक	68294	4924100	79972	6155200	107885	7531300
इंडियन बैंक	358105	13006504	407132	16670876	412796	18761527
इंडियन ओवरसीज बैंक	640410	24703255	717237	27563960	464742	2786154
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	61009	3303250	65067	4181241	66464	5268129
पंजाब नेशनल बैंक	500165	32828994	521151	34004563	471501	34534385

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब एंड सिंध बैंक	32306	2190400	30443	2878678	31089	2952129
सिंडिकेट बैंक	224902	11271263	248859	14685903	295576	19578402
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	288329	19889106	244457	21787795	207074	28116356
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	155267	13751480	280219	17501600	312036	22067648
यूको बैंक	248665	17873600	314660	21118855	309456	21022741
विजया बैंक	53849	4825684	55529	7052522	79567	8590062
आईडीबीआई लि.	1653	63056	1887	1530627	2724	2384737
पीएसबी का योग	**8327284**	**448834114**	**9110962**	**523455079**	**8452173**	**598920940**
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक						
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10565	336346	11330	418371	0	0
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	2585	87600	2349	76907	3002	94801
सिटी यूनियन बैंक लि.	7305	304900	6044	333173	17078	698547
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	117	506888	96	225719	31980	491783
धनलक्ष्मी बैंक लि.	8840	472412	6467	351200	2102	1066263
दि फेडरल बैंक लि.	3922	953380	3887	965046	4080	433758
एचडीएफसी बैंक लि.	340	90181	703	460653	4313	1405304
आईसीआईसीआई बैंक लि.	241269	8438238	461916	7352628	109258	7197078
इंडसइंड बैंक लि.	89554	790261	211531	2284381	7345	565787
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	8665	577741	7145	1173256	4695	304069
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	6694	849178	6394	925655	8005	1028834
कर्नाटक बैंक लि.	2752	238857	2997	300758	3545	377416
करूर वैश्य बैंक लि.	367	239209	475	212207	600	197534
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	6739	2452297	7972	2292799	12728	3947744
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	12168	239227	3639	109590	3588	126571
नैनीताल बैंक लि.	2772	2695	2345	178595	2318	255986
रत्नाकर बैंक लि.	821	25254	849	27834	595	19893
द साउथ इंडियन बैंक लि.	3278	188969	4053	262100	5142	328600
तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	571	27686	1156	464	5882	235261
ऐक्सिस बैंक लि.	6852	1581595	7024	2113533	6879	2074360
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	**416176**	**18402914**	**748372**	**20064869**	**232935**	**20849589**
सकल	8743460	467237028	9859334	543519948	8685108	619770529

स्रोत: आरबीआई1

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम।

विवरण-II

14 सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत एससी/एसटी को दिए गए ऋण के बकाए का राज्य-वार विवरण

राज्य का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार					
	2008		2009		2010	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**261356**	**9286057**	**165374**	**12583886**	**170274**	**16202071**
असम	190678	4628630	106699	5483358	109385	8195522
मेघालय	15865	1297135	10827	2050527	10506	2070758
मिजोरम	5419	847523	1923	520722	3634	607604
अरुणाचल प्रदेश	6431	395096	5267	672961	11269	1340135
नागालैंड	5251	830648	4960	1042228	4659	1034044
मणिपुर	8484	600273	11574	1137182	9890	1238001
त्रिपुरा	29228	686752	24124	1676908	20931	1716007
पूर्वी क्षेत्र	**1612303**	**47729148**	**1157920**	**46138428**	**1139867**	**63657809**
बिहार	402965	10743014	211698	7676729	258317	12489665
झारखंड	275058	7751736	208599	7181306	162986	10262445
पश्चिम बंगाल	495623	16225674	528187	22239827	505752	27594938
उड़ीसा	425133	12180228	198933	7641697	200951	11758561
सिक्किम	10890	744609	9679	1354684	10238	1492836
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2634	83887	824	44185	1623	59364
मध्य क्षेत्र	**1864585**	**81389964**	**1801923**	**75783931**	**2010644**	**109063163**
उत्तर प्रदेश	967171	37650952	997236	41757757	1108630	56973283
उत्तराखंड	125507	5575039	61893	2999398	74398	4102685
मध्य प्रदेश	575789	30150985	495308	22761457	531920	36457929
छत्तीसगढ़	196188	8012988	247486	8265319	295696	11529266

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	**878652**	**57695138**	**888807**	**64211598**	**1036875**	**73039562**
दिल्ली	12501	3517766	44754	8040286	47203	8171434
पंजाब	191973	13437264	194711	12518572	177492	16410882
हरियाणा	114495	5535594	106870	5050015	98382	6325847
चंडीगढ़	7977	706199	10656	681840	15517	1202428
जम्मू और कश्मीर	31040	1585648	13739	2896334	13194	1183986
हिमाचल प्रदेश	107358	7969136	64254	4982236	83414	5020568
राजस्थान	413308	24943531	453823	30042315	601673	34724417
पश्चिम क्षेत्र	**673375**	**51079730**	**1589496**	**82773272**	**1651828**	**98180490**
गुजरात	309020	17016893	1060487	59235633	1122107	57785850
महाराष्ट्र	361612	33883060	522239	22350219	519599	39629140
दमन और दीव	34	2128	297	129462	405	158063
गोवा	1974	146423	5655	1022879	8875	559657
दादरा और नगर हवेली	735	31226	818	35079	842	47780
दक्षिणी क्षेत्र	**2586208**	**96580580**	**2884726**	**126630390**	**3531762**	**164848999**
आंध्र प्रदेश	983451	26581688	975731	32529583	1306349	38156840
कर्नाटक	444363	24039249	533373	38707650	713766	50580298
लक्षद्वीप	3609	208378	3321	225053	3447	259016
तमिलनाडु	831573	32814533	1070313	39023163	1180257	63291208
केरल	319069	12753502	290201	15410068	316923	12132480
पुडुचेरी	4143	183230	11787	734873	11020	429157
अखिल भारत	7876479	343760617	8488246	408121505	9541250	524992094

स्रोतः आरबीआई

जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण

956. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश के कई जनजातीय बहुत गांवों को अब तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान, आरजीजीवीवाई के अधीन इस प्रकार के गांवों को आबंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के अधीन किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र विकसित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में इस प्रकार के जनजातीय ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एवं (ख) देश में मध्य प्रदेश सहित जनजातिय बाहुल्य गांवों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत 1,18,499 गैर/निविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण को 576 प्रथम चरण की परियोजनाएं शामिल है। संचयी रूप से, 15.07.2011 को, आरजीजीवीवाई के तहत 98,174 गैर/निविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण पूरा कर दिया गया है। आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कवरेज एवं उपलब्धि, राज्यवार संलग्न विवरण-I में दिया है। मध्य प्रदेश की 16 परियोजनाओं को प्रथम चरण में विद्युतीकरण के बेंचमार्क लागत से संबंधित अधिक लागत की परियोजना होने के कारण स्वीकृत नहीं किया था। ये परियोजनाएं आरजीजीवीवाई चरण-II भाग के हैं तथा द्वितीय चरण की इन परियोजनाओं के योजना आयोग से अनुमोदन प्रदप्त करने के बाद सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

(ग) आरजीजीवीवाई के तहत किसी भी राज्य/जिला/गांव के लिए निधि का विशेष (अपफ्रंट) आबंटन नहीं है। स्वीकृत परियोजनाओं की तुलना में किस्त आधारित पूर्व किश्त (तो) उपयोग में लाई गई राशि तथा अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर धन अवमुक्त किए गए हैं। आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए निधि अवमुक्ति का संलग्न विवरण-II में दिया है।

(घ) और (ङ) विद्युत मंत्रालय एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) लि., आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी कार्यान्वयन के तहत आरजीजीवीवाई कार्यों की प्रगति हेतु मानीटरिंग करने लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है। इसके अलावा, आरईसी भी सभी राज्य सरकारों एवं संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आरजीजीवीवाई कार्यों में तेजी लाने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत कर रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्तामुक्त निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अधीन एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू कर दी गई है। वेब आधारित माइल स्टोन मानीटरिंग तंत्र भी कार्य कर रहा है।

(च) स्वीकृत परियोजनाओं के तहत जनजातीय गांवों सहित स्वीकृत परियोजनाओं के लिए विद्युतीकरण कार्यों का 11वीं योजना अवधि के अंत तक पूर्ण कर दिए जाने की आशा है।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के लिए गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल स्वीकृत परियोजना			
		परियोजनाओं की संख्या	जिले की संख्या	कवर किए गए अविद्युतीकृत गांवों	संचयी उपलब्धि (15.07.2011) (की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26	22	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	2129	807

1	2	3	4	5	6
3.	असम	23	23	8525	6594
4.	बिहार	43	38	23211	21230
5.	छत्तीसगढ़	16	14	1132	249
6.	गुजरात	25	25	0	0
7.	हरियाणा	18	18	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	93	30
9.	जम्मू और कश्मीर	14	14	283	120
10.	झारखंड	22	22	19737	17310
11.	कर्नाटक	25	25	132	61
12.	केरल	7	7	0	0
13.	मध्य प्रदेश	32	32	806	377
14.	महाराष्ट्र	34	34	6	0
15.	मणिपुर	9	9	882	293
16.	मेघालय	7	7	1943	151
17.	मिजोरम	8	8	137	59
18.	नागालैंड	11	11	105	69
19.	उड़ीसा	32	30	17895	13382
20.	पंजाब	17	17	0	0
21.	राजस्थान	40	33	4454	3872
22.	सिक्किम	4	4	25	23
23.	तमिलनाडु	26	26	0	0
24.	त्रिपुरा	4	4	160	108
25.	उत्तर प्रदेश	64	65	30802	27759
26.	उत्तराखंड	13	13	1469	1511
27.	पश्चिम बंगाल	28	17	4573	4169
	कुल	576	546	118499*	98174

*अनंतिम संशोधित कवरेज = 110321

विवरण-II

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के जारी की गई निधियों का राज्य वार एवं वर्ष वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	वर्ष 2011-12 के दौरान (15.07.2011 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	80.58	158.28	155.10	8.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	92.70	225.27	165.54	0.00
3.	असम	510.05	459.62	698.42	31.20
4.	बिहार	695.90	697.41	580.38	0.00
5.	छत्तीसगढ़	100.08	333.56	163.65	19.81
6.	गुजरात	52.38	94.32	76.80	0.00
7.	हरियाणा	37.10	60.67	21.27	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	79.28	122.46	59.90	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1068.58	750.48	161.89	0.00
10.	झारखंड	181.17	363.92	67.32	0.00
11.	कर्नाटक	68.10	67.60	62.92	25.83
12.	केरल	0.84	10.59	31.89	0.00
13.	मध्य प्रदेश	185.88	416.47	288.27	30.56
14.	महाराष्ट्र	139.53	200.77	162.08	24.60
15.	मणिपुर	39.36	63.17	95.95	25.21
16.	मेघालय	12.20	129.38	86.86	0.00
17.	मिजोरम	78.31	81.02	78.28	0.00
18.	नागालैंड	54.40	59.26	61.86	4.03
19.	उड़ीसा	994.65	998.65	605.74	29.85
20.	पंजाब	56.90	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
21.	राजस्थान	290.50	159.10	83.58	14.74
22.	सिक्किम	43.74	44.90	43.62	0.87
23.	तमिलनाडु	24.28	52.29	33.96	5.01
24.	त्रिपुरा	16.76	119.30	39.12	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	86.84	192.92	72.45	19.14
26.	उत्तराखंड	78.53	102.06	9.69	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	623.35	619.18	508.95	15.62
	कुल	5691.99	6582.65	4415.49	254.49

*इसमें 10% ऋण शामिल है।

[अनुवाद]

तम्बाकू-रोधी सचित्र चेतावनी

957. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू-रोधी सचित्र चेतावनी को पूरी तरह से लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई चेतावनियों के लागू होने की दशा में लोगों के बीच तम्बाकू के उत्पादों के उपभोग में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15 मार्च, 2008 की सा.का.नि. संख्या 182(अ) के तहत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबरिंग) नियमावली, 2008 अधिसूचित की है जिसे 31 मई, 2009 से क्रियान्वित कर दिया गया था। इन वर्तमान नियमों से सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियों को प्रत्येक दो वर्षों में चक्रानुक्रमित करने की भी व्यवस्था है। तद्नुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 27 मई, 2011 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417(अ) के तहत सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट अधिसूचित किया जिसे 1 दिसम्बर, 2011 से क्रियान्वित किया जाएगा।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

तथापि, वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण, भारत (गेट्स) 2010 के अनुसार 71 प्रतिशत सिगरेट धूम्रपानकर्ताओं, 62 प्रतिशत बीड़ी धूम्रपानकर्ताओं और 63 प्रतिशत धुआं रहित तम्बाकू के प्रयोगकर्ताओं ने संबंधित उत्पादों के पैकेजों पर स्वास्थ्य चेतावनियां देखी। ऐसी चेतावनियों को देखने वालों में 38 प्रतिशत सिगरेट धूम्रपानकताओं, 29 प्रतिशत बीडी धूम्रपानकर्ताओं और 34 प्रतिशत धुआं रहित तम्बाकू के प्रयोगकर्ताओं ने पैकेजों पर चेतावनियों के लेबलों के कारण ऐसे उत्पादों को छोड़ देने के बारे में सोचा।

पर्यटकों की सुरक्षा

958. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन स्थलों पर धोखाधड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में पर्यटन स्थलों पर इस प्रकार के खतरों को रोकने के लिए नई आचार संहिता लागू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक ऑर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, पर्यटकों के साथ अपराध सहित अपराध के रोकथाम की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के साथ होने वाले अपराध सहित अपराध के आंकड़ों का संकलन नहीं करता है। तथापि, पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करते हुए पर्यटक सुरक्षा संगठन के गठन के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुनर्वास महानिदेशालय के साथ परामर्श से तैयार किए गए दिशा-निर्देश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को अग्रेषित कर दिये गये हैं।

इसके अलावा, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ "सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन" के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है, जो पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट है और जिसे गरिमा, सुरक्षा और पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों दोनों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से मुक्ति जैसे मूल अधिकारों के सम्मान के लिए अपनाया जाना है।

[हिन्दी]

250 - 312

जापान से ऋण

959. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने इस वर्ष जून में जापान के साथ 8500 करोड़ रुपए का ऋण लेने संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऋण को कब तक वापस किए जाने की संभावना है;

(घ) इस पर ब्याज की दर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत द्वारा जापान से अब तक लिए गए कुल ऋणों की परियोजना-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) जापान से लिए गए कुल ऋणों में से कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है; और

(छ) शेष राशि को वापस करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (घ) जी हां। वित्त वर्ष 2010 ऋण पैकेज के द्वितीय बैच के अंतर्गत निम्नलिखित सात परियोजनाओं के लिए 155.549 बिलियन जापानी येन (लगभग 8632.94 करोड़ रुपए) की शासकीय विकास सहायता के लिए 6 जून, 2011 को भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच टिप्पणियों का आदान-प्रदान किया गया था:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ब्याज की दर	पुनर्भुगतान अवधि	राशि बिलियन जापानी येन/ करोड़ रुपए में
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली परियोजना	0.65%	दस वर्ष की अनुग्रह अवधि के पश्चात तीस वर्ष	18.590/1031.74
2.	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना II	1.4%	दस वर्ष की अनुग्रह अवधि के पश्चात बीस वर्ष	19.832/1100.67

1	2	3	4	5
3.	बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजना	1.4%	दस वर्ष की अनुग्रह अवधि के पश्चात बीस वर्ष	22.903/1271.11
4.	मध्य प्रदेश पारेषण प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना	0.5%	छः वर्ष की अनुग्रह अवधि के पश्चात चौदह वर्ष	18.475/1025.36
5.	राजस्थान वानिकी तथा जैब विविधता परियोजना (चरण-2)	0.65%	दस वर्ष की अनुग्रह अवधि के पश्चात बीस वर्ष	15.749/874.06
6.	अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम ऊर्जा बचत परियोजना (चरण-2)	0.4%	पांच वर्ष की अनुग्रह अवधि के पश्चात बीस वर्ष	30.000/1665.00
7.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजना	0.55%	दस वर्ष की अनुग्रह अवधि के पश्चात बीस वर्ष	30.00/1665.00

क्रमांक 1 से 5 पर परियोजनाओं के संबंध में परामर्शदाताओं को भुगतान के लिए ब्याज दर 0.01% प्रति वर्ष होगी। क्रम संख्या 6 तथा 7 पर परियोजनाओं के संबंध में कोई परामर्शी सेवाएं नहीं हैं।

(ङ) जापान से सरकारी तथा गैर-सरकारी खाते (निरसन को घटाकर) पर कुल ऋण राशि 3,334,533 मिलियन जापानी येन है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारों अभिकरणों के लिए इन ऋणों के परियोजना-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(च) कुल ऋण राशि में से 1,084,428 मिलियन जापानी येन का पुनर्भुगतान कर दिया गया है।

(छ) ऋण का पुनर्भुगतान प्रत्येक करार के लिए भिन्न है तथा संबंधित करार में उपबंधित ऋण भुगतान संलग्न विरण के अनुसार है।

विवरण

जापानी ऋणों को स्वीकृति (केंद्रीय, सरकारी और गैर सरकारी) तथा राज्य सरकारें

जापानी मिलियन येन

ऋण विवरण	केंद्रीय राज्य अवस्थिति	करार की तारीख	ऋण राशि (निरसन के बाद)
1	2	3	4
जेपीजीएल011 पहला वेन केडिट दिनांक 4.2.1958	केंद्रीय	2.4.1958	16,152
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	केंद्रीय	2.4.1958	815
जेपीजीएल002 दूसरा येन क्रेडिट दिनांक 18.8.61	केंद्रीय	8.18.1961	30,643
जेपीजीएल003 तीसरा येन क्रेडिट दिनांक 24.10.63	केंद्रीय	10.24.1963	19,066
जेपीजीएल004 चौथा येन क्रेडिट दिनांक 3.9.64	केंद्रीय	9.3.1964	17,184

1	2	3	4
जेपीजीएल005 पांचवां येन क्रेडिट दिनांक 25.6.65	केंद्रीय	6.25.1965	20,148
जेपीजीएल006 छठा येन क्रेडिट दिनांक 16.12.66	केंद्रीय	12.16.1966	13,929
जेपीजीएल015 खाद्य उत्पादन सहायता क्रेडिट दिनांक 14.4.67	केंद्रीय	4.10.1967	2,336
जेपीजीएल007 सातवां येन क्रेडिट दिनांक 5.9.67	केंद्रीय	9.5.1967	12,966
जेपीजीएल008 आठवां येन क्रेडिट दिनांक 14.2.69	केंद्रीय	2.14.1969	9,363
ग्यारहवां येन क्रेडिट	केंद्रीय	2.1.1971	15,509
बारहवां येन-गहरी समुद्र तेल परियोजना वर्धन	केंद्रीय	2.2.1973	2,672
गहरा तेल अन्वेषण परियोजना	केंद्रीय	1.30.1974	268
दसवां येन क्रेडिट	केंद्रीय	4.20.1971	8,957
ग्यारहवां येन क्रेडिट	केंद्रीय	2.1.1971	14,879
बारहवां येन क्रेडिट	केंद्रीय	2.2.1973	9,929
भटिंडा फर्टिलाइजर परियोजना	केंद्रीय	8.2.1974	10,987
तेरहवां येन क्रेडिट	केंद्रीय	4.19.1974	6,951
जेपीजीएल009 नौवां येन क्रेडिट दिनांक 3.3.70	केंद्रीय	3.3.1970	8,543
जेपीजीएल016 वीओएच येन क्रेडिट दिनांक 28.7.70	केंद्रीय	7.28.1970	2,289
जेपीजीएल017 गहरासमुद्र तेल परियोजना दिनांक 11.5.71	केंद्रीय	5.11.1971	5,068
इंडिया-आर-74 ये क्रेडिटों के लिए पुनर्अुसूचित ऋण	केंद्रीय	3.5.1975	2,962
जेपीजीएल014 चौदहवीं येन क्रेडिट वस्तु सहायता	केंद्रीय	3.5.1975	6.855
जेपीजीएल022 पानीपत फर्टिलाइजर परियोजना	केंद्रीय	4.10.1975	10.996
जेपीजीएल023 भटिंडा पानीपत परियोजना के लिए तदर्थ क्रेडिट	केंद्रीय	9.12.1975	10,898
इंडिया-आर-75 येन क्रेडिटों के लिए पुनअर्नुसूचित ऋण	केंद्रीय	9.12.1975	3,587
आईडीसी-001 वस्तु ऋण I	केंद्रीय	3.31.1976	6,929
इंडिया आर-76 ये क्रेडिटों के लिए पुनअर्नुसूचित ऋण	केंद्रीय	12.15.1976	4,179
आईडीसी-002 वस्तु ऋण II	केंद्रीय	3.3.1977	10,000
आईडीसी-001 टेलीकॉम परियोजना	केंद्रीय	4.5.1977	8,909
आईडीसी-003 वस्तु ऋण III	केंद्रीय	8.19.1977	19,980
आईडीपी-002 एनएस पन बिजली परियोजना	राज्य-आंध्र प्रदेश	6.13.1978	8.099
आईडीपी-003 पाइथण पन बिजली परियोजना	राज्य-महाराष्ट्र	8.10.1978	1.147
आईडीसी-004 वस्तु ऋण IV	केंद्रीय	10.6.1978	6,000
आईडीपी-004 बॉम्बे हाई तेल अन्वेषण	केंद्रीय	3.4.1980	6,200
आईडीपी-005 टेलीकॉम परियोजना	केंद्रीय	5.8.1980	2,492
आईडीपी-006 बॉम्बे ऑफशोर तेल विकास परियोजना	केंद्रीय	6.7.1980	8,594

1	2	3	4
आईडीपी-007 पश्चिमी यमुना नहर पन बिजली, परियोजना	राज्य हरियाणा	3.19.1981	3,244
आईडीपी-008 हजीरा फर्टिलाइजर परियोजना	केंद्रीय	5.7.1981	9,902
आईडीपी-009 चंद्रपुर तापीय विद्युत स्टेशन विस्तार परियोजना	राज्य- असम	6.2.1981	1,416
आईडीपी-010 थाल वैशट फर्टिलाइजन परियोजना	केंद्रीय	9.24.1981	16,535
आईडीपी-011 दूरसंचार परियोजना-III	केंद्रीय	10.15.1981	4,932
आईडीपी-012 दूरसंचार परियोजना-IV	केंद्रीय	10.15.1981	9,358
आईडीपी-013 नागार्जुन सागर वन बिजली परियोजना	राज्य-आंध्र प्रदेश	10.15.1981	6,604
आईडीपी-014 लोअर मैटूर पन बिजली परियोजना	राज्य- तमिलनाडु	10.151981	7,366
आईडीपी-015 लोअर बेरपानी पन बिजली परियोजना	राज्य- असम	10.15.1981	1,490
आईडीपी-016 हीराकुंड पन बिजली परियोजना	राज्य-उड़ीसा	10.15.1981	1,500
आईडीपी-017 भारतीय रेलवे विकास परियोजना	केंद्रीय	5.14.1982	2,556
आईडीपी-018 बॉम्बे उपनगरीय रेलवे सुधार परियोजना	केंद्रीय	5.14.1982	1,749
आईडीपी-019 पांचवीं टेलीकॉम परियोजना	केंद्रीय	5.14.1982	5,980
आईडीपी-021 ओएनजीसी ऑफशेर आपूर्ति पोत परियोजना	केंद्रीय	2.22.1983	1,107
आईडीपी-022 कलकता मेट्रो रेलवे परियोजना	केंद्रीय	2.22.1983	4,671
आईडीपी-023 टीएनईबी सूक्ष्म पन विद्युत परियोजना	राज्य-तमिलनाडु	2.23.1983	1,717
आईडीपी-024 बीजार फर्टिलाइजर परियोजना	केंद्रीय	9.11.1984	7,591
आईडीपी-025 अनोनियम सल्फेट परियोजना	केंद्रीय	9.11.1984	8,732
आईडीपी-027 टेलीकॉम परियोजना-VI	केंद्रीय	9.11.1984	5,176
आईडीपी-028 अनोला फर्टिलाइजन परियोजना	केंद्रीय	12.26.1984	7,690
आईडीपी-029 टेलीकॉम परियोजना-VII	केंद्रीय	12.26.1984	1,658
आईडीपी-030 गैस पाइप लाइन परियोजना-II	केंद्रीय	12.26.1984	20,000
आईडीपी-031 पूर्वी गुंडक राजमार्ग परियोजना	राज्य बिहार	12.26.1984	1,628
आईडीपी-020 यूपीएसईबी परियोजना	राज्य-उत्तर प्रदेश	12.26.1984	24,100
आईडीपी-032 टेलीकॉम परियोजना-VIII	केंद्रीय	11.25.1985	4,671
आईडीपी-033 सरदार सरोवर पन बिजली परियोजना	केंद्रीय	11.25.1985	2,848
आईडीपी-034 उज्जैनी पन बिजली परियोजना	राज्य-महाराष्ट्र	11.25.1985	1,321
आईडीपी-035 अनोला फर्टिलाइजन परियोजना-II	केंद्रीय	11.25.1985	9,056
आईडीपी-036 दिनांक 25.11.85 गैस पाइपलाइन परियोजना-II	केंद्रीय	11.25.1985	15,527
आईडीपी-037 गैस पाइपलाइन परियोजना-II	केंद्रीय	12.18.1986	17,380
आईडीपी-038 अनोला फर्टिलाइजर परियोजना-III	केंद्रीय	12.18.1986	1,499
आईडीपी-039 टेलीकॉम नेटवर्क परियोजना	केंद्रीय	12.18.1986	6,847

1	2	3	4
आईडीपी-040 तिस्ता नहर पन बिजली परियोजना	राज्य-पश्चिमी बंगाल	12.18.1986	7,882
आईडीपी-041 हल्दिया पोत आशोधन परियोजना	केंद्रीय	12.18.1986	1,933
आईडीप-042 असम गैसटर्बाइन	केंद्रीय	3.18.1987	29,607
आईडीपी-005 वस्तु ऋण V दिनांक 21.12.87	केंद्रीय	12.21.1987	29,500
आईडीपी-049 टेलीकॉम परियोजना X	केंद्रीय	2.10.1988	976
आईडीपी-051 फैक्ट कैप्टिल पावर परियोजना	केंद्रीय	2.10.1988	1,347
आईडीपी-0436 एपीजेनको	राज्य-आंध्र प्रदेश	2.10.1988	26,089
आईडीपी-044 पुरुलिया पम्पड् स्टोरेज	राज्य-पश्चिम बंगाल	2.10.1988	350
आईडीपी-045 उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	राज्य-उत्तर प्रदेश	2.10.1988	13,901
आईडीपी-046 पीजीसीएल-एसएच	केंद्रीय	2.10.1988	12,760
आईडीपी-047 तमिलनाडु राज्य औद्योगिक विकास निगम परियोजना	राज्य-तमिलनाडु	2.10.1988	93
आईडीपी-052 रायचुर टी.पी. परियोजना	राज्य-कर्नाटक	12.15.1988	20,028
आईडीपी-053 घाटघर टी.पी. परियोजना	राज्य-महाराष्ट्र	12.15.1988	11,393
आईडीपी-054 पर्यटन मंत्रालय	केंद्रीय	12.15.1988	6,617
आईडीपी-143 पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना II	राज्य-पश्चिम बंगाल	5.10.2002	2253
आईडीपी-144 सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र परियोजना IV	केंद्रीय	3.31.2003	1,251
आईडीपी-145 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परि (IV)	केंद्रीय	3.31.2003	33,58
आईडीपी-146 पंजाब वानिकीकरण परियोजना (II)	राज्य-पंजाब	3.31.2003	4,809
आईडीपी-147 अक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट विस्तार परियोजना	राज्य-पश्चिम बंगाल	3.31.2003	36.641
आईडीपी-148 राजस्थान वानिकी तथा जैव विविधता परियोजना	राज्य- राजस्थान	3.31.2003	8,625
आईडीपी-149 यमुना कार्य योजना परियोजना II	केंद्रीय	3.31.2003	13,333
आईडीपी-150 अजंता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना II	केंद्रीय	3.31.2003	7,280
आईडीपी-150ए अजंता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना II	केंद्रीय	3.31.2003	51
आईडीपी-151 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना	केंद्रीय	3.31.2004	56,591
आईडीपी-152 पुरूलिया पम्पड स्टोरेज परियोजना IV	राज्य-पश्चिम बंगाल	3.31.2004	23,535
आईडीपी-153 धौलीगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रकशन	केंद्रीय	3.31.2004	13,890
आईडीपी-154 रेंगाली सिंचाई परियोजना-II	राज्य-उड़ीसा	3.31.2004	6,342
आईडीपी-155 कुरनूल-कुड्डपाह नहर आधुनिकीकरण परियोजना II	राज्य-आंध्र प्रदेश	3.31.2004	4,773
आईडीपी-156 उमियाम चरण-V जलविद्युत परियोजना केन्द्र-नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण	राज्य-मेघालय	3.31.2004	1,964

1	2	3	4
आईडीपी-157 बिसालपुर जयपुर जलापूर्ति परियोजना	राज्य-राजस्थान	3.31.2004	8,881
आईडीपी-158 हरियाणा में इंट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पावर्ती प्रोजेक्ट	राज्य-हरियाणा	3.31.2004	6,280
आईडीपी-159 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना VI	केंद्रीय	3.31.2005	19,292
आईडीपी-161 राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	राज्य-राजस्थान	3.31.2005	11,555
आईडीपी-162 तमिलनाडु वानिकीकरण परियोजना (II)	राज्य-तमिलनाडु	3.31.2005	9,818
आईडीपी-163 कर्नाटक स्थायी वन प्रबंधन तथा जैव संरक्षण कार्यक्रम	राज्य-कर्नाटक	3.31.2005	15,209
आईडीपी-164 गंगा कार्य योजना परियोजना/(वाराणसी)	केंद्रीय	3.31.2005	11,184
आईडीपी-165 बंगलौर जलापूर्ति एवं मल जल निकासी परियोजना चरण-II-I	राज्य-कर्नाटक	3.31.2005	41,997
आईडीपी-166 उत्तर प्रदेश बौद्ध मंडल विकास परियोजना	केंद्रीय	3.15.2005	9,495
आईडीपी-167 पुरूलिया पम्पड स्टोरेज परियोजना II	राज्य-पश्चिम बंगाल	3.31.2006	17,963
आईडीपी-168 बंगलौर जलापूर्ति एवं मल जल निकासी परियोजना-II	राज्य-कर्नाटक	3.31.2006	9,904
आईडीपी-168ए बंगलौर जलापूर्ति एवं मल जल निकासी परियोजना चरण-II	राज्य-कर्नाटक	3.31.2006	18,454
आईडीपी-169 ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	केंद्रीय	3.31.2006	20,629
आईडीपी-170 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-II	केंद्रीय	3.31.2006	14,900
आईडीपी-171 बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	केंद्रीय	3.31.2006	44,704
आईडीपी-172 स्वान नदी एकीकृत जलसंभर प्रबंधन परियोजना	राज्य-हिमाचल प्रदेश	3.31.2006	3,493
आईडीपी-173 उड़ीसा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना	राज्य-उड़ीसा	3.31.2006	13,937
आईडीपी-174 हुसैन सागर झील एवं आवाह क्षेत्र सुधार परियोजना	राज्य-आंध्र प्रदेश	3.31.2006	7,729
आईडीपी-175 कोलकाता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधार परियोजना	राज्य-पश्चिम बंगाल	3.31.2006	3,584
आईडीपी-176 विशाखापट्टनम पत्तन विस्तार परियोजना	केंद्रीय	3.31.2006	161
आईडीपी-177 बंगलौर वितरण उन्नयन परियोजना	राज्य-कर्नाटक	3.30.2007	10,643
आईडीपी-178 हैदराबाद में पारेषण प्रणाली आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना	राज्य-आंध्र प्रदेश	3.30.2007	23,697
आईडीपी-179 दिल्ली जन दुंत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-2 (II)	केंद्रीय	3.30.2007	13,583
आईडीपी-180 विशाखापट्टनम पत्तन विस्तार परियोजना	केंद्रीय	3.30.2007	4,129

1	2	3	4
आईडीपी-181 आंध्र प्रदेश सिंचाई एवं आजीविका सुधार परियोजना	राज्य-आंध्र प्रदेश	3.30.2007	23,974
आईडीपी-182 त्रिपुरा वन पर्यावरणीय सुधार एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	राज्य-त्रिपुरा	3.30.2007	7,725
आईडीपी-183 गुजरात वानिकी विकास परियोजना चरण-2	राज्य-गुजरात	3.30.2007	17,521
आईडीपी-184 केरल जलापूर्ति परियोजना	राज्य-केरल	3.30.2007	32,777
आईडीपी-185 आगरा जलापूर्ति परियोजना	राज्य-उत्तर प्रदेश	3.30.2007	24,822
आईडीपी-186 अमृतसर मलजल निकासी परियोजना	राज्य-पंजाब	3.30.2007	6,961
आईडीपी-187 उड़ीसा एकीकृत स्वच्छता सुधार परियोजना	राज्य-उड़ीसा	3.30.2007	19,061
आईडीपी-188 महाराष्ट्र पारेषण प्रणाली परियोजना	राज्य-महाराष्ट्र	9.14.2007	16,585
आईडीपी-188क महाराष्ट्र पारेषण प्रणाली परियोजना	राज्य-महाराष्ट्र	9.14.2007	164
आईडीपी-189 गोवा जलापूर्ति एवं मल जल निकासी परियोजना	राज्य-गोवा	9.14.2007	16,981
आईडीपी-189क गोवा जलापूर्ति एवं मल जल निकासी परियोजना	राज्य-गोवा	9.14.2007	4,399
आईडीपी-189ख गोवा जलापूर्ति एवं मलजल निकासी परियोजना	राज्य-गोवा	9.14.2007	1,426
आईडीपी-190 हरियाणा परेषण प्रणाली परियोजना	राज्य-हरियाणा	3.10.2008	20,902
आईडीपी-191 दिल्ली जनदूत पारेषण प्रणाली परियोजना चरण 2	केंद्रीय	3.10.2008	71,529
आईडीपी-191क दिल्ली जनद्रुत पारेषण प्रणाली परियोजना चरण 2	केंद्रीय	3.10.2008	571
आईडीपी-192 कोलकाता पूर्वी पश्चिमी मेट्रो परियोजना	केंद्रीय	3.10.2008	4,789
आईडीपी-192क कोलकाता पूर्वी पश्चिमी मेट्रो परियोजना	केंद्रीय	3.10.2008	1,648
आईडीपी-193 हैदराबाद बाहरी मुद्रिका सड़क परियोजना चरण-1	राज्य-आंध्र प्रदेश	3.10.2008	40,903
आईडीपी-193क हैदराबाद बाहरी मुद्रिका सड़क परियोजना चरण-1	राज्य-आंध्र प्रदेश	3.10.2008	950
आईडीपी-194 वन विभाग-उत्तर प्रदेश	राज्य-उत्तर प्रदेश	3.10.2008	12,657
आईडीपी-194क उत्तर प्रदेश प्रतिभागी वन प्रबंधन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	राज्य-उत्तर प्रदेश	3.10.2008	688
आईडीपी-195 होगेक्कल जलापूर्ति एवं फलूरोसिस उपशमन परियोजना	राज्य-तमिलनाडु	3.10.2008	21,098

1	2	3	4
आईडीपी-195क होगेनक्कल जलापूर्ति एवं फलूरोसिस उपशन परियोजना	राज्य-तमिलनाडु	3.10.2008	1,289
आईडीपी-196 तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना	राज्य-तमिलनाडु	3.10.2008	4,545
आईडीपी-196क तमिलनाडु शहरी परियोजना	राज्य-तमिलनाडु	3.10.2008	4,006
आईडीपी-197 चैन्नई मेट्रो परियोजना	केंद्रीय	11.21.2008	18,456
आईडीपी-197क चैन्नई मेट्रो अवसंरचना परियोजना	केंद्रीय	11.21.2008	3,295
आईडीपी-198 हैदराबाद बाहरी मुद्रिका सड़क परियोजना (चरण-2)	राज्य-आंध्र प्रदेश	11.21.2008	41,191
आईडीपी-198क हैदराबाद बाहरी मुद्रिका सड़क परियोजना (चरण-2)	राज्य-आंध्र प्रदेश	11.21.2008	836
आईडीपी-199 वन प्रबंधन एवं कार्मिक प्रशिक्षण हेतु क्षमता विकास परियोजना	केंद्रीय	11.21.2008	5,241
आईडीपी-200 अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्योग ऊर्जा बचत परियोजना	केंद्रीय	11.21.2008	30,000
आईडीपी-201 गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना	राज्य-असम	3.31.2009	26,915
आईडीपी-201क गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना	राज्य-असम	3.31.2009	2,538
आईडीपी-202 दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (IV)	केंद्रीय	3.31.2009	76,229
आईडीपी-202क दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (IV)	केंद्रीय	3.31.2009	1,524
आईडीपी-203 केरल जलापूर्ति परियोजना-3	राज्य-केरल	3.31.2009	12,308
आईडीपी-203क केरल जलापूर्ति परियोजना-(III)	राज्य-केरल	3.31.2009	419
आईडीपी-204 होगेनकल जलापूर्ति तथा फ्लूरोसिस उपशमन परियोजना (चरण 2)	राज्य-तमिलनाडु	3.31.2009	16,851
आईडीपी-204क होगेनकल जलापूर्ति तथा फ्लूरोसिस उपशमन परियोजना (चरण 2)	राज्य-तमिलनाडु	3.31.2009	244
आईडीपी-205 समर्पित मालाभाड़ा गलियारा परियोजना (चरण-I)	केंद्रीय	10.27.2009	2,606
आईडीपी-206 दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-2 (V)	केंद्रीय	3.31.2010	33,632
आईडीपी-206 दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-2 (V)	केंद्रीय	3.31.2010	8
आईडीपी-207 कोलकाता पूर्वी पश्चिमी मेट्रो परियोजना (II)	केंद्रीय	3.31.2010	22,809

1	2	3	4
आईडीपी-207क कोलकाता पूर्वी पश्चिमी मेट्रो परियोजना	केंद्रीय	3.31.2010	593
आईडीपी-208 चैन्नई मेट्रो परियोजना	केंद्रीय	3.31.2010	55,646
आईडीपी-208क चैन्नई मेट्रो परियोजना	केंद्रीय	3.31.2010	4,205
आईडीपी-209 समर्पित मालाभाड़ा गलियारा परियोजना (चरण-1)	केंद्रीय	3.31.2010	87,788
आईडीपी-209क समर्पित मालाभाड़ा गलियारा परियोजना (चरण-1) (II)	केंद्रीय	3.31.2010	2,474
आईडीपी-210 रेंगाली सिंचाई परियोजना	राज्य-उड़ीसा	3.31.2010	3,052
आईडीपी-055 छोटे पैमाने पर विकास परियोजना	केंद्रीय	12.15.1988	19,500
आईडीपी-056 ऊपरी उकोलाब सिंचाई परियोजना	राज्य-उड़ीसा	12.15.1988	3,114
आईडीपी-057 ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	राज्य-उड़ीसा	12.15.1988	3,600
आईडीपी-059 मैसूर कागज मिल परियोजना	केंद्रीय	12.15.1988	2,374
आईडीपी-061 बर्नपुर इस्पात संयंत्र	केंद्रीय	1.6.1989	5,546
आईडीपी-048 एचसीएल	केंद्रीय	1.12.1990	1,176
आईडीपी-069 इंदिरा गांधी नहर परियोजना	राज्य-राजस्थान	3.27.1990	50
आईडीपी-070 कोलाघाट टीपीएसव फ्लाईएश उपयोग परियोजना	राज्य-पश्चिम बंगाल	3.27.1990	169
आईडीपी-062 तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	राज्य-तमिलनाडु	3.27.1990	10,779
आईडीपी-063 एनटीपीसी	केंद्रीय	3.27.1990	12,911
आईडीपी-066 विद्युत प्रणाली और लघु पन परियोजना	केंद्रीय	1.23.1991	13,718
आईडीपी-071 उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड	राज्य-उत्तर प्रदेश	1.23.1991	49,801
आईडीपी-072 तिस्ता नहर पन परियोजना	राज्य-पश्चिम बंगाल	1.23.1991	6,121
आईडीपी-073 वानिकीकरण विकास परियोजना (आईजी नहर)	राज्य-राजस्थान	1.23.1991	4,711
आईडीपी-074 गुणवत्ता नियंत्रण स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी	केंद्रीय	1.23.1991	569
आईडीपी-075 छोटे पैमाने के उद्योगों संबंधी विकास परियोजना	केंद्रीय	1.23.1991	30,000
आईडीपी-076 आवासीय कार्यक्रम (एनएचबी)	केंद्रीय	1.23.1991	2,970
आईडीपी-006 एमरजेंट कॉमोडिटी दिनांक 31.5.91	केंद्रीय	5.31.1991	20,256
आईडीपी-065 उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	राज्य-उत्तर प्रदेश	6.13.1991	17,533
आईडीपी-077 छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	केंद्रीय	6.14.1991	20,256
आईडीपी-078 एनटीपीसी	केंद्रीय	1.9.1992	40,191
आईडीपी-079 शहरी नगर जलापूर्ति परियोजना	केंद्रीय	1.9.1992	4,207
आईडीपी-080 अरावली पहाड़ियों का वानिकीकरण	राज्य-राजस्थान	1.9.1992	7,928
आईडीपी-081 राष्ट्रीय राजमार्ग (मथुरा-आगरा)	केंद्रीय	1.9.1992	3,958

1	2	3	4
आईडीपी-082 अजंता-एलोरा संरक्षण परियोजना	केंद्रीय	1.9.1992	3,745
आईडीपी-083 अनपरा बी ताप विद्युत परियोजना-	राज्य-उत्तर प्रदेश	12.3.1992	13,200
आईडीपी-007 पन-कार्बन क्षेत्र कार्यक्रम	केंद्रीय	12.3.1992	33,085
आईडीपी-084 यमुना कार्रवाई योजना	केंद्रीय	12.21.1992	15,084
आईडीपी-085 श्रीसैलम विद्युत पारेषण प्रणाली	राज्य-आंध्र प्रदेश	12.21.1992	2,627
आईडीपी-086 गांधार गैसाधारित सीसीपी परियोजना	केंद्रीय	12.21.1992	14,705
आईडीपी-087 उद्योगमंडल अमोनिया प्रतिस्थापना परियोजना	केंद्रीय	12.21.1992	13,145
जेपीजीएल 024 भारत को 250 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 22.9.93 कर की एक्जिन ईएसएएल	केंद्रीय	9.22.1993	26,500
आईडीपी-088 अनपरा बी.टी.पी. प्रोजेक्ट	राज्य-उत्तर प्रदेश	1.24.1994	17,426
आईडीपी-089 ब्रकेश्वर टी.पी. प्रोजेक्ट	राज्य-पश्चिम बंगाल	1.24.1994	26,982
आईडीपी-090 फरीदाबाद जीबीपीएस एंड एटीएसपी	केंद्रीय	1.24.1994	19,937
आईडीपी-091 नैनी स्थित यमुना पुल	केंद्रीय	1.24.1994	7,515
आईडीपी-092 एनएच 5 इन्पूवमेंट प्रोजेक्ट	केंद्रीय	1.24.1994	6,749
आईडीपी-093 एसएसआई डेव प्रोग्राम	केंद्रीय	1.24.1994	30,000
आईडीपी-094 श्री सेलम लेफ्ट बैंक पीएसपी	राज्य-आंध्र प्रदेश	2.28.1995	22,471
आईडीपी-095 श्री सेलम लेफ्ट बैंक टीएसपी प्रोजेक्ट	राज्य-आंध्र प्रदेश	2.28.1995	7,494
आईडीपी-096 असम गैस टीपीएस एंड ट्रांसमिशन	केंद्रीय	2.28.1995	10,552
आईडीपी-097 बक्रेश्वर टीपीएस एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट	राज्य-पश्चिम बंगाल	2.28.1995	8,337
आईडीपी-098 पुरूलिया पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट	राज्य-पश्चिम बंगाल	2.28.1995	20,388
आईडीपी-099 कोथागुडमएटीपीएक प्रोजेक्ट	राज्य-आंध्र प्रदेश	2.28.1995	5,084
आईडीपी-100 नेशनल हाइवे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम II	केंद्रीय	2.28.1995	3,541
आईडीपी-101 नेशनल हाइवे-24 इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट	केंद्रीय	2.28.1995	2,795
आईडीपी-102 मद्रास सिवरेज आर एंड एफ इम्प्रूवमेंट	राज्य-तमिलनाडु	2.28.1995	1,211
आईडीपी-103 लेक भोपाल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट	राज्य-मध्य प्रदेश	2.28.1995	6,537
आईडीपी-104 राजस्थान फारेस्ट्री डेवलमपेंट	राज्य-राजस्थान	2.28.1995	4,219
आईडीपी-105 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रक (प. बंगाल)	राज्य-पश्चिम बंगाल	2.28.1995	955
आईडीपी-106 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रक कार्यक्रम	केंद्रीय	2.28.1995	3,000
आईडीपी-107 धौलीगंगा हाइड्रो पावर प्लांट	केंद्रीय	1.25.1996	4,976
आईडीपी-108 अनपारा पावर ट्रान्समिशन सिस्टम II	राज्य-उत्तर प्रदेश	1.25.1996	8,055
आईडीपी-109 बंगलौर जल आपूर्ति एवं मल जल निकासी परियोजना	राज्य-कर्नाटक	1.25.1996	23,047
आईडीपी-110 हुडको शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	केंद्रीय	1.25.1996	8,670
आईडीपी-111 अत्तामयी वेस्टलैंड कम्प्रिहेनसिव इनवायरमेंट	राज्य-केरल	1.25.1996	4,867
आईडीपी-112 गुजरात अफरेस्ट एंड डेवलमपेंट प्रोजेक्ट	राज्य-गुजरात	1.25.1996	15,732

1	2	3	4
आईडीपी-113 कूर्नूल-कुडप्पा कैनल मार्डनाइजेशन प्रोजेक्ट	राज्य-आंध्र प्रदेश	1.25.1996	15,729
आईडीपी-114 सिडबी विकास कार्यक्रम (V)	केंद्रीय	1.25.1996	30,000
आईडीपी-115 पिपवाय पोर्टयान ब्रेकिंग प्रोजेक्ट	राज्य-गुजरात	1.25.1996	6,998
आईडीपी-116 पीजीसीएल उत्तरी भारत ट्रान्समिशन	केंद्रीय	2.25.1997	3,726
आईडीपी-117 पश्चिम बंगाल ट्रान्समिशन सिस्टम प्रोजेक्ट	राज्य-पश्चिम बंगाल	2.25.1997	10,495
आईडीपी-118 उमियान हाइड्रो पावर स्टेशन रिन प्रोजेक्ट	राज्य-मेघालय	2.25.1997	1,693
आईडीपी-119 नीप टयूरियल सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन	केंद्रीय	2.25.1997	3,328
आईडीपी-120 एनटीपीसी सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन	केंद्रीय	2.25.1997	19,371
आईडीपी-121 दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	केंद्रीय	2.25.1997	14,760
आईडीपी-122 कलकत्ता ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	राज्य-पश्चिम बंगाल	2.25.1997	10,531
आईडीपी-123 केरल जलापूर्ति परियोजना	राज्य-केरल	2.25.1997	11,834
आईडीपी-124 पूर्वी कर्नाटक वानिकीकरण परियोजना	राज्य-कर्नाटक	2.25.1997	14,832
आईडीपी-125 तमिलनाडु वानिकीकरण परियोजना	राज्य-तमिलनाडु	2.25.1997	13,286
आईडीपी-126 राजघाट नहर सिंचाई कार्यक्रम	राज्य-मध्य प्रदेश	2.25.1997	12,565
आईडीपी-128 श्रीसालेम लेफ्ट बैंक विद्युत परियोजना	राज्य-आंध्र प्रदेश	2.25.1997	14,184
आईडीपी-129 एनएचपीसी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना	केंद्रीय	12.12.1997	16,311
आईडीपी-130 बग्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना-II	राज्य-पश्चिम बंगाल	12.12.1997	32,301
आईडीपी-131 तूतीकोरन पत्तन तलछट परियोजना	केंद्रीय	12.12.1997	6,026
आईडीपी-132 पंजाब वानिकीकरण परियोजना	राज्य-पंजाब	12.12.1997	6,188
आईडीपी-133 छत्तीसगढ़ रेशम पालन परियोजना	राज्य-छत्तीसगढ़	12.12.1997	1,205
आईडीपी-134 मणिपुर रेशम पालन परियोजना	राज्य-मणिपुर	12.12.1997	3,942
आईडीपी-135 रेंगाली सिंचाई परियोजना	राज्य-उड़ीसा	12.12.1997	6,844
आईडीपी-136 सिडबी लघु उद्योग कार्यक्रम	केंद्रीय	12.12.1997	30,00
आईडीपी-127 सिम्हाद्री तथ विजांग पारेषण प्रणाली	राज्य-आंध्र प्रदेश	12.12.1997	10,437
आईडीपी-137 बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना III	राज्य-पश्चिम बंगाल	3.24.199	9,695
आईडीपी-138 सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र परियोजना II	केंद्रीय	3.30.2001	12,192
आईडीपी-139 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली II	केंद्रीय	3.30.2001	6,732
आईडीपी-140 सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	केंद्रीय	2.12.2002	27,295
आईडीपी-141 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना III	केंद्रीय	2.13.2002	28,650
आईडीपी-142 सिम्हाद्री एवं विजांग पारेषण प्रणाली परियोजना II	राज्य-आंध्र प्रदेश	5.10.2002	5,476
आईडीपी-210क रेंगाली सिंचाई परियोजना (III)	राज्य-उड़ीसा	3.31.2010	20
आईडीपी-211क सिक्किम जैवविविधता संरक्षण एवं वन प्रबंधन परियोजना	राज्य-सिक्किम	3.31.2010	5,067

1	2	3	4
आईडीपी-211 सिक्किम जैवविवितधता संरक्षण एवं वन प्रबंधन परियोजन	राज्य-सिक्किम	3.31.2010	317
आईडीपी-212 समपर्तित मालभाड़ा गलियारा परियोजना (चरण-2)	केंद्रीय	7.26.2010	1,616
आईडीपी-213 हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना	राज्य-हिमाचल प्रदेश	2.17.2011	4,643
आईडीपी-213क (हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना	राज्य-हिमाचल प्रदेश	2.17.2011	358
आईडीपी-214 तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण एवं हरियालीकरण परियेाजन	राज्य-तमिलनाडु	2.17.2011	8,710
आईडीपी-214क तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण एवं हरियालीकरण	राज्य-तमिलनाडु	2.17.2011	119
आईडीपी-215 यमुना कार्य योजना परियोजना III	केंद्रीय	2.17.2011	31,805
आईडीपी-215क यमुना कार्य योजना परियोजना III	केंद्रीय	2.17.2011	766
आईडीपी-216 आंध्र प्रदेश ग्रामीण उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली परियोजना	राज्य-आंध्र प्रदेश	6.16.2011	18,590
आईडीपी-217 मध्य प्रदेश पारेषण प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना	राज्य-मध्य प्रदेश	6.16.2011	18,475
आईडीपी-218 अति लघु, लघु तथा माध्यम उद्यम ऊर्जा बचत परियोजना (चरण-2)	केंद्रीय	6.16.2011	30,000
आईडीपी-219 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजना	केंद्रीय	6.16.2011	30,00
आईडीपी-220 बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	केंद्रीय	6.16.2011	19,832
आईडीपी-221 राजस्थान वानिकी तथा जैव विधिता परियोजना (चरण-2)	राज्य-राजस्थान	6.16.2011	15,749
जोड़			3,334,533

[अनुवाद]

311-17

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

960. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्थानीय छोटे दुकानदारों पर इसके प्रभाव के आकलन के लए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने से अधिक नौकरियां सृजित होंगी और खाद्य पदार्थों संबंधी महंगाई में कमी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस दृष्टिकोण का क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): वर्तमान नीति में केवल एकल मार्का खुदरा क्षेत्र में ही 51% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन दी गई है।

सरकार ने "बहु मार्का खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" के विषय पर परिचर्या पत्र जारी किया था जिसका उद्देश्य इस विषय पर सुविज्ञ चर्चा कराना और विभिन्न पणधारियों के विचारों और टिप्पणियों को प्राप्त करना है। व्यापार/उद्योग/खुदरा व्यापारी संघों; किसान संघों; प्रमुख खुदरा व्यापारियों; उपभोक्ताओं; लघु उद्योगों आदि सहित अनेक पणधारियों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

"बहु मार्का खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" विषय पर जारी परिचर्या पत्र के जवाब में पणधारियों से प्राप्त विचार सार्वजनिक अधिक्षेत्र में उपलब्ध हैं और इन्हें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है।

(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के जरिए "असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव" विषय की बाबत एक अध्ययन पहले प्रारंभ किया था। यह रिपोर्ट भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक जानकारी के लिए उपलब्ध है।

(ग) और (घ) परिचर्या पत्र को इस विषय पर एक सुविज्ञ चर्चा शुरू करने और खुदरा क्षेत्र में बैक-एंड अवसंरचना की प्रचालनात्मक क्षमता को बढ़ाने, कृषीय क्षेत्र में अपव्यय को कम करने, उत्पादकों के लाभों को बढ़ाने, दमूल्य कड़ी में खुदरा व्यापारी को एकीकृत करने और अधिक प्रतिस्पर्धा के जरिए उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न पणधारकों के विचार और अभ्युक्तियां प्राप्त करने के लक्ष्य से जारी किया गया था। परिचर्या पत्र में छोटे व्यापारियों पर इसके प्रभाव, असंगठित क्षेत्र में छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए संभावित कार्यनीति और खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों आदि के भंडारण संबंधी क्षमता निर्माण पर इसके संभावित प्रभाव की जांच भी की गई है। ऐसे प्रयास भंडारण क्षमता तथा अवसंरचना में संवर्धन करने की ओर लक्षित हैं, जो एक बेहतर आपूर्ति कड़ी में परिणामी होते हैं।

[हिन्दी] 313-14

विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निधियां

961. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई योजना शुरू नहीं की है जिसके अंतर्गत राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को निधि आबंटित हुई हैं। तथापि, योजना आयोग राज्यों के वार्षिक योजना व्यय को अनुमादित करता है। राज्यों/केंद्रीय शासित प्रदेशों को योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए आबंटित निधि में उत्पादन क्षमता के लिए आबंटित निधि भी शामिल हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए फंड आबंटन के ब्यौरे और 11वीं योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान उनका उपयोग निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वार्षिक योजना	अनुमोदित फंड	फंड का उपयोग
2007-08	26941.27	26003.89
2008-09	33493.96	31576.80
2009-10	38141.54	33599.22

राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि के लिए निधि जारी करना 314-15

962. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि से शेष 2.12 करोड़ रुपऐ की राशि की शीघ्र मंजूरी का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से राज्य रूग्णता सहायता निधि के अंतर्गत 211.78 लाख रुपये की राशि जारी करने के लिए एक अनुरोध हुआ था। अभी हाल ही के एक कम्युनिकेशन में राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2008 तक इस योजना के अंतर्गत किए गए व्यय की राशि के मुकाबले बकाया शेष को 260.42 लाख रुपये के रूप में संशोधित किया है।

राज्य सरकार से राज्य रूग्णता सहायता निधि के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया था:

(i) जनता की जानकारी के लिए, लाभार्थियों की सूचियों के साथ मंजूर की गई राशि, अस्पताल तथा उन बीमारियों जिनके लिए निधियां मंजूर की गई थीं, को राज्य स्तर के एक अग्रणी अखबार में प्रकाशित करना है।

(ii) निधियों को राज्य रूग्णता सहायता निधि/सोसाइटी के नाम पर बैंक के एक अलग खाते में रखना है।

(iii) इस योजना के अंतर्गत केवल वे रोगी ही लाभार्थी होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में आते हों।

(iv) राजस्थान सरकार से निधि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति।

राजस्थान सरकार को आगे अनुदान की निर्मुक्ति उपरोक्त शर्तों को पूरा करने तथा सूचना प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

316-17

खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

963. **श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू-वर्ष के दौरान खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कुल कितनी आवक प्राप्त हुई;

(ख) खनन क्षेत्रों में घरेलू निवेश के मुकाबले इस निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन क्षेत्र में इस बड़े निवेश से खनन क्षेत्र की स्थानीय जनसंख्या को कोई लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की आवक निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष (अप्रैल से मार्च)	एफडीआई, करोड़ रु. में	एफडीआई (अमेरिकी मिलियन डालर में)
1.	2008-09	161.09	34.16
2.	2009-10	829.92	174.40
3.	2010-11	357.42	79.51
4.	2011-12 (अप्रैल से मई)	436.61	98.28
	कुल योग	1,785.04	386.35

(स्रोत : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(ख) गैर-ईंधन और गैर परमाणु खनिजों के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सहित निजी निवेश के लिए खनन क्षेत्र को खोल दिया है। उक्त नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च मूल्य और दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी आौर विदेशी भागीदारी की परिकल्पना की गई है। हीरे और मूल्यवान पत्थरों सहित सभी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के लिए स्वत: मार्ग के तहत गवेषण, खनन, खनिज प्रोसेसिंग और धात्विक में 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई अनुमोदन केवल भारत में निगमित कंपनी में इक्विटी भागीदारी के लिए प्रदान किया जाता है। कंपनियों को खनिज रियायतों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन करना अपेक्षित है जो अपने अपने प्रादेशिकी क्षेत्राधिकार के खनिजों के मालिक हैं। खनन क्षेत्र में घरेलू निवेश की केंद्रीय स्तर पर निगरानी नहीं की जाती है। इसलिए एफडीआई और घरेलू निवेश के बीच तुलना और उससे प्राप्त होने वाले लाभ उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भारत में गवेषण और खनन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सकल घरेलू क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक नहीं माना जाता है, जिसका वार्षिक उत्पादन वर्ष 2010-11 के दौरान 2 लाख करोड़ रु. से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। जहां तक निवेश से स्थानीय लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ का संबंध है, एफडीआई निवेश और घरेलू निवेश, दोनों ही इसी नीति और वैधानिक ढांचे के अध्ययधीन हैं, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा को ध्यान में रखते हुए घरेलू और विदेशी निवेश में अंतर करना संभव नहीं है, जहां तक स्थानीय लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ का संबंध है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधी लाभ और अन्य आय का सृजन दोनों मामलों में प्राप्त हुए हैं।

बी.पी.ओ. की स्थापना

964. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लाभार्थियों के व्यक्ति गत ब्यौरे का सत्यापन करने के लिए किसी व्यापार प्रक्रिया ब्राह्यस्रोत (बी.पी.ओ.) की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि टीकाकरण कार्यक्रम के दस में से चार लाभार्थियों के नाम गलत तरीके से दर्ज किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों से टीकाकरण कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं के सही आंकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ख) सरकार ने मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (एमसीटीएस) द्वारा प्राप्त आंकड़ों का वैधीरकण करने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा स्वास्थ्य कार्मिकों तथा लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक सहायता डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) एमसीटीएस पर लाभार्थियों की नाम आधारित सूचना को अपलोड करना तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार आंकड़ों की गुणवत्ता तथा इसकी उपयोगिता में सुधार करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करके तथा लिखित सम्प्रेषणों के माध्यम से लगातार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संपर्क में रहती है। इस संबंध में राज्यों की अनुक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है।

[हिन्दी]

काले धन का परिवर्तन

965. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो दशकों के दौरान भारत में लाभांश एवं पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगाने संबंधी उपबंधों का फायदा उठाकर विदेशों में जमा काला धन सफेद धन में बदल कर देश में वापस लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीयों द्वारा विदेश में जमा काले धन एवं उनके द्वारा जमीन जायदाद एवं अन्य आकर्षक कारोबार में निवेश किये गये काले धन का भी पता लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस दिशा में क्या प्रभावी उपाय किये हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) विदेशों में जमा करके सफेद धन में परिवर्तित करके तथा भारत में लाभांश एवं पूंजी अभिलाभ पर कर के प्रावधानों को फायदा उठा करके देश में वापस लाए गए कालेधन के संबंध में मंत्रालय में कोई डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, जब भी अचल सम्पत्ति एवं अन्य व्यवसाय समेत कर अपवंचन के संबंध में आयकर विभाग को विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) आयकर विभाग बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करने एवं कर अपवंचन पर रोक लगाने के लिए अनेक दंडात्मक एवं निवारक कदम उठाता है। इनमें कर विवरणियों की संवीक्षा, सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई, उपयुक्त मामलों में अर्थ दंड लगाना एवं अभियोजन चलाना शामिल है। करदाता सूचना के संग्रहण, मिलान एवं प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी काफी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण कर संबद्ध सूचना के आधार के रूप में कर सूचना नेटवर्क (टिन) का गठन किया गया है जहां विभाग सम्पर्क कर सकता है। टिन के बुनियादी संघटक स्रोत

पर कर कटौती (टीडीएस), करों के भुगतान एवं वार्षिक सूचना विवरणियों (ए आई आर) में सूचित अधिक मूल्य के लेन-देन में संबंधित सूचनाएं हैं। विभाग ने विभिन्न स्रोतों अर्थात स्रोत पर कटौती, विवरणी की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग, वार्षिक सूचना विवरणी, केन्द्रीय सूचना शाखा (सी आई बी) आदि से एकत्रित सूचना का इलेक्ट्रानिक रूप से मिलान करने के लिए एक एकीकृत करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली (आई टी डी एम एस) स्थापित किया है ताकि उच्च निवल मूल्य के कर निर्धारितियों की 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार की जा सके। विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से संदिग्ध लेन-देन के संबंध में राजस्व विभाग के अधीन वित्तीय आसूचना शाखाओं (सीआईबी) से प्राप्त सूचना की भी आयकर विभाग द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा, विभाग ने कम्प्यूटर समर्पित संवीक्षा चयन (सीएसएस) लागू किया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचना की उपलब्ध सूचना एवं आय विवरणी में कर निर्धारितियों द्वारा की गई घोषणाओं से मिलान के आधार पर संवीक्षा के लिए विवरणियों का चयन किया जाता है। जहां तक देश के बाहर बेहिसाबी धन एवं धन का पता लगाने का संबंध है, देश के बाहर जमा धन या प्राप्तियों के संबंध में सभी सूचनाओं का सत्यापन किया जाता है तथा अप्रकट कराधेय राशि पर कर लगाने के लिए कदम उठाया जाता है। इसके अलावा, विभाग में आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के प्रशासनिक नियंत्रण में दो विशिष्ट प्रकोष्ठ हैं। अंतर्राष्ट्रीय कर प्रभाग विदेशी कम्पनियों, प्रवासियों, अनिवासियों एवं ऐसी अन्य संस्थाओं के मामलों की जांच करता है एवं कर निर्धारण करता है। अंतरण मूल्य निर्धारण प्रभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-X के प्रावधानों के अनुसरण में न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए संबद्ध उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की जांच करता है। ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जहां कर अपवंचन का पता चलता है।

[अनुवाद]

319-20

छोटे किसानों को वित्तपोषण

966. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी नवीन योजना के माध्यम से छोटे किसानों का वित्त पोषण का है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर अब तक कितनी निधियां व्यय की गईं; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने लघु किसानों को वित्तपोषित करने के लिए छोटे किसानों, विशेषकर छोटे, सीमांत, काश्तकार, मौखिक पट्टेदारों, बंटाईदारों/खेती करने वाले व्यक्तिगत किसान/गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए अपने नवोत्पादों के भाग के रूप में संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) योजना शुरू की है।

संयुक्त देयता समूह, व्यक्तिगत आधार पर अथवा एक दूसरे की गारंटी पर समूह गारंटी के माध्यम से बैंक ऋण लेने के उद्देश्य से एक साथ आने वाले 4-10 व्यक्तियों का एक समूह है। वित्त पोषण का 'जेएलजी' तरीका, लक्षित समूह अर्थात छोटे, सीमांत, काश्तकार, मौखिक पट्टेदारों, बंटाईदारों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए संपाश्विक विकल्प के रूप में काम आते हैं। वित्तपोषण का 'जेएलजी' माध्यम का उद्देश्य बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन, उत्पादकता और जीवनयापन संवर्धन के द्वारा आरक्षित वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। 'जेएलजी', प्रौद्योगिकी अंतरण, बाजार सूचना के लिए साझा पहुंच सुगम करने, प्रशिक्षण और मिट्टी जांच, आगत अपेक्षाओं के प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार के रूप में आसानी से कार्य कर सकता है।

नाबार्ड ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरित ऋण 1,41,045 जेएलजी वे लिए 1,14.29 करोड़ रुपए है।

320-21

मानव विकास सूचकांक

967. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और अशिक्षा के कारण मानव विकास सूचकांक में 130वें स्थान पर है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा विचार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास रिपोर्ट 2010 में प्रकाशित मानव विकास इंडेक्स के

अनुसार भारत को 169 देशों में 119वें स्थान पर रखा गया है। मानव विकास इंडेक्स की गणना करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा चार संकेतकों नामत: जन्म पर जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूल शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष और प्रति व्यक्ति समग्र राष्ट्रीय आय का उपयोग किया गया है।

(ख) देश में स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक पहलें शुरू की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- मातृ-मृत्यु में कमी लाने के लिए किए गए उपायों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या और कुशल जन्म परिचर्या के प्रबंधन हेतु सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना, प्रसव-पूर्व और प्रसव पश्चात परिचर्या मुहैया करना, ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवसों का आयोजन करना, समुदाय में एक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति, आपाती रेफरल परिवहन आदि सहित रेफरल प्रणालियों को स्थापित करना शामिल है।

- बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए किए गए उपायों में नवजात शिशु और बाल्यावस्था रूग्णता के समेकित प्रबंधन में सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण, गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या में आशाओं का प्रशिक्षण, अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या और पुनरूज्जीवन में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं का प्रशिक्षण, सभी स्तरों पर नवजात परिचर्या प्रदान करना, केवल स्तनपान और संपूरक आहार को बढ़ावा देना, पोषणिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, नेमी रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना, गंभीर श्वसनीय संक्रमणों और अतिसार रोगों आदि के कारण होने वाली रूग्णता और मृत्यु में कमी लाने पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है।

- देश में साक्षरता की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में निशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अधिनियमन और क्रियान्वयन, सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर मध्याह्न भोजन योजना, प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना करना, महिला सामाख्या कार्यक्रम, मदरसों आदि में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना शामिल है।

तेल कंपनियों की सांविधिक लेखापरीक्षा

968. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली दो पेट्रोलियम कंपनियों पर सरकारी कर अपवंचन का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे केन्द्र और राज्य सरकारों को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा इन अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये या किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर अपवंचन के मुखबिर

969. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन लोगों को पुरस्कृत करने की कोई योजना है जो कर अपवंचकों के बारे में सूचना देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मुखबिरों द्वारा कर अपवंचकों के बारे में सूचना प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन मुखबिरों की जोन-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इन मुखबिरों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं जिससे कर अपवंचन के अधिकतम मामलों का पता लग सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) एवं (ख) कर अपवंचन की सूचना देने वाले मुखबिरों को "पुरस्कार देने" के लिए दिशा-निर्देश हैं। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी पुरस्कार दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अध्यधीन लगाये गये तथा वास्तव में वसूल किये गये अतिरिक्त आयकर तथा धन कर के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि का पुरस्कार नहीं दे सकता है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, मुखबिर जब्त निषिद्ध वस्तुओं की बिक्री से निवल आय तथा/अथवा अपवंचित शुल्क की राशि तथा जुर्माने व अर्थ दंड की लगाई गई तथा वसूल की गई राशि के 20 प्रतिशत तक इंगित विनिर्दिष्ट दर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र है।

(ग) एवं (च) कर अपवंचन के मामलों के संबंध में मुखबिरों से प्राप्त सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) मुखबिरों को कर अपवंचन से संबंधित जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की पुरस्कार नीति की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास से मुखबिर जांच एजेंसियों तक और आसानी से पहुंच सकते हैं। इन उपायों के कारण कार्रवाई योग्य आसूचना और इसके परिणामस्वरूप कर अपवंचन के मामलों का पता लगने की संख्या में वृद्धि हुई है।

सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की सुविधाएं

970. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी बैंकों के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों को एक समान चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) बैंकों की पेंशन स्कीमें निधिबद्ध स्कीमें हैं और अतिरिक्त लागत के वहन के लिए खर्च उठाना एक चिंता का विषय है। इसके अलावा, बैंक कर्मचारी पेंशन विनिमय में सावधि संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) सभी बैंकों के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों को एकरूप चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) शामिल लागत को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों को एकसमान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, कर्मचारियों की सेवा विनियमावली में सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खनन पट्टा

971. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन मौजूदा कंपनियों/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की राज्य-वार कंपनी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार एवं खनिज-वार संख्या कितनी है जिन्हें खनन पट्टा हेतु स्वीकृति प्राप्त है या जो लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों के खान में कार्यरत हैं;

(ख) क्या ये कंपनियां खनन कानूनों का पालन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) देश में लौह अयस्क और अन्य खनिजों के लिए खनन पट्टा प्राप्त केंद्रीय लोक उपक्रमों का राज्यवार और खनिजवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दी गई है। निजी कंपनियों को दिए गए खनिजवार खनन पट्टों का केंद्रीय स्तर पर ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि ऐसी कंपनियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) प्रत्येक पट्टाधारक को पट्टा करार में दी गई शर्तों एवं निबंधनों का पालन करना होता है। प्रत्येक पट्टाधारक के पास

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से अनुमोदित खनन योजना अपेक्षित है। (केवल उन 29 औद्योगिक खनिजों को छोड़कर जिनके अनुमोदन की शक्तियां संबंधित राज्य सरकारों के पास हैं)। सभी खनन पट्टों का, खनन योजना के संबंध में आईबीएम द्वारा तथा पट्टों की प्रसंविदाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(ग) यदि किसी अनुमोदित खनन योजना में कोई विचलन पाया जाता है तो विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) आईबीएम द्वारा गत दो वर्षों में निरीक्षित खानों और उनमें पाए गए उल्लंघनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	निरीक्षित खानों की संख्या	पाए गए उल्लंघनों की संख्या	शोधित उल्लंघनों की संख्या	जारी करण बताओ नोटिसों की संख्या
2009-10	2371	968	539	443
2010-11	2177	690	349	206

विवरण-I

देश में लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों के लिए खनन पट्टा प्राप्त केंद्रीय लोक उपक्रमों की राज्यवार एवं खनिजवार संख्या का विवरण।

राज्य	खनिज	केंद्रीय लोक उपक्रमों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	लाइमस्टोन	4
	अन्य मृदा	17
	स्वर्ण	3
	डोलोमाइट	1
	लौह अयस्क	0
	लेटेराइट	1
	शैल	1
	सिलिका सैड	1
	क्वार्टज	1
	मैग्नीज अयस्क	2
	कुल	31

1	2	3
असम	लाइमस्टोन	1
	कुल	1
बिहार	पाइराइट्स	1
	कुल	1
छत्तीसगढ़	डोलोमाइट	1
	लौह अयस्क	11
	लाइमस्टोन	1
	कुल	13
हरियाणा	लाइम कंकड़	2
	कुल	2
हिमाचल प्रदेश	लाइमस्टोन	2
	कुल	2
झारखंड	लाइमस्टोन	3
	कॉपर ओर	4
	केनाइट	1
	लौह अयस्क	12
	कुल	20

1	2	3
कर्नाटक	लाइमस्टोन	4
	लौह अयस्क	2
	स्वर्ण	1
	कुल	7
केरल	सिलिमानाइट	5
	कुल	5
मध्य प्रदेश	ताम्र अयस्क	2
	मैग्नीज अयस्क	11
	अन्य मृदा	2
	फायरक्ले	2
	लाइमस्टोन	2
	हीरा	2
	कुल	28
महाराष्ट्र	मैग्नीज अयस्क	20
	अन्य मृदा	11
	कुल	31
ओडिशा	लाइमस्टोन	1
	अन्य मृदा	1
	लौह अयस्क	9
	मैग्नीज अयस्क	1
	बॉक्साइट	3
	कुल	15
राजस्थान	कॉपर अयस्क	5
	जिप्सम	12
	कुल	17
तमिलनाडु	गारनेट	5
	मैग्नीजसाइट	7
	कुल	12
उत्तर प्रदेश	सिलिका सेंड	1
	कुल	1
उत्तराखंड	मैग्नीसाइट	2
	फॉस्फोराइट	2
	कुल	4
	सकल योग	190

विवरण-II

निजी कंपनियों को दिए गए खान पट्टों की राज्यवार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य	निजी कंपनियों को दिए गए खनन पट्टों की राज्यवार संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1894
2.	असम	06
3.	बिहार	10
4.	गोवा	278
5.	गोवा	337
6.	गुजरात	1106
7.	हरियाणा	108
8.	हिमाचल प्रदेश	52
9.	जम्मू और कश्मीर	52
10.	झारखंड	301

1	2	3
11.	कर्नाटक	547
12.	केरल	78
13.	मध्य प्रदेश	925
14.	महाराष्ट्र	207
15.	मणिपुर	02
17.	उड़ीसा	469
18.	राजस्थान	2513
19.	तमिलनाडु	868
20.	उत्तर प्रदेश	80
21.	उत्तराखंड	64
22.	पश्चिम बंगाल	50
	कुल	9967

कृषि ऋण का पुनर्निवेश

972. **डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान 4 प्रतिशत की दर पर रियासती कृषि ऋण प्राप्त करते हैं और उसे बैंकों में 8.5 प्रतिशत की दर पर सावधि जमा योजना (एफडीआई) के अंतर्गत फिर से निवेश कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों द्वारा कृषि ऋण दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पाधिक फसल ऋण 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज सहायता योजना एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार तुरंत ऋण चुकाने वाले अर्थात वे जो अपना ऋण समय से चुका देते हैं, ऐसे किसानों के लिए वर्ष 2009-10 से अतिरिक्त ब्याज सहायता दे रही है। अतिरिक्त ब्याज सहायता 2009-10 में 1% तथा 2010-11 में 2% थी। यह 2011-12 में बढ़ाकर 3% की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांविधिक निरीक्षण के दौरान नियत जमा योजना के अंतर्गत रियायती कृषि ऋण के पुनर्निवेश का कोई मामला सामने नहीं आया।

मोतियाबिन्द मुक्त भारत

973. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मोतियाबिन्द सहित आंखों की विभिन्न बीमारियों से कितने लोग पीड़ित हैं;

(ख) इन बीमारियों का इलाज करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां आबंटित की गईं और व्यय की गईं;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सहायता से भारत को मोतियाबिन्द से मुक्त बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिये क्या प्रविधि तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण 2001-04 के अनुसार देश में मोतियाबिंद (विजुअल एकुइटी $< 6/60$) सहित विभिन्न नेत्र संबद्ध रोगों के कारण लगभग 12 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्ति हैं।

(ख) एनपीसीबी के अंतर्गत नेत्र संबंधी रोगों का उपचार प्रदान करने के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

- नेत्र परिचर्या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना;
- निवारक नेत्र परिचर्या;
- चिकित्सा शिक्षा का पुनरुद्धार;
- मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना;

- सार्वजनिक, निजी भागीदारी के माध्यम से नेत्र परिचर्या सेवाओं के लिए अल्पसेवित क्षेत्रों को शामिल करना;
- नेत्र परिचर्या अवसंरचना का विकास;
- मोतिया बिंद शल्य चिकित्सा के अलावा नेत्र परिचर्या को व्यापक बनाना, मधुमेह रेटिनोपैथी जैसे अन्य नेत्र रोगों, ग्लूकोमा प्रबंधन, लेजर तकनीक, कोर्नियल प्रत्यारोपण, विट्रो-रेटिनल शल्य चिकित्सा शेशवकालीन दृष्टिहीनता के उपचार आदि के लिए सहायता;
- नियमित मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन;
- सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता;

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1250.00 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है जिसमें 982.48 करोड़ रुपये (1.8.2011 की स्थिति के अनुसार) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न नेत्र परिचर्या कार्यकलापों का क्रियान्वयन के लिए जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम विजन 2020-द राइट टू साइट के लिए अनुसमर्थित कार्यनीतियों को अपनाकर भारत में वर्ष 1020 तक मोतियाबिंद के कारण होने वाली दृष्टिहीनता सहित परिहार्य दृष्टिहीनता के भार को कम करके 0.3 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम का देश में नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए घरेलू बजट के माध्यम से पूर्ण रूप से संप्रेक्षित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के लिए केवल तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है।

ग्रामीण संपर्क हेतु नाबार्ड से ऋण

974. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को ग्रामीण संपर्क हेतु संवितरित ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में इसके अंतर्गत शामिल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये नाबार्ड ने ऋण संवितरित किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) एवं (ख) ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षो अर्थात 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संवितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

कार्यकलाप	2008-09		2009-10		2010-2010		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
पुल	271	33.78	282	32.05	209	35.54	762	101.37
सड़कें	4753	498.97	4628	443.53	958	292.73	10339	1235.23
कुल	5024	532.75	4910	475.58	1167	328.27	11101	1336.60

होटल उद्योग

975. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गुणवत्तापूर्ण श्रमशक्ति की मांग के संबंध में होटल उद्योग 30 प्रतिशत कम आपूर्ति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) मार्केट पल्स अतिथ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में जनशक्ति के अध्ययन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक एजेंसी) की वर्ष 2004 और 2011 (अनंतिम) की रिपोर्ट के अनुसार आतिथ्य क्षेत्र में कौशल का एक बड़ा अंतर मौजूद है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य-वार इस अंतर का मूल्यांकन नहीं करता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने कौशल के अंतर को कम करने के लिए बहु-आयामी रणनीति बनाई है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रशिक्षण के लिए संस्थागत अवसंरचना का विस्तार और मौजूदा बुनियादी ढ़ांचा को मजबूती प्रदान करना;

(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटेक्नीक संस्थानों, विश्वद्यिालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के माध्यम से आतिथ्य शिक्षा के आधार का विस्तार करना;

(iii) हुनर से रोजगार के अंतर्गत रोजगार योग्य कौशल के सृजन के लिए अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना; और

(iv) मौजूदा सेवा प्रदाताओं के कौशल का प्रमाणन।

एशिया पैसिफिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

975. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने एशिया पैसिफिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ ए टी एफ) के सह-अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) भारत ने जुलाई-2010 से जुलाई, 2012 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह के सह-अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है।

(ख) और (ग) धन शोधन पर एशिया/प्रशांत समूह (ए पी जी) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 41 सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक व वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफ ए टी एफ) सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रक्षक हैं। भारत लगभग आरंभ से ही एशिया/प्रशांत समूह (ए पी जी) का सदस्य है। एशिया/प्रशांत समूह (ए पी जी) की प्रमुख भूमिका वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफ ए टी एफ) की 49 सिफारिशों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना है।

ऑस्ट्रेलिया इसका स्थायी सह-अध्यक्ष है तथा एक सदस्य देश बारी-बारी से दो वर्ष की अवधि के लिए इसके सह-अध्यक्ष का कार्यभार संभालता है। इस समय, भारत जुलाई, 2012 तक इसका सह-अध्यक्ष है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय अनुदान

977. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें कारोबार शुरु करने हेतु वित्तीय अनुदान या ऋण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने लोगों को वित्तीय अनुदान या ऋण दिया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता या ऋण प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) अनुसूचित जनजातियों को कारोबार शुरु करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम अपनी योजनाओं के माध्यमस से अनुसूचित जनजातियों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ख) एनए सटीएफडीसी की योजनाओं के माध्यम से पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए अनुसूचित जनजातियों को स्वीकृत वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा उनकी संख्याओं सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से प्रदान की जाती है। पात्र अनुसूचित जनजातियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान संबंधित एससीए द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपुर्यक्त भाग (ग) के संदर्भ में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2008-11 तथा 2011-12 के दौरान आयसृजनकारी कार्यकलापों के अंतर्गत एनएसटीएफडीसी द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.07.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	400	राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, एससीए निधिया उपयोग नहीं कर रहा है।		
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2873	2008-09 के दौरान दी गई सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से थी।		
3.	अरुणाचल प्रदेश	417	32	56	468
4.	असम	मौजूदा एसीसी द्वारा राशि का असमायोजना। 2010-11 के दौरान वित्तीय सहायता असम ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से दी गई थी।		149	-
5.	छत्तीसगढ़	686	619	834	594
6.	गोवा	24	17	3	-
7.	गुजरात	17350	8500	48280	60000
8.	हिमाचल प्रदेश	39	206	3	2
9.	जम्मू और कश्मीर	260	285	260	250
10.	झारखंड	209	259	583	-
11.	कर्नाटक	5305	6304	11869	-
12.	केरल	105	250	375	-
13.	लक्ष्यद्वीप	परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत न करना	8	सरकारी गारंटी की अनुपलब्धता तथा परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत न करना	-
14.	महाराष्ट्र	719	1676	2293	-
15.	मेघालय	525	1239	438	273
17.	मिजोरम	10	अतिदेय राशि का असमायोजन तथा परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत न करना		69

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैंड	105	94	18723	117
19.	उड़ीसा	परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत न करना	394	सरकारी गारंटी की अनुपलब्धता तथा परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत न करना	
20.	राजस्थान	926	1630	1630	1630
21.	सिक्किम	31	482	परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत न करना	-
22.	त्रिपुरा	160	892	280	-
23.	उत्तर प्रदेश	अकार्यरत एससीए। 2010-11 के दौरान सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से दी गई थी।		5128	-
24.	पश्चिम बंगाल	9754	12006	1404	2071
	कुल	42216	37439	95632	65474

टिप्पणी 1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् बिहार, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, उत्तराखंड, मणिपुर के मामले में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

2. राज्यों/संघ राक्ष्य क्षेत्रों अर्थात् हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ के मामले में जनगणना 2001 के अनुसार वहां कोई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है।

काले धन का विरोध

978. श्री भूदेव चौधरी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक सामाजिक संगठन लंबे समय से भ्रष्टाचार का विरोध करने तथा काले धन को वापस लाने के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हाल ही में सरकार ने 100 दिन के अन्दर काले धन को वापस लाने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) एवं (ख) कुछ संगठन/व्यक्ति भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। सरकार इस संकट में लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) यह मंत्रालय सरकार से जुड़े ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं रखता जो काले धन को 100 दिनों के अन्दर वापस लाने की घोषणा कर रहा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला आपूर्ति हेतु समझौता

979. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इण्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया के साथ कोयले की आपूर्ति हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इण्डोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया अपनी कोयला दोहन नीतियों में परिवर्तन करने वाले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका भारतीय विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख)

(i) कोयला मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोयला मंत्रालय और इंडोनेशिया सरकार के ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के बीच कोयला क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, कोयला संबंधी ऊर्जा मामलों की समझ बढ़ाने, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकियों आदि पर सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए संयुक्त कार्यदल की स्थापना हेतु दिनांक 10.06.2010 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) नवंबर, 2010 में, कोल इंडिया लि. के अधिकारियों की एक टीम ने इंडोनेशिया में कोल इंडिया के हितों को आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी पीटी बुकिट एसम (पीटीबीए) से संपर्क किया।

(iii) कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोयले की आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

(ग) विदेशी सरकार नामत: इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के भविष्य की नीति परिवर्तन से संबधित है तथा इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज की स्थापना

980. श्री पी. करुणाकरन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कसारगोड सहित विभिन्न भागों से इंडोसल्फान के प्रयोग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिये कसारगोड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को कसारगोड में मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्धोपाध्याय): (क) और (ख) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले और केरल के कसारगोड जिले में काजू की खेती में एंडोसल्फान के तथाकथित हवाई छिड़काव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं होने की सूचना दी गई है। हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेशों तक देश में एंडोसल्फान के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करते हुए दिनांक 13.5.2011 को एक अस्थायी आदेश पारित किया है। तदनुसार केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरित आदेशों, को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14.5.2011 को अनुदेश जारी किए हैं जो सभी विनिर्माताओं पर बाध्यकारी हैं।

(ग) से (च) अध्यक्ष, कुम्बदाजे ग्राम पंचायत, कसारगोड (केरल) से केरल के कसारगोड जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध संस्थान स्थापित करने के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है।

यूनाइटेड किंगडम के साथ सहायता समझौता

981. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी के उन्मूलन हेतु यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ सहायता समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष का परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन सी एजेंसियां उक्त सहायता को क्रियान्वित करेंगी; और

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु द्विपक्षीय सहायता की प्राप्ति से संबंधित सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से बहुपक्षी एजेंसियों और सिविल सोसायटी संगठनों को अनुदान प्रदान करने के अलावा अपने अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के लिए केंद्रीय और राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों को अनुदानों के रूप में विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। यू.के. से भारत को मिलने वाली विकास सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य, मलिन बस्ती विकास और ग्रामीण आजीविकाएं, अभिशासन संबंधी सुधार आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के व्यापक ढांचे के भीतर आने वाले कायर्यक्रमों पर संकेन्द्रित है।

(ख) पिछले एक वर्ष (अप्रैल, 2010-मार्च, 2011) के दौरान हस्ताक्षरित करारों को परियोजना-वार, राज्य-वार निर्दिष्ट करता और इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार, भारत सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों के अलावा केवल जी-8 देशों (यूएसए, यू.के., जापान, जर्मनी, फ्रांस, अटली, कनाडा और रूसी परिसंघ) और यूरोपीय आयोग से ही द्विपक्षीय विकास सहायता स्वीकार करता है। जी-8 से बाहर अन्य यूरोपीय संघ सदस्य भी भारत को विकास सहायता प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि वे 25 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की वचनबद्धता करें। ये देश स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे द्विपक्षीय विकास सहायता भी प्रदान कर सकते हैं।

विवरण

पिछले एक वर्ष (अप्रैल, 2010-मार्च, 2011) के दौरान हस्ताक्षरित करारों के परियोजना-वार, राज्य-वार ब्यौरे और इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां

क्र.सं.	परियोजना का नाम	केंद्र/राज्य	कार्यान्वित करने वाली एजेंसी	डीएफआईडी सहायता की राशि राशि मिलियन पौंड में (करोड़ रुपये में)	हस्ताक्षर करने/समाप्त होने की तारीख
1.	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीबी को कम करने हेतु राष्ट्रीय नीतियों को समर्थन	केंद्र	आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार	15.50 (111.60)	14.04.2010/ 31.03.2012
2.	सर्व शिक्षा अभियान चरण-II (एसएसए-II) अतिरिक्त निधियन	केंद्र	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	149.00 (1072.80)	01.09.2010/ 31.03.2013
3.	स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्र-व्यापी पहल (स्वस्थ)	बिहार	स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	145.00 (1044.00)	01.09.2010/ 31.03.2016

शिक्षा ऋण पर ब्याज से छूट

982. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 4.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों द्वारा लिये गये शैक्षिक ऋण पर ब्याज से छूट देने के बारे में विस्तृत परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उक्त परिपत्र के आधार पर शैक्षिक ऋण का संवितरण कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गलती करने वाले उक्त बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय ने एक ब्याज सहायता योजना तैयार की है जो भारत में तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन करने के लिए आईबीए की माडल योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन की अवधि के लिए ब्याज सहायता प्रदान करती है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी पैतृक आय 4.5 लाख रुपए सालाना से कम है, इस योजना के तहत पात्र हैं यह योजना वर्ष 2009-10 से परिचालन में है तथा वर्ष 2009-10 से संवितरित ऋण लाभ पाने के पात्र हैं। केनरा बैंक योजना के लिए नोडल बैंक है।

(ग) से (ङ) केनरा बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंकों ने वर्ष 2009-10 के लिए 3.21 लाख खातों में 134.14 करोड़ रुपये राशि की ब्याज सहायता की प्रतिपूर्ति की है। 2.10 लाख खातों में वर्ष 2009-10 के लिए बैंकों द्वारा 72.84 करोड़ रुपये के लिए पूरक दावा प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए 73,944 खातों के लिए बैंकों द्वारा 50.10 करोड़ रुपये के लिए नए दावे प्रस्तुत किए गए हैं।

राजकोष को राजस्व की हानि

983. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत नौ महीनों के दौरान तेल शुल्क प्रणाली के कारण राजकोष को कितने राजस्व की हानि हुई तथा इस राजस्व हानि को पूरा करने हेतु क्या उपाय किये गये;

(ख) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सेवा कर के अपवंचन के कारण होने वाली हानि का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कर अपवंचकों की संख्या कितनी है तथा इसमें किनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(घ) क्या सेवा कर संग्रहण में वृद्धि करने हेतु कोई कारगर कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

काले धन के मामलों पर जी ओ एम

984. **श्री गणेश सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने काले धन से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने से संबंधित जानकारी न उपलब्ध कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के प्रति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या काले धन से जुड़ी अनियमितताओं की जांच करने के लिए मंत्रियों का एक समूह जी ओ एम गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11-5-2011 को सुनवाई के दौरान यह पूछा कि क्या धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 6.5.2011 को दायर धन शोधन के अपराध की शिकायत, न्यायालय में फाइल करने से पहले उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) के समक्ष रखी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया कि इसे समिति के समक्ष नहीं रखा गया था। तत्पश्चात प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) के विशेष न्यायालय मुम्बई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फाइल की गई शिकायत को 1.6.2011 को उच्च स्तरीय समिति (एव एल सी) के ध्यान में लाया गया था, जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया था जिसके तहत उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) के ध्यान में लाए बिना शिकायत को

न्यायालय में दायर किया जाना था। शिकायत को 6.5.2011 को दायर करना था ताकि यह सुनिश्चित हो कि सर्वश्री हसन अली खान और काशीनाथ तपुरिया को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिनों के पूरा होने पर आज्ञापक जमानत न मिले।

(ग) और (घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

345-46

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

985. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत झूठे मामले दायर करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा करने/उनमें संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम के उपबंधों को समीक्षा करने/उनमें संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कथित रूप से दुरुपयोग करने के बारे में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का प्रयोग करते हुए दहेज को लेकर पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों को कथित क्रूरता की कुछ शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने 20 अक्टूबर, 2009 को सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार (सीआरआई सीडब्ल्यूपी संख्या 539/86) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करें और वैवाहिक विवादों के मामलों में सर्वप्रथम विवाद के समाधान और अलग रह रहे पति-पत्नी तथा उनके परिवार के बीच सुलह और मध्यस्थता का प्रयास करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत तभी मुकदमें दायर किए जाएं, जब सुलह के प्रयास असफल हो जाएं तथा ऐसा लगे कि प्रथम दृष्टया यह मामला धारा 498क और अन्य कानूनों के अंतर्गत दर्ज कराने लायक हैं

सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन का प्रस्ताव रखती है।

यूरोपीय संघ द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों पर प्रतिबंध

986. श्री संजय भोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने देश में विनिर्मित आयुर्वेदिक और हर्बल औषधियों की काउंटर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कदम ने भारतीय आयुर्वेदिक औषध उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यूरोपीय संघ में इन औषधियों की बिक्री को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओर (घ) यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने पारंपरिक जड़ी-बूटीय औषधीय उत्पाद (टीएचएमपीडी) दिशा-निर्देश प्रतिपादित किया है, जिसका यूरोपीय संघ को भारत से जुड़ी-बूटीय औषधीय उत्पादों के निर्यात पर व्यापार संबंधी प्रतिबंधात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में बहुत से आयुर्वेदिक उत्पादों का आहार सम्पूरकों के रूप में निर्यात किया जाता है, जिसके लिए इस समय अधिकांश देशों में पंजीकरण अपेक्षित नहीं है। तथापि, कुछ देशों में ऐसे उत्पादों की अधिसूचना अपेक्षित है। बहत से उत्पादों को कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों (इटली, बेल्जियम, फिनलैंड तथा अन्य) में अधिसूचित किया गया है।

(ङ) भारत 2004 से ही पारंपरिक जुड़ी-बूटीय औषधीय उत्पाद दिशा-निर्देश पर यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहा है और भारत ने विश्व व्यापार संगठन की व्यापार तकनीकी अवरोध (टीबीटी) समिति में इस विषय पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।

जाली मुद्रा

346-47

987. श्री मणिक टैगोर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली मालगाड़ी से जाली भारतीय मुद्रा को जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, हां। 24.4.2011 को अटारी रेल स्टेशन पर भू-सीमाशुल्क स्टेशन (एल सी एस) के सीमाशुल्क अधिकारियों ने पाकिस्तान से आ रही माल गाड़ी में जाली भारतीय करेंसी नोट (एफ आई सी एन) की अदावेकित जब्ती की है। जाली भारतीय करेंसी नोटों को माल गाड़ी की बोगियों के पहिए के ऊपर गुहिका (खाली स्थान) में छिपाया गया था। इस मामले में जाली भारतीय करेंसी नोटों का अंकित मूल्य दो लाख रुपए था।

(ग) मामले के ब्यौरा से आसूचना ब्यूरो, और पुलिस प्राधिकारियों को अवगत कराया गया था। भारत-पाक सीमा पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों को भारत में जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी के ऐसे किसी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क रहने के निदेश दिए गए हैं। मामले को भारत और पाकिस्तान के बीच दिनांक 15.06.2011को अमृतसर में आयोजित सीमाशुल्क संपर्क सीमा समिति की बैठक के दौरान भारतीय सीमाशुल्क द्वारा भी उठाया गया था।

शुल्क योग्य वस्तुओं की घोषणा न करना

988. श्री रघुवीर सिंह मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक व्यक्तियों को विभिन्न विमानपत्तनों/पत्तनों पर शुल्क-योग्य वस्तुओं की घोषणा न करने के लिए पकड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जो उनसे वसूल की गई अघोषित वस्तुओं की कीमत कितनी है और गत दो वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान उनमें से प्रत्येक वस्तु पर कितना शुल्क/दंड लगाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार

989. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशवासियों को गारंटीशुदा उच्च प्रतिफल की पेशकश से लुभाते हुए अनेक इंटरनेट व्यापार पोर्टल पर कुछेक बाहरी विदेशी मुद्रा व्यापार शुरू किया गया है और लोगों को भारत के बैंकों में चल रहे खातों में मार्जिन भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय नागरिकों/निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार में संलिप्त कंपनियों और एजेंटों के खिलाफ आरबीआई/भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस सूचित किया है कि उन्हें विभिनन इंटरनेट पोर्टल्स के संबंध में जनता सहित विभिन्न स्रोतों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो विदेशी मुद्रा व्यापार का प्रयोग कर उच्च प्रतिफल के प्रस्तावों का विज्ञान दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार का विज्ञापन देने वाली अधिकांश कंपनियां भारत से बाहर स्थित हैं और वे वैश्विक व्यापार मंचों पर हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अधिकांश शिकायतें 2010-11 में प्राप्त हुई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है इसने इलैक्ट्रानिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा व्यापार के संबंध में 21.2.2011 को एक निर्देशिका जारी की थी। इस परिपत्र के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रानिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए किसी भी रूप में विप्रेषण की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 के तहत अनुमति नहीं दी गई है और एफईएमए, 1999 के तहत विद्यमान विनियमावली में नागरिकों को घरेलू/समुद्रपारीय बाजारों में विदेशी मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा जांच करने हेतु प्रवर्तन निदेशालय को अग्रेषित करता है।

[हिन्दी]

एम्स में चिकित्सकों को नियुक्ति

990. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री अशोक अर्गल:
श्री दारा सिंह चौहान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अध्यापन और गैर-अध्यापन श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की चिकित्सकों के रूप में उनकी नियुक्ति के मामले में उनके प्रति भेदभाव के मुद्दे और एम्स में सभी पाठ्यक्रमों में उनके नामांकन के मामले की जांच के लिए डॉ. यादव और डॉ. थोराट और अध्यक्षता में पृथक्-पृथक् गठित जांच समितियों द्वारा की गई सिफरिशों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एम्स में एमएससी (नर्सिंग), बीएससी (एच) (नर्सिंग) और अन्य पाठ्यक्रमों में उनके लिए आरक्षित अनेक सीटों में कटौती की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) संस्थान ने शासी निकाय ने दिनांक 13.8.2008 को हुई अपनी बैठक में डॉ. करण सिंह यादव समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया और डॉ. थोराट समिति की सिफारिशों के अनुसार संस्थान ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उन विषयों में विशेष शिक्षण कक्षाएं आरंभ कर दी हैं जिनमें वे कमजोर हैं।

(घ) से (च) एम्स समएससी पाठ्यक्रमों और बीएससी (आनर्स) नर्सिंग पाठ्यक्रमों सहित सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। अगस्त, 2008 में एमएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चार सीटें स्वीकृत की गई थीं और ये चार सीटें प्रत्येक सत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जा रही हैं। बीएससी (आनर्स) नर्सिंग के संबंध में अगस्त, 2008 के सत्र से 10 सीटें बढ़ा दी गई हैं जिन्हें अन्य पिछड़ वर्ग की श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा रहा है।

[अनुवाद]

कार आयात

991. **श्री सुखदेव सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में लग्जरी कार आयात घोटाले का पर्दाफाश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत का सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में (अप्रैल, 2011 से जुलाई, 2011 के बीच की अवधि में) देश में 16 आयातित महंगी कारों को जब्त किया गया है, जो 6.75 करोड़ रुपये मूल्य की हैं और जिनमें 4.87 करोड़ रुपये के शुल्क का अपवंचन शामिल है। सीमाशुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को देश में आयातित कारों की तस्करी को रोकने के लिए सुग्राही बनाया गया है और सतर्क किया गया है। आयातकों के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

पारेषण और वितरण हानि

992. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों की चालू वर्ष के दौरान देश में पारेषण और वितरण (टी एंड डी) हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पारेषण और वितरण हानि के कारण वर्ष 2014-15 तक रुपए के होने वाले संभावित घाटे का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पारेषण और वितरण हानि को रोकने के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है; और

(ङ) यदि हां तो ऐसी हानि को कम करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत अभी तक राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) ग्रिड हानियों के आंकने के रूप में पारेषण एवं वितरण

(टीएंडडी) हानियों की बेहतर स्पष्टता के लिए सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्य-निष्पादन पर प्रकाशित 7वीं रिपोर्ट में यथा वर्णित वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लिए राज्य/संघ शासित राज्यवार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) "राज्य वित्त पर प्रभाव हेतु विद्युत क्षेत्र विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन" पर 13वें वित्त आयोग, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई मै. मर्काडोज रिपोर्ट के अनुसार, सब्सिडियों का विचार किए बिना स्थिर सामान्य टैरिफ पर अनुमानित हानियां वर्ष 2014-15 के लिए 116,089 करोड़ रुपये बैठती हैं।

(घ) देश में शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2008 में केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) प्रारंभ किया गया था। आर-एपीडीआरपी स्कीम में सतत सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर बल दिया जाता है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाती हैं-भाग-क तथा भाग-ख। स्कीम का भाग-क विश्वसनीय तथा सत्यापन योग्य आधारभूत आंकड़े प्राप्त करने हेतु आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना को समर्पित है जिससे वह उन नगरों में, जहां स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, निश्चित तथा सत्यापनयोग्य एटी एंड सी हानियों का मूल्यांकन करने में समर्थ होगा। भाग-ख की स्कीम उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली के वास्तविक उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु है।

अब तक, इस स्कीम के भाग-क (आईटी) के अंतर्गत, सभी पात्र नगरों (1401) के वित्तपोषण हेतु 5177 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। अब तक, भाग-क के अंतर्गत 8 राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल) के लिए 982.45 करोड़ रुपये की 42 सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजिशन (एससीएडीए) परियोजनाएं भी मंजूर की गई हैं। अब तक, भाग-ख के अंतर्गत 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने 19367.43 करोड़ रुपये मूल्य की 907 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

अब तक, भाग-क और भाग-ख परियोजनाओं के मुकाबले राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को वितरण के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत 4052.88 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में जारी की गई है।

विवरण

सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करने वाली यूटिलिटियों की एटीसी हानियां (%)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	43.99	47.38	34.37
	बिहार कुल		43.99	47.38	34.37
	झारखंड	जेएसईबी	54.41	58.17	59.00
	झारखंड कुल		54.41	58.17	59.00
	उड़ीसा	सेस्को	42.54	46.05	37.67
		नेस्को	36.22	34.58	38.90
		सेस्को	41.72	48.15	50.59
		वेस्को	39.71	41.20	37.57

1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा कुल		39.90	41.68	39.43
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	61.43	51.32	56.86
	सिक्किम कुल		61.43	51.32	56.86
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	30.66		
		डब्ल्यूबीएसईडीसीएल		22.70	22.73
	कुल पश्चिम बंगाल		30.66	22.70	22.73
कुल पूर्वी			39.12	37.76	35.51
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	57.96	61.59	60.15
	अरुणाचल प्रदेश		57.96	61.59	60.15
	असम	सीएईडीसीएल	42.55	42.96	33.53
		एलएईडीसीएल	31.24	28.71	14.14
		यूएईडीसीएल	38.67	36.02	17.02
	असम कुल		36.64	35.18	20.32
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	79.69	79.39	81.01
	मणिपुर कुल		79.69	79.39	81.01
	मेघालय	एमईएसईबी	39.08	39.45	43.37
	मेघालय कुल		39.08	39.45	43.37
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	31.71	28.31	41.01
	मिजोरम कुल		31.71	28.31	41.01
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	48.01	44.08	48.69
	नागालैंड कुल		48.01	44.08	48.69
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	29.19	30.16	31.98
	त्रिपुरा कुल		29.19	30.16	31.98
कुल पूर्वोत्तर			40.56	40.06	35.96
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	32.94	37.10	20.59

1	2	3	4	5	6
		बीएसईएस यमुना	43.24	47.31	13.73
		एनडीपीएल	28.52	31.20	17.80
	कुल दिल्ली		34.32	37.96	17.97
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	22.13	31.78	32.60
		यूएचबीवीएनएल	29.00	34.22	34.00
	कुल हरियाणा		25.60	33.02	33.29
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	13.47	17.15	12.85
	कुल हिमाचल प्रदेश		13.47	17.15	12.85
	जम्मू और कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	64.68	71.92	69.05
	कुल जम्मू और कश्मीर		64.68	71.92	69.05
	पंजाब		22.54	19.10	18.96
	कुल पंजाब		22.54	19.10	18.96
	राजस्थान	एवीवीएनएल	39.21	35.71	30.21
		जेडीवीवीएनएल	33.60	33.13	30.19
		जेवीवीएनएल	34.38	30.60	28.45
	कुल राजस्थान		35.74	33.02	29.52
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	46.16	64.08	45.95
		एमवीवीएन	36.50	39.63	44.99
		पश्चिम वीवीएन	31.23	30.99	26.63
		पूर्व वीवीएन	64.67	11.53	49.95
		केस्को	52.02	56.12	41.84
	कल उत्तर प्रदेश		44.25	37.10	40.32
	उत्तरांखड	उत्तरांखड पीपीएल	35.54	38.32	35.37
	कुल उत्तरांखड		35.54	38.32	35.37
	कुल उत्तरी		34.56	33.28	31.19

1	2	3	4	5	6
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीडीसीएल	18.32	19.23	14.24
		एपीपीडीसीएल	12.09	7.46	10.26
		ऐपीएनपीडीसीएल	23.28	11.92	14.37
		एपीएसपीडीसीएल	17.47	20.02	11.36
	कुल आंध्र प्रदेश		17.88	16.19	12.99
	कर्नाटक	बेरकॉम	28.39	26.60	19.17
		चेस्कॉम	38.01	37.65	25.17
		जेस्कॉम	47.41	41.25	38.80
		हेस्कॉम	38.16	40.70	36.60
		मेस्कॉम	12.08	21.66	17.75
	कुल कर्नाटक		32.76	32.13	25.68
	केरल	केएसईबी	23.34	21.52	21.61
	कुल केरल		23.34	21.52	21.61
	तमिलनाडु	टीएनईबी	16.21	16.19	15.33
	कुल तमिलनाडु		16.21	16.19	15.33
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	17.45	18.69	18.47
	कुल पुडुचेरी		17.45	18.69	18.47
कुल दक्षिणी			21.20	20.27	17.42
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	29.26	30.89	32.45
	कुल छत्तीसगढ़		29.26	30.89	32.45
	गोवा	गोवा पीडी	16.89	13.12	17.17
	कुल गोवा		16.89	13.12	17.17
	गुजरात	डीजीवीसीएल	16.45	15.23	16.17
		एमजीवीसीएल	15.23	17.17	14.98
		पीजीवीसीएल	35.75	32.74	31.78
		युजीवीसीएल	15.93	17.23	16.31
	कुल गुजरात		23.60	22.81	22.05

1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	54.37	54.43	83.68
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	36.12	41.35	44.55
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	48.30	45.00	57.05
	कुल मध्य प्रदेश		45.67	46.78	61.05
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	34.59	31.32	31.19
	कुल महाराष्ट्र		34.59	31.32	31.19
कुल पश्चिमी			33.15	31.83	34.32
कुल योग			30.62	29.58	28.44

टिप्पणी- सिक्किम पीडी (वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए) एमईएसईबी एवं एपीएसपीडीसीएल (वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लिए) की एटी एंड सी हानियों में पारेषण हानियां शामिल हैं क्योंकि पारेषण हानियों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

जेएसईबी की वर्ष 2008-09 की संग्रह क्षमता के आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्ष 2007-08 की कुशलता के समान ही मान लिया गया।

(स्रोत=पीएफसी)

औषधरोधक सुपरबग

993. **श्री दत्ता मेघे:**
श्री उदय सिंह:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कथित रूप से सृजित नई दिल्ली मोटालो-बीटा-लैक्टामसे (एनडीएम-1) नामक औषधरोक सुपरबग के मालों की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटिश मेडिकल पत्रिका द्वारा किए गए उक्त अनुसंधान में शामिल और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की पूर्व अनुमति के बिना बायोमेडिकल सामग्री को देश से बाहर भेजने के लिए भी जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई सहित इस मामले में कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी के नाम पर सुपरबग के अस्तित्व के सत्यापन/जांच द्वारा ऐसे निष्कर्षों का प्रतिवाद करने के लिए क्या कदम उठाए गए है।/प्रस्तावित किए गए है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय): (क) और (ख) विगत एक वर्ष में लेंसेट संक्रामक रोगों में दो लेख प्रकाशित किए गए थे। जहां मेटैको बेटा लेक्टामेस इन्झाईम-एमडीएम-1 (न्यू डैक्ट.टी मेटैको बेटा लेक्टामेस-1) के कारण करवापेनम प्रतिरोधी इंटरोबेक्टिरियालियस के मौजूद होने की सूचना दी गई थी और इस बैक्टीरिया की उत्पत्ति भारत और पाकिस्तान में बताई गई थी। सरकार ने इस आरोप का सघन किया है क्योंकि इन प्रकाशनों में एम डी एम-I के मामलों की तीन राज्यों और कनाडा ने तीन प्रांतों में होने की सूचना दी है, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान, स्वीडन और वियतनाम ने सभी मामलों की सूचना दी है।

(ग) और (घ) भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय ने अध्ययन में शामिल आठ चिकित्सकों को नोटिस जारी किया है।

(ङ) सरकार ने लेखकों की इस विस्तृत वैज्ञानिक उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह त्रुटिपूर्ण व्याख्या के संबंध में समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से इन रिपोर्टों का खंडन किया है।

[अनुवाद]

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ

994. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 0-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और महिलाओं को डिब्बा बंद और सूक्ष्म पोषणकारी तत्वयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के प्रति कोई आपत्तियां व्यक्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए वर्ष-वार कितना बजटीय आबंटन किया गया है और उपयोग में लाया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) महिलाओं और 0-8 वर्ष तक के बच्चों के लिए डिब्बा बंद तथा सूक्ष्म पोषण युक्त भोजन प्रदान करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) से उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर के मरीज

995. **श्री इन्दर सिंह नामधारी:**
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री महाबल मिश्रा:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पंजाब के मालवा सहित कतिपय क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर कैंसर के मरीजों की अधिक मौजूदगी वाले क्षेत्रों में कैंसर के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कैंसर को नियंत्रित करने के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में कैंसर के मरीजों को सहायता प्रदान करने और उनके अनुकूल इलाज विकसित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्धोपाध्याय): (क) और (ख) "कैंसर घटना दरों में रूझान 982-2005 रिपोर्ट, आईसीएमआर का अप्रैल, 2008 राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम" के अनुसार सभी प्रमुख शहरी रजिस्ट्रियों में कतिपय केंसरों की आयु समायोजित घटना दरों में स्थिर और लगातार वृद्धि हुई है। तथापि, इन क्षेत्रों में इनका कोई विशिष्ट डाटा उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के निदेशों पर आईसीएमआर ने पंजाब विशेषतया मालवा क्षेत्र में कैंसर की व्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2010 में विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया। दल ने समक्ष उपलब्ध सीमित डाटा से पंजाब के कुछ अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में मालवा क्षेत्र में कैंसर की अधिक घटनाएं होने का पता चला है। तथापि, भारत में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पंजाब में कैंसर की व्याप्तता अधिक नहीं थी।

(ग) और (घ) हाल ही में सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिक रोग और आघात (एनपीसीडीसीएस) निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। नए कार्यक्रम में समूचे 21 राज्यों को 100 जिलों में कार्यान्वयन किया जाना परिकल्पित है। वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों में कैंसर नियंत्रण हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये में)
2008-09	120.00
2009-10	95.00
2010-11	180.00
2001-12	200.00

(ङ) और (च) एनपीसीडीसीएसय के अंतर्गत जिला अस्पतालों को नैदानिक सेवाओं सुदृढ़ किया जाएगा ताकि उनके डाटा आधारभूत सर्जरी, कीमाथेरेपी और उपशामक परिचर्या मुहैया करवाने के लिए सुदृढ़ किया जायेगा। कैंसर मरीजों के लिए अपेक्षित कीमोथेरेपी औषधियां जिला अस्पतालों में द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी के लगभग 100 मरीजों के उपचार के लिए सामान्य कीमोथेरेपी औषधियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में कार्यक्रम के अंतर्गत 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के जरिए कैंसर का उपचार प्रदान किया जा रहा है।

तृतीयक कोसर केन्द्र

996. श्री एम.बी. राजेश:
श्री पी.टी.थॉमस:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से तिरुवनन्तपुरम स्थित क्षेत्रीयश कैंसर केन्द्र और थैलेसरी स्थित मालाबार कोसर केन्द्र को राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय एवं वक्ष रोग और हृदय आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के अंतर्गत तृतीयक कैंसर (टीसीसी) में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कितने कैंसर केन्द्रों को तृतीयक कैंसर केन्द्र (टीसीसी) के रूप में मान्यता दी गई है और एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार उन्हें कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय): (क) से (ग) टीसीसी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए हाल में हालाबार कैंसर सेंटर, जो स्वायत्त संगठन है, से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, तिरूवनंतपुरम से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार ने हाल ही में 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया है। राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम की टीसीसी योजना के अंतर्गत केवल सरकारी मेडिकल कालेज/अस्पताल या पूर्व क्षेत्रीय कैंसर संस्थान ही वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज/अस्पताल को अभी तक तृतीयक कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण सड़कों का निर्माण

997. श्री विष्णुपद राय: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बाराटांग द्वीपसमूह के अंतर्गत सुंदरगढ़ पंचायत में बंदोबस्ती वर्ष 1956 में एटीआर से बोलचा (उदयगढ़) तथा निलाम्बुर पंचायत में बंदोबस्ती वर्ष 1959 के तहत रजतगढ़ से खट्टा खाड़ी तक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो वन स्वीकृति/ग्रामीण सड़कों के निर्माण के संबंध में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) वन स्वीकृति सहित उक्त सड़कों का कब तक निर्माण/पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त सड़कों के निर्माण को पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई प्रावधान निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) एवं (ख) जी हां, इन सड़कों के पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) से अंडमान लोक निर्माण विभाग (ए पी डब्ल्यू डी) को हस्तांतरित करने के उपरांत ए पी डब्ल्यू डी ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के कार्य को अपने हाथ में लिया है, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जो अगस्त, 2011 के पहले सप्ताह में खोली जानी है। विभाग, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के पूरे हो जाने के बाद वन अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा।

(ग) प्रत्याशा है कि वन अनापत्ति प्राप्त होने के बाद वर्ष 2012-13 में इस कार्य को किया जाएगा।

(घ) एवं (ङ) निर्माण-पूर्व गतिविधियों को पूरा करने की योजना बना ली गई है इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी] 365-76

जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं

998. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री भक्तचरण दास:
योगी आदित्यनाथ:
श्री राधे मोहन सिंह:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री संजय निरुपम:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और उड़ीसा सहित देशभर में जनजातियों और आदिवासियों के कल्याण और संपूर्ण विकास के लिए कार्यान्वित की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत योजनाओं तथा इस संबंध में स्वीकृत की गई, जारी की गई और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड तथा उड़ीसा सहित देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है:

(i) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां,

(ii) अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास,

(iii) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना, तथा

(iv) अनुसंधान, सूचना तथा जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा योजना-वार तथा राज्य-वार स्वीकृत एवं निर्मुक्त निधियां तथा राज्य सरकारों द्वारा उपयोजित राशि संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है।

(ग) योजनाओं के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) राज्यों को संबंधित योजना/कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है;

(ii) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है क्योंकि यह निधियों की आगे निर्मुक्ति के लिए आवश्यक है;

(iii) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है;

(iv) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे पर होते हैं तो वे मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति को भी देखते हैं:

(v) प्रस्तावों की समयबद्ध प्रस्तुति, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को तेज करने तथा वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में जनजातीय कल्याण विकास विभागों के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोजित राशि के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1662.13	1662.13	2919.27	2919.27	20036.25	20036.25	11018.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53	23.53	0.00	
3.	असम	1696.18	1696.18	2510.12	2510.12	2881.26	2880.09	1441.00	
4.	बिहार	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	छत्तीसगढ़	160.28	160.28	375.95	189.72	1253.97	0.00	627.00	
6.	गोवा	18.96	18.96	54.26	45.71	29.11	0.00	15.00	
7.	गुजरात	387.36	387.36	3046.63	3043.70	5116.09	5113.46	2558.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	10.00	0.00	0.00	0.00	113.99	0.00	57.00	
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	
10.	झारखंड	1058.48	1058.48	1267.00	1267.00	1855.54	0.00	928.00	
11.	कर्नाटक	1053.97	1053.97	1863.63	1863.63	3163.59	0.00	1582.00	
12.	केरल	298.03	298.03	284.40	284.40	457.08	0.00	229.00	
13.	मध्य प्रदेश	1228.18	1228.18	3236.50	2416.28	2026.23	0.00	1013.00	
14.	महाराष्ट्र	2500.00	2500.00	1250.00	1250.00	6629.51	0.00	3315.00	
15.	मणिपुर	1912.68	1912.68	2163.28	2163.28	2460.01	0.00	1230.00	
16.	मेघालय	1342.12	1342.12	1006.57	1006.57	2717.23	0.00	1359.00	
17.	मिजोरम	1421.18	1421.18	1571.26	1560.01	1633.93	1499.31	817.00	
18.	नागालैंड	1467.27	1467.27	1866.77	1774.32	1908.44	0.00	954.00	
19.	उड़ीसा	461.75	430.57	566.79	512.15	1104.03	346.52	550.00	
20.	राजस्थान	4654.00	3276.20	1661.31	1661.31	800.00	790.75	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	सिक्किम	25.13	25.13	37.88	34.24	56.41	0.00	28.00	
22.	तमिलनाडु	2.50	2.50	72.34	72.34	112.71	68.25	56.00	
23.	त्रिपुरा	433.19	433.19	538.26	538.26	380.40	380.40	190.00	
24.	उत्तराखंड	230.52	230.52	188.98	188.98	531.69	0.00	266.00	
25.	पश्चिम बंगाल	389.28	389.28	603.80	268.52	302.00	0.00	150.00	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.00	3.00	0.00	0.00	9.15	9.15	10.00	
27.	दमन और दीव	0.14	0.00	1.73	0.00	0.85	0.00	0.00	
	कुल	22586.31	21167.19	27086.73	25569.81	55603.00	31147.71	28801.00	

*उपयोगिता प्रमाण पत्र देय नहीं हैं।

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोजित राशि के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	75.09	0
2.	असम	601.39	540.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	803.83	803.83	830.83	830.83	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	646.10	0.00	1296.43	295.49
5.	हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	236.04	0.00	180.47	0.00
6.	झारखंड	128.685	128.685	25.17	0.00	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	125.01	125.01	250.00	0.00	105.38	0.00
8.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	146.79	0.00
9.	मध्य प्रदेश	255	255	1300.00	0.00	0.00	0.00
10.	महाराष्ट्र	889.56	572.21	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.54	0.00
12.	नागालैंड	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	उड़ीसा	87.60	87.60	0.00	0.00	1000.00	299.73
14.	राजस्थान	1240.53	141.09	1503.83	0.00	3123.87	0
15.	तमिलनाडु	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
16.	त्रिपुरा	1380.90	1325.00	664.00	479.25	0.00	0.00
17.	उत्तराखंड	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	500.00	325.10	173.20	0.00
19.	दिल्ली विश्वविद्यालय	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	दी इंगलिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी (शिलांग कैम्पस), हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)	526.27	526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	वीर नरमद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
23.	बनारस हिंदु यूनिवर्सिटी (बीएचयू), वाराणसी	0.00	0.00	0.00	0.00	46.33	0.00
	कुल	6500.00	4805.59	6400.00	1635.18	7800.00	595.22

वर्ष 2011-12 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण-III

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत राज्य सरकारों को निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोजित राशि के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	886.80	886.80	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.53	1616.76
4.	कर्नाटक	153.13	153.13	29.62	0.00	0.00	0.00
5.	केरल	0.00	0.00	1236.04	1236.04	1025.02	0.00
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1099.89	1099.89	0.00	0.00
7.	महाराष्ट्र	940.07	940.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	1020.00	1020.00	1500.00	692.19	2004.00	499.02
9.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76	0.00
10	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	234.45	0.00	0.00	0.00
11.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	460.69	0.00
	कुल	3000.00	3000.00	4100.00	3028.12	6500.00	2115.78

वर्ष 2011-12 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई है।

विवरण-IV

अनुसंधान, सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य योजना के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोजित राशि के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि	स्वीकृति/ निर्मुक्ति	उपयोजित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	44.29	21.18	35.19	7.71	7.50	0.00
2.	असम	56.75	18.13	17.00	35.81	34.38	34.84
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	21.95	16.00	18.08	15.50
4.	गुजरात	13.95	13.95	95.83	74.31	47.41	*
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	16.57	*	0.00	0.00
6.	झारखंड	29.87	28.18	41.79	41.79	0.00	0.00
7.	केरल	0.00	0.00	13.31	13.31	40.00	*
8.	मध्य प्रदेश	388.32	388.32	86.80	86.80	77.36	77.36
9.	महाराष्ट्र	48.45	43.98	80.34	50.43	30.67	26.62

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मणिपुर	0.00	0.00	57.50	57.50	49.00	49.00
11.	उड़ीसा	83.25	83.25	50.31	29.04	64.83	*
12.	राजस्थान	0.00	0.00	23.00	4.18	15.82	15.82
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	5.95	5.95	7.50	
14.	त्रिपुरा	39.13	39.13	53.25	6.00	46.16	2.10
15.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	*	36.50	0.00	0.00	*
	कुल	704.01	636.12	635.29	428.83	446.21	221.24

*लेख-उपयोजित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक कोई निर्मुक्तियां नहीं की गई।

[अनुवाद]

शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक

999. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरनमेंट ने शीतल पेय/ऊर्जावर्धक पेय पदार्थों में कैफीन, कीटनाशकों/कृमिनाशकों की अधिकतम निधारित सीमा से काफी अधिक मात्रा में मौजूदगी की जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन ऊर्जा पेय पदार्थों की प्रभावकारिता के संबंध में इनके विनिर्माताओं के झूठे दावों का संज्ञान किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय): (क) समाचार पत्रों में और डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक लेख में यह सूचित किया गया है कि विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने एनर्जी ड्रिंक्स के आठ ब्रांडों की जांच की है और यह पाया है कि 44 प्रतिशत नमूनों में कैफीन के प्रति मिलियन 145 से अधिक तत्व निहित है जो कार्बोनेटेड जल में कैफीन की निर्धारित सीमा है। प्रोपराइटरी खाद्य पदार्थ के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में कैफीन की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कैफीनयुक्त ड्रिंक्स तथा उनके लेबलिंग उपबंधों के लिए मानक तैयार कर रहा है।

राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना

1000. **श्री राजू शेट्टी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना के तहत विद्युतकरघा उद्यमियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना ही ऋण उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने में मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंकों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा परिचालित राष्ट्रीय इक्विटी निधि (एनईएफ;, को 1 मई, 2007 से बंद कर दिया गया और उपर्युक्त तिथि तक प्राप्त विचाराधीन मामले 30 सितम्बर, 2008 तक संवितरित कर दिए गए हैं।

377- 80

पर्यटन में पूंजी निवेश

1001. **श्री मनीष तिवारी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षो की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भारत में कितने पर्यटक आए;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिव्यक्ति व्यय तथा पर्यटकों की संख्या के संदर्भ में भारत में घरेलू पर्यटन में गिरावट/बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आतंकी साया होने के कारण यहां पर्यटकों के दौरों में कमी आई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त पर्यटन स्थलों पर केन्द्र तथा राज्यों के गृह मंत्रालयों के समन्वयन से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं; और

(ज) मंत्रालय संपूर्ण भारत में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को चूक रहित सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करेगी?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) जनवरी-जून, 2011 और पिछले पांच वर्षों की इसी अवधि के दौरान भार तमें विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या नीचे दी गई है-

वर्ष	भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन में) जनवरी-जून	पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रतिशत बदलाव जनवरी-जून
2006	2.13	
2007	2.45	14.8%
2008	2.61	6.6%
2009	2.42	-7.3%
2010	2.63	8.9%
2011	2.92	10.9%

(ख) और (ग) पिछले वर्षो के दौरान भारत में घरेलू पर्यटक यात्रा (डीटीवी) की संख्या निम्नानुसार थी:

वर्ष	घरेलू पर्यटक आगमन (मिलियन में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बदलाव
2006	462.31	18.0%
2007	526.43	13.9%
2008	563.03	7.08%
2009	668.80	18.8%
2010	740.21	10.7%

इन सभी वर्षों में घरेलू पर्यटकों द्वारा किए गए प्रति व्यक्ति खर्च में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) टूरिज्म सेटेलाइट अकाउंट ऑफ इंडिया 2002-03 के अनुसार वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का हिस्सा निम्नानुसार था:

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान
2002-03	5.83%
2003-04	6.03%
2004-05	6.20%
2005-06	6.05%
2006-07	5.99%
2007-08	5.92%

वर्ष 2007-08 के बाद के वर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(च) से (ज) पर्यटन मंत्रालय अलग-अलग गंतव्यों में पर्यटक आगमन संबंधी आंकड़ो का रख-रखाव नहीं करता हैं। तथापि, वर्ष 2008 की तुलना में 2009 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में 2.2 प्रतिशत की कमी वैश्विक वित्तीय मंदी, आतंकी हमलों और एन1एन1 महामारी आदि सहित विभिन्न कारणों की वजह से हो सकती है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पब्लिक ऑर्डर" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, पर्यटकों के साथ अपराध सहित अपराध के रोकथाम की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के साथ अपराध सहित अपराध संबंधी आंकड़ों का संकलन नहीं करता है। तथापि, विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

इसके आगे, पर्यटन मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुनर्वास महानिदेशालय के साथ परामर्श कर भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करते हुए, पर्यटक सुरक्षा संगठन (संगठनों) को तैयार करने हेतु बनाए गए दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ "सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन" के लिए आचार संहिता अपनाया है, जो पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट है और जिसे गरिमा, सुरक्षा और पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों दोनों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से मुक्ति जैसे मूल अधिकारों के सम्मान के लिए अपनाया जाना है।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना

1002. श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में झारखंड सहित राज्य-वार कितनी बाल कल्याण समितियों, बाल संरक्षण इकाइयों, किशोर न्याय बोर्डों, किशोर बंदी गृहों और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) इन केन्द्रों में बालिकाओं सहित बच्चों की लिंग-वार, श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों से शिक्षा और प्रशिक्षण पाने के पश्चात् राज्य-वार और वर्ष-वार कितने बच्चों को रोजगार मिला; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में किनती धनराशि स्वीकृत और जारी की गई तथा राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लाई गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्य बातों के अलावा, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंत्र बच्चों के लिए किशोर बोर्डों का गठन करने और अन्य प्रकार के गृहों का निर्माण करने और इन बोर्डों व गृहों के रख-रखाव हेतु राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के तहत वर्ष 2009-10 से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उक्त स्कीम के अंतर्गत अब तक वित्तय सहायता प्राप्त करने वाले किशोर न्याय बोर्डों तथा गृहों की संख्या और इन गृहों में रहने वाले बच्चों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। महिला-पुरुष-वार, श्रेणीवार और रोजगार संबंधी अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) आईसीपीएस के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्डों तथा विभिन्न प्रकार के गृहों के लिए राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों

को संस्वीकृत व निर्मुक्त की गई निधियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष की अव्ययित राशि के समायोजन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (31.07.2011 तक) में किशोर न्याय बोर्डों एवं गृहों के लिए जारी किए गए अनुदानों, उनकी संख्या और इन गृहों से लाभान्वित की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10					2010-11					2011-12 (छद्र ढ 31.07.2011)				
		किशोर न्याय बोर्ड		गृह			किशोर न्याय बोर्ड		गृह			किशोर न्याय बोर्ड		गृह		
		सहायता प्राप्त	जारी की गई राशि (रुपये लाखा में)	सहायता प्राप्त	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	लाभान्वित लाभार्थी	सहायता प्राप्त	जारी की गई राशि (रुपये लाखा में)	सहायता प्राप्त	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	लाभान्वित लाभार्थी	सहायता प्राप्त	जारी की गई राशि (रुपये	सहायता प्राप्त	जारी की गई राशि (रुपये	लाभान्वित लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	23	21.09	22	78.24	1564	23	28.74	102	553.50	6012	0	0.00	0	0.00	0
2.	असम	22	26.51	7	20.59	500	27	33.10	5	52.36	285	0	0.00	0	0.00	0
3.	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	38	36.54	21	363.62	785	0	0.00	0	0.00	0
4.	छत्तीसगढ़	16	10.56	13	37.63	415	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0
5.	गुजरात	0	0.00	57	228.49	2504	26	11.46	57	225.26	2490	0	0.00	57	139.99	2490
6.	हरियाणा	0	0.00	9	20.76	354	21	11.32	12	212.24	361	0	0.00	0	0.00	0
7.	कर्नाटक	0	0.00	76	121.87	2902	28	10.59	62	215.13	2541	0	0.00	0	0.00	0
8.	केरल	14	8.50	30	36.56	834	14	25.58	31	206.42	1001	0	0.00	0	0.00	0
9.	मध्य प्रदेश	50	44.13	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0
10.	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	0	35	39.46	738	3201.28	52688	0	0.00	0	0.00	0
11.	मणिपुर	9	10.63	12	24.65	470	9	13.31	12	26.43	520	0	0.00	0	0.00	0
12.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	7	11.88	4	29.44	86	0	0.00	0	0.00	0
13.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	2	16.06	4	15.74	225	0	0.00	0	0.00	0
14.	नागालैंड	11	27.74	2	6.21	100	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0
15.	उड़ीसा	30	16.17	5	11.06	260	30	14.86	29	255.36	1598	0	0.00	0	0.00	0
16.	राजस्थान	0	0.00	63	194.19	3800	33	32.30	0	0.00	0	0	0.00	63	125.72	1971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	15	16	17
17.	तमिलनाडु	8	19.32	42	183.37	2772	32	20.55	41	60.04	2187	0	0.00	0	0.00	0
18.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	4	7.49	9	175.65	328	0	0.00	0	0.00	0
19.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00		69	53.85	49	262.98	2162
20.	पश्चिम बंगाल	19	12.64	39	92.76	2560	19	20.72	43	258.91	2807	0	0.00	0	0.00	0
21.	दिल्ली	0	0.00	0	0.00	0	3	1.57	23	164.15	1904	0	0.00	0	0.00	0
22.	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	2	1.69	6	69.77	217	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	202	197.29	377	1056.38	19035	353	337.22	1199	6085.30	76035	69	53.85	169	528.69	6623

प्रवर्तन निदेशालय का पुनर्गठन

1003. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आतंकवाद को वित्त-पोषित करने और सफेदपोशों के अपराध जैसे संवेदनशील प्रकृति के मामलों से निपटने में प्रवर्तन निदेशालय को सक्षम बनाने हेतु इसका पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) उक्त निदेशालय के पुनर्गठन की प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन निवारण अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की प्रभाव क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने इसके संवर्ग के पुनर्गठन को हाल ही में मंजूरी दी है।

इस मंजूरी में स्टाफ संख्या को 745 से बढ़ाकर 2064 करना तथा कार्यालयों की संख्या को 22 से बढ़ाकर 39 करना शामिल है। इस पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए सालाना व्यय होने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय के पुनर्गठन की प्रक्रिया के 2 से 3 वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कृषि ऋणों के लिए लक्ष्य

1004. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि ऋणों के संवितरण के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है:

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण में कृषि ऋण के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक उक्त अवधि के दौरान कृषि ऋण के अपने लक्ष्य का हासिल करने में पिछड़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो बैंक-वार और बिहार सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी किसानों को बैंक ऋण के लाभ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) भारत सरकार ने जून, 2004 में वर्ष 2003-04 से शुरू कर तीन वर्षों की अवधि में, वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों को दिए गए ऋण को दुगुना करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी। यह लक्ष्य दो वर्ष में प्राप्त कर लिया गया। तत्पश्चात् भारत सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए एक वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती आयी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लक्ष्य एवं प्राप्ति निम्नवत है:

वर्ष	लक्ष्य राशि (करोड़ में)	प्राप्ति (करोड़ में)	लक्ष्य की % प्राप्ति
2008-09	195,000	228,951.31	117.41
2009-10	250,000	285,799.73	114.32
2010-11	280,000	332,705.98	118.82

प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निबल बैंक ऋण अथवा बाह्य तुलन पत्र निवश (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का 40% का एक लक्ष्य, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अंदर, पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एएनबीसी और ओबीई की ऋण समतुल्य राशि जो भी अधिक हो, का 18% का एक उपलक्ष्य कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए अधिदेशित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण की उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत सरकार, 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए एक ब्याज सहायता प्रदान कर रही है ताकि किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण 7% की दर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2009-10 से भारत सरकार तत्काल भुगतान करने वाले किसानों, अर्थात वे किसान जो अपना ऋण समय पर चुकाते हैं को 1% की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त ब्याज सहायता वर्ष 2009-10 में 1% और वर्ष 2010-11 में 2% थी। इसे वर्ष 2011-12 में बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।
- कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 ने ऋण के अवरुद्ध मार्ग को खोल दिया जो किसानों पर ऋण बोझ के कारण अवरुद्ध हो गया थे।
- बैंकों को सलाह दी गई है कि वे लघु एवं सीमांत किसानों, बटाईदारों तथा ऐसे ही लोगों के लिए 50,000 रुपए तक के लघु ऋणों के लिए "अदेयता" प्रमाण पत्र की अपेक्षा से मुक्त करें तथा इसके बजाए वे उधारकर्ता से स्व-घोषणा प्राप्त करें।
- आरबीआई ने बैंकों को 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं को छूट देने की सलाह दी है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा वर्ष 2008, 2009 और 2010 में कृषि क्षेत्र को दिए गए अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल कृषि ऋण 2008		कुल कृषि ऋण 2009		कुल कृषि ऋण 2010	
		राशि	ANBC अथवा OBC की ऋण समतुल्य राशि का प्रतिशत	राशि	ANBC अथवा OBC की ऋण समतुल्य राशि का प्रतिशत	राशि	ANBC अथवा OBC की ऋण समतुल्य राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
	सार्वजनिक बैंक	2,48,685.26	17.4	2,96,856		3,70,729	
	राष्ट्रीयकृत बैंक	1,66,127,75	16.8	200910		2,54,150	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	9145.67	20.4	8,989	18.1	10.986	18.7
2.	आंध्रा बैंक	6156.42	21.8	6,834	19.8	8.825	19.9
3.	बैंक ऑफ इंडिया	13268.93	16.8	16,964	16.9	21,617	16.7
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	13128.00	18.5	16,346	18.2	18.256	16.3
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4841.01	15.4	4,522	15.2	6,107	14.5
6.	केनरा बैंक	17996.00	17.7	20,144	19.0	2,052	18.6
7.	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11104.06	17.6	13,639	16.5	18,306	17.9
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	3529.79	10.0	4,330	11.1	6,586	12.3
9.	देना बैंक	2764.64	14.7	3,851	15.5	4,826	15.8
10.	इंडियन बैंक	6214.87	22.1	7,618	19.9	9,091	18.6
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	8688.90	18.9	10,573	18.5	12.008	17.9
12.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	6592.00	12.3	8,565	13.3	11,032	13.9
13.	पंजाब नेशनल बैंक	19946.40	18.9	23,806	19.7	29,821	19.5
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2438.22	17.9	2,969	14.1	5,063	18.2
15.	सिंडीकेट बैंक	9331.81	19.9	10,796	18.4	13,135	18.4
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11392.87	17.2	13,233	16.0	17,701	15.5
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3172.00	13.2	3,869	13.0	4,758	12.0
18.	यूको बैंक	7948.00	16.2	11,038	19.0	13,629	20.9
19.	विजया बैंक	3942.16	12.9	4,513	14.0	5,222	14.6
20.	आईडीबीआई लि.	4526.00	6.7	8,311	10.1	12.129	11.1
	स्टेट बैंक समूह	82557.51	18.3	95,946		1,16,579	
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	56432.00	18.6	69,279	18.3	83,239	18.0
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	4589.58	22.1	4,828	19.1	6,039	20.1
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5147.71	18.1	6,932	18.8	8,160	18.5

1	2	3	4	5	6	7	8
24	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3018.47	19.1	3,343	18.2	4,120	17.8
25	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2911.36	18.1	3,571	16.8	3,833	14.8
26	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4573.71	15.7	5,040	13.7	8,058	18.3
27	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट	2194.76	19.5	0	0.0	0	0.0
28	स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेणकोर	3689.92	14.7	2,953	10.3	3,130	9.5

टिप्पणियां:

1. आंकड़े अंनतिम हैं।
2. समायोजित निवल बैंक जमा
3. 30 अप्रैल 2007 के प्रयामिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य/उपलब्ध, समायोजित निवल बैंक ऋण अथवा बहा तुलन पत्र निवेश की ऋण समतुल्य राशि जो भी अधिक हो, से
4. कृषि के लिए प्रतिशांक की गणना करने के लिए ANBC + 4.5 प्रतिशत तक अप्रत्यक्ष ऋण की गणना की जाती है।

स्रोत RBI रूझान एवं प्रगति

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा

1005. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री रवनीत सिंह:
श्री बिभू प्रसाद तराई:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन की स्थिति क्या है;

(ख) देश में पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए चयनित स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पवन ऊर्जा के सतत विकास हेतु पर्याप्त पारेषण, अवसंरचना, दीर्घावधि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य और केन्द्रीयकृत प्राधिकरण का प्रावधान करते हुए कोई व्यापक कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र को कुछ विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन में स्थानीय जनता को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जून, 2011 तक देश में कुल 14550 मेवा. की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय ने देश में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) चैन्नई के माध्यम से पवन संसाधन मूल्यांकन प्रारंभ करने हेतु 627 पवन मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने हेतु इन 627 स्टेशनों में से 233 स्थानों को पवन संभाव्यता स्थलों के रूप में चुना गया है। संभाव्यता स्थलों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्युत एक समकालिक विषय है, अत: प्रत्येक राज्य पवन सहित अक्षय संबंधी अपनी नीतियां लाते हैं। यद्यपि सरकार का विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 और प्र:शुल्क नीति 2006 में देश में अक्षय ऊर्जा के संवर्धन हेतु समर्थकारी प्रावधान मौजूद है। इसके अतिरिक्त सरकार की समेकित ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा के दोहन को बढ़ाने की जरूरत पर

जोर दिया गया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) देश में पवन ऊर्जा क्षेत्र के सतत विकास हेतु आवश्यक विनियामक फ्रेमवर्क/दिशा-निर्देश उपलब्ध करा रहा है।

(ङ) और (च) सरकार 80% त्वरित मूल्यह्रास, पवन विद्युत उत्पादकों के कुछ घटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त आय पर 10 वर्षों का करावकाश जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र निवेश के माध्यम से पवन विद्युत परियोजनाओं का संवर्धन कर रही है। संभाव्यता स्थलों की पहचान करने हेतु पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, चैन्नई द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में अधिमान्य शुल्क दर उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) स्कीम की भी शुरूआत की है जिसके तहत त्वरित मूल्यह्रास का लाभ न लेने वाली परियोजनाओं को 0.50 रु. प्रति यूनिट उपलब्ध कराया जाता है।

देश में अधिकांश पवन विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र में संस्थापित की जा रही हैं। निजी परियोजना विकासकर्त्ताओं द्वारा इन परियोजनाओं की संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाता है।

विवरण-I

राज्य-वार पवन विद्युत संस्थापनाएं

राज्य	क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	198
गुजरात	2259
कर्नाटक	1728
केरल	35
मध्य प्रदेश	276
महाराष्ट्र	2346
राजस्थान	1620
तमिलनाडु	6084
अन्य	4
कुल	14550

विवरण-II

राज्यवार पवन संभाव्यता स्थल

क्र.सं.	राज्य	पवन संभाव्यता स्थलों की संख्या
1.	तमिलनाडु	45
2.	गुजरात	40
3.	उड़ीसा	6
4.	महाराष्ट्र	39
5.	आंध्र प्रदेश	32
6.	राजस्थान	8
7.	लक्षद्वीप	8
8.	कर्नाटक	26
9.	केरल	17
10.	मध्य प्रदेश	7
11.	पश्चिम बंगाल	1
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
13.	उत्तराखंड	1
14.	जम्मू और कश्मीर	1
	कुल	233

[हिन्दी] कट ... 392-94

मारीशस के साथ डीटीएए

1006. श्री पी.सी. मोहन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री रमेश बैस:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए) में कुछ खामियां और राजस्व चोरी के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार ने इस मामले को मॉरीशस सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर मॉरीशस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में मॉरीशस से कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) भारत-मारीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय (डीटीएसी) में शेयरों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत अभिलाभों से प्राप्त आय पर केवल निवेशक के आवास के देश में ही कराधान की व्यवस्था है। इस प्रकार, मारीशस के जरिए भारत में निवेश करने वाला निवेशक, भारत में पूंजीगत अभिलाभों पर कर अदा नहीं करता। मारीशस में शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभों से प्राप्त आय पर कोई कर नहीं है। अतः मारीशस के जरिए भारत में अपने निवेश करने वाले ऐसे निवेशक, भारत अथवा मारीशस कहीं भी कोई पूंजीगत अभिलाभ कर अदा नहीं करते। इस प्रकार मारीशस, मारीशस के अतिरिक्त अन्य देशों के निवासियों के लिए भारत में निवेश करने के लिए एक आकर्षक मार्ग बन गया है। तथाकथित "राजस्व हानि" की मात्रा का सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि पूंजीगत अभिलाभों पर कर, बिक्री और क्रय मूल्य के बीच के अंतर, लागत मुद्रास्फिति सूचकांक कारक, स्थानांतरण की लागत, एक लेन-देन में हुई हानियों का दूसरे लेन-देन में हुए अभिलाभों के प्रति समायोजन, और पूर्ववर्ती वर्षों की आगे लाई गई हानियों पर निर्भर करता है। चूंकि, मारीशस आधारित हस्तियों के लिए पूंजीगत अभिलाभों पर कर की छूट थी, उन में से बड़ी संख्या में हस्तियों ने विवरणियां दाखिल नहीं की थी जब तक कि उन्हें अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त नहीं थी। पूंजीगत अभिलाभों पर कर न लगाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि की सही राशि को आकलित नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत और मारीशस के बीच संधि "शापिंग" के परिहार तथा कर मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए डी.टी.ए.सी. में समुचित परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए भारत-मारीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय (डीटीएसी) की पुनरीक्षा का प्रस्ताव किया है। अन्य बातों के साथ-साथ, भारत-मारीशस डीटीएसी के दुरूपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय करने हेतु भारत सरकार और मारीशस की सरकार से सदस्यों को शामिल कर एक संयुक्त कार्यकारी दल (जे डब्ल्यू जी) वर्ष 2006 में गठित किया गया था। अभी तक बातची के छह दौर हो चुके हैं। इस समस्या का समाधान करने में सहयोग करने के लिए मारीशस की ओर से अनिच्छा थी। तथापि, हाल ही में यह दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय पर संयुक्त कार्यकारी दल की अगली बैठक आयोजित करने के लिए सहमति हुई थी। अब हमने विचार-विमर्श के अगले दौर का प्रस्ताव किया है जिस पर अभी मारीशस का प्रत्युत्तर दिया जाना है।

(ङ) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान मारीशस से आने वाले एफ डी आई अंर्तप्रवाह का प्रतिशतांक 41.01 प्रतिशत, 40.16 प्रतिशत और 35.96 प्रतिशत था।

[अनुवाद]

स्वर्ण भंडार

1007. **श्रीमती दीपा दासमुंशीः**
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
श्रीमती ज्योति धुर्वेः
श्री प्रतापसिंह पी. चौहानः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में अनुमानित कितना स्वर्ण भंडार मौजूद है;

(ख) देश में स्वर्ण भंडार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके खनन में संलग्न कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वर्ग के उत्पादन, मूल्य की तुलना में उसकी मांग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में स्वर्ण भंडारों के कुछ नए क्षेत्रों की पहचान की है और अब तक जिन क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है उनकी क्षमता का दोहन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गैर-सरकारी या निजी कंपनियों ने उक्त खोज में भागीदार बनने में अपनी रुचि दर्शाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 1.4.2005 की स्थिति अनुसार तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज मांगसूची के अनुसार देश में कुल आरक्षित स्वर्ण अयस्क 19.25 मिलियन टन आंका गया है जिसमें 85.12 टन प्राथमिक स्वर्ण धातु सम्मिलित हैं।

(ख) राष्ट्रीय खनिज मांगसूची के अनुसार स्वर्ण निक्षेपों की राज्यवार और जिलेवार स्थिति और स्वर्ण के खनन में नियोजित कंपनियों के नाम नीचे दिए गए है:

राज्य	जिलों के नाम	सोने के खनन में नियोजित कंपनियों के नाम
आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर और करनूल	
बिहार	जमूई	
छत्तीसगढ़	रायपुर	
झारखंड	सिंहभूम (पूर्व)	मैं. मनमोहन इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
कर्नाटक	चित्रदुर्ग, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, हावेरी, कोलार, रायचूर और तुमकुर	मै. हट्टी गोल्ड माइंस
केरल	मालापुरम और पालाक्कड़	
मध्य प्रदेश	जबलपुर और सिंधी	
महाराष्ट्र	भंडारा और नागपुर	
राजस्थान	बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, सिरोही और उदयपुर	
तमिलनाडु	धरमपुरी	
पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	

(ग) वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान स्वर्ण उत्पादन एवं मूल्य का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है-

मद	2008-09	2009-10	2010-11
उत्पादन (टनों में)			
झारखंड	0.02	0.02	0.02
कर्नाटक	2.42	2.09	2.22
गुजरात	4.87	9.11	6.96
उत्पादन का मूल्य (हजार रु. में)			
झारखंड	21833	21448	27946
कर्नाटक	3130737	3292448	4274150
गुजरात	6125266	14484230	13284731
निर्यात (टनों में)	3.68	22.99	-
आयात (टनों में)	771.04	851.02	-
स्पष्ट खपत (टनों में)	774.67	839.25	-

(घ) और (ङ) वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक सरकार द्वारा अभिज्ञात नए स्वर्ण निक्षेप क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	एजेंसी	राज्य	स्थिति
2007-08	जीएसआई	राजस्थान	भूकिया गोल्ड बैल्ट, जिला बांसवाड़ा
	जीएसआई	छत्तीसगढ़	बाघमारा ब्लॉक सोनाखान क्षेत्र, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2008-09	जीएसआई	छत्तीसगढ़	सोनादेही स्वर्ण संभावी क्षेत्र
		राजस्थान	देलवाड़ा पश्चिमी खंड
		यूपी	सोनपहाड़ी
	एचजीएमएल	कर्नाटक	हट्टी, ऊटी और हीरा बुदीनी
2009-10	एमईसीएल	राजस्थान	भूकिया (पूर्व), धानी-बासरी खंड
	जीएसआई	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर-(रामगिरी का नार्थ पार्ट-पनाकाचेरिला); महबूब नगर-(कृष्णा नदी का उत्तर)
		बिहार	नालंदा : (मुंगेर-राजगिर)
		झारखंड	पूर्व और पश्चिम सिंहभूम (तिलाईनर शोभापुर) रांची (सिंदूरी पूर्वी खंड)
		कर्नाटक	चित्रदुर्ग (बेलाघाट खंड) गुलबर्ग (मंगलौर का उत्तरी हिस्सा शिष्ट बेल्ट)
			तुमकुर (अज्जनहल्ली ब्लाक डी)
		राजस्थान	बांसवाड़ा (देलवाड़ा पश्चिमी खंड-भूकिया स्वर्ण बेल्ट)
			डुंगरपुर (भारकुंडी) खंड
		उत्तराखंड	चमोली और पिथोरागढ़ (मारतोली-मिलम और नीति क्षेत्र)
	डीएमजी	राजस्थान	जयपुर (एन/वी) पच्छापुर, गोल, मातासूला, तेह जामवा रामगढ
		कर्नाटक	देवनगिरी (कुदरेकोडा)
	एचजीएमएल	कर्नाटक	रायचूर (हट्टी माइन, ऊटी माइन और हीरा बुदीनी माइन्स)

(च) और (छ) जी, हां सरकार ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक स्वर्ण एवं सहयोजी खनिजों के लिए 112 टोही परमिट देने का अनुमोदन पहले ही दे दिया है।

[हिन्दी] 397-99

पी.एच.सी. का कार्यकरण

1008. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) बंद पड़े हुए हैं या उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौर क्या है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इन स्वास्थ्य केंद्रों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं तथा सरकार की देश

में विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तराखंड और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कार्य योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्धोपाध्याय): (क) से (ख) जी, नहीं। भारत में मार्च 2010 तक अद्यतन ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी संबंधी बुलेटिन के अनुसार समूचे देश में कुल 23673 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के समुचित कार्यकरण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तराखंड और झारखंड सरकार सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उनके द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को शामिल करती है और भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के आधार पर राज्यों द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

गर्भवती महिलाओं की मृत्यु

1009. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली सहित देश के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों/स्टॉफ की लापरवाही और संसाधनों के अभाव में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होने के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी डॉक्टरों और स्टाफ के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार ने महिलाओं को बेहतर मातृत्व सुविधाएं/सेवाएं और अस्पतालों में आवश्यक संसाधन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए ऐसी सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, डॉक्टर/स्टाफ की ओर से लापरवाही और संसाधनों की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के ऐसे किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार अपने प्रमुख कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से पूरे देश में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं सहित गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता एवं पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में डिग्री पाठ्यक्रम

1010. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
डॉ. तरुण मंडल:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल स्नातक (बी.आर.एच.सी.) पाठ्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ख) उक्त चिकित्सा पाठयक्रम का दायरा क्या है और इसे किस प्रकार लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या बी.आर.एच.सी. को लागू करने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से विरोध हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं/उपाय प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से प्रस्तावित ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या स्नातक

की पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार की गई है। इस समय, इसके क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रस्तावित पाठक्रक्रम छह माह की इंटर्नशिप सहित 2 वर्षों की अवधि का होगा और इसे जिला अस्पतालों में पढ़ाया जाना प्रस्तावित है और इसे विशेषकर उनके लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी कर ली है और जिले के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी अर्हक परीक्षा पास कर ली है। ये व्यावसायिक उप-केन्द्रों में तैनात किए जाएंगे।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा संघ ने बीआरएचसी पाठ्यक्रम के स्वरूप और अवधि का विरोध किया है।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने हेतु अपने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों में निम्नलिखित किया:

1. सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षण जिन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष सेवा की है और

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों को 10 प्रतिशत की दर से प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अधिकतम 30 प्रतिशत अंकों तक प्रोत्साहन।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

- चिकित्सकों और विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को सहायता दी जाती है। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार 9432 चिकित्सक और 7063 विशेषज्ञ राज्यों द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए थे।

- संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सकों को नियुक्त करने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी दी जाती है और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किया जाता है। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा 11575 आयुष चिकित्सकों को नियुक्त किया गया।

- अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों और विशेषज्ञों को प्रोत्साहनों का भुगतान।

- डॉक्टरों को जीवन रक्षक संवेदनाहरण दक्षता और व्यापक आपाती प्रसूति परिचर्या में प्रशिक्षण देकर बहुदक्ष बनाना।

कर अपवंचन

1011. श्री संजय सिंह चौहानः
श्री विजय बहादुर सिंहः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान निजी कंपनियों द्वारा कर अपवंचन के प्रकाश में आए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनसे कुल कितनी धनराशि वसूली गई और कार्यवाही क्षेत्र का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सौर विद्युत परियोजनाएं

1012. श्रीमती सुप्रिया सुलेः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कंपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और यूनाइटेड नेशनस क्लीन डेवलपमेंट मकैनिज्म (सीडीएम) से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए कोई पहल की है जिसका उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर उत्सर्जन में कमी लाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना प्रवर्तकों में वे लघु उद्यमी और निगमित घराने शामिल हैं जिन्हें देश में 5 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लाइसेंस प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना के आकार पर ध्यान दिए बिना किसी एक सीडीएम परियोजना का पंजीकरण, लेखा परीक्षा और परामर्श लागत 20-25 लाख के बीच हो सकती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी सौर इकाइयों की स्थापना किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) से (घ) सभी सौर परियोजनाएं अपनी प्रमाणित उत्सर्जन कमियों के अनुरूप कार्बन क्रेडिट प्रापत करने हेतु पात्र हैं। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को किसी भी फर्म की ओर से अभी तक उन्हें संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) से कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की दृष्टि से सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव सिफारिश के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) एक सीडीएम परियोजना के पंजीकरण में शामिल लागत-परामर्शदाता, कार्य का विस्तार और परियोजना के आकार पर निर्भर करता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सौर विद्युत उत्पादन

1013. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौर ऊर्जा से देश के कोयले आयात में 30 प्रतिशत तक की बचत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) महोदया, सौर विद्युत में उल्लेखनीय रूप से कोयले की खपत कम करने की संभाव्यता है, तथापि यह तभी संभव होगा जब सौर विद्युत की लागत कम होगी और ग्रिड समानता प्राप्त कर ली जाएंगी।

(ग) सरकार ने मार्च, 2013 तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण में 100 मेवा. क्षमता के लघु सौर संयंत्रों सहित 1,100 मेवा. ग्रिड सम्बद्ध सौर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य का अनुमोदन किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार ने लघु सौर विद्युत संयंत्रों हेतु 98 मेवा. क्षमता सहित लगभग 800 मेवा. क्षमता की ग्रिड सौर परियोजनाएं आबंटित की हैं। ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाओं हेतु शेष क्षमता का चयन वर्ष 2011-12 में होना है।

200 मेवा. क्षमता के अन्य ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों हेतु भी मिशन के प्रथम चरण में सब्सिडी और/अथवा ऋण के माध्यम से सहायता दी जानी है। वर्ष 2010-11 के दौरान देश में 40.6 मेवा. की समग्र क्षमता की ऑफ-ग्रिड सौर परियोजनाएं मंजूर की गईं।

आई टी प्रतिदाय

1014. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर प्रतिदाय, यदि कोई हो, तो उसे जारी करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) दिशा-निर्देशों का पालन करने में किस सीमा तक चूक हुई है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष हेतु इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिदाय दावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) रिफंड के दावों सहित आय विवरणियों का संसाधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आय विवरणियों को संसाधित करने की सांविधिक समय-सीमा उनकी प्राप्ति के वित्तीय वर्ष से संबंधित है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई विवरणियों को उस वित्तीय वर्ष जिसमें विवरणी प्राप्त हुई है, के समाप्त होने के बाद एक वर्ष तक संसाधित किया जा सकता है। अत: वित्तीय वर्ष 2008-09 से संबंधित विवरिणयों, यदि वे वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दायर की गई हैं, को 31.3.2011 तक संसाधित किया जा सकता है। किन्तु यदि यह वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान दायर की गई है तो इसे 31.3.2012 तक संसाधित किया जा सकता है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2009-10 से संबंधित विवरणियां यदि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान की गई हैं तो उन्हें 31.3.2012 तक और आगे इसी प्रकार संसाधित किया जा सकता है। सामान्यतया विवरणी को संसाधित किए जाने के पश्चात् उत्पन्न रिफंड को समय के साथ जारी कर दिया जाता है। तथापि, कई बार निम्नलिखित कारणों से विलंब हो सकता है:

(i) आय विवरणी में निर्धारिती द्वारा गलत 'पैन' का उल्लेख;

(ii) निर्धारिती द्वारा आय विवरणी में पते की अस्पष्ट रूप से दर्ज करना;

(iii) निर्धारिती द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को नए/परिवर्तित पते के बारे में न बताना;

(iv) बैंक खाते के बारे में गलत ब्यौरे देना;

(v) डाटा का मिलान न होने के कारण अदा किए गए अथवा काटे गए करों के सत्यापन में चुनौतियां।

(ग) आय की विवरणी को संसाधित करने और प्रतिदाय, यदि कोई देय हो, को जारी करने से संबंधित सपुर्दुगी प्रणाली में सुधार लाने के दीर्घावधि उपाय के रूप में आय कर विभाग ने कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं:

(i) त्वरित संसाधन के लिए आयकर विवरणियों की ई-फाईलिंग को प्रोत्साहित करना। निगमित करदाताओं और सभी गैर-निगमित करदाताओं के लिए जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44-क ख के तहत अपने लेखों की अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा करवानी होती है उन्हें अपनी आय की विवरणी को अब से इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना अनिवार्य है।

(ii) बैंगलोर में पूरे देश की ई-फाइल की गई विवरणियों को और कर्नाटक और गोवा क्षेत्र की मैनुअली दायर की गई विवरणियों को संसाधित करने के लिए केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया गया है।

(iii) सभी मैनुअली दायर की गई विवरणियों को संसाधित करने के लिए मानेसर और पुणे में ऐसे दो और केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं कोलकाता में भी एक और केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(iv) विभाग द्वारा जारी किए गए नागरिक घोषणा पत्र और अन्य प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए करदाताओं से आय विवरणी में प्रासंगिक ब्यौरों का सावधानीपूर्वक उल्लेख करने और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से आम गलतियों को न करने का अनुरोध किया जाता है, जिसके कारण विलंब हो सकता है।

(v) कर क्रेडिट का सत्यापन त्वरित संसाधन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। स्रोत पर काटे जाने वाले कर के कटौतीकर्त्ताओं को तिमाही आधार पर अपने स्रोत पर काटे गए कर की विवरणियों को अनिवार्य रूप से ई-फाइल करना अपेक्षित है।

(vi) प्रणाली की सुदृढ़ता में सुधार लाने के लिए और जिनकी कटौती हुई है उनके दावों और कटौतीकर्त्ताओं से तद्रूपी कर की कटौती संबंधी विवरण के बीच बेमेलता को कम करने के लिए कटौतीकर्त्ताओं द्वारा अपनी विवरणी में स्थायी लेखा संख्या उद्धत करने को अनिवार्य बनाया गया है। अच्छे ढंग से अनुपालन करवाने हेतु कटौतीकर्त्ता को स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध कराने में असफल रहने पर अब स्रोत पर अधिक दर पर कर की कटौती की जाएगी।

(vii) करदाताओं को फार्म 26कध में अपने कर क्रेडिट विवरण को देखने की सुविधा उपलबध कराई गई है ताकि वे अपनी आय विवरणी को प्रस्तुत करने से पहले टीडीएस विवरणों की जांच कर सकें और त्रुटियों, यदि कोई हों, का सुधार करने के लिए कटौतीकर्त्ताओं के साथ उचित कदम उठा सकें।

(viii) प्रतिदायों के शीघ्र करने, प्रेषण डिलीवर करने को प्रतिदाय बैंकर स्कीम प्रारंभ की गई थी और अब यह पूरे भारत में गैर-निगमित करदाताओं के लिए लागू है।

(ix) जानकारी के बेहरत संवितरण के लिए करदाताओं के रिफंड की प्रास्थिति का ऑनलाइन अवलोकन उपलब्ध है।

(x) शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। कर दाताओं की सहायता के लिए आयकर लोकपाल का पद सृजित किया गया है।

(xi) आयकर विभाग द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2011 के प्रथम उर्त्तार्द के दौरान सभी लंबित रिफंड मामलों का निपटान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था।

1107-18

कोयले की कमी

1015. श्री एस. सेम्मलई:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों और देश में अन्य संयंत्रों में कोयले की कमी से इन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की मांग और आपूर्ति स्थिति का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयले की ई-नीलामी के प्रस्ताव को कोयला मंत्रालय ने निरनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एनटीपीसी सहित विद्युत यूटिलिटियों ने कोयले की कमी के कारण अप्रैल-जून, 2011 की अवधि के दौरान 1.4 बिलियन यूनिट (बि.यू.) की उत्पादन हानि सूचित की है।

(ख) अप्रैल-जून 2011 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की मांग एवं आपूर्ति का राज्य-वार एवं परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) कोयला मंत्रालय के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की ई-नीलामी की स्कीम को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) मांग की कमी के कारण घरेलू स्रोतों से कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विद्युत यूटिलिटियों को वर्ष 2011-12 के लिए 35 मिलियन टन (एमटी) कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, 20 एमटी कोयला, आयातित कोयले का तैयार ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा आयात किया जाएगा। वर्ष 2011-12 के दौरान कोयले के आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(अप्रैल से जून, 2011 तक ताप विद्युत केन्द्रों का मासिक कोयला विवरण)

(मात्रा 000 टन में)

क्र.सं.	टीपीएस का नाम	वास्तविक प्राप्ति						प्राप्ति	उपभोग	उपभोग	परिसमापन	स्टॉक्स
		आवश्यकता	सीआई एसएससीएल	अन्य स्रोत	आयात	कुल	%	इक्विटी रॉ.	वास्तविक	इक्विटी रॉ.	स्टॉक्स	
		मात्रा	मात्रा	माध्यम	मात्रा	मात्रा	लिंक	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	राजघाट	228	217	0	0	217	95	217	232	232	11	4
2.	बदरपुर टीपीएस	1143	1094	0	19	1113	97	1113	1058	1058	201	16
3.	पानीपत टीपीएस	1950	2057	0	138	2195	113	2195	1931	1931	297	14
4.	यमुना नगर टीपीएस	729	635	0	92	727	100	727	677	677	155	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	राजीव गांधी टीपीएस	1401	760	0	131	891	64	891	810	810	153	10
6.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	624	278	0	0	278	45	282	260	264	251	37
7.	जीएच टीपपीएस (लेहरा मुहब्बत)	1170	226	954	0	1180	101	1180	1007	1007	398	31
8.	रोपड़ टीपीएस	1821	618	954	0	1572	86	1588	1561	1577	544	27
9.	जीएनजी टीपीएस (भटिंडा)	468	22	326	0	348	74	348	300	300	173	34
10.	कोटा टीपीएस	1671	1527	0	223	1750	105	1897	1659	1806	182	10
11.	सूरतगढ़ टीपीएस	1872	1578	0	263	1841	98	1950	1612	1721	347	17
12.	छाबड़ टीपीपी	573	152	0	0	152	27	152	306	306	66	10
13.	अनपरा टीपीएस	2289	2112	0	0	2112	92	2112	2182	2182	234	9
14.	हरदुआगंग टीपीएस	249	21	0	0	21	8	21	0	0	112	41
15.	ओबरा टीपीएस	1248	909	0	0	909	73	909	899	899	223	16
16.	पनकी टीपीएस	312	226	0	0	226	72	226	221	221	109	32
17.	परीछा टीपीएस	831	650	0	0	650	78	650	716	716	213	23
18.	दादरी (एनसीटीपीपी)	2391	1824	0	451	2275	95	2275	2220	2220	170	6
19.	रिहंद एसटीपीएस	2886	2511	0	136	2647	92	2647	2785	2785	538	17
20.	सिंगरौली एसटीपीएस	2937	2579	0	71	2650	90	2650	2672	2672	568	18
21.	टांडा टीपीएस	702	895	0	31	926	132	926	718	718	439	57
22.	ऊंचाहार टीपीएस	1587	1185	0	66	1251	79	1251	1350	1350	306	18
23.	रोजा टीपीपी फेज-	780	606	0	0	606	78	606	545	545	96	11
कुल उत्तर क्षेत्र		29862	22682	2234	1621	26537	89	26814	25721	25998	5786	18
24.	डीएसपीएम	780	682	0	0	682	87	682	666	666	138	16
25.	कोरबा-	780	770	0	0	770	99	770	681	681	171	20
26.	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1299	1122	0	0	1122	86	1122	1286	1286	298	21
27.	कोरबा एसटीपीएस	3381	3283	0	104	3387	100	3387	3374	3374	604	16
28.	सीपत एसटीपीएस	1560	1222	0	0	1222	78	1222	1244	1244	562	33
29.	पथड़ी टीपीपी	780	315	0	0	315	40	315	603	603	128	15
30.	भिलाई टीपीएस	702	579	0	0	579	82	579	745	745	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	ओपी जिंदल टीपीएस	1350		1511	0	1511	112	1511	1330	1330	202	14
32.	मूंदड़ा टीपीएस	1740		0	1582	1582	91*	1582	1480	1480	273	14
33.	गांधीननगर टीपीएस	1275	851	0	78	929	73	1093	979	1143	55	4
34.	उकाई टीपीएस	1092	954	0	0	954	87	1068	985	1099	21	2
35.	सिक्का रेप, टीपीएस	345	264	0	0	264	77	318	261	316	26	7
36.	वनाकबोरी टीपीएस	2028	1984	0	0	1984	98	2298	1918	2232	196	9
37.	साबरमती (सी स्टेशन)	573	303	0	100	403	70	403	432	432	41	7
38.	अमरकंटक विस्तार टीपीएस	468	341	0	0	341	73	341	367	367	139	27
39.	संजय गांधी टीपीएस	1665	1518	0	0	1518	91	1518	1478	1478	41	2
40.	सतपुड़ा टीपीएस	1611	1438	0	0	1438	89	1438	1432	1432	88	5
41.	विन्ध्याचल एसटीपीएस	4863	4107	0	245	4352	89	4352	4530	4530	521	10
42.	भुसावल टीपीएस	675	498	0	99	597	88	666	595	664	213	29
43.	चन्द्रपुरा (महाराष्ट्र	3510	2913	0	270	3183	91	3292	3112	3221	417	11
44.	खापरखेड़ा टीपीएस-	1404	933	0	278	1211	86	1288	1179	1256	21	1
45.	कोराडी टीपीएस	1248	1064	0	0	1064	85	1167	897	1000	315	23
46.	नासिक टीपीएस	1221	830	0	181	1011	83	1076	1134	1198	77	6
47.	पारली टीपीएस	1500	1207	0	80	1287	86	1476	1163	1352	113	7
48.	पारस टीपीएस	450	400	0	0	400	89	474	429	504	52	11
49.	दहाणु टीपीएस	828	505	0	177	682	82	808	707	833	15	2
50.	वर्धा वरोरा टीपीपी	597	572	0	0	572	96	572	527	527	77	12
51.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि टीपीपी	600		0	833	833	139	833	574	574	35	5
52.	ट्रांबे टीपीएस	750		0	665	665	89	665	745	745	81	10
कुल	**पश्चिमी क्षेत्र**	39075	28655	1511	4692	34858	89	36317	34853	36312	4925	11
53.	डॉ. एन.टाटा राव टीपीएस	2340	2168	0	278	2446	105	2446	2495	2495	104	4
54.	कोठागुडम टीपीएस	1701	1554	0	0	1554	91	1554	1906	1906	54	3
55.	रामागुंडम-बी टीपीएस	90	94	0	0	94	104	94	85	85	15	15
56.	रायलसीमा टीपीएस	1482	1228	0	63	1291	87	1339	1361	1409	60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	रामागुंडम एसटीपीएस	3432	2792	0	127	2919	85	2919	3204	3204	143	4
58.	सिम्हाद्रि	2079	1357	0	256	1613	78	1613	1565	1565	124	5
59.	काकतिया टीपीएस	519	533	0	0	533	103	533	547	547	62	11
60.	रायचूर टीपीएस	2262	1383	39	334	1756	78	1791	2026	2061	161	6
61.	बेल्लारी टीपीएस	780		519	42	561	72	561	540	540	63	7
62.	उडुपी टीपीपी	510		0	334	334	65	334	352	352	303	54
63.	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-1)	660		0	486	486	74	486	486	486	0	0
64.	एन्नौर टीपीएस	624	373	0	0	373	60	373	355	355	40	6
65.	मेत्तूर टीपीएस	1221	925	0	327	1252	103	1252	1177	1177	127	9
66.	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	936	577	0	204	781	83	781	772	772	71	7
67.	तूतीकोरिन टीपीएस	1665	1256	0	344	1600	96	1600	1553	1553	86	5
कुल दक्षिणी क्षेत्र		20301	14240	558	2795	17593	87	17676	18424	18507	1413	6
68.	बरौनी टीपीएस	105	44	0	0	44	42	44	44	44	18	16
69.	मुजफ्फरपुर टीपीएस	156	111	0	0	111	71	111	72	72	45	26
70.	कहलगांव टीपीएस	3639	2548	0	378	2926	80	2926	2857	2857	40	1
71.	पतरातू टीपीएस	261	68	0	0	68	26	68	80	80	77	27
72.	तेनुघाट टीपीएस	411	503	0	0	503	122	503	391	391	148	33
73.	बोकारो बी टीपीएस	807	606	0	0	606	75	606	725	725	237	27
74.	चन्द्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	729	480	25	0	505	69	505	443	443	80	10
75.	इब वैली टीपीएस	702	597	0	0	597	85	597	587	587	123	16
76.	तालचेर (ओल्ड; टीपीएस	780	745	0	7	752	96	752	821	821	174	20
77.	तालचेर एसटीपीएस	4860	3455	0	832	4287	88	4287	4539	4539	80	1
78.	स्टरलाइट टीपीपी	1560	840	0	0	840	54	840	796	796	90	5
79.	दुर्गापुर टीपीएस	342	173	0	0	173	51	188	219	219	245	65
80.	मेजिया टीपीएस	2604	1677	23	0	1700	65	1700	1593	1593	46	2
81.	बक्रेश्वर टीपीएस	1560	885	276	109	1270	81	1270	1302	1302	98	6
82.	बांडेल टीपीएस	441	291	59	75	425	96	427	432	434	26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83.	डीपीएल टीपीएस	702	391	4	0	395	56	395	367	367	198	26
84.	कोलाघाट टीपीएस	1638	1291	164	186	1641	100	1704	1555	1618	118	7
85.	सागरडिघी टीपीएस	702	504	167	119	790	113	808	725	743	92	12
86.	संथालडीह टीपीएस	573	317	0	0	317	55	317	309	309	61	10
87.	बज बज टीपीएस	858	314	491	74	879	102	879	897	897	272	29
88.	न्यू कोसीपुर टीपीएस	117	83	0	0	83	71	83	84	84	17	13
89.	सदर्न रेल्वे, टीपीएस	207	84	94	18	196	95	196	196	196	38	17
90.	टीटागढ़ टीपीएस	339	193	103	4	300	88	300	314	314	25	7
91.	फरक्का एसटीपीएस	2859	1000	0	687	1687	59	1739	1518	1518	265	8
कुल पूर्वी क्षेत्र		26952	17200	1406	2489	21095	78	21244	20866	20948	2613	9
कुल अखिल भारत		116190	82791	5709	11597	100097	86	102069	99864	101769	14737	12

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के कोयले का आयात

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	बोर्ड/यूटिलिटी	आयातित कोयले का वार्षिक लक्ष्य	अप्रैल-मई, 11 के दौरान टीपीएस पर प्राप्ति को प्राप्ति	जून, 2011 के दौरान टीपीएस पर प्राप्ति	पत्तन पर उपलब्धता	कुल	यथानुपातिक प्राप्ति
घरेलू कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एचपीजीसीएल	1.450	0.270	0.091	0.000	0.361	100
2.	आरवीयूएनएल	1.450	0.271	0.215	0.000	0.486	134
3.	यूपीआरवीयूएनएल	1.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0
4.	एमपीजीसीएल	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0
5.	टोरेंट एईसी	0.500	0.052	0.048	0.000	0.100	80
6.	जीएसईसीएल	1.480	0.008	0.070	0.001	0.079	21
7.	महा जैनको	3.350	0.733	0.175	0.000	0.908	109

1	2	3	4	5	6	7	8
8	रिलायंस	0.600	0.111	0.070	0.003	0.184	123
9	एपी जेनको	1.600	0.246	0.127	0.000	0.373	94
10	टीएनईबी	1.800	0.578	0.286	0.069	0.933	208
11	केपीसीएल	0.900	0.305	0.050	0.000	0.355	158
12	डीवीसी	1.730	0.000	0.000	0.000	0.000	0
13	सीईएससी	0.500	0.048	0.039	0.137	0.224	180
14	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1.000	0.221	0.244	0.000	0.465	187
15	एनटीपीसी	15.450	2.237	1.095	0.865	4.197	109
16	एनटीपीसी (जेवी) इंदिरा गांधी	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0
17	रिलायंस रोजा	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0
18	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0
19	टाटा (मैथोनर्ब)	0.210	0.000	0.000	0.000	0.000	0
20	सीएसईबी	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0
आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र		35.000	5.080	2.510	1.075	8.665	99
21	ट्रांबे	2.800	0.521	0.144	0.000	0.665	95
22	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	6.300	0.926	0.385	0.000	1.311	84
23	अडानी पावर	5.000	1.208	0.374	0.000	1.582	127
24	मूंदड़ा यूएमपीपी	1.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0
25	उडप्पी	4.200	0.210	0.100	0.000	0.310	30
	उप जोड़	20.000	2.865	1.003	0.000	3.868	90
	कुल	55.000	7.945	3.513	1.075	12.533	91

417-22

एनबीएफसी का परिसमापन

1016. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के परिसमापन और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आरंभ करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात इन कंपनियों को दंडित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 84 कंपनियों के संबंध में 'वाइडिंग-अप' याचिका दायर की है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 'वाइडिंग-अप' संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं।

विवरण

दायर की गई 'वाइडिंग-अप' याचिकाएं

निम्नलिखित कंपनियों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालयों में 'वाइडिंग-अप' याचिकाएं दायर की गई है।

1	2
1.	अल-फलाह फिनलीज लि., नई दिल्ली।
2.	अल-फहद इन्वेस्टमेंट लि., भोपाल।
3.	अल-फह्द फिनकोंम लि., भोपाल।
4.	एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंटस ट्रस्ट लि., हैदराबाद
5.	एटीएन इंटरनेशनल लि., कोलकाता
6.	कन्सर्ट कैपिटल लि., तिरूवनंतपुरम
7.	सीआरबी कैपिटल मार्किटल लि., नई दिल्ली।
8.	क्रिस्टल क्रेडिट कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली।
9.	डीसीएल फाइनेंस लि., हैदराबाद।
10.	डीएसजे फा. कॉर्पोरेशन लि., मुंबई।
11.	डीलवैल इन्वेस्टमेंट एंड फा लि., मुंबई।
12.	दुगर फा. इंडिया लि., चैन्नई।
13.	ईबीएफ फा. लि., हैदराबाद।
14.	एनआरआई फा. लि., मुंबई
15.	फिडेलिटी फा. लि., चेन्ने।

1	2
16.	जिनीयस फाइनेसियल सर्विसिस लिमिटेड, हैदराबाद।
17.	हिलीयस कॉर्पोरेशन लि., पटना।
18.	हिलीयस फा. एंड इन्वेस्टमेंट लि., पटना।
19.	हिमाचल ग्रामीण संचायिका लि., चंडीगढ़।
20.	होफलैंड फा. लि., नई दिल्ली।
21.	आईएफबी, फाइनेंस लि., कोलकोता।
22.	इनकैन म्युच्युअल बैनिफिट लि., कानपुर।
23.	इंडोद्वीप जनरल फा. एंड इनवेंस्टमेंट कं. लि., कोलकाता।
24.	जेवीजी फा. लि., नई दिल्ली।
25.	जेवीजी लिजिंग लि., नई दिल्ली।
26.	जेवीजी सिक्योरिटीस, नई दिल्ली।
27.	जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनेटिड फा. कं. लि., जम्मू।
28.	जेनसन एंड निकलसन फाइनेंशियल सर्विसिज लि., कोलकाता।
29	जीवनविकास जनरल फा. एंड इनवेस्टमेंट (आई) लि, भुवनेश्वर।
30.	कश्मीर वैली फा. एंड इनवेस्टमेंट कं. लि., जम्मू।
31.	किर्लोस्कर इंवेस्टमेंट एंड फा. लि., बैंगलोर।
32.	कृषि एक्सपोर्ट कमर्शियल का. लि., कानुपर।
33.	कुबेर ऑटो जनरल फा. लि., नई दिल्ली।
34.	कुबेर म्युच्युअल बैनिफिट लि., कानपुर।
35.	लक्ष्मी ट्रेड क्रेडिटस लि., चैन्ने।
36.	लाल भाई फा. लि., अहमदाबाद।
37.	लोक विकास फा. कॉर्पोरेशन लि. जयपुर।
38.	लोक विकास कैपिटल लि., जयपुर।
39.	लिंक्स (आई) लि., कोलकाता।
40.	एमसीसी फा. लि., चैन्ने।

1	2
41.	मैमोरियल फा. एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि., कोलकाता।
42.	मिडवेस्ट इंडिया इन्डस्ट्रल लि., हैदराबाद।
43.	मोनार्क फिनलिज लि., हैदराबाद।
44.	मरबैंक फाइनेंसियल सर्विसिज लि., हैदराबाद।
45.	न्यू सैन्चुरी लिजिंग एंड एन्वेस्टमेंट लि., बैंगलौर।
46.	पीरामल फा. सर्विसिज लि., अहमदाबाद।
47.	पदम्जा वेंचर्स लि., हैदराबाद।
48.	पैन्नार पैटर्सन लि., हैदराबाद।
49.	प्रूडेंशियल कैपिटल मार्किटस लि., कोलकाता।
50.	रोकलैंड लिजिंग लि., नई दिल्ली।
51.	रोसैल फा. लि., मुंबई।
52.	संजीवनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि., मुंबई।
53.	सानमैक मोटर फा. लि., चैन्नई।
54.	स्कीमैटिक फा. लि., नई दिल्ली।
55.	सनराइज इन्वेस्टमेंट एंड फा. लि., जम्मू।
56.	सिनर्जी फाइनेसियल एक्सचेंज लि., चेन्नई।
57.	तुलुनाडु फा. एंड डवलपमेंट लिमिटेड, बैंगलोर।
58.	टीवीके इक्विटी फंड लि., हैदराबाद।
59.	विजया कर्मिशलय क्रेडिट लि., बैंगलोर।
60.	विजया लिजिंग लि., बैंगलोर।
61.	आलपिक फाइनेंस लि., मुंबई।
62.	हिन्दुस्तान फा. मैनेजमेंट लि., नई दिल्ली।
63.	ओनिडा फा. लि., नई दिल्ली।
64.	मंगल फा. लि., नई दिल्ली।
65.	डासन लिजिंग लि., नई दिल्ली।
66.	प्रोटैक्टिव सेविंग्स एंड फा. लि., कोलकाता।
67.	तथागत स्माल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
68.	नागार्जुन फा. लि., हैदराबाद
69.	महाराष्ट्रा एपैक्स कॉर्पोरेशन लि., बैंगलौर।
70.	कोठारी ओरियंट फा. लि., चैन्नई।
71.	क्रैस्ट फिनलीज लि., चैन्नई।
72.	समृद्धि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि., भोपाल।
73.	साऊथर्न उद्यान्स लि., हैदराबाद।
74.	मेगाबाइट लिजिंग एंड फा. लि., कानपुर।
75.	राप्ती निधि लि., कोलकाता।
76.	जनप्रिया फा. एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (आई) लि., कोलकाता।
77.	डीसीएम फाइनेशियल सर्विसेस लि., नई दिल्ली।
78.	चांस सेविग्स कं. लि., कोलकाता।
79.	कर्नाटक फाइनेसियल सर्विसेस लि., बैंगलोर।
80.	एसएन फा. लि., बैंगलोर।
81.	यशस्वी लि., बैंगलोर।
82.	बीसीएल फा. सिर्वसेस लि., कोलकाता।
83.	सूरज सिक्योरिटीज एंड फा. लि., कोलकाता।
84.	ग्लोबल फा. कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता।

सिक्कों की नई शृंखला

422-23

1017. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिक्कों की नई शृंखला जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 08.07.2011 को 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए व 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की नई शृंखला जारी की गई है। 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की नई शृंखला में एक फूल से संबंधित डिजाइन है तथा 10 रुपए के सिक्के में विद्यमान 15 पंखुड़ियों के स्थान पर पखुड़ियों की संख्या घटाकर 10 की गई है। 10 रुपए के सिक्के के अग्रभाग में समानान्तर रेखाओं को हटा दिया गया है तथा अशोक स्तंभ का आकार बढ़ा दिया गया है। सिक्कों की नई शृंखला प्रतीक के साथ तथा किनारे पर रूपक के साथ प्रारंभ की गई है, जिससे इन्हें आसानी से पहचानने और इनमें भेद करने

में सुविधा रहती है। 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए मूल्यवर्ग के सिक्कों के आकार को मामूली सा कम किया गया है।

पी आर आई द्वारा निधियों का उपयोग

1018. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री क्रुपारानी किल्ली:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कितनी निधियां आंबटित और जारी की गईं और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा राज्य-वार और योजना-वार कितना व्यय बताया गया;

(ख) पीआरआई को आबंटित निधियों के उपयोग को शासित करने वाले मानदंड और नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों द्वारा निधियों की अनियमितताओं/कुप्रबंधन संबंधी शिकायतों को संज्ञान में लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) राज्यों द्वारा सूचित किए गए खर्चे सहित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के विकास अनुदान घट के अधीन स्थानीय निकायों, जिसमें पंचायती राज संस्थान भी शामिल हैं, के लिए राज्यों को आबंटित और निर्गत किए गए धन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) बी.आर.जी.एफ. के अधीन जो मुक्त विकास अनुदान दिया जाता है उनका उपयोग पंचायतों, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा ग्राम/वार्ड सभाओं में की गई मांग के आधार पर स्थानीय मूलभूत सुविधाओं और अन्य स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच के अंतरालों को पाटने के लिए किया जा सकता है। अनुदान के दावे करते समय, राज्य/जिले को जिला योजना समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित जिला योजना और पहले निर्गत किए गए अनुदान संबंधी उपयोग प्रमाण-पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा ओडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करती होती है।

(ग) और (घ) जी, हां। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश आदि के संबंध में इस मंत्रालय को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु अग्रेसित कर दिया गया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) पंचायती राज मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए गठित किए गए क्षेत्रीय कार्यक्रम से संबंधित योजना आयोग के कार्यदल को यह प्रस्ताव भेजा था कि 12वीं योजना में बी.आर.जी.एफ के अधीन विकास अनुदान के वार्षिक आबंटन को कम-से-कम 20 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जाए।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक बीआरजीएफ विकास अनुदान के अधीन निर्गत निधियों और सूचित उपयोग के राज्य-वार ब्यौरे (दिनांक 31.07.2011 की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	बीआरजीएफ जिलों की संख्या	2007-08 से 2010-11 के वार्षिक हकदारी	20011-12 के दौरान वार्षिक हकदारी	2008-09		2009-10		2010-11*		2011-12*
					निर्गत निधि	सूचित उपयोग	निर्गत निधि	सूचित उपयोग	निर्गत निधि	सूचित उपयोग	निगत निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	13	335.28	376.77	250.38	250.38	335.28	335.28	335.34	168.43	171.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	14.47	15.38	11.07	11.07	11.77	8.67	12.70	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	11	157.19	166.75	55.23	47.19	56.03	24.81	126.04	16.47	0.00
4.	बिहार	36	602.99	652.05	421.54	421.54	493.21	443.77	708.91	52.83	0.00
5.	छत्तीसगढ़	13	235.48	256.80	192.44	192.44	207.60	207.60	263.36	90.11	59.08
6.	गुजरात	6	101.31	109.64	0.00	0.00	91.17	86.96	101.31	37.68	30.12
7.	हरियाणा	2	28.44	30.14	22.45	22.45	19.35	19.35	37.53	17.53	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2	28.50	30.22	21.52	21.52	25.65	25.65	28.50	15.04	11.80
9.	जम्मू और कश्मीर	3	45.85	49.06	40.77	36.10	0.00	0.00	41.26	0.0	0.00
10.	झारखंड	21	322.56	345.31	290.27	290.27	209.18	201.19	322.56	33.60	0.00
11.	कर्नाटक	5	103.17	113.91	0.00	0.00	94.88	94.88	113.48	50.05	0.00
12.	केरल	2	32.33	34.83	0.00	0.00	22.21	22.17	30.31	8.79	10.65
13.	मध्य प्रदेश	24	428.40	466.50	300.44	300.44	309.99	309.99	511.80	205.31	58.78
14.	महाराष्ट्र	12	253.57	280.56	0.00	0.00	228.19	223.14	278.95	139.82	75.48
15.	मणिपुर	3	39.09	40.93	10.02	10.02	27.71	27.71	52.30	23.44	9.41
16.	मेघालय	3	37.01	38.44	33.61	33.61	21.14	21.14	47.42	22.42	0.00
17.	मिजोरम	2	22.98	23.58	0.00	0.00	19.28	19.28	26.68	13.67	7.97
18.	नागालैंड	3	37.05	38.48	30.31	30.31	37.04	37.04	37.04	20.76	17.83
19.	उड़ीसा	19	305.67	320.96	227.84	227.84	200.40	198.60	385.20	133.78	40.62
20.	पंजाब	1	15.65	16.80	0.00	0.00	14.08	14.08	17.22	7.65	0.00
21.	राजस्थान	12	250.99	277.46	183.50	183.50	109.34	109.34	296.23	169.97	127.34
22.	सिक्किम	1	12.97	13.58	11.67	11.67	10.86	10.86	15.08	6.59	3.73
23.	तमिलनाडु	6	108.04	117.74	97.21	97.21	62.09	62.09	108.04	81.42	0.00
24.	त्रिपुरा	1	12.21	12.66	10.98	10.98	7.69	7.69	12.21	8.72	8.46
25.	उत्तर प्रदेश	34	602.09	655.05	541.74	541.74	559.61	557.73	640.02	445.10	320.05
26.	उत्तराखंड	3	41.85	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	11	244.90	272.14	142.55	142.55	170.58	168.83	265.68	38.70	0.00
	कुल	250	4420.04	4799.99	2893.53	2882.83	3344.32	3237.85	4852.83	1807.87	952.43

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान निर्गत निधि के संबंध में अभी उपयोग प्रमाण पत्र देय नहीं है।

विवरण-II

दिनांक 31.7.2011 तक बीआरजीएफ निधियों के दुरूपयोग के बारे में पंचायती राज मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों के मामले और उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	नाम तथा पत्र की तिथि	शिकायत विषय/ राज्य/जिला	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री कमल किशोर सांसद (लोक सभा) दिनांक 20.6.2009	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ निधियों का दुर्विनियोजन	दिनांक 10.8.2009 के पत्र सं., एन-11012/43/09 के द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के विचार जानने के लिए यह शिकायत उन्हें भेज दी गई थी। राज्य सरकार से ब्यौरे मिलने के बाद दिनांक 27.11.09 को माननीय सांसद को उत्तर भेज दिया था।
2.	श्री शैलेंद्र कुमार सांसद (लोक सभा) दिनांक 14.7.2009	प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 14.10.09 के पत्र सं. 11012/49/09-वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
3.	श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह, (सांसद) लोक सभा और कुछ अन्य संसद सदस्य दिनांक 3.12.2009	उत्तर प्रदेश में बीआजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 18.12.09 के पत्र सं. वन 11012/55/09-वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
4.	श्री राणा दिनेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख, बस्ती, उ.प्र., दिनांक 30.11.2009	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 18.12.09 के पत्र सं. एन 11012/61/09-वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
5.	श्री प्रसन्न कुमार साहू आईआरसी ग्राम नयापल्ली, बीबीएसआर, उड़ीसा	उड़ीसा राज्य में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में बीआरजीएफ निधि के उपयोग में अनियमितताएं	दिनांक 15.3.2010 के पंत्र सं. एन 11019/468/09-बीआरजीएफ द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
6.	श्री हरखू झा, एमएलए एवं उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी	मधुबनी, बिहार में पंचायती कार्यकलापों में अनियिमितताएं	दिनांक 25.3.2011 के पत्र सं. एन 11019/748/08 बीआरजीएफ द्वारा बिहार राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
7.	अखिल भारतीय पंचायत परिषद, मयूर विहार, दिल्ली	चंपारण, बिहार में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 24.5.2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा बिहार राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
8.	श्री कृष्णानंद सिंह पटेल, सदस्य, जिला योजना समिति, ओबरा, सोनभद्र, उ.प्र,	ओबरा, सोनभद्र, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 15.3.2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।

1	2	3	4
9.	श्री अनूप कुमार गुप्ता, एमएलए, उत्तर प्रदेश	ओबरा, सोनभद्र, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 8.102010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जवाब के आधार पर दिनांक 13.6.2011 को एक अंतरिम उत्तर श्री अनूप कुमार गुप्ता को भेज दिया गया था।
10.	श्री सियाराम सुपुत्र रामहैत, गांव अधावल ब्लॉक परसेंदी, जिला सीतापुर, उ.प्र.	सोनभद्र, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन अनियमितताएं	दिनांक 2.11.2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
11.	श्री दीप चंद्र जैन, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, घंटाघर, जिला मिर्जापुर, उ.प्र.	मिर्जापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताए	दिनांक 12.12.2010 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई श्री दीप चंद्र जैन को दिनांक 14.3.2011 को उत्तर भेज दिया गया।
12.	श्री मोहम्मद इसरार खान, नगरपालिका परिषद, जायास, जिला रायबरेली, उ.प्र.	मिर्जापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितता	दिनांक 6.012011 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
13.	श्री रईश अहमद खान, सचिव, उ.प्र., कांग्रेस कमेटी	उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितता	दिनांक 21.02.2011 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
14.	श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, उत्तर प्रदेश, विधान सभा	बी आर जी एफ के अधीन 2009-10 के लिए बजट आबंटन के दुर्विनियोजन का आरोप	दिनांक 29.07.2011 के पत्र सं. एन 11012/112/10-वीआईपी/ 2011-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई।
15.	श्री मोती सिंह, पूर्व मंत्री विधायक, पट्टी, लखनऊ	उत्तर प्रदेश बीआरजीएफ का दुरूपयोग	दिनांक 17.032011 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
16.	श्री परवेज हाशमी, सांसद, लखनऊ	ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में अनियमितताएं /कदाचार	दिनांक 26.082011 के पत्र सं. एन 11012/86/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
17.	श्री सुधांशु दास, सचिव, उ.प्र., कांग्रेस कमेटी	जिला के बी के उड़ीसा में बीआरजीएफ और अन्य योजनाओं के धन का दुरूपयोग किए जाने संबंधी आरोप	दिनांक 21.062011 के पत्र सं. एन 11019/367/10-बीआरजीएफ द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

1019. **श्री घनश्याम अनुरागी:**
श्री ए. गणेशमूर्ति:
योगी आदित्यनाथ:
श्री निशिकात दुबे:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सौर ऊर्जा उपकरण की खरीद पर कोई राजसहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) मंत्रालय ने सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु बहुत से उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सौर प्रणालियों और राज्य एजेंसियों के निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के माध्यम से जागरूकता कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, (ii) इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन) और (iii) सौर ऊर्जा का विशेष अंक सहित अक्षय ऊर्जा का पत्रिका का प्रकाशन।

(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सरकार देश में सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु स्टैंड अलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों सहित सौर प्रकाशवोल्टीज और तापन प्रणालियों के प्रापण के लिए 30% सब्सिडी और/अथवा 5% वार्षिक ब्याज दरों पर ऋण उपलबध करा रही है। केंद्रीय और राज्य सरकारी निकायों और उनकी संस्थापनाओं हेतु मंत्रालय, विशेष श्रेणी के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में ऑफ-ग्रिड सौर एसपीवी प्रणालियों हेतु 90% सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

एम्स में ऑपरेशन थिएटर

1020. **डॉ. बलीराम:**
श्री कमल किशोर 'कमांडो':

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में हृदयवक्ष शल्य चिकित्सकों को कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या डॉक्टरों की कमी या कुछ अन्य समस्याओं के कारण हृदयवक्ष सर्जरी सहित एम्स में कुछ ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) एम्स के कार्डियोथोरेसिक और हृदयवाहिका सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग के संकाय के 12 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से फिलहाल 7 पद भरे हुए हैं। सहायक प्रोफेसर के दो पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया है। ग्रेड के लिए आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के पश्चात प्रोफेसर/ अपर प्रोफेसर के तीन पदों को भी भर लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) आवश्यक रखरखाव और उन्नयन कार्य के लिए एम्स में ऑपरेशन थियेटरों को अस्थायी रूप से बंद करना होगा। जहां तक सीटीवीएस विभाग का संबंध है सभी सात ऑपरेशन थियेटर पूर्णत: कार्यशील हैं और दिनांक 21.7.2011 से एक और ऑपरेशन थियेटर को कार्यचालित किया गया है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा निधियां जुटाया जाना

1021. **श्री महेश जोशी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) द्वारा वहन की गई संचित हानि के कारण पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) को खुले बाजार से ऋण लेकर निधियां जुटाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एनटीपीसी द्वारा कितनी निधियां जुटाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं। एनटीपीसी खुले बाजार से ऋण लेकर निधियां नहीं जुटा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त 'क' में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

\\33-71

निजी अर्द्ध-चिकित्सा संस्थान

1022. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विभिन्न मेडिकल और पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी अर्द्ध चिकित्सा संस्थानों की तेजी से बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए किस वैधानिक तंत्र की स्थापना की है;

(ख) क्या क्लिनिकल/नैदानिक प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए पात्र होने हेतु किसी मेडिकल प्रयोगशाला टैक्नीकल स्टॉफ और अन्य अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारी को संबंधित विषयों में कार्य करने के लिए फार्मासिस्टों, दंत विशेषज्ञों, नर्सों, चिकित्सकों इत्यादि की तरह लाइसेंस आवश्यक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास परिषद तथा परा-चिकित्सीय विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है तथा यह परिषद कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में अनियमित परा-चिकित्सीय पेशेवरों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार को इन पेशेवरों से केन्द्रीय सांविधिक परिषद स्थापित करने तथा उनके वेतनमानों, प्रोन्नति के क्षेत्रों तथा भत्तों में एकरूपता स्थापित करने वाली दिनांक 10 फरवरी, 2011 की कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के आदेश के संदर्भ में संवर्ग पुनर्गठन करने के संबंध में ज्वाइंट फारम ऑफ मेडिकल टैक्नोलोजिस्ट ऑफ इंडिया से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही के क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पराचिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को विनियमित करने के लिए किसी भी केन्द्रीय परिषद या विनियामक प्राधिकरण की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत अर्हताप्राप्त पैथोलोजिस्ट के पर्यवेक्षण के बिना चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीकी स्टाफ और अन्य पराचिकित्सीय स्टाफ को क्लिनिकल/नैदानिक प्रयोगशालाओं को संचालित करने की अनुमति नहीं है।

(घ) प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग विधेयक को ध्यान में रखते हुए पैरा मेडिकल एवं फिजियोथिरेपी केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007 को आस्थगित रखा गया है।

(ङ) ऊपर (क) के अनुसार।

(च) और (छ) विभिन्न व्यावसायिक निकायों से समय-समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

\\71-45

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

1023. श्री अनंत कुमार:
श्री संजय सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) की संख्या और उनके दायित्वों का कर्नाटक राज्य सहित राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'आशा' के कार्यकरण के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके वेतन का भुगतान किन नियमों के अंतर्गत किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 'आशा' के वेतनमान में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय): (क) 805685 आशाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित कर तैनात कर दिया गया है। आशा से निवारक एवं संवर्धनात्मक परिचर्या के लिए घर का दौरा करने और सामुदायिक स्तर की उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करने की अपेक्षा है जिसमें उन परिवारों को प्राथमिकता दी जानी है जहां एक नवजात शिशु, गर्भवती महिला, कुपोषित बच्चे या दो वर्ष से कम आयु के बच्चे हों। उससे केंद्र में जाने एवं ग्राम बैठकें आयोजित करनी अपेक्षित है। आशा को डाट्स प्रदायक के रूप में, रेफरल के लिए मलेरिया, मोतियाबिंद एवं कुष्ठ रोगियों का पता लगाने के लिए भी तैनात किया जाता है।

कर्नाटक सहित राज्यों में कार्यरत आशाओं की राज्यवार, श्रेणीवार कुल संख्या नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यरत आशा की कुल संख्या
1	2	3
	ईएज राज्य	
1.	बिहार	69402
2.	छत्तीसगढ़	60092
3.	झारखंड	40115
4.	मध्य प्रदेश	48159
5.	उड़ीसा	40765
6.	राजस्थान	40310
7.	उत्तर प्रदेश	135130
8.	उत्तराखंड	11086
	पूर्वोत्तर ईएजी राज्य	
1.	असम	26225
2.	अरुणाचल प्रदेश	3426
3.	मणिपुर	3878
4.	मेघालय	6175
5.	मिजोरम	987
6.	नागालैंड	1700
7.	सिक्किम	666
8.	त्रिपुरा	7367
	गैर ईएजी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	70700
2.	दिल्ली	2680
3.	गुजरात	28809
4.	हरियाणा	12825
5.	जम्मू और कश्मीर	9500
6.	केरल	30719
7.	कर्नाटक	32939
8.	महाराष्ट्र	56854
9.	पंजाब	15481
10.	तमिलनाडु	2650
11.	पश्चिम बंगाल	29552
12.	हिमाचल प्रदेश	16888*
	संघ राज्य क्षेत्र	
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	407
14.	लक्षद्वीप	83
14.	दादरा और नगर हवेली	85
15.	चंडीगढ़	30
	आशाओं की कुल संख्या	805685

*हिमाचल प्रदेश में कोई आशा चयन नहीं किया गया। 16888 संपर्क कार्यकर्ता आशा के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) मूल्यांकन किया गया है और संक्षिप्त रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) एवं (ङ) आशाओं को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता है। उनको कई कार्य के लिए कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है जिनका विवरण उपरोक्त प्रश्न (क) के उत्तर में दिया गया है।

विवरण

संक्षिप्त रिपोर्ट

आठ राज्यों में आशा मूल्यांकन

पृष्ठभूमिः

राष्ट्रीय आशा मेनटरिंग समूह द्वारा शुरू किए गए एवं एनएचएसआरसी द्वारा समन्वित मूल्यांकन में आठ राज्यों में दो-दो जिलों को कवर किया गया जिनमें अधिक ध्यान दिए जाने वाले पांच राज्य (असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एवं झारखंड) और अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले 3 राज्य (आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं केरल) शामिल थे। मूल्यांकन आठ राज्यों में इस प्रयोजन से चयन किए गए दो-दो जिलों में किया गया जिनमें से एक जिला अच्छे कार्यनिष्पादन वाला और दूसरा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिक आबादी वाला जिला था ताकि विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच विचारों के अंतर का लगाया जा सके एवं भौगोलिक एवं कार्यक्रम रूप से विभिन्न जिलों के आंकडे की जांच की जा सके।

मूल्यांकन 3 चरणों में किया गया अर्थात् चरण-I-इसमें गुणात्मक क्रियाविधि का प्रयोग किया गया जिसमें राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक साक्षात्कार एवं द्वितीयक आंकडे की समीक्षा शामिल थी। चरण-II निम्नलिखित के लिए बनाई गई प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। (तालिका 5): इस सर्वेक्षण के लिए नमूना था-200 आशा, 1200 लाभार्थी या सेवा प्रदायक (सेवा जिनको पिछले माह में रूग्णता हुई थी-400), 200 आंगनवाडी कार्यकर्ता, 200 पंचायती राज निर्वाचित सदस्य एवं 59 एनएनएम प्रति राज्य।

तालिका 6 एवं 7 में मूल्यांकन के निष्कर्षों का सारांश दिया गया है।

तालिकाः 5 प्रत्येक राज्य में कवर किया गया नमूना

राज्य और जिले	आशा	सेवा प्रयोक्ताए	सेवा प्रयोक्ता बी	एएनएम	आंगवाड़ी कार्यकर्ता	पीआरआई
केरलः वयानंद एवं तिरूवनंतपरुम	200	800	397	50	200	200
उड़ीसाः नयागढ़ एवं अंगुल	200	769	359	51	200	199
पश्चिम बंगालः वीरभूम एवं मालदा	184	700	341	48	139	116
असमः करीमगंज एवं डिब्रूगढ	200	791	387	50	199	200
राजस्थान-बांसवाडा एवं बूंदी	200	726	366	71	194	186
आंध्र प्रदेशः	200	671	359	74	139	196
खम्माम और पूर्वी गोदावरी						
बिहार खंगड़िया और पूर्णिया	200	757	289	55	196	167
झारखंड, धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम	197	726	345	51	198	193

1. आशा कार्यक्रम के आठ राज्य मूल्यांकन के निष्कर्षों का वितरित सारांश नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेन्टर की वेबसाइट www.nhsrcindia.org. पर उपलब्ध है।

मुख्य निष्कर्षों का सारांश

इस अध्ययन के नमूने में अधिकांश आशाएं कक्षा 8 तक और उससे ऊपर की कक्षाओं में शिक्षित होती हैं। आशा की नियुक्ति का घनत्व, राज्यों से बाहर और राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक आशा वाले अधिकांश राज्यों में 1000 से कम आबादी को सेवा प्रदान करने के लिए, भिन्न-भिन्न होता है। झारखंड, खम्माम और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में, प्रति 500 की आबादी पर आशा का घनत्व क्रमश: लगभग 25 प्रतिशत, 36 प्रतिशत और 19 प्रतिशत में एक से भी कम है, जिससे पता चलता है कि राज्यों ने कुछ हद तक अपने संदर्भों को उपयुक्त बनाने के लिए मानदंडों की व्याख्या की है। पश्चिम बंगाल में 60 प्रतिशत 1000 से अधिक जनसंख्या को कवर करता है और अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण इसकी सम्भवत: व्याख्या की जा सकती है। अधिकांश आशा गरीब परिवारों से आती है और आशा का अनुपात अधिकांश राज्यों मे समान है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनाति की जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। बिहार के दो जिलों में, त्रिवेन्द्रम जिले में और बीरभूम जिले में यह कुछ कम है अर्थात आबादी में 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के बारे में सकारात्मक कार्रवाई दर्शाता है और आदिवासी जिले सामान्यताया अनुसूचित जनजातिकी पृष्ठभूमि वाली आशाओं को वरीयता देते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम प्रतीत होता है।

अधिकांश आशाएं कार्यशील हैं (अर्थात एक नियत कार्य करना) चाहे संदर्भ या अन्य बाधाएं कुछ भी हों, यद्यपि, वास्तविक कार्य में व्यापक विभिन्नता है और सेवाएं जो एक आशा करती हैं, इन सेवाओं की संभावित प्रयोक्ता का प्रतिशत जहां तक पहुंचा जाता है और जिस प्रभावकारिता से यह कार्य किया जाता है बाल्यावस्था रोगों जैसे गंभीर श्वसन संक्रमण या अतिसार या रेफर करते समय स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में सेवाओं के वास्तविक उपयोग हेतु उपयुक्त परिचर्या प्रदान करने के लिए वांछित व्यवहार परिवर्तन (यापक निवारक और संवर्धनात्मक भूमिका) प्राप्त करने के संदर्भ में प्रभावकारिता नियत की जाती है।

2. बाल्यावस्था रोगों जैसे गंभीर श्वसन संक्रमण या अतिसार या रेफर करते समय स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में सेवाओं के वास्तविक उपयोग हेतु उपयुक्त परिचर्या प्रदान करने के लिए वांछित व्यवहार परिवर्तन (रूपक निवारक और संवर्धनात्मक भूमिका) प्राप्त करने के संदर्भ में प्रभावकारिता नियत की जाती है।

राज्यों के नाम	संभावित उपयोगकर्ता की आशा सेवाओं तक पहुंच	सेवा उपयोगकर्ताओं क का प्रतिशत जिन्हें गर्भावस्थ अवधि के दौरान आशा द्वारा कम से कम तीन बार देखा गया	सेवा उपयोगकर्ताओं क का प्रतिशत जो संस्थागत प्रसव के लिए पहुंचे	सेवा उपयोगकर्ताओं क का प्रतिशत जिन्हें 3 या अधिक एएनसी प्राप्त हुए	सेवा उपयोगकर्ताओं क का प्रतिशत जिनको प्रसव उपरांत पहले महीन में दो बार से अधिक देखा गया	सेवा उपयोगकर्ताओं क का प्रतिशत जिन्होंने सूचित किया कि उन्हें आशा द्वारा शीघ्र स्तनपान शुरू करने का परामर्श प्राप्त हुआ	सेवा उपयोगकर्ताओं क का प्रतिशत जिन्होंने सूचित किया कि जन्म के चार घंटों के भीतर स्तनपान करवाया
केरल	84.7	86	97.3	89.4	43.3	91	92.4
उड़ीसा	75.9	72.5	92.8	70.4	57.1	72.7	91.3
पश्चिम बंगाल	67.2	75.1	65.	48.8	36.6	84.1	88.4
असम	76.9	66.9	72.3	54	48.8	64.3	91.8
राजस्थान	76.4	60.8	93.5	52.2	37.9	46.1	83.1
आंध्र प्रदेश	49.9	79.3	93.7	82.1	57.1	79.1	90
बिहार	72.5	58.9	81.7	20.8	31.6	69.6	82.2
झारखंड	59.7	59.6	54.4	50.7	37.6	82.5	74.1

सारण: 6 गर्भावस्था व नवजात परिचर्या पर

कवरेज के संदर्भ में आशा सेवाओं के लिए संभावित उपयोगकर्ताओं की पहुंच 85 प्रतिशत के साथ केरल में सबसे अधिक सूचित की गई और 50 प्रतिशत के साथ सबसे कम आंध्र प्रदेश में सूचित की गई जिसके बाद 73-76 प्रतिशत के साथ उड़ीसा, असम, राजस्थान तथा झारखंड रहा। अत्यधिक ध्यान देने वाले राज्यों में संस्थागत प्रसव सबसे अधिक उड़ीसा तथा राजस्थान (93 प्रतिशत) में तथा इसके पीछे बिहार में 82 प्रतिशत था। कम से कम तन एएनसी सबसे अधिक सेवा उपयोगकर्ताओं क द्वारा केरल प्रदेश में 89 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत प्राप्त किए गए थे जबकि अधिक ध्यान दिये जाने वाले राज्यों में सबसे अधिक 70 प्रतिशत, उड़ीसा में तभी रज़्ज्यों में 54 प्रतिशत से कम रहा तथा बिहार में सबसे कम 21 प्रतिशत रहा। नवजात शिशु परिचर्या के लिए सेवा उपयोगकर्ता क के उच्च अनुपात ने सूचित किया कि उन्हें शीघ्र स्तनपान कराने का परामर्श प्राप्त हुआ जो कि सभी राज्यों में 73 प्रतिशत से अधिक रहा जबकि असम तथा बिहार में 64-69 प्रतिशत रहा तथा राजस्थान में सबसे कम रहा। तथापि, सभी राज्यों के सिवाय झारखंड के, 80 प्रतिशत से अधिक सेवा उपयोगकर्ताओं ने सूचित किया कि उन्होंने जन्म के पहले चार घंटों में नवजात शिशु को स्तनपान करवाया।

संकेतक	उन उपयोकर्ता बीएस में जो अतिसार-ग्रस्त थे उनका प्रतिशत जिनकी आशा किसी न किसी प्रकार से सहायता की	उन उपयोकर्ता बीएस में जो एआरआरई के लक्षणों वाले थे जिन्हें आशा ने किसी न किसी प्रकार से सहायता प्रदान की	उन उपयोकर्ता बीएस में जो अतिसार-ग्रस्त थे, उनका प्रतिशत जिनको आशा ने अपनी किट से ओआरएस दिया	अतिसार ग्रस्त उपयोगकर्ता बी और जिन्हें पूरी तरह से ओआरएस मिला का प्रतिशत	एआरआई से ग्रस्त प्रतिशत उपयोगकर्ता जिन्होंने उपचार की मांग की
केरल	92.1	93.1	82.5	87.7	96.6
उड़ीसा	90.3	97.	82.9	81.3	98.6
पश्चिम बंगाल	82	75	51.6	75.8	97.1
असम	70.8	64	54.2	77.6	93.4
राजस्थान	66.7	64.2	56	75.4	91.6
आंध्र प्रदेश	85.2	96	71.6	64.2	92.6
बिहार	70.9	67	26.7	74.2	94.7
झारखंड	72.9	67	36.5	64.7	88.4

बीमार बालक की रूग्णता के दौरान परिचर्या में कम से कम 65 प्रतिशत आशाओं से परामर्श किया जाता है। तथापि, इस कार्य में उनके कार्यचालित होने के बावजूद उनकी प्रभावशीलता बहुत कम है। कौशलों, आपूर्तियों अथवा सीमित सहायता की कमी के कारण अधिकांश मामलों में समुचित परिचर्या मुहैया कराने का अवसर संभवत: लुप्त हो गया प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, अतिसार के मामलों की संख्या जिनके लिए आशा अपनी किट से ओ आर एस की आपूर्ति करने में समर्थ थी, बिहार में 27 प्रतिशत, झारखंड में 37 प्रतिशत, राजस्थान में 56 प्रतिशत और असम में 54 प्रतिशत थी। अत्यंत फोकस किए जाने वाले राज्यों के बीच अकेले उड़ीसा ने बेहतर प्रदर्शन किया और सेवा उपयोगकर्ताओं में से 83 प्रतिशत ने यह सूचित किया कि आशा ने उन्हें जो आर एस की आपूर्ति की थीं। यह अवश्य ही प्रतीत होता है कि यहां तक भी कि जहां पर आशा ओआएस की आपूर्ति नहीं कर रही थीं और शेष मामलों में उन्हें रेफरल बना रही थीं, लेकिन तब भी केरल को छोड़कर अधिकांश राज्यो में से अतिसार से ग्रस्त बच्चों में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बच्चों को ओआरएस प्राप्त नहीं हुआ था। उसी प्रकार एआरआई संबंधी लक्षणों सहित बच्चों के लिए माताओं में से

67-92 प्रतिशत के साथ परामर्श किया गया था और सेवा उपयोगकर्ताओं बी में से अधिकांश ने (90 प्रतिशत से अधिक) आशा द्वारा किए गए अत्यधिक रेफरल दरों के संकेतात्मक उपचार की मांग की।

आशा का अनुपात जिसके नेमी एचएच निरीक्षण किए जाने का उल्लेख किया गया है वे झारखंड में 57 प्रतिशत से केरल में 97 प्रतिशत की सीमा में रहे थे। अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में से उड़ीसा में 88 प्रतिशत आशओं ने नेमी एचएच निरीक्षण किए जाने की सूचना दी। अत्यधिक ध्यान दिए जा रहे शेष राज्यों में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत से भी कम था। प्रसव-पूर्व परिचर्या को बढ़ावा देने, संस्थागत प्रसव, रोग प्रतिरक्षण नवजात शिशु को देखने के लिए पहले से ही गृह-निरीक्षण कर रही थी और बीमार शिशु के संबंध में उसके साथ परामर्श किया जा रहा था और जब उन्नत स्वास्थ्य पद्धतियों और बेहतर शिशु जीवितता का लक्ष्य प्राप्त करने में गृह निरीक्षण बराबरी करने में कार्यक्रम विफल रहते हैं तो अवसर की बहुत क्षति होती है। इस प्रकार आशा कार्यक्रम के संभावित लाभ अभी प्राप्त किए जाने बाकी हैं और राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अब दायित्व कार्यक्रम प्रबंधकों पर है ताकि आशा के कौशल को तीव्रता से बढ़ाया जा सके जिससे यह ऐसी सेवाओं को मुहैया कराए जिनसे मातृत्व, नवजात शिशु और शिशु जीवितता संबंधी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

आशा द्वारा शुल्क लेने, निजी व्यवसाय स्थापित करने, दाई बनने या किसी प्राइवेट क्षेत्र के लिए ग्राहक जुटाने का कोई साक्ष्य नहीं है। आशा ने 16 जिलों में निजी क्षेत्र के 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक के कमीशन की सूचना दी है। इसमें ईस्ट गोदावरी में 9 प्रतिशत, बूंदी में 11 प्रतिशत और पश्चिम सिंहभूम में 17. 5 प्रतिशत के अपवाद है। किसी भी राज्य में निजी क्षेत्र को कोई भी विशिष्ट रूप से वरियता आधारित रेफरल नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए किसी निजी चिकित्सक को बचपन के अतिसार का एक मामला रेफर करने के विषय में सभी 5 राज्यों में स्थिति 5 प्रतिशत से कम रही। इसके अपवाद रहे बिहार में 22 प्रतिशत और झारखंड में 15 प्रतिशत। एयर आई के मामलों में निजी क्षेत्र को रेफर करने की प्रणाली समान थी, परन्तु यह रेफरल बिहार में 39 प्रतिशत, राजस्थान के बूंदी में 14.3 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश के खम्माम में, पश्चिम बंगाल के वीरभूम में और झारखंड के दो जिलों में प्रत्येक में 12 प्रतिशत रहा। किसी जिले के लिए यह रेफरल पूर्णिया में अधिकतम 52 प्रतिशत रहा। यह रेफरल एक युक्तिपरक निर्णय को दर्शा सकता है और निजी क्षेत्र को रेफरल विकल्पों के अभाव के कारण हो सकता है। सहायक नर्सधात्रियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं के बीच किसी बड़े विवाद का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं: एक तो यह है कि सहायक नर्सधात्री ने अपने कार्य का भार आशा पर डाल दिया है और अब विवाद का कोई विषय नहीं है। दूसरा यह है कि चूंकि पहले के विवाद सब खत्म हो चुके हैं और प्रत्येक एक दूसरे के आदी हो चुके हैं और अब कोई डरा हुआ महसूस नहीं करती हैं। तीसरा यह है कि विभिन्न श्रेणियों में उनके प्रोत्साहन स्पष्ट है और अब किसी समान प्रोत्साहन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए संस्थागत प्रसव के लिए केवल आशा को प्रोत्साहन मिलता है और परिवार नियोजन के लिए आशा को लगभग कुछ भी नहीं मिलता।

सहयोग के संदर्भ में आशा को बेहतर कार्यनिष्पादिन देना होता है, एकल सर्वोच्च आवश्यकता के रूप में बेहतर प्रशिक्षण के लिए लगभग 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता और औषधि किट को समय से भरना दूसरी आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के लिए राजनैतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के स्तर भी राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। उच्च नेतृत्व के स्तरों में स्थिरता बेहतर परिणामों से संबंधित प्रतीत होती है जैसाकि असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखा गया है। केरल यह दर्शाता है कि चूंकि उच्च राजनैतिक प्रतिबद्धता वास्तविक रूप से कार्यक्रम को क्रियान्वित करने, रूपरेखा में स्पष्टता, परिणाम एवं सहायता जो कार्यक्रम को स्वयं चुनने वाली आशाओं की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आधारित तत्व हैं पर ध्यान नही दिया गया है। राजस्थान, बिहार और झारखंड में कार्यक्रम की सीमित प्रभावकारिता और धीमी गति के लिए उत्तरदायी कारक जल्दी-जल्दी नेतृत्व में बदलाव और मध्यम स्तरों पर कम अभियान और पहले हैं।

संस्थागत प्रसवों और प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने में आशा कार्यक्रम सफल रहा है। यहां तक कि अभी अंतिम कार्य अर्थात् उपेक्षित तक पहुंचना अभी बाकी है क्योंकि अभी भी कुछ जिलों में यह सुविधा 15 से 50 प्रतिशत महिलाओं तक नहीं पहुंची हैं। आशा गहन स्वास्थ्य आचरणों जैसे 3 प्रसव-पूर्व जांच, गंभीरता के साथ पर्याप्त सम्पूरक पोषण को प्रभावित करने में प्रभावशाली नहीं है जो स्वास्थ्य परिणामों में बदलाव लाने की उसकी प्रभावकारिता को कम करता है।

अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि गैर सरकारी संगठनों, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रशिक्षण के अनुबंध, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, मार्गदर्शन और प्रेरणा (नकद पुरस्कारों के परे) के माध्यम से आशा के स्वास्थ्य आधार दायरे को अधिकाधिक सहायता दी जाए। सीएचडब्ल्यू कार्यक्रम पर अनुसंधान विश्व व्यापी रूप से यह दर्शाता है कि ऐसी सहायता बच्चों और नवजात शिशुओं के जीवन को बचाने में सहयोगी होती है। भारत के लिए ऐसी सहायता आशा को नवजात शिशु एवं बीमार बच्चों को समुदाय आधारित परिचर्या

का प्रभावकारीप्रदायक बनाने, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ावा देने और उपेक्षित समुदायों में उसकी पहुंच को बढ़ाने के सहयोगी होगी। इस सहायता के बगैर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में समुदाय आधारित परिचर्या के साथ व्यापक कवरेज का अवसर छूट जाएगा और यह आशा कार्यक्रम में वास्तविक निवेश पर खराब रिटर्न प्राप्त करेगा।

बच्चों में लिंगानुपात

1024. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महिलाओं को सशक्त बनाकर और प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर बच्चों में लिंगानुपात में सुधार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है/किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। शिशु लिंगानुपात में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों और जागरूकता सृजन अनुसमर्थन उपायों के लिए आवश्यक एक बहु-आयामी कार्यनीति है जिनका उल्लेख नीचे दिया गया हैः

(i) संविधान के 73वें संशोधन में राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएं ताकि निचले स्तर पर विकास और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी औपचारिक सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम में आंगनवाड़ी केन्द्र के मंच के जरिए सेवाओं के एक पैकेज को मुहैया करवाने का प्रावधान है जिसमें अनुपूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं।

(iii) अनेक राज्य, बालिका के जन्म पर प्रोत्साहन देने और सशर्त नकदी हस्तांतरण योजनाओं जिनमें दिल्ली और हरियाणा सरकारों की लाडली योजना, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कर्नाटक की भाग्य लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बालिका समृद्धी योजना, पंजाब में बालरी रक्षक योजना तथा मध्य प्रदेश में कन्यादान योजना शामिल है के जरिए उनकी शिक्षा और विकास पर प्रीमियम देने को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(iv) शुरू की गई अन्य योजनाओं में सबला (किशोरियों को अधिकार देने की योजना) स्टेप (महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता), डब्ल्यू डब्ल्यू एच (कार्य कर रही महिलाओं के लिए छात्रावास), स्वाधार (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए योजना), राष्ट्रीय महिला कोष (राष्ट्रीय महिला ऋण निधि), इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, (आईजीएमएसवाई), सीएमबी (सशर्त मातृत्व लाभ) आदि शामिल हैं।

(v) महिलाओं से संबंधित विधिक ढांचे को सुदृढ़ करना और कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन, जिनमें दहेज निषेध अधिनियम, 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 आदि शामिल है।

(vi) भारत सरकार ने बालिकाओं को कक्षा VI से XII स्तर तक निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने के लिए भी योजनाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई बालिका अपने माता-पिता की इकलौती बालिका संतान है तो वह देश में किसी भी उच्चतर शिक्षा मान्यताप्राप्त संस्थान में अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रतिमाह 2000/- रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्र होंगी।

(vii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ग्रामीण निर्धनों के लिए स्व-रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान है जिनमें महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत लाभों को आरक्षित करते हुए विशेष पूर्वोपाय करना शामिल है।

आंध्र प्रदेश ने राज्य में असमान शिशु लिंगानुपात को दूर करने के लिए सुग्राही कार्यशालएं और आईईसी क्रियाकिलाप संचालित किए हैं।

XIवीं योजना के तहत पीएनडीटी के अंतर्गत सूचना, शिक्षा संप्रेक्षण क्रियाकलापों के लिए 47 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन मुहैया कराया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पीएनटीडी क्रियाकलापों के लिए राज्यों द्वारा 128.63 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

[हिन्दी]

प्लेटलेट्स रक्ताधान सुविधा

1025. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्लेटलेट्स रक्ताधान सुविधाओं से युक्त अस्पतालों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने राज्य के अस्पतालों में यह सुविधा प्रदान करे।

जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का संबंध है, उनमें प्लेटलेट् रक्ताधान सुविधा उपलब्ध है।

[अनुवाद]

कैंसर रोगी कोष

1026. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर से ग्रस्त गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जरूरतमंद मरीजों को उक्त सहायता प्रदान करने के लिए किन मानदंडों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एचएमसीपीएफ के अंतर्गत अब तक वित्तीय सहायता प्रदान किए गए रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु आबंटित तथा उपयोग की गयी निधियां कितनी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि की स्थापना 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय आरोग्य निधि में एक कोरपस निधि के रूप में की गई है। दिनांक 31.3.2009 को निधि में 75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए और 25 करोड़ रुपये की शेष धनराशि सितम्बर, 2009 में उपलब्ध कराई गई। कोरपस निधि से अर्जित ब्याज को चक्रिय निधि के रूप में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को जारी किया जाता है। रोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिए मापदंड एवं प्रक्रिया निम्नानुसार हैं:

(i) कैंसर से पीड़ित और सरकारी अस्पतालों एवं 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र में उपचार करा रहे गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) कैंसर रोगी को 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता संबंधित संस्थानों/अस्पतालों द्वारा उनके यहां स्थिति चक्रिय निधि के जरिए प्रदान की जाती है। इस सीमा से ऊपर की वित्तीय सहायता के मामलों को केन्द्रीय निधियों से निधि प्रदान करने हेतु अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाना होता है।

(ग) और (घ) एचएमसीपीएफ के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 (जुलाई, 2011 तक) के दौरान आबंटित और उपयोग में लाई गई निधियों तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले रोगियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

		वर्ष 20009-10 (लाख रुपये में)			वर्ष 2010-11 (लाख रुपये में)			वर्ष 2011-12 (जुलाई, 2011 तक) (लाख रुपये में)		
क्र.सं.	क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों का नाम	आबंटित निधि	उपयोग में लाई गई निधि	रोगियों की संख्या	आबंटित निधि	उपयोग में लाई गई निधि	रोगियों की संख्या	आबंटित निधि	उपयोग में लाई गई निधि	रोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कैंसर हॉस्पिटल अगरतला, त्रिपुरा	10.00	9.99	177	40.00	20.00	266	-	-	-
2.	चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट	30.00	30.00	478	80.00	52.60	377	-	-	-
3.	किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलाजी, बंगलौर, कर्नाटक	10.00	10.00	10	10.00	10.00	89	-	-	-
4.	क्षेत्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आई ए), अदयार, चेन्नई, तमिलनाडु	20.00	8.72	20	10.00	10.51	20	-	-	-
5.	आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर, कटक, उड़ीसा	10.00	6.55	24	-	-	-	10.00	-	-
6.	क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसायटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	10.00	3.64	34	40.00	26.62	183	-	9.31	113
7.	कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	10.00	10.00	36	-	-	-	10.00	-	-
8.	इंडियन रोटरी कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स नई दिल्ली	10.00	10.00	36	30.00	20.64	43	-	4.78	13
9.	आरएसटी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, नागपुर, महाराष्ट्र	10.00	5.12	60	-	4.91	67	-	-	-
10.	पं. जएनएम मेडिकल कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़	10.00	10.00	15	10.00	4.53	14	-	-	-
11.	पोस्ट ग्रेज्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़	10.00	8.25	25	10.00	8.75	25	-	2.86	14
12.	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, साउरा, श्रीनगर	10.00	-	-	-	1.95	23	-	0.48	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मणिपुर, इम्फाल	10.00	-	-	-	8.95	29	-	-	-
14.	राजकीय मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल, बक्शी नगर, जम्मू	10.00	-	-	-	0.20	1	-	-	-
15.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरुवनंतपुरम, केरल	10.00	10.00	56	40.00	40.00	154	-	-	-
16.	गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, गुजरात	10.00	10.00	14	10.00	10.00	18	-	-	-
17.	एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	पुडुचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसाइटी, जिगमेर, पुडुचेरी	10.00	9.76	10	10.00	2.00	2	-	-	-
19.	डॉ. बी.बी. कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, असम	10.00	2.98	86	-	7.02	202	10.00	4.25	133
20.	टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, महाराष्ट्र	10.00	10.00	14	20.00	20.00	61	10.00	10.00	30
21.	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना, बिहार	10.00	-	-	-	1.75	10	-	0.50	3
22.	आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर, राजस्थान	10.00	-	-	-	1.23	3	-	0.36	2
23.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, पं. बी.डी. शर्मा पोस्ट ग्रेज्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, हरियाणा	10.00	-	-	-	0.46	12	-	2.57	53
24.	सिविल अस्पताल, एजवाल, मिजोरम	10.00	10.00	80	20.00	12.34	175	20.00	7.67	64
25.	संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ	10.00	-	-	-	1.40	2	-	-	-
26.	कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-
27.	राजकीय आरिगनर अन्ना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, कांचीपुरम, तमिलनाडु	निधि अभी जारी करना है।								

जनजातीय संस्कृति का परिरक्षण

1027. **श्री रमेन डेका:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम सहित देश में सुसमृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक दाय का परिरक्षण करने के लिए कोई योजना विचारार्थ रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां। भारत सरकार असम सहित देश में जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, विकास, परिरक्षण और संवर्धन हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। ये कार्यकलाप संस्कृति मंत्रालय के अधीन कई संलग्न/अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों द्वारा किए जाते हैं।

(ख) संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना के अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का समर्थन करता है जिन्होंने जनजातीय संस्कृति, जनजातीय संग्रहायल के निर्माण और जनजातीय कला और औजारों के प्रलेखन के लिए आंशिक निधियन द्वारा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन हेतु अपने प्रयासों से जनजातीय अनुसंधान संस्थान खोले हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं की यूआईडी तथा बार कोडिंग

1028. **डॉ. ज्योति मिर्धा:**
श्री पी. कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी दवाओं तथा जैल, मलहम जैसे आदि अन्य उत्पादों जो देश में बनाए विपणित तथा बाहर निर्यात किए जा रहे हैं, के लिए बार कोड तथा यादृच्छिक रूप से सृजित विशिष्ट नंबर कोड (यूआईडी) रखना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके संभावित लाभ क्या हैं एवं देश में इनकी कीमतों सहित इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या कुच्छेक औषध निर्माता कंपनियों द्वारा प्रस्तावित प्रणाली का विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में विभिन्न साझेदारों से परामर्श करने तथा उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्योपाध्याय): (क) से (ङ) समादेश याचिका संख्या 16212/2008-ब्रह्माजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दायर जन हित मुकदमे (पी.आई.एल.) पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिशा-निदेशों के अनुसरण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेटवर्किंग के मुद्दों की जांच करने तथा औषध निर्माण ट्रेकिंग प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर हेतु आवश्यकता संबंधी सुझाव देने के लिए दिनांक 10 मार्च, 2011 के अपने आदेश के तहत श्री एच कोशिया, आयुक्त, एफ.डी.ए. गुजरात की अध्यक्षता में एक कृत-बल (टास्क-फोर्स) गठित किया गया है। कृत-बल की अभी तक तीन बैठकें हो चुकी हैं जिसमें फार्मास्युटिकल उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उनमें से प्रस्तावित कुछ ने उपाय की संभाव्यता पर चिंता उत्पादन व्यक्त की क्योंकि इससे उत्पादन लागत में वृद्धि के फलस्वरूप औषधियां अधिक महंगी हो जाएंगी। कृत-बल की अंतिम रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष उसके अवलोकनार्थ तथा उपयुक्त-दिशानिर्देशों हेतु प्रस्तुत की जानी है।

जहां तक निर्यात का संबंध है, वाणिज्य विभाग में महानिदेशक विदेश-व्यापार ने दिनांक 10 जनवरी, 2011 को एक सार्वजनिक सूचना संख्या 21 (आर.ई. 2011/2009-2014 जारी की है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि सभी फार्मास्युटिकल एवं औषधों को 1 जुलाई, 2011 से खोज-निगरानी पद्धति (ट्रेस एंड ट्रेक सर्वेलेन्स सिस्टम) के अंतर्गत भारत से निर्यात किया जाएगा। महानिदेशक विदेश-व्यापार द्वारा की गई कार्रवाई से आशा है कि विश्वसनीय व्यापक फार्मा सप्लायर के रूप में भारत के दावों को बल मिलेगा तथा निर्यातक समुदाय में आन्तरिक अनुशासन बनाए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

अवैध खनन

1029. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री संजय निरूपम:
श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला:

श्री निशिकांत दुबेः
श्री सी. राजेन्द्रनः
श्री एन. चेलुवरया स्वामीः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश के कई भागों में अवैध खान जारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे केन्द्र सरकार को कितनी अनुमानित हानि हुई है;

(घ) क्या देश में ऐसे अवैध खान से निपटने के लिए राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय समन्वय-सह-अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने तथा कार्य-योजना तैयार करने के लिए कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश में अवैध खनन रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन-से नए कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में खनिजों के अवैध खान की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं। वर्ष 2006 से मार्च, 2011 तक पता लगाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चूंकि राज्य सरकारें खनिजों की स्वामी हैं, इसलिए सम्पूर्ण रायल्टी राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होता है, इस वजह से अवैध खनन के कारण केन्द्रीय सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं होती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य सरकारों को पत्र सं. 7/35/2009-खान-IV, दिनांक 3.11.2009 के द्वारा समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एससीईसी) गठित करने का अनुरोध किया गया है, और सभी राज्य सरकारों को अ.शा.सं. 16. 12.2009-खान-IV दिनांक 8.12.2009 द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए सभी राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है, जिसमें सुदूर सर्वेक्षण का प्रयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्रित करना, अंत्य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष कक्षों की स्थापना सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्ट उपाय शामिल हैं।

राज्य सरकारों ने निम्नलिखित घटनाक्रम सूचित किया है:

- अठारह राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और क़श्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के तहत् नियम बनाए हैं।

- इक्कीस राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने राज्य और/अथवा जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए गए हैं।

- दस राज्य सरकारों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) ने समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति गठित की है।

- राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु ने परिवर्तित सीमा तक खनन क्षेत्र का डिजीटलकरण शुरू किया है।

- राजस्थान और उड़ीसा राज्य सरकारों ने उपग्रह चित्रों का उपयोग शुरू करने की सूचना दी है।

- गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य सरकारों ने परिवहन परमिटों में होलोग्राम/बार कोड का उपयोग शुरू करने की सूचना दी है।

(च) केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सां.आ. 2817 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 के द्वारा बहुत से राज्यों में बिना किसी कानूनी प्राधिकार के लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की बड़े पैमाने पर खनन की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह आयोग को नियुक्त किया है। आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

केन्द्र सकार ने सा. का. नि. 75 (अ) दिनांक 9.2.2011 द्वारा खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के नियम 45 को

भी संशोधित करके सभी खनिजों, व्यापारियों, स्टाकिस्टों, निर्यातकों और अंत्य-उपयोगर्ताओं को भारतीय खान ब्यूरो के पास पंजीकृत करने और भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार को खनिजों के संचलन पर रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाया है। इससे आशा है कि अवैध खनन के लिए गुंजाइश कम हो जाएगी।

विवरण

राज्यवार अवैध खनन के मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	पता लगाए गए मामलों की संख्या						की गई कार्रवाई			
		2006	2007	2008	2009	2010	मार्च 20011 को समाप्त तिमाही तक	जब्त वाहन	दायर की गई एफ आई आर	दाखिल किए गए न्यायालय मामले	प्राप्त किए गए जुर्माना (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	5385	9216	13478	11591	17882	4594	844	18	–	11508.284
2.	असम						00				000
3	छत्तीसगढ़	2259	2352	1713	1078	2942	923	3363	–	6146	868.904
4	गोवा	313	13	159	9	4	9	459	–	–	18.628
5	गुजरात	7435	6593	5492	5416	2906	872	712	289	09	11187.723
6	हरियाणा	504	812	1209	1372	3383	544	103	391	21	623.764
7	हिमाचल प्रदेश	478	–	503	1114	372	473	–	–	956	45.178
8	झारखंड	631	82	225	15	411		5664	385	51	153.252
9	कर्नाटक	3027	5180	2997	1687	4949	1263	75285	1106	846	6406.066
10	केरल	1595	2593	2695	1321	660	830	–	–	–	729.918
11	मध्य प्रदेश	5050	4581	3895	3868	5652	1584	–	05	23393	2414.489
12	महाराष्ट्र	4919	3868	5828	8270	34284	10349	64774	13	01	7256.99
13.	मणिपुर						000				000
14	उड़ीसा	284	655	1059	758	461	162	1794	62	88	6675.672
15.	पंजाब	218	26	50	73	810	126	000	50	00	285.88
16.	राजस्थान	2359	2265	2178	4711	2315	1098	442	1146	70	1314.12
17.	सिक्किम					शून्य केवल दिसम्बर 2010 तक					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	तमिलनाडु	2140	1263	1573	215	386	53	32361	1061	619	9843.868
19.	त्रिपुरा						000	00	00	00	000
17.	उत्तराखंड	–	–	191	–	–		683	–	–	38.50
18.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	4641	1525	ख्र	0	0	1286.85
19.	पश्चिम बंगाल	80	426	315	80	272	–	424श्र्श्र	1307	253	–
	कुल	36677	39925	43560	41578	82330	24405	190733	5833	32453	60664.038

ग्रामीण पर्यटन

1030. श्री हरीश चौधरी:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को प्राप्त तथा उसके द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार तथा वर्षवार संख्या क्या है;

(ग) पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने हेतु पहचाने गए पर्यटक केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों तक संपर्क प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) ग्रामीण पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन स्थलों के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर अवसंरचना विकास के लिए 50.00 लाख रुपए और कौशल उन्नयन सहित क्षमता निर्माण के लिए 20.00 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष वार स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन स्थलों तक सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए पंचायत की सीमा के अंतर्गत सड़कों का सुधार करने के लिए निधियां भी प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (दिनांक 30.06.2011 तक) के दौरान स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की संख्या और राशि

(राशि लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.6.11 तक)	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश			7	220.37	3	109.8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश			2	64.66	1	17.7		
छत्तीसगढ़								
गुजरात								
जम्मू और कश्मीर	15	488.28	12	374.82	4	136.74		
झारखंड								
केरल	1	49.60	1	18.00				
मध्य प्रदेश	2	66.45						
मणिपुर			1	16.33				
मेघालय			1	20.00				
मिजोरम					1	20.00		
नागालैंड	4	134.20	6	205.1				
उड़ीसा								
पुडुचेरी			1	50.00	1	15.17		
पंजाब	1	50.00			1	15.5		
सिक्किम	6	179.07	5	146.76	5	181.27		
तमिलनाडु	2	37.00	3	86.45				
त्रिपुरा			6	163.22	4	164.90		
उत्तराखंड	1	16.50						
उत्तर प्रदेश					1	40.51		
पश्चिम बंगाल	1	19.00						
योग	33	1043.10	45	1365.71	21	701.59	0	0

अस्पतालों में प्रसव

1031. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में जानकारी में आए सांस्थानिक प्रसवों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अस्पतालों में सांस्थानिक प्रसवों की संख्या कम हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) 31 मार्च, 2011 तक विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित सांस्थानिक प्रसवों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ख) जी नहीं। राज्यों द्वारा सूचित डाटा के अनुसार, देश में सूचित सांस्थानिक प्रसवों की संख्या में वर्ष 2008-09 में 1.48

करोड़ रुपए से वर्ष 2010-11 में 1.68 करोड़ रुपए तक बढ़ोतरी हुई है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत सांस्थानिक प्रसवों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. जननी सुरक्षा योजना के जरिए सांस्थानिक प्रसवों को बढ़ावा देना।

2. मूलभूत और व्यापक प्रसूति रोग परिचर्या में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण।

3. 24x7 मूलभूत और व्यापक प्रसूति रोग सेवाएं प्रदान करने के लिए उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों का प्रचालन।

4. प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव पश्चात परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं की नाम के आधार पर पहचान करना (ट्रेकिंग)।

5. स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की मांग में वृद्धि करने और इन तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए 8.05 लाख से ज्यादा प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) की नियुक्ति।

6. मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए आउटरीच कार्यकलाप के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस।

7. हाल ही में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) नामक एक नई पहल शुरू की गई है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चों को जन्म देने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन सेक्शन सहित पूरी तरह से निःशुल्क और व्यय रहित प्रसव हेतु पात्र बनाती है। इस पहल में निःशुल्क औषधियां, डायग्नोस्टिक्स, रक्त और आहार, घर से संस्था तक निःशुल्क परिवहन के अलावा रेफरल के मामले में दो सुविधा केन्द्रों के बीच परिवहन तथा वापिस घर छोड़ने की सुविधा निर्धारित है।

विवरण

(लाख में)

राज्यों द्वारा सूचित सांस्थानिक प्रसवों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	बिहार	11.47	12.45	13.83
2.	छत्तीसगढ़	1.79	2.51	3.25
3.	हिमाचल प्रदेश	0.59	0.55	0.65
4.	जम्मू और कश्मीर	1.52	1.52	1.42
5.	झारखंड	1.67	2.96	3.45
6.	मध्य प्रदेश	13.70	13.01	13.31
7.	उड़ीसा	2.80	5.14	5.07
8.	राजस्थान	11.36	12.02	11.00
9.	उत्तर प्रदेश	18.18	25.59	25.93

1	2	3	4	5
10.	उत्तराखंड	0.74	0.98	1.03
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.09	0.11
12.	असम	3.57	3.98	4.18
13.	मणिपुर	0.20	0.24	0.26
14.	मेघालय	0.23	0.28	0.33
15.	मिजोरम	0.15	0.18	0.18
16.	नागालैंड	0.12	0.10	0.11
17.	सिक्किम	0.06	0.06	0.06
18.	त्रिपुरा	0.32	0.37	0.29
19.	आंध्र प्रदेश	14.20	14.49	14.06
20.	गोवा	0.24	0.19	0.20
21.	गुजरात	8.43	9.43	10.99
22.	हरियाणा	3.18	3.58	4.02
23.	कर्नाटक	6.82	8.49	7.18

[अनुवाद]

आयातित औषधियों की गुणवत्ता

1032. श्री नीरज शेखर:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री हरि मांझी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित विशेषकर चीन से आयातित कुछेक औषधियां घटिया पायी गई तथा मानक विनिर्माण प्रक्रियाओं (जी एम पी) की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी औषधियों का आयात करने में दोषी पायी गयी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है;

(ग) क्या कुछ चीनी औषधि निर्यातकों ने भारतीय औषधि निरीक्षकों द्वारा अपनी औषधि निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कराने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में तथा देश में आयातित औषधियों की गुणवत्ता एवं प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) ने चीन से गैर-पंजीकृत स्रोतों से औषधें आयात करने के मामलों का पता लगाया था। ऐसे आयातों में निम्नलिखित कम्पनियां लिप्त थीं:

1. मैसर्स एनवी ड्र प्रा.लि., गुजरात

2. मै. से.बी. खोखानी एंड कं., मुंबई

3. मैसर्स शीतल फार्मास्युटिकल, मुंबई

4. मैसर्स कंवर लाल एंड सन्स, चैन्नई

5. मैसर्स एडकॉक इन्ग्राहम, बंगलौर

6. मैसर्स कंवल लाल एंड कं., चैन्नई

7. जनरल इम्पोर्ट कम्पनी (इंडिया) प्रा.लि., मुंबई

इन मामलों को जांच के लिए सी बी आई को सौंपा दिया गया था। मैसर्स कंवरलाल एंड कंपनी, कंवरलाल एंड सन्स, चैन्नई तथा मैसर्स जनरल इम्पोर्ट कंपनी (इंडिया) प्रा.लि., मुंबई के विरूद्ध न्यायालय में मामले दायर किए गए हैं। मैसर्स एडकॉक इनग्राहम, बंगलौर के मामले में एक समापन रिपोर्ट 30.12.2010 को दायर की गई थी और न्यायालय द्वारा उसे 18.02.2011 को स्वीकार किया गया। इसके अलावा राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन (एस एफ डी ए) के चीन के परामर्श से सी डी एस सी के द्वारा वस्तु उत्पादन प्रक्रिया प्रमाण पत्रों (जी एम पी) की जांच पड़ताल की गई थी। जांच से पता चला कि चीन के कतिपय विनिर्माताओं द्वारा तैयार किए गए जी एम पी प्रमाण पत्र असली नहीं थे। तद्नुसार 10 चीनी फर्मों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों और आयात लाइसेसों को 2010 में रद्द कर दिया गया। उन चीनी विनिर्माताओं जिनके पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। मैसर्स चोंगक्विंवग डेक्सिन फार्मास्युटिकल लिमिटेड, चोंगक्विंग, चीन में निरीक्षण के प्रयोजन से चीन का दौरा करने वाले सी डी एस सी ओ अधिकारियों को सूचित किया कि उन्होंने पंजीकृत कुछ औषधों का उत्पादन रोक दिया है और यह भारत को अन्य औषधों का निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। फर्म निरीक्षण के लिए सहमत नहीं थी। अतएवं, फर्म के स्वीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र और आपात लाइसेंस को जून, 2011 में रद्द कर दिया गया।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में आयातित औषधियां अधिप्रमाणित स्रोतों से हैं और मानक गुणवत्ता वाली भी हैं, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत औषधों के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा आयात लाइसेंस की प्रणाली शुरू की गई थी।

(ii) देश में आयात की गई औषधियों की गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु आयात के समय बंदरगाह पर औचक सैम्पल (नमूना) लिए जाते हैं।

(iii) विदेशी विनिर्माताओं के उत्पादन स्थलों का निरीक्षण भी बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं को अनुपालन का आकलन करने के लिए 2011 में किया गया है। चीन में प्रथम बार ऐसे निरीक्षण मई, 2011 में किए गए हैं।

विवरण

चीनी विनिर्माताओं के नाम जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा आयात लाइसेंस रद्द किए गए हैं

1. मैसर्स ताइजहो वैगाओक्वियों लाइटोंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
2. मैसर्स झेजियांग मेटेरियल्स इंडस्ट्री कैमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन
3. मैसर्स चांगसू नानहू इंडस्ट्रियल कैमिकल फैक्टरी, चीन
4. मैसर्स जिन्टान झोंगजिंग फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
5. मैसर्स सूजहो औसून कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
6. मैसर्स झियांगजू होंगाइन फार्मास्युटिकल कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन
7. मैसर्स यांशी शुदा मेडिसिन एंड कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
8. चांगझाऊ कांगरूई कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
9. मैसर्स निंगवो डब्ल सन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
10. मैसर्स चांगक्विंग चुनरूई मेडिसिन कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन

[हिन्दी]

आम जनता को लुभाया जाना

1033. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री लाल चन्द कटारिया:
श्री सोमेन मित्रा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ ऑनलाइन कंपनियों/बहुस्तरीय विपणन कंपनियों की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जानकारी केन्द्र सरकार को मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक मामले पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियां साप्ताहिक निवेश पर आय के रूप में इसके ब्याज का प्रस्ताव देकर आम जनता को लुभा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) छोटे निवेशकों की धनराशि का संरक्षण करने तथा इसे वापस लौटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा ऐसी ऑनलाइन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना अपना कारोबार शुरु नहीं कर सकती है। इन उपबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की व्यवस्था है। आरबीआई ने सूचित किया है कि उसने गैर-कानूनी संस्थाओं/कंपनियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की है। स्पीक एशिया, यूनीपे इत्यादि जैसे हाल में संचार माध्यमों में उभरने वाले कुछ नाम आरबीआई के पास एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और ये एनबीएफआई से संबंधित कार्य भी नहीं करते प्रतीत हो रहे हैं। आरबीआई ने यह सूचित किया है कि उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनियां, जिनमें से कुछ सिंगापुर में स्थापित हैं जैसे स्पीक एशिया, आन लाइन सर्वेक्षण आयोजित करने के तात्पर्यित एजेंटों के द्वारा भारत में परिचालन कर रही हैं। आरबीआई ने आनलाईन/एमएलएम कंपनियों के विरुद्ध की गई ऐसी शिकायतों को संबंधित राज्य के पुलिस प्राधिकरणों के आर्थिक अपराध स्कंध (ईओडब्ल्यु) को अग्रेषित किया था।

जनता से धन जुटाने वाली कंपनियां विभिन्न विनियामक निकायों के क्षेत्राधिकार में आती है जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आरबीआई के विनियामक और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में आती हैं; निधियां, चिट फंड और धन परिचालन स्कीमें राज्य सरकारों के अधीन है; और सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत आती हैं। सेबी ने अक्तूबर 1999 में सेबी (सीआईएस) विनियमावली को अधिसूचित किया। तदनंतर, सेबी (सेबी) की जानकारी के अनुसार 664 सीएसआई कंपनियों में से 54 सीएसआई कंपनियों ने अपनी स्कीमों को परिसमाप्त कर दिया और निवेशकों को धनराशि लौटा दी। सेबी ने शेष 610 कंपनियों को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के अंतर्गत निदेश जारी किए, जिसमें उन्हें आदेश की तिथि से 1 माह की अवधि के अंदर प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार निवेशकों को देय प्रतिलाभों सहित योजनाओं के अंतर्गत एकत्रित धनराशि लौटाने का निदेश दिया गया था। 21 सीआईएस कंपनियों ने अपनी योजनाएं परिसमाप्त कर दी और निवेशकों को धन लौटा दिया। इस प्रकार कुल 75 सीआईएस कंपनियों (54+21) ने अपनी योजनाएं समाप्त कर दी थीं और निवेशकों को धनराशि लौटा दी थी। 19 मामलों में न्यायालयों ने स्थगन आदेश जारी किए/सरकारी परिसमापक/प्रशासक नियुक्त किए।

सेबी ने सूचित किया है कि इसने शेष 570 कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो अपनी योजनाएं परिसमाप्त करने और निवेशकों को धन लौटाने में असफल रहीं जिनमें "अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन शुरू करना, पूंजी बाजार में परिचालन करने से इन कंपनियों और इनके संबंधित कर्मचारियों को रोका जाना और उनके विरूद्ध दीवानी/फौजदारी कार्रवाई शुरु करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में, सेबी ने सेबी से पंजीकरण प्राप्त किए बिना सीआईएस गतिविधियां चलाने के लिए सन प्लांट एग्रो लि.; रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंसट्रक्शन्स लि. और नाइसर ग्रीन फोरेस्ट लि. के विरुद्ध आदेश भी जारी किए हैं।

जहां तक बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम)/पोंजी स्कीमों का संबंध है, आरबीआई राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सलाह देता रहा है कि पोंजी स्कीमों जैसी एमएलएम कंपनियों द्वारा किए जा रहे लेन-देन जब कभी भी सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं, ऐसे मामलों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जांच की जानी चाहिए और इस पर समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 नवंबर 2010 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें आम जनता को उनसे धन एकत्र करने वाली अनधिकृत कंपनियों के बारे में चेतावनी दी गयी है। इस तरह, आरबीआई ने जनता को सावधान करने के लिए सक्रियात्मक उपाय किए हैं और जब कभी ऐसी घटनाएं इसकी जानकारी में आयी हैं, उससे राज्य सरकारों को सावधान भी किया है।

इसके अतिरिक्त आरबीआई ने सूचित किया है कि अब तक 14 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने जमाकर्ता हित संरक्षण

अधिनियम पारित कर दिया है जो जमाओं पर अनुचित ब्याज दरों से संबंधित गलत वादे करके जनता से धन संग्रह करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को शक्ति प्रदान करता है।

[अनुवाद]

आई एफ सी आई में केन्द्रीय सरकार के अधिकार

1034. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई एफ सी आई) के 523 करोड़ मूल्य के वैकल्पिक रूप से परवर्तनीय डिबेंचरों के 0.1 प्रतिशत की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) डिबेंचरों द्वारा वहित/हस्तांतरित अधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई एफ सी आई के किन्हीं अन्य शेयरधारकों के पास भारत सरकार द्वारा वहित अधिकार जैसे अधिकार हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव बोर्डों को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2002-06 में अनुमोदित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वित्तीय पैकेज के एक भाग के रूप में 0.1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर सहित 20 वर्षीय वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के रूप में 523 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था।

(ग) इन ऋण-पत्रों पर अन्य जोखिम उठाने वालों के बराबर क्षतिपूर्ति का अधिकार है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने क्षतिपूर्ति के अधिकार सहित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में किए गए अपने निवेश के हिस्से को "जीरो कूपन ओपशनली कनवर्टिवल डिबेंचर" में परिवर्तित कर दिया था।

(च) सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

शून्य कूपन वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का आईएफसीआई के इक्विटी शेयरों में परिवर्तन

क्र.सं.	संस्था का प्रकार	निवेशक का नाम	जैडसीओसीडी राशि (लाख रुपए)	परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों की सं.	शेष राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	बैंक	इलाहाबाद बैंक	3,339.99	31,21,487	0
2.	बैंक	आंध्रा बैंक	2,356.22	22,02,074	0
3.	बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	5,378.24	50,26,393	0
4.	बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4,051.72	37,86,656	0
5.	बैंक	केनरा बैंक	11,063.79	1,03,39,988	0
6.	बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8,323.02	77,78,526	0

1	2	3	4	5	6
7.	बैंक	कॉर्पोरेशन बैंक	902.17	8,43,148	0
8.	बैंक	देना बैंक	1,388.73	12,97,874	0
9.	बैंक	इंडियन बैंक	3,199.41	29,90,106	0
10.	बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,571.99	14,69,146	0
11.	बैंक	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	5,258,12	49,14,134	0
12.	बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3,06.28	29,96,522	0
13.	बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	4,657.50	43,52,805	0
14.	बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	548.82	5,12,912	0
15.	बैंक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2,420.64	22,62,284	0
16.	बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	2,794.70	26,11,865	0
17.	बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	531.34	4,96,575	0
18.	बैंक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	532.47	4,97,639	0
19.	बैंक	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	286.83	2,68,066	0
20.	बैंक	सिंडीकेट बैंक	2,913.62	27,23,006	0
21.	बैंक	यूको बैंक	9,163.00	85,63,551	0
22.	बैंक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	771,3	7,20,771	0
23.	बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	6,004.75	56,11,921	0
24.	बैंक	विजया बैंक	6,266.33	58,56,381	0
25.	वित्तीय संस्था	भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	1,647.14	15,39,381	0
26.	वित्तीय संस्था	भारतीय जीवन बीमा निगम	50,726,65	83,25,044	41,818.85
27.	वित्तीय संस्था	नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	1,309.44	12,23,777	0
28.	वित्तीय संस्था	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.	3,074.40	28,73,268	0
29.	वित्तीय संस्था	ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.	1,526.40	14,26,538	0
30.	वित्तीय संस्था	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.	2,706.81	25,29,731	0
	कुल		1,47,921.75	9,91,61,569	41,818.85

1. परिवर्तन 107 रुपए प्रतिशेयर पर किया गया था, कीमत सेबी (प्रकटन और निवेशक सुरक्षा) दिशा निर्देश, 2000 के अनुसार निर्धारित की गई है, अनुमानित संगत तारीख 17 दिसम्बर, 2007 है।
2. "एलआईसी" के मामले में परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों की संख्या का निर्धारण के पश्चात 8.39% के विद्यमान "स्टैक" को बनाए रखने के लिए अपेक्षानुसार किया गया है।
3. अन्यों के लिए सम्पूर्ण "जैडसीओसीडी" उनके द्वारा जैसा अपेक्षित था परिवर्तित किया गया था।
4. "एलआईसी" के मामले में शेष राशि शून्य कूपन "एनसीडी" के रूप में जारी है।

[हिन्दी] 475-76

रेपो और रिवर्स रेपो दर

1035. श्री रेवती रमण सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो और रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेपो और रिवर्स रेपो दरों में ऐसी वृद्धि को कोई प्रभाव सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारित ब्याज दरों पर पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आम आदमी का इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) आम आदमी के हित का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई, 2011 को मौद्रिक नीति 2011-12 की अपनी पहली तिमाही समीक्षा में "रेपो" दर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 8.0 प्रतिशत कर दिया है। रेपो दर से नीचे 100 बेसिस प्वाइंट्स के फैलाव के साथ चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत निर्धारित "रिवर्स रेपो" दर अपने आप 7.0 प्रतिशत पर समायोजित हो जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) मौद्रिक शर्तों के सख्ती से लागू होने को ध्यान रखते हुए बैंक भी अपनी जमा एवं उधार ब्याज दरों को बढ़ रहे हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने मध्य-मार्च 2010 और 30 जुलाई, 2011 के बीच सभी परिपक्वताओं में अपनी जमा दरों में 25-500 बेसिस प्वाइंट्स के रेंज में बढ़ोतरी की। जमा दरों में बढ़ोतरी 1 वर्ष तक की परिपक्वता के लिए अपेक्षाकृत अधिक तीव्र थी। उधार दरों के संबंध में, बैंक की बेस दरें, जिसने 1 जुलाई, 2010 से पूर्ववर्ती बेंचमार्क प्राइम उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली का स्थान लिया, भी जुलाई 2010-जुलाई, 2011 के दौरान 75-325 बेसिस प्वाइंट्स के रेंज में बढ़ीं।

(ङ) आरबीआई की मौद्रिक नीति दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे ब्याज दर परिवेश को बनाए रखना है जो मुद्रास्फीति को कम करे और मुद्रास्फीतीय अपेक्षा को स्थिरीकृत करे। जबकि उधार की लगात बढ़ गई है, बैलेंस पर मुद्रास्फीति के निम्नतर स्तरों से आम आदमी को अपेक्षाकृत अधिक राहत मिलेगी। सरकार अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और समाज के जरूरतमंद सबकों के लिए निरंतर ब्याज सहायताएं प्रदान कर रही है।

[अनुवाद] 476-77

बैंकों का विलय

1036. श्री प्रबोध पांडा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ विदेशी बैंकों को पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक धनशक्ति वाले अधिक विदेशी बैंकों के आने की स्थिति में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संभावित स्थिति के बारे में कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) एवं (ख) जी, नहीं। सरकार की समेकन संबंधी वर्तमान नीति में इस बात की अनुमति है कि बैंकों के प्रबंधन समेकन के लिए स्वयं पहल कर सकते हैं। किसी प्रकार के विलय प्रस्ताव की जांच करते समय सरकार विलयित होने वाले बैंकों के जोखिम उठाने वाले (स्टेकहोल्डरों) और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती है।

(ग) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) खुदरा, थोक, विदेशी मुद्रा, और व्युत्पन्न उत्पादों, क्रेडिट काईस आदि जैसे सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए घरेलू के साथ-साथ विदेशी दोनों प्रकार के बैंकों को एक समान श्रेणी का बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करता है। जनवरी 2011 में आरबीआई ने शाखा या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के माध्यम से विदेशी बैंकों की कार्य प्रणाली (मोड ऑफ प्रजेन्स) के बारे में जनता की राय जानने हेतु अपनी वेबसाइट पर एक विमर्श-पत्र डाला था। विमर्श-पत्र पर मिले फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों की जांच करने के उपरांत भारत में विदेशी बैंकों की कार्य-प्रणाली के बारे में आरबीआई द्वारा समेकित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

(ङ) एवं (च) गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश और भारत में विदेशी बैंकों के खुलने के पूर्व अनुभव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कुल बैंकिंग व्यवसाय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी कम नहीं होगी और विशाल शाखा नेटवर्क, लोगों के द्वारा अधिक भरोसा जतलाने, सरकारी स्वामित्व, आदि के कारण यह संभावना है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक भविष्य में भी बैंकिंग क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे।

नल के पानी में औषधि प्रतिरोधक जीवाणु

1037. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नल के पानी में औषधि प्रतिरोधक जीवाणु की मौजूदगी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका लांसेट द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी सरकार को है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, हां।

(ख) प्रसंगाधीन अध्ययन किसी भी नैदानिक अथवा जानपदिक साक्ष्य द्वारा अनुसमर्थित नहीं है। विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जल का क्लोरीनेशन इसे पीने के प्रयोजन से सुरक्षित बनाता है। दिल्ली जल बोर्ड ने भी पेय जल में औषध प्रतिरोधक बैक्टीरिया की मौजूदगी के बारे में चिन्ताओं को खारिज कर दिया है।

कर वंचन के उपयुक्त देशों की अक्सर यात्रा करने वाले व्यक्ति

1038. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर वंचन के उपयुक्त देशों की अक्सर यात्रा करने वालों पर नजर रखने वाले आयकर अधिकारियों ने पाया है कि इनमें से कुछ व्यक्तियों ने एक लाख रुपये जितनी कम वार्षिक आय तथा कुछ मामलों में तो बिल्कुल आय न होने की घोषणा कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कोई व्यक्तियों ने झूठे नाम दिए हैं तथा आय कर रिटर्न दाखिल नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे सभी मामलों की जांच करने तथा हवाला सौदों में इन व्यक्तियों के लिप्त होने का पता लगाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) कुछ कर आश्रयों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर जांच की गई। ऐसे मामले पाए गए जहां कर निर्धारितियों ने एक लाख रुपए से कम की आय विवरणी दाखिल की है।

(ग) और (घ) ऐसे मामले जानकारी में नहीं आए हैं।

(ङ) कर अपवंचन का पता लगाने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर जांच शुरू की जाती है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति

1039. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों में घटिया आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घटिया दवाओं की आपूर्ति हेतु दोषी पाए गए दवा आपूर्तिकर्ताओं तथा उनके विरुद्ध की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछेक काली सूची में दर्ज औषिध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नए नामों का प्रयोग कर इन दवाओं की आपूर्ति किए जाने की घटनाओं के देश में घटित होने की खबरें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधी सेल्वन): (क) केंद्र सरकार तथा इसकी स्वायत्त संस्थाओं के अस्पतालों में घटिया आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सीजीएचएस तथा केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों में ऐसे मामालें की कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क दवाओं का वितरण

1040. डॉ. भोला सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क दवाओं तथा भोजन के वितरण करने की किसी योजना को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे एस एस के) की शुरूआत की है।

यह पहल एन आर एच एम के सर्वांगीण संरक्षण के अंतर्गत शुरू की गई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चे को जन्म देने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन सेक्शन सहित नि:शुल्क तथा व्ययहित प्रसव हेतु पात्र बनाती है। इन पात्रताओं में नि:शुल्क औषधियां, उपभोज्य, नि:शुल्क डायग्नोस्टिक्स, यथावश्यक नि:शुल्क रक्त तथा सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिनों तक और सी-सेक्शन के लिए 7 दिनों तक नि:शुल्क आहार शामिल हैं। इस पहल में घर से संस्था तक नि:शुल्क परिवहन, रेफरल के मामले में दो सुविधा केन्द्रों के बीच परिवहन तथा वापिस घर छोड़ने के प्रावधान भी शामिल हैं।

जन्म के उपरांत 30 दिनों तक उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी बीमार नवजात शिशुओं के लिए ऐसी ही पात्रताएं रखी गई हैं।

[अनुवाद]

हवाला रैकेट

1041. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा काले धन को रोकने के लिए की गयी पहलों के बावजूद देश में हवाला कारोबार फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में देश में किसी हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में हवाला कारोबार करने वालों की हरकतों पर नियंत्रण रखने तथा इसे रोकने के लिए अपने तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय विशिष्ट जानकारी के आधार पर हवाला लेन-देनों सहित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघनों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करता है।

(घ) एवं (ङ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया जाता है।

Fazz d 481-83

नेपाल को बिजली-आपूर्ति

1042. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है तथा उसकी जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत द्वारा नेपाल को आपूर्ति की गयी विद्युत की मात्रा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने 2008-09 से 2011-12 (जून 2011 तक) तक के दौरान अतिरिक्त आबंटन हेतु नेपाल से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है। तथापि, विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) ने सूचित किया है कि विद्युत विनिमय करार के अंतर्गत, भारत महाकाली संधि (टनकपुर परियोजना से 70 मिलियन यूनिट निःशुल्क विद्युत) तथा कोसी करार (ककाटिया विद्युत घर से 50% विद्युत की आपूर्ति करता है। 2008 के दौरान, पीटीसी इंडिया ने लगभग 2 सप्ताह के लिए 18 मई 2008 से नेपाल को 25 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति की थी। 2009 के दौरान, इसने जनवरी से मई 2009 तक नेपाल को 20 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति की थी।

अक्टूबर 2009 में, नेपाल सरकार ने 1-31 दिसम्बर 2009 से 30 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत, 1 जनवरी से अप्रैल 20, 2010 तक 80 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हेतु भारत से अनुरोध किया था। यह अनुरोध नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए), जो कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड का नेपाल सरकार का उपक्रम है, के माध्यम से किया गया था और विभिन्न द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारत सरकार के साथ नेपाल सरकार द्वारा उठाया गया था। भररत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और एनईए को अपेक्षित विद्युत की आपूर्ति हेतु पीटीसी इंडिया को सलाह दी थी। तथापि, पारेषण अवसरंचना के क्षमता अवरोधों को ध्यान में रखते हुए केवल 35 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए व्यवहार्य पाया गया था। पीटीसी इंडिया ने 1 जनवरी 2010 से टनकपुर सुपुदर्गी बिन्दु से 20 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति शुरू की थी। नेपाल को अतिरिक्त 15 मेगावाट विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) पर ऊर्जा मीटरों से संबंधित तकनीकी अवरोधों के कारण निर्धारित नहीं की जा सकी थी।

(ङ) भारत द्वारा नेपाल को आपूर्ति की गई विद्युत का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

भारत द्वारा नेपाल को किए गए विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा

(i) बिहार और नेपाल के बीच विद्युत का आदान-प्रदान

(केडब्ल्यूएच में)

वर्ष	बीएसईबी द्वारा निर्यात	बीएसईबी द्वारा आयात	निवल
2008-09	227533120	45253100	182280020
2009-10	452738120	70906280	381831840
2010-11 2011 (अप्रैल 11 से जून 11)	555247040	44004300	511242740

(ii) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) के द्वारा नेपाल को विद्युत का निर्यात

(कि.वा.घं. में)

वर्ष	यूपीपीसीएल द्वारा निर्यात
2008	22,77777
2009	33942900
2010	49319650
20011 (जून 2011 तक)	24191550

(iii) उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लि. (यूपीसीएल) के द्वारा नेपाल को विद्युत का निर्यात

(कि.वा.घं. में)

वर्ष	यूपीपीसीएल द्वारा निर्यात
2008-09	2279180
2009-10	850434
2010-11	740260
20011-12 (जून 2011 तक)	383912

(iv) गत तीन वर्षो के दौरान पीटीसी इंडिया द्वारा एनईए को बेची गई विद्युत का ब्यौरा नीचे दिए गए:

(मि.यू.में)

अवधि	पीटीसी इंडिया द्वारा बेची गई
जनवरी 2009-मई 2009	70 मि.यू.
जनवरी 2010-मई 2010	55 मि.यू.
जनवरी 2011-मई 2011	43 मि.यू.

[हिन्दी] 484-503

म्यूचुअल फंड योजनाओं के अंतर्गत ऋण

1043. **श्री महाबल मिश्रा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) योजनाओं के विरुद्ध/ अंतर्गत ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के लिए इनका कंपनी-वार, बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी एमएफ योजनाओं के निवेशकों के हितों पर ऐसे ऋणों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के अनुसार, परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनियां म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रति ऋण नहीं ले सकतीं। तथापि, म्यूचुअल फंडों को उपर्युक्त विनियमों के विनियम 44(2) के प्रावधान कै तहत म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रति ऋण लेने की अनुमति है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा लिए गए ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त विनियमों के विनियम 44(2) के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि म्यूचुल फंड केवल पुन: खरी, यूनिटों के मोचन अथवा यूनिट धारकों को ब्याज या लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ म्यूचुअल फंडों की अस्थायी नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति को छोड़कर अन्यथा उधार नहीं लेंगे; बशर्ते कि म्यूचुअल फंड, योजना की निवल परिसम्पत्ति के 20% से अधिक उधार नहीं लेंगे और इस प्रकार लिए गए उधार की अवधि छ: महीनों से अधिक नहीं होगी। ऐसे ऋण, सामान्यतया, निवेशकों के हितों के लिए हानिकर नहीं होते। ये उधार म्यूचुअल फंडों को अपनी परिसम्पत्तियों की मजबूरन बिक्री से रोकने में भी सहायता करते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रयोज्य नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के लिए म्यूचुअल फंडों द्वारा म्यूचुअल फंड-वार, बैंक-वार लिए गए ऋणों के ब्यौरे:

(करोड़ रुपए में)

म्यूचुअल फंड का नाम	बैंक/कंपनी का नाम जिससे ऋण लिया गया है	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (आज की तारीख तक)	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
टॉरस	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	-	15.00	-	15.00
	जोड़	-	-	15.00	-	15.00
बड़ौदा पायोनीयर	सिटी बैंक एन ए	-	-	880.00	-	880.00
	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	-	600.00	-	600.00
	भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	785.60	-	785.60
	जोड़	-	-	2,265.60	-	2,265.60
केनरा रोबेको	केनरा बैंक	160.00	500.00	200.00	-	860.00
	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल (सीबीएलओ खंड में उधार)*	735.02	825.99	11,835.49	138.96	13,535.47
	जोड़	895.02	1,325.99	12,035.49	138.96	14,395.47
जेएम फायनेनाशियल	सिटी बैंक एन ए	0.13	-	0.50	-	0.63
	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	102.48	186.33	404.35	-	693.16
	आईसीआईसीआईसी बैंक लिमिटेड	0.19	-	-	-	0.19
	पंजाब नेशनल बैंक	5.45	-	300.00	-	305.45
	जोड़	108.26	186.33	704.85	-	999.44
आईसीआईसीआई प्रूडेनशियल	इलाहाबाद बैंक	350.00	250.00	1,070.00	-	1,670.00
	एक्सिस बैंक	-	-	1,275.00	-	1,275.00
	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,450.00	-	-	-	1,450.00
	बैंक ऑफ इंडिया	1,795.34	-	-	-	1,795.34

1	2	3	4	5	6	7
	केनरा बैंक	300.00	–	–	–	300.00
	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल (सीबीएलओ खंड में उधार)*	–	2,079.79	40,400.07	–	42,479.87
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	300.00	–	1,000.00	–	1,300.00
	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	–	–	500.00	–	500.00
	यूको बैंक लिमिटेड	–	–	1,720.00	–	1,720.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	–	1,000.00	500.00	–	1,500.00
	आईसीआईसीआई बैंक	1,900.00	–	–	–	1,900.00
	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स	199.45	–	–	–	199.45
	पंजाब नेशनल बैंक	650.00	–	–	–	650.00
	पंजाब एंड सिंध बैंक	150.00	–	–	–	150.00
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	180.00	–	–	–	180.00
	भारतीय स्टेट बैंक	457.91	–	–	–	457.91
	सिंडीकेट बैंक	599.98	–	–	–	599.98
	जोड़	8,332.70	3,329.79	46,465.07	–	58,127.56
सुन्दरम	एचडीएफसी बैंक	20.00	–	52.51	–	72.51
	जोड़	20.00	–	52.51	–	72.51
प्रामेरिका	सिटी बैंक एन ए	–	–	124.00	–	124.00
	जोड़	–	–	124.00	–	124.00
जेपी मॉर्गन	ड्यूश्च बैंक एजी	76.83	227.09	576.28	115.74	995.94
	एचडीएफसी बैंक	–	55.00	40.50	–	95.50
	जोड़	76.83	282.09	616.78	115.74	1,091.44
कोटक	बैंक ऑफ बड़ौदा	100.00	–	–	–	100.00
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	–	–	180.00	–	180.00

1	2	3	4	5	6	7
	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल (सीबीएलओ खंड में उधार)*	–	–	7,890.12	2,890.12	10,765.34
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	–	–	540.00	–	540.00
	देना बैंक	100.00	–	–	–	100.00
	आईएनजी व्यास बैंक	–	–	270.00	–	270.00
	कोटक महिन्द्रा बैंक	150.00	–	–	–	150.00
	पंजाब नेशनल बैंक	180.00	–	–	–	180.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	–	–	3,230.00	500.00	3,730.00
	जोड़	530.00	–	12,110.12	3,375.22	16,015.34
टाटा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई खास विंडो	499.52	–	–	–	499.52
	सिटी बैंक	400.00	–	–	–	400.00
	डयूश्च बैंक	–	15.40	–	–	15.40
	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	375.00	–	369.84	–	744.84
	आईसीआईसीआई बैंक	400.00	–	–	–	400.00
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	480.00	–	4.00	–	484.00
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई खास विंडो	1,003.15	–	–	–	1,003.15
	यूको बैंक	–	–	650.00	–	650.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	–	1,300.00	8,600.00	300.00	10,200.00
	यूनिट बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई विशेष विंडो)	100.00	–	–	–	100.00
	कुल जोड़	3,257.67	1,315.40	9,623.84	300.00	14,496.91

1	2	3	4	5	6	7
एसबीआई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8,638.15	–	–	–	8,638.15
	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1,520.00	–	–	–	1,520.00
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,250.00	–	–	–	1,250.00
	आईडीबीआई	2,730.00	–	–	–	2,730.00
	जोड़	14,138.15	–	–	–	14,138.15
डीएसपी	बैंक ऑफ इंडिया	149.62	–	–	–	149.62
ब्लैकरॉक	सिटी बैंक एन ए	300.00	–	–	–	300.00
	यूनियन बैंक	–	–	650.00	–	650.00
	यूनियन बैंक	–	–	–	95.00	95.00
	जोड़	449.62	–	650.00	95.00	1,194.62
एचडीएफसी	केनरा बैंक	260.00	540.00	55.00	–	855.00
	यूको बैंक	–	300.00	936.00	–	1,236.00
	इलाहाबाद बैंक	–	–	749.75	–	749.75
	एक्सिस बैंक	–	–	360.00	–	360.00
	बैंक ऑफ इंडिया	–	–	450.00	–	450.00
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	–	–	846.00	–	846.00
	कॉर्पोरेशन बैंक	–	–	663.00	–	663.00
	देना बैंक	100.00	–	900.00	–	1,000.00
	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	–	–	235.00	–	235.00
	पंजाब नेशनल बैंक	–	–	216.00	–	216.00
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	–	–	320.00	–	320.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	800.00	–	201.75	–	1,001.75
	बैंक ऑफ बड़ौदा	350.35	–	–	–	350.35

1	2	3	4	5	6	7
	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल (सीबीएलओ खंड में उधार)*	-	12.00	1,202.46	-	1,214.46
	जोड़	1,510.35	852.00	7,134.96	-	9,497.31
प्रिंसिपल	एचडीएफसी	125.00	-	-	-	125.00
	आईडीबीआई	2,907.00	-	578.00	-	3,485.00
	पीएनबी	1,499.00	-	290.00	-	1,789.00
	यूबीआई	300.00	100.00	300.00	-	700.00
	जोड़	4,831.00	100.00	1,168.00	-	6,099.00
विश्वस्तता	सिंडिकेट बैंक	100.00	-	-	-	100.00
	जोड़	100.00	-	-	-	100.00
एआईजी	सिटी बैंक एन ए	400.00	-	-	-	400.00
	जोड़	400.00	-	-	-	400.00
मिराई	स्टैंकडर्ड चार्टर्ड बैंक	436.00	-	-	-	436.00
	सिटी बैंक	70.42	-	-	-	70.42
	जोड़	506.42	-	-	-	506.42
ड्यूश	ड्यूश बैंक	360.00	-	-	-	360.00
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.00	-	-	-	100.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	100.00	-	-	-	100.00
	इलाहाबाद बैंक	200.00	-	-	-	200.00
	केनरा बैंक	50.00	-	-	-	50.00
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	615.00	-	-	-	615.00
	जोड़	1,425.00	-	-	-	1,425.00
आईएनजी	सिटी बैंक	89.00	-	-	-	89.00
	आईएनजी विश्व बैंक	300.00	-	-	-	300.00

1	2	3	4	5	6	7
	कोटक बैंक	550.00	–	–	–	550.00
	पंजाब नेशनल बैंक	150.00	–	–	–	150.00
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	191.00	–	–	–	191.00
	जोड़	1,280.00	–	–	–	1,280.00
आईडीएफसी	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	485.00	–	100.00	–	585.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	600.00	1,000.00	500.00	–	2,100.00
	केनरा बैंक	–	–	900.00	–	900.00
	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	–	–	875.00	–	875.00
	जोड़	1,085.00	1,000.00	2,375.00	–	4,460.00
आईडीबीआई	आईडीबीआई बैंक	–	–	0.04	–	0.04
	एचडीएफसी बैंक	–	–	10.65	–	10.65
	जोड़	–	–	10.69	–	10.69
रिलायंस	बड़ौदा बैंक	700.81	–	–	–	700.81
	बैंक ऑफ इंडिया	300.24	–	–	–	300.24
	केनरा बैंक	480.00	–	–	–	480.00
	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	400.00	–	–	–	400.00
	आईसीआईसीआई बैंक	400.00	–	–	–	400.00
	इंडियन बैंक	200.00	–	–	–	200.00
	ओबीसी	505.28	–	–	–	505.28
	पंजाब बैंक	200.00	–	500.00	–	700.00
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	817.25	–	–	–	817.25
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	200.00	–	–	–	200.00
	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	100.00	–	–	–	100.00
	सिंडिकेट बैंक	664.17	–	–	–	664.17
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	–	25.00	–	–	25.00

1	2	3	4	5	6	7
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	700.00	–	–	–	700.00
	एचडीएफसी बैंक	100.00	–	–	891.00	991.00
	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीबीएलओ खंड में उधार)*	–	–	2,142.57	–	2,142.57
	जोड़	5,767.76	25.00	3,533.57	–	9,326.33
बिड़ला	सिटी बैंक एन एन	150.00	–	–	–	150.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	800.00	–	–	–	800.00
	बैंक ऑफ बड़ौदा	400.03	–	–	–	400.03
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	388.86	–	–	–	388.86
	पंजाब नेशनल बैंक	400.00	–	–	–	400.00
	केनरा बैंक	200.00	–	–	–	200.00
	बैंक ऑफ इंडिया	401.83	–	–	–	401.83
	सिंडीकेट बैंक	1,402.77	–	–	–	1,402.77
	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीबीएलओ खंड में उधार)*	–	549.95	–	–	549.95
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	–	–	1,350.00	–	1,350.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	–	–	500.00	–	500.00
	आंध्र बैंक	–	–	500.00	–	500.00
	जोड़	4,143.50	549.95	2,350.00	–	7,043.45
एलआईसी	आईडीबीआई	–	–	2,000.00	–	2,000.00
नोमूरा	पीएनबी	120.00	–	1,700.00	–	1,820.00
	एचडीएफसी	1,549.57	–	395.12	–	1,944.69
	बैंक ऑफ बड़ौदा	–	–	5,200.00	–	5,200.00
	सिंडीकेट बैंक	–	–	300.00	–	300.00

1	2	3	4	5	6	7
	इलाहाबाद बैंक	–	–	1,500.00	–	1,500.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	–	–	4,945.00	–	4,945.00
	बैंक ऑफ इंडिया	500.00	–	5,243.00	–	5,743.00
	कॉर्पोरेशन बैंक	1,975.00	–	–	–	1,975.00
	एक्सिस	200.00	–	–	–	200.00
	आईसीआईसीआई	200.00	–	–	–	200.00
	एलआईसी	1,000.00	–	–	–	1,000.00
	जोड़	5,544.57	–	21,283.12	–	26,827.69
बेंचमार्क	सिटी बैंक एन ए	–	19.66	33.00	–	52.66
	आईडीबीआई बैंक	65.00	29.00	373.00	–	467.00
	एचडीएफसी बैंक	743.00	6.00	436.00	–	1,185.00
	पंजाब नेशनल बैंक	50.00	–	–	–	50.00
	इलाहाबाद बैंक	100.00	–	–	–	100.00
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	24.00	–	–	–	24.00
	जोड़	982.00	35.00	809.00	–	1,826.00
भारतीय यूनिट	कॉर्पोरेशन बैंक	1,000.00	500.00	7,200.00	–	8,700.00
ट्रस्ट	इलाहाबाद बैंक	–	580.00	3,930.00	–	4,510.00
	बैंक ऑफ बड़ौदा	300.00	220.00	2,850.00	–	3,370.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,300.00	3,550.00	–	5,850.00
	विजया बैंक	–	300.00	300.00	–	600.00
	यूको बैंक	–	100.00	–	–	100.00
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	200.00	–	–	–	200.00
	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल (सीएलओ खंड में उधार)*	–	–	25,010.97	–	25,010.97

1	2	3	4	5	6	7
	आस्ति प्रबंधन कंपनी	–	–	6.75	–	6.75
	जोड़	2,500.00	3,000.00	42,847.72	–	48,347.72
फ्रैंकलिन	अमरीकी एक्सप्रेस बैंक	194.47	–	–	–	194.47
टेम्पलटन	(अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक)					
	बैंक ऑफ बड़ौदा	300.14	–	961.00	–	1,261.14
	सिटी बैंक एन ए	1,369.00	21.67	99.41	–	1,490.09
	एचडीएफसी बैंक	–	4.70	–	–	4.70
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	–	–	26.56	–	26.56
	सिंडीकेट बैंक	497.22	–	–	–	497.22
	जोड़	2,360.83	26.37	1,86.97	–	3,474.18
रेलीगेयर	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल (सीएलओ खंड में उधार)*	–	–	767.82	5,161.65	5,929.47
	ड्यूश बैंक	5,106.00	–	419.96	–	5,525.96
	एचडीएफसी बैंक	164.88	–	280.00	–	444.88
	यूनियन बैंक	35.00	–	297.00	–	332.00
	कर्नाटक बैंक	24.00	–	–	–	24.00
	बैंक ऑफ बड़ौदा	149.95	–	–	–	149.95
	बैंक ऑफ इंडिया	350.17	–	–	–	350.17
	इंडियन बैंक	95.00	–	–	–	95.00
	जोड़	5,925.00	–	1,764.78	5,161.65	12,851.43
बीएनपी परिबास	ड्यूश बैंक	416.00	–	575.00	–	991.00
	केनरा बैंक	–	300.00	–	–	300.00
	रिपो	81.49	–	–	–	81.49
	जोड़	497.49	300.00	575.00	–	1,372.49

1	2	3	4	5	6	7
एचएसबीसी	एचएसबीसी बैंक	8,136.64	-	-	-	8,136.64
	बैंक ऑफ इंडिया	400.16	-	-	-	400.16
	सिंडीकेट बैंक लिमिटेड	337.81	-	-	-	337.81
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	0.34	-	-	0.34
	जोड़	8,874.61	0.34	-	-	10,247.44

[अनुवाद]

वाक् और श्रवण संस्थान

1044. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी मैसूर स्थिति अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान जैसे संस्थानों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों में ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ग) देश में संप्रेषण संबंधी अक्षमता की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) देश के अन्य भागों में अस्पतालों में ऐसी सुविधाओं को बढ़ावा देने तथा उन्नयन करने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के संस्थानों का विकास करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संप्रेषण विकारों में वाक्, भाषा और श्रवण संबंधी विभिन्न प्रकार की अनेक समस्याएं सम्बद्ध हैं जो निम्न प्रकार हैं:

विकार की किस्म*	भारत की जनगणना (2001)
वाक् विकार 7%	
श्रवण संबंधी विकार	6%

तथापि, उपरिउल्लिखित सर्वेक्षण में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया गया तथा इसमें केवल वाक् संबंधी विकारों को ही शामिल किया गया जिनमें स्पष्ट संकेत और रोग लक्षण पाए गए तथा इसमें मानसिक मन्दता, सेरीब्रल पाल्सी, ऑष्टिज्म, सीखने संबंधी अशक्तता आदि जैसी अनेक स्थितियों से सम्बद्ध भाषा अक्षमताएं शामिल नहीं थीं। तथापि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रिपोर्टों में जो कुछ प्रस्तुत किया गया है, व्यापकता इससे कहीं अधिक हो सकती है।

एन एस एस ओ (2002) ने सूचित किया है कि प्रति लाख आबादी पर 291 व्यक्ति श्रवण संबंधी अक्षमता तथा प्रति लाक्ष आबादी पर 204 व्यक्ति वाक् एवं भाषा संबंधी अक्षमता वाले हैं।

(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम को जनवरी, 2007 में चलाया गया था जिसके अंतर्गत जिला अस्पतालों में अवस्थापना ढांचा तैयार किया गया है और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

1045. श्री के.पी. धनपालन:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की स्थापना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गनिदेश निर्धारित किए जाने के बाद की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सीएआरए इन मार्गनिदेशों का अनुपालन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार केरल सहित देश में सीएआरएके अंतर्गत राज्य दत्तग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) जी, हां। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में अनुपालन करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्रू बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दत्तक ग्रहण के लिए बच्चा कानूनी रूप से मुक्त है, देश के अंदर दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता दी जाए, बच्चों और घर के अध्ययन की रिपोर्टें आदि तैयार की जा सकें। दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

(घ) से (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण स्कीम एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों के अंतर्गत कार्य करने के लिए केरल सहित प्रत्येक राज्य में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी स्थापित करने का प्रावधान है। अब तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों की स्थापना हो गई है। अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को शीघ्रता से राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना करने के लिए कहा जा रहा है।

आयोडीन की कमी से होने वाले विकार

1046. **श्री वैजयंत पांडा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों (आई डी डी) से ग्रस्त लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में आई डी डी के मामलों की संख्या को कम करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त लक्ष्य को किस हद तक हासिल किया गया है; और

(ङ) आई डी डी को उच्च प्राथमिकता के आधार पर रोकने एवं उस पर नियंत्रण करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपाय/प्रस्ताव क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) अनुमान है कि देश में करीब 71 मिलियन व्यक्ति आयोडीन अल्पता विकारों से ग्रस्त हैं। राज्य/संघ राज्य वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इसका लक्ष्य वर्ष 2012 तक देश में आयोडीन अल्पता विकारों की व्याप्तता को कम करके 10% से नीचे लाना है तथा घरेलू स्तर पर पर्याप्त रूप से आयोडीनयुक्त नमक (> 15 पी पी एम) का 100 उपभोग सुनिश्चित करना है।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्पष्ट घेघा की व्याप्तता में काफी कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III रिपोर्ट (2005-06) के अनुसार पर्याप्त रूप से आयोडीन युक्त नमक का उपयोग 51% था जबकि हालिया कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2009 के अनुसार पर्याप्त रूप से (नमक में आयोडीन की मात्रा > 15 पी पी एम) आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग सामुदायिक स्तर पर अत्यधिक बढ़कर करीब 71% हो गया है।

(ङ) आयोडीन अल्पता विकारों की रोकथाम एवं नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के समग्र संरक्षण में पूरे देश में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एन आई डी डी सी पी) का कार्यान्वयन कर रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिला आई डी डी सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करना; आयोडीनयुक्त नमक का मानवीय उपयोग, नमक एवं मूत्र की प्रयोगशाला मानीटरिंग, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार को बढ़ावा देना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयोडीन अल्पता विकार प्रकोष्ठ एवं आई डी डी मानीटरिंग प्रयोगशाला की स्थापना करने, लोगों में केवल आयोडीनयुक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता सृजन करने के लिए जिला सर्वेक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, उत्पादन स्तर पर आयोडीनयुक्त नमक के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नमक आयुक्त के कार्यालय को भी निधियां दी जाती है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई डी डी से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई डी डी से ग्रस्त अनुमानित व्यक्ति (मिलियन)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6.210
2.	अरुणाचल प्रदेश	0168
3.	असम	1.168
4.	बिहार	6.276
5.	छत्तीसगढ़	2.100
6.	गोवा	0.275
7.	गुजरात	4.600
8.	हरियाणा	0.607
9.	हिमाचल प्रदेश	0.428
10.	जम्मू और कश्मीर	1.224
11.	झारखंड	2.832
12.	कर्नाटक	2.790
13.	केरल	1.710
14.	मध्य प्रदेश	8.260
15.	महाराष्ट्र	6.220
16.	मणिपुर	0.367
17.	मेघालय	0.062
18.	मिजोरम	0.338
19.	नागालैंड	0.119
20.	उड़ीसा	0.990
21.	पंजाब	1.488
22.	राजस्थान	0.753
23.	सिक्किम	0.117
24.	त्रिपुरा	0.348
25.	तमिलनाडु	0.815
26.	उत्तर प्रदेश	13.270
27.	उत्तरांचल	3.54
28.	पश्चिम बंगाल	2.070
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.082
30.	चंडीगढ़	0.111
31.	दमन और दीव	0.009
32.	दादरा और नगर हवेली	0.022
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1.710
34.	लक्षद्वीप	0.010
35.	पुडुचेरी	0.110
	कुल	71.199

[हिन्दी]

मेरूदंड तपेदिक के मामले

1047. श्री गोपीनाथ मुंडे:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री रमेश बैस:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री हरि मांझी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेरूदंड तपेदिक से ग्रस्त रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता लगाए गए ऐसे मामलों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मेरूदंड तपेदिक सहित तपेदिक के मामलों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु आबंटित और उपयोग की गई विधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मेरूदंड तपेदिक सहित तपेदिक के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक किस हद तक लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आ एन टी सी पी) के अंतर्गत मेरूदंड तपेदिक से ग्रस्त रोगियों की संख्या से संबंधित जानकारी का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) डायरेक्टली ओब्सर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स (डॉटस) के रूप में जाने वाले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी) जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति है, का पूरे देश में 100% केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी क्षय रोगियों को क्षय रोग रोधी औषधियों की पूर्ति सहित निदान एवं उपचार सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। गुणवत्ता वाले निदान के लिए, सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या के लिए तथा जनजातीय, पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या के लिए नामोद्दिष्ट सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी केन्द्रों की स्थापना की गई है। 12700 से अधिक सूक्ष्मदर्शी केन्द्रों की देश में स्थापना की गई है।

जहां तक मेरूदंड तपेदिक का संबंध है, अग्रिम जांचों के आधार पर निदान किया जाता है जो अधिकतर जिला अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध है।

उपचार केन्द्र (डॉट्स केन्द्र) सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी एच सी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) तथा उप-केन्द्रों में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, आर एन टी सी पी के अंतर्गत शामिल गैर सरकारी संगठन तथा निजी चिकित्सक (पी पी), सामुदायिक स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, महिला स्वसमूह इत्यादि भी डॉट प्रदायकों के रूप में कार्य करते हैं। औषधियां प्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत दी जाती हैं तथा रोग के उपचार पर निगरानी रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना उपचार पूरा करें।

आर एन टी सी पी के अंतर्गत वर्षों 2008-09, 2010-11 के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित एवं प्रयुक्त निधियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) तथा (ङ) आर एन टी सी पी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- नये स्पयूट्स पॉजिटिव (एन एस पी) रोगियों में कम से कम 85% की उपचार दर को प्राप्त करना एवं उसे बनाए रखना।
- समुदाय में अनुमानित एन एस पी मामलों के कम से कम 70% की रोगी जांच दर को प्राप्त करना एवं उसे बनाए रखना।

2010 में, नये स्पयूट्म पॉजिटिव (एन एस पी) की उपचार सफलता दर 87% थी तथा एन एस पी की रोगी जांच दर 72% थी।

विवरण

आर एन टी सी पी के अंतर्गत राज्यवार आबंटन एवं व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09 आबंटन	2008-09 व्यय	2009-10 आबंटन	2009-10 व्यय	2010-11 आबंटन	2010-11 व्यय	2011-12 आबंटन	2011-12 (27.07.2011) की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.76	11.74	22.10	19.56	26.33	39.47	51.83	14.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आंध्र प्रदेश	2068.79	1782.88	2149.20	2143.16	2258.40	2956.40	2317.35	138.27
3.	अरुणाचल प्रदेश	33.96	157.97	190.08	212.14	237.60	219.66	279.88	110.54
4.	असम	806.60	516.55	620.32	550.97	775.40	817.39	740.63	353.07
5.	बिहार	2262.15	1505.41	1444.03	1417.36	1597.50	1845.75	2270.83	572.06
6.	चंडीगढ़	19.38	85.70	75.59	74.55	87.81	98.73	110.91	30.05
7.	छत्तीसगढ़	575.52	567.05	790.50	565.13	830.00	660.60	1135	386.28
8.	दादरा और नगर हवेली	5.82	31.84	31.45	26.72	35.20	36.24	46	18.95
9.	दमन और दीव	3.87	11.30	22.03	17.11	24.65	25.59	32.64	10.47
10.	दिल्ली	310.17	1325.75	821.46	1630.28	941.68	2092.49	1196.11	1060.57
11.	गोवा	31.55	53.40	63.54	64.39	71.24	96.21	99.5	3.78
12.	गुजरात	1237.70	1509.41	1663.58	1906.13	1854.36	2086.70	1935.07	880
13.	हरियाणा	525.29	594.23	507.15	523.81	661.10	593.19	703.55	254.73
14.	हिमाचल प्रदेश	146.54	306.26	392.58	299.84	437.94	351.12	558.68	143.34
15.	जम्मू और कश्मीर	252.50	327.71	567.16	486.65	634.14	467.93	683.49	280.12
16.	झारखंड	757.00	623.00	832.30	720.11	874.00	741.38	998.73	50.7
17.	कर्नाटक	1267.01	1188.68	1333.12	1509.99	1486.96	1815.05	1939.53	770.8
18.	केरल	743.97	592.03	749.77	934.60	835.30	802.52	1102.17	440.72
19.	लक्षद्वीप	1.94	3.44	22.05	12.41	24.67	10.54	27.18	9.25
20.	मध्य प्रदेश	1485.69	1269.16	1514.40	1574.45	1689.73	1379.52	1942.96	794.44
21.	महाराष्ट्र	2367.19	2816.73	2863.78	3024.30	3195.51	3307.63	4000.11	1615.35
22.	मणिपुर	76.42	187.15	204.32	213.74	255.40	268.43	265.19	116
23.	मेघालय	73.58	113.07	157.28	142.54	196.60	161.05	159.67	67.1
24.	मिजोरम	28.30	123.80	107.04	112.16	133.80	127.33	162.03	63.13
25.	नागालैंड	67.92	163.95	168.00	217.33	210.00	190.73	204.98	97.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उड़ीसा	1008.47	892.38	1225.60	728.50	1287.05	1101.42	1481.07	512.72
27.	पुडुचेरी	19.38	21.32	45.62	52.54	52.66	86.35	111.37	25.12
28.	पंजाब	588.42	613.93	751.83	679.03	839.10	735.86	955.5	329.86
29.	राजस्थान	1406.78	1117.03	1548.64	1540.76	1727.64	1575.27	1927.51	597.57
30.	सिक्किम	16.99	67.49	64.64	47.08	80.80	92.43	75.25	27.5
31.	तमिलनाडु	1460.90	1367.64	1651.61	1552.88	1841.55	1327.86	1627.12	815.65
32.	त्रिपुरा	96.23	77.73	88.32	104.04	110.40	122.98	112.37	28.84
33.	उत्तर प्रदेश	4278.22	4547.30	4794.70	4390.83	5594.22	4729.89	5738	2690.31
34.	उत्तराखंड	235.91	255.14	325.70	297.16	342.00	410.73	433	81.74
35.	पश्चिम बंगाल	1932.08	2054.51	2015.51	2057.32	2249.26	2375.52	2674.79	1044.16
	कुल	26200.00	26882.68	29825.00	29849.57	33500.00	33749.96	38100.00	14435.54
	मुख्यालय	1300.00	1107.29	1400.00	1352.36	1500.00	1244.84	1900.00	692.94
	महायोग	27500.00	27989.97	31225.00	31201.93	35000.00	34994.80	40000.00	15128.48

को/ 513-14

गुजरात में राजस्व और अनुदान

1048. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) राजस्व संग्रहण के संबंध में राज्यवार जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) एवं (ग) चूंकि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है; अतः इस मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

[अनुवाद] 5-13-15

बीपीएल परिवारों के लिए योजना

1049. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में शत-प्रतिशत राजसहायता से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल; परिवारों के लिए एकल प्रकाश व्यवस्था योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो असम सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से लाभान्वित हुए बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा 100% सब्सिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए एक पृथक विशिष्ट एकल रोशनी स्कीम आरंभ नहीं की गई है। तथापि, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम में, पूर्व-निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन, मंत्रालय से 100% सहायता के साथ बीपीएल परिवारों के लिए एक रोशनी कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान विद्यमान है। आरवीई कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न परियोजनाओं में शामिल, बीपीएल परिवारों सहित, परिवारों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	असम	512
2.	कर्नाटक	1,402
3.	मध्य प्रदेश	16,989
4.	उड़ीसा	2,804
5.	तमिलनाडु	610
6.	उत्तर प्रदेश	2787

[हिन्दी]

515-16

एन.एस.टी.एफ.डी.सी.

1050. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) के माध्यम से जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा, क्या है; और

(ग) उक्त सहायता से चलाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम उड़ीसा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारिता निगम लि. (ओएसएफडीसी) के माध्यम से ओडिशा राज्य में अनुसूचित जनजातियों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) ओएसएफडीसी के संबंध में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृतियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
2008-09	शून्य
2009-10	282.80
2010-11	शून्य
2011-12 (131.07.2011 तक)	शून्य

2008-09 तथा 2010-11 के दौरान ओएसएफडीसी ने कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ग) ओएसएफडीसी को दी गई वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जो उत्तर के भाग (ख) में दर्शाई गई हैं:

1. लघु उद्यम इकाइयां
2. डीजल ऑटो
3. डीजल पिकअप वैन
4. डेरी
5. फल-सब्जी की नर्सरी
6. बकरी पालन

515-22

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

1051. श्री नारायण सिंह अमलाबे:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री शिवराज भैया:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत देश में मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के अंतर्गत प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कब तक निधियां प्रदान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत 576 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है, जिसमें 1,18499 गैर/र्निविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 3,54,967 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण तथा 2,46,45,017 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कनकेक्शन जारी करना शामिल हैं। आरजीजीवीवाई के तहत परियोजनाओं का विवरण राज्यवार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) आरजीजीवीवाई के चरण-II में 16 परियोजनाएं मध्य प्रदेश तथा 2 परियोजनाएं कर्नाटक सहित 32 परियोजनाएं जो बेंचमार्क लागत के संदर्भित लागत वाली परियोजनाएं थी उन पर विचार करने हेतु पहचान की गई थी। इन 32 परियोजनाओं का राज्यवार संलग्न विवरण-II में है। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर तथा हरियाणा के गुड़गांव एवं फरीदाबाद को छोड़कर सभी 23 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लि. में प्राप्त कर लिए गए हैं। ये परियोजनाएं जांच/विचाराधीन हैं, परियोजनाओं के लिए अनुमोदन के बाद ही निधि उपलब्ध करवाई जाएंगी।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण 15.07.2011 के अनुसार

(राशि करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं						
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	कवर किए गए अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	कवर किए गए विद्युतीकृत गांवों की संख्या	कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे	कुल स्वीकृत परियोजना की राशि	कुल सौंपी गई/संशोधित परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	26	22	0	27481	2592140	840.09	890.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	2129	1756	40810	537.69	925.55
3.	असम	23	23	8525	13330	991656	1659.99	2194.90
4.	बिहार	43	38	23211	6651	2762455	2975.89	4358.72
5.	छत्तीसगढ़	16	14	1132	16333	777165	1105.21	1157.65
6.	गुजरात	25	25	0	17934	955150	360.43	354.60
7.	हरियाणा	18	18	0	5985	224073	197.40	222.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	93	10666	12448	205.25	341.87
9.	जम्मू और कश्मीर	14	14	283	6050	136730	635.93	844.20
10.	झारखंड	22	22	19737	7622	1691797	2662.61	3301.50
11.	कर्नाटक	25	25	132	28191	891939	600.10	890.14
12.	केरल	7	7	0	630	56351	134.32	134.52
13.	मध्य प्रदेश	32	32	806	34094	1376242	1528.88	1775.72
14.	महाराष्ट्र	34	34	6	40292	1876391	713.44	819.65
15.	मणिपुर	9	9	882	1378	107369	357.79	380.03
16.	मेघालय	7	7	1943	3536	116447	290.41	441.99
17.	मिजोरम	8	8	137	570	27417	104.25	267.96
18.	नागालैंड	11	11	105	1152	69900	111.17	254.95
19.	उड़ीसा	32	30	17895	28992	3185863	3575.11	3608.41
20.	पंजाब	17	17	0	11840	148860	154.59	183.91
21.	राजस्थान	40	33	4454	34841	1750118	1254.49	1293.56
22.	सिक्किम	4	4	25	418	11458	57.10	148.91
23.	तमिलनाडु	26	26	0	12416	545511	447.41	447.41
24.	त्रिपुरा	4	4	160	642	194730	131.46	168.55
25.	उत्तर प्रदेश	64	65	30802	3287	1120648	2719.51	3813.92
26.	उत्तराखंड	13	13	1469	14105	281615	643.89	760.14
27.	पं. बंगाल	28	17	4573	24775	2699734	2344.63	2690.06
	योग	576	546	118499*	354967$	24645017#	26349.03	32672.03

* अनंतिम संशोधित कवरेज = 110321

$ अनंतिम संशोधित कवरेज = 349098

अनंतिम संशोधित कवरेज = 23059089

विवरण-II

आरजीजीवीवाई के द्वितीय चरण के विचारार्थ चिन्हित स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला का नाम
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	जशपुरनगर
2.		कोरिया
3.	हरियाणा	गुड़गांव
4.		फरीदाबाद
5.	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़ा
6.		उडुपी
7.	केरल	तिरूवनंथपुरम
8.		कोल्लम
9.		एरनाकुलम
10.		थ्रिसुर
11.		कोट्टायम
12.		अल्लपुझा
13.		पथानथिटा
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल
15.		रायसेन
16.		सिहोर
17.		होशंगाबाद
18.		विदिशा
19.		ग्वालियर
20.		रायगढ़
21.		मंदसौर
22.		निचम
23.		भिंड
24.		देवास
25.		बरवानी
26.		खारगौन
27.		खंडवा
28.		बुरहानुपर
29.		शाजापुर
30.	तमिलनाडु	धर्मापुरी
31.		तिरूनेवेली
32.		उद्गमंडलम

[अनुवाद]

बच्चों पर अवैध शराब का प्रभाव

1052. **श्री संजय दिना पाटील:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में निर्धन माता-पिता अपने बच्चों को दूध के बजाय अवैध शराब पिलाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बच्चों के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना या जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दूध एक पौष्टिक आहार है और अन्य खाद्य पदार्थों जैसे कि अनाज, दाल, सब्जियों एवं फलों के अल्प सेवन के साथ इसके अल्प सेवन से बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत सरकार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में तथा अन्य संवेदनशील वर्गों में कुपोषण की रोकथाम एवं नियंत्रण करने के

लिए अनेक कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर रही है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(1) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत संस्तुत आहार की मात्रा एवं वास्तविक आहार सेवन के बीच अंतराल को दूर करने के लिए संपूरक पोषण प्रदान किया जाता है। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टेक होम राशन और/या प्रात:कालीन नाश्ते एवं गर्म पके हुए भोजन के रूप में 500 के कैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। संपूरक पोषण के अलावा आईसीडीएस के अंतर्गत अन्य सेवाओं में स्कूली शिक्षा से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए रेफरल सेवाएं शामिल थीं।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों रक्ताल्पता एवं विटामिन ए की कमी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड एवं विटामिन ए सीरप दिया जाता है।

(3) शिशु एवं छोटे बच्चों में आहार पद्धतियों, जिसमें प्रथम छह माह तक केवल स्तनपान, छह माह की उम्र में उम्र के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित संपूरक आहर की शुरूआत करना तथा दो वर्ष या इसके बाद तक स्तनपान को जारी रखा शामिल है, को प्रोत्साहित करने का कार्य आशा सहित विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा किया जा रहा है।

(4) गंभीर एवं तीव्र कुपोषण मामलों में परिचर्या प्रदान करने के लिए जिला/तालुक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) की स्थापना की गई है।

(5) एएनएमएस, आशा एवं एडब्ल्यूडब्ल्यू की भागीदारी के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों में पौषणिक परामर्श एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रति माह ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित किए जाते हैं।

(6) भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें ग्रामीण, जनजातीय एवं शहरी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में असुरक्षित वर्गों के बीच घरेलू खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही हैं जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस)।

(7) हाल ही में 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (आरजीएसईएजी) नामत: सबला में सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है जिसमें 11-14 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा 15 से 18 वर्ष की सभी बालिकाओं के लिए पोषण शामिल हैं।

(8) एक और नई योजना इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) को गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण तथा जल्दी तथा जीवन के प्रथम छह माह तक केवल स्तनपान कराने के लिए सहायता के लिए एक समर्थ वातावरण प्रदान करने हेतु शुरू में 52 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

न्यायालयों में फंसे उत्पाद शुल्क संबंधी मामले

1053. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पाद शुल्क अपवंचन के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों में कितनी राशि फंसी हुई है;

(ख) विभिन्न न्यायाधिकरणों में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विवादित लंबित मामलों में फंसी राशि का न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पांच वर्षों से अधिक और पांच वर्ष से कम अवधि से न्यायालयों/न्यायधिकरणों में लंबित मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि का पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दबे उत्पादक शुल्क की शीघ्र वसूली हेतु सरकार की क्या योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

525

राजसहायता का प्रावधान

1054. श्री अशोक अर्गल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु राजसहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परियोजना-वार और राज्य-वार राशि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकारी सब्सिडी चूंकि नीतिगत मामला है, अत: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु बजट में यह आबंटित की जाती है। तथापि, असम गैस परियोजना को सब्सिडी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। विगत तीन वर्षों में असम गैस परियोजना (आयोजना और आयोजना-भिन्न देनों के अंतर्गत) आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

2008-09	2009-10	2010-11 (सं.अ.)	2011-12 (बं.अं.)
70.50	316.31	791.74	675.71

[अनुवाद]

525-27

सीबीडीटी और सीबीईसी में रिक्त पदों को भरना

1055. श्री अब्दुल रहमान:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अंतर्गत विभिन्न विभागों की कुल स्वीकृत और पदधारिता क्षमता क्या है;

(ख) क्या आयकर और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2010-11 के दौरान बकाया शुल्क का मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विभागों में रिक्त पदों को भरने और कार्य को सुचारू एवं सुकर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुलक बोर्ड (के.उ.शु.एवं सी.शु.बो.) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) के संबंध में स्वीकृत संख्या, पदधारिता संख्या और रिक्त स्थिति निम्नानुसार है:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

	स्वीकृत संख्या	कार्यकारी संख्या	रिक्त पद
समूह क	3075	2346	729
समूह ख	43819	34241	9578
समूह ग	26838	18550	8288

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

	स्वीकृत संख्या	कार्यकारी संख्या	रिक्त पद
समूह क	4430	3137	1293
समूह ख	8839	7968	871
समूह ग	44524	30357	14167

(ग) जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का संबंध है, समूह 'ख' से सहायक आयुक्त के ग्रेड में रिक्तियां एक फीडर कैडर में लंबित वरिष्ठता विवाद के कारण नहीं भरी जा सकीं। इसने उच्च ग्रेडों में नियमित पदोन्नति को भी प्रभावित किया है।

इसी प्रकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूचित किया है कि रिक्तियों के कारणों के साथ-साथ सीधी भर्ती हेतु आशुलिपिक संवर्ग में अनुपलब्धता और अभ्यर्थियों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया में समय लगा।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय उत्पादक शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित बकाया शुल्कों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कुल बकाया (रुपये करोड़ में)
वर्ष 2010-11 (31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)	
अप्रत्यक्ष कर	
केन्द्रीय उत्पादक शुल्क	31739.41
सीमा शुल्क	9679.51
सेवा कर	15470.7
कुल	56889.62
प्रत्यक्ष कर	
आयकर	157994
निगमित कर	90933
कुल	2,48,927

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड शीघ्र से शीघ्र रिक्तियों को भरे के लिए सतत मॉनीटर करता है। विभिन्न ग्रेडों में कई रिक्तियां हैं, जहां सभी पदों को भरने तक आंतरिक प्रबंधन द्वारा कार्य को अस्थायी रूप से प्रबंधित किया जाता है। विभिन्न पदों हेतु विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

सरकार ने गत तीन वर्षों में गंभीर प्रयास किए हैं और यथासंभव तंदर्भ आधार पर समूह 'क' में रिक्तियों को भरा है।

कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सी जी एल ई) 2010 के माध्यम से चयन अनुसार विभिन्न पदों हेतु कुल 1305 अभ्यार्थियों को प्रायोजित किया है। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) ने सीजीएलई, 2011 के द्वारा सीधी भर्ती हेतु 2472 रिक्तियां सूचित की हैं।

इसी तरह, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सीधी भर्ती हेतु कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया है। विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित रूप से बैठकें करके संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पदों को भरने व समूह 'क' में पदोन्नति हेतु कार्रवाई की जाती है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

1056. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता का स्रोत-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सभी स्रोतों से कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का प्रतिशत-वार और स्रोत वार ब्यौरा क्या है;

(घ) परम्परागत स्रोतों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता, स्रोत-वार प्रति मेगावाट लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्यवार और स्रोत-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) पूर्व में किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार देश के अधिकांश भागों के लिए सौर संग्राहकों से आच्छादित लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर के मुक्त, छाया रहित क्षेत्र पर विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 89,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभाव्यता अनुमानित की गई है जिसमें सौर ऊर्जा संभाव्यता शामिल नहीं है। इनके स्रोत-वार तथा राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 30.06.2011 की स्थिति के अनुसार कुल लगभग 20,556 मेवा. की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है जो देश में सभी स्रोतों से स्थापित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 11.5% है। स्रोत-वार वितरण निम्नानुसार है:

पवन	:	14551 मेगावाट (8.12%)
लघु पनबिजली	:	3105 मेगावाट (1.73%)
जैव विद्युत	:	2860 मेगावाट (1.60%)
सौर विद्युत	:	40 मेगावाट (0.02%)
कुल	:	20,558 मेगावाट (1.73%)

(ग) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में प्रति मेगावाट आरंभिक पूंजी निवेश सामान्यत: अधिक होता है और उनकी व्यवहार्यता अत्यंत क्षेत्र/स्थान विशिष्ट होती है। इसलिए अक्षय विद्युत उत्पादन का मूल्य भी पारंपरिक स्रोतों की तुलना में अधिक होता है। विभिन्न श्रेणी के अक्षय विद्युत संयंत्रों के लिए प्रति मेगावाट सांकेतिक आरंभिक पूंजी लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अक्षय विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता का राज्य-वार और स्रोत-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में अक्षय विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता का स्रोतवार और राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत (मेगावाट)	लघु पनबिजली (मेगावाट)	बायोमास विद्युत (मेगावाट)	खोई सहउत्पादन (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8968	560	578	300	123
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1329	8	0	
3.	असम	0	239	212	0	8
4.	बिहार	0	213	619	300	73
5.	छत्तीसगढ़	0	993	236	0	24
6.	गोवा	0	7	26	0	
7.	गुजरात	10645	197	1221	350	112
8.	हरियाणा	0	110	1333	350	24
9.	हिमाचल प्रदेश	0	2268	142	0	2
10.	जम्मू और कश्मीर	0	1418	43	0	
11.	झारखंड	0	209	90	0	10
12.	कर्नाटक	11531	748	1131	450	151
13.	केरल	1171	704	1044	0	36
14.	मध्य प्रदेश	1019	804	1364	0	78
15.	महाराष्ट्र	4584	733	1887	1250	287
16.	मणिपुर	0	109	13	0	2
17.	मेघालय	0	229	11	0	2
18.	मिजोरम	0	167	1	0	2
19.	नागालैंड	0	189	10	0	
20.	उड़ीसा	255	295	246	0	22

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	0	393	3172	300	45
22.	राजस्थान	4858	57	1039	0	62
23.	सिक्किम	0	266	2	0	
24.	तमिलनाडु	5530	660	1070	450	151
25.	त्रिपुरा	0	47	3	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	0	461	1617	1250	176
27.	उत्तराखंड	0	1577	24	0	5
28.	पश्चिम बंगाल	0	396	396	0	148
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	7	0	0	
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	
33.	दिल्ली	0	0	0	0	131
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	3
	अन्य (औद्योगिक अपशिष्ट)*				0	1022
	कुल	48561	15384	17536	5000	2705

* राज्यवार संभाव्यता उपलबध नहीं है।

विवरण-II

अक्षय विद्युत संयंत्रों की विभिन्न श्रेणियों की सांकेतिक आरंभिक पूंजी लागत

अक्षय विद्युत संयंत्र श्रेणी	पूंजी गत लागत (करोड़ रु./मेगावाट में)
1	2
लघु पनबिजली	7.00-8.00
पवन विद्युत	5.50-6.00
बायोमास विद्युत	4.50-5.00
खोई सहउत्पादन	4.30-5.00
शहरी/औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	4.00-12.00
सौर विद्युत	12.00-17.00

विवरण-III

विगत 3 वर्षों तथा वर्ष 2011-12 (30.06.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान अक्षय विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता का राज्य-वार और स्रोतवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत	लघु पनबिजली	बायोमास विद्युत	अपशिष्ट ऊर्जा	सौर विद्युत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	75.70	11.43	29.00	11.16	2.10
2.	अरुणाचल प्रदेश		33.60			0.03
3.	असम		4.0			
4.	बिहार		9.40	9.50		
5.	छत्तीसगढ़		1.00	95.60		
6.	गोवा					
7.	गुजरात	1006.53	8.60			11
8.	हरियाणा		7.40	28.00		
9.	हिमाचल प्रदेश		252.36	1.80		
10.	जम्मू और कश्मीर		17.50			
11.	झारखंड					
12.	कर्नाटक	716.25	319.35	102.90		
13.	केरल	24.60	51.25			0.03
14.	मध्य प्रदेश	88.20	15.00			0.10
15.	महाराष्ट्र	589.90	63.80	353.00	4.70	4.00
16.	मणिपुर					
17.	मेघालय					
18.	मिजोरम		19.00			
20.	उड़ीसा		32.00			1.00
21.	पंजाब		30.60	28.00		2.33
22.	राजस्थान	1081.40		94.50		7.65

1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम		13.00			
24.	तमिलनाडु	2210.80	6.85	197.70	1.40	6.05
25.	त्रिपुरा					
26.	उत्तर प्रदेश			407.00		0.34
27.	उत्तराखंड		29.00	10.00		0.05
28.	पश्चिम बंगाल			16.00		1.10
29.	अंडमान और निकोबार					0.18
30.	चंडीगढ़					
31.	दादरा और नगर हवेली					
32.	दमन और दीव					
33.	दिल्ली					2.14
34.	लक्षद्वीप					0.75
35.	पुडुचेरी					0.03
36.	अन्य					0.81
	कुल	5793.66	925.14	1373.00	17.26	46.63

जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट

1057. श्री एल. राजगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या के हाल के आकलन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर से तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को प्रोत्साहन देने का है जहां जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गए 2011 की जनगणना संबंधी अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए वर्ष 2001-2011 के दौरान प्रतिशतता दशकीय वृद्धि में आजादी के बाद से तीव्रतम गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2001-2011 के दौरान दशकीय वृद्धि घटकर 17.64 हो गई है जो 1991-2001 की अवधि के दौरान 21.54 थी। 1951-61 से विभिन्न दशकों के दौरान दशकीय वृद्धि दर का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

दशक	वृद्धि दर (%)
1951-1961	21.64
1961-1971	24.80
1971-1981	24.66
1981-1991	23.87
1991-2001	21.54
2001-2011	17.64

(ग) और (घ) राज्यों को प्रोत्साहन देने का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में देश में जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करने के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण का प्रावधान किया गया है। इस नीति में प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाते समय नागरिकों की स्वैच्छिक एवं सरकार की सोची-समक्षी पसंद और सहमति तथा परिवार नियोजन सेवाओं की प्रदानगी में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण को जारी रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है।

[हिन्दी]

महिला सशक्तीकरण योजना हेतु नाबार्ड की निधि

1058. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की महिला सशक्तीकरण/कल्याण योजनाओं के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए निधियां जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी निधियों को जारी करने के क्या मानदंड हैं;

(घ) ऐसी जारी निधियों के लाभार्थियों का मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) निर्धन वर्ग, विशेषकर महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्गों, की वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न तौर-तरीकों के द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक अंशदान के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि (एमएफडीएफ) का सृजन किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 40:40:20 के अनुपात में निधीयन किया जाना है। भारत सरकार ने तब से एमडीएफडी को एमएफडीईएफ (सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी निधि) में पुन: नामोद्दिष्ट किया था और इसका कार्पस 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया था तथा जिसका पूर्ण: अंशदान पणधारियों द्वारा किया गया। बजट 2010-11 में निधि का कार्पस बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इस निधि का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए क्या जाता है जैसे (i) क्षमता निर्माण (ii) जागरुकता सह-पुनश्चर्या कार्यक्रम (iii) एक्सपोजर एवं फील्ड के दौरे (iv) सूक्ष्म उद्यम कार्यक्रम।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के तहत् विगत तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम राज्य-वार

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	उपयोग में लाया गया बजट	कवर किए गए सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या बजट	उपयोग में लाया गया की संख्या	कवर किए गए सहभागियों बजट	कार्यक्रमों की संख्या की संख्या	उपयोग में लाया गया	कवर किए गए सहभागियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हिमाचल प्रदेश	5	93180	145	2	13400	60	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	राजस्थान	12	256412	277	47	1157585	1320	80	1564276	2238
3.	पंजाब				22	618650	697	8	248000	256
4.	हरियाणा	4	79000		43	6491193	925	35	302549	923
5.	असम	50	265000	1506	49	1406400	1500	87	1145235	864
6.	त्रिपुरा				17	508474	598	26	729960	714
7.	मिजोरम				0	0	0	23	224755	630
8.	उड़ीसा	1	60000	60	125	2103309	3508	0	0	0
9.	बिहार				0	0	0	31	929980	960
10.	झारखंड	27	24000	360	0	0	0	5	164275	117
11.	पश्चिम बंगाल	9	224871	556	192	3896166	5749	213	4492389	6808
12.	मध्य प्रदेश	8	204900	60	2	60000	81	19	378800	378
13.	छत्तीसगढ़	21	184500	646	166	1690522	5386	323	3218642	10168
14.	उत्तर प्रदेश	138	2493944	4159	67	1381745	2020	331	1931183	2200
15.	उत्तराखंड				9	198120	262	2	32820	60
16.	गुजरात	16	410000	420	1	3000	52	41	953273	1192
17.	महाराष्ट्र	44	88200	107	21	298879	670	0	0	0
18.	कर्नाटक	58	456310	926	59	1271030	1916	56	1927798	1657
19.	आंध्र प्रदेश	37	427091	1047	288	5907680	7822	22	323274	476
20.	तमिलनाडु	85	1854161	2436	350	7739367	3769	263	5861594	7157
21.	केरल	49	596420	1325	70	777176	1978	41	454100	340
	कुल योग	564	7727989	14030	1530	29707696	38313	1606	24882903	37137

539-40

[अनुवाद]

कर अपवंचन को आपराधिक कृत्य बनाना

1059. चौधरी लाल सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कभी कर अपवंचन को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) एवं (ख) प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते हैं। तथापि, प्रत्यक्ष कर कानूनों में विभिन्न कर अपराधों के लिए कारावास की परिवर्ती अवधि नियत करने का प्रावधान निहित है। समुचित मामलों में इन प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजना चलाया जाता है।

5443

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत

1060. श्री रामसिंह राठवा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि प्रयोजन हेतु विद्युत की वार्षिक आवश्यकता के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से विद्युत की कमी हो गई है जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और) (ख) भारत के 17वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) में 11वीं योजना अर्थात 2011-12 के अंत तक उपयोग की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत ऊर्जा खपत से संबंधित विद्युत की भावी मांग का पूर्वानुमान शामिल है।

17वें ईपीएल अनुमानों के अनुसार, कृषि/सिंचाई हेतु बिजली की खपत वर्ष 2011-12 के लिए 152931 मिलियन यूनिट है। राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से बिजली की कमी में और अधिक वृद्धि हुई है जिससे कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है।

(घ) विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, कृषि सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को बिजली की आपूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य में संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटियों का होता है। भारत सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

सरकार द्वारा समग्र विद्युत आपूर्ति की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं इन कदमों में उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तेजी, चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की गहन निगरानी, वर्तमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर तथा गैस आधारित स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण, देश में उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग हेतु अंतर्राज्यीय और अंत:क्षेत्रीय पारेषण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा घरेलू कोयला आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।

इसके अतिरिक्त, सरकार के निपटारे के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों में रखी गई आबंटित विद्युत कृषि प्रचालन हेतु मांग सहित अपनी अनिवार्य और मौसम संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की जाती है।

विवरण

सिंचाई स्कीम/सिंचाई पम्पसेट द्वारा प्रस्तावित विद्युत ऊर्जा की खपत

(मिलियन यूनिट में)

राज्य	2011-12
1	2
दिल्ली	72
हरियाणा	10955
हिमाचल प्रदेश	93
जम्मू और कश्मीर	306
पंजाब	15699
राजस्थान	10081
उत्तर प्रदेश	9474
उत्तराखंड	836
चंडीगढ़	4
उप-जोड़ (उत्तर क्षेत्र)	47519
गोवा	34
गुजरात	16683
छत्तीसगढ़	2024
मध्य प्रदेश	10134
महाराष्ट्र	15764
दादरा और नगर हवेली	13
दमन और दीव	5
उप-जोड़ (पश्चिम क्षेत्र)	44657

5 44

1	2
आंध्र प्रदेश	26049
कर्नाटक	16099
केरल	384
तमिलनाडु	14082
लक्षद्वीप	0
पुडुचेरी	146
उप-जोड (दक्षिणी क्षेत्र)	56761
बिहार	1871
झारखंड	123
उड़ीसा	530
पश्चिम बंगाल	1227
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
सिक्किम	0
उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	3751
असम	88
मणिपुर	6
मेघालय	1
नागालैंड	0
त्रिपुरा	142
अरुणाचल और प्रदेश	0
मिजोरम	6
उप-जोड़ (पूर्वोत्तर)	243
द्वी	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
लक्षद्वीप	0
कुल (अखिल भारत)	152931

17वें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण के अनुसार

एम एम डी आर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत न्यायिक जांच

1061. श्री इज्यराज सिंह: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच न्यायालयों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दुर्घटना स्थल संबंधी जांच सहित गठित जांच न्यायालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जांचों में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) एवं (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

544-50

[हिन्दी]

विद्युत शुल्क

1062. श्री रामकिशुन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदान की जा रही दोहरी राजसहायता की मात्रा में कमी करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भी विद्युत शुल्क में वृद्धि करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता के बारे में सर्वेक्षण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता संबंधी सर्वेक्षण के पश्चात् विद्युत-शुल्क में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो कृषि प्रयोजन हेतु विद्युत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नीतियों में विद्युत वितरण कंपनियों में क्रॉस सब्सिडी के किसी प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है। क्रॉस सब्सिडी में वितरण कंपनी के क्षेत्र के भीतर दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं के व्यय पर एक श्रेणी के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की व्यवस्था है।

विद्युत अधिनयिम की धारा 61 में यह प्रावधान है कि टैरिफ निर्धारित करते समय उपयुक्त आयोग अन्य बातों के साथ-साथ इन कारकों "टैरिफ में उत्तरोत्तर विद्युत आपूर्ति की लागत परिलक्षित हो और साथ ही उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ढ़ंग से क्रॉस सब्सिडी कम हो" से निर्देशित होना चाहिए। इसके अलावा विद्युत अधिनियम, 2006 की धारा 62(3) में यह प्रावधान है कि "उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित करते समय विद्युत के किसी उपभोक्ता को अनुचित महत्व न दे लेकिन उपभोक्ता लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, किसी निर्दिष्ट अवधि में बिजली की कुल खपत अथवा आपूर्ति अपेक्षित होने पर अथवा किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति तथा प्रयोजन जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित हों।

भारत सरकार के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के संकल्प के तहत टैरिफ नीति अधिसूचित की थी। टैरिफ नीति के पैरा 8.3 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त सीमा तक सब्सिडी पर विचार कर सकता है। राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त मानी गई सीमा तक सब्सिडी दे सकती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी उपभोक्ताओं की गरीब श्रेणियों को सहायता देने के लिए देश के बाहर टैरिफ को क्रॉस सब्सिडाइज्ड करने की प्रणाली से अधिक अच्छा तरीका है। सब्सिडियों को प्रभावी रूप से और पारदर्शक रूप में लक्षित किया जाना चाहिए। क्रास-सब्सिडियों के विकल्प के रूप में, राज्य सरकार के पास विद्युत शुल्क प्रणाली के माध्यम से संसाधन जुटाने और केवल जरुरतमंद उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडियों का लाभ प्रदान करने का एक विकल्प विद्यमान है, सब्सिडी का प्रभावी रूप से लक्ष्य बनाने का यह अच्छा तरीका है।

इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति की लागत को टैरिफ द्वारा उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य विद्युत नियामक आयोग सितम्बर, 2005 तक रोड मैप अधिसूचित करेगा जिसका लक्ष्य होग कि टैरिफ 2010-2011 के अंत तक, आपूर्ति की औसत लागत का +20% हो। क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक कमी के दृष्टिकोण के आधार पर रोड मैप मध्यस्थ माइलस्टोन भी होंगे। संबंधित सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। उपयुक्त आयोग विद्युत अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अनुसार उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ निर्धारित करता है।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

टैरिफ डिजाइन: टैरिफ को सेवा लागत से जोड़ा जाना

यह व्यापक रूप से अभिज्ञात किया गया है कि विद्युत का यौक्ति एवं आर्थिक मूल्य निर्धारण ऊर्जा संरक्षण और भू-जल संसाधनों के स्थिर प्रयोग हेतु बड़े उपकरणों में से एक हो सकता है।

अधिनियम की धारा 61 (छ) की शर्तों के अनुसार उपयुक्त आयोग इस उद्देश्य से दिशानिर्देश होगा कि टैरिफ विद्युत की आपूर्ति लागत को कुशलता एवं दूरदर्शितापूर्ण तरीके के उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करे।

तदनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाएं जाएंगे:

1. राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ता जो 30 यूनिट प्रतिमाह के विनिर्दिष्ट स्तर से नीचे उपभोग करते हैं, को क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। उपभोक्ताओं के ऐसे नामित समूह के लिए टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत का कम से कम 50 प्रतिशत होगी। इस प्रावधान की पांच वर्ष के पश्चात् दोबारा जांच की जाएगी।

2. विद्युत आपूर्ति की लागत को टैरिफ द्वारा उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य विद्युत नियामक आयोग सितम्बर, 2005 तक रोड मैप अधिसूचित करेगा जिसका लक्ष्य होगा कि टैरिफ 2010-2011 के अंत तक, आपूर्ति की औसत लागत का +20% हो। क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक कमी के दृष्टिकोण के आधार पर रोड मैप मध्यस्थ माइलस्टोन भी होंगे।

उदाहरणार्थ यदि सेवा की औसत लागत वर्ष 2010-2011 के अंत में 3 रुपये प्रति यूनिट है तो उपरोक्त पैरा 1 में संदर्भित श्रेणियों को छोड़कर क्रॉस सब्सिडी वाली श्रेणियों के लिए टैरिफ 2.40 रुपये प्रति यूनिट से कम नहीं होनी चाहिए और किसी क्रॉस सब्सिडी वाली श्रेणियों के लिए यह 3.60 रुपये प्रति यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. कृषि उपयोग हेतु टैरिफ निर्धारित करते समय, संपोषित तरीके से भू-जल संसाधनों के प्रयोग की आवश्यकता के निर्देशों को भी आपूर्ति की औसत लागत के अतिरिक्त ध्यान में रखना होगा। कृषि उपयोग हेतु टैरिफ भू-जल की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए भू-जल तालिका की स्थिति के आधार पर राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्धारित की जा सकती है। अधिनियम की धारा 62 (3) प्रबंध करती है कि किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति टैरिफ अंतर के लिए मानदंड हो सकती है। उस क्षेत्र के गरीब किसानों को सहायता देने के लिए सब्सिडी के अधिकतम स्तर का विचार किया जा सकता है जहां भूजल स्तरों की देखरेख और सतत् भूजल प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन सिंचाई उद्देश्यों हेतु विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है।

4. उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए सब्सिडी की सीमा विभिन्न संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। किन्तु निशुल्क विद्युत का प्रावधान वांछनीय नहीं है क्योंकि यह विद्युत के व्यर्थ उपभोग को प्रोत्साहित करता है, इसके अलावा बहुत से मामलों में जल तालिका में कमी होती है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सिंचाई और पीने के पानी की कमी की परिहार्य समस्या पैदा होती है। इससे विद्युत की मांग में तीव्र वृद्धि होने की भी संभावना है जिससे वितरण नेटवर्क पर बल पड़ता है और इस प्रकार विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि उचित स्तर पर प्रयोगकर्ता शुल्क लगाएं जाएं। विद्युत की सब्सिडी प्राप्त दरों की अनुमति उपभोग के केवल पूर्व-अभिज्ञात स्तर तक ही दी जानी चाहिए जिसके बाद सेवा के की दक्ष लागत प्रदर्शित करने वाली टैरिफ उपभोक्ताओं से लिए जाने चाहिएं।

यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की गरीब श्रेणी को विद्युत की लागत का कुछ भाग ही प्रतिपूर्ति के रूप में देना चाहती है तो इस राशि को नकद अथवा किसी अन्य उपयुक्त तरीके से दिया जा सकता है। पूर्व-देय मीटरों के प्रयोग से भी ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का स्थानांतरण सुगम हो सकता है।

5. कृषि/ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में आपूर्ति की मीटरिंग पंचायत संस्थानों, प्रयोगकर्ता संगठनों, सहकारी समितियों आदि की भागेदारी से फ्रैंचाइजियों के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण के प्रबंध द्वारा प्रभावी तरीके से तथा उपभोक्ता की सुविधानुसार प्राप्त की जा सकती है। सीमित प्रयोग उपभोक्ताओं, जो सब्सिडी प्राप्त विद्युत के लिए पात्र हैं, के मामलों में मीटरिंग हेतु किफायती विकल्प के रूप में स्वयं बंद होने वाले भार नियंत्रकों (लोड लिमिटरों) को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

चिकित्सा उत्पादों का विज्ञापन

1063. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आक्रामक और भ्रामक प्रचार के माध्यम से विनिर्माताओं द्वारा अपने कतिपय स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों और औषधों को लोकप्रिय बनाये जाने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे दावों के सत्यापन और इन उत्पादों के विज्ञापनों के प्रमाणन हेतु किसी एजेंसी को नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे विनिर्माताओं/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिनके दावे भ्रामक पाए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ङ) कतिपय मामलों में औषध के भ्रामक विज्ञापनों तथा चमत्कारिक क्षमताएं रखने वाले तथाकथित उपचारों पर नियामक नियंत्रण को औषध और चमत्कारिक उपचार

(आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने हेतु उत्तरदायी है।

[अनुवाद]

काला धन रोकने के लिए कानून में संशोधन

1064. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काले धन की रोकथाम के लिए नया कानून बनाने या वर्तमान कानून में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) भारत में काले धन के सृजन, विदेशों में इसके गैर-कानूनी हस्तांतरण को रोकने तथा इसकी वसूली के लिए कानूनों को सुदृढ़ करने के तरीकों की जांच करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति अन्य बातों के साथ-साथ (क) और गैर कानूनी रूप से सृजित धन को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति घोषित करने; (ख) ऐसी परिसम्पत्तियों की जब्ती तथा वसूली के लिए कानून बनाने/संशोधित करने) और (ग) इसके अपराधियों के खिलाफ निवारक दंड की व्यवस्था करने सहित गैर-कानूनी तरीकों के माध्यम से काले धन के सृजन के संकट से निपटने के लिए विद्यमान कानूनी व प्रशासनिक ढांचे की जांच करेगी।

समिति सभी पणधारकों से परामर्श करेगी और अपनी रिपोर्ट छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

ईंधन मूल्य वृद्धि का थोक मूल्य सूचकांक पर प्रभाव

1065. **श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष जून में घोषित डीजल, केरोसीन और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई है; और

(ख) यदि, हां तो देश में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति की वृद्धि में ईंधन मूल्य वृद्धि का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) मई, 2011 की तुलना में जून, 2011 में डीजल, केरोसीन और रसोई गैस (एलपीजी) में हुई मूल्य वृद्धि (इनमें क्रमशः 2.28 प्रतिशत, 4.58 प्रतिशत और 3.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई) के सीधे असर के परिणामस्वरूप समग्र थोक मूल्य सूचकांक में 0.86 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई है। समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति एक अंक में बनी रही। विस्तृत सूचना नीचे सारणी में दी गई है:

वस्तुएं	भारांश (%)	डब्ल्यूपीआई मई 2011	डब्ल्यूपीआई जून-2011	सूचकांक में वृद्धि %	मुद्रास्फीति (वर्षानुवर्ष) मई-11 में	मुद्रास्फीति (वर्षानुवर्ष) जून-11 में
सभी वस्तुएं	100.00	151.7	153.0	0.86	9.06	9.44
एलपीजी	0.91	128.9	133.6	3.65	-	-
केरोसीन	0.74	135.3	141.5	4.58	-	-
डीजल	4.67	153.6	157.1	2.28	-	-

ऋण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड

1066. **श्री यशवीर सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और निजी कंपनियों को ऋण राशि संबंधी निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ बैंकों, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण की सीमा संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का उल्लंघन किया गया है और वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान कुछ निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किये;

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार और कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आरबीआई के मानदंडों की अनदेखी करने के क्या करण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के एक भाग के रूप में बैंकों के ऋण संबंधी सभी मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित कर दिया है और अब ये बैंकों की स्वयं की ऋण देने संबंधी नीतियों के अंतर्गत शासित होते हैं। बैंकों को अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीतयों को ध्यान में रखते हुए और अपनी वाणिज्यिक सूझबूझ और प्रत्येक मामले की "मेरिट" के अनुसार ऋण के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करना है।

(ख) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट से पता लगाया है कि इन बैंकों ने एकल ऋण "एक्सपोजर" सीमाओं का अतिक्रमण किया है। इनका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार से है:

भारतीय स्टेट बैंक

(रुपए करोड़ में)

कंपनी का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
	एक्सपोजर सीमा	अनुमोदन की सीमा	एक्सपोजर सीमा	अनुमोदन की सीमा	एक्सपोजर सीमा	अनुमोदन की सीमा
1	2	3	4	5	6	7
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	10,464	13,764	12,809	15,038	13,646	15,815
	10,771	14,130	12,959	14,223	14,072	15,820
			13,109	14,305	14,222	15,456
इंडियन आयल कॉर्पोरेशन	10,464	10,504	21,348	24,722	22,744	25,296
	17,441	20,241	21,598	24,131	23,453	25,004
	17,915	20,534	21,848	23,603	23,703	25,630
भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लि.			12,809	14,070	13,646	16,545
	-	-	12,959	14,154	14,072	16,571
			13,109	15,961	14,222	16,594
टाटा ग्रुप			43,196	43,484	-	-
			43,969	44,553		

बैंक ऑफ इंडिया

1	2	3	4	5	6	7
हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन			2,730	2,819	-	-
सिडबी					3,140	3,545

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि आपवादिक परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि बैंक, बोर्ड के अनुमोदन और ऋणी से अनुमति मिलने पर कि वह इस बात से सहमत है कि बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उपयुक्त प्रकटीकरण कर सकते हैं, ऋणी/समूह के संबंध में 5% तक, और पूंजीगत राशि का "एक्सपोजर" देने पर विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी] 553-55

किसानों को ऋण सुविधा

1067. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के केवल चालीस प्रतिशत किसानों बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करते हैं तथा शेष 60 प्रतिशत निजी साहूकारों के ऊपर निर्भर रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों से मनमानी दर पर ब्याज वसूल किए जाने हेतु निजी साहूकारों के विरुद्ध कार्यवाही की है/करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को निजी साहूकारों से बचाने के लिये उनके लिये संस्थागत वित्तपोषण का नेटवर्क बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) वर्ष 2010-11 के दौरान 3,75,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण के लक्ष्य के प्रति 4,46,779 करोड़ रुपए के कृषि ऋण दिए गए। वर्ष 2010-11 में, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 5.66 करोड़ कृषि खातों का वित्त-पोषण किया गया है। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 67.30 लाख कृषि खातों की बढ़ोतरी हुई है।

भारत सरकार ने किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलबध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि हेतु 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण उपलबध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्पर आदाता किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय पर अदा पर वापिस अदा करते हैं, को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

(ii) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 से यह ऋण प्रणाली शुरू हो गई है जो किसानों पर ऋण बोझ के कारण बंद हो गई थी।

(iii) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रु. तक के लघु ऋणों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इनसे मिलते-जुलते लोगों से "नौ ड्यूज" प्रमाणपत्र लेने की अपेक्षा को छोड़ दें और इसके बजाय उधारकर्ता से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करें।

(iv) आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 1,00,0000 रुपये तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/जमानती अपेक्षाओं को माफ कर दें।

(v) बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच का विस्तार ग्रामीण आबादी तक करने के लिए बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी

वाले ऐसे 73,000 गांवों की पहचान की है जिनमें मार्च, 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने मार्च, 2011 तक लगभग 29,000 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं और शेष गांवों को वर्ष 2011-12 के दौरान कवर किया जाना है।

(vi) आरबीआई के मौजूदा नीति के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन (i) टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों (49,999 तक की आबादी वाले) में और (ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। बैंकों के लिए केवल टीयर 1 और टीयर 2 केन्द्रों में ही शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एडीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्द्रों के लिए आबंटित करना चाहिए।

आयुष महाविद्यालय

1068. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक कितने आयुर्वेदिक, येग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्पोपैथी कालेजों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया था तथा उनमें क्या कमियां पाई गईं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कमियों के चलते कितने महाविद्यालयों की मान्यता रद्द की गई;

(घ) क्या सरकार का केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सी सी आई एम) द्वारा बनाए गए नियमों में छूट देने का कोई प्रस्ताव है ताकि इन कालेजों को पुन: खोला जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन): (क) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा का संचालन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का संचालन होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। मांग और प्राकृतिक चिकित्सा में शिक्षा को संचालित करने के लिए फिलहाल कोई अधिनियम नहीं है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 तथा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनिय, 1973 के अंतर्गत किसी कॉलेज अथवा संस्था को मान्यता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा चिकित्सा संस्था (जो स्वयं डिग्री प्रदान करती है) द्वारा प्रदत्त डिग्री को मान्यता देने का प्रावधान इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों अधिनियमों में क्रमश: वर्ष 2003 तथा 2002 में किए गए संशोधनों के अनुसार अब आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के नए कॉलेज खोलने के लिए अनुमति देने का प्रावधान है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनिम, 1970 में किए गए संशोधन के अनुसार वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा कॉलेजों को अनुमति देने के संबंध में धारा 13-ग भी जोड़ी गई है। इस समय 311 आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेज तथा 186 होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है और जिनके द्वारा प्रदत्त डिग्रियां मान्यता प्राप्त हैं और जो संबंधित अधिनियमों की द्वितीय अनुसूची में अधिसूचित हैं

(ख) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय अधिनियम, 1970 तथा होम्योपैथी केंद्रीय, अधिनियम, 1973 के उपबंधों अनुसार, विनियामक परिषदें कॉलेजों का निरीक्षण करती हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सीसीआईएम) तथा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (सीसीएच) द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या इस प्रकार है:

1. सीसीआईएम - 306 आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा कॉलेज

2. सीसीएच - होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज

जिन कॉलेजों में संबंधित अधिनियमों और विनियमों तथा मानकों/मापदंडों के पालन में कमियां पाई जाती हैं, उनके विरुद्ध आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13-क और एचपीसी अधिनियम की धारा 12-क के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) सरकार ने 3.8.2011 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान किसी कॉलेज की मान्यता समाप्त नहीं की है।

(घ) और (ङ) शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के दौरान लागू मानकों/मापदंडों में छूट देने का फिलहाल न तो कोई प्रस्ताव है और न ही सीसीआईएम द्वारा तैयार नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा अफवाहें फैलाया जाना

1069. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियों को अपने शेयर के दाम बढ़ाने के लिए अफवाहें फैलाते पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) कंपनियों द्वारा अपने शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए अफवाहें फैलाने का कोई मामला पूंजी बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपरोक्तानुसार भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों की सेवाएं लेना

1070. श्री एम.के. राघवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कार्यों के लिए सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी हां, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्तीय समावेशन योजना तथा विशेषीकृत क्षेत्रों जैसे आईटी परियोजनाओं, अनुषंगियों का विलयन तथा अभिग्रहण, बैंक का इतिहास प्रोजेक्ट, प्रबंधन लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आदि को सुकर करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को कार्य पर लगाया है। सेवानिवृत्त अधिकारी कान्ट्रेक्ट पर लगाए जाते हैं जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है तथा उनको बगैर वेतनवृद्धि के नियत वेतन दिया जाता है। इसक अलावा, एसबीआई ने सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड के अनुमोदन से विशेष क्षेत्रों में सेवा निवृत्त अधिकारियों की तैनाती के लिए एक नीति तैयार की है। इसके अलावा, उनको बैंक में किसी स्थाई रिक्ति/पद के प्रति तैनात नहीं किया जाता है।

(ग) सरकार ने 25 फरवरी, 2005 के पत्रप के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को प्रबंधकीय स्वायत्तता दी है। सेवानिवृत्ति तथा इसकी सेवा शर्तों सहित मानव संसाधन मुद्दों पर पीएसबी प्रबंधकीय स्वायत्तता पर इन दिशा दिर्नेशों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने पीएसबी में परामर्शदाताओं/सलाहकारों के रूप सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती पर 29 दिसम्बर, 2008 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पर्यटन नीति

1071. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के संवर्धन हेतु पर्यटन नीति तथा योजनाएं बनाने में विभिन्न राज्य सरकारों तथा हिस्सेदारों से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) उद्योग संगठनों, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद वर्ष 2002 में सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति तैयार की गई। पर्यटन नीति निम्न हेतु विस्तृत फ्रेमवर्क प्रदान करती है:

(i) राष्ट्रीय प्राथमिकता गतिविधि के रूप में पर्यटन विकास को अवस्थित करना और बनाए रखना।

(ii) पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाना और बनाए रखना।

(iii) भारत के विद्यमान पर्यटन उत्पादों को बेहतर बनाना और नए बाजारों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इनका विस्तार करना।

(iv) विश्वस्तरीय अवसंरचना तैयार करना; और

(v) सतत और प्रभावी मार्केटिंग योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।

पर्यटन मंत्रालय इस फ्रेमवर्क के आधार पर पर्यटन अवसंरचना, क्षमता निर्माण, अतुल्य भारत संवर्धनात्मक अभियानों को बेहतर बनाने, चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन, गोल्फ पर्यटन जैसे विभिन्न उत्कृष्ट उत्पादों के विकास हेतु कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

[हिन्दी] 559-

राजस्थान में विदेशी सहायता द्वारा केन्द्रीय योजनाएं

1072. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों से वित्त पोषित कितनी केन्द्रीय योजनाएं राजस्थान में समय से पीछे चले रही हैं; और

(ख) उनके कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) दो परियोजनाओं के संबंध में शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करने में आरंभिक विलंब हुआ था, नामत: (i) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करना, जिसका वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) ने किया था और (ii) राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना, जिसका वित्त पोषण जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने किया था। आईएफएडी परियोजना में विलंब विभिन्न चुनावों में निर्वाचन संबंधी आचार संहिता के लागू होने के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों एवं फील्ड स्तरीय गैर सरकारी संगठनों के चयन में विलंब के कारण हुआ था। जेआईसीए परियोजना में विलंब परामर्शदात्री घटक को अंतिम रूप देने तथा अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की नियुक्ति के कारण हुआ। तथापि, उपरोक्त समस्याएं पहले ही हल कर ली गई हैं। 559-61

राजस्थान हेतु ऋण माफी

1073. श्री भरत राम मेघवाल:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण समेकन तथा राहत निधि (डीसीआरएफ) योजना के तहत वर्ष 2008-09 में राजस्थान सरकार के लिए 308.70 करोड़ रुपए की ऋण माफी को संस्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या राज्य के लिए ऋण की माफी हेतु ऋण सीमा का निर्धारण करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नवीनतम आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने ऋण/माफी सीमा का निर्धारण करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम आंकड़ों पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) राजस्थान सरकार को वर्ष 2008-09 के लिए 308.70 करोड़ रुपए की अनंतिम ऋण माफी दी गई थी। राज्य के 2008-09 के बजट अनुमानों के अनुसार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की तुलना में इसके राजकोषीय घाटे का अनुपात 3.3 प्रतिशत अर्थात 3.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर था। राजस्थान सरकार को ऋण माफी की अंतिम पात्रता का पुन: आकलन राज्य की 2008-09 के वित्त लेखों की उपलब्धता के आधार पर किया गया था। जीएसडीपी की तुलना में राजकोषीय घाटा उस वर्ष के लिए निर्धारित औसत की तुलना में अधिक पाया गया था। अत: अनंतिम तौर पर दी गई ऋण माफी की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) बारहवें वित्त आयोग(टीएफसी) की सिफारिशों पर आधारित थी। ऋण समेकन और राहत सुविधा में (i) 31.03.2004 तक वित्त मंत्रालय से अनुबंधित केंद्रीय ऋणों तथा 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया केंद्रीय ऋणों को बीस वर्ष की नई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर समेकित करने तथा (ii) राज्यों को उनके राजकोषीय निष्पादन के आधार पर ऋण माफी देने की व्यवस्था है। डीसीआरएफ प्राप्त करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाना पूर्व शर्त थी।

ऋण राहत मुहैया कराने में समयांतर को कम करने के उद्देश्य से राज्यों का पिछले वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों में दर्शाए गए राजस्व घाटे के आधार पर अनंतिम ऋण माफी के लिए आकलन किया गया है ताकि किसी वर्ष के लिए दी गई राहत तुरंत ही अगले वर्ष उपलब्ध हो सके। आवश्यक समायोजन बाद में तब किया जाता है जब उस वर्ष के वित्त लेखे उपलब्ध हों।

डीसीआरएफ स्कीम 2005-06 से 2009-10 तक कार्यान्वित की गई थी। तेरहवां वित्त आयोग, जिसके अधिनिर्णय में 2010-11 से 2014-15 तक के वर्ष आते हैं, ने केवल उन दो राज्यों के ऋण समेकन की सिफारिश की है जिन्होंने तेरहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान समेकन का लाभ नहीं उठाया था, लेकिन शर्त यह है कि इन राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी विधान बना लिए हों।

(ग) से (च) किसी राज्य की वार्षिक निवल ऋण सीमा का निर्धारण अनुमानित जीएसडीपी तथा उस वर्ष के लिए निर्धारित एफडी/डीएसडीपी के आधार पर किया जाता है। डीसीआरएफ लाभ का आकलन करने के प्रयोजनार्थ, जीएसडीपी के अनुमानों में अनुवर्ती वृद्धि के फलस्वरूप राज्य के राजकोषीय निष्पादन का आकलन गलत हो सकता है।

राजस्थान सरकार ने आरंभ में अनुरोध किया था कि 308. 70 करोड़ रुपए की अनंतिम ऋण माफी को वर्ष 2008-09 के लिए राज्य के लिए राज्य के राजकोषीय निष्पादन का आकलन करते समय राज्य की राजस्व आय में गिना जाए। तदुपरांत, राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि वर्ष 2008-09 के लिए ऋण माफी हेतु पात्रता का आकलन करने के लिए उच्च संशोधित जीएसडीपी अनुमानों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए।

पहला मामला राज्य की राजस्व आय को कृत्रिम तरीके से अधिक दर्शाए जाने का है। दूसरे मामले में गलत तरीके से बेहतर निष्पादन दर्शाने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुपात के अनुप्रयोग में वर्ग को बदले जाने का है।

अत: राजस्थान सरकार द्वारा उठाई गई बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त के संबंध में राजस्थान सरकार को 12 जुलाई, 2010 और 15 जुलाई, 2011 को सलाह दी गई थी।

[अनुवाद] 561-62

आयातित खाद्य सामग्री की निगरानी

1074. श्री पी. लिंगम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान में भीषण भूकंप, यूरोप में ई-कोली जीवाणु द्वारा महामारी, शहद में एंटीबायोटिक का अपमिश्रण आदि हाल की कुछ घटनाओं के चलते आयातित खाद्य उत्पादों के संदूषित होने की संभावना बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में आयातित खाद्य मदों की निगरानी बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जापान में 11.3.2011 को आए भूकंप, यूरोपीय देशों में मई, 2011 के अंत में सूचित ई-कोली प्रकोप तथा शहद में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी को देखते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने निर्देश जारी किए हैं कि जापान से खाद्य पदार्थों, यूरोपीय संघ से नए उत्पादों तथा अन्य देशों में शहद के सभी नमूनों की 100% सैंपलिंग के आधार पर जांच की जानी है।

562-63

सौर ऊर्जा उत्पादन की जर्मन प्रौद्योगिकी

1075. श्री हंसराज गं. अहीर
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी का सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन के जर्मन तकनीक के सफल उपयोग के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही क्या सरकार ने जर्मनी द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीक के आधार पर देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारूख अब्दुल्ला): (क) से (घ) जर्मनी और विद्युत के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र है। कई जर्मन कंपनियां भारत में पहले से ही कार्य कर रही हैं। जर्मनी के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी को भारत में वाणिज्यिक परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पैराबोलिक सौर डिशों की प्रौद्योगिकी पर आधारित 16 घंटों के ताप भंडारण के साथ 1 मेगावाट सौर तापीय प्रोटोटाइप विद्युत संयंत्र के विकास, संस्थापना और परीक्षण हेतु वर्ल्ड रेन्युअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट (डब्ल्यूआरएसटी) माउंट आबू को एक शोध परियोजना अक्तूबर, 2010 में मंजूर की है जिसके सह-प्रधान अन्वेषक विजिटिंग जर्मन वैज्ञानिक, श्री डब्ल्यू शेफलर हैं। फ्रॉनहोफर सौर ऊर्जा संस्थान, फ्रेबर्ग, जर्मनी इस परियोजना में एक आधिकारिक भागीदार है। जर्मनी के संघीय पर्यावरण मंत्रालय (बीएमयू) द्वारा एक भारतीय उद्योग के साथ इस परियोजना का सह-वित्त पोषण किया

जा रहा है। इस परियोजना की अवधि 3 वर्षों की है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त होने की संभावना है।

564-19

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्र

1076. श्री निशिकांत दुबे:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही कितने प्रस्तावों को संस्वीकृत किया गया है;

(ङ) क्या सरकार इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को राज सहायता उपलब्ध कराती है;

(च) यदि हां, तो झारखंड सहित राज्य-वार वार्षिक रूप से कितनी राजसहायता प्रदान की जाती है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (छ) आई.सी.डी.एस. को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने लघु आंगनवाड़ी केंद्रों और 20,000 मांग-आधारित-आंगनवाड़ी केंद्रों सहित 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समय-समय पर दर्शाई गई आवश्यकताओं के आधार पर भारत सरकार ने अब तक 13.67 लाख आंगनवाड़ी क्षेत्र संस्वीकृत किए हैं। संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं है। आईसीडीएस केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसमें भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच व्यय की भागीदारी का अनुपात पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु पूरक पोषण कार्यक्रम सहित सरूभी घटकों के लिए 90:10 है और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए 50:50 एवं अन्य सभी घटकों के लिए 90:10 है। दरी, अलमारी, फर्नीचर, उपकरणों और वजन करने की मशीनों इत्यादि जैसी बुनियादी अवसंरचना के लिए एकमुश्त प्रावधान है। इसके अतिरिक्त औषधि किटों, स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों, आकस्मिक खर्च, लेखन-सामग्री और नम्य निधियों संबंधी लागत की पूर्ति के लिए भी इन्हें हर कार्य निधियां दी जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष में झारखंड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए सहायतानुदानों की राशि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उनका उपयोग संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों/ लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	91307
2.	अरुणाचल प्रदेश	6225
3.	असम	62153
4.	बिहार	91968
5.	छत्तीसगढ़	64390
6.	गोवा	1262
7.	गुजरात	50226
8.	हरियाणा	25699
9.	हिमाचल प्रदेश	18925
10.	जम्मू और कश्मीर	28577
11.	झारखंड	38296
12.	कर्नाटक	63377

1	2	3
13.	केरल	33115
14.	मध्य प्रदेश	90999
15.	महाराष्ट्र	110486
16.	मणिपुर	11510
17.	मेघालय	5115
18.	मिजोरम	1980
19.	नागालैंड	3455
20.	उड़ीसा	72873
21.	पंजाब	26656
22.	राजस्थान	61119
23.	सिक्किम	1233
24.	तमिलनाडु	54439
25.	त्रिपुरा	9906
26.	उत्तराचंल	23159
27.	उत्तर प्रदेश	187517
28.	पश्चिम बंगाल	117170
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	720
30.	चंडीगढ़	500
31.	दिल्ली	11150
32.	दमन और दीव	107
33.	दादरा और नगर हवेली	267
34.	लक्षद्वीप	107
35.	पुडुचेरी	788
	कुल योग	1366776

विवरण-I

आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में (30.06.2011 तक) जारी की गई निधियां और सूचित व्यय की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	27163.56	33101.35	34974.13	38787.19	34784.04	35544.83	6405.34	सूचना प्राप्त नहीं
2.	बिहार	17508.23	20764.15	28965.41	31936.06	24380.95	13155.65	5788.42	सूचना प्राप्त नहीं
3.	छत्तीसगढ़	8992.46	12051.94	14068.71	14051.59	11717.92	9252.353	3102.90	सूचना प्राप्त नहीं
4.	गोवा	406.56	633.18	816.47	827.87	802.74	802.05	341.46	सूचना प्राप्त नहीं
5.	गुजरात	16491.86	15596.07	15631.96	20852.35	18542.23	11863.21	3793.06	सूचना प्राप्त नहीं
6.	हरियाणा	8455.60	8798.38	7940.70	10813.28	10534.06	11760.06	2123.29	सूचना प्राप्त नहीं
7.	हिमाचल प्रदेश	8232.21	7159.69	7002.53	8175.08	8669.69	4405.61	1269.28	सूचना प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	जम्मू और कश्मीर	4557.80	8529.92	8282.34	8383.48	14470.74	4368.01	2037.73	सूचना प्राप्त नहीं
9.	झारखंड	9776.60	9851.86	12697.56	14210.21	17629.62	14923.35	3271.37	4318.76
10.	कर्नाटक	19473.26	22474.61	20579.49	22455.76	19039.59	25934.32	5087.40	सूचना प्राप्त नहीं
11.	केरल	15020.66	13726.91	14037.04	13939.26	12595.35	9952.02	2926.57	सूचना प्राप्त नहीं
12.	मध्य प्रदेश	29168.81	24141.32	19973.34	33876.48	30430.04	26445.14	7285.77	सूचना प्राप्त नहीं
13.	महाराष्ट्र	31996.55	27893.15	31780.80	46795.76	41719.66	16180.03	7360.38	सूचना प्राप्त नहीं
14.	उड़ीसा	16934.58	18081.79	22026.29	20363.01	21230.41	24121.61	5867.08	4968.18
15.	पंजाब	9125.15	8709.66	8779.45	10508.30	11704.90	12443.24	2538.68	सूचना प्राप्त नहीं
16.	राजस्थान	19486.76	20226.22	22254.95	20252.76	16803.64	15532.35	4964.65	सूचना प्राप्त नहीं
17.	तमिलनाडु	18163.08	17203.97	17653.51	23576.79	25965.27	14596.75	4902.54	सूचना प्राप्त नहीं
18.	उत्तराखंड	4627.72	3259.16	3596.44	5171.40	3762.59	5081.57	1093.71	1195.2
19.	उत्तर प्रदेश	54349.16	48226.21	50853.63	55257.16	48102.00	62027.87	12984.09	11816.16
20.	पश्चिम बंगाल	33616.96	33083.08	36739.78	36741.91	30419.35	32101.28	9981.60	सूचना प्राप्त नहीं
21.	दिल्ली	3885.71	3246.06	3137.32	2952.40	3584.50	3461.85	607.25	सूचना प्राप्त नहीं
22.	पुडुचेरी	332.37	254.44	222.47	303.84	355.54	350.62	213.70	सूचना प्राप्त नहीं
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	299.10	296.05	288.66	292.06	322.89	326.59	148.82	सूचना प्राप्त नहीं
24.	चंडीगढ़	250.94	232.44	252.29	252.29	240.87	240.87	320.50	सूचना प्राप्त नहीं
25.	दादरा और नगर हवेली	85.87	88.89	129.84	126.57	137.53	69.94	50.25	सूचना प्राप्त नहीं
26.	दमन और दीव	58.81	58.48	56.55	56.65	58.18	58.16	25.03	सूचना प्राप्त नहीं
27.	लक्षद्वीप	62.87	75.87	121.03	75.87	27.49	22.82	27.10	सूचना प्राप्त नहीं
28.	अरुणाचल प्रदेश	3395.68	2741.45	3122.59	3507.97	6321.28	3567.93	881.61	सूचना प्राप्त नहीं
29.	असम	26033.82	19677.98	23551.88	18713.10	35901.57	22078.69	4551.36	सूचना प्राप्त नहीं
30.	मणिपुर	2888.69	2966.4	3307.42	2464.68	3581.11	3720.66	907.32	सूचना प्राप्त नहीं
31.	मेघालय	1817.13	1586.44	2047.16	2505.69	2443.06	2400.38	542.64	सूचना प्राप्त नहीं
32.	मिजोरम	1603.55	1612.93	2081.27	1681.91	2293.96	2117.39	330.10	सूचना प्राप्त नहीं
33.	नागालैंड	2527.14	2504.40	2994.32	2499.13	2225.38	4539.71	518.37	सूचना प्राप्त नहीं
34.	सिक्किम	884.29	479.29	660.21	627.69	480.80	710.38	275.53	सूचना प्राप्त नहीं
35.	त्रिपुरा	2975.26	2808.10	7362.81	3290.20	8099.64	4266.00	843.69	सूचना प्राप्त नहीं
	जीवन बीमा निगम			691.80		742.00		0	
	कुल योग	400648.80	392141.84	430682.15	476325.75	470120.58	398423.29	103368.58	22298.30

546-72

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

1077. **श्री सी. राजेन्द्रन:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (पीएसयू) वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभाग-वार तथा पीएसयू-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों द्वारा ऐसी ऊर्जा के उपयोग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी हां। अक्षय ऊर्जा प्रणालियां-मुख्य रूप से सौर जल तापन और सौर प्रकाशवोल्टीय-अब अनेक सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों द्वारा प्रयोग की जा रही हैं।

(ख) मंत्रालय द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकारी विभागों तथा पीएसयू यूनिटों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में सहायता प्राप्त ऐसी प्रणालियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों नामत: रेलवे, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, रसायन एवं उर्वरक, अस्पतालों और बैंकों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें इन प्रणालियों की संस्थापना हेतु अच्छाइयों और आवश्यकताओं को विस्तार से बताया गया।
- विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सरकारी और पीएसयू प्रतिष्ठानों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ाने हेतु प्रावधान बनाए गए हैं।
- कुछ श्रेणी के भवनों में इन प्रणालियों की संस्थापना को अनिवार्य बनाने की दृष्टि से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यशील भवनों में सौर से चलने वाली जल तापन प्रणालियों की संस्थापना हेतु एक मॉडल विनियम/उप-नियम परिचालित किए गए हैं।
- सरकार द्वारा सौर पैसिव डिजाइन और वास्तुशिल्प आधारित सभी नए भवनों का निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया जो पारंपरिक ऊर्जा/बिजली के संरक्षण में सहायता कर सकते हैं।

विवरण

सरकारी विभागों और पीएसयू यूनिटों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियां

क्र.सं.	स्थान	प्रणालियां	
		सौर पीवी विद्युत संयंत्र	सौर जल तापन प्रणाली
1	2	3	4
क.	**एसएडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत**		
1.	संसद भवन, नई दिल्ली	80 किलोवाट	2000 एलपीडी
2.	राज भवन, जम्मू	20 किलोवाट	2000 एलपीडी
3.	राज भवन, श्रीनगर	20 किलोवाट	2000 एलपीडी
4.	राज भवन, पंजाब	45 किलोवाट	2000 एलपीडी
5.	राज भवन, कोलकाता	50 किलोवाट	4500 एलपीडी
6.	राज भवन, जयपुर	35 किलोवाट	4500 एलपीडी

1	2	3	4
7.	छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़	20 किलोवाट	
8.	पंजाब राज्य विधान सभा	20 किलोवाट	2000 एलपीडी
9.	पंजाब सिविल सचिवालय	12 किलोवाट	500 एलपीडी
10.	कलैक्टरेट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	4.5 किलोवाट	-
11.	कलैक्टरेट, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	4.5 किलोवाट	-
12.	कलैक्टरेट, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़	4.5 किलोवाट	-
13.	कलैक्टरेट, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	4.5 किलोवाट	-
14.	कलैक्टरेट, जिला सुरगुजा, छत्तीसगढ़	4.5 किलोवाट	-
ख.	**राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत-एसपीवी कार्यक्रम**		
15.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली	22.5 किलोवाट	-
16.	एनएचपीसी खंडवा, मध्य प्रदेश	20 किलोवाट	-
17.	एसईजेड कार्यालय, विशाखापट्नम	10 किलोवाट	-
18.	एसईजेड कार्यालय, नोएडा	100 किलोवाट	-
19.	एयर पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया, जसलमेर	100 किलोवाट	-
ग.	**राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत-सौर तापीय कार्यक्रम**		
20.	गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	-	50000 एलपीडी
21.	गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू	-	50000 एलपीडी
22.	शेरे-कश्मीर इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस, श्रीनगर	-	25000 एलपीडी
23.	इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, श्रीनगर	-	10000 एलपीडी
24.	जेके टूरिज्म, श्रीनगर	-	81000 एलपीडी
25.	पश्चिमी रेलवे, शोलापुर	-	6000 एलपीडी
26.	कोल्हापुर जिला परिषद, महाराष्ट्र	-	13200 एलपीडी
27.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, आइजोल	-	7100 एलपीडी

[हिन्दी]

निधियों का आबंटन

1078. श्री दारा सिंह चौहान: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातियों के लिए केन्द्रीय आबंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री महोदव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) नीति देश में अनुसूचति जनजाति जनसंख्या के अनुपात में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियों का आबंटन करती है।

(ख) वर्ष 2011-12 से, योजना आयोग ने जनजातीय उपयोजना के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण किया हैं टीएसपी के अंतर्गत योजना निधियों के चिह्नन को अलग करने के लिए कुल 28 मंत्रालयों/विभागों का पता लगाया गया है और निधियों के चिह्नन की तदनुरूपी प्रतिशतता सहित इन मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं योजना अयोग ने, अनुसूचित जनजातियों के हित में स्वैच्छिक आधार पर टीएसपी के अंतर्गत आबंटन प्रदान करने हेतु प्रयास करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के सदर्भ में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2011-12 के लिए टीएसपी के तहत योजना परिव्यय का मंत्रालय वार अंकन

मंत्रालय/विभाग	निधियों के अंकन की प्रतिशतता
1	2
दूरसंचार विभाग	0.25
वस्त्र मंत्रालय	1.20
जल संसाधन मंत्रालय	1.30
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	1.40
संस्कृति मंत्रालय	2.00
आयुष मंत्रालय	2.00
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2.40
पर्यटन मंत्रालय	2.50
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.50
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3.50
कृषि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3.60
खान मंत्रालय	4.00
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6.70
उच्च शिक्षा विभाग	7.50
कृषि एवं सहयोग विभाग	8.00
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय	8.20
कोयला मंत्रालय	8.20
युवा कार्य विभाग	8.20
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	8.00
पंचायती राज मंत्रालय	8.20
खेल विभाग	8.20
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.20
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.20
भूमि संसाधन विभाग	10.00
पेयजल एवं स्वचछता विभाग	10.00
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10.70
ग्रामीण विकास विभाग	17.50
जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00

[अनुवाद]

मुकदमेबाजी में फंसी कर राशि

1079. **श्री नलिन कुमार कटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार मुकदमेबाजी में फंसी कर की धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जहां तक प्रत्यक्ष कर का संबंध है, गत तीन वर्षों हेतु आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित मामलों में फंसी मांग और आयकर अपील अधिकरणों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय इत्यादि के समक्ष विवादित राशि संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक अप्रत्यक्ष कर का संबंध है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में क्षेत्राधिकार क्षेत्रवार निर्दिष्ट नहीं है। अतः क्षेत्रवार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कुल 57702.12 करोड़ रुपये मुकदमेबाजी में फंसे हैं।

(ख) सरकार के पक्ष में निर्णीत मामलों में ही वसूली का मुद्दा उठता है। तथापि जब कभी सरकार के पक्ष में मामलों का निर्णय होता है तब सरकारी एजेंसियों द्वारा विधि के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बकाया राशि वसूल करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों हेतु आयकर (अपील) के समक्ष अपील में फंसी क्षेत्रवार मांग और आयकर अपील अधिकार/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवादित राशि

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	आयकर आयुक्त (सीआईटी) (अपील) के समक्ष			आयकर अपील अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़	10,830	7,020	2,744	1,300	-452	1,140
2.	दिल्ली	23,529	29,429	50,982	1,262	527	4468
3.	जयपुर	4,871	1,298	1,542	140	91	141
4.	अहमदाबाद	3,651	11,855	6,093	1,399	5,567	2,958
5.	मुंबई	106,588	105,863	71,978	3,692	78,727	189,062
6.	पुणे	2,165	2,831	4,004	4,224	1,550	3,812
7.	नागपुर	178	215	835	213	278	292
8.	बंगलौर	5,391	15,249	8,421	3,801	2,247	1,404
9.	कोचीन (कोच्चि)	509	1,974	3,633	169	112	183
10.	चेन्नई	5,128	16,135	9,125	28	28	1,074

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	हैदराबाद	4,104	7,747	9,777	415	813	1,031
12.	भुवनेश्वर	669	378	1,629	87	95	103
13.	कोलकाता	19,067	4,111	5,317	235	19	448
14.	भोपाल	4,786	2,354	7,571	7	5	268
15.	लखनऊ	3,250	1,138	1,713	130	37	335
16.	कानपुर	2,975	9,554	4,230	37	184	290
17.	पटना	1,280	996	1,611	335	353	286
18.	गुवाहाटी	130	2,004	6,885	59	2	139
	कुल	199,101	220,148	198,088	17,533	91,087	207433

एमएसएमईएस को ऋण

1080. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उपलब्ध कराए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए ऋण का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) संस्वीकृत ऋणों की तुलना में ऐसे ऋणों की वसूली का क्या प्रतिशत है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं वर्ष 2008 से 2010 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को क्षेत्र (राज्य-वार) को बकाया ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को जो ऋण स्वीकृत किए जाने हैं उन ऋणों के आंकड़ों का मिलान भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है।

विवरण-I

कृषि क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम

बैंक का नाम	बकाया राशि		
	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	9,568	11,567	13,387
आंध्रा बैंक	6,834	9,173	10,369

1	2	3	4
बैंक ऑफ बड़ौदा	14,913	19,081	22,510
बैंक ऑफ इंडिया	16,284	18,256	22,096
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5,084	6,250	4,691
केनरा बैंक	20,144	25,051	29,656
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	13,644	17,984	20,111
कॉर्पोरेशन बैंक	4,323	6,175	5,513
देना बैंक	3,747	4,954	6,389
आई.डी.बी.आई बैंक लि.	7,904	12,746	15,523
इंडियन बैंक	7,838	9,144	11,048
इंडियन ओवरसीज बैंक	10,817	12,008	16,056
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	7,841	10,644	12,367
पंजाब एंड सिंध बैंक	2,899	5,063	5,993
पंजाब नेशनल बैंक	21,908	30,207	35,315
सिंडीकेट बैंक	11,079	13,120	14,746
यूको बैंक	11,239	14,309	11,643
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11,404	17,057	20,681
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3,344	4,085	5,708
विजया बैंक	4,251	5,376	4,969
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,95,065	2,52,251	2,88,746
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	4,538	5,317	7,315
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7,050	8,580	10,675
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	52,121	63,349	94,826
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3,343	3,942	
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3,839	4,123	5,378
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5,023	6,327	6,827
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2,926	3,351	5,580
भारतीय स्टेट बैंक समूह	78,840	94,989	1,30,601

विवरण-II

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण

(राशि करोड़ में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2008	2009	2010
1	2	3	4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1839.27	1839.27	3732.07
असम	1358.63	1715.77	2514.84
मेघालय	176.71	188.91	293.30
मिजोरम	11.75	46.71	111.34
अरुणाचल प्रदेश	69.27	99.21	156.58
नागालैंड	40.83	118.65	241.12
मणिपुर	59.42	68.78	109.35
त्रिपुरा	122.67	161.27	305.54
पूर्वी क्षेत्र	15464.84	20552.59	38319.99
बिहार	1344.93	1790.32	4610.07
झारखंड	1664.59	3312.52	5198.89
पश्चिम बंगाल	9653.66	11873.33	21809.06
उड़ीसा	2646.42	3407.91	6397.18
सिक्किम	91.10	96.62	159.28
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	64.14	71.89	145.52
मध्य क्षेत्र	19895.60	24067.88	39652.90
उत्तर प्रदेश	11327.32	12398.09	22577.52
उत्तराखंड	1295.62	1924.58	2700.07
मध्य प्रदेश	5305.58	7769.50	11110.73
छत्तीसगढ़	1967.08	1975.71	3264.59

1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	33461.08	42491.96	60467.26
दिल्ली	8974.48	14497.53	19016.73
पंजाब	9318.06	10507.23	14987.41
हरियाणा	5521.49	6179.45	9712.61
चंडीगढ़	1346.64	2088.48	2573.62
जम्मू और कश्मीर	635.75	744.97	1243.91
हिमाचल प्रदेश	1232.00	1291.04	2916.08
राजस्थान	6432.67	7183.25	10016.90
पश्चिम क्षेत्र	39816.30	51001.07	65248.65
गुजरात	10460.41	12216.11	16808.69
महाराष्ट्र	28603.82	37600.63	46447.46
दमन और दीव	37.91	80.97	81.01
गोवा	672.98	1055.02	1847.50
दादरा और नागर हवेली	41.19	48.35	64.00
दक्षिणी क्षेत्र	40660.40	50895.52	68898.09
आंध्र प्रदेश	10282.47	12664.95	16676.34
कर्नाटक	8799.30	11686.10	15845.47
लक्षद्वीप	2.26	2.39	4.53
तमिलनाडु	17091.73	20610.33	26983.61
केरल	4294.38	5770.68	9108.22
पुडुचेरी	190.25	161.09	279.92
सकल भारत	151137.48	191408.32	276318.97

583-85

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन

1081. **श्री विजय बहादुर सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान सार्वजनिक ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

558

(ग) क्या सरकार भारतीय सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी हेतु विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने वित्त मंत्रालय में एक मध्यवर्ती कार्यालय (मिडिल ऑफिस) की स्थापना की है जिसे एक पूर्ण विकसित प्रबंधन कार्यालय में इसे परिवर्तित किया जाना आसान हो सके। सरकार ने बजट भाषण 2011-12 में की गई घोषणा के अनुसरण में वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत का लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव किया है। संयुक्त कार्यान्वयन समिति के तहत एक उप-समूह का गठन किया गया है और प्रारूप विधान तैयार किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक को उसकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

1082. श्री सोमेन मित्राः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ अन्य देशों ने सहायता मुहैया करायी है;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध कराई गई सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही देश में ऐसी सहायता से कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की जा रही हैं; और

(ग) ऐसे विद्युत संयंत्रों से कितनी विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के साथ देश में निम्न विद्युत परियोजनाएं स्थापित हुई हैं-

क्र.सं.	परियोजना	क्रियान्वयन एजेंसी	देश/बहुपक्षीय एजेंसी	विदेशी सहायता (मिलियन)
1.	कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना	एनटीपीसी	फ्रांस	1540.93 एफएफ
2.	दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना	एनटीपीसी	जर्मनी	84.90 डीएम
3.	उरान कम्बाइंड साइकिल विद्युत परियोजना	एमईएसईबी	जर्मनी	310.00 डीएम
4.	असम गैस टरबाईन विद्युत परियोजना	नीपको	जापान	59373 जेवाई
5.	बेसिन ब्रिज गैस टरबाईन विद्युत परियोजना	टीएनईबी	जापान	11450 जेवाई
6.	गांधार गैस आधारित विद्युत परियोजना	एनटीपीसी	जापान	75183 जेवाई
7.	फरीदाबाद गैस आधारित विद्युत परियोजना	एनटीपीसी	जापान	23536 जेवाई
8.	अंता, ओरैया और कवास गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए मिश्रित ऋण	एनटीपीसी	विश्व बैंक	485.00 अमरीकी डॉलर

(ख) भाग (क) में वित्तीय सहायता के ब्यौरे दिए गए हैं। वर्तमान में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय सहायता से कोई गैस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना संस्थापित नहीं हुई है। उपर्युक्त उल्लिखित सभी परियोजनाएं पहले ही संस्थापित हो चुकी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

587-88

आर्थिक विकास

1083. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री जोस के. मणि:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री यशवंत सिन्हा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 और 2012-13 हेतु आर्थिक विकास का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथ ही प्राप्त की गई उपलब्धियों तथा कमियों के कारण, यदि कोई हो तो, का क्षेत्र-वार और आज की तिथि के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत सहित अविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर कितनी रही है;

(ग) क्या विकास में गिरावट का रूझान प्रकट हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश की विकास की रफ्तार को गति देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सरकार द्वारा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि के लिए कोई विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) द्वारा वर्ष 2011 और 2012 के लिए अनुमानित विकास दरें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रमश: 6.6 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत तथा भारत के लिए क्रमश: 8.2 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत हैं।

(ग) उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा भारत के लिए डब्ल्यूईओ द्वारा वर्ष 2012 के लिए अनुमानित विकास दरें 2011 के लिए अनुमानित विकास दरों से कम हैं। हालांकि वर्षानुवर्ष मामूली गिरावट का अनुमान लगाया गया है, फिर भी गिरावट का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने हाल के वर्षों में प्रतिचक्रीय फोकस के साथ सतत् आधार पर विवेकपूर्ण बृहत्-आर्थिक नीतियों को अपनाया है, विकास को बढ़ावा देने, उत्पाद एवं वित्तीय बाजारों के विकास हेतु संरचनागत उपायों को सुदृढ़ किया है तथा गरीबों की रखा के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करने के लिए सामाजिक व्यय में बढ़ोतरी की है।

589-92

पर्यटन का संवर्धन

1084. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री जयवंत गंगाराम आवले:
डॉ. निलेश नारायण राणे:
डॉ. महेश जोशी:
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:
श्री संजय निरूपम:
श्री के.पी. धनपालन:
योगी आदित्यनाथ:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
श्री देवेन्द्र नागपाल:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री अशोक कुमार रावत:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों सहित पर्यटक अवसंरचना के संवर्धन और विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त संस्वीकृत तथा अस्वीकृत प्रस्तावों की राज्य-वार तथा परियोजना संख्या क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य तथा परियोजना-वार संस्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उचित तथा समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई निगरानी तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने पर्यटन के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति अपनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित परियोजनाओं सहित पर्यटन परियोजनाओं का संवर्धन एवं विकास मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर और पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन के संवर्धन एवं विकास के लिए वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची और राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) पर्यटन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय सम्मेलनों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड में जाकर निरीक्षण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर भी करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय को राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ङ) और (च) पर्यटन के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को अपनाना मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय वृहत् राजस्व सृजक परियोजनाओं की योजना के माध्यम से पर्यटन के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को सहायता प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		कुल	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8	109.89	13	37.29	10	20.38	31	167.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	31.47	14	36.54	13	32.26	40	100.27
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	4	21.08	7	22.76	4	23.55	15	67.39
5.	बिहार	10	25.05	3	6.99	1	3.60	14	35.64
6.	चंडीगढ़	5	7.99	5	11.51	5	11.04	15	30.54
7.	छत्तीसगढ़	1	11.34	0	0.00	4	20.95	5	32.29
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24	0	0.00	0	0.00	3	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	दमन और दीव	1	0.12	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	1	0.15	9	44.91	5	9.75	15	54.81
11.	गोवा	2	43.14	2	17.00	3	12.78	7	72.92
12.	गुजरात	7	21.33	1	7.33	1	0.14	9	28.80
13.	हरियाणा	7	36.70	6	12.37	6	27.41	19	76.48
14.	हिमाचल प्रदेश	10	34.58	6	23.95	12	34.98	28	93.51
15.	जम्मू और कश्मीर	28	43.42	31	49.75	20	56.17	79	149.34
16.	झारखंड	0	0.00	3	0.25	5	7.56	8	7.81
17.	केरल	12	42.68	7	12.98	3	42.87	22	98.53
18.	कर्नाटक	4	42.73	13	42.42	2	8.59	19	93.74
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	3	41.10	2	5.01	3	11.30	8	57.41
21.	मणिपुर	9	29.44	9	27.14	8	39.40	26	95.98
22.	मेघालय	7	17.14	7	14.73	9	22.53	23	54.40
23.	मिजोरम	4	3.18	7	24.06	9	11.51	20	38.75
24.	मध्य प्रदेश	11	31.41	11	60.99	13	30.85	35	123.25
25.	नागालैंड	11	25.40	13	24.60	10	29.10	34	79.10
26.	उड़ीसा	6	41.15	9	23.69	6	20.29	21	85.13
27.	पुडुचेरी	4	2.52	3	5.57	3	50.26	10	58.35
28.	पंजाब	5	24.93	3	9.48	4	11.91	12	46.32
29.	राजस्थान	9	44.31	7	19.74	7	31.32	23	95.37
30.	सिक्किम	20	66.78	19	42.36	14	23.48	53	132.62
31.	तमिलनाडु	16	36.14	10	16.28	6	60.00	32	112.42
32.	त्रिपुरा	6	3.61	13	20.67	12	40.73	31	65.01
33.	उत्तर प्रदेश	6	38.40	6	21.90	14	27.85	26	88.15
34.	उत्तराखंड	2	44.68	1	0.55	8	29.78	11	75.01
35.	पश्चिम बंगाल	10	37.94	7	28.37	8	22.02	25	88.33
	कुल योग	245	960.04	247	671.19	228	774.36	720	2405.59

मुद्रास्फीति

1085. **श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री नीरज शेखर:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्रीमती जयश्री बेन पटेल:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री राकेश सिंह:
श्री रवनीत सिंह:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हुई है जिससे खाद्य मदों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी 2011 से आज तक क्षेत्र-वार दर्ज की गई मुद्रास्फीति की दर क्या रही है, साथ ही, मुद्रास्फीति में ऐसी वृद्धि का माह-वार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए क्या कड़े कदम अथवा नई पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) खाद्य मदों सहित 31 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का माह-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आरंभिक महीनों में मार्च, 2011 तक तेजी से गिरने के बाद, कीमतों में अब मुख्यत: खाद्य तेलों, चना, प्याज के मूल्य में हुई कुछ मौसमी बढ़ोतरी, मोटे अनाज, कपास और ऊर्जा मदों में हुई वृद्धि के चलते बढ़ोतरी हुई है।

(ग) आवश्यक वस्तओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं: चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) और प्याज पर आयात शुल्क शून्य कर दिया गया, गैर बासमती चावल, खाद्य तेलों (नारियल के तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (प्रति वर्ष अधिकतम 10000 टन की मात्रा तक काबुली चना और जैव दालों को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध, वायदा बाजार आयोग द्वारा वाल, उड़द तथा तूर के वायदा कारोबार को आस्थगित किया गया, दालों, धान और चावल के मामले मे स्टॉक सीमा संबंधी आदेशों को बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2011 तक किया गया, वित्त वर्ष में कुल 1000 मीट्रिक टन तक आयात करने के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत स्किप्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) का शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया, टीआरक्यू के तहत 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को शून्य शुल्क पर 30000 टन दूध पाउडर और 15000 टन दुग्ध वसा के आयात की अनुमति दी गई, कच्चे तेल पर सीमा शुल्क तथा पेट्रोल और डीजल पर आयात शुल्क में कटौती की गई। मौद्रिक नीति की समीक्षा के कार्य के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की क्षमता के अनुरूप मांग के स्तर को संतुलित करने के लिए पॉलिसी दरों में लगातार 11 बार वृद्धि करने के साथ-साथ संबंधित उपाय करने हेतु उचित कदम उठाए हैं ताकि कीमतें बढ़ने दिए बिना अर्थव्यवसथा के विकास की रफ्तार बनाए रखी जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक की 26 जुलाई, 2011 की हाल ही में घोषण के अनुसार रेपो दर और रिवर्स रिपो दर को संशोधित करके क्रमश: 8.0 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत कर दिया गया।

विवरण

जनवरी, 2011 से 31 आवश्यक वस्तुओं में व्याप्त मुद्रास्फीति (%)

वस्तएं	भरांश	जनवरी-11	फरवरी-11	मार्च-11	अप्रैल-11	मई-11	जून-11
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी वस्तुएं	100.00	9.47	9.54	9.68	9.74	9.06	9.44
सम्मिलित खाद्य	24.31	10.28	6.77	6.78	8.95	7.98	8.42

1	2	3	4	5	6	7	8
31 आवश्यक वस्तुएं	14.60	5.85	4.93	5.03	6.19	7.38	9.39
चावल	1.79	3.58	3.84	2.27	2.32	2.57	1.89
गेहूं	1.12	-3.79	-1.28	0.17	0.18	-0.12	-0.06
चना	0.33	0.19	8.74	8.52	5.98	5.27	9.78
अरहर	0.14	-27.52	-12.21	-9.40	-11.77	-16.01	-18.40
आलू	0.20	-13.80	-10.86	1.42	-1.09	0.00	-0.72
प्याज	0.18	129.07	5.17	4.55	6.01	10.29	15.38
चाय	0.11	1.12	0.35	7.05	10.64	-5.94	10.05
चीनी	1.74	-14.40	-15.43	-7.14	3.45	5.34	7.79
तेल, सरसों एवं रेपसीड	0.45	1.84	6.26	6.22	10.14	10.29	10.86
मूंगफली का तेल	0.30	9.95	9.37	8.44	12.39	14.03	13.46
नमक	0.05	-7.86	-2.60	-0.63	-4.38	-7.81	-7.81
वनस्पति	0.71	15.97	15.61	13.92	11.16	11.10	12.09
जवार	0.10	15.73	20.48	17.96	26.81	34.95	42.67
बाजरा	0.12	-0.34	1.61	2.94	9.40	14.43	7.83
मूंग	0.08	-14.34	-12.11	-16.39	-19.43	-22.27	-24.05
मसूर	0.06	-29.29	-25.02	-19.28	-22.33	-25.72	-26.00
उड़द	0.10	-10.95	-6.01	-1.53	-1.83	-6.35	-12.33
दूध	3.24	13.77	12.54	4.43	2.87	6.40	12.51
मछली-अंतर्देशीय	0.57	14.72	16.06	16.84	14.24	14.52	16.23
मांस	0.35	2.35	12.99	2.29	2.77	1.73	5.55
सूखी मिर्च	0.16	9.02	25.51	33.55	28.06	36.40	33.95
गेहूं का आटा	0.39	5.40	6.64	1.34	4.97	6.61	6.92
गुड़	0.08	-10.28	-15.37	-14.01	-8.98	-4.19	-0.53

1	2	3	4	5	6	7	8
तेल	0.10	14.09	15.73	21.97	23.41	24.89	26.00
कोकिंग कोयला	0.38	0.00	8.17	32.76	32.76	32.76	32.76
केरोसिन	0.74	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44	30.06
तैयार कपड़े/प्रसंस्करित	0.45	9.73	16.13	19.27	20.47	22.60	24.61
सूती कपड़े							
ग्रे क्लॉथ (विरंजित/अविरंजित)	0.11	14.95	12.85	16.00	17.96	15.29	14.76
रंगे गए/छपाई किए गए वस्त्र, सूती	0.13	15.89	19.49	22.84	24.31	21.16	21.96
धुलाई का साबुन	0.23	7.37	8.49	9.04	7.59	8.12	9.18
दियासलाई (माचिस की डिब्बिया)	0.09	-5.45	-6.36	-11.34	-13.03	-11.45	-11.45

एफआईआई निवेश

1086. **श्री दिनेश चन्द्र यादवः**
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंहः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा पूंजी बाजार में किया जा रहा पूंजी निवेश हाल के वर्षों में निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त एफआईआई द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान अलग-अलग कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त एफआईआई द्वारा कितने मूल्य के शेयर/बॉड बेचे गए: और

(घ) उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष उनके पूंजी निवेश पर किस दर से लाभांश दर्ज किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में पूंजी बाजारों में किए गए पूंजी निवेशों को मानीटर करता है। इसने सूचित किया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवल निवेश में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों (इक्विटी और ऋण) का ब्यौरा निम्नानुार है:

वर्ष	सकल क्रय (करोड़ रुपए)	सकल विक्रय (करोड़ रुपए)	निवल निवेश (करोड़ रुपए)
2008-09	614575.60	660386.30	-45810.80
2009-10	846438.00	703780.00	142658.00
2010-11	992598.70	846161.30	146438.10

(घ) सेबी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए पूंजी निवेशों पर लाभांश की दर मानीटर नहीं करता है।

599-600

काला धन संबंधी समिति

1087. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री राधा मोहन सिंह:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
चौधरी लाल सिंह:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काले धन को रोकने हेतु उच्च-स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी संरचना तथा विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) समिति द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्व में काले धन के संबंध में इसी प्रकार की समितियां गठित की थीं; और

(ङ) यदि हां, तो काले धन के संबंध में आज तक गठित समितियों, ऐसी समितियों द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) सरकार ने अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित की है ताकि भारत में काले धन के सृजन, उसके विदेश में अवैध अंतरण को रोकने एवं उसकी वसूली हेतु कानूनों को मजबूत बनाने के तरीकों की जांच की जा सके। समिति के सदस्यों में सदस्य (विधायन एवं कम्प्यूटरीकरण), के.प्र.क.बो., निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, महानिदेशक (मुद्रा), महा निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, संयुक्त सचिव सचिव (विदेश कर एवं कर अनुसंधान) के.प्र.क.बो., संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय, निदेशक, वित्त आसूचना एकक-भारत एवं आयकर आयुक्त (जांच), के.प्र.क.बो. शामिल हैं।

समिति अवैध माध्यमों से काले धन के पैदा होने के संकट से निपटने के लिए मौजूदा विधिक एवं प्रशासनिक ढांचे की जांच करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं (क) अवैध रूप से कमाए गए धन को राष्ट्रीय परिसंपत्ति घोषित करना; (ख) ऐसी परिसंपत्तियों की जब्ती एवं वसूली के लिए नियमों को अधिनियमित/संशोधित करना; तथा (ग) इसके दोषियों के खिलाफ निवारक दंड का प्रावधान करना।

समिति सभी पणधारकों से परामर्श करेगी तथा अपनी रिपोर्ट छह माह की अवधि के भीतर सौंपेगी।

(घ) सरकार द्वारा हाल में काले धन पर ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 600-02

चिकित्सकों की कमी

1088. **श्री शिवकुमार उदासी:**
श्री सी. शिवसामी:
श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री जगदम्बिका पाल:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री लालचन्द कटारिया:
योगी आदित्यनाथ:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
डॉ. तरुण मंडल:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य अर्थ-चिकित्सीय पेशेवरों की वर्तमान आवश्यकता की तुलना में कमी का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में चिकित्सक-जनसंख्या, नर्स-जनसंख्या तथा चिकित्सक-नर्स के अनुपात को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रत्येक वर्ष चिकित्सा तथा नर्सिंग महाविद्यालयों से कुल कितने चिकित्सक तथा नर्स पास होते हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक तथा नर्स-जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है तथा इस प्रयोजनार्थ एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है और विशेषतौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों का संवर्धन सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान आकलन के अनुसार डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात लगभग 1:2000 है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के छह लाख से अधिक चिकित्सक हैं। उसी प्रकार, नर्स: जनसंख्या का अनुपात 1:1130 है तथा डॉक्टर:नर्स का अनुपात 1:15 है।

(ग) वर्तमान में देश में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के शिक्षण के लिए 41,569 वार्षिक दाखिले वाले 335 मेडिकल कॉलेज हैं जो मौजूदा चिकित्सीय जनशक्ति में वृद्धि करते हैं। देश में नर्सों की वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता करीब 1.75 लाख प्रति वर्ष है।

(घ) और (ङ) विगत में केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मानव संसाधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए अनेक समितियां गठित कीं। इन सिफारिशों तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ परामर्श के आधार पर सरकार ने देश में और अधिक मेडिकल कॉलेजों एवं नर्सिंग संस्थाओं की स्थापना को सुसाध्य बनाने, सामान्यतौर पर डॉक्टर/नर्स-जनसंख्या के अनुपात को बेहतर करने तथा डॉक्टरों/नर्सों के वितरण में असंतुलन को भी दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राज्य सरकार के मेडिकल कालेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1350 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।
- अल्प-सेवित राज्यों में एम्स जैसे छह संस्थानों की स्थापना की जा रही है।
- दस राज्यों में 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं का उन्नयन।
- नए मेडिकल कालेज खोले जाने को समर्थ बनाने के लिए भूमि, बिस्तर क्षमता इत्यादि से संबंधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानकों/विनियमों को उदार बनाना।
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षक और छात्र के अनुपात 1:1 में छूट देकर 1:2 कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप और अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता हो सकेगी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर स्टाफ के नियोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेषज्ञों की कमी पर काबू पाने के लिए डॉक्टरों को बहुकौशल बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था, उन्नत आवास व्यवस्था।
- नर्सिंग सेवाओं के विकास की योजना में मौजूदा नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कालेजों में उन्नयन करने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

602–10

ऋणों की वसूली

1089. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक विशेष-रूप से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और औद्योगिक घरानों से ऋण की वसूली में समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख की स्थिति के अनुसार ऐसे चूककर्ताओं का बैंक-वार ब्यौरा क्या है जिनके पास एक करोड़ रुपए में अधिक की बकाया राशि हैं;

(ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अशोध्य ऋण का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे बकाया ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) क्या हाल ही में चूककर्ताओं के ऐसे बकाया ऋणों को माफ कर दिया/बट्टे खाते में डाल दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार अपने गोपनीय प्रयोग के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि वाले गैर-वाद दाखिल ऋणदाताओं की सूची जारी करता है। इसके अलावा, क्रेडिट इन्फारमेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) एक करोड़ और इससे अधिक की राशि के वाद-दाखिल खाते से संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव करता है। 30.09.2010 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एक करोड़ रुपए और अधिक की राशि के गैर-वाद दाखिल और वाद-दाखिल चूककर्ताओं का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि वाले चूककर्ताओं के तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं:

	गैर-वाद दाखिल खाते (आरबीआई को यथा सूचित) (30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार)		वाद-दाखिल खाते (सीआईबीआईएल वेबसाइट) (30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार)	
	लेखों की संख्या	धनराशि (करोड़ रु. में)	लेखों की संख्या	धनराशि (करोड़ रु. में)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1628	17,363	4063	34,558
निजी क्षेत्र के बैंक	592	4,447	1468	10,011

(घ) वित्तीय क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के सुधार करने, एनपीए में कमी लाने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने और एक अच्छा वसूली-वातावरण सृजित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकों ने समय के साथ-साथ विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ अनुप्रयोज्य आस्तियों के प्रावधानीकरण एवं वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने, चूक की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश, कॉर्पोरेट ऋण पुनर्निर्धारण एवं अन्य पुनर्निर्धारण योजनाएं, एक-बारगी निपटान योजनाएं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरटी) अधिनियम, 1993 आदि का अधिनियमन शामिल है। इन ठोस उपायों के कारण वर्ष 2009-10 और 2010-2011 में सरकारी बैंकों का एनपीए कम होकर क्रमश: 29,897 करोड़ रु. और 43,016 करोड़ रुपए हो गया है।

(ङ) और (च) हालांकि, बैंकों के पास अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए वसूली करने के विभिन्न माध्यम है, लेकिन बैंक वसूली के लिए विधिक कार्रवाई सहित सभी तरीकों को लागू करने के पश्चात अशोध्य-ऋणों को बट्टे खाते में डाल देते हैं और बैंकों पर प्रभारित आस्तियों का वसूलीयोग्य मूल्य शून्य हो जाता है। मार्च, 2009-2010 और 2011 को समाप्त वित्तीय वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशि निम्नानुसार है:

को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि (करोड़ रु. में)

	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11
सरकारी क्षेत्र के बैंक	7,217	10,966	17,292
निजी क्षेत्र के बैंक	5,740	7,667	2,936

विवरण-I

30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की धनराशि वाले चूककर्ताओं के गैर-वाद दाखिल खाते

(भारतीय रिजर्व बैंक को यथा सूचित)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नाम	खातों की संख्या	रुपए में धनराशि (करोड़ में)
1	2	3	4
I	**एसबीआई समूह**		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	317	4186.05
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	13	179.62
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	31	252.38
4.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	22	117.05
5.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	8	155.41
6.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	9	81.63
	एसबीआई समूह का कुल	400	4972.14
II	**राष्ट्रीयकृत बैंक**		
1.	इलाहाबाद बैंक	2	47.65
2.	आंध्रा बैंक	25	262.09
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	33	226.68
4.	बैंक ऑफ इंडिया	149	2304.74
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	54	270.88
6.	केनरा बैंक	98	704.60
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	125	787.49
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	28	235.79
9.	देना बैंक	33	277.36
10.	इंडियन बैंक	33	532.81
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	112	1533.95

1	2	3	4
12.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	72	906.97
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	21	150.64
14.	पंजाब नेशनल बैंक	83	756.10
15.	सिंडीकेट बैंक	70	694.02
16.	यूको बैंक	86	642.93
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	48	1123.95
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	118	380.48
19.	विजया बैंक	38	551.29
	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	1228	12390.42
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	1628	17362.56

विवरण-II

30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की धनराशि वाले चूककर्ताओं के वाद-दाखिल खाते

(जैसा कि सीबीआईएल की वेबसाइट पर 1 अगस्त, 2011 को उपलब्ध हुआ)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नाम	खातों की संख्या	रुपए में धनराशि (करोड़ में)
1	2	3	4
I	**एसबीआई समूह**		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	845	6003.05
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	48	450.46
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	55	293.58
4.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	56	242.92
5.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
6.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	106	716.22
	एसबीआई समूह का कुल	1110	7706.23
II	**राष्ट्रीयकृत बैंक**		
1.	इलाहाबाद बैंक	55	278.07

1	2	3	4
2.	आंध्रा बैंक	85	514.11
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	259	1340.59
4.	बैंक ऑफ इंडिया	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	188	1000.46
6.	केनरा बैंक	433	2825.85
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	759	3928.09
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
9.	देना बैंक	9	101.29
10.	इंडियन बैंक	336	11995.48
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	340	2032.82
12.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	150	816.56
14.	पंजाब नेशनल बैंक	222	
15.	सिंडीकेट बैंक	97	1544.77
16.	यूको बैंक	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
19.	विजया बैंक	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं	सीआईबीआईएल द्वारा प्राप्त नहीं
	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	2933	26851.89
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	4043	4043

डॉक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार

1090. **श्री प्रतापराव गणतपराव जाधव:**
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कुछ सरकारी अस्पतालों विशेषरूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने तथा दोषी डॉक्टरो को सजा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एम्स में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसे कुछ मामलों की सूचना मिली है लेकिन विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत सिद्ध नहीं हुई है। तथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सफदरजंग अस्पताल में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	पंजीकृत शिकायतों की संख्या
2008	06
2009	06
2010	06
2011	01

(ग) चूककर्ता डॉक्टरों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मिलावटी और समाप्त अवधि वाली औषधियां

1091. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**
श्री समीर भुजबल:
श्री वरुण गांधी:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री संजय निरूपम:
श्री कमल किशोर "कमांडो":
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में बड़ी संख्या में मिलावटी, घटिया और समाप्त वाली औषधियां बरामद हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के बरामद औषधियों के मूल्य और संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई को दर्शाते हुए तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई प्रौद्योगिकियां लाने, औषधि विनियामक तंत्र सुदृढ़ करने और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाने तथा ऐसे कार्यकलापों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों को कड़े दंड देने हेतु फास्ट ट्रैक न्यायिक व्यवस्था शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी औषधियों की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु कोई कृतिक बल गठित किया है और निदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में मिलावटी, घटिया और समाप्त अवधि वाली औषधियों के बारे में उपभोक्ताओं और दवा विक्रेताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय): (क) और (ख) जी हां। जाली, घटिया औषधियों के विनिर्माण और बिक्री संबंधी मामलों का राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है। जाली/घटिया औषधों के संबंध में राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा यथा उपलब्ध करवाई गई सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर तथा मियाद समाप्त औषधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। नई प्रौद्योगिकियों में लाकर औषध प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने बढ़ते हुए कार्यभार से निपटने के लिए केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में कार्मिक शक्ति के सुदृढ़ीकरण हेतु पहल की है। इन पदों को भरा जा रहा है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से संबद्ध मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, केरल के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नामोद्दिष्ट न्यायालय गठित कर दिए हैं।

(ङ) और (च) जाली, घटिया और मियाद समाप्त औषधियों के बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं:

(1) औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जारी और अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण के लिए कड़ी शास्तियों का प्रावधान किया गया था। कतिपय अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया।

(2) देश में जाली औषधों की आवाजाही का पता लगाने में सजग जन सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने पोल खोल (विसल ब्लोअर) स्कीम की घोषणा की है। इस नीति का ब्यौरा सीडीएससीओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(3) निरीक्षणालय स्टॉफ को निगरानी रखने तथा जांच/विश्लेषण के लिए औषधों के नमूने लेने हेतु अनुदेश दिए गए हैं ताकि देश में चल रही औषधों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा सके।

(4) राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी समय-समय पर अनुपालन किए जाने हेतु अपेक्षित कदमों के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेस में विज्ञापन देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे केवल कैशमीमो के बदले ही औषधें खरीदें।

विवरण-I

राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार विगत चार वर्षों के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या, अवमानक गुणवत्ता वाले घोषित किए गए नमूनों की संख्या, जाली घोषित किए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या, निर्णीत मामलों की संख्या, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या तथा जब्त औषधों के लगभग मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वर्ष	जांच किए गए नमूनों की संख्या	अवमानक गुणवत्ता वाले घोषित औषध नमूनों की संख्या	जाली/अपमिश्रित घोषित औषध नमूनों की संख्या	जाली/अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण बिक्री और वितरण के लिए शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	निर्णीत (पूर्ववर्ती स्तम्भ में यथो-लिखित) मामलों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त औषधों का लगभग मूल्य
1.	2008-09	45145	2597	157	220	11	133	157403667
2.	2009-10	39248	1942	117	138	6	147	100752807
3.	2010-11	49682	2372	95	167	9	72	12121783.24

विवरण-II

राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार विगत चार वर्षों के दौरान मियाद समाप्त औषधों के मामलों, जब्त मियाद समाप्त औषधों की मात्रा, गिरफ्तार लोगों की संख्या, जब्त औषधों का लगभग मूल्य, अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मियाद समाप्त औषधों के लिए शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या और निर्णीत (पूर्ववर्ती स्तंभ में यथोलिखित) मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण:

क्र.सं.	वर्ष	मियाद समाप्त औषधों के मामले	जब्त मियाद समाप्त औषध की मात्रा	गिरफ्तार लोगों की संख्या	निर्णती (पूर्ववती स्तंभ में यथोलिखित) मामलों की संख्या	मियाद समाप्त औषध के लिए शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	जब्त औषधों का लगभग मूल्य (रुपए में)
1.	2008-09	27	260	5	18	12	4071008
2.	2009-10	17	44	2	2	10	68150
3.	2010-11	32	67391	28	6	13	6583579

[हिन्दी] 615-18

स्वास्थ्य पर व्यय

1092. **डॉ. तरुण मंडल:**
श्री मधुसूदन यादव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के सरकार घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है;

(ख) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में उपर्युक्त अनुपात बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इस अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव समुचित उपचार के अभाव में मृत्यु को कतई बर्दाश्त नहीं करने के लिए योजना क्रियान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2011 के अनुसार वर्ष 2008 में चीन-4.3%, यू. एस.ए. 15.2%, मलेशिया-4.30% थाइलैंड-4.1% एवं श्रीलंका 4.1% के संबंध में स्वास्थ्य पर कुल व्यय के मुकाबले भारत में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशता हिस्सेदारी के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय 4.2% है। संलग्न विवरण में चुनिंदा देशों के लिए वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय को दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में स्वास्थ्य पर कुल व्यय 2006 में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 2008 में 4.2 प्रतिशत हो गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजनागत आबंटन में भी काफी वृद्धि हुई है और यह 2007-08 में 14363 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 26760 करोड़ रुपए हो गया।

(घ) और (ङ) सरकार ने लोगों को समुचित उपचार प्रदान करने की दृष्टि से जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए अनेक उपाए किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- जनसंख्या के विशेषतया गरीब एवं संवदेनशील वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी प्रभावी एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत। मिशन

में संपूर्ण देश को शामिल किया गया है। तथापि, इसमें विशेष ध्यान देने के लिए कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों एवं अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसरंचना वो 18 राज्यों की पहचान की गई है। इनमें अन्य राज्यों के अलावा पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं।

- संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाना।
- अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के जरिए विशेषीकृत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए निधियों का बढ़ा हुआ सार्वजनिक आबंटन।

विवरण

सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय

क्र.सं.	देश	2006	2007	2008
1	2	3	4	5
1.	यू एस ए	15.3	15.7	15.2
2.	जर्मनी	10.6	10.4	10.5
3.	फ्रांस	11.0	11.0	11.2
4.	कनाडा	10.0	10.1	9.8
5.	यू.के.	8.2	8.4	8.7
6.	ब्राजील	7.5	8.4	8.4
7.	मैक्सिको	6.6	5.9	5.9
8.	चीन	4.6	4.3	4.3
9.	मलेशिया	4.3	4.4	4.3
10.	इंडोनेशिया	2.5	2.2	2.3
11.	थाइलैंड	3.5	3.7	4.1
12.	पाकिस्तान	2.0	2.7	2.6
13.	श्रीलंका	4.2	4.2	4.1
14.	बांग्लादेश	3.2	3.4	3.3
15.	नेपाल	5.1	5.1	6.0
16.	भारत	3.6	4.1	4.2

स्रोत: वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के लिए विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी।

[अनुवाद]

618·32

कृषि ऋण

1093. श्री पूर्णमासी राम:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिल्ली सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र वार और बैंकवार दिए गए राजसहायता प्राप्त कृषि ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि ऋण पाने के लिए एक आवेदक को ऋण का पात्र होने के लिए विहित मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में उक्त बैंकों ने कृषि ऋण को वाणिज्यिक रियल इस्टेट क्षेत्र के ऋण में बदल दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित सब्सिडी-प्राप्त कृषि ऋणों की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	संवितरित ऋणों की राशि (करोड़ रु. में)		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
2008-09	94,147.87	62,642.72	156,790.59
2009-10	128,164.75	86,748.05	214,932.80
2010-11	74,344.21*	102,335.49	176,649.70

(*अनंतिम आंकड़े अभी भी संकलित किए जा रहे हैं)

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित पिछले तीन वर्षों के राज्यवार विवरण अनुबंध-1(क), (ख) एवं (ग) में दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्यवार विवरण नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) भारत सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रु. तक के अल्पावधि फसल ऋण 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता स्कीम वर्ष 2006-07 से क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार ऐसे किसानों को जो अपना ऋण तत्परता अर्थात समय से चुकाते हैं, वर्ष 2009-10 से अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। यह अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। इसे 2011-12 में बढ़ा कर 3% किया जा रहा है।

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं दिए गए ऋण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2008-09	2,80,00	3,01,682
2009-10	3,25,000	3,84,514
2010-11	3,75,000	4,46,778.98

इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है और दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सरकार फसल ऋणों के संवितरण की अनवरत आधार पर समीक्षा करती है। इसकी जिला स्तरीय बैंकर समिति (डीएलबीसी) के स्तर पर और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के स्तर पर भी नियमित समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2008-09 के लिए उत्पादन ऋण (फसल ऋण) हेतु राज्य वार/एजेंसी वार बुनियादी स्तरीय ऋण (जीएलसी)

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0	0	0
2.	नई दिल्ली	82	0	82
3.	हरियाणा	344177	117049	461226
4.	हिमाचल प्रदेश	17925	6855	24780
5.	जम्मू-कश्मीर	1671	2466	4137

1	2	3	4	5
6.	पंजाब	845747	124872	970619
7.	राजस्थान	272550	212302	484852
	उत्तरी क्षेत्र	1482152	463544	1945696
8.	अरुणाचल प्रदेश	0	133	133
9.	असम	353	12382	12735
10.	मणिपुर	0	7	7
11.	मेघालय	303	877	1180
12.	मिजोरम	75	415	490
13.	नागालैंड	157	68	225
14.	त्रिपुरा	52	2789	2841
15.	सिक्किम	207	0	207
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1147	16671	17818
16.	बिहार	31658	137566	169224
17.	झारखंड	0	14220	14220
18.	उड़ीसा	134685	39883	174568
19.	पश्चिमी बंगाल	83120	43095	126215
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	157	68	225
	पूर्वी क्षेत्र	249620	234832	484452
21.	मध्य प्रदेश	251053	148644	399697
22.	छत्तीसगढ़	56133	20791	76924
23.	उत्तर प्रदेश	204002	509540	713542
24.	उत्तरांचल	33326	9655	42981
	मध्य क्षेत्र	544514	688630	1233144
25.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
26.	दमन और दीव	0	0	0

1	2	3	4	5
27.	गुजरात	324693	73243	397936
28.	गोवा	125	0	125
29.	महाराष्ट्र	368267	28612	396879
	पश्चिमी क्षेत्र	693085	101855	794940
30.	आंध्र प्रदेश	184677	266377	451054
31.	कर्नाटक	268937	178606	447543
32.	केरल	441751	205237	646988
33.	लक्षद्वीप	0	0	0
34.	पुडुचेरी	1594	277	1871
35.	तमिलनाडु	155526	85240	240766
	दक्षिणी क्षेत्र	1052485	735737	1788222
	कुल	4023003	2241269	6264727

वर्ष 2009-10 के लिए उत्पादन ऋण (फसल ऋण) हेतु राज्य वार/एजेंसी वार बुनियादी स्तरीय ऋण (जीएलसी)

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0	0	0
2.	नई दिल्ली	88	0	88
3.	हरियाणा	457287	181183	638470
4.	हिमाचल प्रदेश	24736	7158	31894
5.	जम्मू-कश्मीर	1761	2919	4680
6.	पंजाब	1023252	144244	1167496
7.	राजस्थान	364839	301382	666221
8.	अरुणाचल प्रदेश	1871963	636886	2508849

1	2	3	4	5
9.	असम	0	163	163
10.	मणिपुर	327	7197	7524
11.	मेघालय	0	0	0
12.	मिजोरम	326	1482	1808
13.	नागालैंड	327	115	442
14.	त्रिपुरा	58	3152	3210
15.	सिक्किम	149	0	149
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1187	12111	13298
16.	बिहार	35250	166868	202118
17.	झारखंड	0	7893	7893
18.	उड़ीसा	251208	50728	301936
19.	पश्चिमी बंगाल	119918	51248	171166
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	271	0	271
	पूर्वी क्षेत्र	406647	276737	683384
21.	मध्य प्रदेश	387062	194367	581429
22.	छत्तीसगढ़	78927	22673	101600
23.	उत्तर प्रदेश	257098	601641	858739
24.	उत्तरांचल	41599	10486	52085
	मध्य क्षेत्र	764686	829167	1593853
25.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
26.	दमन और दीव	0	0	0
27.	गुजरात	396002	86943	482945
28.	गोवा	52	0	52
29.	महाराष्ट्र	731600	52409	784009

1	2	3	4	5
	पश्चिमी क्षेत्र	1127654	139352	1267006
30.	आंध्र प्रदेश	434651	413403	848054
31.	कर्नाटक	289624	247879	537503
32.	केरल	598083	302243	900326
33.	लक्षद्वीप	0	0	0
34.	पुडुचेरी	986	2724	3710
35.	तमिलनाडु	199088	119734	318822
	दक्षिणी क्षेत्र	1522432	1085983	2608415
	कुल	5694569	2980236	8674805

वर्ष 2010-11 के लिए उत्पादन ऋण (फसल ऋण) हेतु राज्य वार/एजेंसी वार बुनियादी स्तरीय ऋण (जीएलसी)

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़			0
2.	नई दिल्ली	58.37		58.37
3.	हरियाणा	500216	228323	728539
4.	हिमाचल प्रदेश	24903.35	14615.17	39518.52
5.	जम्मू-कश्मीर	62.82	7231	7293.82
6.	पंजाब	1091785.53	200900.26	1292685.79
7.	राजस्थान	556046.14	406823.54	962869.68
	उत्तर क्षेत्र	2173072.21	857892.97	3030965.18
8.	अरुणाचल प्रदेश	6	103.41	109.41
9.	असम	46.18	8857.12	8903.3
10.	मणिपुर	4.93	0	4.93
11.	मेघालय	1116.97	1304	2420.97

1	2	3	4	5
12.	मिजोरम	80.03	4063.56	4143.59
13.	नागालैंड	408.61	30.5	439.11
14.	त्रिपुरा	215.98	11715.36	11931.34
15.	सिक्किम	214.33	0	214.33
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2093.03	26073.95	28166.98
16.	बिहार	42189.21	173721.53	215910.74
17.	झारखंड	0	14077.18	14077.18
18.	उड़ीसा	284698.98	46666.79	331365.77
19.	पश्चिमी बंगाल	208664	89659	298323
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	74.73	0	74.73
	पूर्वी क्षेत्र	535626.92	324124.5	859751.42
21.	मध्य प्रदेश	574682.48	250280.99	824963.47
22.	छत्तीसगढ़	103319.99	34736.73	138056.72
23.	उत्तर प्रदेश	315361.7	687137.11	1002498.81
24.	उत्तरांचल	60689.25	10526.48	71515.73
	मध्य क्षेत्र	1054353.42	982681.31	2037034.73
25.	दादरा और नगर हवेली			0
26.	दमन और दीव	0	0	0
27.	गुजरात	423417.52	97302.27	520719.79
28.	गोवा	532.69	0	532.69
29.	महाराष्ट्र	829208.95	62547.6	891756.55
	पश्चिमी क्षेत्र	1253159.16	159849.87	1413009.03
30.	आंध्र प्रदेश	563112.45	500651.93	1063764.38
31.	कर्नाटक	384615.45	385316.05	769931.5

1	2	3	4	5
32.	केरल	166202.88	293667	458869.88
33.	लक्षद्वीप			0
34.	पुडुचेरी	1020.11	6268.62	7288.73
35.	तमिलनाडु	320468.78	244298.01	564766.79
	दक्षिणी क्षेत्र	1434419.67	1430201.6	2864621.28
	कुल	6452724.41	3780824.2	10233548.62

एंटीबायोटिक नीति

1084. **श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री सोनवणे प्रताप नारायण राव:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री बैजयंत पांडा:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एंटीबायोटिक्स के उपयोग को सीमित करके और युक्तिसंगत बनाकर औषधि रोधी संक्रमणों के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रारूप एंटीबायोटिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) दवा विक्रेताओं द्वारा सभी एंटिबायोटिक्स केवल डॉक्टर द्वारा लिखित ही बेचा जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) एंटिबायोटिक नीति को कग तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्धोपाध्याय): (क) से (घ) एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के संबंध में उपायों का मूल्यांकन करने, समीक्षा करने, इन्हें सुझाने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया है। कार्यदल ने अपनी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ एंटिबायोटिक्स की बिक्री को विनियमित करने जिससे नियत खुराक वाले सम्मिश्रणों की उपलब्धता की कमी आ सके, एंटिबायोटिक्स की तीसरी पीढ़ी के कलर कोडिंग तथा उनकी पहुंच को तृतीयक स्तरीय अस्पतालों तक ही सीमित रखने, मानकीकृत ए एस टी (एंटीमाइक्रोबियल संवेदनशीलता जांच) कार्यप्रणाली विज्ञान के विकास, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन के लिए विस्तृत मानक प्रचालन क्रियाविधियों के विकास तथा डॉक्टरों की रिपोर्टिंग एवं प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत एक अलग अनुसूची शामिल करने का सुझाव दिया है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत ऐसे उपबंध मौजूद हैं जिनमें यह अधिदेश है कि एंटिबायोटिक्स की बिक्री पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर एमपी) के नुस्खे पर की जाए।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1095. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
श्री जी. एम. सिद्देश्वर:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री हरीश चौधरी:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री राधे मोहन सिंह:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री राम सिंह राठवा:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां विद्युतीकरण किया गया है और जहां विद्युतीकरण किया जाना शेष है तथा कितने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों/घरों को बिजली प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान परियोजना वर्ष तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न राज्यों में स्वीकृत परियोजनाओं की तुलना में कुल जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरजीजीवीवाई का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में गैर-विद्युतीकृत गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 15.07.2011 तक 98,1714 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है और 167 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को बिजली के कनैक्शन उपलबध कराए गए हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत डीपीआर के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या और वे गांव जिनका विद्युतीकरण किया जाना है तथा उपलब्ध कराए गए बीपीएल कनेक्शनों की राज्य-वार कुल संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं हेतु राज्य-वार तथा वर्ष-वार जारी की गई निधियां संलग्न विवरण-III पर दी गई हैं।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के निष्पादन में कुछ राज्यों में मुख्यतः निम्नांकित कारणों से विलंब हुआ है:

(i) कुछ राज्यों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वन भूमि के लिए स्वीकृति में विलंब।

(ii) राज्यों के द्वारा 33/11 के वी सब-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।

(iii) टर्नकी ठेकों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध एजेंसियों का सीमित संख्या में होना।

(iv) कुछ राज्यों में रोड परमिट और रास्ते के बिलों के निर्गमन में विलंब।

(v) कुछ राज्यों में कमजोर अपर्याप्त अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन अवसंरचना।

(vi) कुछ राज्यों के द्वारा बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने में विलंब।

(vii) कुछ राज्यों के द्वारा ऑन लाईन सामग्रियों पर राज्य और स्थानीय करों को वेव करने के निर्णय में विलंब।

(viii) कुछ राज्यों में कठिन भू-भाग होने से।

(ङ) आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) भारत सरकार ने एक अन्तर-मंत्रालयी निगरानी समिति गठित की है जो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने तथा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती हैं।

(ii) राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए जिला समितियों के गठन की सलाह दी गई है। सभी राज्यों ने जिला समितियों के गठन को अधिसूचित किया है।

(iii) आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक के आयोजन करने हेतु मंत्रालय द्वारा राज्यों से अनुरोध किया गया है।

(iv) विद्युत मंत्रालय भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) सहमत कार्यक्रम के अनुसार योजना के तीव्र कार्यान्वयन हेतु सभी पणधारियों; संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें करती हैं।

(v) परियोजनाओं के तीव्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं का निष्पादन टर्नकी आधार पर किया गया है।

(vi) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्ता परक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत त्रि-स्तरीय नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है।

(vii) बीपीएल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अनुदान राशि दसवीं योजना की 1500/- रुपए से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना में 2200/- रुपए कर दी गयी है।

(viii) बेंचमार्क लागत मानकों को विद्युतीकरण के लिए और अधिक पुनरीक्षित कर दिया गया है।

विवरण-I

गैर-विद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सभी विद्युतीकृत किए जाने की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	संशोधित कवरेज	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (15.07.2011 तक)	15.07.2011 तक संचयी उपलब्धियां	गैर/निर्विधुतीकृत हेतु शेष गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2129	0	215	285	128	807	1322
3.	असम	8298	651	1198	3036	575	6594	1704
4.	बिहार	22485	3098	2584	1458	249	21230	1255
5.	छत्तीसगढ़	1076	50	48	38	74	249	827
6.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	109	0	0	13	4	30	79
9.	जम्मू और कश्मीर	249	46	22	39	7	120	129
10.	झारखंड	19134	4933	7088	2755	129	17310	1824
11.	कनार्टक	61	11	0	1	2	61	0
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	848	69	5	154	101	377	471
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मणिपुर	882	57	35	102	22	293	589
16.	मेघालय	1866	90	47	13	1	151	1715
17.	मिजोरम	137	0	0	31	23	59	78
18.	नागालैंड	105	0	14	38	12	69	36
19.	उड़ीसा	15000	1427	5870	4272	195	13382	1618
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	4322	158	773	1093	55	3872	450
22.	सिक्किम	25	0	0	14	3	23	2
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0		0
24.	त्रिपुरा	160	0	13	51	30	108	52
25.	उत्तर प्रदेश	27759	695	56	23	0	27759	0
26.	उत्तराखंड	1511	175	80	24	2	1511	0
27.	पश्चिम बंगाल	4169	596	326	63	0	4169	0
	कुल	110325	12056	18374	13503	1612	98174	12151

विवरण-II

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं को राज्यवार और वर्ष-वार जारी बीपीएल कनेक्शन

क्र.सं.	राज्य	संशोधित कवरेज	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (15.07.2011 तक)	15.07.2011 तक संचयी उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2700896	945368	566518	230839	31375	2635416
2.	अरुणाचल प्रदेश	40810	0	967	7203	6565	16737
3.	असम	983587	32718	189816	298092	55388	630159
4.	बिहार	2725282	474277	560985	486811	45490	1789588

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	छत्तीसगढ़	778075	75592	145990	142385	25812	459248	
6.	गुजरात	848398	116310	85931	364963	44057	744741	
7.	हरियाणा	224073	16930	69453	83902	0	183825	
8.	हिमाचल प्रदेश	12448	392	148	1047	2490	6667	
9.	झारखंड	1805317	243830	555289	211610	17310	1178468	
10.	जम्मू और कश्मीर	100296	3924	14163	4914	5988	36589	
11.	कर्नाटक	880199	226046	134949	35530	24382	808974	
12.	केरल	54614	3394	6131	1117	0	17238	
13.	मध्य प्रदेश	1378256	76026	75477	146457	95314	459732	
14.	महाराष्ट्र	1344087	145715	429026	322984	62249	1096664	
15.	मणिपुर	107369	2056	1640	3207	1429	10822	
16.	मेघालय	109478	1264	17832	9199	3728	35704	
17.	मिजोरम	27417	0	378	6807	2001	10508	
18.	नागालैंड	69899	0	4368	11693	3476	21278	
19.	उड़ीसा	3199270	144056	650678	1047598	114041	2343854	
20.	पंजाब	148860	0	19507	28637	0	48397	
21.	राजस्थान	1144590	237727	208695	178242	26118	983857	
22.	सिक्किम	11458	0	66	5155	1053	8240	
23.	त्रिपुरा	123037	0	22085	32610	7919	66890	
24.	तमिलनाडु	498883	296	383533	115044	10	498883	
25.	उत्तर प्रदेश	872372	251575	157263	16891	452	872372	
26.	उत्तराखंड	227523	50111	72382	17796	2253	227523	
27.	पश्चिम बंगाल	2645310	37181	345198	729119	154780	1521687	
	कुल	23061804	3084788	4718468	4539852	733680	16714061	

विवरण-III

15.07.2011 के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार वितरित की गई राशि करोड़ रुपये में*

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 के दौरान	2009-10 के दौरान	2010-11 के दौरान	2011-12 के दौरान (15.07.2011 के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	80.58	158.28	155.10	8.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	92.70	225.27	165.54	0.00
3.	असम	510.05	459.62	698.42	31.20
4.	बिहार	695.90	697.41	580.38	0.00
5.	छत्तीसगढ़	100.08	333.56	163.65	19.81
6.	गुजरात	52.38	94.32	76.80	0.00
7.	हरियाणा	37.10	60.67	21.27	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	79.28	122.46	59.90	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1068.58	750.48	161.89	0.00
10.	झारखंड	181.17	363.92	67.32	0.00
11.	कर्नाटक	68.10	67.60	62.92	25.83
12.	केरल	0.84	10.59	31.89	0.00
13.	मध्य प्रदेश	185.88	416.47	288.27	30.56
14.	महाराष्ट्र	139.53	200.77	162.08	24.60
15.	मणिपुर	39.36	63.17	95.95	25.21
16.	मेघालय	12.20	129.38	86.86	0.00
17.	मिजोरम	78.31	81.02	78.28	0.00
18.	नागालैंड	54.40	59.26	61.86	4.03
19.	उड़ीसा	994.65	998.65	605.74	29.85

1	2	3	4	5	6
20.	पंजाब	56.90	0.00	0.00	0.00
21.	राजस्थान	290.50	159.10	83.58	14.74
22.	सिक्किम	43.74	44.90	43.62	0.87
23.	त्रिपुरा	24.28	52.29	33.96	5.01
24.	तमिलनाडु	16.76	119.30	39.12	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	86.84	192.92	72.45	19.14
26.	उत्तराखंड	78.53	102.06	9.69	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	623.35	619.18	508.95	15.62
	कुल	5691.99	6582.65	4415.49	254.49

*इसमें 10% ऋण घटक भी शामिल है।

643-44

एमएमडीआर अधिनियम में चूना पत्थर को शमिल करना

1096. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री हरिन पाठक:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार से ताड़केश्वर (सूरत) गांव में मौजूदा लिग्नाइट खान पट्टे से चूना पत्थर खनिज हेतु खान और खनिज (विकास ऊर्जा विनियमन) अधिनियम 1957 एमएमडीआरके प्रावधानों के अंतर्गत चूना पत्थर खनिज को शामिल करने और गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) को छूट देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) खान मंत्रालय को 31.2.2009 को गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें सूरत जिले के ताड़केश्वर गांव में 964,44.01 हेक्टेयर क्षेत्र में चूनापत्थर हेतु खनन पट्टा मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम के पक्ष में देने के लिए खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम की धारा 6(1) (ख) से छूट का अनुरोध किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत खनिज रियायत प्रस्तावों की खान मंत्रालय द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और इसके तहत बनाए गए नियमों तथा दिशानिर्देशों के उपबंधों के आलोक में और जहां आवश्यक हो राज्य सरकारों तथा संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके की जांच की जाती है। इसलिए प्रस्तावों के निपटान के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

644-46

सीएसटी राजस्व में हानि हेतु राज्यों की क्षतिपूर्ति

1097. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री हरिन पाठक:
श्री सी.आर. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) में हानि हेतु राज्यों की क्षतिपूर्ति करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के बारे में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है तथा क्या राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए समुचित फार्मूला का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कब तक राज्यों को सीएसटी राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति जारी कर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव सीएसटी स्तर को पुन: कम कर 4 प्रतिशत करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय बिक्री कर (सीएमटी) हानि के लिए 10 राज्यों को 2411 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2011-11 के लिए केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के राजस्व की हानि के लिए राज्येां को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सुझाव दिया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 कें लिए देय क्षतिपूर्ति आकलित करने के लिए भी 2007-08 से 2009-10 के वित्तीय वर्षो हेतु केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति आकलन हेतु प्रयुक्त फार्मूले को ही अपनाया जाए।

(ङ) वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) राजस्व की हानि के लिए राज्यों की क्षतिपूर्ति देने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। अभी तक दी गई राशि के ब्यौरे अनुबंध-I पर हैं। राज्यों को पूरे वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अपने दावे और महालेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित राजस्व संग्रहण के आंकड़े भेजने के लिए कहा गया ताकि पूरे वित्तीय वर्ष के दावों का निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के राजस्व की हानि के लिए जारी की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	833.00
2.	छत्तीसगढ़	219.00
3.	दिल्ली	422.00
4.	हरियाणा	356.00
5.	झारखंड	93.00
6.	कर्नाटक	235.00
7.	उड़ीसा	118.00
8.	पुडुचेरी	56.00
9.	राजस्थान	48.00
10.	पश्चिम बंगाल	31.00
	कुल	2411.00

'ट्रॉमा केयर' केन्द्र

1098. श्री जगदीश शर्मा:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना के लिए योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 12वीं योजना के दौरान मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों, मुजफ्फरपुर सहित कतिपय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में विद्यमान ट्रॉमा केयर केन्द्रों का उन्नयन करने तथा कुछ नए अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाएं स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार चिह्नित मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना का कोई मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या हैं; और

(च) पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं की स्थापना के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) अभिघात परिचर्या सुविधाओं के लिए वर्ष 2007-08 में शुरू 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्गों के उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे, के आस-पास स्थित 140 चिह्नित सरकारी अस्पतालों में से संबद्ध राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर करने के बाद, 113 चिह्नित सरकारी अस्पतालों को चरणवारनिधियां जारी की गई हैं। 113 केन्द्रों में से 17 केन्द्र कार्यात्मक हैं (उत्तर प्रदेश-4, असम 1, गुजरात-3, हरियाणा-1, मध्य प्रदेश-2, महाराष्ट्र-1, पंजाब-2, तमिलनाडु-2 और उत्तर प्रदेश-2।

स्कीम के प्रावधानों के अनुसार मध्यावधिक मूल्यांकन के निष्कर्ष के आधार पर 12वीं योजना के दौरान पर्वतीय और पिछड़े जिलां सहित अभिघात परिचयी सुविधा के लिए चिह्नित किए जाने वाले अतिरिक्त 160 नए सरकारी अस्पताल होंगे। एस. के. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर ग्यारहवीं योजना में पहले से ही चिह्नित केन्द्रों (एल-II केन्द्र) में से एक है जहां वर्ष 2009-10 के दौरान निधियां (80 लाख रुपए) जारी की गई।

इस स्कीम का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

11वीं योजना अवधि के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में अभिघात परिचर्या सुविधाओं के लिए दस सरकारी चिकित्सा कॉलेज/जिला अस्पतालों को चिह्नित किया गया है तथा निधियां प्रदान की गई हैं।

मानसिक रूग्णता

1099. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक रूग्णता से जूझ रही महिलाओं और बच्चों सहित लोगों को सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) मानसिक रूग्णता से जूझ रहे मरीजों के उचार के लिए कितने अस्पतालों का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई;

(घ) ऐसे मरीजों के उपचार के लिए कौन-कौन से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ङ) क्या सरकार का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए आबंटित निधियों के उपयोग न किए जाने/दुरूपयोग किए जाने की कोई रिपोर्ट मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कौन-कौन सी कार्यवाही की गई/किए जाने का इरादा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 58वें दौर (2002) की रिपोर्ट के अनुसार मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरा संलग्न-विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) देश भर में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे 3 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों (154 सरकारी तथा 181 निजी) में 335 मनश्चिकित्सीय विभागों के साथ राज्य द्वारा संचालित 40 मेडिकल कॉलेज हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त रोगियों का उपचार करने के लिए उपकरणों से लैस हैं। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मानसिक बीमारी से ग्रस्त रोगियों के उपचार तथा परिचर्या के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के अंतर्गत सुदृढ़/उन्नत बनाए गए ऐसे अस्पतालों/संस्थानों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या संलग्न विवरण-II पर है।

(घ) मानसिक विकारों से ग्रस्त लोगों की भारी संख्या से निपटने के लिए भारत सरकार 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती आ रही है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के अंतर्गत 30 राज्यों के कुल 123 जिलों को शामिल किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित घटकों को शामिल करने के लिए इसे पुनर्गठित किया गया है:

I. जनशक्ति विकास योजना:

   (i) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना

   (ii) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनशक्ति विकास की योजना

II. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:

III. सरकारी मेडिकल कॉलेज के मनश्चिकित्सीय स्कंधों का उन्नयन

IV. सरकारी मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का कोई अलग राज्य वार/ संघ राज्य क्षेत्रवार बजटीय आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	वर्ष	बजट आबंटन
1.	2008-09	70.00 करोड़
2.	2009-2010	55.00 करोड़
3.	2010-11	101.00 करोड़
4.	2011-12	130.00 करोड़

(ङ) और (च) जारी की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र ग्राही संस्थाओं/राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक सहायता-अनुदान जारी होने के बाद तथा समय-समय पर भी इसे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के उपयोग का पता लगाने के लिए तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्टें भी प्राप्त की जाती हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	216	137	177	169	66	119	206	123	165
हिमाचल प्रदेश	294	126	207	133	36	83	278	117	195
पंजाब	101	81	92	84	82	83	95	82	89
चंडीगढ़	90	0	54	57	71	62	60	63	61
उत्तरांचल	157	48	106	65	101	83	136	61	101
हरियाणा	105	77	91	86	61	74	100	73	87
दिल्ली	50	32	42	28	37	32	34	36	35
राजस्थान	104	64	84	89	53	71	100	61	81
उत्तर प्रदेश	122	72	98	106	75	92	118	73	97
बिहार	145	62	105	105	92	99	141	66	105
सिक्किम	173	95	136	63	24	45	162	87	126
अरुणाचल प्रदेश	369	11	193	17	0	9	316	9	167
नागालैंड	60	70	65	30	55	42	51	65	58
मणिपुर	133	101	117	154	127	140	138	108	123
मिजोरम	179	138	160	155	82	115	170	112	141
त्रिपुरा	42	31	37	110	62	86	50	34	42
मेघालय	133	130	131	79	89	84	126	124	125
असम	136	74	108	81	92	87	132	75	106
पश्चिम बंगाल	224	112	171	190	134	163	216	117	169
झारखंड	111	60	86	79	51	65	105	59	82
उड़ीसा	182	168	175	169	97	134	180	160	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	64	130	97	113	84	99	72	123	97
मध्य प्रदेश	105	93	99	125	61	95	110	85	98
गुजरात	126	102	114	122	57	91	125	36	106
दमण और दीव	13	42	24	121	23	76	51	34	44
दादरा और नगर हवेली	84	55	70	19	21	20	75	50	63
महाराष्ट्र	108	92	100	89	55	73	100	7	90
आंध्र प्रदेश	70	78	74	69	43	56	70	68	69
कर्नाटक	54	49	51	51	35	48	56	45	50
गोवा	108	66	85	153	231	184	123	102	112
लक्षद्वीप	169	195	183	130	214	172	146	205	177
केरल	281	275	278	282	222	250	282	263	272
तमिलनाडु	101	82	91	101	61	81	101	75	88
पुडुचेरी	69	14	40	59	95	75	62	61	62
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	203	308	258	109	53	84	175	246	211
अखिल भारत	128	91	91	105	71	89	122	86	105

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ उन्नत बनाए गए अस्पतालों/संस्थानों की संख्या

1. सरकारी मेडिकल कॉलेजों/जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सीय स्कंधों का उन्नयन

क्र.सं.	राज्य	सरकारी मेडिकल कॉलेजों/ जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सीय स्कंधों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1
2.	दादरा एवं नगर हवेली	1
3.	गुजरात	2
4.	महाराष्ट्र	2
5.	उड़ीसा	1
6.	राजस्थान	2
7.	तमिलनाडु	3
8.	उत्तर प्रदेश	1

2. सरकारी मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण

क्र.सं.	राज्य	मानसिक अस्पतालों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	1
2.	मेघालय	1

3. जनशक्ति विकास योजनाएं

(i) योजनाक-उत्कृष्टता के केन्द्रों स्थापना

क्र.सं.	राज्य	संस्थानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	चंडीगढ़	1
3.	दिल्ली	1
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	1
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	केरल	1
8.	उड़ीसा	1
9.	उत्तर प्रदेश	1
10.	पश्चिम बंगाल	1

(ii) योजना खः मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए योजना

क्र.सं.	राज्य	संस्थानों की संख्या
1.	असम	1
2.	दिल्ली	1
3.	गुजरात	2
4.	झारखंड	1
5.	केरल	1
6.	राजस्थान	2
7.	तमिलनाडु	1
8.	उत्तर प्रदेश	1

टीकाकरण के कारण बच्चों की मृत्यु

15-56

1100. श्रीमती ऊषा वर्माः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्रीमती सुशीला सरोजः
श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः
श्री हर्ष वर्धनः
श्री पी. लिंगमः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में टीकारण के बाद के दुष्प्रभावों (एईएफआई) के कारण बच्चों की मृत्यु के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या बच्चों की मृत्यु कतिपय निजी क्षेत्र की कंपनियों से खरीद गए टीकों तथा सरकारी क्षेत्र की तीन इकाइयों के बंद होने के कारण हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टीको की खरीद के लिए उक्त कंपनियों को कंपनी-वार कितना भुगतान किया गया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्धोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। टीकारण के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव (ए ई एफ आई) के कारण बच्चों की मौतों के मामलों का सूचित संख्या में वर्ष 2010 के दौरान पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। ए ई एफ आई संबंधी सूचित मौतों की संख्या में वृद्धि ए ई एफ आई रिपोर्टिंग प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, अधिकाधिक सुग्राहिता और संशोधित दिशानिर्देशों के प्रकाशन के उपरांत कार्मिकों के प्रशिक्षण के कारण हुई। विगत तीन वर्षों के संबंध में वर्ष वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। बच्चों की सूचित मौतों का कारण निजी क्षेत्र की कंपनियों से वैक्सीन प्रापण करना अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की तीन वैक्सीन यूनिटें बंद करना नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं:

- ए ई एफ आई संबंधी दिशानिर्देशों को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था और संशोधित दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार किया गया है।
- विभिन्न स्तरों पर टीकारण से संबंद्ध अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि प्रोग्रेमेटिक त्रुटियों की वजह से होने वाली ए ई एफ आई मौतों को कम किया जा सके। इस प्रशिक्षण के दौरान किसी भी ए ई एफ आई मामले के तत्काल रोगी उपचार पर जोर दिया गया है।
- सभी सूचित ए ई एफ आई संबंधी मामलों का विश्लेषण जिला/राज्य/राष्ट्रीय ए ई एफ आई समितियों द्वारा किया जाता है तथा कोई भी प्रोग्रेमेटिक त्रुटि होने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।
- राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रोग्रेमेटिक त्रुटियों के कारण ए ई एफ आई को कम करने के लिए 'करने योग्य अथवा न करने योग्य' अनुदेश दिए जाते हैं।
- टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा के लिए पर्यवेक्षी दौरे किए जाते हैं ताकि प्रोगेमेटिक त्रुटियों के कारण होने वाली ए ई एफ आई मौतों को कम किया जा सके।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान ए ई एफ आई के कारण होने वाली मौतों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	इंजेक्शन रिएक्शन	प्रोग्राम त्रुटि	वैक्सीन रिएक्शन	आकस्मिक	वर्गीकरण न किए जा सकने वाली	कुल
2010	1	11	10	78	38	138
2009	0	4	6	53	53	116
2008	0	5	5	51	50	111

खनिकों के लिए लाभ में हिस्सेदारी योजना

1101. श्री हर्ष वर्धन:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार ने उस विधान को अंतिम रूप दे दिया है जिनमें खनिजों के लिए लाभ में हिस्सेदारी योजना को अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खनन क्षेत्रों के विकास और विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए अनुमानित कितने अतिरिक्त राजस्व के सृजन की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

157-61

शिशु/मातृ मृत्यु दर

1102. श्री लालचन्द कटारिया:
श्री वरुण गांधी:
श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में शिशु तथा मातृ मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मध्य प्रदेश सहित देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पाए गए शिशु एवं मातृ मृत्यु दर के मामलों की राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ग) क्या इस उच्च मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक कारण कुपोषण है; और

(घ) यदि हां, तो देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में उच्च-मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रसूति पूर्व एवं प्रसूति पश्चात् समय में पोषण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्धोपाध्याय): (क) डब्ल्यू एच ओ, यूनिसेफ, यू एन एफ पी ए एवं विश्व बैंक द्वारा जारी "ट्रेन्ड्स इन मैटरनल मोरटेलिटी 1990 टू 2008" रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (एम एम आर) प्रति लाख जीवित जन्मों पर 230 है और मातृ मृत्यु अनुपात को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर भारत का स्थान 172 देशों में 117 है।

स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन, यूनिसेफ रिपोर्ट, 2010 के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 50 की शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) के साथ वर्ष 2009 के दौरान अनुमानित शिशु मृत्यु दर के अवरोही क्रम में 192 देशों में भारत का स्थान 49वां है।

(ख) जागरूकता की कमी, अस्वास्थ्यकर व्यवहार, अनुचित बाल परिचर्या पद्धतियां एवं अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं शिशु मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारक हैं। भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय द्वारा बताए गए अनुसार भारत 2001-03 में शिशु मृत्यु के चिकित्सीय कारण निम्नलिखित हैं":

(क) प्रसवकालीन दशाएं (46%)

(ख) श्वसनी संक्रमण (22%)

(ग) अतिसारी संक्रमण (10%)

(घ) अन्य संक्रामक एवं परजीवी रोग (8%)

(ङ) जन्मजात असामान्यता (3.1%)

वर्ष 2006, 2007, 2008 एवं 2009 के दौरान नमूना पंजीयन प्रणाली (एस आर एस) द्वारा यथाप्रदत्त राज्यवार एवं ग्रामीण-शहरी वार आई एम आर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

भारत के महापंजीयक (आर पी आई) द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात की सूचना केवल 3 वर्ष के ब्लॉक के लिए दी जाती है। इसमें मातृ मृत्यु अनुपात का ग्रामीण एवं शहरी आकलन नहीं प्रकट किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए एम एम आर सहित विगत 3 आर जी आई रिपोर्टों में राज्यवार एम एम आर का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

"भारत में मातृ मृत्यु : 1997-2003 रूझान, कारण एवं जोखिम कारक" नामक आर जी आई रिपोर्ट के अनुसार देश में मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण रक्तस्राव (38%), सेप्सिस (11%), अतिरिक्तचाप विकार (5%), अवरूद्ध प्रसव (5%), गर्भपात (8%) तथा अन्य स्थितियां (34%) हैं।

(ग) जी हां,। डब्ल्यू एच ओ/सी एच ई आर जी 2010 के आकलन के अनुसार कुपोषण एक मूल कारण है और इससे 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 35% बच्चों की मौत होती है।

(घ) इस दिशा में किए गए उपाए निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआर एच एम) (2005-2012) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण II के अंतर्गत मातृ एवं शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाते हैं:

(i) समेकित नवजात एवं शैशवावस्था रोग नियंत्रण (आई एमएन सी आई) एवं नवजात एवं शैशवावस्था रोग सुविधा आधारित उपचार (एफ-आईएम एन सी आई)।

(ii) अतिसार रोग एवं तीव्र श्वसनी संक्रमणों की शीघ्र पहचान एवं समुचित उपचार।

(iii) नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो अनिवार्य नवजात परिचर्या एवं पुनरूज्जीवन के क्षेत्र में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम हैं।

(iv) स्तनपान की जल्दी शुरूआत, जीवन के प्रथम छह माह तक केवल स्तनपान कराने तथा स्तनपान को बढ़ावा देने सहित शिशु एवं बाल आहार पद्धतियों को बेहतर करना।

(v) छह वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए रोग प्रतिरक्षण।

(vi) विटामिन ए संपूरण।

(vii) नवजात एवं बाल परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों में विशेष नवजात परिचर्या एककों (एस एस सी यू), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी एच सी) में नवजात स्थिरीकरण एककों तथा 24 × 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात परिचर्या कार्नर की स्थापना।

(viii) प्रसवोत्तर काल में कम-से-कम छह गृहदौरों के जरिए आशा द्वारा गृह आधारित नवजात परिचर्या एवं गृह पर प्रसवों के लिए प्रसव के 24 घंटों के भीतर एक अतिरिक्त दौरा।

(ix) गंभीर एवं तीव्र कुपोषण पर काबू पाने के लिए पौषणिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना।

(x) जननी सुरक्षा योजना (जे एस वाई) जो गरीबी रेखा से नीचे की तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर बल देते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक शर्तयुक्त नकदअंतरण योजना है जिससे संस्थागत प्रसव में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(xi) आधारभूत एवं व्यापक प्रसूति तथा नवजात परिचर्या सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24x7 आधार पर कार्यरत सुविधा केन्द्रों के रूप में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल एककों के रूप में उन्नत बनाना एवं प्रचालित करना।

(xii) विभिन्न कौशल-आधारित प्रशिक्षणों जैसे कि सहायक नर्स धात्रियों/स्टॉफ नर्सों/महिला स्वास्थ्य परिदर्शकों के लिए कुशल जन्म परिचर्या के जरिए कुशल जनशक्ति को बढ़ाना; एम बी बी एस डॉक्टरों को जीवन रक्षक संवदेनाहरण कौशलों तथा सीजेरियन सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति परिचर्या के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना।

(xiiii) गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवधि के दौरान आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों के संपूरण द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार सहित प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था।

(xiv) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक माह ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करना।

(xv) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक समुदाय की पहुंच को सुसाध्य बनाने के लिए प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) का नियोजन।

(xvi) आपातकालीन रेफरल परिवहन सहित रेफरल तंत्रों की स्थापना करना जिसके लिए राज्यों को विभिन्न प्रतिमानों का उपयोग करने के लिए छूट दी गई है।

नई पहलें:

- गर्भवती महिलाओं एवं बच्चें की नाम के आधार पर पहचान करना
- मातृ मृत्यु की समीक्षा
- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संरक्षण कार्ड
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : इसमें नि:शुल्क औषधों एवं उपभोज्य पदार्थों नि:शुल्क निदान शास्त्र, नि:शुल्क रक्त, नि:शुल्क आहार सहित गर्भवती महिलाओं को घर से सुविधा केन्द्र, सुविधा
- केन्द्र से उच्चतर सुविधा केन्द्र तथा वापस घर लाने के लिए नि:शुल्क परिवहन तथा बीमार नवजातों के लिए जन्म के 30 दिन बाद तक ऐसी ही पात्रताएं।

विवरण-I

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर

क्र.सं. राज्य	2006			2007			2008			2009		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	57	62	39	55	61	37	53	58	36	50	55	34
बड़े राज्य												
1. आंध्र प्रदेश	56	62	38	54	60	37	52	58	36	49	54	35
2. असम	67	70	42	66	68	41	64	66	39	61	64	37
3. बिहार	60	62	45	58	59	44	56	57	42	52	53	40
4. छत्तीसगढ़	61	62	50	59	61	49	57	59	48	54	55	47
5. दिल्ली	37	42	36	36	41	35	35	40	34	33	40	31
6. गुजरात	53	62	37	52	60	36	50	58	35	48	55	33
7. हरियाणा	57	62	45	55	60	44	54	58	43	51	54	41
8. जम्मू एवं कश्मीर	52	54	38	51	53	38	49	51	37	45	48	34
9. झारखंड	49	52	32	48	51	31	46	49	32	44	46	30
10. कर्नाटक	48	53	36	47	52	35	45	50	33	41	47	31
11. केरल	15	16	12	13	14	10	12	12	10	12	12	11
12. मध्य प्रदेश	74	79	52	72	77	50	70	75	48	67	72	45
13. महाराष्ट्र	35	42	26	34	41	24	33	40	23	31	37	22
14. उड़ीसा	73	76	53	71	73	52	69	71	49	65	68	46
15. पंजाब	44	48	36	43	47	35	41	45	33	38	42	31
16. राजस्थान	67	74	41	65	72	40	63	69	38	59	65	35
17. तमिलनाडु	37	39	33	35	38	31	31	34	28	28	30	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18. उत्तर प्रदेश	71	75	53	69	72	51	67	70	49	63	66	47
19. पश्चिम बंगाल	38	40	29	37	39	29	35	37	29	33	34	27
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	40	44	19	37	41	15	32	34	19	32	35	14
2. गोवा	15	14	16	13	11	13	10	10	11	11	11	10
3. हिमाचल प्रदेश	50	52	26	47	49	25	44	45	27	45	46	28
4. मणिपुर	11	11	11	12	13	9	14	16	8	16	18	11
5. मेघालय	53	54	43	56	57	46	58	60	43	59	61	40
6. मिजोरम	25	32	13	23	27	16	37	45	24	36	45	19
7. नागालैंड	20	18	27	21	18	29	26	25	28	26	27	23
8. सिक्किम	33	35	16	34	36	20	33	35	19	34	36	21
9. त्रिपुरा	36	37	30	39	40	32	34	36	26	31	33	20
10. उत्तरांचल	43	54	22	48	52	25	44	48	24	41	44	27
संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान-निकोबार द्वीव समूह	31	35	21	34	38	23	31	35	23	27	31	20
2. चंडीगढ़	23	23	23	27	25	28	28	22	29	25	25	25
3. दादरा और नगर हवेली	35	38	24	34	28	18	34	38	20	37	41	24
4. दमन और द्वीव	28	33	18	27	29	23	31	29	36	24	21	30
5. लक्षद्वीप	25	19	31	24	25	23	31	28	35	25	22	28
6. पुडुचेरी	28	35	24	25	31	22	25	31	22	22	28	19

विवरण-II

मातृ मृत्यु अनुपात

भारत तथा राज्य वार

(स्रोत: आर जी आई (एस आर एस) 2001-03, 2004-06, 2007-09)

बड़े राज्य	एम एम आर (2001-03)	एम एम आर (2004-06)	एम एम आर (2007-09)
भारत कुल*	301	254	121
असम	490	480	390
बिहार/झारखंड	371	312	261
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	379	335	269
उड़ीसा	358	303	258
राजस्थान	445	388	318
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	517	440	359
आंध्र प्रदेश	195	154	134
कर्नाटक	228	213	178
केरल	110	95	81
तमिलनाडु	134	111	97
गुजरात	172	160	148
हरियाणा	162	186	153
महाराष्ट्र	149	130	104
पंजाब	178	192	172
पश्चिम बंगाल	194	141	145
*अन्य	235	206	160

*इसमें अन्य शामिल हैं।

[हिन्दी]

कच्चे सोने के निर्यात पर शुल्क

1103. **श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे सोने के निर्यात पर कोई शुल्क लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं। फिलहाल कच्चे सोने पर कोई शुल्क नहीं लगता है।

(ख) और (ग) भारत बड़ी मात्रा में कच्चे सोने का निर्यात नहीं करता है।

[अनुवाद]

667-76

जननी सुरक्षा योजना

1104. श्री जयंत चौधरी:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री हेमानंद बिसवाल:

क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सहित सभी राज्यों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लागू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) क्या जननी सुरक्षा योजना के कतिपय दिशानिर्देश संदिग्ध और तर्क योग्य प्रकृति हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में और जिला उप-जिला स्तर पर स्वास्थ्य अवसरंचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, हां। जननी सुरक्षा योजना राजस्थान सहित सभी राज्यों में लागू की जा रही है।

(ख) जननी सुरक्षा योजना पर जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की गई निधियों की राशि संलग्न विवरण-I पर दर्शायी गई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा राज्यों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं की अनुमानित संख्या के आधार पर, राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत अपनी-अपनी वार्षिक परियोजना क्रियान्वयन योजनाओं में निधियां उपलब्ध कराते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए तथा जून, 2011 क चालू वर्ष के लिए, राज्यों द्वारा यथा-सूचित राज्यवार जननी सुरक्षा योजना लाभान्वितों की संख्या संलग्न विवरण-II पर दर्शायी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय आबंटन का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11	आबंटन 2011-12
1	2	3	4	5	6
	अधिक ध्यान केन्द्रित राज्य				
01.	बिहार	173.60	229.96	249.97	250.85

1	2	3	4	5	6
02.	छत्तीसगढ़	34.87	57.40	74.67	68.85
03.	हिमाचल प्रदेश	1.03	1.01	2.18	1.90
04.	जम्मू और कश्मीर	28.07	27.81	26.25	21.93
05.	झारखंड	50.00	57.69	70.22	69.70
06.	मध्य प्रदेश	160.00	248.32	200.78	188.08
07.	उड़ीसा	105.51	104.44	121.17	108.31
08.	राजस्थान	150.00	140.01	143	184.06
09.	उत्तर प्रदेश	260.93	310.28	399.38	475.33
10.	उत्तराखंड	13.02	13.50	20.31	15.12
	पूर्वोत्तर राज्य				
11.	अरुणाचल प्रदेश	1.70	1.60	1.64	1.41
12.	असम	88.95	92.83	101.5	93.39
13.	मणिपुर	1.15	1.18	1.32	2.20
14.	मेघालय	1.81	1.96	2.28	1.28
15.	मिजोरम	1.33	1.47	1.66	1.78
16.	नागालैंड	4.02	2.36	3.66	2.73
17.	सिक्किम	0.20	0.22	0.53	0.59
18.	त्रिपुरा	1.80	2.29	3.17	3.36
	वे राज्य जिन पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता है				
19.	आंध्र प्रदेश	47.88	45.50	50.36	32.88
20.	गोवा	0.15	0.08	0.1	0.1
21.	गुजरात	18.08	16.10	22.38	21.00
22.	हरियाणा	5.00	6.00	6.99	6.60
23.	कर्नाटक	30.00	27.40	46.03	38.54

1	2	3	4	5	6
24.	केरल	9.36	14.79	9.66	13.55
25.	महाराष्ट्र	20.00	28.90	22.59	35.28
26.	पंजाब	1.86	4.90	6.12	6.46
27.	तमिलनाडु	29.18	31.68	35.3	34.52
28.	पश्चिम बंगाल	40.00	43.39	43.3	58.37
	छोटे राज्य/संघ शासित क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.05	0.11	0.12	0.06
30.	चंडीगढ़	0.51	0.08	0.08	0.08
31.	दादरा और नगर हवेली	0.40	0.14	0.14	0.15
32.	दमन और द्वीव	0.02	0.00	0	0
33.	दिल्ली	0.72	1.69	3.18	2.18
34.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.09	0.05	0.07
35.	पुडुचेरी	0.30	0.23	0.33	0.34
36.	मुख्यालय				
	कुल जोड़	1281.47	1515.40	1670.39	1741.05

विवरण-II

जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12**
1	2	3	4	5	6
क. अधिक ध्यान केन्द्रित राज्य					
1.	बिहार	1144000	1246566	1383000	171039
2.	छत्तीसगढ़	225612	249488	376000	12261
3.	झारखंड	268661	215617	345000	14360
4.	जम्मू और कश्मीर	7771	91887	112210	11618

1	2	3	4	5	6
5.	मध्य प्रदेश	1152115	1123729	1140000	199684
6.	उड़ीसा	506879	587158	533000	98504
7.	राजस्थान	941145	978615	911000	178596
8.	उत्तर प्रदेश	1548598	2082285	2339000	380673
9.	उत्तराखंड	71285	79460	75000	
10.	हिमाचल प्रदेश	8215	16851	21000	1274
	उप जोड़	5874281	6671656	7235210	1068009
ख. अन्य राज्य					
11.	आंध्र प्रदेश	551206	318927	1439000	
12.	गोवा	688	650	1000	302
13.	गुजरात	213391	356263	340000	8888
14.	हरियाणा	0	63326	63000	5017
15.	कर्नाटक	400349	475193	340000	39887
16.	केरल	136393	134974	180000	
17.	महाराष्ट्र	224375	347799	249000	107375
18.	पंजाब	67911	97089	108000	12159
19.	तमिलनाडु	386688	389320	350000	43812
20.	पश्चिम बंगाल	748343	724804	535000	26704
	उप जोड़	2737559	2908342	3605000	244144
ग. संघ शासित क्षेत्र					
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	197	498	132	
22.	चंडीगढ़	467	199	213	41
23.	दादरा और नगर हवेली	157	594	1273	64
24.	दमन और द्वीप	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
25.	दिल्ली	23829	21564	19000	2347
26.	लक्षद्वीप	288	899	548	
27.	पुडुचेरी	4807	4932	5000	867
	उप जोड़	29745	28686	26166	3319
घ. पूर्वोत्तर राज्य					
28.	अरुणाचल प्रदेश	10180	10257	9000	838
29.	असम	327894	366433	390000	52312
30.	मणिपुर	11096	17375	20000	1693
31.	मेघालय	5329	14738	12000	2665
32.	मिजोरम	15482	14265	14000	141
33.	नागालैंड	9790	22728	9000	2665
34.	सिक्किम	3606	3292	4000	
35.	त्रिपुरा	20166	20500	14000	3970
	उप जोड़	75649	469588	472000	64171
	कुल जोड़	9036913	10078275	11338376	1379643

* आंकड़े अनंतिम हैं (स्रोत: एन.आर.एम.एम. बुलेटिन-जनवरी-अप्रैल, 2011

** एच.एम.आई.एस., एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू: अप्रैल जून, 2011 अवधि की रिपोर्ट।

675-79

खनन कंपनियों से रायल्टी

1105. श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों द्वारा राज्यवार खान कंपनियों से रायल्टी के रूप में एकत्र की गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रायल्टी के रूप में इस तरह एकत्र की गई राशि का उपयोग खनन क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने अधिसूचित क्षेत्रों के खनन से प्राप्त राज्य कर 20 प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करने के संबंध में कोई निर्णय दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मुख्य खनिजों (कोयला एवं लिग्नाइट को छोड़कर) के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा संग्रहित रायल्टी की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2008-09	2009-10 10 (अनंतिम)	2010-11 (दिसम्बर तक) (अनंतिम)
1	2	3	4
असम	0.63	0.94	0.84
आंध्र प्रदेश	242.85	370.38	272.90
बिहार	2.69	उपलब्ध नहीं	1.38
छत्तीसगढ़	153.89	474.39	298.60
गुजरात	157.86	250.00	420.33
गोवा	27.46	285.91	256.53
हरियाणा	0.06	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जम्मू और कश्मीर	2.93	उपलब्ध नहीं	1.20
झारखंड	63.23	319.04	62.62
कर्नाटक	184.13	433.12	241.61
केरल	7.24	8.81	2.39
मध्य प्रदेश	191.42	351.49	164.91
महाराष्ट्र	107.42	85.10	88.67
मेघालय	उपलब्ध नहीं	7.26	1.63
उड़ीसा	431.35	654.46	102.90
राजस्थान	641.81	997.28	643.12
तमिलनाडु	104.24	130.56	51.34
कुल	2319.21	3997.42	2610.97* (अनंतिम)

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो

(ख) राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित रायल्टी की राशि संबंधित राज्य सरकार की संचित निधि में जमा की जाती है और रायल्टी राजस्व के खान क्षेत्र के विकास में उपयोग के बारे में ब्यौरे केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) एवं (ख) उपरोक्त (ख) के अलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एवं (च) समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (ए आई आर 1997 उच्चतम न्यायालय 3297) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.07.1997 के अपने निर्णय में निर्देश दिए हैं कि चूंकि अधिकांश खनन कार्य अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर हो रहे हैं, इसलिए राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि पट्टाधारकों द्वारा कमाए जा रहे लाभों का कुछ भाग पट्टाधारकों द्वारा स्वयं आदिवासियों की जीवनदशाओं को सुधारने के लिए खर्च किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आदिवासी लोगों के जीवन स्तर में सामान्य सुधार के लिए पट्टाधारकों द्वारा खनन व्यापार से होने वाली आय के कुछ भाग को आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जाने को अनिवार्य बनाने के लिए समुचित कानून बनाया जाए तथा यह राशि विभिन्न कानूनों के अधीन रायल्टी और अन्य प्राभारों के अतिरिक्त होनी चाहिए और निवल लाभों का कम से कम 20 प्रतिशत जल स्रोतों, स्कूलों, अस्पतालों, नालियों और परिवहन सुविधाओं आदि की स्थापना और अनुरक्षण के लिए औद्योगिक/व्यापारिक कार्यो के भाग के रूप में स्थायी कोष के रूप में अलग रखा जाए। इस 20 प्रतिशत आबंटित भाग में पुनर्वनीकरण एवं पर्यावरण अनुरक्षण का खर्च शामिल नहीं होगा। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में, मूल (आदिवासी) आबादी हेतु स्टेकहोल्डर्स रुचि के उपयुक्त मॉडलों से सुस्थिर विकास फ्रेमवर्क के सृजन को पहले ही प्रतिपादित किया गया है।

आईसीडीएस योजना

1106. **श्री नरहरि महतो:**
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय/ग्रामीण/शहरी/पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान के दौरान राज्यवार आईसीडीएस में नामांकन की वृद्धि दर कितनी है;

(घ) सरकार के वर्तमान उपाय इसके उस लक्ष्य को पूरा करने हेतु पर्याप्त है जैसाकि संयुक्त राष्ट्र में सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में 2015 तक बच्चों में कुपोषण को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आईसीडीएस योजना के कवरेज का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) आंगनवाड़ी केंद्रों और लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के संशोधित जनसंख्या मानकों के संदर्भ में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने देशभर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययन करवाकर वर्ष 2007 में मांग का निर्धारण किया। इसके बाद सरकार ने कुल 7076 आईसीडीएस परियोजनाएं तथा 20,000 मांग-आधारित आंगनवाड़ी केंद्रों सहित 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए। भारत सरकार ने अब तक 13.67 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र संस्वीकृत किए हैं, जिनमें से 12.62 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र पूरे देश में दिनांक 31 मार्च, 2011 तक प्रचालित कर दिए गए हैं। आईसीसीएस स्कीव के कार्यान्वयन के दोरान ही लाभार्थियों का चयन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक की आय) और गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं की संख्या में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कुपोषण एक जटिल, बुआयामी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है। इसके कारकों में घरेलू खाद्य असुरक्षा, निरक्षरता और विशेषकर महिलाओं में जागरूकता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलबधता, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध न होना, साफ-सफाई और समुचित पर्यावरणीय दशा का अभाव और पर्याप्त क्रय शक्ति की कमी इत्यादि शामिल हैं।

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण अनुशांसित आहारीय मात्रा और औसत आहारीय मात्रा के अंतर को समाप्त करने के लिए दिया जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 500 किलो कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन घर ले जाने वाले राशन के रूप में तथा/या सुबह के नाश्ते और पकाये हुए गर्म भोजन के रूप में दिए जाते हैं। आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए पूरक पोषण के अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं में स्कूल-पूर्व अनौपचारिक

शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। इनमें से प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं नामक 3 सेवाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

सरकार आईसीडीएस कार्यक्रम के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई ऐसी स्कीमें/कार्यक्रम राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से चला रही है, जिनका पोषण स्थिति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन स्कीमों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), मध्याह्न भोजन स्कीम, पेयजल और संपूर्ण स्वच्छता अभियान, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) इत्यादि शामिल है। हाल ही में शुरु की गई सबला नामक राजीव गांधी राष्ट्रीय किशोरी सशक्तीकरण स्कीम के अंतर्गत सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं और 15-18 वर्ष की सभी बालिकाओं को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर 200 जिलों में चलाई जा रही है। आरंभ में 52 जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जाने वाली इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नामक सशर्त मातृत्व लाभ की नई स्कीम से गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा तथा वे शिशु को जन्म के बाद यथाशीघ्र स्तनपान शुरु कराते हुए, पहले 6 महीने तक केवल अपना दूध पिला पाएंगी।

पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के कार्य में राज्य सरकारों एवं सघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अहम भूमिका है, क्योंकि उन्हीं को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अधिकांश कार्यक्रम चलाने होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य पोषण परिषद की स्थापना के कार्य में तेजी लाएं। यह शीर्ष-स्तरीय अंतरविभागीय समन्वय समिति होगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे राज्य एवं जिला पोषण कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए जिला समन्वय समितियों और जिला पोषण परिषदों का गठन करें।

सरकार पोषण के मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है। उपर्युक्त स्कीमों में से कई स्कीमों को हाल ही में सर्वव्यापी बनाया गया है। ये स्कीमें एक साथ मिलकर पोषण स्थिति में सुधार करने और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने की क्षमता रखती हैं।

विवरण

आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में पूरक पोषण प्राप्त करने वाले लाभार्थी बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु), गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा करने वाले बच्चों (3 से 6 वर्ष की आयु) की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण प्राप्त करने वाले लाभार्थी बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु) गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को को अपना दूध पिलाने वाली माताओं की संख्या				स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चो (3 से 6 वर्ष की आयु) की संख्या			
		वर्ष 2007-08 (31.03.2008)	वर्ष 2008-09 (31.03.2009 तक)	वर्ष 2009-10 (31.03.2010 तक)	वर्ष 2010-11 (31.03.2011 तक)	वर्ष 2007-08 (31.03.2008)	वर्ष 2008-09 (31.03.2009 तक)	वर्ष 2009-10 (31.03.2010 तक)	वर्ष 2010-11 (31.03.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5078607	5395143	5070799	5378590	2017989	1969862	1772660	1747144
2.	अरुणाचल प्रदेश	208685	216853	243726	250380	87493	94278	103243	108425
3.	असम	3846071	2710918	2361967	3065212	1272429	1359241	1442279	1647244
4.	बिहार	4218255	4218255	4218255	4218255	1937398	1937398	1937398	1937398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	2362082	2495513	2379715	2492705	817944	832264	865594	876028
6.	गोवा	57451	60354	64094	66959	20246	20545	20894	21823
7.	गुजरात	2453136	2881760	2817156	3858783	1203930	1275659	1246374	1413161
8.	हरियाणा	1338053	1300085	1220749	1195064	456121	421130	364652	355069
9.	हिमाचल प्रदेश	532941	522133	516294	514571	173968	169833	161134	156151
10.	जम्मू और कश्मीर	587246	509948	509948	509948	212596	218353	218353	218353
11.	झारखंड	2845980	3020561	3257491	3367760	1149907	1224451	1348699	1362891
12.	कर्नाटक	3901032	4058805	4309811	4410336	1539412	1551912	1596432	1689631
13.	केरल	1400634	1384421	1352278	1256958	566415	544979	531096	514040
14.	मध्य प्रदेश	5311957	6502932	7285441	8103403	2417543	2609920	3019372	3055276
15.	महाराष्ट्र	6553012	6820883	6711341	7408807	2957159	3040925	3098490	3150080
16.	मणिपुर	369186	370339	370339	370339	146734	156752	156752	156752
17.	मेघालय	348308	388348	401148	410326	134466	132754	149451	149512
18.	मिजोरम	155741	152213	149708	159087	49872	50537	55360	52202
19.	नागालैंड	349988	348798	308442	359483	110635	123024	123904	154029
20.	उड़ीसा	4823199	4894185	5016766	4915625	1126017	1290321	1455479	1515535
21.	पंजाब	1349839	1363679	1394399	1448014	531327	514297	546267	539108
22.	राजस्थान	3710225	3826488	3655230	3917833	1270073	1208122	1178849	1189704
23.	सिक्किम	28536	37802	41126	16157	10589	10041	13601	13005
24.	तमिलनाडु	2701479	2821798	2866558	2983586	1195794	1121574	1127815	1138831
25.	त्रिपुरा	328632	342322	308277	381024	146369	161410	874413	157010
26.	उत्तर प्रदेश	22324080	23235096	24352738	25192054	9491098	9252602	9469516	9299157
27.	उत्तरांचल	478173	582454	395054	692706	206148	233460	200471	217060
28.	पश्चिम बंगाल	5916971	6061592	5968492	8142539	2334211	2270787	2122208	3508857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24682	24627	21046	20013	9238	8868	7530	6624
30.	चंडीगढ़	39444	41415	46052	46573	14220	14843	16441	16409
31.	दिल्ली	608388	681194	749071	719266	285502	221709	252017	239034
32.	दादरा और नगर हवेली	20550	20052	17920	18071	6197	8021	6324	6677
33.	दमन और दीव	9408	8413	8413	8388	3750	3091	3091	2862
34.	लक्षद्वीप	7338	8950	8950	7691	2512	2703	2703	2511
35.	पुडुचेरी	37506	35484	36158	40948	5571	4558	4725	4958
	अखिल भारत	84326815	87343813	88434952	95947454	33910873	34060224	35493587	36622551

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं को बंद करना

1107. श्री यशवंत लागुरी:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अनुसूचित बैंकों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकवार पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों के ऐसे बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक कदम कौन-कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या 2008-09 में घटकर 3 रह गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की रोजा जंक्शन तथा खेरवा मोरबस्त की दो शाखाएं उस क्षेत्र की शाखाओं के साथ विलयित कर दी गईं। असम में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की तीन शाखाएं वर्ष 2008-09 उसी परिसर में उनकी शाखाओं के साथ विलयित कर दी गईं तथा बैंकों द्वारा खोली गई दो शाखाओं सहित 2008-09 में शाखाओं की कुल संख्या में निवल कटौती मात्रा मात्र एक रही। 2009-10 तथा 2010-11 में पीएसबी ग्रामीण शाखाओं में कोई कमी नहीं हुई।

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कुल 89,396 शाखाओं में से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 33,463 शाखाएं थीं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (आरआरबी को छोड़कर) (i) टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों में (49,999 तक की जनसंख्या वाले) तथा (ii) रिर्पोटिंग के अध्यधीन पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के ग्रामीण, अर्धशहरी तथा शहरी केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं/प्रशासनिक कार्यालय/सीपीसी (सेवा शाखाएं), खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय, बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक सुविधा रहित ग्रामीण (टीयर 5 टीयर 6) केन्द्रों को आबंटित करना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार एकमात्र वाणिज्यिक बैंक शाखा (आरआरबी को छोड़कर) वाले ग्रामीण केन्द्रों पर हानि उठाने वाली शाखा को भी बंद करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

[अनुवाद] 2-बाल-२५ 687-89

एनआरएचएम का मूल्यांकन/समीक्षा

1108. श्री जगदीश ठाकोर:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के कार्यकरण का मूल्यांकन/समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या रहे हैं तथा इस कमिशन की समीक्षा के दौरान क्या कमियां ध्यान में आई हैं;

(ग) क्या सरकार को इस मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो शिकायतों की प्रकृति क्या है और सरकार द्वारा कमियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को अधिकार दिए जाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में एनआरएचएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए जा रहे या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्योपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई आई पी एस), मुम्बई तथा चौथे कॉमन समीक्षा मिशन द्वारा 15 से 22 दिसम्बर, 2010 तक किए गए एन आर एच एम के समवर्ती मूल्यांकन द्वारा एन आर एच एम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन/समीक्षा की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहातया से आर्ठ आई पी एस, मुंबई द्वारा 2009-10 के दौरान एन आर एच एम का समवर्ती मूल्यांकन किया गया था। इसमें 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए 187 जिलों को कवर किया गया था। समवर्ती मूल्यांकन का निष्कर्ष अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त सेवाओं से रोगी के संतुष्टि स्तर में सराहनीय प्रगति, आई पी डी तथा ओ पी डी मामलों में वृद्धि को दर्शाता है। रिपोर्ट दर्शाती है कि अधिकतर महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना (जे एस वाई) स्कीम के अंतर्गत उनके प्रसव के पहले सप्ताह के भीतर नकदी प्रोत्साहन मिला। तथापि, मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचनात्मक और मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी तथा विद्युत आपूर्ति, अबद्ध निधियों का अल्प उपयोग, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की अत्यधिक कमी का उल्लेख भी किया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि दो तिहाई (2/3) ग्राम पंचायतों ने ग्राम स्वास्थ्य स्वछता और पोषण समिति (वी एच एस एन सी) का गठन किया है तथा ग्राम कार्य-योजना एक तिहाई ग्राम पंचायतों में ही तैयार की जाती है।

एन आर एच एम के चौथे कॉमन समीक्षा मिशन का 14 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में आयोजन किया गया था। कॉमन समीक्षा मिशन द्वारा कवर किए गए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। सी आर एम की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सांस्थानिक प्रसव में सतत वृद्धि, औषधों की उपलब्धता में सुधार, अधिकतर राज्यों में आश्वस्त रेफरल परिवहन व्यवस्थाएं, प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता, रोगी भार में बढ़ोतरी, मानव संसाधनों में वृद्धि, स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में आशा (ए एस एच ए) की प्रभावी सहभागिता तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एन आर सी) की स्थापना में प्रगति की रूप रेखा प्रदर्शित की है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली इस्तेमाल तथा वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार दर्शाया है।

चौथे सी आर एम ने अवसंरचना, मानव संसाधनों विशेषकर विशेषज्ञों, दूसरा ए एन एम, और एम पी डब्ल्यू की कमी में कतिपय अंतरालों को भी उजागर किया है। सी आर एम ने अधिकतर राज्यों में उपयुक्त प्रापण प्रणाली होने की आवश्यकता तथा वहनीय दर पर परिधीय स्तरों पर प्रयोगशाला सेवाओं की स्थापना की आवश्यकता भी महसूस की। सी आर एम ने आशा के प्रशिक्षण, वी एच एस सी क्षमता निर्माण, समुदाय आधारित मॉनीटरन एवं आयोजन में सिविल समाज की सहभागिता का विस्तार करने की आवश्यकता भी महसूस की।

(ग) और (घ) समय-समय पर प्राप्त शिकायतों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु संबद्ध राज्य सरकारों को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, तिमाही वित्तीय निगरानी रिपोर्टों, वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा तथा राज्य में मंत्रालय के वित्तीय समूह के दलों द्वारा आवधिक समीक्षा के लिए किए जाने वाले दौरे जैसे मैकेनिज्म विद्यमान हैं ताकि वित्तीय प्रक्रियाओं का

अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त समीक्षाओं के दौरान पाई गई कमियां सुधारात्मक कार्रवाई हेतु तुरन्त राज्यों के ध्यान में लाई जाती है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के क्रियान्वयन और निगरानी में जिला परिषद और पंचायतों जैसे स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद की अध्यक्षता वाला जिला स्वास्थ्य मिशन इस मिशन की आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी तथा प्रगति के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वी एच एस एन सी), जिसमें अन्यों के साथ-साथ पंचायत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने, जन जागरूकता पैदा करने तथा एन आर एच एम के अंतर्गत कार्यकलापों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सुविधा केन्द्र स्तर पर, समुदाय को जन स्वास्थ्य प्रदायकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों वाली रोगी कल्याण समितियां (आर के एस) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करती हैं, अस्पताल चलाने में समाज की भागीदारी का उन्नयन करती है, अस्पताल अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करती है तथा अस्पताल के भवन, उपस्करों तथा मशीनरी का समुचित उपयोग, समयपूर्वक अनुरक्षण तथा मरम्मत सुनिश्चित करती है।

बलात्कार के पीड़ितों का पुनर्वास

1109. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों में ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं;

(ग) उक्त योजना के दौरान पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं सहित कितनी महिलाओं को उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इन पीड़ितों के लिए 'क्रिमिनल इंज्यरीज रीलीफ एण्ड रीहैबिलिटेशन बोर्ड का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राहत पहुंचाने और पुनर्वास के लिए बोर्ड द्वारा क्या मानदंड/प्रक्रिया अपनाई गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है। इस स्कीम के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दो किस्तों में देने तथा 50,000/-रुपये तक की समर्थन सेवाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें पीड़ितों की आवश्यकताओं के आधार पर आश्रय, परामर्श, कानूनी और चिकित्सा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सेवाएं शामिल होंगी। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर दांडिक चोट राहत और पुनर्वास बोर्डों की परिकल्पना की गई है, जो स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। इस स्कीम को अभी तक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अनुमोदन मिलना बाकी है, उसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त की जाएंगी।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करना

1110. **श्री मुरारी लाल सिंह:**
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री पी. करुणाकरन:
श्री डी.वी. सदानंद गौडा:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक, केरल और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारों से मेदरा, मराती आदि सहित विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों की सूची में राज्य-वार कितने समुदायों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने संबंधी पात्रता की कई सिफारिशें सरकार के पास स्वीकृति हेतु अभी भी लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी स्थिति क्या है; और

(ङ) नए शामिल किए गए अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुरक्षा का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में केवल प्रमाणिक समुदायों को ही शामिल किया जाता है, सरकार ने 15 जून, 1999 को, 25.06.2002 को पुन: संशोधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने वाले, बाहर रखने वाले समुदायों के दावों का निर्धारण करने और अन्य संशोधनों के लिए प्रविधियों का निर्धारण किया था। प्रविधियों क अनुसार संबंधित राज्य सरकार औचित्य सहित प्रस्ताव की सिफारिश करती है और इसे केन्द्र सरकार को भेजती है। उसके बाद राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को भेजा जाता है। आरजीआई, यदि राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट हो, तो केन्द्र सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। उसके बाद केन्द्र सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश के लिए भेजती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, मामले को मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए प्रक्रियान्वित किया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार केवल उन्हीं मामलों की जिन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) कानून में संशोधन करने के लिए विचारार्थ लिया जाता है। मामले में मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद, संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। किसी प्रस्ताव का आरजीआई/एनसीएसटी द्वारा समर्थन न किए जाने के मामले में, इसे आरजीआई/एनसीएसटी की टिप्पणियों के प्रकाश में, समीक्षा करने अथवा अपनी सिफारिशों को पुन: औचित्यता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव, ऊपर उद्धृत प्रविधियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ङ) विगत में अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी] 691-93

सहकारी बैंकों को घाटा

1111. **श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:**
श्री महेश जोशी:
श्री भरत राम मेघवाल:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों को रियायती दरों पर किसानों को अल्पावधि ऋण वितरण करने के कारण घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवधि के दौरान उक्त बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 75 प्रतिशत राजसहायता सहकारी बैंकों को ब्याज मुक्त परिक्रामी निधि के रूप में देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (च) किसानों को 7% वार्षिक की दर पर एक वर्ष के लिए 3 लाख रुपए तक के लघु-अवधि के फसल ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज अनुदान स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से समय से ऋण चुकता करने वाले उन किसानों को अतिरिक्त ब्याज-अनुदान उपलबध करा रही है जो अपना ऋण तत्परता से लौटाते हैं। वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त ब्याज-अनुदान 1% और वर्ष 2010-11 में यह 2% था। इस वर्ष 2011-12 में बढ़कर 3% किया जा रहा है।

ब्याज अनुदान स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए सहकारी बैंकों का फिर से वित्त-पोषण किया जा रहा है। निधि की लागत को ध्यान रखते सहकारी बैंकों सहित बैंकों को दिए जाने वाले ब्याज-अनुदान को तय किया जाता है। सरकार 'नाबार्ड' को भी अनुदान दे रही है ताकि नाबार्ड रियायती दर पर सहकारी बैंकों को फिर से वित्त पोषण कर सके। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009'10 और 2010-11 के दौरान सरकारी बैंकों को अल्पावधि के उपज ऋण के लिए फिर से दिए गए वित्त की दर क्रमश: 2.5%, 3%, 3.5%, 4% और 4% थी।

अल्पावधि सहकारी ढांचे (वैद्यनाथन-I) के लिए 25 राज्यों में पुन: प्रवर्तन फैकेज को क्रियान्वित किया जा रहा है। 16 राज्यों में 53026 पात्र प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों को भारत सरकार के अंश के रूप में 8992.36 करोड़ रुपए की राशि 'रिलीज' की गई है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, निदेशक मण्डल और

प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के सचिवों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंधकों, प्रधान प्रशिक्षकों, लेखा-परीक्षकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों आदि तथा अधिक लाभ तथा विविधिकरण के लिए व्यापार विकास कार्यक्रम जैसे उपायों को तय किया गया है और इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा संयंत्र (93-94

1112. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री दारा सिंह चौहान:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री देवेन्द्र नागपाल:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार देश में स्थापित/स्थापित किए जा रहे सौर ऊर्जा संयंत्रों तथा उनकी संस्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत/जारी की गई और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों से सौर ऊर्जा संयंत्र तथा सौर शहरों की उनके राज्यों में स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान संस्थापित ऑफ-ग्रिड और ग्रिड-संबद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्रों सहित ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की संस्थापना करने हेतु पूरे वर्षभर राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों को स्कीम के अनुरूप पाए जाने पर और मंत्रालय के पास फंड की उपलब्धता होने पर मंजूर किया जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय ने गुजरात (60 किवापी), मध्य प्रदेश (1123 किवापी), महाराष्ट्र (144 किवापी), उड़ीसा (30 किवापी) और राजस्थान (363 किवापी) सहित विभिन्न राज्यों में स्टैंडएलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु परियोजनाएं मंजूर की हैं।

मंत्रालय द्वारा 24 राज्यों के 54 शहरों से सौर शहरों के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। 48 शहरों हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है।

48 शहर जिन्हें कि सैद्धान्तिक अनुमोदन दे दिया गया है, में से 35 शहरों को प्राप्त कागजातों के आधार पर मंजूरियां दे दी गई हैं। बिहार राज्य हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान संस्थापित राज्यवार स्टैंडअलोन और ग्रिड सम्बद्ध एसपीवी विद्युत परियोजनाएं निम्नवत् दी गई हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों	एसपीवी विद्युत संयंत्र	
		स्टैंडअलोन	ग्रिड सम्बद्ध
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	467.38	2000
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.2	0

1	2	3	4
3.	असम	2.5	0
4.	छत्तीसगढ़	1096.3	0
5.	दिल्ली	50	2000
6.	गोवा	1.72	0
7.	गुजरात	322	6000
8.	हरियाणा	393.15	0
9.	झारखंड	20	0
10.	कर्नाटक	80	6000
11.	केरल	3	0
12.	मध्य प्रदेश	152	0
13.	महाराष्ट्र	23.1	4000
14.	नागालैंड	6	0
15.	उड़ीसा	10	0
16.	पुडुचेरी	0	0
17.	पंजाब	50	2000
18.	राजस्थान	964.2	5000
19.	सिक्किम	3.03	0
20.	तमिलनाडु	37.25	5000
21.	त्रिपुरा	1	0
22.	उत्तर प्रदेश	969.5	0
24.	उत्तराखंड	100	0
24.	पश्चिम बंगाल	100	1000
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
26.	अन्य	90	0
	कुल	4951.33	33000

विवरण-II

54 शहरों की राज्य-वार सूची जिनसे कि सौर शहरों हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं

क्र.सं.	राज्य	जिन शहरों हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. विजयवाड़ा*
		2. महबूब नगर**
2.	असम	3. गुवाहाटी*
		4. जोरहाट*
		5. सिलचर**
3.	अरुणाचल प्रदेश	6. इटानगर*
4.	चंडीगढ़	7. चंडीगढ़*
5.	छत्तीसगढ़	8. बिलासुपर*
		9. रायपुर*
6.	गुजरात	10. राजकोट*
		11. गांधी नगर*
		12. सूरत*
7.	गोवा	13. पणजी* सिटी
8.	हरियाणा	14. गुड़गांव*
		15. फरीदाबाद*
9.	हिमाचल प्रदेश	16. शिमला*
		17. हमीरपुर*
10.	कर्नाटक	18. मैसूर*
		19. हुबली-धारवाड़*
11.	केरल	20. तिरूवनन्तपुरम
		21. कोच्चि
12.	महाराष्ट्र	22. थाणे*
		23. कल्याण-डोम्बीवली*
		24. औरंगाबाद
		25. नांदेड
		26. शिरर्डी*
		27. नवी मुंबई**
		28. नागपुर*
13.	मध्य प्रदेश	29. इंदौर
		30. ग्वालियर*
		31. भोपाल
		32. रेवा
14.	मणिपुर	33. इम्फाल*
15.	मिजोरम	34. आइजोल*
16.	नागालैंड	35. कोहिमा*
		36. दीमापुर
17.	उड़ीसा	37. भुवनेश्वर
18.	पंजाब	38. अमृतसर*
		39. लुधियाना*
		40. एसएएस नगर (मोहाली)
19.	राजस्थान	41. अजमेर
		42. जयपुर
		43. जोधपुर*
20.	तमिलनाडु	44. कोयम्बटूर*
21.	त्रिपुरा	45. अगरतला*

1	2	3
22.	उत्तराखंड	46. देहरादून*
		47. हरिद्वार एवं ऋषिकेश*
		48. चमोली-गोपेश्वर*
23.	उत्तर प्रदेश	49. आगरा*
		50. मुरादाबाद*
		51. बरेली**
24.	पश्चिम बंगाल	53. हावड़ा
		54. ज्योतिबसु नगर (न्यू टाउन, कोलकाता)**

सैद्धांतिक अनुमोदन : 48 संख्या

* इन शहरों हेतु मंजूरी दे दी गई है : 35 संख्या

** विचाराधीन प्रस्ताव : 6 संख्या

सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था

1113. श्रीमती अश्वमेध देवी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री देवेन्द्र नागपाल:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्ज प्रकाश व्यवस्था को लगाए जाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जनजातीय और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में उन गांवों और बस्तियों का ब्यौरा क्या है जहां सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था लगाई गई है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था को लगाए जाने हेतु क्या योजना/मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित/प्राप्त किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था के उचित रख-रखाव हेतु ब्यौरा/दिशा-निर्देश क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी नहीं। मंत्रालय द्वारा देश में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रकाश प्रणालियों को लगाए जाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत मार्च, 2013 तक मिशन के प्रथम चरण के लिए सौर प्रकाश प्रणालियों सहित 200 एमडब्ल्यूपी समतुल्य ऑफ- ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के लक्ष्य को मंजूरी दी गई है।

(ग) उन दूरस्थ गांवों/बस्तियों, जहां दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एसपीवी प्रणालियां संस्थापित की गई हैं, की 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

बिहार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश में एसपीवी प्रकाश प्रणालियों की संचयी संस्थापना का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की बस्तियों, जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तार को व्यवहार्य नहीं पाए जाने के कारण उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, में रोशनी/आधारिक विद्युतीकरण के लिए प्रणालियों की लागत का 90% उपलब्ध कराया जाता है जो पूर्व-निर्धारित अधिकतम राशि के अध्यधीन है। आरवीई कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसमए) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों में रोशनी हेतु प्रति वाट पीक अधिकतम 81/-रुपये के अध्यधीन परियोजना लागत की 30% सब्सिडी और/ अथवा 5% वार्षिक ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष श्रेणी के राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिलों तथा संघ राज्य क्षेत्र के द्वीप समूहों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों और स्थानीय निकायों द्वारा एसपीवी रोशनी प्रणालियों की संस्थापना के लिए परियोजना लागत की 90% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है जो प्रति वाट पीक अधिकतम 243/- रुपये के अध्यधीन है। जेएनएनएसएम कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों का राज्य-वार निर्धारण नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में 53,024 सौर लालटेन; 1,62,513 सौर घरेलू रोशनी और 50,254 सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना की गई है।

(ङ) आरवीई कार्यक्रम के अंतर्गत, लाभार्थी के प्रशिक्षण तथा सप्लायर द्वारा सेवा केन्द्र की स्थापना के अलावा मंत्रालय द्वारा स्पलायरों के साथ 5 वर्षों के लिए वार्षिक देखरेख अनुबंध हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। सौर प्रकाशवोल्टीज प्रणालियों का संतोषजनक कार्य-निष्पादन और दीर्घ जीवन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा जेएनएनएसएम के अंतर्गत आपूरित की जाने वाली प्रणालियों के लिए कार्य-निष्पादन विनिर्देश और मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पांच वर्षों के लिए वार्षिक देखरेख अनुबंध का भी प्रावधान है।

विवरण-I

दिनांक 30.06.2011 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत दूरस्थ गांवों/बस्तियों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण गांव/बस्तियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	820
3.	असम	1688
4.	छत्तीसगढ़	568
5.	गुजरात	38
6.	हरियाणा	286
7.	हिमाचल प्रदेश	21
8.	जम्मू एवं कश्मीर	160
9.	झारखंड	449
10.	कर्नाटक	30
11.	केरल	607
12.	मध्य प्रदेश	381
13.	महाराष्ट्र	338
14.	मणिपुर	191
15.	मेघालय	97
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	11
18.	उड़ीसा	602
19.	राजस्थान	292
20.	सिक्किम	13
21.	त्रिपुरा	775
22.	उत्तर प्रदेश	181
23.	उत्तराखंड	506
24.	पश्चिम बंगाल	1178
	कुल	9369

विवरण-II

दिनांक 30.06.2011 तक एसपीवी प्रकाश प्रणालियों की राज्य-वार संचयी संस्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सौर प्रकाशवोल्टीज प्रणालियां		
		लालटेन	घरेलू रोशनी संख्या	सड़क रोशनी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	38215	1958	4186

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	13937	10178	1071
3.	असम	1211	5870	98
4.	बिहार	50117	3350	955
5.	छत्तीसगढ़	3192	7233	1923
6.	गोवा	1065	362	619
7.	गुजरात	31603	9231	2004
8.	हरियाणा	73116	49418	20074
9.	हिमाचल प्रदेश	22970	16848	4072
10.	जम्मू और कश्मीर	28672	23083	5596
11.	झारखंड	16374	6876	620
12.	कर्नाटक	7334	36134	2694
13.	केरल	41181	32326	1090
14.	मध्य प्रदेश	9444	2651	6138
15.	महाराष्ट्र	68683	2431	8420
16.	मणिपुर	4787	3865	928
17.	मेघालय	24875	7840	1273
18.	मिजोरम	8331	5395	431
19.	नागालैंड	6317	720	271
20.	उड़ीसा	9882	5156	5834
21.	पंजाब	17495	8620	5354
22.	राजस्थान	4716	91754	6852
23.	सिक्किम	5200	4640	212
24.	तमिलनाडु	16818	7536	6350
25.	त्रिपुरा	42360	26066	1199

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	60123	132203	89160
27.	उत्तराखंड	64023	91307	8568
28.	पश्चिम बंगाल	17662	130873	8076
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6296	405	358
30.	चंडीगढ़	1675	275	229
31.	दिल्ली	4807	0	301
32.	लक्षद्वीप	5289	0	0
33.	पुडुचेरी	1637	25	417
34.	अन्य	125797	24047	9150
	कुल	835204	748676	204523

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के मध्य शिक्षा

1114. श्री पी. कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई योजना अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की बालिकाओं के मध्य शिक्षा के नाम से है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत निम्न शिक्षा वाले जिलों में शैक्षिक परिसरों/स्कूलों के निर्माण में सहायता देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन स्कूलों में नामांकित जनजातीय बालिकाओं की संख्या और प्रतिशत कितनी है; और

(च) स्कूलों में जनजातीय बालिकाओं के नामांकन में इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा?

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां। मंत्रालय की "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" नामक एक योजना है।

(ख) यह योजना कम साक्षरता वाले 54 अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम है। यह योजना उन ब्लॉकों में भी कार्यान्वित की जा रही है जो इस मानदंड को पूरा करते हैं। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों के अंतराल को भरना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2010-11 के दौरान भर्ती की गई अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या 19324 थी। इन शैक्षिक परिसरों/छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की प्रतिशता 100% है।

(च) जनजातीय लड़कियों की भर्ती पर इस योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

एमएमडीआर अधिनियम

1115. श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री भरत राम मेघवाल:
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित अधिनियम के तहत लघु खनिजों हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल विहित करने की शक्तियों को राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रारूप को 14.6.2010 को सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह को भेजा गया था। उक्त मंत्री समूह ने पांच चक्रों में विस्तृत विचार-विमर्श किया और 7.7.2011 को सिफारिश की कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 के प्रारूप को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाए। मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को संसद में पेश करना प्रस्तावित है।

(घ) और (ङ) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक के प्रारूप में दिए गए ब्यौरे वर्तमान में गुप्त प्रकृति के हैं। क्योंकि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक का प्रारूप अभी मंत्रिमंडल अनुमोद की प्रक्रिया में है।

अतिरिक्त कोयला और गैस संपर्क

1116. श्री ए. सम्पत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को किसी राज्य से अतिरिक्त कोयला और गैस संपर्क हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. के वेणुगोपाल): (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकार यूटिलिटियों में कोयला संपर्क हेतु कुल 67,972 मेगावाट के 55 प्रस्ताव तथा गैस संपर्क के आबंटन हेतु कुल 40,482 मेगावाट के 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के विवरण क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) कोयला संपर्क प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय की 12वीं योजना की कोयला संपर्क नीति के अनुसार पूर्व-अर्हक हैं तथा वरीयता प्राप्त हैं। कोयला संपर्क के आबंटन हेतु वरीयता-सूची को कोयला मंत्रालय को भेजा गया है।

सरकार ने 12वीं योजना की विद्युत परियोजनाओं हेतु गैस के आबंटन की सिफारिश के मानदंड को अंतिम रूप पहले ही दे दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र हेतु गैस की अतिरिक्त उपलब्धता करवाए जाने का संकेत मिलते ही नई विद्युत परियोजनाओं हेतु गैस के आबंटन पर विचार किया जाएगा।

विवरण-I

ताप विद्युत परियोजनाओं का विवरण जिनके लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों से कोयला लिंकेज हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए

क्र.सं.	परियोजना/एजेंसी का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
	हरियाणा	
1.	दीनबंधु छोटू राम टीपीपी विस्तार-(यू-3)/हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन	1X660
2.	हरदुआगंज टीपीपी विस्तार-II/यूपीआरवीयूएनएल	1X660

1	2	3
	राजस्थान	
3.	सूरतगढ़ टीपीएस स्टेज-V (यू-7॰8)/आरआरवीयूएनएल	2×660
4.	धबरा टीपी विस्तार स्टेज-II (यू-5,6)/आरआरवीयूएनएल	2×660
5.	कालीसिंध टीपीपी यू-1 और 2/आरआरवीयूएनएल	2×660
6.	बंसवारा टीपीपी बंसवारा थर्मल पावर कंपनी लि. (आरआरवीयूएनएल की सहायक) के-II)	2×660
7.	सुरतगढ़ टीपीएस स्टेज-VI (यू-9,10)/आरआरवीयूएन एल	2×660
8.	बांसवारा टीपीपी यू-1 एवं 2 आरआरवीयूएनएल	2×660
9.	कालीसिंध टीपीपी-3 एवं 4/आरआरवीयूएनएल	2×660
	महाराष्ट्र	
10.	महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पो. (केस-II)	2×660
11.	लातूर जॉयंट वेंचर कंपनी, प्रोजेक्ट/(महाजेनको और भेल के बीच जेवी)	2×660
12.	भुसावल रिपल्समेंट प्रोजेक्ट/महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि.	1×660
13.	गोंडीया टीपीपी, महाराष्ट राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि.	2×660
14.	कनपा टीपीपी, महाराष्ट राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि.	2×660
15.	मेंडकी टीपीपी, महाराष्ट राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि.	2×660
16.	नासिक टीपीपी यू-6 महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि.	1×660
	मध्य प्रदेश	
17.	शाहपुरा टीपीपी/शाहपुरा थर्मल पावर कं. (एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. की सहायक) (केस-II)	2×660
18.	श्री सिंघाजी टीपीपी स्टे-II (मालवा)/एमपीपीजीसीएल	2×660
19.	वाणसागर टीपीपी/मपीपीजीसीएल	2×800
20.	डाडा धुनीवाले खंडवा पावर लि./मपीपीजीसीएल और भेल का जेवी	2×800
	छत्तीसगढ़	
21.	कोरबा दक्षिण टीपीपी/(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कं लि. द्वारा-सीएसईबी की एक अधिग्रहण कंपनी)	2×500

1	2	3
22.	जांजगिर में गोधना एसटीपीपी-चंपा/केपीसीएल	2×800
23.	बांजी बंडेली टीपीपी/(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कं लि. द्वारा-सीएसईबी की एक अधिग्रहण कंपनी)	2×500
	बिहार	
24.	बरौनी एक्स. टीपीपी/बीएसईबी/	2×250
25.	बक्सर टीपीपी/बीएसईबी(केस-II)	2×660
26.	पीरपैंतीटीपीपी/बीएसईबी(केस-II)	2×660
27.	लखीसराय टीपीपी/बीएसईबी(केस-II)	2×660
	उत्तर प्रदेश	
28.	ललितपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/यूपीपीसीएल	3×660
29.	पनकी एक्स थर्मल पावर प्रोजेक्ट/यूपीआरवीयूएनएल	1×250
30.	जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/यूपीपीसीएल (केस-II)	2×660
31.	अनपारा-ई टीपीपी यूपीआरवीयूएनएल	2×660
32.	दोपाहा थर्मल पावर प्रोजेक्ट/यूपीपीसीएल (केस-II)	3×660
33.	ओबरा सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट/यूपीआरवीयूएनएल	2×660
34.	यमुना एक्सप्रेसवे टीपीपी/यूपीपीसीएल (केस-II)	3×660
	पंजाब	
35.	गिदड़बाहा टीपीपी/पीएसपीसीएल (केस-II)	4×660
36.	जीएनडीटीपी (गुरु नानक देव थर्मल प्लांट) स्टे-III/पीएसपीसीएल	2×250
37.	जीएचटीपी एस-III लेहरा मोहब्बत/पीएसपीसीएल	2×250
	पश्चिम बंगाल	
38.	कटवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट/डब्ल्यूबीपीडीसीएल/(डब्ल्यू बी पावर डेवलपमेंट कॉर्पो. लि.)	2×800
39.	बकरेश्वर टीपीपी एक्स, एक्स,, यू-6डब्ल्यूबीपीडीसीएल (डब्ल्यू बी पावर डेवलपमेंट कॉर्पो. लि.)	2×600
40.	सागरदीघी टीपीपी एक्स., यू-3 एवं4/डब्लूबीपीडीसीएल/(डब्ल्यू बी पावर डेवलपमेंट कॉर्पो. लि.)	1×600

1	2	3
	कर्नाटक	
41.	गुलबर्गा थर्मल पावर प्रोजेक्ट/पीसीकेएल (पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लि.) (केस-II)	2×660
42.	यरमारस टीपीपी/केपीसीएल (कर्नाटक पावर कॉर्पो. लि.)	2×800
43.	इडलापु टीपीपी/केपीसीएल	1×800
44.	बेल्लारी टीपीएस (यू-III)/केपीसीएल	1×700
45.	घाटप्रभा टीपीपी/पीसीकेएल (पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लि.) (केस-II)	2×660
	उड़ीसा	
46.	आईबी टीपीएस में टीपीपी/ओपीजीसीएल	2×660
47.	उड़ीसा थर्मल पावर कॉर्पो. लि./उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पो. लि. एवं उड़ीसा माइनिंग कॉर्पो. लि. की जेवी कंपनी	3×660 (चरण-I 2×660 मे.वा. चरण-II 1×660 मे.वा)
	तमिलनाडु	
48.	इन्नौर टीपीपएस तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉर्पोरेशन लि. का उपक्रम	1×660 (1×660+20%)
49.	उदानगुड़ी सुपर क्रिटिकल टीपीप/यूपीसीएल (टीएनईबी एवं भेल का जेवी)	2×800
50.	इन्नौर एसईजेड सुपरक्रिटिकल टीपीपी/टीएनईबी	2×800
	आंध्र प्रदेश	
51.	आईजीसीसी पावर प्लांट/एपीजेनको	1×182
52.	सत्तुपल्ली टीपीपी/एपीजेनको	1×600
53.	वोदारेवु टीपीपी/एपीनेजको	5×800
54.	रायलसीमा टीपीपी स्टे-IV/एपीजेनको (क्षमता में वृद्धि)	1×600*
	असम	
55.	मार्गेरीटा टीपीपी/असम पीजीसीएल एवं एनटीपीसी का जेवी	2×250

1500 मेगावाट के स्थार पर जिसका कोयला लिंकेज स्वीकृत हो चुका है

विवरण-II

ताप विद्युत परियोजनाओं का विवरण जिनके लिए विद्युत यूटिलिटी से गैस लिंकेज हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम/एजेंसी	12वीं योजना हेतु	राज्य में स्थित
1.	करीम नगर सीसीजीटी एपीपीडीसीएल द्वारा	2100	आंध्र प्रदेश
2.	प्रगति-II सीसीजीटी (बमनौली) पीपीसीएल द्वारा	800	दिल्ली
3.	जीएसईजी द्वारा हजीरा में सीसीपीपी	350	गुजरात
4.	जीएसपीसी द्वारा पीपावाव में सीसीजीटी	351	गुजरात
5.	जीएसईसीएल द्वारा धुवरन में सीसीपीपी-III	395	गुजरात
6.	मैसर्स एचपीजीसीएल द्वारा फरीदाबाद में सीसीजीटी	15900	हरियाणा
7.	केपीसीएल द्वारा बीदादी सीसीजीटी	1400	कर्नाटक
8.	केपीसीएल द्वारा टडाडी सीसीजीटी	2100	कर्नाटक
9.	केपीसीएल द्वारा ब्रहमपुरम सीसीजीटी	1026	केरल
10.	केपीसीएल द्वारा चेमेनी सीसीजीटी	1200	केरल
11.	महाजेनको द्वारा उरान सीसीजीटी	1220	महाराष्ट्र
12.	पीएसपीसीएल द्वारा रोपर सीसीजीटी	100	पंजाब
13.	आरआरवीयूएनएल द्वारा छाबरा सीसीपीपी	330	राजस्थान
14.	आरआरवीयूएनएल द्वारा धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान
15.	आरआरवीयूएनएल द्वारा कोटा सीसीपीपी	330	राजस्थान
16.	आरआरवीयूएनएल द्वारा केशोराई पटन सीसीजीटी	1000	राजस्थान
17.	यूपीसीएल द्वारा जहांगीरपुर गैस प्रोजेक्ट	1200	उ.प्र.
18.	यूपीपीसीएल द्वारा गौतमबुद्ध नगर गैस विद्युत परियोजना	1600	उ.प्र.
19.	यूपीपीसीएल द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे विद्युत परियोजना	2000	उ.प्र.
20.	यनम पावरजेनेरेशन (पी) लि.	250	पुडुचेरी यूटी

बच्चों को गोद लेना

1117. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बच्चों को गोद लेने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद लेने संबंधी काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई प्रस्ताव इस संबंध में बच्चों और संभावित अभिभावकों के ऑनलाइन डाटाबेस की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं। ये शिकायतें कानूनी प्रक्रिया में विलंब होने और दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों के उपलब्ध न होने एवं उनके संबंध में सूचना न मिलने के बारे में हैं। दत्तक ग्रहण को सुकर बनाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फरवरी, 2011 में एक वेब आधारित प्रबंधन प्रणाली, बच्चों का दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली शुरु की है, जो दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों की जानकारी और दत्तक ग्रहण के लिए प्रतीक्षारत संभावित माता-पिता का ब्यौरा प्रदान करती है। चुनिंदा सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

यह प्रणाली ऑन लाइन पंजीकरण और दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता को स्थिति का पता लगाने में भी सहायता करती है। यह प्रत्येक एजेंसी में दत्तक ग्रहण योग्य उपलब्ध बच्चों की संख्या की जानकारी भी देती है।

आईसीडीएस योजना के माध्यम से अतिरिक्त योजनाओं को लागू करना

1118. श्री पी.के. बिजू: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के माध्यम से कई अतिरिक्त योजनाएं शुरू की गईं/चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा उपर्युक्त योजनाओं की निगरानी करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या आईसीडीएस योजना के अंतर्गत इन योजनाओं हेतु प्रशासनिक कर्मचारियों और धनराशियों का कोई प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (च) वर्ष 2010-11 में दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं अर्थात् 200 जिलों में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण-सबला और 52 जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग-सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम का क्रियान्वयन आई.सी.डी.एस. अवसंरचना और आंगनवाड़ी केंद्र की संरचना का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. अवसंरचना का उपयोग करते हुए किशोरी शक्ति योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इन स्कीमों के अपने दिशानिर्देश, निधियां और निगरानी तंत्र हैं और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्कीमों का मानीटरिंग करें।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर अतिरिक्त जनशक्ति का प्रावधान है। स्कीम के क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए स्कीम के अंतर्गत दो जिलों को शामिल करने वाला प्रत्येक राज्य आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठ के पास एक राज्य समन्वयकर्ता और एक कार्यक्रम सहायक तथा जिला स्तर पर एक जिला समन्वयकर्ता और एक कार्यक्रम सहायक अनुबंध के आधार पर होते हैं।

सबला और किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत कोई अतिरिक्त जनशक्ति नहीं दी गई है क्योंकि ये दोनों स्कीमें प्रायोगिक आधार पर चलाई जाती हैं।

वर्ष 2011-12 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिए 520 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। सबला के लिए (किशोरी शक्ति योजना सहित) वर्ष 2011-12 के लिए बजट प्रावधान 750 करोड़ रुपए है।

राजकोषीय घाटा

1119. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011-12 के लिए राजस्व में बढ़े हुए ईंधन मूल्य के प्रभाव को कम करने में 49,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्व हानि की पूर्ति अन्य माध्यमों से करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) अनुमानित क्षति के आधार के लिए अनेक कारक हैं जैसे, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, विनिमय दर, आयात की मात्रा और घरेलू खपत। कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल एवं अन्य परिष्कृत उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्क तथा डीजल पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए पूरे वित्त वर्ष में अनुमानित राजस्व नुकसान 49000/- करोड़ रुपये संभावित है। ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरणी भरना बंद कर देने वालों का पता लगाने, विशेष लेखा परीक्षा करवाने तथा बकायों का परिनिर्धारण करने जैसे कतिपय उपायों द्वारा कर प्रशासन को सुदढ़ करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

विवरण

सीमा शुल्क

क्र.सं.	मद	बुनियादी सीमा शुल्क दर में कटौती से	तक	अनुमानित राजस्व नुकसान (करोड़ रुपये में)
1.	कच्चा पेट्रोलियम	5%	शून्य	
2.	पेट्रोल और डीजल	7.5%	2.5%	
3.	अन्य पेट्रोलियम उत्पाद (शून्य/2.5% वाले उत्पाद छोड़कर)	10%	5%	
	योग			26000
उत्पाद शुल्क				
1.	बिना ब्रांडनाम के विक्रय हेतु डीजल	2.60/- रु./लीटर	शून्य	23000
	कुल योग			49000

[हिन्दी]

714-28

पीएचसी में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

1120. श्री डॉ. संजय सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि अनुसार उत्तर प्रदेश सहित देश में प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की कुल संख्या कितनी है तथा प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां प्रस्तावित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रस्तावित सुविधाओं की कमी हेतु कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) देश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निर्धारित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्योपाध्याय): (क) और (ख) बुलेटिन ऑन रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, 2010 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ देश भर में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) को दर्शानेवाला राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के कारण बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उन्नत एवं सुदृढ़ किया जाता है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी आई पी) में अपनी आवश्यकताओं को शामिल करती है तथा भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर उन्हें कार्यान्वयन के लिए शामिल किया जाता है।

विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं

(मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएचसी की संख्या						
		कार्यरत पीएचसी की	प्रसव कक्ष सहित		आपरेशन थिएटर सहित		4-6 बिस्तरों सहित	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1570	1429	91.0	1413	90.0	1570	100.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	67	69.1	11	11.3	59	60.8
3.	असम	856	654	76.4	33	3.9	479	56.0
4.	बिहार	1863	480	25.8	480	25.8	533	28.6
5.	छत्तीसगढ़	716	319	44.6	95	13.3	255	35.6
6.	गोवा	19	13	68.4	13	68.4	13	68.4
7.	गुजरात	1096	1105	100.8	1105	100.8	1105	100.8
8.	हरियाणा	334	272	81.4	60	18.0	250	74.9
9.	हिमाचल प्रदेश	449	152	33.9	136	30.3	159	35.4
10.	जम्मू और कश्मीर	375	172	45.9	70	18.7	275	73.3
11.	झारखंड	330	33	10.0	NA	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	कर्नाटक	2193	1679	76.6	1679	76.6	1679	76.6
13.	केरल	813	103	12.7	85	10.5	24	3.0
14.	मध्य प्रदेश	1155	961	83.2	0	0.0	961	83.2
15.	महाराष्ट्र	1816	1549	85.3	1540	84.8	1816	100.0
16.	मणिपुर	73	38	52.1	0	0.0	19	26.0
17.	मेघालय	109	109	100.0	0	0.0	105	96.3
18.	मिजोरम	57	57	100.0	57	100.0	0	0.0
19.	नागालैंड	126	88	71.5	39	31.7	123	100.0
20.	उड़ीसा	1279	1151	90.0	89	7.0	132	10.3
21.	पंजाब	446	236	52.9	100	22.4	241	54.0
22.	राजस्थान	1504	1193	79.3	154	10.2	1503	99.9
23.	सिक्किम	24	24	100.0	24	100.0	24	100.0
24.	तमिलनाडु	1283	1283	100.0	70	5.5	450	35.1
25.	त्रिपुरा	79	60	75.9	2	2.5	48	60.8
26.	उत्तराखंड	239	115	48.1	97	40.6	186	77.8
27.	उत्तर प्रदेश	3692	1071	29.0	982	26.6	1147	31.1
28.	पश्चिम बंगाल	909	904	99.4	165	18.2	842	92.6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	19	100.0	19	100.0	19	100.0
30.	चंडीगढ़	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	100.0	4	66.7	6	100.0
32.	दमन और दीव	3	3	100.0	2	66.7	1	33.3
33.	दिल्ली	8	1	12.5	1	12.5	4	50.0
34.	लक्षद्वीप	4	4	100.0	4	100.0	4	100.0
35.	पुडुचेरी	24	20	83.3	6	25.0	16	66.7
	अखिल भारत	23673	15370	64.9	8535	36.1	14048	59.3

1. सुविधा संबंधी स्थिति में हरियाणा के 107 पीएचसी को शामिल नहीं किया गया है जो सीएचसी के साथ सह-अवस्थिति हैं।

2009 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुई है।

कालम (13) से (16) के लिए 2009 आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं

(मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या										
		कार्यरत की संख्या	बिजली आपूर्ति के बगैर		नियमित जलापूर्ति के बगैर		ऑल वेदर मोटोरेबल एप्रोच रोग के बगैर		टेलीफोन के साथ		कंप्यूटर के साथ	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1570	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1387	88.3	1387	88.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	31	32.0	29	29.9	11	11.3	13	13.4	0	0.0
3.	असम	856	83	9.7	392	45.8	29	3.4	447	52.2	549	64.1
4.	बिहार	1863	1330	71.4	311	16.7	52	2.8	533	28.6	480	25.8
5.	छत्तीसगढ़	716	191	26.7	324	45.3	115	16.1	355	49.6	383	53.5
6.	गोवा	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	100.0	19	100.0
7.	गुजरात	1096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1105	100.8	1073	97.9
8.	हरियाणा	334	3	0.9	11	3.3	0	0.0	260	77.8	197	59.0
9.	हिमाचल प्रदेश	449	68	15.1	67	14.9	35	7.8	31	6.9	14	3.1
10.	जम्मू और कश्मीर	375	42	11.2	78	20.8	53	14.1	96	25.6	59	15.7
11.	झारखंड	330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.	कर्नाटक	2193	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1620	73.9	860	39.2
13.	केरल	813	0	0.0	0	0.0	48	5.9	368	45.3	813	100.0
14.	मध्य प्रदेश	1155	0	0.0	0	0.0	192	16.6	280	24.2	12	1.0
15.	महाराष्ट्र	1816	156	8.6	327	18.0	485	26.7	1740	95.8	1806	99.4
16.	मणिपुर	73	15	20.5	55	75.3	12	16.4	6	8.2	73	100.0
17.	मेघालय	109	7	6.4	13	11.9	59	54.1	18	16.5	85	78.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	मिजोरम	57	0	0.0	57	100.0	57	100.0	57	100.0	45	78.9
19.	नागालैंड	126	25	20.3	20	16.3	16	13.0	118	95.9	15	12.2
20.	उड़ीसा	1279	198	15.5	312	24.4	6	0.5	210	16.4	117	9.1
21.	पंजाब	446	20	4.5	12	2.7	0	0.0	114	25.6	49	11.0
22.	राजस्थान	1504	0	0	0	0.0	0	0.0	1504	100.0	276	18.4
23.	सिक्किम	24	0	0.0	0	0.0	0.0	4.2	21	87.5	24	100.0
24.	तमिलनाडु	1283	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1165	90.8	1165	90.8
25.	त्रिपुरा	79	5	6.3	12	15.2	26	32.9	40	50.6	52	65.8
26.	उत्तराखंड	239	16	6.7	16	6.7	23	9.6	98	41.0	42	17.6
27.	उत्तर प्रदेश	3692	902	24.4	695	18.8	300	8.1	290	7.9	308	8.3
28.	पश्चिम बंगाल	909	32	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	84.2
30.	चंडीगढ़	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	6	100.0
32.	दमन और दीव	3	0	0.0	0	0.0	0	00	3	100.0	3	100.0
33.	दिल्ली	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	87.5	6	75.0
34.	लक्षद्वीप	4	0	0.0	0	0.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0
35.	पुडुचेरी	24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	100.0	15	62.5
	अखिल भारत	23673	2124	14.2	2731	12.4	1524	7.5	11939	54.4	9953	47.0

1. सुविधा संबंधी स्थिति में हरियाणा के 107 पीएचसी को शामिल नहीं किया गया है जो सीएचसी के साथ सह-अवस्थिति हैं।

2009 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुई है।

कालम (2) से (7) के लिए 2009 आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत की आपूर्ति

1121. **श्री रवनीत सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-भरोसेमंद और महंगी विद्युत अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा का एक कारण है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को उचित दरों पर गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एवं (ख) किसी भी अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त विश्वसनीय तथा गुणवत्ता का प्रावधान एक अनिवार्य आवश्यकता है। अत: एक सरकार ने देश में न केवल विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ही बल्कि इसकी विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

योजना आयोग द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान 11वीं योजना के दौरान 62.347 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 11वीं योजना के दौरान 30 जून, 2011 तक कुल 37,971 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं जो 10वीं योजना के दौरान 21,180 मेगावाट की कुल क्षमता अभिवृद्धि का लगभग 180% है तथा शेष क्षमता निष्पादनाधीन है। इसके अनुक्रम में 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान देश में ऊर्जा उपलब्धता में 6% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) रिकार्ड की गई तथा ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन कमी जो 2006-07 में (10वीं योजना के अंत में) 9.6% तथा 13.8% थी, वह अप्रैल से जून, 2011 के दौरान घटकर क्रमश: 6.6% तथा 9.2% रह गई। व्यापारियों और पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यावसायिक विद्युत का औसत मूल्य जो 2008-09 में रुपये 7.29 प्रति कि.वा.घं. तथा रुपये 7.49 कि.वा.घं. थी, वह 2010-11 में घटकर क्रमश: रुपये 4.79 प्रति कि.वा.घं. तथा रुपए 3.47 प्रति कि.वा.घं. रह गई।

समय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंडसी) हानियों, जिनसे उपभोक्ता प्रशुल्क पर बोझ पड़ता है, में कमी करने के लिए प्रमुख कदम के रूप में पुन:गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के द्वारा उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आर-एपीडीआरपी के भाग-क के अंतर्गत विचारणीय बड़े शहरें हेतु ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा तथा पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़े अधिग्रहण (स्काडा) हेतु आई. टी. समर्पित प्रणाली तथा साथ ही साथ भाग-ख के अंतर्गत विचारणी नियमित वितरण प्रणाली उन्यन एवं सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं से, अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की विश्वनीयता में सुधार होगा। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसइआरसी) ने विद्युत की गुणवत्ता तथा आपूर्ति की विश्सनीयता हेतु निष्पादन मानक अधिसूचित किए हैं जिनका वितरण कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाना होता है।

अविश्वसनीय एवं महंगी विद्युत के कारण अर्थव्यवस्था के गति धीमी होने की कोई रिपोर्ट किसी राज्य से विद्युत मंत्रालय को नहीं मिली है।

724-70

बैंकों में व्यापक पूंजी योजना

1122. श्री के. सुगुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यापक पूंजी योजना अभ्यास शुरू करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएसबी ने उक्त योजना औयास को शुरू करने में कुछ आपत्तियां जतायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बासिल II पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा ये बैंक बासिल II के तहत् बुनियादी दृष्टिकोण पहले ही कार्यान्वित कर चुके हैं। आरबीआई ने बासिल II के तहत् उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु एक रूपरेखा भी तैयार की है। बासिल II दिशानिर्देशों में 8% कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) की व्यवस्था की गई है जिसमें से न्यूनतम 50% टीयर I पूंजी होनी चाहिए। आरबीआई ने 9% की न्यूनतम सीएआर, 6% की न्यूनतम टीयर I पूंजी के साथ, का अधिदेश दिया है।

भारत सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंको (पीएसबी) को भलीभांति पूंजीकृत करने के उद्देश्य से, पीएसबी के लिए 12% की न्यूनतम सीएआर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जिसमें से न्यूतनम 8% टीयर I पूंजी होनी चाहिए। पीएसबी को बासिल III के लिए तैयार करने के लिए भी यह जरूरी है जिसमें पूंजी की गुणवत्ता सुसंगति, जोखिम कवरेज एवं पारदर्शिता में सुधार करने का प्रावधान है और इन्हें गैर-जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात सुधार एवं वैश्विक चलनिधि मानकों द्वारा सम्पूरित किया जाता है।

[हिन्दी] 730-31

कर वंचन संबंधी सूचना

1123. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कर वंचन संबंधी सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले की सूचना किस तिथि को प्राप्त हुई है;

(घ) उक्त मामलों को, यदि कोई हो तो, निपटाए जाने में विलंब का मामला-वार कारण क्या है; और

(ङ) उक्त ऐसे प्रत्येक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) आयकर विभाग केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कर वंचन सूचित करने वाली सूचना प्राप्त करता है।

(ख) से (ङ) पूरे देश में स्थित आयकर विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर समय-समय पर सूचना प्राप्त होती है ऐसे सभी मामलों में अविलंब उचित सत्यापन किया जाता है। संपूर्ण देश में प्राप्त ऐसी सूचना का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से मंत्रालय में नही रखा जाता है।

[अनुवाद] 731-73

जन्म देने के समय महिलाओं की मृत्यु 72

1124. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सेव द चिल्ड्रेन्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड मदर 2011' रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक 140 महिलाओं में से एक महिला प्रशिक्षित स्वास्थ्य कामगार की उपलब्धता के अभाव के कारण बच्चा जन्म देने के समय मारे जाने के जोखिम को झेलती है तथा 47 प्रतिशत महिला जन्म देने के समय उच्च जोखिम को उठाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसका क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत एमओएम वेलनेस सूचकांक में 75वें पायदान पर है; और

(घ) यदि हां, तो देश में महिलाओं की देखभाल हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्धोपाध्याय): (क) से (घ) जी, हां। "सेव-द चिल्ड्रन" संस्था द्वारा प्रकाशित "चैम्पियन्स फॉर चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मदर्स, 2011" नामक रिपोर्ट में, "मदर्स इंडेक्स" नामक संयुक्त इंडेक्स पर 164 देशों में माताओं और बच्चों का श्रेणीकरण करके उनके कल्याण की तुलना की गई है, यह इंडेक्स मुख्यत: महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति तथा बच्चों के संबंध में पारिभाषित संकेतकों से संबंधित देश-विशेष के कार्य-निष्पादन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त भारत को कम विकसित देशों के मदर्स इंडेक्स में 75वें पायदान पर रखा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में "मातृ-मृत्यु का जीवन-काल जोखिम" अथवा गर्भावस्था के दौरान मरने वाली महिला का जोखिम तथा उसकी प्रजनक जीवन-अवधि के दौरान बात जन्म से सम्बद्ध कारण 140 में से 1 है। तथापि, 2007-09 में भारत में मातृ-मृत्यु संख्या, सम्बंधी अद्यतन आर.जी.आई.-एस.आर.एस. रिपोर्ट के अनुसार, "मातृ-मृत्यु का जीवन काल जोखिम" का अनुमान 0.6% अथवा 167 में 1 है।

रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि भारत में, 47% महिलाएं जिन्हें बच्चे के जन्म के समय कुशल परिचर्या नहीं मिल पाती, जन्म देते समय अधिक जोखिम का सामना करती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तथा प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II के कार्य क्षेत्र में माताओं की तन्दुरूस्ती में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए गए हैं और उनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- जननी सुरक्षा योजना के जरिए संस्थानिक प्रसव को बढ़ावा।
- बुनियादी तथा विस्तृत प्रसूति देखभाल में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का क्षमता-निर्माण।
- 24x7 बुनियादी तथा विस्तृत प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों का प्रचालन।
- प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं की नाम के आधार पर ट्रेकिंग करना।
- माताओं तथा बच्चों के लिए सेवा-प्रसूति की मॉनीटरिंग करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मां बाल-सुरक्षा कार्ड।
- एनीमिया की रोकथाम तथा उपचार के लिए गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन तथा फोलिक एसिड की आपूर्ति करना।
- मांग सृजित करने तथा समुदाय द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुलभता सुकर कराने के लिए 80,000 से

734-36

अधिक प्रत्यायित सामाजिक-स्ववास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की तैनाती।

- खुराक संबंधी विविधता को प्रोन्नत करने के लिए स्वास्थ्य तथा पोषण-शिक्षा, आयरन तथा अच्छे भोजन तथा खाद्य मदें जो आयरन को समाहित करने में सहायता देती है, को शामिल करना।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) नामक नई पहल हाल ही में आरंभ की गई है जिसके अंतर्गत प्रसव करने वाली सभी गर्भवती महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने की पात्र हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं तथा जहां सीजेरियन सेक्शन सहित प्रसूति पर कोई खर्च नहीं देना होगा। इस पहल में, रेफरल तथा घर वापस छोड़ने के मामले में सुविधा केंद्रों के बीच, घर से संस्था तक निःशुल्क परिवहन के अलावा, निःशुल्क औषध, निदान-विद्या, रक्त तथा खुराक, निर्धारित की गई है।

यूलिप

773

1125. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यूनिट लिंक्ड इन्शयोरेंस पॉलिसी (यूलिप) प्रदान करने वाली बीमा कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा कंपनी-वार बेचे गए यूलिप की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार तथा कंपनी-वार वापस किए गए यूलिप का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वापस की गयी पॉलिसी से एकत्र किए गए प्रीमियम का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और कंपनी-वार वापस किए गए पॉलिसी के लिए दावा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंक शाखाओं की कमी

1126. श्री प्रभात सिंह:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और गुजरात में अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को उक्त क्षेत्रों में शाखा खोलने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) मध्य प्रदेश और गुजरात के उक्त क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार/आरबीआई द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) गुजरात के 12 जिले तथा मध्य प्रदेश के 41 जिलों को कम बैंक सुविधा वाले जिलों से रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने पहले ही वित्तीय समावेशन योजना 2010-12 के अंतर्गत मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले देश के सभी कम बैंक सुविधा वाले गांवों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने का निदेश दिया है। इस अभियान के तहत गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में क्रमशः 3502 तथा 2736 गांवों को चिह्नित किया गया है तथा मार्च 2012 तक बैंकिंग कवरेज के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को आबंटित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) को तैयार करते समय, बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक सुविधा रहित (टीयर V और टीयर VI) केन्द्रों पर आबंटित करना चाहिए।

विवरण

गुजरात और मध्य प्रदेश में कम बैंक सुविधा वाले जिलों की सूची

क्र.सं.	गुजरात	मध्य प्रदेश
1	2	3
1.	अमरेली	बालाघाट
2.	बनस्कण्ठ	बारवानी
3.	भावनगर	बेतुल
4.	दहोद	भिंड
5.	डांग	छतरपुर
6.	जूनागढ़	छिन्दवाड़ा
7.	नर्मदा	दामोह
8.	पंचमहल	दातिया
9.	पाटन	देवास
10.	सबरकण्ठ	धार
11.	सूरत	डिंडोरी
12.	सुरेन्द्रनगर	पूर्वी निमार
13.		गुना
14.		हरदा
15.		होशंगाबाद
16.		झाबुआ
17.		कटनी
18.		मंडला
19.		मंदसौर
20.		मुरैना
21.		नरसिंहपुर
22.		नीमच
23.		पन्ना
24.		रायसेन
25.		राजगढ़
26.		रतलाम
27.		रीवा
28.		सागर
29.		सतना
30.		सीहोर
31.		सियोनी
32.		शहडोल
33.		शाजापुर
34.		श्योपुर
35.		शिवपुरी
36.		सिधि
37.		टीकमगढ़
38.		उज्जैन
39.		उमरिया
40.		विदिशा
41.		पश्चिम निमार

[अनुवाद] 736-37

एक से ज्यादा पैन कार्ड

1127. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थाई खाता संख्या (पैन) धारकों और कर विवरणियों की संख्या में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एक से ज्यादा पैन कार्ड को कम करने तथा कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) पैन कार्ड धारकों की संख्या

31.3.2009 तक	8,09,21,993
31.3.2010 तक	9,59,26,877
31.3.2011 तक	12,10,45,706

वित्त वर्ष के दौरान दाखिल विवरणियों की संख्या

वित्त वर्ष 2008-09	3,38,69,67
वित्त वर्ष 2009-10	3,27,36,625
वित्त वर्ष 2010-11	3,47,75,956

(ग) जी, हां।

(धा) विभाग ने अपने स्वचालित कम्प्यूटर प्रणाली से एक ही व्यक्ति के अनेक पैन कार्ड होने का पता लगा लिया है। आज ही तारीख तक 11,69,238 बहु पैन कार्डों का पता लगा लिया गया है एवं उन्हें रद्द कर दिया गया है।

(ङ) लागू नहीं होता।

विद्युत अधिनियम, 2003

1128. राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री इज्यराज सिंहः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने निजी विद्युत वितरण कंपनियों से संबंधित नियमों को कार्यान्वित नहीं किया है जिन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 79 के अंतर्गत गुणवत्ता, सततता और विश्वसनीयता का पालन करने हेतु लाइसेंस जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 79 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के कार्यों की व्यवस्था की गई है जिसमें वितरण कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया जाना शामिल नहीं है। वितरण के लिए लाइसेंस विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(घ) के अंतर्गत राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा प्रदान किया जाना है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत में अंतर्राज्यीय पारेषण विद्युत में अंतर्राज्यीय व्यवसाय के लिए यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अंतर्राज्यीय पारेषण तथा विद्युत में अंतर्राज्यीय व्यवसाय हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए शर्तों एवं निबंधनों को परिभाषित करते हुए पहले ही विनियम निर्धारित कर दिए हैं। इस अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, सीईआरसी ने भारत विद्युत ग्रिड कोड विनियम 2010 पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं जिससे विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाते हुए अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय, आर्थिक एवं कुशल तरीके से विद्युत प्रणाली की योजना, विकास अनुरक्षण तथा प्रचालन हेतु प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों एवं सहभागियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों को निर्धारित किया गया है। ये विनियम सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के लाइसेंसियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डॉक्टरों और पराचिकित्सकीय कर्मचारियों की कमी

1129. श्री समीर भुजबलः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप केन्द्रों में डॉक्टरों और पराचिकित्सकीय कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया/उठाया जा रहा है;

(घ) एनआरएचएम के अंतर्गत खाली पड़े स्वीकृत डॉक्टरों/विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों की संख्या कितनी है;

(ङ) रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाया है;

(च) क्या सरकार की कोई योजना प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को पूर्ण शामिल किए जाने हेतु प्रशिक्षण देने की है ताकि देश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ङ) भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी सबंधी बुलेटिन, 2010 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी)/उप-केंद्रों (एससी) में डॉक्टरों और परा-चिकित्सीय स्टाफ में कमी को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कमी के लिए पाए गए विभिन्न कारणों में डॉक्टरों और पेरामेडिक्स की अपेक्षित संख्या की गैर-उपलब्धता, चिकित्सा कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी, कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के प्रति अनिच्छा, आवास का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना की अनुप्लब्धता इत्यादि हैं।

पूरे देश में पीएचसी में डॉक्टरों के कुल 6148 पद तथा सीएचसी में विशेषज्ञों के 4156 पद खाली पड़े हैं।

मानव संसाधनों का संवर्धन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएफ) के अंतर्गत जोर देने वाली क्षेत्रों में ऐ एक है। संविदात्मक आधार पर स्टाफ की नियुक्ति के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत वित्तीय सहातया प्रदान की जाती है। विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए डॉक्टरों की बहुदक्षता, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान, उन्नत आवास संबंधी व्यवस्था, अधिक से अधिक डॉक्टरों तथा पेरामेडिक्स तैयार करने के लिए अधिकाधिक चिकित्सा कॉलेज, जीएनएम स्कूल, एएनएम स्कूल स्थापित करने हेतु उपाय भी ऐसे उपाय हैं, जो मानव संसाधनों उपलब्धता में अंतराल को भरने के लिए किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में संविदात्मक आधार पर एनआरएचएम के अंतर्गत नियुक्त स्टाफ को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	पदनाम	जोड़े गए स्टाफ की संख्या
1.	विशेषज्ञ	7063
2.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	9432
3.	आयुष डॉक्टर	11575
4.	स्टाफ नर्स	33667
5.	एएनएम	60268
6.	परा-चिकित्सा	21740
7.	आयुष पेरा-मेडिक्स	4616

स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पद संबद्ध राज्य/संघ राजय क्षेत्र की सरकारों द्वारा भरे जाते हैं उन पर समय-समय रिक्त पदों को भरने के लिए दबाव डाला जाता है।

(च) और (छ) समुदाय, विशेष तौर पर माता और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य परिचर्या मुद्दों के बारे में आशाओं का अभिमुख करने वु लिए विभिन्न मोड्यूलों पर प्रशिक्षित किया जाता है। आशा (एएसएचए) का मुख्य कार्य समुदाय और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के बीच इंटरफेस प्रदान करना है। वे जन स्वास्थ्य प्रणाली में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की मांग तथा स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता पैदा करते हैं। तथापि, उन्हें गृह नवजात परिचर्या प्रदान करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विवरण

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी संबंधी बुलेटिन, 2010 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी एच सी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी)/उप-केन्द्रों (एससी) में डॉक्टरों और परा-चिकित्सीय स्टाफ में कमी को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण (मार्च, 2010 तक)

राज्य का नाम	पीएचसी में डॉक्टर	सी एच सी में विशेषज्ञ	एस सी और पी एच सी में स्वास्थ्य कर्मी (म)/एएनएम	एस सी में स्वास्थ्य कर्मी (पु)	स्वास्थ्य सहायक (म)/पी एच सी में एल एच वी	पी एच सी में स्वास्थ्य सहायक (पु)	सी एच सी में रेडियो-ग्राफर	पी एच सी और सी एच सी में फार्मासिस्ट	पी एच सी और सी एच सी में प्रयोगशाला तकनीशियन	पी एच सी और सी एच सी नर्सिंग स्टॉफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	*	188	*	6395	6	*	102	123	374	*
अरुणाचल प्रदेश	5	191	8	138	97	19	39	89	57	140
असम	*	223	*	3213			47	*	*	*
बिहार	298	176	2432	8622	1384	1229	55	1494	1798	928
छत्तीसगढ़	139	526	2506	2425	33	366	83	489	579	138
गोवा	*	7	*	39	8	7	*	*	*	*
गुजरात	259	1081	1939	2390	221	338	168	482	411	421
हरियाणा	*	358	*	581	11	441	34	138	204	*
हिमाचल प्रदेश	11	289	810	846	348	399	28	178	328	581
जम्मू और कश्मीर	*	143	218	1342	287	285	7	*	*	131
झारखंड	*	668	8	3310	240	*	165	174	101	106
कर्नाटक	*	574	8	4381	*	1535	295	464	1174	159
केरल	*	158	1215	3290	18	180	223	32	778	*
मध्य प्रदेश	614	1087	*	5324	800	1037	195	1157	1104	165
महाराष्ट्र	*	506	*	1662	*	*	244	260	1011	*
मणिपुर	*	63	*	89	1	0	4	*	8	*
मेघालय	*	112	*	272	30	40	7	*	4	*
मिजोरम	6	32	*	*	2	1	0	12	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नागालैंड	24	50	*	155	95	111	20	35	43	*
उड़ीसा	205	455	645	4118	325	1238	198	*	1122	2247
पंजाब	36	216	*	1050	93	233	22	*	99	*
राजस्थान	*	980	*	10155	97	1369	110	1285	*	*
सिक्किम	*	0	*	17	4	19	0	0	*	8
तमिलनाडु	*	1024	*	7747	415	*	158	380	669	*
त्रिपुरा	*	44	300	378	73	65	4	*	24	*
उत्तराखंड	5	142	*	1461	102	155	42	27	207	281
उत्तर प्रदेश	831	804	5004	18424	1652	*	352	680	3212	4670
पश्चिम बंगाल	*	1217	*	6275	909	909	122	154	923	*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	16	*	88	0	19	0	*	0	*
चडीगढ़	0	*	*	12	0	0	*	*	*	*
दादरा और नगर हवेली	0	4	*	41	5	6	0	*	*	*
दिल्ली	*	0	6	41	0	4	0	1	2	1
लक्षदीप	*	12	4	1	1	4	*	*	*	*
पुडुचेरी	*	7	*	53	15	19	0	*	*	*
कुल	2433	11361	15079	94337	7275	10029	2724	7655	14225	1361

नोट: *अतिरिक्त

होटल एवं खान-पान प्रबंधन संस्थान

1130. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने देथली (सिद्धपुरुपाटन) में राज्य के होटल एवं खान-पान प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पाटन को 15 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) गुजरात की राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन के अंतर्गत देथली (सिद्धपरु-पाटन) में राज्य होटल प्रबंध संस्थान की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की गई है।

(ग) "आईएचएम/एफसीआई इत्यादि के लिए सहायता की प्लान स्कीम" के लिए विद्यमान दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में राज्य होटल प्रबंध संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान नहीं करते हैं।

रक्त सुरक्षा कार्यक्रम

1131. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रक्त सुरक्षा कार्यक्रम सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में कितने मॉडल ब्लड बैंक कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में ब्लड बैंक स्थापित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के तहत रक्त सुरक्षा कार्यक्रम देश में सफल रहा है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान, एच.आई.वी. के लिए सीरों-अभिक्रियाशीलता में 1992 से 15.38% से 0.2% तक गिरावट आई है।

(ग) देश में इस समय 28 मॉडल ब्लड बैंक कार्यरत हैं।

(घ) और (ङ) उन 39 जिलों जहां एन.ए.सी.पी.-III (2007-12) के दौरान कोई ब्लड-बैंक नहीं था; में ब्लड बैंक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था (संलग्न विवरण-I) जिलों में 18 ब्लड-बैंक कार्यरत हैं (संलग्न विवरण-II)। अन्य जिलों में अवसंरचना तथा जन-शक्ति उपलब्ध न होने के कारण ब्लड-बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	एन.ए.सी.पी.-III के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	बिहार	1
2.	छत्तीसगढ़	3
3.	झारखंड	11
4.	कर्नाटक	4
5.	केरल	1
6.	मिजोरम	2
7.	उत्तर प्रदेश	14
8.	उत्तराखंड	3
	कुल	39

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	ब्लड-बैंक का नाम
1.	छत्तीसगढ़	सरकारी अस्पताल, बस्तर
2.		सरकारी अस्पताल, सरगुजा
3.		सरकारी अस्पताल, कोड़िया
4.	झारखंड	सरकारी अस्पताल, गढ़वा
5.		सरकारी अस्पताल, दुमका
6.		सरकारी अस्पताल, गुमला
7.		सरकारी अस्पताल, सिमडेगा
8.		सरकारी अस्पताल, साहेबगंज
9.	केरल	सरकारी अस्पताल, पेनावु, इदुक्की
10.	कर्नाटक	सरकारी अस्पताल, हावेरी
11.		पंडित जनरल हॉस्पिटल, सिरासी, उत्तर-कन्नड़
12.	उत्तर प्रदेश	सरकारी अस्पताल, हाथरस (महामाया नगर)
13.		सरकारी अस्पताल, खुशीनगर
14.		सरकारी अस्पताल, सिद्धार्थ नगर
15.		सरकारी अस्पताल, सोनभद्र
16.		संत कबीर नगर
17.	मिजोरम	जिला अस्पताल, लावंतलाई
18.		जिला अस्पताल, मामित

एन.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

1132. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (एनएफडब्ल्यूपी) के अंतर्गत देश में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए एनएफडब्ल्यूपी के अधीन आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मामले वित्तीय सहायता हेतु लंबित है; और

(ङ) लंबित मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्योपाध्याय): (क) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिला दिया गया है जिसे ग्रामीण जनसंख्या विशेषकर देश के संवेदनशील वर्गों को लक्ष्य, वहनीय और उच्चकोटि की स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं में अपने द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों का प्रेक्षण करते हैं और इन पर मंत्रालय द्वारा विचार और अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 (30.06.2011 तक) के संबंध में आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 (जून, 2011 तक) के दौरान
एनआरएचएम के अंतर्गत आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12	
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.71	12.56	12.76	16.82	8.23	20.11	20.28	15.84	18.65	22.64	3.09
2.	आंध्र प्रदेश	663.37	638.73	700.13	717.30	708.32	774.92	816.11	810.23	673.31	931.81	242.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.95	36.51	57.69	51.14	57.32	66.16	66.67	73.76	80.79	56.02	20.78
4.	असम	638.94	606.89	698.32	906.72	813.93	763.71	894.01	736.45	945.55	851.35	304.63
5.	बिहार	777.70	821.18	783.19	860.29	649.71	826.20	977.40	1035.18	1434.84	1122.10	226.67
6.	चंडीगढ़	8.04	5.31	6.47	9.86	7.59	8.25	11.20	6.91	9.81	11.72	0.61
7.	छत्तीसगढ़	259.35	249.72	162.12	292.01	261.65	240.41	345.76	327.24	306.89	392.54	111.17
8.	दादरा और नगर हवेली	3.45	3.28	3.86	4.27	3.27	4.62	4.77	6.30	5.77	5.92	0.99

1	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13
9.	दमन और दीव	3.07	2.60	2.41	3.51	2.33	3.46	3.92	3.06	3.97	4.98	0.50
10.	दिल्ली	100.37	99.62	55.68	121.25	83.03	75.82	136.74	108.48	89.77	145.27	8.10
11.	गोवा	13.52	14.09	8.89	12.90	12.43	18.59	16.68	17.21	19.07	20.47	5.84
12.	गुजरात	414.07	342.81	495.43	464.90	500.55	634.27	528.69	556.79	757.88	600.61	164.86
13.	हरियाणा	166.20	165.02	187.73	179.72	206.17	336.78	203.94	219.69	263.82	233.52	62.27
14.	हिमाचल प्रदेश	77.74	64.21	94.84	97.07	115.41	167.81	110.68	113.22	164.79	123.89	31.21
15.	जम्मू और कश्मीर	102.24	76.48	111.94	134.94	130.34	155.59	153.87	173.80	209.97	175.54	47.69
16.	झारखंड	294.00	247.27	299.30	349.39	179.34	195.45	398.78	356.90	348.50	458.88	106.56
17.	कर्नाटक	461.83	437.84	428.94	505.17	436.86	680.64	551.80	586.38	752.43	612.69	246.31
18.	केरल	253.61	222.88	331.20	284.34	237.62	385.19	308.59	253.41	420.48	345.37	160.90
19.	लक्षद्वीप	2.13	1.22	2.18	2.09	1.09	2.86	2.28	2.54	2.57	3.99	0.39
20.	मध्य प्रदेश	609.02	707.88	686.97	705.88	604.79	741.28	766.66	784.40	956.56	870.83	203.00
21.	महाराष्ट्र	779.15	587.43	873.15	860.39	959.72	1044.71	981.28	903.36	1229.62	1078.51	289.28
22.	मणिपुर	66.34	56.58	62.06	90.09	81.45	64.11	98.67	67.98	73.76	88.49	6.94
23.	मेघालय	65.48	44.76	51.27	85.75	79.78	75.13	88.95	52.50	86.35	94.25	3.59
24.	मिजोरम	40.24	37.44	54.26	50.72	49.87	58.66	62.15	70.49	54.04	63.46	18.79
25.	नागालैंड	57.96	56.23	57.65	78.30	73.87	64.26	82.47	66.40	81.84	83.31	46.86
26.	उड़ीसा	392.88	388.05	334.05	457.57	470.18	646.74	494.09	549.44	661.58	568.53	210.09
27.	पुडुचेरी	11.31	5.12	7.29	11.32	12.04	13.34	13.94	16.32	17.36	15.17	4.68
28.	पंजाब	185.89	183.03	190.08	209.58	359.53	241.41	246.77	252.81	335.95	276.56	69.52
29.	राजस्थान	596.53	798.15	909.16	633.19	748.96	1001.74	743.41	863.97	1164.51	824.17	327.34
30.	सिक्किम	21.44	19.88	50.62	26.73	25.80	35.73	35.54	32.94	33.37	34.01	4.25
31.	तमिलनाडु	515.70	501.60	534.42	568.68	639.10	691.93	659.92	702.09	931.11	765.42	286.62

1	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13
32.	त्रिपुरा	88.32	77.58	68.73	125.20	111.98	81.10	116.91	85.47	106.12	117.46	6.27
33.	उत्तर प्रदेश	1727.59	1474.91	1546.06	1867.65	1965.82	2230.74	2079.73	2191.36	2677.69	2224.00	554.39
34.	उत्तराखंड	100.16	98.44	132.48	117.75	130.85	144.00	129.18	147.39	203.21	169.95	62.98
35.	पश्चिम बंगाल	639.93	539.79	563.75	678.81	741.25	730.24	771.41	680.79	922.54	870.31	254.97
	महायोग	10192.23	9625.09	10565.10	11581.30	11470.18	13225.99	12923.25	12871.11	16044.48	14263.72	4094.13

1. वर्ष 2009-10 और 2010-11 संबंधी व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. निर्मुक्ति के आंकड़ों में "अन्य" अर्थात मुख्यालय व्यय शामिल नहीं है।
3. विवरण के आंकड़ों में उप भोज्य, आईईसी, आरसीएच, औषध तथा उपस्कर शामिल नहीं है।

जनजातीय पर्यटन

1133. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने का है जहां पुराने रीति-रिवाज और जीवन शैलियां अब भी प्रचलन में हैं ताकि इन संस्कृतियों के ज्ञान का प्रसार किया जा सके और इन क्षेत्रों का विकास किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विकसित किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) जनजातीय क्षेत्रों सहित पर्यटक स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उन जनजातीय क्षेत्रों, जहां कला एवं शिल्प, हथकरघा, टेक्सटाइल्स, प्राकृतिक पर्यावरण इत्यादि में पूर्ण दक्षता है, को शामिल करते हुए गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के मख्य उद्देश्य से ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, 31 मार्च, 2011 तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 172 ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन संभाव्यता वाले जनजातीय क्षेत्रों सहित अपने विविध पर्यटन उत्पादों और पर्यटक गंतव्यों को शामिल करते हुए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है। इन पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन मीडिया अभियानों, पर्यटक साहित्यों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन स्थल
(31.3.2011 की स्थिति में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	4
4.	बिहार	1
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	दिल्ली	2
7.	गुजरात	5
8.	हरियाणा	1

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	25
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	5
13.	केरल	6
14.	मध्य प्रदेश	7
15.	महाराष्ट्र	2
16.	मणिपुर	4
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	12
20.	उड़ीसा	8
21.	पुडुचेरी	1
22.	पंजाब	5
23.	राजस्थान	3
24.	सिक्किम	11
25.	तमिलनाडु	9
26.	त्रिपुरा	10
27.	उत्तर प्रदेश	4
28.	उत्तराखंड	11
29.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	172

75 । - 58

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना

1134. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए और वर्ष 2011-12 के दौरान कितने प्राथमिक केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संबंधित राज्य/संघ शासित राज्य की सरकारों द्वारा जनसंख्या मानदंडों, मामला/कार्य-भार तथा दूरी के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें अपनी-अपनी जरूरी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा उनके क्रियान्वयन को आरंभ करने हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन के आधार पर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत अपनी-अपनी वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआईपी) में अपनी-अपनी अपेक्षाओं को समाविष्ट करती हैं।

गत तन वर्षों के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों में कार्यात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सभी राज्यों/संघ शासित में गत तीन वर्ष के दौरान कार्यात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण
(भारत में 2008, 2009, 2010 आर.एच.एम. में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	मार्च, 2010 को कार्यात्मक प्रा. स्वा. के.	मार्च, 2009 को कार्यात्मक प्रा.स्वा. के.	मार्च, 2008 को कार्यात्मक प्रा.स्वा. के.
1	2	3	4	5
1.	बिहार	1863	1776	1641
2.	छत्तीसगढ़	716	715	721

1	2	3	4	5
3.	हिमाचल प्रदेश	449	449	449
4.	जम्मू और कश्मीर	375	375	375
5.	झारखंड	330	321	330
6.	मध्य प्रदेश	1155	1155	1149
7.	उड़ीसा	1279	1279	1279
8.	राजस्थान	1504	1503	1503
9.	उत्तर प्रदेश	3692	3690	3690
10.	उत्तराखंड	239	239	239
11.	आंध्र प्रदेश	1570	1570	1570
12.	गोवा	19	19	19
13.	गुजरात	1096	1084	1073
14.	हरियाणा	441	437	420
15.	कर्नाटक	2193	2193	2195
16.	केरल	813	697	909
17.	महाराष्ट्र	1816	1816	1816
18.	पंजाब	446	394	484
19.	तमिलनाडु	1283	1277	1215
20.	पश्चिम बंगाल	909	922	924
21.	असम	856	844	844
22.	अरुणाचल प्रदेश	97	116	116
23.	मणिपुर	73	72	72
24.	मेघालय	109	105	103
25.	मिजोरम	57	57	57
26.	नागालैंड	126	123	86
27.	सिक्किम	24	24	24
28.	त्रिपुरा	79	76	76

1	2	3	4	5
29.	अंडमान और निकोबाद द्वीपसमूह	19	19	19
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	6
32.	दमन द्वीव	3	2	3
33.	दिल्ली	8	8	8
34.	लक्षद्वीप	4	4	4
35.	पुडुचेरी	24	24	39
	अखिल भारतीय	23673	23391	23458

नोट: केरल (2009) स्वास्थ्य संस्थाओं के मानकीकरण के क्रियान्वयन के कारण, कुछेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया था और इसी प्रकार इसके विपरीत किया गया था। इस प्रकार पिछले वर्ष के आंकड़ों में भिन्नता है।

केरल (2010): स्वास्थ्य संस्थाओं के मानकीकरण के क्रियान्वयन के कारण, कुछेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया था तथा इसी प्रकार इसके विपरीत किया गया था। कुछेक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें अधिक सुविधाएं तथा रोगी-उपस्थिति थी, को तालुक अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया गया है। अत: पिछले वर्ष से आंकड़ों में भिन्नता है।

पंजाब (2009): इस बात की पुष्टि की जाती है कि कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या जो 2008 में 484 थी 2009 में घट कर 394 हो गई है।

पंजाब (2010): इस बात की पुष्टि की जाती है कि राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत 50 ग्रामीण अस्पतालों/अन्य संस्थाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में अधिसूचित किया। संघ एस.डी.एच. को प्रा.स्वा.के. डिनोटिफाई किया।

पश्चिम बंगाल (2010): 13 प्रा.स्वा.के. केन्द्रों को बी.पी.एच.सी. में अपग्रेड कर दिया गया है।

जल विद्युत उत्पादन

1135. श्रीमती जे. शांता: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता और इसके अप्रयुक्त संसाधनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियों में जल विद्युत उत्पादन की काफी क्षमता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन नदियों पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना हेतु कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता का दोहन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पूर्व में किए गए देश के जल विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता (आई.सी.) के संबंध में जल विद्युत क्षमता 148701 मेगावाट अनुमानित की गई है जिसमें से 145320 मेगावाट क्षमता में 25 मेगावाट से अधिक की आई.सी. वाली जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं। उपरोक्त चिन्हित क्षमता में से, अब तक 33320. 8 मेगावाट (22.93%) का विकास किया जा चुका है और अन्य 15130 मेगावाट (10.41%) का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार से लगभग 66.66% चिन्हित क्षमता का अभी विकास किया जाना है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) पश्चिम में बहने वाली नदी प्रणाली 9430 मेगावाट (आईसी) वाली कुल 94 जल विद्युत स्कीमें में चिन्हित की गई है; जिसमें से 60 जल विद्युत स्कीमें 25 मेगावाट से अधिक हैं जिनकी कुल आई.सी. 8997 मेगावाट की है। पश्चिम में बहने वाली नदियों पर जल विद्युत उत्पादन के लिए चिन्हित जल विद्युत स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

8997 मेगावाट की चिन्हित क्षमता में से 5660.7 मेगावाट (62.92%) की कुल क्षमता का विकास किया गया है और 100 मेगावट (1.56%) निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त गुन्दिया-I जल विद्युत परियोजना (200 मेगावाट) सीईए द्वारा स्वीकृत की गई है। तैयार की गई एवं निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है। सरकार ने इन नदियों की जल क्षमता उपयोग में लाने के लिए बहुस्तरीय कार्यनीति अपनाई है। सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ नीतिगत कदम एवं पहलों, निवेश, राष्ट्रीय जल नीति, 2008 को अंतिम रूप देना, उदारवादी राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्गठन नीति, राष्ट्रीय जल नीति, 50,000 मेगावाट जल विद्युत की पहल और त्रि-स्तरीय स्वीकृति प्रक्रियाएं शामिल हैं।

विवरण-I

जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में-25 मेगावाट से अधिक

क्षे/राज्य	पुनःमूल्यांकन अध्ययन के अनुसार		विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकसित निर्माणाधीन क्षमता		विकसित की जाने वाली क्षमता	
उत्तरी	कुल (मे.वा.)	25(मे.वा.) से ज्यादा (मे.वा.)	(मे.वा.)	%	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)
1	2	2	3	4	5	6	8	9	10	11
जम्मू और कश्मीर	14146	13543	2340.0	17.028	1109.0	8.19	3449.0	25.47	10094.0	74.53
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	6693.0	36.10	4182.0	22.56	10875.0	58.66	7665.0	41.34
पंजाब	971	971	1206.3	100.00	0.0	0.00	1206.3	100.00	0.00	0.00
हरियाणा	64	64	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	64.0	100.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	411.0	85.09	72.0	14.91
उत्तरांचल	18175	17998	3226.4	17.93	1825.0	10.14	5051.4	28.07	12946.7	71.93
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	501.6	75.54	162.4	24.46
उप जोड (उ.क्षे.)	53395	52263	14378.3	27.51	7116.0	13.62	21494.3	41.13	30768.8	58.87
पश्चिम										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100.00	400.0	20.30	2795.0	100.00	0.0	0.00
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	120.0	5.45	2082.0	94.55
गुजरात	619	590	550.0	93.22	0.0	0.00	550.0	93.22	40.0	6.78
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.00	0.00	2487.0	75.05	827.0	24.95
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.0	100.00
उप जोड; (उ.प्र.)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	5952.0	73.20	2179.0	26.80

1	2	2	3	4	5	6	8	9	10	11
दक्षिणी										
आंध्र प्रदेश	4424	4360	2177.8	49.95	410.0	9.40	2587.8	59.35	1772.3	40.65
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	3585.4	55.51	2873.6	44.49
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	1981.5	58.66	1396.5	41.34
तमिलनाडु	1918	1693	1722.2	100.00	60.0	3.54	1782.2	100.00	0.0	0.00
उप जोड़ (द.क्षे.)	16458	15890	9366.9	58.95	570.0	3.59	9936.9	62.54	5953.2	37.46
पूर्वी										
झारखंड	753	582	233.2	40.07	0.0	0.00	233.2	40.07	348.8	59.93
बिहार	70	40	0.0		0.0	0.00	0.0		40.0	100.0
उड़ीसा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.00	2027.5	68.01	953.5	31.99
पश्चिम बंगाल	2841	2829	77.0	2.72	292.0	10.32	369.0	13.04	2460.0	86.96
सिक्किम	4286	4248	570.0	13.42	2066.0	48.63	2636.0	62.05	1612.0	37.95
अंडमान व निकोबार	0	0	0.0						0.0	
उप जोड़ (पू.क्षे.)	10949	10680	2907.7	27.23	2358.0	22.08	5265.7	49.30	5114.3	50.70
उत्तर पूर्वी										
मेघालय	2394	2298	156.0	6.79	166.0	7.22	322.0	14.01	1976.0	85.99
त्रिपुरा	15	0	0.0		0.0		0.0		0.0	
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00	105.0	5.96	1656.0	94.04
असम	680	650	375.0	57.69	0.0	0.00	375.0	57.69	275.0	42.31
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00	75.0	5.17	1377.0	94.83
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	405.0	0.81	4460.0	8.91	4865.0	9.72	45199.0	90.28
मिजोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.82	60.0	2.82	2071.0	97.18
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	58971	58356	1116.0	1.91	4686.0	8.03	5802.0	9.94	52554.0	90.06
अखिल भारतीय	148701	145320	33320.8	22.93	15130.0	1041	48450.8	33.34	96869.2	66.66

टिप्पणी: 1 उपर के अलावा 4785.6 मेगावाट पंप्ड स्टोरेज योजना (पीएसएस) कार्यान्वियनाधीन है।

विवरण-II

पूर्वी नदी प्रणाली में जल विद्युत योजना

(1978-87 के पुनर्मूल्यांकन अध्ययन में पहचान की गई)

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य	नदी	अनुमानित सं.क्ष. (मे.गा.)	अनुमानित सं.क्षे. (25 मे.वा. से ज्यादा)
1	2	3	4	5	6
1.	दमनगंगा स्टे.-I	गुजरात	दमन गंगा	14	
2.	दमनगंगा स्टे.-II	गुजरात	दमन गंगा	6	
3.	सूर्या	महाराष्ट्र	सूर्या	4	
4.	पींजाल I	महाराष्ट्र	पींजाल	4	
5.	पींजाल II	महाराष्ट्र	पींजाल	7	
6.	वैतरना I	महाराष्ट्र	वैतरना	28	28
7.	वैतरना II	महाराष्ट्र	वैतरना	7	
8.	वैतरना III	महाराष्ट्र	वैतरना	7	
9.	भात्सा आरबीसी	महाराष्ट्र	भातसा	3	
10.	भात्सा आरबीसी	महाराष्ट्र	भातसा	10	
11.	कालू	महाराष्ट्र	कालू	16	
12.	दोलवाहल	महाराष्ट्र	कुंडलिक	10	
13.	भीरा तेल रेस	महाराष्ट्र	कुंडलिक	55	55
14.	कापशी	महाराष्ट्र	कापशी	13	
15.	बाव	महाराष्ट्र	बाव	22	
16.	काजवी	महाराष्ट्र	काजवी	14	
17.	मचकंदी	महाराष्ट्र	मचकंडी	11	
18.	वघोटन	महाराष्ट्र	वगोतन	19	
19.	घाद	महाराष्ट्र	गाद	21	
20.	तील्लारी	महाराष्ट्र	तिलारी	39	39

1	2	3	4	5	6
21.	सोनल	गावो	मांडवी	55	55
22.	कोटनी	कर्नाटक	मांडवी	24	
23.	कृष्णापुर	कर्नाटक	मांडवी	210	210
24.	कालीनदी I (सूपा)	कर्नाटक	कालीनाडी	140	140
25.	कालीनदी I (दनदेली II)	कर्नाटक	कालीनाडी	60	60
26.	कालीनदी I (नगझारी)	कर्नाटक	कालीनाडी	855	855
27.	कालीनदी I (कदासली)	कर्नाटक	कालीनाडी	95	95
28.	कालीनदी I (कद्रा)	कर्नाटक	कालीनाडी	100	100
29.	कालीनदी I (मार्दी)	कर्नाटक	कालीनाडी	175	175
30.	गंगावली (बेदती) स्टे. I	कर्नाटक	गंगावाली	380	380
31.	गंगावली (सोनदा) स्टे.II	कर्नाटक	गंगावाली	105	105
32.	अघनाशीनी	कर्नाटक	अघनाशीनी	370	370
33.	बन्नेहोल	कर्नाटक	बानेहोल	55	55
34.	लिंगानामक्की	कर्नाटक	सरावथी	125	125
35.	शरावती	कर्नाटक	सरावथी	1365	1365
36.	शरावती टेल रेस	कर्नाटक	सरावथी	157	157
37.	मणी डैम	कर्नाटक	वराही	14	
38.	वराही	कर्नाटक	वराही	305	305
39.	मच्चटटू	कर्नाटक	वराही	35	35
40.	नेरीया	कर्नाटक	नेरिया	12	
41.	नेत्रावती	कर्नाटक	नेत्रावथी	60	60
42.	सिरपदी	कर्नाटक	नेत्रावथी	38	38
43.	गुंदीया	कर्नाटक	गुंडिया	20	
44.	कुमाराधरी	कर्नाटक	कुमाराधारी	49	49
45.	बारपोल-I	कर्नाटक	बारापोल	335	335

1	2	3	4	5	6
46.	बारापोल-II	केरल	कुट्टियादी	85	85
47.	कुट्टीयादी	केरल	बेपोर	80	80
48.	धलीपूझा	केरल	बेपोर	50	50
49.	चोलाथीपुझा	केरल	बेपोर	80	80
50.	पेडीयार पुन्नापुझा II	केरल	पांडियारे	85	85
51.	साइलेंट वैली	केरल	कुंडिपुझा	130	130
52.	इडुक्की I एवं II	केरल	पेरियार	565	565
53.	इडुक्की III	केरल	पेरियार	130	130
54.	लोअर पेरियार	केरल	पेरियार	145	145
55.	पल्लीवसल रिप्लेसमें	केरल	मुदिरापुझा	190	190
56.	सेनगुलाम	केरल	डब्ल्यू. कलार	55	55
57.	अनाइरंकल	केरल	पेनियार	11	
58.	राजाकड पी/एच	केरल	मुदिरापुझा	23	
59.	मुडीरापुझा	केरल	मुदिरापुझा	17	
60.	पन्नीयार पेरियाकुट्टी	केरल	पेनियार	10	
61.	पन्नीयार	केरल	पेनियार	40	40
62.	नेरीयामंगलम	केरल	मुदिरापुझा	65	65
63.	पेरींजानकुट्टी	केरल	पेरिजनकुट्टी	120	120
64.	मनाली	केरल	इदमलयार	36	36
65.	कुडल	केरल	इदमलयार	47	47
66.	मणीकुलम	केरल	पुयानकुट्टू	14	
67.	पुयानुवकट्टी	केरल	पुयानकुट्टू	285	285
68.	इदामलयार	केरल	इदमलयार	55	55
69.	शोलायार	केरल	शोलेयार	75	75
70.	अनेकेयम	केरल	चालककुड्डी	12	

1	2	3	4	5	6
71.	कारापारा	केरल	कारापारा	12	
72.	पुलिकालर	केरल	कुरियाकुट्टी	14	
73.	कुरियाकुट्टी	केरल	कुरियाकुट्टी	65	65
74.	पोरिंगलकुथू (आरबी)	केरल	चालककुड्डी	65	65
75.	पोरिंगलकुथू (एलबी)	केरल	चालककुड्डी	60	60
76.	अदिरापल्ली	केरल	चालककुड्डी	65	65
77.	साबरिगिरी	केरल	पम्बा	410	410
78.	कक्कड	केरल	कक्कड	75	75
79.	लोअर साबरिगिरी	केरल	कक्कड	55	55
80.	टिवन कलार मल्टिपरपज	केरल	अचनकोविल	65	65
81.	कल्लाड	केरल	कलाडा	15	
82.	अपर पंडियार-I	तमिलनाडु	पंडियार	11	
83.	अपर पंडियार-II	केरल	पंडियार	8	
84.	पंडियार पुन्नापुझा-I	तमिलनाडु	पंडियार	125	125
85.	अकामलाई	तमिलनाडु	भारतपुझा	14	
86.	अकामलाई	तमिलनाडु	भारतपुझा	90	90
87.	पेरियार झील	तमिलनाडु	पेरियार	145	145
88.	निरार	तमिलनाडु	इदमलयार	26	26
89.	शोलेगार I	तमिलनाडु	शोलेयार	75	75
90.	शोलेयार II	तमिलनाडु	शोलेयार	14	
91.	सरकारपथी	तमिलनाडु	शोलेयार	33	33
92.	कोडेयार I	तमिलनाडु	कोडेयार	65	65
93.	कोडेयार-II	तमिलनाडु	कोडेयार	30	30
94.	पारेलियार	तमिलनाडु	पारलियार	39	39
	कुल (पश्चिम में बहने वाली नदी-94 स्कीम)			9430	8997

विवरण-III

30.06.2011 की स्थितिनुसार

हाइड्रो संभाव्यता का विकास (प्रचालनधीन)

क्र.सं.	स्कीम	आईसी (मे.वा.)
1	2	3
1.	शरावथी	1035.00
2.	जोग	139.20
3.	लिंगानामक्की	55.00
4.	कालीनाडी-I (सुपा डीपीएच)	100.00
5.	कालीनाडी (नागझारी)	855.00
6.	पालियासल	37.50
7.	सेंगुलमे	48.00
8.	नेरियामंगलम और विस्तार	70.00
9.	राबरीगरी	300.00
10.	कुट्टियाडी	75.00
11.	शोलेयार	54.00
12.	इदमलयार	75.00
13.	पानियार	30.00
14.	इड्डुक्की I और II	780.00
15.	पोरिंगलकुथु	32.00
16.	पेरियार	140.00
17.	पारामबिकुलम-(अलियार, शोलेयार, शरकारपथी)	185.00
18.	वैतरना	60.00
19.	तिलारी	60.00
20.	भिरा टीआर	80.00
21.	कोडियार I और II	100.00
22.	वराही	230.00
23.	वराही विस्तार	230.00
24.	लोअर पेरियार	180.00
25.	कालिनाडी II काद्रा	150.00
26.	कोदासाली	120.00
27.	कक्कड	50.00
28.	सरावथी टीआर (जेरूसोपा डीएचपी)	240.00
29.	कुथ्ट्टयाडी विस्तार	50.00
30.	कुथ्ट्टयाडी अतिरिक्त	100.00
	कुल	5660.7
	निर्माणाधीन हाइड्रो स्कीमें	
1.	पालिवासल	60.00
2.	थोडियार	40.00
	कुल	100.00

अवैध रूप से उगाए गए गांजे को नष्ट किया जाना

1136. **श्री जोस के. मणि:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांजे की कुछ संभर किस्में जो उच्च श्रेणी के स्वापकों हेतु फीड स्टॉक है को हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवैध रूप से उगाए गए गांजे को नष्ट करने के कार्य में संलग्न विधिक प्रवर्तन अभिकरणों को राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय प्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार का भविष्य में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों

में गांजे की संभर किस्मों को उपजाते हुए पाया गया है। ऐसी किस्में रेजिन उपज, पौधे की ऊंचाई और भांग की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से अलग-अलग पाई गई हैं और इन्हें स्पष्टतया बाहरी व्यक्तियों की सहायता से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उपजाया जाता है।

(ग) जी, हां। कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा जिला प्राधिकरणों द्वारा अस्थाई रूप से मनरेगा कार्यकर्त्ताओं को राज्य में गांजे तथा पोस्त पौधों को नष्ट करने के कार्य में लगाया जा रहा है। मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत संबंधित जिले को जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डी आर डी ए) द्वारा राज्य में अवैध स्वापक फसल को नष्ट करने के लिए आबंटित कुल निधि एक करोड़ रुपये है, जिसे निम्न प्रकार वितरित किया गया है:

क्र.सं.	जिला का नाम	वितरण के लिए आबंटित राशि (रु. में)
1.	छम्बा	22,00,000/-
2.	कुल्ला	30,00,000/-
3.	शिमला	11,00,000/-
4.	मंडी	18,00,000/-
5.	कांगरा	08,00,000/-
6.	सिरमौर	09,00,000/-
7.	सोलन	02,00,000/-
	कुल राशि	1,00, 00,000/-

सरकार राज्य में द्रव्य कानून प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ कर रही है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने हाल ही में मंडी में अपना मंडी आसूचना प्रकोष्ठ खोला है। राज्य को अपनी स्वापक यूनिटों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एनयूएचएम का कार्यान्वयन

773-74

1137. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इससे शहरी गरीबों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को घटाने और शहरी मलिन बस्तियों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने में कितना लाभ होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न शहरों में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्धोपाध्याय): (क) से (घ) फिलहाल, प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों सहित पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श चल रहा है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अभी आरंभ नहीं किया गया है।

774-84

ताप विद्युत इकाइयों का निर्माण

1138. श्री एन. चेलुवराया स्वामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैलेंस ऑफ प्लॉट्स (बीओपी) उपकरणों की आपूर्ति में विलंब होने के कारण ताप विद्युत इकाइयों के निर्माण में अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों की बीओपी उपकरणों की आवश्यकता और उन्हें पूर्ति किए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब चिन्हित किए गए कारणों में से एक कारण है जिसके कारण थर्मल विद्युत यूनिटों के निर्माण में अधिक समय लगता है।

11वीं योजना के दौरान चालू किए गए थर्मल पावर यूनिटों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है जिसमें बीओपी उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब यूनिटों को शुरू करने में विलम्ब के चिन्हित कारणों में से एक कारण है।

(ग) गत तीन वर्षों (2008-11) के दौरान शुरू किए गए थर्मल यूनिटों तथा वर्तमान वर्ष (2011-12) के दौरान शुरू किए गए/शुरू किए जाने की संभावना वाले थर्मल यूनिटों के लिए अपेक्षित मुख्य बीओपी उपकरण तथा आपूर्ति किए गए बीओपी उपकरणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) उपकरण तथा उनकी तैयारी की आपूर्ति में विलम्ब के कारण प्रभावित थर्मल उत्पादन यूनिट

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने की अनुबंधित तारीख	शुरू होने की वास्तविक तारीख	बीओपी का नाम जिसके कारण देरी हुई (आपूर्ति एवं निर्माण)
1	2	3	4	5	6	7
	2007-08 में संचालित किए गए ताप विद्युत ईकाई					
क	**केन्द्रीय क्षेत्र**					
	मेजिया टीपीएस यू-6	डीवीसी	250	जनवरी-07	01.10.07 (क)	सीएचपी, एएचपी, पीटी, प्लांट
	उप जोड़		250			
ख	**राज्य क्षेत्र**					
	जीएच (लेहारा मोहब्बत टीपीएस यू-3	पीएसईबी	250	अक्टूबर-06	03.01.08 (क)	सीएचपी, एएचपी, सीटी, एफओ सिस्टम, क्लोरीनेशन प्लांट, डीएम प्लांट
	धुवरम सीसीपीपी फेजं-I एक्सटे, एस टी	जीएसईसीएल	40	जनवरी-06	13.08.07 (क)	सीटी, सीडब्ल्यू सिस्टम
	रायलसीमा टीपीएस-II यू-4	एपीजीईएनसीओ	210	दिसंबर-06	20.11.07 (क)	एसी, वेंटिलेशन सिस्टम, कंप्रेस्ड एअर सिस्टम, क्लरिफाईड वाटर सिस्टम
	बेल्लारी टीपीपी यू-1	केपीसीएल	500	मार्च-07	03.12.07 (क)	बोटम ऐश सिस्टम, सीएचपी
	संथालडीह टीपीपी यू-5	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	250	जनवरी-07	07.11.07 (क)	पीटी लंट, डीएम, एफओ
	सागरदीघी टीपीपी- यू-1	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	300	जनवरी-07	21.12.07 (क)	डीएम प्लांट, पीटी प्लांट
	बाकेश्वर टीपीएस-II यू-4	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	210	मार्च-07	23.12.07 (क)	एएचपी
	संजय गांधी टीपीपी एक्सटें, स्टे-III (बिरसिंहपुर) यू-5	एमपीपीजीसीएल	500	सितंबर-06	18.06.07 (क)	सीएचपी, एएचपी, डीएम प्लांट, चपीटी प्लांट
	पारस टीपीएस एक्सटें. यू-1	एमएसपीजीसीएल	250	नवंबर-06	31.05.07 (क)	एएचपी
	दुर्गापुर टीपीएस, यू-7	डीपीएल	300	जनवरी-07	24.11.07 (क)	सीडब्ल्यू सिस्टम, एएचपी
	कोरहा ईस्ट टीपीपी स्टे.-V	सीएसईबी	250	मई-07	11.12.07 (क)	सीएचपी, एएचपी, डीएम प्लांट
	उप जोड़		3060			

1	2	3	4	5	6	7
ग	**निजी क्षेत्र**		शून्य			
	उप जोड़		0			
	कुल		3310			
			2008-09 में चालू की गई ताप-विद्युत ईकाईयां			
क	**केंद्रीय क्षेत्र**					
	भिलाई टीपीपी यू-1	एनटीपीपीसी एवं सेल जेवी	250	जुलाई-08	20.04.08 (क)	सीएचपी, एएचपी, सीडब्ल्यू, प्रणाली/रॉ जल प्रणाली
	उप जोड़		250			
ख	**राज्य क्षेत्र**					
	जीएच (लेहरामोहब्बत) टीपीएस-II यू-4	पीएसईबी	250	जनवरी-07	27.07.08 (क)	सीएचपी, एएचपी, सीटी, क्लोरीनेशन प्लांट, डीएम प्लांट
	सागरदीघी टीपीपी यू-2	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	300	अप्रैल-07	20.07.08 (क)	डीएम प्लांट, पीटी प्लांट
	अमरकंटक टीपीएस एक्स. यू-5	एमपीपीसीसीएल	210	फरवरी-07	15.06.08 (क)	सीएचपी, एएचपी, डीएम, एफओ सिस्टम
	उप जोड़		1010			
ग	**निजी क्षेत्र**					
	उप जोड़		0			
	कुल		1260			
			2009-10 में चालू की गई ताप-विद्युत ईकाईयां			
क	**केंद्रीय क्षेत्र**					
	कहलगांव एसटीपीएस-II (फेज-II) यू-7	एनटीपीसी	500	मई-07	31.07.09 (क)	सीएचपी
	भिलाई टीपीप यू-2	एनटीपीसी एण्ड सेल	250	अक्टूबर-08	12.07.09 (क)	सीएचपी, एएचपी, सीडब्ल्यू सिस्टम/रॉ वाटर सिस्टम
	चंद्रपुरा टीपीएस एक्स.यू-7	डीवीसी	250	दिसंबर-06	04.11.09 (क)	सीएचपी, एएचपी, सीडब्ल्यू सिस्टम, एफओ सिस्टम, सीटी, एसी एण्ड वेंटिलेशन सिस्टम
	चंद्रपुरा टीपीएसएक्स यू-8	डीवीसी	250	फरवरी-07	31.03.10 (क)	सीएचपी, एएचपी, सीडब्ल्यू सिस्टम, एफओ सिस्टम, सीटी, एसी एण्ड वेंटिलेशन सिस्टम
	उप जोड़		1250			

1	2	3	4	5	6	7
ख	राज्य क्षेत्र					
	कच्छ लिग्नाइट एक्स. यू-4	जीएसईसीलए	75	सितंबर-06	01.10.09 (क)	लिग्नाइट हैंडलिंग सिस्टम, एएचपी
	छबरा टीपीएस यू-1	आरआरवीयूएनएन	250	नवंबर-08	30.10.09 (क)	सीएचपी, एएचपी, आरएडब्ल्यू वाटर सिस्टम
	नई पार्ली टीपीपी यू-2	एमएसपीजीसीएल	250	मार्च-09	10.02.10 (क)	सीएचपी
	गिरल लिग्नाइट-II यू-2	आरआरवीयूएनएल	125	अगस्त-08	06.11.09 (क)	लिग्नाईट हैंडलिंग सिस्टम
	कोटा टीपीपी यू-7	आरआरवीयूएनएल	195	फरवरी-09	31.08.09 (क)	सीटी, सीएचपी
	सुरतगढ़ टीपीपी-IV यू-6	आरआरवीयूएनएल	250	नवंबर-08	29.08.09 (क)	सीएचपी, एएचपी, सीटी
	बकरेश्वर टीपीएस-II यू-5	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	210	सितंबर-07	07.06.09 (क)	एएचपी
	पारस टीपीएस एक्स. यू-2	एमएसपीजीसीएल	250	जुलाई-09	27.03.10 (क)	सीएचपी
ग	निजी क्षेत्र					
	जलीपा कपूर्डी टीपीडी यू-1	राज वेस्ट पावर लिमिटेड	135	अक्टूबर-09	06.10.09 (क)	आरएडब्ल्यू वाटर पाईप लाईन
	उप जोड़		135			
	कुल		2900			

2010-11 में चालू की गई ताप-विद्युत ईकाईयां

क	केंद्रीय क्षेत्र					
	बरसिंहसर लिग्नाइट यू-2	एनएलसी	125	जून-09	25.01.11 (क)	एएचपी
	बरसिंहसर लिग्नाइट यू-1		125	दिसंबर-08	28.06.10 (क)	एएचपी
	इंदिर गांधी टीपीपी यू-1	एपीसीपीएल	500	अक्टूबर-10	31.10.10 (क)	एफओ सिस्टम
	मेजिआ टीपीएस एक्सटें, यू-1		500	मार्च-10	30.09.10 (क)	सीएचपी, फायर फाइटिंग सिस्टम
	मेजिआ टीपीउस एक्सटें, यू-2		500	जनवरी-10	26.03.11 (क)	सीएचपी, सीसी पम्पस, फायर फाइटिंग सिस्टम
	फरक्का एसटीपीएस-III यू-6	एनटीपीसी	500	दिसंबर-10	23.03.11 (क)	सीडब्ल्यू, डक्ट, सीएचपी, एएचपी
	कोरबा एसटीपपी यू-7	एनटीपपीस	500	अप्रैल-10	26.12.10 (क)	सीएचपी
ख	राज्य क्षेत्र					
	काकटीया टीपीपी यू-1	अपजेनको	500	मार्च-09	27.05.10 (क)	सिविल वर्क्स फॉर बीओपी

1	2	3	4	5	6	7
	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-2	पीपीसीएल	250	मार्च-10	24.10.10 (क)	डीएम प्लांट
	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-2	केपीसीएल	250	अक्टूबर-09	26.06.10 (क)	डीएम प्लांट
	रायचूर यू-8	केपीसीएल	250	अक्टूबर-09	26.06.10 (क)	एएचपी, सीएचपी
	छाबरा टीपीएस यू-2	आरआरवीयूएनएल	250	फरवरी-09	04.05.10 (क)	एएचपी
	रायलसीमा टीपीपी एसटी-III यू-5	एपीजेईएनसीओ	210	अक्टूबर-09	31.12.10 (क)	डीएम प्लांट, बीओपी की धीमी सिविल कार्य
ग	**निजी क्षेत्र**					
	जलिया कपूर्डी टीपीपी यू-2	राज वेस्ट पावर लिमिटेड	135	नवंबर-09	08.07.10 (क)	रॉ वाटर पाईप लाइन
	उडीपी टीपीपी यू-1	यूपीसीएल	600	अप्रैल-10	23.07.10 (क)	सीएचपी
	उप जोड		135			
	कुल		4095			

2011-12 (31.07.11) में चालू की गई ताप-विद्युत ईकाईयां

केंद्रीय क्षेत्र					
कोडरमा टीपीपी यू-1	डीवीसी	500	जून-10	20.07.11 (क)	वाटर सिस्टम, एएचपी, फायर फाइटिंग सिस्टम
दुर्गापुर स्टील टीपीएस यू-1	डीवीसी	500	जुलाई-10	29.07.11 (क)	वाटर सिस्टम, एएचपी, फायर फाइटिंग सिस्टम
कुल योग		1000			
राज्य क्षेत्र					
संतालडीह टीपीपी एक्सटें. फेज-II यू-6	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	250	अगस्त-09	29.06.11(क)	एएचपी
कोथागुडेम टीपीपी-VI यू-1	एपीजेईएनसीओ	500	मई-10	26.06.11 (क)	बीओपी के सिविल कार्य में धीमी प्रगति
उप जोड		750			
निजी क्षेत्र					
मैथन आरबी टीपीपी यू-1	डीवीसी-जेवी टाटा	525	अक्टूबर-10	30.06.11 (क)	सीएचपी, एएचपी, बॉटम रिंग हेडर
उडुपी टीपीपी यू-2	यूपीसीएल	600	मई-10	17.04.11 (क)	सीएचपी
उप जोड		1125			
कुल		2875			

संक्षिप्त नाम:

सीएचपी: कोयला हैंडलिंग प्लांट

एचपी: ऐश हैंडलिंग प्लांट

एफओ सिस्टम: फ्यूल ऑयल सिस्टम

सीडब्ल्यू सिस्टम: सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम

सीटी: कूलिंग टावर

पीटी प्लांट: प्री-ट्रीटमेंट प्लांट

एसी सिस्टम: एअर कंडिशनिंग सिस्टम

डीएम प्लांट: डेमीनिरालाइजेशन प्लांट

एफजीडी सिसटम: फ्लू गैर डी-सुलफुराइजेशान सिस्टम

विवरण-II

मुख्य बीओपी के नाम	आपूर्ति किये गये बीओपी की संख्या/गत तीन वर्षों में संचालित एवं संस्थापित ताप विद्युत परियोजना	आपूर्ति किये गये बीओपी की संख्या/वर्ष 2011-12 में संचालित एवं संस्थापित ताप विद्युत परियोजना	वर्ष 2011-12 के दौरान कमीशन हाने की संभवना वलो ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए आवाश्यक बीओपी की संख्या
कोयला हैंडलिंग संयंत्र	37	6	8
ऐश हैंडलिंग संयंत्र	37	6	8
शीतलक टावर (संख्या)	82	10	21
चिमनी	38	7	9
डीमीनरलाइजेशन संयंत्र	37	5	8
योग	231	34	54

[हिन्दी] 783-84

देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं

1139. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष काफी व्यक्तियों की खराब स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के कारण मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी हेतु स्वास्थ्य को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्योपाध्याय): (क) और (ख) खराब स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के कारण मृत्यु के विशिष्ट लक्षण बता पाना मुश्किल है। तथापि, देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं विशेषकर लोगों को सस्ती, सुग्राह्य तथा कोटिपरक परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2005 में आरंभ किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक सुधार हुए हैं; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय सहायता और व्यवस्थापरक सुधारों के स्वास्थ्य सुविधाओं की अवसंरचना, जन-शक्ति के संवर्धन, औषध तथा उपकरण की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ग) से (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ब्लड बैंकों में कदाचार

1140. श्री अंजन कुमार एम. यादवः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों और निजी ब्लड बैंक के कर्मचारियों के बीच किसी सांठ-गांठ की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कभी लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल सहित अस्पतालों में विभिन्न ब्लड बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी बैंकों के रक्त बैंक के कर्मचारियों और निजी रक्त बैंकों के बीच सांठ-गांठ की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) 'क' और 'ख' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, रक्त बैंकों के कामकाज की समीक्षा इस प्रकार हैः

1. जब भी अनुदान/नवीनीकरण/निगरानी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ निरीक्षण किया जाता है, राज्य और केंद्रीय औषध निरीक्षकों द्वारा साथ-साथ रक्त बैंकों के काम-काज की समीक्षा की जाती है।

2. निम्नलिखित के आधार पर संबद्ध राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है।

तमिलनाडुः

- 7 रक्त बैंकों को स्टॉप आर्डर जारी किए गए।
- एक रक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
- रक्त बैंक के एक नवीनीकरण आवेदन को इंकार कर दिया गया है।
- चूककर्ता रक्त बैंकों के खिलाफ छह अभियोजन मामले शुरू किए गए हैं।

कर्नाटकः

- 14 रक्त बैंकों को स्टॉप आर्डर जारी किए गए हैं।
- एक रक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
- 67 रक्त बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी यिका गया है।

मध्य प्रदेशः

- श्री राधास्वामी रक्त बैंक, ग्वालियर का लाइसेंस दिनांक 22.12.2010 को 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।

केरलः

- 16 रक्त बैंकों के औषध लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया था।

[अनुवाद]

स्कूलों की कैंटीनें

1141. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश में स्कूलों की कैंटीनों में बेचे जाने वाले स्नैक्स और पेय पदार्थों हेतु स्वास्थ्य संबंधी मानक निर्धारित करके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा

और मानक प्राधिकरण, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, ने स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक परियोजना चलाने का प्रस्ताव किया है। इसने इस संबंध में प्रस्ताव भी आमंत्रित किया है।

इसके अतिरिक्त स्कूलों और कॉलेजों में जंक फूड/फास्ट फूड के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूलों और कॉलेजों से जंक फूड/फास्ट फूड और कार्बनयुक्त पेय पदार्थों को हटाने के लिए अनुदेश जारी करने हेतु विचार करने का अनुरोध किया है। चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों सहित स्कूलों और कॉलेजों से जंक फूड/फास्ट फूड और कार्बनयुक्त पेय पदार्थों का हटाने के लिए विश्वविद्यालयों के वाइस चान्सलरों को अनुदेश जारी करने हेतु विचार करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखा गया है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्ग छात्रों में अल्प पोषण और मोटापा दोनों की रोकथाम करने के लिए खाने की अच्छी आदत बनाने, शारीरिक क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करने और संतुलित आहार लेने को प्रोत्साहिन करने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा सत्र एवं पोषण संबंधी परामर्श दिए जाते हैं।

आईसीडीएस योजना का संशोधित कार्यान्वयन ढांचा

1142. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना हेतु संशोधित राष्ट्रीय कार्यान्वयन संरचना लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसकी योजना विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वर्तमान आईसीडीएस की तुलना में इसमें क्या मुख्य अंतर हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) आईसीडीएस स्कीम एक केंद्रीय प्रयोजित स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करते हैं। इस स्कीम के सभी घटकों के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय का अनुपात 90:10 है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों हेतु पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए स्कीम के सभी घटकों पर होने वाले व्यय का अनुपात 90:10 तथा पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के लिए यह व्यय-अनुपात 50:50 है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ-सेवाएं नामक छह सेवाओं का एक पैकेज दिया जाता है। इनमें से प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इस समय यह स्कीम, मई, 2011 तक संस्वीकृत 13:67 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में से 12.64 लाख आंगनवाड़ी प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

सरकार आईसीडीएस स्कीम में निरंतर सुधार हेतु प्रयास करती रही है। इस स्कीम के कार्य और प्रचालन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए आईसीडीएस को सुदृढ़ बनाने व पुनर्गठन करने हेतु कुछ प्रस्ताव इस प्रकार है: (क) गर्भवती तथा धात्री माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों पर विशेष ध्यान देना; (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ सशक्त संस्थागत संकेंद्रण करना तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाना विशेष रूप से जिला एवं ग्राम स्तर पर और (ग) समुदाय की भागीदारी हेतु स्थानीय स्तर पर इस स्कीम को लचीला बनाने हेतु मॉडल तैयार करना आदि। इसके अलावा, आईसीडीएस स्कीम की कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु प्रायोगिक आधार पर कार्य करने व अभिनव प्रयोग करने, सफल पद्धतियों पर प्रयोग करने, प्रोटोकाल/मानदंडों का विकास करने आदि के लिए 8 चुनिंदा राज्यों तथा 160 जिलां में "आईसीडीएस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईजी)" भी तैयार की गयी है।

खनन पट्टा दिया जाना

1143. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान पट्टों के आबंटन और उपयोग हेतु प्रक्रिया के कारण देश के वन और पर्यावरण कानूनों का घोर उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि और न्याय मंत्रालय ने वर्तमान प्रक्रिया के विरुद्ध राय दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या खान मंत्रालय खनन ब्लाकों के लिए खनन पट्टे देने हेतु पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रिया बनाने जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के संदर्भ में सभी खनन पट्टों को देश के वन एवं पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करना होता है। तथापि उच्चतम न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने ओडिशा में खनन के संबंध में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि वन संबंधी मंजूरी न मिलने से खनन पट्टों के नवीनीकरण न होने के कारण, खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 24ए (9) के निबंधनों के तहत 215 खानें मानित विस्तार के आधार पर कार्य कर रही थी। ओडिशा राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि नवीनीकरण के लिए लंबित सभी आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाए।

(ग) विधि एवं न्याय मंत्रालय का ऐसे कोई विशिष्ट अभिमत संसूचित नहीं किया गया है।

(घ) और (च) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रारूप को 14.6.2011 को सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह को भेजा गया था। उक्त मंत्री समूह ने पांच चक्रों में विस्तृत विचार-विमर्श किया और 7.7.2011 को सिफारिश की कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 के प्रारूप को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाए। मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को संसद में पेश करना प्रस्तावित है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक के प्रारूप में दिए गए ब्यौरे वर्तमान में गुप्त प्रकृति के हैं क्योंकि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक का प्रारूप अभी मंत्रिमंडल अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन

1144. श्री अर्जुनराम मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरका का विचार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्त सहित नए बैंकारी लाइसेंस संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रारूप दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अगस्त, 2010 में 'नए बैंकों का निजी क्षेत्र में प्रवेश' विषय पर विमर्श-पत्र जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सुझावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1990 और 1980 में कुछ व्यापक और प्रगतिशील संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है ताकि भारत में बैंकिंग क्षेत्र का और विकास किया जा सके, पूंजी-प्राप्ति में बैंकिंग संख्याओं की पहुंच में वृद्धि हो और भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी क्षमताओं में वृद्धि हो सके। इस प्रयोजन से सरकार ने दिनांक 22 मार्च, 2011 को 'बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011' प्रस्तुत किया था।

(ग) से (च) बैंकों के लाइसेंस हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता की जांच करने के प्रयोजन से विचार-विमर्श हेतु एक 'पेपर भारतीय रिजर्व बैंक की 'वेबसाइट' में डाला गया था ताकि व्यापक टिप्पणियां और प्रत्युत्तर प्राप्त हो सके। इस 'पेपर' में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को क्रमबद्ध किया गया था और भारतीय अनुभवों और स्वामित्व विस्तार और शासन संबंधी दिशा-निर्देशों को भी तैयार करके इसमें शामिल किया गया था।

[अनुवाद]

सौर भुगतान सुरक्षा कोष

1145. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सौर भुगतान सुरक्षा कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताए क्या हैं; और

(ग) देश में सौर विद्युत उत्पादन बढ़ाने में इन उपायों से कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनवीवीएन) को बैकअप वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भुगतान सुरक्षा योजना का अनुमोदन किया गया है। इससे एनवीवीएन को नियमित भुगतान करने के लिए वितरण यूटीलिटीज द्वारा कोई चूक होने पर भी सौर विद्युत की खरीद के लिए परियोजना विकासकर्त्ताओं को एनवीवीएन द्वारा नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में एनवीवीएन द्वारा एक सौर भुगतान सुरक्षा लेखा (एसपीएसए) खोला जाएगा जिसके लिए मंत्रालय द्वारा सकल बजटीय सहायता से आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ग) इस योजना से अपनी विश्वसनीयता में सुधार करके ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में मदद मिलने की संभावना है।

791-92

सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना

1146. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने के कारण जीएसएलपी-लान्को कंसोर्टियम को पहले दी गई सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना रद्द कर दी गई थी और अगले बोलीदाता को दे दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोली बंध-पत्र को लागू करने और चूककर्ता कंसोर्टियम, उसके अधिकारियों और लेखा परीक्षकों के विरूद्ध गलत तथ्य प्रस्तुत करने और सूचना को छिपाने के लिए क्या आपराधिक कार्रवाई की गई हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां। ग्लोबेलेक लेनको कंसोर्टियम द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने के कारण, कंसोर्टियम को पहले दी गई सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना रद्द कर दी गई थी।

(ख) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) से संबंधित सभी मामलों में शीघ्र निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित अधिकार प्रापत मंत्री समूह (ईजीओएम) ने मध्य प्रदेश की 4000 मेगावाट की सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के अवार्ड से संबंधित मामले की जांच की थी। समग्र जनहित को ध्यान में रखते हुए तथा बोली दस्तावेजों की विभिन्न धाराओं की परीक्षा के पश्चात् ईजीओएम ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया कि प्रापक को ग्लोबलेक लेनको कंसोर्टियम को जारी आशय-पत्र (एलओआई) को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि कंसोर्टियम आरएफक्यू चरण पर भी अर्हता प्रापत नहीं था तथा अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) के लिए इसका उत्तर प्रारंभिक अवस्था में ही अमान्य हो गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि प्रापक को एक करोड़ रुपये की राशि की कटौती करने के पश्चात कंसोर्टियम के बोलीदाताओं ब्रांड को लौटा देना चाहिए तथा शेष बोली के साथ बातचीत करनी चाहिए और लेवलाइज्ड प्रशुल्क हेतु उनकी अंतिम बोली (यां) मांगनी चाहिए।

तदनुसार, ग्लोबेलेक-लेनको कंसोर्टियम को जारी आशय पत्र (एल.ओ.आई.) रद्द किया गया तथा कंसोर्टियम के बोली ब्रांड को एक करोड़ रुपये की राशि की कटौती करने के पश्चात लौटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी), सासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) ने शेष बचे मान्य बोलीदाताओं से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए जिनमें से 1.19616 रुपये प्रति किलोवाट घंटे का लेवलाइज्ड प्रशुल्क प्रस्तुत कर रही, मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड की बोली न्यूनतम थी तथा एसपीवी को 07.08.2007 को सफल बोलीदाता को अंतरित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यूएमपीपी की नोडल एजेंसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने सूचित किया है कि रुपये 51,22,010/- की बकाया राशि जब्त की जा चुकी है तथा पीएफसी द्वारा रुपये 76,80,000/- की राशि का दावा भी मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग से किया जा चुका है। पीएफसी ने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी पर तीन वर्षों की अवधि तक पीएफसी के भावी कार्यों में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है। पीएफसी द्वारा सनदी लेखाकर मैसर्स आरपीवीएस एंड एसोसिएट्स, जिन्होंने आरएफक्यू से संबंधित संगणना-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे/प्रमाणित यिका था, के विरुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है।

[हिन्दी] 792-93

उद्योग का पुनरुद्धार

1147. श्री जयप्रकाश अग्रवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कुछ बंद उद्योगों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) देश में बंद उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) की स्थापना उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची 1 के तहत कवर किए गए औद्योगिक उपक्रमों के यथा संभव पुनरुज्जीवन/पुनर्वास हेतु की गई थी। इसके अलावा, संभाव्य रूप से अर्थक्षम के रूप में पहचाने गए रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के पुनर्वास हेतु वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) द्वारा ऋण पुनर्निर्धारित करके वित्तीय सहायता, नए ऋणों सहित, प्रदान की जाती है।

वृद्ध व्यक्तियों का उपचार

1148. श्री राकेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृद्धि व्यक्तियों और रोगियों को सीजीएचएस औषधालयों में उपचार हेतु कई घंटों तक पंक्तियों में खड़े रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय किए हैं/प्रस्तावित है;

(ग) क्या बहुत से जरूरतमंद रोगियों को 'पहले आओ पहले पाओ' टोकन प्रणाली के मद्देनजर उपचार कराए बिना वापस लौटना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए अलग पंक्तियों की व्यवस्था करें।

(ग) और (घ) ऐसे किसी दृष्टांता की सूचना नहीं मिली है।

तंजानिया के साथ समझौता

1149. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में प्रधान मंत्री की तंजानिया यात्रा के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा तंजानिया में निवेश के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश के बाद भारत द्वारा अर्जित किए जाने वाली विदेशी मुद्रा के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों को लाभ

1150. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अनुसूचित जनजातियों को एक राज्य में दिए जाने वाले लाभ अन्य राज्यों तक पहुंचे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है तथा यह आवश्यक नहीं है कि एक राज्य में अधिसूचित समुदाय अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा ही हो। जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है तो वह उस राज्य जहां से वह मूल रूप से संबंधित है के संबंध में ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है तथा जिस राज्य में उसने प्रवास किया है उस राज्य के संबंध में नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है।

मध्याह्न 12:00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4594/15/11]

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4595/15/11]

(तीन) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीव वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4596/15/11]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखत हूं:

(1) (एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2011-12 का प्रतिवेदन संख्यांक 6) (निष्पादन लेखापरीक्षा)-19वें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4597/15/11]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2010-11 का प्रतिवेदन संख्यांक 33)-मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेल वित्त।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4598/15/11]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (रेल) (2010-11 का संख्यांक 34)।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4599/15/11]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल) स्वायत्त निकाय (2011-12 का संख्यांक 38)।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4600/15/11]

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2011-12 का प्रतिवेदन संख्यांक 7) तटरक्षक निष्पादन लेखापरीक्षा-मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय तटरक्षक की भूमिका और कार्यकरण।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4601/15/11]

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2011-12 का प्रतिवेदन संख्यांक 8)-मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उर्वरक राजसहायता की निष्पादन लेखापरीक्षा-उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4602/15/11]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग-एक-समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग-एक-विस्तृत विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे [भाग-दो-विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)]।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4603/15/11]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): अपने सहयोगी श्री एस.एस. पलानीमनिकम, की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित विषयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति-जून, 2011 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही के बारे में 16वीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई/**देखिए** संख्या एल.टी. 4604/15/11]

(2) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4605/15/11]

(3) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पचास पैसे, एक रुपए और दो रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 374(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निकेल ब्रास की मात्रा वाले पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) द्विधातु के सिक्के अथवा दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4606/15/11]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक, ब्रोकर्स एण्ड सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कतिपय मध्यवर्तियों के पंजीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 19 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/05/13907 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 2 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/06/13995 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टीज) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/13/121222 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/15/21214 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/09/21233 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/11/21228 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के लिए बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2011-12/ 12/21225 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4607/15/11]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

789-602

(एक) सा.का.नि. 180(अ) जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 232(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेल्युलर फोनों सहित मोबाइल हैण्डसेटों को उन पर उद्ग्रहणीय अधिक उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 233(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 234(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 235(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 236(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 237(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 238(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 239(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्ययधीन वस्तुओं के विनिर्माण के समय उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, कतरन और कबाड़ को छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 240(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 241(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 63/95-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 242(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 243(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्ययधीन ब्रांड रखने वाली अथवा ब्रांड नाम के अंतर्गत बेची जाने वाली सभी वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 244(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 245(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 246(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण में लगी प्रत्येक खान, जहां ऐसी वस्तुओं के उत्पादक अथवा विनिर्माता के पास केन्द्रीयकृत बिलिंग अथवा लेखांकन प्रणाली है, पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के प्रचालन से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 247(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के. उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 248(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 20/2001-के. उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 249(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सेनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 332(अ) जो 20 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 62/1995-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 486(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4608/15/11]

802-06

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 107(अ) जो 24 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 249(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 250(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 321(अ) जो 15 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 322(अ) जो 15 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जनके द्वारा उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के भारत में आयातित किए जाने पर उन पर लागए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 377(अ) जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 405(अ) जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 51/2008-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 422(अ) जो 01 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 423(अ) जो 01 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंडिया आसियान एफटीए के दृष्टिगत फिलिपिन्स और अन्य आसियान देशों को शुल्क में रियायत दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 471(अ) जो 01 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 107/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 380(अ) जो 15 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 430(अ) जो 24 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 6/20011-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 450(अ) जो 28 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 566(अ) जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 646(अ) जो 20 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/2011-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 668(अ) जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 450(अ) जो 15 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 841(अ) जो 27 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 24/2011-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 912(अ) जो 19 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 1047(अ) जो 13 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 1223(अ) जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या 32/2011-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 1234(अ) जो 31 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 1400(अ) जो 15 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 487(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 501(अ) जो 1 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 499(अ) जो 1 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय उद्गम नियम की प्रतिपूर्ति के अध्यधीन भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए अधिमान्य टैरिफ निर्धारित करना है।

(सत्ताईस) कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2011 जो 1 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 1541(अ) जो 6 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 और 18 के प्रयोजनार्थ समुचित अधिकारी के कार्य राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्दीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, निवारक आयुक्त कार्यालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों को सौंपा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4609/15/11]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 95(अ) जो 17 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और आस्ट्रिया में उद्भूत या वहां से निर्यातित 30 से.मी. से अधिक चौड़ाई वाले पीपी/एचडीपीई फैब्रिक्स की बुनाई के लिए छह अथवा उससे अधिक शटल वाले वृत्ताकार बनाई मशीन के सभी आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 98(अ) जो 17 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने तक 30 जून, 2011 तक तथा इसके समेत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भुत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के आयात पर प्रतिपादन शुल्क लगाया जाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 186(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

27 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 87/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 187(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 42/2010-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 188(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भुत या वहां से निर्यातित 'ग्लास फाईबर' का भारत में आयात किए जाने पर, उस पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 265(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 30/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 328(अ) जो 21 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 दिसंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 121/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 371(अ) जो 9 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 45/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 395(अ) जो 23 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय मेसर्स फोशन जेड एण्ड डी सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के माध्यम से मसर्स जियांगसी झंगडा सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) द्वारा विट्रीफाईड पीर्सिलीन टाईल्स का भारत में निर्यात किए जाने पर ऐसी प्रतिभूति के अध्यीधन जिसे उपयुक्त अधिकारी उचित समझे, दिनांक 27.06.2008 की अधिसूचना संख्या 82/2008-सी.शु. द्वारा पहले से लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण किए बिना उसके आयात के अनंतिम मूल्यांकन का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 415(अ) जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 दिसंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 121/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 416(अ) जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय न्यू शीपर समीक्षा का परिणाम आने तक मेसर्स चांग चुन प्लास्टि कंपनी लिमिटेड (निर्यातक द्वारा चीनी ताईपेई में उद्भुत या वहां से निर्यातित एसिटोन के अयात का अनंतिम मूल्यांकन करने संबंधी उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 450(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित पेन्टारिथ्रीटोल के आयात पर 515 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी की दर से अंमि प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 457(अ) जो 15 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने तक 15 जून, 2012 तक तथा इसके समेत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्याति 'मेट्रोनिडाजोल' के आयात पर प्रतिपादन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 473(अ) जो 22 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनकेआशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित सिलाई मशनी की सुईयों के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 519(अ) जो 07 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

28 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 54/2008-सी. शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 525(अ) जो 08 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके अभिहित प्राधिकारी के दिनांक 3 मई, 2011 के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "सोडियम ट्राइपॉली फास्फेट" के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4610/15/11]

(8) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 266(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 7/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 267(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 8/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 268(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 9/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवाओं का निर्यात (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवाओं का कराधान (भारत के बारह से प्रदत्त तथा भारत में प्राप्त) संशोधन नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 281(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर (मूल्य अवधारण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) कराधान स्थल (संशोधन) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 285(अ) जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 07 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 19/2009-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 293(अ) जो 01 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय कतिपय कर योग्य सेवाओं को धारा 65 (105) (ययययण) में संदर्भित कर योग्य सेवा को उक्त अधिनियमम की धारा 66 के अंतर्गत लगाए जाने वाले समग्र सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 339(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (ययययब) में संदर्भित कर योग्य सेवा को घोषित टैरिफ 1000 रुपये से कम होने पर उक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत, लगाए जाने वाले समग्र सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 340(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 25/2006-सेवा करनिरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 341(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय किसी व्यावसायिक कोचिंग अथवा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी प्री-स्कूल कोचिंग और ट्रेनिंग, किसी कोचिंग अथवा ट्रेनिंग को, विधि द्वारा मान्रूता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री दिए जाने पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 342(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 343(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदत्त तथा भारत में प्रदत्त) (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सेवाओं का निर्यात (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 344(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 447(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 448(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 449(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4611/15/11]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उप-नियम (2) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 432(अ) जो 3 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिसर विशेष को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है, जहां रिकार्ड किए गए स्मार्ट कार्ड उत्पादक अथवा विनिर्माता का इन परिसर विशेष द्वारा उत्पादित अथवा विनिर्मित ऐसे माल का केन्द्रीयकृत बिलिंग या लेखांकन तंत्र है और वे केवल ऐसे परिसर या कार्यालय जहां से ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या लेखांकन की जाती है, को ही रजिस्टर कराने का विकल्प देते हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गई/**देखिए** संख्या एल.टी. 4612/15/11]

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 09 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 29 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 05 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 जो 05 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 694(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पाचवां संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1214(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2011 जो 01 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1497(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4613/15/11]

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435(अ) जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(5) के प्रयोजनार्थ यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याक्ष्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4614/15/11]

(12) आयकर अधिनियम, 1961 के नियम 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1046(अ) जो 13 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए 01 सितम्बर, 2010 से कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते में 9.5% की दर से ब्याज दिया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4615/15/11]

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1438(अ) जो 23 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4616/15/11]

(14) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1439(अ) जो 23 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल आय वर्ष 2011-12 में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है और उसमें उल्लिखित कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत प्रभारित आय पर ही शामिल है, को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4617/15/11]

(15) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 1029(अ) जो 29 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और तथा जिसमें 7 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 18(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1030(अ) जो 29 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और तथा जिसमें 7 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 19(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1031(अ) जो 29 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और तथा जिसमें 7 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 20(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4618/15/11]

(16) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत जारी धन शोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकरण के चेयर पर्सन और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 07 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4619/15/11]

(17) उक्त अधिनयम की धारा 74 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 337(अ) जो 25 अप्रैल,

2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 01 मई, 2011 को उस दिन के रूप में नियत किया गया है जिस दिन वित्त अधिनियम, 2011 के उपबंध प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4620/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्योपाध्याय): अपने सहयोगी श्री एस. गांधीसेलवन की ओर से मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4621/15/11]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4622/15/11]

(5) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4623/15/11]

(7) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4-60/2009/आयुर्वेद पीजी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा का न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4-90/2009/आयुर्वेद पीजी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गई/**देखिए** संख्या एल.टी. 4624/15/11]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर खने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4625/15/11]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4626/15/11]

(दो) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4627/15/11]

(तीन) पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4628/15/11]

(चार) एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4629/15/11]

(पांच) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4630/15/11]

(छह) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4631/15/11]

(4) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4632/15/11]

(6) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4633/15/11]

(7) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ सं. 23/2/2005-आरएण्डआर (खण्ड पांच) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित टैरिफ नीति 2006 के पैरा 5.1 और 7.1 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4634/15/11]

अपराह्न 12.03 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

12वां और 13वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 12वां प्रतिवेदन; और

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 1/2 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

14वां और 15वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं-

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 8 अगस्त, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:-

1. आज के आदेश पत्र से आगे बढ़े सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित किया जाना-

(क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

(ख) वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011-*अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।*

(घ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011-*अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।*

(ङ) संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

3. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2011, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार तथा पारित करना।

4. निम्नलिखित विधेयकों को राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विचार और पारित करना:-

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010

(ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइये। डॉ. राजन सुशान्त।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय डालने की कृपा करें:

1. जम्मू-कश्मीर राज्य की प्रगति व न्याय हेतु तुरन्त आबादी (जनसंख्या) के आधार पर डीलिमिटेशन (पुनर्सीमांकन) करना, पंचायतों को देश के अन्य राज्यों की तरह शक्तियां प्रदान करना व लगभग 13 लाख शरणार्थियों की समस्याओं को तुरन्त हल करना।

2. हिमाचल प्रदेश को वन, वायु, वारी, विद्युत आदि तथा रेलवे में उचित हिस्सा व न्याय देना।

3. हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों के गुरिल्लाओं की समस्याओं को शीघ्र हल कर न्याय प्रदान करना।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने की कृपा करें।

(एक) प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक परिदृष्य के मद्देनजर सरकार को "राष्ट्रीय पारिश्रमिक नीति निर्धारित करनी चाहिए"।

(दो) दयनीय स्वास्थ्य अवसंरचना के संदर्भ में सरकार को 'स्वास्थ्य का अधिकार' विधान बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय जोड़े जाएं।

1. बिहार राज्य के नालन्दा जिले के राजगीर स्थित आयुध फैक्ट्री के तीन यूनिट में एक यूनिट जिस पर 1100 करोड़ रुपए खर्च आया है, को यथाशीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता।

2. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा में अर्हक प्रतिशतता साठ प्रतिशत को कम किए जाने की आवश्यकता, क्योंकि इससे शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के लिए आवश्यक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाएगी।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट करें।

1. मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरूच के पास झाड़ेश्वर चौकड़ी पर लंबे मार्ग के यातायात एवं भारी वाहनों के लिए घंटे से दो घंटे के जाम के कारण हो रही स्थानीय लोगों एवं बाहर के लोगों की दिक्कत को देखते हुए झाड़ेश्वर चौकड़ी पर एक ओवर ब्रिज बनाए जाने का कार्य करें।

2. देश में चल रहे जनजातियों के कल्याणकारी एवं योजनाओं के संबंधित कार्यों पर किए जा रहे खर्चे एवं उनके द्वारा किए जा रहे दुरूपयोग के कार्य के बारे में।

[अनुवाद]

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की कृपा करे।

(एक) मेरे संसदीय क्षेत्र कुड्डालोर में धान, गन्ना, जैम फूट, काजू, केला और मूंगफली मुख्य कृषि उत्पाद हैं। इस क्षेत्र के किसान अशिक्षित और भोले-भाले हैं और वे पुरानी पद्धति से कृषि कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कुड्डालोर में उपर्युक्त उल्लेखित कृषि उत्पादों अथवा किसी एक उत्पाद के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग सुकर बनाने के लिए अनसुंधान केन्द्र की स्थापना का कार्य आरंभ किया जाए।

(दो) कुड्डालोर जिले और आस-पास के स्थानों के रेल यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए बैंगलोर और विरूथाचलम तक चलने वाली रेल सेवा का कुड्डालोर तक विस्तार किया जाने का कार्य किया जाए।

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

(एक) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर पानागढ़ में बाई-पास का निर्माण नहीं किया गया है। उस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो को चौड़ा करना सम्भव नहीं है क्योंकि अनेक ढांचों को तोड़ा जाना होगा। इसके कारण काफी यातायात जाम होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर तत्काल बाई-पास का निर्माण किया जाए।

(दो) पश्चिम बंगाल में बर्दवान में बर्दवान-कटवा सड़क पर एक रेल उपरि पुल है। यह उपरि पुल दयनीय स्थिति में है। जिसके कारण यातायात जाम होता है। इसलिए रेलवे बोर्ड को वहां तत्काल चार लेन वाले उपरि पुल का निर्माण करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. अहमदाबाद से उदयपुर वाया हिम्मतनगर में आमान परिवर्तन किए जाने के कार्य में तेजी एवं आवश्यक फंड उपलब्ध कराने का कार्य।

2. गुजरात में स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में मांग के अनुरूप उर्वरक की आपूर्ति किए जाने का कार्य।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए जो कार्यक्रम सदन में प्रस्तुत किया है उसमें मैं निम्नलिखित प्रस्ताव जोड़ने के लिए उपस्थापित करता हूं:

1. बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा केन्द्र प्रदान करें।

2. बिहार के नवादा जिला में 8 एकड़ जमीन केन्द्रीय विद्यालय के लिए निबंधन होने के बावजूद अभी तक मानव संसाधन विकास विभाग ने केन्द्रीय विद्यलाय खोलने के लिए कदम नहीं उठाया है, के संबंध में।

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया जाए:

1. मध्य प्रदेश देश का प्रमुख कृषि उत्पादन का प्रदेश है परन्तु रबी फसल बोने के लिए रासायनिक खाद नहीं दी जा रही है। कृपया केन्द्र सरकार तत्काल इसकी व्यवस्था करे।

2. मध्य प्रदेश की बरगी सिंचाई परियोजना की दायीं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-श्रीमती सुषमा स्वराज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।

...(व्यवधान)

डॉ. के.एस. राव (एलरु): महोदया, प्रतिपक्ष की नेता ने राज्य के तथ्यों और आंकड़ों को जाने बिना केवल मात्र राजनीतिक आधार पर ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। ऐसी परम्परा है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. के.एस. राव: मुद्दा यह है कि केवल भाजपा के सांसदों को ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया जा रहा है और तेलंगाना से अन्य लोग...*(व्यवधान)* परन्तु हममें से अधिकांश लोग वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: हमें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सर्वे सत्यनारायण (मल्काजगिरि): तेलंगाना देना ही पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* तेलंगाना की चर्चा होनी ही चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है आपकी बात पूरी हो चुकी है।

...(व्यवधान)

डॉ. के.एस. राव: यदि कोई अन्य होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, सत्ता पक्ष बोल रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप बोलने जा रही हैं। मैंने आपको बताया फिर आप इस मुद्दे को क्यों उठा रही हैं? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इतना आवेश में नहीं आते हैं। इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होइए। बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ध्यानाकर्षण चलने दीजिए।

[अनुवाद]

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है। कृपया इसे चलने दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.13 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के

विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): माननीय सदस्य उन परिस्थितियों से अवगत हैं जिनके तहत, भारत सरकार ने श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में फरवरी, 2010 में एक पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति से पृथक तेलंगाना राज्य की मांग के साथ-साथ संयुक्त आंध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की मांग के संदर्भ में सभी वर्गों के लोगों और सभी राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया था।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं यह अनुरोध करती हूं कि इस वक्तव्य की एक प्रति मुझे भी दी जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने प्रतियां दे दी हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी नहीं, मुझे प्रति नहीं मिली है। इसलिए, मैं कह रही हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने प्रतियां दे दी हैं।

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 दिसंबर, 2010 को प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सर्वोत्तम उपाय के रूप में निम्नलिखित छह समाधान/सम्भावित विकल्प सूचीबद्ध किए है:-

(i) यथास्थिति को बनाए रखना।

(ii) राज्य का सीमान्ध्र के रूप में विभाजन, जिसमें हैदराबाद एक संघ राज्य क्षेत्र होगा और दोनों राज्य यथा-समय अपनी-अपनी राजधानी विकसित करेंगे।

(iii) राज्य का रायल और तटीय आंध्र क्षेत्रों के रूप में विभाजन, जिसमें हैदराबाद रायल का अभिन्न हिस्सा होगा।

(iv) आंध्र प्रदेश का सीमान्ध्र के रूप में विभाजन, जिसमें वृहत हैदराबाद महानगर एक पृथक संघ राज्य क्षेत्र होगा। इस संघ राज्य क्षेत्र की भौगोलिक सम्पर्कता और संलग्नता, तटीय आंध्र में दक्षिणी-पूर्वी गुन्टूर में नालगोण्डा जिला से होकर और दक्षिण में महबूबनगर जिला से होकर रायल सीमा में कुरूनूल जिला तक होगी।

(v) विद्यमान सीमाओं के अनुसार राज्य का सीमान्ध्र के रूप में विभाजन, जिसमें हैदराबाद राजधानी होगी और सीमान्ध्र की एक नई राजधानी होगी।

(vi) क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए कतिपय निश्चित संवैधानिक/सांविधिक उपायों-सांविधिक रूप से अधिकार-प्राप्त क्षेत्रीय परिषद के सृजन का एक साथ प्रावधान करके राज्य को संयुक्त रखना।

रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, मैंने दिनांक 6 जनवरी, 2011 को आंध्र प्रदेश राज्य विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व रखने वाली सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक बुलाई और उनसे अनुरोध किया कि वे न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट पर विचार करें तथा इस संबंध में एक मत कायम करें।

आंध्र प्रदेश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही हैं। इन विचार-विमर्शों के आलोक में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। भारत सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सहित राजनीतिक घटनाक्रमों पर पूर्ण नजर रख रही है।

इसी बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन एवं सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैराग्राफ 14(च) को हटाने की मांग पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया। इस आदेश के पैराग्राफ 14(च) के अनसुार, पुलिस अधिकारी के किसी भी पद, जैसा कि हैदराबाद नगर पुलिस अधिनियम, 1348च की धारा 3(ख) में परिभाषित है, को पूर्वोक्त आदेश के दायरे से छूट-प्राप्त है। इसका यह तात्पर्य है कि पुलिस की भर्ती के प्रयोजनार्थ हैदराबाद शहर एक "मुक्त क्षेत्र" रहेगा। पैराग्राम (च) के हटाने से शहर की पुलिस की भर्ती के प्रयोजन के लिए हैदराबाद शहर, जोन VI में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश विधान सभा के दिनांक 18 मार्च, 2010 संकल्प की अनुशंसा की, जो पैराग्राफ 14(च) को हटाने का समर्थन करता है।

सावधानीपूर्ण विचार करने के पश्चात, सरकार ने राष्ट्रपति को यह सिफारिश करने का निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन एवं सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैराग्राफ 14 के खण्ड (च) को हटाया जाए बशर्ते कि इस विषय पर पूर्व में पारित संकल्प को आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा दोहराया जाए। सरकार के निर्णय की सूचना

उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए दिनांक 13 जुलाई, 2011 को राज्य सरकार को भेज दी गयी थी।

मुख्यमंत्री ने दिनांक 1.8.2011 के पत्र के तहत भारत सरकार को सूचित किया है कि दिनांक 18 मार्च, 2010 का विधान सभा का पूर्व संकल्प अभी भी प्रभावी है क्योंकि वही विधान सभा अभी भी चल रही है और इसके विधान सभा के संघटक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: उन्होंने अनुरोध किया है कि 18 मार्च, 2010 के संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति को सिफारिश की जाएं। मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सरकार, आंध्र प्रदेश के सभी वर्गों से आग्रह अनुरोध करना चाहेगी कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया को तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसी बीच, सरकार दिनांक 6 जनवरी, 2010 को हुई सभी दलों की बैठक में जारी इस अपील को दोहराना चाहेगी कि -आंध्र प्रदेश राज्य में शांति, सौहार्द और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रख जाए।'

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से 17 एमपीज़ इस सदन में जीतकर आते हैं, लेकिन 13 एमपीज़ ने अपनी पीड़ और आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया...*(व्यवधान)* इसी तरह आंध प्रदेश की विधान सभा में 119...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण (मल्काजगिरि): महोदया, तेरह सदस्य नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी हां, तेरह सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. राव (एलुरू): क्या यह विपक्ष की नेता कह रही हैं?...*(व्यवधान)* बारह लोक सभा सदस्यों ने त्याग पत्र नहीं दिया है...*(व्यवधान)* यहां गलत सूचना दी जा रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, इस्तीफे आपके पास पड़े हैं। आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 119 लोग तेलंगाना रीजन से जीतकर आते हैं और 101 लोगों ने आंध्र प्रदेश की विधान सभा से इस्तीफा दे दिया। अभी आपके सामने एक साथी उधर से बोल रहे थे कि तेलंगाना के विषय में चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज, तेरह लोक सभा सदस्यों ने त्यागपत्र नहीं दिया था। श्री एस. जयपाल रेड्डी, श्री अंजनकुमार एम. यादव और श्री सर्वे सत्यनारायण ने त्यागपत्र नहीं दिया है...*(व्यवधान)* आप कैसे कह सकती हैं कि तेलंगाना के सभी सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है? वे आपके समक्ष हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: इन्होंने जिन तीनों के नाम लिए हैं, उन तीनों और एक अन्य यानी चार सदस्यों ने रिजाइन नहीं किया और 13 ने रिजाइन किया है। जिन तीनों के नाम हैं, यह सच है कि इन तीनों ने रिजाइन नहीं किया। जिन चार लोगों ने रिजाइन नहीं किया, इन्होंने उनके नाम लिए हैं कि श्री जयपाल रेड्डी ने रिजानइ नहीं किया और बाकी दो ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रही थी कि देश की लोक सभा और आंध्र प्रदेश की विधान सभा में धीरे-धीरे बेजुबान हो रहे तेलंगाना को जुबान देने के लिए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता नहीं इस सदन में कितने लोगों को यह मालूम है कि भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आजाद नहीं हुआ। तेलंगाना 17 सितम्बर, 1948 को आजाद हुआ, यानी भारत की आजादी के भी एक वर्ष से ज्यादा संघर्ष करके, हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। अभी वे आजादी की पूरी खुशी मना भी नहीं पा रहे थे कि उनके सिर पर आंध्र प्रदेश के साथ विलय की तलवार लटक गयी। वे लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे, इसलिए विरोध शुरू हुआ। वर्ष 1953 में एक फजल अली कमीशन बैठा। उन्होंने कहा कि यह विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है, तो वर्ष 1961 का एक चुनाव हो जाने दो। वहां तेलंगाना के रीजन से आये हुए अगर दो-तिहाई विधायक यह कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो, तब करना वर्ना मत करना।

अध्यक्ष महोदया, मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूं कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री, बहुत पापुलर प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी उस समय प्रधान मंत्री थे। उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए यह कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट

लड़की, एक भोली-भाली लड़की की शादी एक मिसचीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाये। उन्होंने यह कहा था कि यह यह शादी नहीं चलेगी। जब यह शादी न चले, तो यह पति-पत्नी की तरह अलग-अलग हो जायें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा...*(व्यवधान)* उन्होंने कभी नहीं कहा कि...*(व्यवधान)* उन्होंने कभी नहीं कहा कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षजी, मैं पंडित जी को कोट कर रही हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एल. राजगोपाल: पंडित जी ने कभी ऐसा नहीं कहा. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, मैं अपने किसी नेता का बयान नहीं बता रही।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपको भी अवसर मिलेगा। आपका नाम भी हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको अवसर मिलेगा।

कृपा बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: पंडित जी का यह बहुचर्चित कोट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण (मल्काजगिरि): सुषमा जी ने ठीक उल्लेख किया कि पंडित जी ने कहा था कि तेलंगाना उस निरीह बालिका की तरह है जिसकी शादी आंध्र प्रदेश नामक एक शैतान लड़के से की जा रही है और उन्हें लंबे समय तक साथ रहना है। लेकिन यदि यह बालिका तलाक चाहे तो उसे तलाक दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपको अवसर मिलेगा। सर्वे सत्यनारायण कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सुषमा स्वराज जी जो कह रही है, उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: आपके अवसर मिलेगा। [हिन्दी] उस समय आप बोलिए। अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल: हम चाहते हैं कि पंडित नेहरू का नाम कार्यवाही-वृत्तांत से हटाया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री सर्वे सत्यनारायण: पंडित नेहरू ने ऐसा कहा था। उन्होंने तेलंगाना की तुलना एक बालिका...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप बोलिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, मैं किसी भाजपाई नेता का कोट नहीं कह रही। यह पंडित जी का बहुचर्चित कोट है, जो उस समय के अखबारों में छपा था। मैं इन्हें कहना चाहती हूं कि 6 मार्च, 1956 का इंडिरून एक्सप्रेस निकाल कर देख लें, इनवर्टेड कोमाज में यह कोट छपा हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्षा जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद यह विलय हो गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल: आप हमारी संसद के ग्रंथालय में उपलब्ध पंडित नेहरू के भाषण को पढ़ सकते हैं...*(व्यवधान)* आप तेलंगाना के बारे में एक प्रतिशत भी नहीं जरूते और तेलंगाना की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको भी अवसर मिलेगा, जब आप की बारी आए तो आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सर्वे सत्यनारायण: ये तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका निहित स्वार्थ है। ये निर्दोष लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। उन्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यापारी हैं। ये हमारे लोगों के जीवन से खेल रहे हैं और निर्दोष लोग वहां मर रहे हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. राव: आप जो चाहें, बोल सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन वास्तव में है। अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये। तरह-तरह के फार्मूले अपनाए जैसे मुल्की रूल्स, प्रैजिडेंशियल आर्डर्स, फार्मूला नम्बर सिक्स, जीओ नम्बर 610, गिगलानी कमीशन बना।

इतने उपाय किए, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि सारे उपाय कागजों में रह गए, धरती पर नहीं उतर पाए। इस सबका नतीजा वही हुआ-मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। यह पुराना इतिहास इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले कहा था कि तेलंगाना के निर्माण में देरी हो रही है, शायद गृहमंत्री जी इरीटेट हो रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती थी। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं ले रही हूं। यह इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को यह समझ में आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है।

अब मैं वर्तमान पर आ रही हूं और वर्तमान शुरू करूंगी वर्ष 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से। वर्ष 2004 में कांग्रेस का टीआरएस के साथ समझौता हुआ, इक्ट्ठे चुनाव मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीम नगर की एक सभा में लोगों को आश्वासन दिया कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया और झोली भर-भरकर इनको वोट दिए। उसके बाद ये सरकार में आ गए, सरकार में टीआरएस इनका

एक पार्टनर था। पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक सीएमपी बना।...*(व्यवधान)* उस सीएमपी में...*(व्यवधान)* उस सीएमपी में इन्होंने तीन राइडर्स के साथ तेलंगाना की डिमांड के बारे में लिखा:

[अनुवाद]

''संप्रग सरकार समुचित परामर्श और सहमति के बाद उपयुक्त समय पर तेलंगाना राज्य के गठन की मांग पर विचार करेगी।''

[हिन्दी]

तीन राइडर्स इन्होंने लगाए। यह मई, 2004 का सीएमपी है जब सरकार बनी। उसके बाद जून में पहला राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। उसी सीएमपी से भाषा उठाई गयी, मगर एक राइडर हटा दिया गया। मैं राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूं:

[अनुवाद]

''सरकार उचित समय पर समुचित परामर्श के पश्चात तेलंगाना राज्य के गठन की मांग पर विचार करेगी।''

[हिन्दी]

इसमें 'कंसेन्सस' शब्द हट गया। हमें लगा इवोल्यूशन हुआ है, तीन राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन शायद सरकार वाकई गंभीर है और वे कंसल्टेशन्स की बात करके रूक गए क्योंकि शायद कंसेन्सस होना संभव नहीं था, तो 'कंसेन्सस' शब्द हटा दिया गया। यह राष्ट्रपति का अभिषाषण है जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको तो आप मानेंगे? सीएमपी के आधार पर राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ और उन्होंने एक राइडर हटाकर दो राइडर कर दिए। वर्ष 2004 से 2009 तक, पूरा कार्यकाल निकल गया, लेकिन यह उचित समय नहीं आया। कंसल्टेशन्स हुई होंगी, बहुत राजनैतिक उठा पटक हुई, टीआरएस से समझौता टूटा, उन्होंने रिजाइन किया, दुबारा चुनकर आए, फिर रिजाइन किया। उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में मैं नहीं जाना चाहती हूं। वर्ष 2004 के बाद वर्ष 2009 का चुनाव हुआ, तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमें टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला, इस बार कांग्रेस को झोली भर-भर जिताओ, तो शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और तेलंगाना से 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीतकर आए जिनमें से एक सदस्य अभी यहां बैठे हैं।

श्री सर्वे सत्यनारायण: दो सदस्य बैठे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: हां, दो बैठे हैं, तभी मैंने कहा कि चार इधर बैठे हैं, 13 इस्तीफा देकर चले गए, इस्तीफा आपका भी है, मगर आप हाउस अटेंड कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप हाउस अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी जबान में जबान मिलाने वाला कोई एक स्वर तो है।...*(व्यवधान)*

श्री सर्वे सत्यनारायण: हम न्याय के वास्ते लड़ रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, वर्ष 2009 के चुनाव में 12 सांसद वहां से कांग्रेस के जीतकर आए, लेकिन छः महीने तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ा, तो 29 नवंबर, 2009 को टीआरएस के नेता के.एस. राव ने अनशन किया। यह विषय 7 नवंबर 2009 को मैंने इस सदन में उठाया था। मैं आज पहली बार तेलंगाना पर नहीं बोल रही हूं। तेलंगाना का निर्माण मेरा यह हमेशा प्रिय विषय रहा है क्योंकि हमारे यहां से वहां एक भी एमपी जीता नहीं है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते यह हमारा फर्ज बनता है। पहले नेता, प्रतिपक्ष के तौर पर आडवाणी जी हमेशा बोलते रहे और मैं बताउंगी कि आडवाणी जी ने क्या-क्या बोला? अब मैं नेता, प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूं क्योंकि कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इतने बड़े विषय से अपने आपको अलग नहीं रख सकती है।

अध्यक्ष जी, 7 दिसंबर को मैं बोली और वह विषय मैंने यहां उठाया। एक दिन के बाद यानि 9 दिसंबर को आपने चेयर से इंटरवीन किया। के.सी. राव जी की हालत बिगड़ रही थी। आपने चेयर से कहा कि पूरे का पूरा सदन उनके बारे में चिंतित है, कुछ होना चाहिए। उसके बाद सदन में हर पार्टी के नेता बोले। गुरुदास दासगुप्ता जी बैठे हैं, वह बोले, शरद यादव जी बोले, मुलायम सिंह जी बोले, लालू जी बोले, अनंत गीते जी बोले, अजनाला जी बोले। कोई ऐसा नेता नहीं था जो यहां न बोला हो। यह 9 दिसंबर की बता है और 9 दिसंबर बहुत अहम् है तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूं। आप 9 दिसम्बर को बोलीं, आपके बाद सारे नेता बोले। फिर सरकार हरकत में आई। एक संयोग बना, 10 दिसम्बर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है। 9 दिसंबर की रात को, आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम ने, अर्धरात्रि को घोषणा की। वह घोषणा मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने देर रात कहा:

"तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और समुचित संकल्प विधान सभा में लाया जाएगा। हम श्री राव के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उपवास तुरंत समाप्त करें। हम सभी संबंधित लोगों, विशेषकर छात्रों, से अनुरोध करते हैं कि वे आना प्रदर्शन रोक दें और सामान्य हालात बनाए रखने में मदद करें।"

सारे राइडर्स इसमें से हट गए। न कंसलटेशंस, न कंसेंसस, एक केटेगोरिक एश्योरेंस गृह मंत्री जी की तरफ से आया और अर्धरात्रि को आया। उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे। वहां के लोगों को यह लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्म दिन का तोहफा देश के गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। आतिशबाजी हुई, रात को दीवाली हुई। पहली बार तेलंगाना के लोगों को यह उम्मीद पूरी होती लगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने यह कहा-'तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और समुचित संकल्प विधान सभा में लाया जाएगा।" इसमें कहीं कंसलटेशंस और कंसेंसस की बात नहीं थी। अब उन्हें लगा कि केटेगोरिक एश्योरेंस...*(व्यवधान)* मैं अच्छी बात कह रही हूं, बुरी बात नहीं कह रही हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उन्हें लगा कि जन्मदिन का तोहफा मिला है। यह अच्छी बात थी। आप अच्छी बात को बुरा क्यों मानते हो। मैंने कहा कि इस पर खुश होकर लोगों ने पटाखे फोड़े।

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप चेयर को संबोधित करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने पटाखे फोड़े। उनकी उम्मीद विश्वास में बदल गई है, क्योंकि तारीख अहम् हो गई। आप अच्छी बात को भी बुरा मान रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप चेयर को सम्बोधित करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने पटाखे फोड़े। उनकी उम्मीद विश्वास में बदल गई है, क्योंकि तारीख अहम् हो गई। आप अच्छी बात को भी बुरा मान रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नही अध्यक्ष जी अभी तो मैंने शुरू किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज जी यह वाद-विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: गोपीनाथ जी और रमेश बैस जी नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने एक-एक प्रश्न ही पूछना है, सारी बात नहीं कहनी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें, मैं थोड़ा सा इंडलजेंस आपसे चाहती हूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।

अध्यक्ष जी, 10 दिसम्बर को जब सदन की बैठक शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी खड़े हुए। आडवाणी जी ने कहा कि

> "मैं बहुत आभारी हूं आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन दो बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी। उन दोनों बातों का एक प्रकार के समाधान हो गया। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छा के अनुसार तेलंगाना प्रदेश बने। हम चाहते थे कि हमारी संसद के साथी जो दस दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की हालत चिंताजनक हो गई थी। उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, ये दोनों बातें हो गई, मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।"

अध्यक्ष जी, मैं इस बात केवल इसलिए कह रही हूं कि केवल तेलंगाना में ही नहीं, बल्कि सदन की भी उम्मीद विश्वास में बदल गई। हमें लगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दस दिसम्बर को प्रणब मुखर्जी साहब भी यहां बोले थे और बधाई दी सदन में, क्योंकि हमें यह लगा कि नौ दिसंबर का वह दिन माइल स्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा, तेलंगाना के निर्माण में।

लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे हैरानी है कि 9 दिसंबर को इस सदन में यह सब घटता है, तेलंगाना में पटाखे चलते हैं। लेकिन 23 तारीख को गृह मंत्री जी बदल गये और 14 दिन के अंदर गृह मंत्री का बयान आ गया, तेलंगाना के निर्माण को लेकर कोई आम सहमति नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कंसेंसस शब्द हटा दिया था, आपने कहा था केवल वाइडर कंसल्टेशन्स, नो कंसेंसस, आपने कोई बात कंसेसस की नहीं

की थी। 23 दिसम्बर को जबकि प्रोसेस इनीशिएट हो जाना चाहिए था आपने कंसेंसस की बात करके वापिस वहीं चौराहे पर लाकर खड़ कर दिया। 23 दिसंबर को ये बदल गये और इस सारे में से निकला, जस्टिस श्रीकृष्णा कमीशन, जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट में, अभी अपने वक्तव्य में गृह मंत्री जी ने किया है। मैं आज कहना चाहती हूं, बिना संकोच के कहना चाहती हूं कि जस्टिस श्रीकृष्णा कमीशन ने जितना इंजस्टिस तेलंगाना के साथ किया है, उसे तेलंगाना का इतिहास कभी भूलेगा नहीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): महोदया, यह बहुत ज्यादा हो गया...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः यह बहुत ज्यादा नहीं है...*(व्यवधान)* मै। आपको दिखाती हूं...*(व्यवधान)* हां, मैं इसे अलग करती हूं। ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अभी आप सुनिये, देखिये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त कीजिए। यह कॉलिंग अटेंशन है, यह डिबेट में चला जा रहा है, आप मेन बात पूछ कर समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराजः ये मेरा मेज़र पाइंट है, आप मुझे रोकिये मत, मैं केवल मेन बात पर आ रही हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर हि.प्र.) हमारे दोनों दूसरे सदस्य नहीं बोलेंगे, आप इन्हें बोलेने दीजिए।...*(व्यवधान)* ये लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइये, मैं इन्हें रोक रही हूं। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्लीः महोदया, एक छोटा सा अनुरोध है...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): इसे एक वाद-विवाद में परिवर्तित किया जा रहा है। यदि इसे वाद-विवाद में परिवर्तित किया जाता है, तो अनेक विचार सामने आएंगे। परन्तु यह ध्यानाकर्षण है और विपक्ष की नेता को स्वयं को केवल ध्यानाकर्षण तक सीमित रखना चाहिए, इस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः हां, यह ध्यानाकर्षण है। आइए इसे ध्यानाकर्षण के रूप में ही रखें। इसे वाद-विवाद में परिवर्तित न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः आप मुझे केवल पांच मिनट दें। माननीय गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य श्रीकृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर है और आपने कहा है कि उन्होंने 6 फार्मूले आपको दिये। लेकिन यह पहली बार हुआ है अध्यक्ष जी इतने कमीशन और कमेटियां इस देश में बनी, हमेशा उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। लेकिन पहला कमीशन है जिसने सार्वजनिक रिपोर्ट अलग से दी है ओर एक गुप्त रिपोर्ट अलग दी है, एक सीक्रेट रिपोर्ट उन्होंने इन्हें अलग से दी है और वह सीक्रेट रिपोर्ट जिसका जिक्र गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं किया। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वाकई एक सीक्रेट रिपोर्ट श्रीकृष्णा कमीशन ने आपको दी है और अगर ये मना करें तो उसका जवाब भी मैं देती हूं लेकिन ये मना कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आज के युग में कोई चीज गुप्त रह नहीं सकती, खोजी पत्रकार सब कुछ निकाल लाते हैं। अब तो रिपोर्टें पहले लीक हो जाती हैं। कांग्रेस के ही एक पूर्व सांसद श्री एम. नारायण रेड्डी ने एक याचिका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की। उन्होंने यह कहा कि हमें यह पता चला है कि कृष्णा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी दी है और उस सीक्रेट रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, यह प्रार्थना उन्होंने की। जिस बैंच के सामने यह पीटिशन लगी, उस बैंच के न्यायधीश ने सरकार से कहा कि अगर ऐसा कोई डॉक्युमेंट है तो आपको उसे हमारे पास लाना होगा। वह रिपोर्ट उन्होंने वहां दी। अध्यक्ष जी, मै। कहीं और से नहीं, मैं उस जजमेंट से पढ़ रही हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरमः निर्णय पर रोक लगाई गई है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः वह जजमेंट पब्लिक डोमेन में है। जजमेंट का ऑपरेशन स्टे हुआ है। मैं केवल यह कह रही हूं. ..*(व्यवधान)* आप नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई।

अध्यक्ष महोदया: आपने पांच मिनट के लिए कहा था, आपके पांच मिनट समाप्त हो गये हैं।

[अनुवाद]

इस पर लंबा वाद-विवाद नहीं कर सकती, यह ध्यानाकर्षण है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, आज मैं अपनी बात पूरी कहे बिना नहीं बैठूंगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, क्योंकि आपने जितना समय मांगा था, वह पूरा हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इसलिए नहीं बैठूंगी, क्योंकि इसी से पोल खुलेगी, आप मेरी पूरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एक विधा है। आपको उसी विधा में बोलना चाहिए। आपने जितना समय कहा था, वह पूरा हो गया है। अब आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगी। जज ने कहा-

[अनुवाद]

"समिति ने अपने भारत संघ को मनाने के अपने प्रयास में विचारार्थ विषय से बाहर भी परामर्श किया, यह तेलंगाना की मांग हेतु सहमति के लिए नहीं था-यह अध्याय 8 के साथ संलग्न तीन-पृष्ठ के अनुपूरक नोट में प्रदर्शित किया गया है।"

[हिन्दी]

उन्होंने माना कि एक गुप्त चैप्टर-8 नोट है। आप हैरान हो जाएंगी, वह नोट है पार्टिकल मैनेजमेंट करिए, मीडिया मैनेजमेंट करिए। मैं सदन को चौकाने वाली चीजें कह रही हूं। उस नोट में लिखा है-

[अनुवाद]

"राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं में एकता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तेलंगाना में मुख्य पदों पर मजबूत और सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। इस पहलू पर वित्तमंत्री और मंत्री के साथ सितम्बर, 2010 में चर्चा की गई थी। टीआरएस को भी अपने मत को यथासंभव हल्का करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता।"

"कांग्रेस आला कमान को स्वयं अपने संसद सदस्यों और विधायकों को संबोधित करने और स्वीकार्य एवं व्यवहार्य हल पर पहुंचने के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी पार्टी के समान धरातल पर आने के बाद, इन समर्थन तंत्रों के सफल होने की अधिक संभावनाएं हैं।

[हिन्दी]

वह नोट कहता है कि मीडिया मैनेज करिए। मीडिया मैनेजमेंट के लिए कहा है कि वहां इतने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, इतने प्रिंट के चैनल्स हैं। महोदया, जस्टिस रेड्डी कहते हैं-

[अनुवाद]

"समिति द्वारा सरकार को दिया गया सुझाव अधिक परेशानी में डालने वाला है"

समिति द्वारा सरकार को दिया गया सुझाव अधिक परेशानी में डालने वाला है और यह इस प्रकार है:

"प्रिंट मीडिया विज्ञापन राजस्व हेतु सरकार पर अत्यधिक निर्भर करता है और यदि इस पर ध्यानपूर्वक कार्यवाही की जाती है तो यह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी यंत्र होगा।"

[हिन्दी]

महोदया, यह रिपोर्ट है। यह जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, यह एआईसीसी की रिपोर्ट है और आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। मै। गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात समाप्त कीजिए और बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, यह जजमेंट है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपने स्वयं कहा था कि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करके बैठ जाऊंगी। पांच मिनट हो गए हैं। आपने वचन दिया था, आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदया मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, यह जजमेंट है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्वायंट ऑफ आर्डर का रूल बताइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदया, माननीया विपक्ष की नेता द्वारा की गई प्रस्तुति को आपके द्वारा किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं अभी ओथेंटीकेट करके रख देती। यह जजमेंट की कापी है।

गृह मंत्री जी, मैंने ये बाते इसलिए रखीं, क्योंकि वहां तरह-तरह के धोखे हो रहे हैं। यह जो सरकार की हरकत है, इससे हताश हो कर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में 600 लोग मर गए। महोदया, आप मुझे बैठने के लिए कह रही हैं, मैं जो बात कहने जा रही हूं, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली में एक लड़का आया, जिसका नाम यादी रेड्डी था। वह इतना बड़ा तेलगु का नोट आत्महत्या करने से पहले लिख कर गया। मैं केवल चार लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। उस लड़के ने दिल्ली में आत्महत्या की। उसने लिखा कि हैदराबाद ट्रेन चढ़ने से पहले बहुत सारे ख्यालों में कुछ सोचता हुआ यहां आ गया। मैं चाहा था कि मां के हाथ का खाना खाकर और आशीर्वाद लेकर आऊं, लेकिन लगा कि कहीं पैर पीछे न हट जाएं, इसलिए ऐसा नहीं किया। मैं अपना इलाका छोड़ कर जा रहा हूं। मैंने कितने सपने देखे थे। मैं तेलंगाना छोड़ कर जा रहा हूं। मन में पूरा दुख है। सच बोलना है, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां कैसे आ गया। यहां आने के बाद मन में एक ही इच्छा है और कुछ नहीं सोच रही हूं। मैंने जो सोच, वह करूंगा। तेलंगाना होने के लिए मैं भी भागीदार बनूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: कृपया इस पत्र को अधि प्रमाणित कीजिए।

अध्यक्ष महोदया: वह अपना भाषण समाप्त कर रही है। क्या आप समाप्त कर रही हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि यह जितना संजीदा विषय है, उतनी संजीदगी से मुझे बोलने दिया जाएगा लेकिन उतनी संजीदगी से मुझे बोलने नहीं दिया गया, टोकाटोकी की गई। इसलिए मैं गृह मंत्री जी, आपसे ज्यादा कुछ न पूछते हुए एक निवेदन करना चाहती हूं कि यह कंसेंसस बहुत हो गई, अब आपने फ्रैश रिजोल्यूशन की बात की है जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरूरत नहीं है। मेरा यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं पूछना है।...*(व्यवधान)* मुझे एक निवेदन करना है, आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए, यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, दो-तिहाई सांसद आपको चाहिए, हम वो सांसद जुटाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक मिनट, अध्यक्ष जी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कितने एक मिनट लेंगी सुषमा जी?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः प्रणव दा, आपने कल यह अपील की थी कि हम जो बिल ला रहे हैं, उन बिलों पर विपक्ष आकर साथ दे। आज मैं अपील कर रही हूं, आप बिल लाइए। हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे और सरकार से बिल लाने के लिए अपील कर रही हूं तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूं कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वे मरें नहीं, बल्कि वे तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं केवल वहां के अपने बहन-भाइयों से एक अपील करना चाहती हूं:

[अनुवाद]

"सोधारा, सोधारीमनुलारा, तेलंगाना, कोसम, बलिदानम वधु

तेलंगान छोडांतिकी भ्रतकाली भ्रतकाली"

इसका अर्थ है भाइयों और बहनों तेलंगाना के लिए अपने जीवन का बलिदान मत कीजिए। तेलंगाना देखने के लिए आपको जीवित रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयाः श्री गोपीनाथ मुंडे और श्री रमेश बैस ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब, मैं श्री गुरुदास दासगुप्त को बुलाता हूं।

डॉ. के.एस. रावः महोदया, इससे पूर्व में माननीय विपक्ष की नेता से सविनय अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके द्वारा पढ़े गए उस मृत व्यक्ति के गोपनीय पत्र को अधिप्रमाणित करें। यह इसलिए क्योंकि वह पत्र पढ़ रही हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सर्वे सत्यनारायणः अध्यक्ष महोदया, मैं कुछ कहना चाहता हूं,...*(व्यवधान)* मुझे अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदयाः श्री गुरुदास दासगुप्त जी कृपया प्रारंभ कीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त (धाटल): महोदया, सर्वप्रथम में इस मुद्दे पर धैर्य, सहिष्णुता और सहमति की मांग करता हूं। मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिए। संपूर्ण आंध्र प्रदेश में स्थिति काफी संवेदनशील और विस्फोटक है। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक स्पैक्ट्रम में विभाजन है। कांग्रेस पार्टी विभाजित है और यह सब जानते हैं। इसमें खोजने के लिए कुछ भी विशिष्ट नहीं है। यह तब होता है जब संवेदनाएं काफी ज्यादा होती हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आग में घी न डालें। मेरा अनुरोध है कि दूसरों की विपत्ति से लाभ न उठाएं। भारत का कोई भी मित्र नहीं होगा यदि हम दूसरों की विपत्ति से लाभ उठाएंगे। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं। आपको इसके प्रभाव को समझना चाहिए। आप काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं।

महोदया, यह संवेदी मुद्दा है। यह संवेदनात्मक मुद्दा है। उनके द्वारा इतिहास के भाग पर बात की गई है, परन्तु इतिहास का एक अन्य भाग भी है।

अध्यक्ष महोदयाः आपको अपना प्रश्न पूछना होगा।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, आपने उनको अनुमति दी है, कृपया मुझे भी दीजिए।

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें अधिक समय स्वीकृत है, परन्तु आप केवल एक प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, मैं कुछ और समय की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदयाः नहीं, कृपया प्रश्न पूछिए। आप एक स्पटीकरण प्रश्न पूछिए। हम इतिहास में नहीं जा रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

मुझे केवल महान आंदोलन याद है, विशाल आंध्रा के निर्माण हेतु श्रीरामुलु की शहादत याद है। आइए उन्हें याद करें। मुझे तेलंगाना लोगों का बलिदान याद है। तेलंगाना के लोगों ने भूमि के लिए निजाम से लड़ाई की थी। इसलिए, तेलंगाना भारत का भाग है और इसका महान इतिहास है। आंध्र प्रदेश का भी महान इतिहास है और यह भी भारत का भाग है। इसलिए कुछ धैर्य और संहिष्णुता होनी चाहिए।

ऐसा कहते हुए, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सर्वविदित सत्य है कि ओर संदेहरहित तथ्य है कि तेलंगाना के अधिकतर लोग पृथक राज्य चाहते हैं। यह स्पष्ट सत्य है। इसमें कोई विवाद

नहीं है ऐसी शिकायत है कि इनके विरुद्ध भेदभाव किया गया था। ऐसी शिकायत है कि विलय हुआ तो जो शर्तें तय की गई थीं आंध्र प्रदेश सरकार ने उन शर्तों का अनुपालन नहीं किया। यह शिकायत है कि यह विशिष्ट क्षेत्र कम-विकसित है। यह शिकायत है कि तेलंगाना लोगों की शिकायत निवारण के लिए की गई अस्थायी व्यवस्था ढंग से कार्य नहीं कर सकी। यह इतिहास का भाग है। इसलिए, तेलंगाना के लोगों की संवेदनाओं को सम्मान देने के लिए यह समझने के बाद कि राष्ट्र की अखण्डता को अवपीड़न द्वारा नहीं समझा जा सकता, हम समान स्वर में पृथक तेलंगाना की मांग का समर्थन करते हैं। परन्तु आंध्र प्रदेश में संकट है। कृपया बुरा न माने कि आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल को इस स्थिति को निर्मित करने क लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

इसके अलावा भी कुछ तथ्य है। केन्द्रीय सरकार ने निःसंदेह कहा है कि तेलंगाना का निर्माण होगा और प्रक्रिया प्रवृत की जाएगी...*(व्यवधान)*। में कह रहा हूं कि एक प्रक्रिया प्रारंभ होगी. ..*(व्यवधान)*। कृपया मुझे सुनिए। मैं कह रहा हूं कि एक राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किंतु यह नहीं किया गया और इससे एक गंभीर संकट पैदा हो गया। राव साहब कृपया आप यह नहीं कह सकते हैं कि संकट नहीं है। संकट तो है। इसलिए, भारत सरकार के अनिर्णय को एक कारक माना जा सकता है जिससे तेलंगाना में संकट और गंभीर हो गया है।

मुझे स्मरण है कि श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और केवल एक पार्टी ने अपना विचार नहीं किया था। सुषमा जी यह कहना भूल गई कि... *(व्यवधान)*। नहीं कांग्रेस पार्टी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री दासगुप्त जी कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री गुरूदास दासगुप्तः मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में अपना विचार प्रकट नहीं किया था। इसलिए स्थिति आज बहुत खराब है और इसके समाधान की आवश्यकता है।

महोदया, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं श्री चिदम्बरम के वक्तव्य का संदर्भ देना चाहूंगा। वे सदा एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। वे सदा यह कहते हैं कि वे एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं और यद्यपि मेरा उनसे मतभेद हो सकता है, तथापि मुझे उनकी इच्छा शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं है। किंतु क्या यह एक मजबूत शख्स का वक्तव्य है? यह पूरी तरह से अनिर्णय से भरा है। उन्होंने केवल कुछ सिफारिशों का उद्धरण दिया हैं ये सभी विकल्प है। भारत सरकार क्या कह रही है? यह शुरू से कह रही है कि परामर्श लिए जाएंगे, सहमति मांगी जाएगी और यह उपयुक्त समय पर किया जाएगा। हो सकता है कि वह उपयुक्त समय तब आएगा जब श्री चिदम्बरम जी सरकार में और पद पर नहीं रहेंगे। उपयुक्त समय क्या है?

इसलिए, मेरा आरोप यह है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सक्रिय भूमिका नहीं अदा की गई। यह न केवल तेलंगाना ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी अपकार है। कृपया हमें न सिर्फ तेलंगाना बल्कि संपूर्ण आंध्र प्रदेश के प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए। प्रकृति का वक्तव्य, सहमति पर पहुंचने में सरकार की असफलता का कारण यह है कि यह सदन व्यवस्थित नहीं हैं। उन्हे एक वक्तव्य देना है।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरूदास दासगुप्तः मुझे एक मजबूत व्यक्ति पर दया आती है। मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। मैं तेलंगाना का समर्थन करता हूं। मैं रायलसीमा के लोगों की भावनाओं की इज्जत करता हूं। मैं तटीय क्षेत्र के लोगों की भावना की कद्र करता हूं। मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि मैं केवल तेलंगाना के समर्थन में खड़ा हूं ओर शेष आंध्र प्रदेश भाड़ में जाए। नहीं मैं समाधान का पक्षधर हूं।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदया मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

महोदया, मुद्दा यह है कि मैं आंध्र प्रदेश में शांति की अपील करता हूं, मैं आंध्र प्रदेश में उथल-पुथल को समाप्त करने की अपील करता हूं, मैं आंध्र प्रदेश में इस मुद्दे पर सहमति की अपील करता हूं। मैं तेलंगाना के समर्थकों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जोर जबरदस्ती से अपनी मांग नही मनवा सकते हैं। आप जोर-जबरदस्ती से तेलंगाना की मांग नहीं मनवा सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हां, मैं इससे सहमत हूं कि सहमति होनी चाहिए किंतु सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार तभी कदम उठाती है जब जनता उठ खड़ी होती है।

अध्यक्ष महोदयाः क्या हो रहा है? कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदया, मैं तेलंगाना का समर्थन करता हूं, मैं रायलसीमा की इज्जत करता हूं। मैं तेलंगाना का समर्थन करता हूं किंतु तटीय क्षेत्र की इज्जत...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको जो कुछ कहना था आपने कह दिया। कृपया अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदया, मैं यह कह रहा हूं कि तेलंगाना के लोगों का समर्थन करते हुए मै। रायलसीमा अथवा तटीय क्षेत्रों के प्रति कोई अनादर नहीं दिखा रहा हूं किंतु एक सहमति होनी चाहिए। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में बदलाव शांति पूर्ण ढंग से होनी चाहिए। मैं इसका एक जनतांत्रिक और शांति पूर्ण समाधान चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री सर्वे सत्यनारायण: अध्यक्ष महोदया, मैं तेलंगाना के मुद्दे पर इस सम्मानित सदन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं तेलंगाना से ही संबंध रखता हूं। मैं एक पक्का तेलंगाना निवासी हूं। तेलंगाना के लोग अपना बलिदान दे रहे हैं। वे आत्महत्या कर रहे हैं। यह एक संवेदनशील विषय है। संपूर्ण तेलंगाना जल रहा है और आपने कहा कि आंध्र प्रदेश भी जल रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, आप लोग ये क्या परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री सर्वे सत्यनारायण: महोदया, मैं श्री दासगुप्त का बड़ा आभारी हूं और मैं उनके द्वारा उठाए गए कदम की प्रशंसा करता हूं। इन वर्षों में उनकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया। महोदया, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने वहां के लोगों की भावना को समझते हुए एक पृथक राज्य की मांग के समर्थन में वक्तत्व दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं। संपूर्ण तेलंगाना उनके प्रति आभारी हैं किंतु मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है। उन्हें एक पृथक राज्य की मांग करनी चाहिए न कि संपूर्ण आंध्र राज्य की।

[हिन्दी]

दादा यह नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। एक ही बात होनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने बोला कि तेलंगाना दीजिए, उस तरह से तेलंगाना के बारे में बात होनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: बीजेपी को अपना उल्लू सीधा करना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: गुरूदास दासगुप्त जी, ये आपको क्या हो गया है?

[अनुवाद]

कृपया आप बैठ जाइए और श्री सत्यनारायण, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

आप उनको क्यों अड्रेस करते हैं। वे बार-बार खड़े हो रहे हैं तो आप बार-बार उनसे बोलेंगे?

श्री सर्वे सत्यनारायण: मैडम स्पीकर, मैं यहां भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी नेता सोनिया जी, यूपीए चेयरपर्सन, कांग्रेस पार्टी लीडर *[अनुवाद]* मैं श्रीमती सोनिया गांधी को मैं अपनी माँ मानता हूं। उन्होंने मुझे राजनीति में पुनर्जन्म दिया है।

[हिन्दी]

अगर सोनिया जी यहां रहतीं और तेलंगाना की डिबेट सुनतीं तो डैफिनेटली तेलंगाना का इश्यु *[अनुवाद]* बहुत शीघ्र सुलझ सकता था।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

आज वह यहां पर हमारे साथ नहीं हैं। वह अस्पताल में भर्ती हैं। इस सदन के सभी सदस्यों की आरे से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें धैर्य, शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य दें और वह पूर्ण स्वस्थ हों। वह एकदम स्वस्थ होकर अवश्य वापिस आएंगे और लोगों के साथ न्याय करें क्योंकि वह हमेशा कहती रही हैं कि वह तेलंगाना के लोगों का अहित नहीं होने देंगी।

तेलंगाना का अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ हैं इस पर लगातार चर्चा चल रही है और यही कारण है कि इस मुद्दे पर मैं आम-सहमति के लिए विपक्ष सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि इस मुद्दे पर आम-अहमति नहीं बनी थी इसलिए यह मुद्दा लंबित हो रहा था लेकिन सरकार, कांग्रेस पार्टी एवं अन्य राजनीतिक दलों के अलग-अलग वक्तव्यों के कारण जनता मामले को ठीक से समझ नहीं पा रही है। लोगों के मन में भय की भावना पैदा हो गई है कि यह अलग राज्य नहीं बन पायेगा और इसीलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

हमें जनता की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

तेलंगाना एक अलग राज्य था अथवा कहें कि, हमारा मुल्क ही अलग था। हमारे राज्य को हैदराबाद राज्य कहा जाता था। हमें स्वतंत्रता की 1948 में जाकर मिली, न कि 1947 में। इस राज्य पर तत्कालीन निजाम का शासन था।

[हिन्दी]

हमारे पास मुल्की रूल था। मुल्क मतलब देश। उस देश का जो भी रेजीडेन्ट है, वह मुल्की कहलाता था। वह कन्टिन्यु होना था।

[अनुवाद]

हमारा भाषाई आधार पर और भाषा एवं अन्य कारणों से सीमा आंध्र निवासियों के साथ विलय हुआ था। ये आंध्रवासी मद्रास राज्य के थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमारे भाई-बहन हैं।

[हिन्दी]

मद्रास स्टेट को *[अनुवाद]* अलग *[हिन्दी]* करने के वास्ते तेलुगु पीपल एक जगह इकट्ठा होंगे, बोलकर

[अनुवाद]

वे मद्रास राज्य से बाहर आना चाहते थे। उन्होंने अलग राज्य की मांग की और भाषा और अन्य कारकों के आधार पर हमारा जबरदस्ती आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया गया। यद्यपि उस समय उन्होंने अलग मद्रास राज्य को भी मांग की थी क्योंकि मद्रास के विकास में उन्होंने बहुत योगदान दिया था। लेकिन उनको मद्रास नहीं दिया गया था, इसलिए अब वे इस दलील के आधार पर कि उन्होंने इसके विकास में बहुत योगदान दिया है, हैदराबाद पर अपना हक जाता रहे हैं। ऐसी ही मांग उन दिनों की थी। उस पर विचार भले नहीं किया गया था लेकिन विलय तो कर दिया गया था। जिस दिन यह विलय हुआ उसी दिन, जैसाकि श्रीमती सुषमा स्वराज ने अभी कहा, कि जवाहर लाल नेहरू ने इस पर टिप्पणी की थी।

तेलंगाना एक अबोध बालिका है, उसकी एक शैतान लड़के से शादी की जा रही है, अब उन्हें साथ रहना होगा और जितना साथ रह सकें, वे रहें। लेकिन, अगर ये अबोध बालिका तलाक चाहे तो उसे दे दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उस दिन जवाहर लाल नेहरू जी बोले हैं और आज उनकी नवासी, आज उनकी पोती सोनिया जी, हमारी नेतागण,

[अनुवाद]

उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। वह यह समझती हैं कि तेलंगाना के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया गया है। उनके साथ इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। वे न्याय मांग रहे हैं। वहां पर विकास नहीं हो रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण: हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हम और भी गरीब हैं, इन्नोसेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम हर-एक की मानते हैं, हमारी कास्मोपॉलिटेन सिचुएशन है, हम सबको चाहते हैं। आज भी तेलंगाना के क्रिएशन के बाद भी,

[अनुवाद]

हम हर-एक व्यक्ति को तेलंगाना में रहने की अनुमति देंगे। जैसा के.सी.आर. ने कहा था:

[हिन्दी]

तेलंगाना वाले जाओ, आंध्रा वाले भागो,

[अनुवाद]

इस प्रकार हम किसी को तेलंगाना से बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे। कांग्रेस "भागो" नारे की समर्थक नहीं है और नहीं हम "भागो" नारे के समर्थक हैं। सभी मिलकर रहेंगे। हम तेलंगाना की मांग क्यों कर रहे हैं? तेलंगाना की मांग स्वाभिमान और स्व-शासन के लिए है। यह राज्य विकास चाहता है। यही कारण हैं कि हम तेलंगाना की मांग कर रहे हैं। बहुत से लोगों की इसमें जाने गईं। 29 तारीख को संसद के दोनों सदनों में माननीय गृह मंत्री ने इस पर बयान दिया था। इस आंदोलन में मरने वाले लोगों के बारे में 23 तारीख को पुन: सरकार द्वारा बयान जारी किया गया था। इसमें 600 से अधिक लोगों की जाने जा चुकी हैं। यह कहते हुए हमें बहुत दुख है। जैसा श्रीमती सुषमा जी ने बिलकुल सही कहा, वह व्यक्ति

[हिन्दी]

महोदया, वह याडी रेड्डी 20 साल का बच्चा जिसने यहां आकर सुसाइड कर लिया। पुलिस वाले, नौकरी करने वाले, कांस्टेबल्स बीवी, बच्चों के सामने शूट करके मर गये कि तेलंगाना नहीं आयेगा इसलिए मैं मर रहा हूं। लोग इस तरीके से सैक्रीफाइज कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यही कारण था कि पिछले सत्र में हमने यहां पर हो-हल्ला किया था। हमने कहा, हां, हम आत्महत्या करेंगे।

[हिन्दी]

हम अपने बच्चों को और मरते नहीं देखेंगे, तेलंगाना लेकर रहेंगे।

[अनुवाद]

जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूंगा। ' सर्वे सत्यनारायण एवं तेलंगाना के लोग

[हिन्दी]

चार करोड़ आवाम आज एक ही बात कहेगा कि तेलंगाना हमारा बर्थ राइट है।

[अनुवाद]

हम इसे लेकर रहेंगे और हम इसे लेकर ही रहेंगे। अलग तेलंगाना का निर्माण नजदीक है। यह होकर रहेगा और कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है। उन्होंने खुद का तेलंगाना बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। यही एकमात्र कारण था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण: महोदया, तेलंगाना में लोग मर रहे हैं। तेलंगाना की चार करोड़ आवाम की तरफ से हमारे एमपीज़ ने रिजाइन किया तो आप मुझे बोलने का चांस दीजिए। मैं सुषमा जी से जितना सीनियर नहीं हूं, मैं गुरूदास दासगुप्त जी भी जितना सीनियर नही हूं जो बात कर सकूं।

[अनुवाद]

महोदया, कृपया मुझे अपनी बात कहने दी जाए।

[हिन्दी]

आज सारी दुनिया देख रही है कि तेलंगाना में क्या होने वाला है?

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको अवसर दे रही हूं। इसलिए कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सर्वे सत्यनारायण: तेलंगाना को न्याय मिलेगा, तेलंगाना को जस्टिस मिलेगा। कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डिले हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। उस इंसाफ के वास्ते हम लड़ रहे हैं। गलत स्टेटमेंट आने की वजह से हमारे लोग जान दे रहे हैं और इसीलिए यह सिचुएशन है। आज पूरे एमएलएज रिजाइन कर गये हैं मंत्रीगण अपने कार्यालयों में नहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट का पूरा स्टॉफ पेन डाउन करके वहां कुछ भी नहीं कर रहा है, बच्चे, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं और कोई नौकरी नहीं कर रहा है। वहां सब अस्त-व्यस्त हो गया है, वहां की पूरी व्यवस्था स्थगित हो गयी है। यहां पर भी रिजाइन दिया, हमें भी रिजाइन देना चाहिए, लेकिन अगर मैं भी रिजाइन देता, अगर मेरा यह भाई भी रिजाइन देता तो यहां तेलंगाना की बात करने वाला कोई भी नहीं होता, यहां कोई भी बात करने वाला नहीं रह पाता। कोई लीडर नहीं है, मैं यहां बात करूंगा। मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं जाऊंगा।

[अनुवाद]

मैं अपने नेता का विरोध नहीं करूंगा। मैं अपने नेता के अधिकारों को चुनौती नहीं दूंगा। मैं अपनी नेता का निष्ठावान हूं क्योंकि उन्होंने मुझे राजनीति में जन्म दिया है।

महोदया, जैसा कि उन्होंने कहा कि यह श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा, दिसम्बर, 2009 को दिया गया जन्मदिन का उपहार था। यह वास्तव में तेलंगाना के लोगों के लिए जन्मदिन तोहफा ही था। एक बार जब उन्होंने जन्मदिन का तोहफा दिया है, तो वह इसे वापिस नहीं लेंगी। यह सच है कि एक बार जब वे वचन दे दें या ठान लें तो उसका पालन अवश्य करेंगी। एक कारण यह है कि कुछ व्यवधान पैदा कर दिये गए हैं इसमें देरी होने का यही कारण है। श्री गुलाम नबी आजाद हमारे नेता हैं। उन्होंने पहले ही परामर्श शुरू कर दिया है। वह इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही विचार-विमर्श खत्म होगा, निश्चित तौर पर विधेयक सदन में पेश किया जाएगा।

[अनुवाद]

विधेयक को सदन में पेश होना ही चाहिए।

[हिन्दी]

महोदया, हैदराबाद के बारे में वे लोग पूछते हैं। तेलंगाना देना है तो दो नहीं तो तेलंगाना को यूनियन टैरिटरी या कॉमन टैरिटरी बनाओ। हमारे भाई ऐसा बोलते हैं। कल सुबह हैदराबाद को हटाकर तेलंगाना दे दो तो वे सहमत होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठिये। आपने कितनी देर बोल लिया। अब सवाल पूछिये और बैठिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण: हैदराबाद किसी की जागीर नहीं है। हैदराबाद हमारे सिर के समान है। सिर के साथ खाली हाथ दे देंगे और बॉडी उधर दे देंगे और कहेंगे कि तेलंगाना ले लो, ऐसा नहीं होता है।

[अनुवाद]

इससे न तो ज्यादा न ही कम।

[हिन्दी]

तेलंगाना होगा तो हैदराबाद के साथ दस जिलों का तेलंगाना होगा,

[अनुवाद]

न इससे कुछ ज्यादा, न इससे कुछ कम।

[हिन्दी]

महोदया, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमैंट में अभी-अभी बोला है श्रीकृष्ण कमेटी के बारे में

[अनुवाद]

श्रीकृष्ण समिति का गठन तेलंगाना के अलग राज्य की मांग के अलावा संयुक्त आंध्र प्रदेश के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति को बनाये रखने की मांग के संदर्भ में हुआ था।

[हिन्दी]

या तो तेलंगाना बोलो या आंध्र प्रदेश बोलो, इसके बारे में कमेटी डाली है।

[अनुवाद]

निस्सन्देह, श्रीकृष्णा समिति हम तेलंगाना वासियों के लिए कोई उच्चतम न्यायालय नहीं है। निर्णय मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम इस मामले में सरकार तक की उपेक्षा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

वह तो हम कचरे के डिब्बे में डालेंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि अभी-अभी मालूम हुआ है कि तेलंगाना के साथ कितनी साजिश हुई हैं इन लोगों के पोलिटिकल इंटरस्ट हैं, ये लोग जो पोलिटीशियन्स नहीं होते, ऐसे लोगों ने यह रिपोर्ट लिखी है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। लेकिन इस स्टेटमेंट में केवल दो पॉइंट पूछे गए हैं कि हां या ना बोलो तेलंगाना के लिए। तो उन्होंने छः पॉइंट्स दिये। ऐसा भी करो, वैसा भी करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना बोलने की क्या जरूरत थी? यह अपने आप में एक गलत कथन है। इसलिए हम इसको रिजैक्ट करते हैं।...*(व्यवधान)*

जहां तक पैरा 14(च) को हटाए जाने का संबंध है, मेरे विचार से मामले को हल किया जा रहा है। लेकिन चिदम्बरम जी हमारे साथ बहुत ही हमदर्दी करते हैं तेलंगाना के बारे में भी 9 दिसंबर के बाद जो स्टेटमेंट दिया था, सब लोगों ने उसकी गलती पकड़ी थी। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम साहब कैसा रातोरात ऐसा बोले। लेकिन वे सरकार की तरफ से बोले। हमारी तरफ से भी चिदम्बरम की प्रशंसा और उन्हें धन्यवाद। लेकिन एक बात क्या हुई 14(एफ) में, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि केन्द्र

सरकार राज्य विधान सभा को इसे पुन: पारित करने के लिए कहेगी। एक बार एसैम्बली में 14(एफ) के डिलीशन के बारे में पास हो गया तो एक बार फिर रिजॉल्यूशन पास करने की क्या जरूरत है? यह कनफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहने की वजह से बच्चे मर रहे हैं। इसीलिए हम लोग एजिटेट कर रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब यह मामला हल हो चुका है। नि:संदेह इससे हमें मदद मिलेगी। लेकिन 14(एफ) से नहीं होगा। यानी वह कोई दूसरे रीजनल बोर्ड्ज लगाने से, या कोई कमीशन अपॉइंट करके फंड्ज देने से तेलंगाना को न्याय नहीं मिलेगा। तेलंगाना को सिर्फ सैपरेट स्टेट देने से ही न्याय मिलेगा। इससे हटकर कुछ भी हमारे लोग नहीं मानेंगे। इसलिए हमें तेलंगाना राज्य इस तरीके से देना चाहिए। "तेलंगाना पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और सदन में एक उपयुक्त संकल्प लाया जाएगा और छात्रों के विरूद्ध दायर किए जा रहे सारे मुकदमें वापिस ले लिए जाएंगे" इस प्रकार से होम मिनिस्टर साहब ने 9 दिसम्बर को जो स्टेटमैंट दिया है, और 10 तारीख को संसद के दोनों सदनों में स्टेटमैंट दिया है, उसमें क्या है? वह मेरे हिसाब से उतना स्ट्रांग स्टेटमैंट नहीं हैं आप यह कार्रवाई कब शुरू करेंगे तथा यह कब पूरी हो जाएगी? इस मामले में कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। एक उपयुक्त संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि इसे बहुमत से पारित करवाया जाए। यह भी आवश्यक नहीं है कि इसे एकमत से पारित किया जाए। यदि इसे सदन में रखकर इस पर विचार किया जाता है तो यह भी पर्याप्त होगा। यह बात है और बए बात है उस स्टेटमेंट में। "आन्दोलन में भाग लेने वाले छात्रों के विरूद्ध दायर सभी मामले वापिस ले लिए जाएंगे।" लेकिन आज तक विदड्रा नहीं हुआ है, मैं बड़े खेद के साथ यह कह रहा हूं कि वह भी करना चाहिए, 14(एफ) भी हटाना चाहिए, तेलंगाना स्टेट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण: मैं समाप्त कर रहा हूं। फतउल अली कमीशन की बात मैडम ने बोली, वह सही बात है। तेलंगाना में अगर इलेक्शन लगाओ तो तेलंगाना स्टेट के टू-थर्ड मेजारिटी ऑफ एमएलएज अगर मानते हैं मर्जर के लिए तो आंध्र प्रदेश स्टेट क्रियेट करो, लेकिन फजल अली कमीशन को उन लोगों ने जो लोग यह काम देख रहे हैं उन्होंने इसकी अनदेखी की है और उन्होंने राज्य का गठन किया है। एक बात और कहते हैं कि सैकेंड एसआरसी बनाकर देश में जितने छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, अब लोगों की बात सुनेंगे और हो सका तो उसमें तेलंगाना को जोड़ देंगे।

उसमें तेलंगाना जोड़ देंगे। यह साफ तौर पर कलह की बात शुरू करने का संदेश है। एक क्लीयर मैसेज जाएगा, जिसमें तेलंगाना बनाने के लिए सैकिंड एसआरसी बोलना जैसे पैडोरा बॉक्स को ओपन करना। यह बात सरकार, सोनिया जी, प्रधानमंत्री या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिर्स्टस नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यह बात उस समय आई। यूपीसीसी में उत्तर प्रदेश राज्य को तीन भागों में बांटने के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रैजोल्यूशन था, इसलिए सैकिंड एसआरसीसी बोली गई। लेकिन हमारे आंध्र और रॉयल सीमा के लोग कह रहे हैं कि सैकिंड एसआरसीसी हो गई है और तेलंगाना नहीं आता है। मिसइंटरपिटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं। सैकिंड एसआरसी केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि जहां भी मांग है, उनकी रिप्रजन्टेशन लीजिए और सुनिए। यदि रीजनैबल मांग है तो उन्हें दीजिए। जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय कितने राज्य थे और आज कितने राज्य हैं, यह आप देख सकते हैं। उन लोगों ने उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाइए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सर्वे सत्यनारायण: तेलंगाना का मसला बीजेपी और एनडीए के काल में भी था। लेकिन इन्होंने उसे इग्नोर किया। हमारे आंध्र प्रदेश के भाइयों ने सभी को यह सर्कूलर दिया है। मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"मैंने मामले की जांच करवाई है। भारत सरकार का यह विचार है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग से दूर किया जा सकता है। अत: सरकार का पृथक तेलंगाना राज्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

[हिन्दी]

वर्ष 2002 में आडवाणी साहब ने बीजेपी के एमपी नरेन्द्र साहब को एक लेटर लिखा था।...*(व्यवधान)* यह लोग बहुत खुश हो रहे हैं। यह सर्कुलेट करके बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन हम खुश हैं, क्योंकि उस समय तो आप नहीं दे पाए, लेकिन आज आप तेलंगाना की जनता को दिखाने के लिए एक अच्छी नीयत से आए हैं। उस दिन यदि आप तेलंगाना दे देते तो आज इतनी प्राब्लम्बस नहीं होती। उस समय यदि आपने तेलंगाना दे दिया होता तो आज

हमारे बच्चे नहीं मर रहे होते। देर हुई, लेकिन अंधेर नहीं। तेलंगाना देने के लिए आए लेकिन दुरुस्त आए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपने इसे वाद-विवाद का रूप दे दिया। यह मंत्रालय का 'ध्यानपूर्वक' है।

[हिन्दी]

श्री सर्वे सत्यनारायण: उस समय चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे।...*(व्यवधान)*

उन्होंने बीजेपी को कहा कि तेलंगाना नहीं देना चाहिए। इसलिए इन्होंने तेलंगाना राज्य नहीं दिया।...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. के.एस. राव।

डॉ. के.एस. राव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

डॉ. के.एस. राव: महोदया, मै आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे आंध्र प्रदेश की वास्तविक स्थिति के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे, विशेषतौर पर क्योंकि केवल वे लोग जो पृथक तेलंगाना राज्य के गठन का समर्थन कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, क्या इनके दो लोग बोलेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मेरा अपना विशेष विवेकाधिकार है और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

डॉ. के.एस. राव: क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता और एक मुख्य विपक्षी दल ने यह मामला उठाया है, अतः मुझे आज इस मुद्दे पर बोलना पड़ा। यदि मैं तेलंगाना से संसद सदस्य होता, तो मैं इस बारे में इतनी चिंता नहीं करता, क्योंकि तेलंगाना से होने के नाते स्वाभाविक रूप से वे ऐसा कहना चाहेंगे। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहां, हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लिखित कुछ बातों को उद्धृत करूंगा।

माननीय सुषमा जी कह रही थी कि 2004 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि पृथक तेलंगाना राज्य बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में भी इस बात का उल्लेख है और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि पृथक तेलंगाना राज्य के बारे में कहीं वायदा नहीं किया गया। लेकिन, कई अवसरों पर यह कहा गया है...*(व्यवधान)* मैं उस बारे में बात कर रहा हूं जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही है। इस बारे में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा गया है कि पृथक तेलंगाना राज्य का गठन किया जाएगा। लेकिन यह कहा गया है कि तेलंगाना में विद्यमान कठिनाइयों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। यदि विकास के मामले में कोई राष्ट्रीय मतभेद हैं और यदि रोजगार शिक्षा, स्थाई सुविधाओं के बारे में कोई शिकायतें हैं तो निश्चित रूप से इस बारे में विस्तार से जांच करके उस सभी को हल किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार अन्ततः पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के बारे में निर्णय ले सकती है और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

लेकिन यहां मुद्दा यह है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी पर दोष मढ़ रहे हैं पार्टी ने जो कहा है मैं उसे उद्धृत करता हूं। काकीनाडा में 1998 में 1998 में अपने पूर्ण सत्र में आपकी पूरी पार्टी ने कहा, 'एक वोट दो राज्य'। उन्होंने कहा, 'यदि आप भा.ज.पा. और उसकी सहयोगी पार्टी को एक वोट देंगे तो हम आपको दो राज्य देंगे। इसका मतलब हुआ कि वे आंध्र प्रदेश को तत्काल दो राज्यों में विभाजित कर देंगे। आज वह यहां नेता हैं, बेशक वे उस दिन यहां उपस्थित न रही हो। पर इसके लिए कौन जिम्मेदार था? 1998 के बाद, जब ये लोग सत्ता में आए तो सब भूल गए और बहाना बनाया कि ते.दे.पा. इसकी इच्छुक नहीं है और इसलिए हम अलग तेलंगाना राज्य नहीं देंगे...*(व्यवधान)* इसी पत्र को श्री सर्वे सत्यनारायण ने उद्धृत किया है...*(व्यवधान)* और आज लोकसभा में एक ऐसी जिम्मेदार पार्टी के बतौर जिसका आंध्र प्रदेश से कोई प्रतिनिधि नहीं है ये आंध्र प्रदेश में की मौजूदा स्थितियों की बात कर रहे हैं। कैसी शोचनीय बात है यह?...*(व्यवधान)* इनका आंध्र प्रदेश एक भी सांसद नहीं है।...*(व्यवधान)* ये जाएं वहां और स्वतंत्र रूप से चुनाव तो लड़े...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: सत्यनारायण जी, आप क्यों खड़े हैं? कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. के.एस. राव जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

अध्यक्ष महोदया: सत्यनारायण जी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. राव: अध्यक्ष महोदया, सुषमा स्वराज जी ने उस आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दे को यहां उठाया है। जहां से न केवल इनका कोई भी सांसद नहीं है, बल्कि यदि इनकी पार्टी वहां अकेले चुनाव लड़े तो उसे 2 प्रतिशत वोट भी नहीं मिलेगा। इन्हें वहां कांग्रेस या ते.दे.पा. गठबंधन करना होगा। अन्यथा, आंध्र प्रदेश में भा.ज.पा. का कोई अस्तित्व नहीं है और वह अलग तेलंगाना राज्य की वकालत कर रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: गणेश सिंह जी, आप क्यों खड़े हो गए? कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. राव: महोदया, भारत सरकार द्वारा श्रीकृष्णा आयोग की नियुक्ति की गयी थी...*(व्यवधान)*

आंध्र प्रदेश के सभी दलों की सहमति से भारत सरकार द्वारा श्रीकृष्ण आयोग की नियुक्ति की गयी थी। हममें से हरेक ने माना था कि इसका पालन करेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठा जाइये। बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है, उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

डॉ. के.एस. राव: भा.ज.पा. के संबंध में मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। भाजपा पर अब और अधिक नहीं। मेरा कहना यह है कि एक बड़ा विपक्षी दल...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री के.एल. राव जी वे कथन के अलावा कुछ भी अन्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है, स्पीकर ने दिया है। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। आप भी बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: कोई भी तो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वे प्रश्न पूछें...*(व्यवधान)*। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। मैं भा.ज.पा. की बात नहीं करूंगा। अब मुझे आंध्र प्रदेश में स्थिति के बारे में कहने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप फिर खड़ हो गए, बैठ जाइए।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: महोदया, तेलंगाना आंदोलन का सुनहरा इतिहास है। इसे विस्थापित राजनेताओं चहो वे कांग्रेस के हो या किसी अन्य पार्टी के, द्वारा प्रारंभ किया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. के.एस. राव जी, कृष्णा आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: मैं उनसे प्रश्न पूछने के लिए कह रही हूं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. राव: आंध्र प्रदेश रायल सीमा के तटवर्ती लोगों के चाहने के कारण नहीं बना था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. के.एस. राव जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठेंगे तो करेंगे। आप बैठेंगे, तभी कुछ करेंगे न।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: तेलंगाना के नेता ही अपना मुख्यमंत्री पद त्यागने आए हैं। डॉ. बरगुला रामकृष्ण ने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया और दो तिहाई से अधिक बहुमत से एक संकल्प पारित किया जिसमें से इस अभियान में शामिल होकर विशाल आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई थी...*(व्यवधान)* पर संसद में यह चर्चा लंबी चली...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइये। आप भी बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। आप भी बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: क्या आप प्रश्न पूछेंगे, जी राव?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. राव: महोदया, हैदराबाद में तेलंगाना सभा ने दो-तिहाई बहुमत से मंजूर किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. राव: महोदया आपको मेरी बात भी तो सुनें। इन्हें आज आपने कितना समय दिया है।

[अनुवाद]

मैं यह बात कहना चाहता हूं। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप भी बैठिए

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। यह ध्यानाकर्षण था और मैं समझती हूं कि सभी माननीय सदस्य, जिनका नाम सूची में शामिल था, अपनी बात कह चुके हैं। मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करती हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आपका नाम इसमें नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः केवल माननीय मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरमः आपका नाम इसमें नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए, माननीय मंत्री बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः माननीय मंत्री जो बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

श्री पी. चिदम्बरमः अध्यक्ष महोदया, मैं दुःख के साथ यह कर रहा हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जैसी कि आशंका थी विघटनकारी वाद-विवाद के रूप में बदल गया है।

कृपया इस बात को समझें कि आंध्र प्रदेश में बहुत से लोगों में इस मुद्दे पर मतभेद है और संसद में कुछ भी ऐसा कहा या किया नहीं जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाए भड़कें।

मेरा शुरू से यह प्रयास रहा है कि आंध्र प्रदेश के नेताओं को यह बताया जाए कि एक तरफ तेलंगाना की मांग तथा दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश को बनाए रखने की मांग से उत्पन्न समस्या का समाधान तेलगु बोलने वाले लोग ढूंढे। आंध्र प्रदेश के लोग इस समस्या का समाधान ढूंढे और भारत सरकार उस समाधान को केवल सुगम बना सकती है। मेरा दृष्टिकोण यही रहा है।

वास्तव में जिन्होंने 5 जनवरी, 2010 की सर्वदलीय बैठक तथा 6 जनवरी, 2011 की सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था, जानते होंगे कि मैंने इस बात को दोहराया था-संससद समाधान को सुगम बना सकती है, सरकार समाधान को केवल सुगत बना सकती है, समाधान आंध्र प्रदेश की जनता ढूंढे।

महोदया, वास्तव में इसका लंबा इतिहास है। प्रत्येक व्यक्ति इस इतिहास को जानता हैं माननीया विपक्ष की नेता ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस इतिहास का हवाला दिया। मैं इतिहास का वर्णन करते हुए उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। परंतु तथ्य यह है कि इसका पुराना इतिहास भी है। उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 के जेंटलमैंन एग्रीमेंट, संविधान के अनुच्छेद 371(1) के संशोधन, 1973 का छह सूत्रीय फार्मूला, अनुच्छेद 371(घ) को शामिल करना और मई, 2009 में राज्य विधान सभा के चुनावों का हवाला दिया। यह सब पुराने इतिहास का हिस्सा है। परंतु इस संबंध में नवीन इतिहास भी है। जब तक कोई इन घटनाक्रमों पर नजर नहीं डालेगा तब तक यह समझ पाना मुश्किल होगा कि भारत सरकार बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रही है।

हाल ही में 8 दिसंबर, 2009 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद हैदराबाद में सर्वदलीय बैठक हुई। इन बैठकों के कार्यवाही वृत्तांत के आधार पर भारत सरकार ने मेरे माध्यम से 9 दिसम्बर को घोषणा की थी।

[अनुवाद]

मैं यह आशा करता हूं कि कोई भी इतना भोला नहीं है कि यह विश्वास किया जा सके कि किसी व्यक्ति ने सरकार के निर्णय के बिना अथवा सरकार के नेताओं के निर्णय के बिना यह घोषणा की है। परन्तु इसके तत्काल पश्चात् 9 दिसंबर को यह वक्तव्य दिया गया था, स्थिति में परिवर्तन कर दिया गय था। इस तथ्य का खंडन नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दल और आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल में विभाजन हो गया।

मैंने उन्हें विभाजित नहीं किया है। इस सभा में कोई भी उन्हें विभाजित नहीं करना चाहता परन्तु वास्तविकता यह है कि उनका विभाजन हो गया है। और जब उनका विभाजन हुआ, सरकार ने इस तथ्य वर गौर किया...*(व्यवधान)*

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): आपका दल भी शामिल है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरमः मैंने ऐसा कहा था। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? मैंने कहा आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी और आंध्र प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल का नाम लिया था। हममें से कोई भी उन्हें विभाजित नहीं करना चाहता था। जब उनका विभाजन हुआ तो हमें बदली हुई स्थिति पर गौर करना पड़ा और फिर 23 दिसंबर को हमने एक वक्तव्य दिया। उसके पश्चात् श्रीकृष्ण समिति का गठन किया था।

अब मैं नहीं समझता कि काल्पनिक विरोधी अथवा वास्तविक विरोधी के मुद्दे पर बल देने की उत्सुकता में हमें न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण जैसे सम्मानीय न्यायाधीश को कमजोर कर देना चाहिए। निःसन्देह समिति ने सभी से परामर्श किया। समिति ने वित्त मंत्री से परामर्श किया क्योंकि समिति ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध थी। समिति ने मुझसे विचार विमर्श किया। समति ने सभी से विचार विमर्श किया। परन्तु हमने उन्हें ऐसा कुछ भी नही कहा कि उन्हें रिपोर्ट में क्या

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिखना चाहिए। यह सरकार वे मंत्रियों का कार्य नहीं है कि वह समिति को बताएं कि रिपोर्ट में क्या लिखा जाए। यदि वे रिर्पोट लिखते हैं, तो वे रिर्पोट के लेखक हैं और रिपोर्ट में लिखने का उत्तरदायित्व लेते हैं।

परन्तु हमारी उत्सुकता और ज्वलंत परिस्थिति में मैं सम्मानपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि हमें न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा जैसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश, जिन्होंने अनेक वर्ष तक देश की महान सेवा की है को कमजोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने विचारार्थ विषयों का पालन किया है। विचारार्थ विषयों में यह आपेक्षित था कि श्रीकृष्ण समिति उपलब्ध विकल्पों का पता लगाए ताकि आगे का रास्ता अपनाया जा सके। अपने विवेक से समिति के विवेक से उन्होंने विकल्पों का पता लगाया है। उन्होंने छः विकल्प दिए हैं यह हम पर निर्भर है, आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में राजनीतिक दलों के समर्थन से इस सभा में समाधान का पता लगाना होगा। और मैं सरकार में ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा हूं और मेरे सहयोगी श्री आजाद हमारी पार्टी में ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि आप में से हर किसी ने अपने दल में समाधान तलाश करने के मामले में किसी जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगा लिया होगा। दल आधारित राजनीति में जहां सरकार सरकार के रूप में अपना कार्य करती हैं, दल के नेता अपने अपने दलों के भीतर आम सहमति तलाश करने का प्रयास करते हैं, वहां इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। इसमें कुछ भी असामन्य नहीं है।

इसलिए मेरा यह नम्र निवेदन है हम ऐसा न कहें अथवा ऐसा करें। इससे केवल, मैं अपने मित्र श्री गुरूदास दासगुप्त के शब्दों का दोहराना चाहूंगा कि इससे केवल आग में तेल डालने जैसा काम होगा। आग को बुझाने का कार्य होना चाहिए, आवेश को कम करने प्रयास होना चाहिए और समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

महोदया, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मैंने एक वक्तव्य दिया है। मुझसे अपने वक्तव्य पर स्पष्टीकरण देने को कहा जा सकता है। परन्तु कुछ चीजों में मैं कुछ भी नहीं कर सकता; मैं यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने अध्याय आठ को क्यों जोड़ा और ऐसा क्यों कहा कि 'इस अध्याय को गोपनीय के रूप में वर्गीकृत किया जाए।' मैं इसे किस तरह से स्पष्ट कर सकता हूं। मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें अध्याय एक को गोपनीय के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे गोपनीय रहना है। अब इस विषय पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में बहस चल रही है। एक मात्र न्यायधीश जिनके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं, ने आदेश पारित किया परन्तु खंड पीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी। अब मैं क्या स्पष्टीकरण दूं? उसमें एक अध्याय है जिसे गोपनीय के रूप में चिन्हित किया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः कृपया एक मिनट।

मैंने आपसे स्पष्टीकरण के लिए नहीं कहा। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था। क्या इसमें गोपनीय के रूप में चिह्नित कोई अध्याय आठ है?

श्री पी. चिदम्बरमः मैं इसी का उत्तर दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः वह अपने स्वीकार कर लिया है।

श्री पी. चिदम्बरमः मैं उसका उत्तर दे रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैंने कभी आपसे स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा।

श्री पी. चिदम्बरमः धन्यवाद।

श्रीमती सुषमा स्वराजः मेरा प्रश्न यह था कि क्या श्रीकृष्ण कमेटी में से एक चैप्टर एड था पर सीक्रेट मार्क्ड था?

श्री पी. चिदम्बरमः है, मैं संसद में ऐसा कह रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः उन्होंने ठीक यही कहा है?

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरमः एक अध्याय है। इसे गुप्त के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं, यह मामला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक आदेश दिया है और खण्ड न्याय पीठ ने उस ओदश को प्रवृत्त करने पर रोक लगा दी है। अतः मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः लेकिन निर्णय तो सार्वजनिक हो चुका है।

श्री पी. चिदम्बरमः निश्चित रूप से यह है। निर्णय सार्वजनिक होगा लेकिन निर्णय प्रवृत्त नहीं हे। इस पर रोक लगा दी गई है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः यह निर्णय प्रवृत्त नहीं है, इसका क्या अर्थ है? मैं आपको बता रही हूं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरमः निर्णय प्रवृत्त नहीं है, यह ऐसी बात है जिसे कोई भी वकील जनता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराजः कौन सा भाग प्रवृत्त है? प्रवृत्त होने का भाग वह है जिसे दो हफ्तों में सार्वजनिक करना होता है। वह प्रवृत्त है और उस पर रोक लगा दी गई है। उस पर रोक लगा दी गई है ना?

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मुझे खेद है। निर्णय प्रवृत्त नहीं है का अर्थ...*(व्यवधान)* इसका क्या अर्थ है, मैं आपको बताउंगा।

आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देने दीजिए। निर्णय प्रवृत्त नहीं है, का अर्थ है कि निर्णय की समाप्ति और निणर्य की और ले जाने वाले तर्क दोनों की समीक्षा खण्ड न्याय पीठ द्वारा की जा रही है अतः इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता या उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

श्रीमती सुषमा स्वराजः किंतु निर्णय की विषय वस्तु नहीं।

श्री पी. चिदम्बरमः कौन कहता है? कोई भी विषय वस्तु को हटा नहीं रहा है...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं निर्णय की विषय वस्तु पढ़ रही थी।

श्री पी. चिदम्बरमः किसी भी तरीके से मैं सहमत हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः श्रीमान गृह मंत्री, मैं निर्णय की विषय वस्तु से पढ़ रही थी।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मैं सहमत हूं। मेरा कानून पुराना हो सकता है, मैं सहमत हूं। लेकिन मैं कानून को इसी तरह समझता हूं...*(व्यवधान)*

कीर्ति आजाद, कृपया। कीर्ति आजाद कानून मुझसे सीखें मैं क्रिकेट आपसे सीखूंगा...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): इसे धोनी से न सीखें, अब. ..*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरमः निर्णय का निष्कर्ष और निष्कर्ष की और से जाने वाले तर्क की समीक्षा खण्डपीठ द्वारा की जा रही है। निर्णय पर रोक लगा दी गई है।

दूसरी बजट, अध्यक्ष महोदया, एक नौजवान लड़का दिल्ली आता है। रिपोर्ट मिलती है कि मौत हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है आशंका होती है कि मामला आत्महत्या का है। इस बात की आशंका है कि जो उसके द्वारा लिखा गया कथित रूप से लिखा गया पत्र उसकी जेब तें था। मामला जांच के अधीन है। अब मैं क्या स्पष्टीकरण दे सकता हूं। क्या मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसा कि कुछ अन्य लोग जो विश्वास के साथ कहते हैं कि पत्र उसके द्वारा लिखा गया था या इस पर क्या मैं यह निश्चत रूप से रह सकता हूं कि यह पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया। क्या मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह आत्महत्या का पत्र वास्तविक है या क्या यह कह सकता हूं कि यह वास्तविक नहीं है? ऐसी परिस्थितियों में हुई कोई मृत्यु हमें दुख देती है यह हम सभी का दुख देती है।

हमारा कोई युवा साथी यदि किसी भी कारण किसी भी प्रयोजन, मंशा असंतोष या रोष में यदि आत्महत्या करता है, तो यह हम सबका ह्रास है।

मेरी सविनय अपील है कि हम सब मिलकर आंध्र प्रदेश के युवाओं से अपील करें कि ऐसे उग्र कदम न उठाएं, जबकि हम इस विषय पर अभी चर्चा कर रहे हैं।

तीसरे, विपक्ष की माननीया नेता ने कहा: "आप विधेयक लाइए" हम इसका समर्थन करेंगे"

श्रीमती सुषमा स्वराजः जी हां।

श्री पी. चिदम्बरमः खैर यह इनकी पार्टी की राजनीतिक सोच है, मैं उस राजनीतिक सोच में उलझना नहीं चाहता। साफ है कि इनकी पार्टी ने अपना मन बदल लिया है।

यदि लोग अपना मन बदल लें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है...*(व्यवधान)*। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, लोक सभा में उठाए गए एक विषय पर अपनी प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था: "मैंने मामले की जांच करवाई है। भारत सरकार का यह मानना है कि क्षेत्रीय असमानताओं और आर्थिक विकास की समस्या आयोजना और उपलब्ध स्रोतों के प्रभावी प्रयोग द्वारा काबू की जा सकती है। इसलिए, सरकार तेलंगाना के पृथव राज्य के निर्माण का प्रस्ताव नहीं कर रही है। "यह मत उस समय थां यदि उन्होंने अपना मत बदल लिया है, तो ये इनका विशेषाधिकार है। एक राजनीतिक दल निःसंदेह अपना मत बदल सकता है...*(व्यवधान)*

आडवाणी जी, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यही बात रहा हूं कि वर्ष 2002 में भाजपा का यह मत था। फिर,

2011 में विपक्ष की नेता कहती है कि पार्टी की राय भिन्न है अब, ये दोनों ही तथ्य है पर मैं इसके लिए आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि सरकार में होने के वक्त हमें समाधान प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में हम पूवस्थिति से भिन्न तथ्य का भी संज्ञान करते हैं; लोक सभा में आज मुख्य विपक्षी दल यह मानता है कि तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। इस बात को हम इसकी वरीयता के आधार पर अवश्य ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदया, इसके साथ ही, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में आठ मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल हैं। इनमें से एक, पी.आ.पी. ने घोषणा की है कि वह कांग्रेस के साथ आना विलय करेगा। इस कारण यह संख्या सात रह जाती है। तथापि एक नई पार्टी आई है-वाई.एस.आर. कांग्रेस और इस प्रकार अभी भी राज्य विधान सभा में आठ दलों का प्रतिनिधित्व हैं।

अब, इन आठ दलों की राय का है? भाजपा सहित तीन दल, अर्थात् टी.आर.एस., सी.पी.आई. और भाजपा स्वयं तेलंगाना के पक्ष में है। एक पार्टी सी.वी.आई. (एम) तेलंगाना के गठन का विरोध कर रही है। तीन दलों और संभवत: आठवें दल मैं काफी सावधानी से यह कह रहा हूं-ने अभी तक इसमें अंतिम निर्णय नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझसे कहा है कि उसने अभी अंतिम रूप से अपना मन नहीं बनाया है। वह अभी सलाह-मशवरा कर रही है. ..*(व्यवधान)*

टी.डी.पी. इस मुद्दे पर विभाजित है और उसने कहा है कि एक पार्टी के रूप में टी.डी.पी. अंतिम निर्णय नहीं लिया है। नए दल अर्थात् वाई.एस.आर. कांग्रेस ने अपने अंतिम निर्णय के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। वस्तुत: मेरी सूचना के अनुसार, पिछले माह हुई इस दल की बैठक में उसने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। और एम.आई.एम. पार्टी ने मुझे कहा है कि वे कोई निर्णय लेने से पहले कांग्रेस और टी.डी.पी. का मन जानना चाहेंगी। इस प्रकार, ऐसी चार पार्टियां हैं जिन्होंने अपना कोई निर्णय नहीं लिया है। मैंने उनसे कहा है कि आप सामने आकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को तैयार हैं तो मैं एक अन्य सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा।

हमने 5 जनवरी, 2010 को एक बैठक बुलाई थी। फिर, हमने 6 जनवरी, 2011 को भी एक बैठक की और मैंने कहा था कि मै। अगली बैठक करने के लिए भी तैयार हूं; पर कृपया मुझे बताइए कि क्या आप अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि और मैं चाहता हूं कि यह सभा कृपया इसे समझे कि आठ में से कम से कम चार दल एसे हैं जो अभी इस मामले में अंतिम निष्कष्र पर नहीं पहुंचे हैं और मुझे उस दल से ईर्ष्या हो रही है जिसने फटाफट इस वास्ते अपना मन बना लिया है। मुझे आशा है कि अन्य चार दल भी शीघ्र ही अपना मन बना लेंगे। परन्तु सच्चाई यही है कि चार दलों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है...*(व्यवधान)* कृपया समझें, यह काफी गंभीर मामला है और हम सभी दलों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपना सप्ताह-मशवरा शीघ्र करें...*(व्यवधान)* हम यही तो कह रहे हैं। कृपया परामर्श की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए ताकि हम बैठक बुला सकें। और वे हमें बैठक में जो कुछ बताएंगे उसके आधार पर निर्णय ले सके।

महोदया, मैं यह नही सोचता हूं कि मुझे इस पर कुछ और कहना है। मैं जो कुछ कर सकता हूं वह यह है कि मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी परामर्श प्रक्रिया को पूरा करें और कृपया उसमें और हमें यह बताए कि हमें क्या करना चाहिए। इस बीच, कृपया अपने बच्चों के लिए मुझे आपसे कहने दें कि वे हमारे बच्चे हैं। उसमानिया विश्वविद्यालय और ककातीया विश्वविद्यलाय के ये लड़के और लड़कियां हमारे बच्चे हैं ये लड़के और लड़कियां, जो कभी हैदराबाद में प्रदर्शन करते हैं, और कभी विजयवाड़ा में प्रदर्शन करते हैं, वे हमारे बच्चे हैं। उन्हें क्यों मरने दिया जाए? उन्हें लाठी चार्ज में क्यों घायल होने दिया जाए? उन्हें क्यों घायल होना चाहिए? मेरा निवेदन है कि कृपया तर्कसम्मत परिणाम परामर्श-प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दें।

इसमें कुछ समय लग सकता है, इसमें एक दो महीने का समय लग सकता है या इसमें तीन महीने का समय लग सकता है। लेकिन, हमें धैर्य रखना चाहिए। यह आंध्र प्रदेश के लगभग 12 करोड़ लागों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विश्वभर में बहुत सारे लोग तेलगू भाषी हैं, जो देख रहे हैं कि उनके प्यारे राज्य आंध्र प्रदेश के साथ क्या हो रहा है। इसलिए, मेरा निवेदन है कि कृपया तर्कसम्मत परिणाम के लिए परामर्श-प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दें।

इस बीच, अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं आंध्र प्रदेश के लोगों विशेषकर युवक-युवतियों से अपील करता हूं कि जब तक हम किसी निर्णय पर न पहुंचे तब तक शांति और सौहार्द बनाए रखें।

[ग्रंथालय में रखे गई/**देखिए** संख्या एल.टी. 4635/15/11]

अपराह्न 1.51 बजे

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011*

अध्यक्ष महोदयाः पद सं. 11-श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री कपिल सिब्बल की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि तमिलनाडु राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने तथा उसके निगमन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है:

"तमिलनाडु राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने तथा उसके निगमन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरीः मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 1.52 बजे

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 2) से संबंधित विवरण*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदया, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यदेश, 2011 (2011 का संख्याक-2) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदयाः सभा अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.52½ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.48 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर अड़तालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय मंत्री जी, मद संख्या 13

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): महोदय मैं एक तत्काल महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयाः रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदयाः आप शाम को यह इश्यू रेज कर सकते हैं। इस समय आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): यह 'शून्य काल' के दौरान उस पर जाएगा। समय की पाबंदी है। गैर-सरकारी कार्य शुरू करने से पहले, मुझे इसे समाप्त करना होगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.50 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12-*जारी*

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2011-12 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार-विमर्श

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2, दिनांक 5.8.2011 में प्रकाशित

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-4636/15/11

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में भाग लेने वाले अपने 19 सम्मानीय सहयोगियों को धन्यवाद के साथ अपना भाषण शुरू करना चाहूंगा। 2011-12 के बजट में 12,57,729 करोड़ के कुल व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया गया था जिसमें 8,16,182 करोड़ रुपये गैर-योजनागत व्यय और 4,41,547 करोड़ रुपये योजनागत व्यय शामिल था। यह अनुमान लगाया गया था कि व्यय के इस स्तर के चलते वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत रहेगा।

संविधान के अनुच्छेद 115 के खंड (1) के उपखंड (क) के अनुसरण में आहूत संसद के वर्तमान सत्र में व्यय की कतिपय मदों के लिए लोकसभा से अनुदानों की अनुपूरक मांगों की मांग की जाती है। वर्ष 2011-12 हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की पहली खेप में 106 अनुदानों में से 53 अनुदानों को शामिल किया गया है। इन पहली अनुपूरक अनुदानों की मांगों की विशेषता यह है कि इनके जरिए कुल 34,724.50 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने की मांग की गई है। 34.729.50 करोड़ रुपये की सकल राशि में अन्य सैक्टरों में बचत अथवा 25,707.84 करोड़ रुपये की वृद्धि प्राप्तियों अथवा वसूलियों से पूरे किए जा रहे व्यय के साथ तकनीकी अनुपूरक और बचतों के पुनर्समायोजन हेतु नाममात्र का प्रावधान शामिल है जिसमें नई सेवा अथवा 0.6 करोड़ रुपये के सेवा के नए इंस्ट्रमेंट भी शामिल हैं इसके परिणामस्वरूप, यदि समग्र अनुपूरक मांगों में से तकनीकी अनुदानों को निकाल दिया जाता है तो निवल व्यय 9016.06 करोड़ रुपये होगा।

जिन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत यह 9,016 करोड़ की राशि वितरित की गई है वे इस प्रकार हैं: स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरित करने हेतु 1,066.46 करोड़ रुपए; बीपीएल सर्वे के लिए 2300 करोड़ रुपए; एमपीलैड्स के लिए 2370 करोड़ रुपए; आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों के बढ़े हुए मानदेय पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए समेकित बाल विकास योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए, एयर इंडिया के लंबित दावों के निपटान और वीवीआईपी यात्रा के लिए विमानों की अनुरक्षण लागत 705 करोड़ रुपए, पुलिस बल के आधुनिकीकरण और इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन के लिए राज्यों को सहायता हेतु 500 करोड़ रुपए और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अनुग्रह राशि हेतु 410.73 करोड़ रुपए।

अब माननीय सदस्य असल में मुझसे यह पूछ सकते हैं कि मैंने बजट प्रस्तुत करने समय इन सारे व्ययों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जिनका मैं बजट प्रस्तुत होने के छह माह बाद अब अनुमान लगा रहा हूं। माननीय सदस्यों का औचित्यपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह सदन धन और वित्तीय मामलों में नियंत्रक और महा-नियंत्रक है। इस सदन के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका कराधान के रूप में एक पैसा भी एकत्र नहीं कर सकती न ही किसी भी मद में एक पैसा भी खर्च कर सकती और न ही भारत की संचित निधि से एक नया पैसा भी निकाल सकती। इन तीन तरीकों से, यह सदन सर्वोच्च है और नियंत्रक है। अत: मेरी माननीय सदस्यों को इसका स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी है।

सर्वप्रथम, माननीय सदस्यों को याद होगा कि माननीय सदस्यों की एमपीएलएडी फंड को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करनी संबंधी मांग माननी पड़ी और जब मैंने बजट पेश किया तो मैं इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सका। इससे 2370 करोड़ रुपये का भार पड़ा।

स्वच्छ ऊर्जा हेतु मैंने राशि की घोषणा की लेकिन मेरी इच्छा थी कि विभिन्न मंत्रालय इस संबंध में परियोजनाओं का पता लगाकर अपनी मांग रखें। उन्होंने अपनी मांगे रख दी है और इस प्रयोजनार्थ मैंने 1,066 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। भारतीय रजिस्टारों ने भी संकेत दिया है कि बीपीएल सर्वेक्षण हेतु अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अत: इस राशि का भी प्रावधान किया गया है।

मैंने बजट में आंगनबाड़ी कामगारों और उनके सहायकों के वेतन को क्रमश: 1500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने और 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की घोषणा की थी। लेकिन उस समय यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि इस पर कितनी राशि व्यय होगी। अत: सूचना मिलने पर हमने इसकी परिगणना की और इस वर्ष इस प्रयोजनार्थ लगभग 1,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। जहां तक एयर इंडिया का संबंध है, जैसा कि माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी है कि कल या इससे एक दिन पहले भी मुझे ठीक से याद नहीं है प्रधानमंत्री को एयर इंडिया के कर्मचारियों को वेतन तथा उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में हस्तक्षेप करना पड़ा था एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ी थीं। एयर इंडिया की दशा खराब है। इसके मद्देनजर हमने निर्णय किया तथा उसके पुनरुद्धार के लिए एक स्कीम है तथा उसके लिए हम 705 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रहे हैं। नि:संदेह यह राशि सरकार को देनी है। वीवीआईपी उड़ानों जो एयर इंडिया के द्वारा आयोजित की जा रही है, के लिए तब तक लेखे तैयार नहीं थे। पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों का अनुग्रह राशि के अनुमान बाद में

आए। इसलिए मैंने उन्हें शामिल किया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य मुझसे यह पूछ सकते है कि आशंका है जिसके बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए तथा हमें इससे प्रभावी तरीके से निपटना होगा कि यदि हम अपेक्षित स्तर तक राजकोषीय घाटा बनाए रखना चाहते हैं, तो हम एक सीमा से बाहर व्यय की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। सौभाग्यवश अब तक-मैं अब तक कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा-राजस्व वृद्धि संतोषजनक है। जहां तक अप्रत्यक्ष कर की बात है, यह लगभग 30 प्रतिशत हैं और प्रत्यक्ष कर लगभग 26 प्रतिशत है। लेकिन यदि औद्योगिक उत्पादन कम होता है, तो इसका भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम कर संग्रह तंत्र को बढ़ाकर/मजबूत करके; तथा अन्य जानकारी के माध्यम से ज्यादा लोगों को कर दायर में लाकर तथा विवादों एवं मुकदमों में फंसी धनराशि को मुक्त कराने के लिए विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से निपटाने की कोशिश करके इस स्तर की वृद्धि को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए इस तरह से मैं कर संग्रह में वृद्धि को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले वर्ष 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुए लाभ, जिसके संबंध में मैंने 35,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, परन्तु वास्तव में 1,06,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए-को इस हिसाब किताब में नहीं ले रहा हूं। परन्तु हर बार भाग्य मेरे साथ नहीं हो सकता। इसलिए मैं नहीं जानता कि कोई अप्रत्याशित स्रोत होगा। इसके मद्देनजर मैं समग्र रूप से राजकोषीय नियंत्रण को सर्वोपरि रख रहा हूं।

वर्ष 2011-12 संबंधी दृष्टिकोण के संबंध में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद ने वृद्धि दर को 9.9 प्रतिशत से कम कर दिया है-बजट में मेरा अनुमान 9 प्रतिशत ±0.25 प्रतिशत था, अर्थात् निम्न स्तर पर यह 8.75 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत था। यदि हमें इसे बनाए रखें, तभी वर्तमान संवेग को बनाए रखना संभव हो सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने ईंधन राजसहायता के संबंध में चिंता जाहिर की है। निश्चित रूप से ईंधन मूल्यों में वृद्धि के स्तर तथा हर दिन हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं, यह लगभग बदल रहा है, कभी-कभी 116 डॉलर और 117 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहता है; यह तो किसी बंदर के चिकने खंभे पर चलने जैसा है। यदि वह तीन इंच चढ़ता है, तो पांच इंच नीचे आ जाता है; यह इसी तरह चल रहा है। ब्रेंट क्रूड का औसत मूल्य 116 से 117 डॉलर प्रति बैरल के बीच है, जो बहुत ही ज्यादा है। परन्तु, साथ ही इन सभी मौजूदा समस्याओं के बावजूद हमें वित्तीय समेकन की प्रक्रिया को बनाए रखना होगा, क्योंकि वित्तीय समेकन के बिना हम वृद्धि दर प्राप्त नहीं कर सकते, परन्तु मैं जोर देकर कह रहा हूं कि यह वृद्धि किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए तथा यह वृद्धि महज सांख्यिकीय आंकड़ों के शब्दों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह वृद्धि ऐसी होनी चाहिए कि इससे रोजगार सृजन हो, जिससे नौकरियां मिलेंगी तथा यह मुद्रास्फीति की सुसंगत दर सहित होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से इन उद्देशों को हासिल करना संभव होगा।

मेरे कुछ सहयोगियों ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है और मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी श्री हरिन पाठक ने यह मुद्दा उठाया है कि कुल बजट व्यय का लगभग 18 प्रतिशत विदेशी कर्ज पर ब्याज भुगतान में खर्च किया जा रहा है। इस पर मेरी प्रतिक्रिया है कि वर्ष 2011-2012 के बजट अनुमान में घरेलू और विदेशी ऋण पर कुल ब्याज भुगतान 2,68,000 करोड़ रुपए है कुल ब्याज भुगतान इतना ही है। इसमें से विदेशी ऋण पर ब्याज भुगतान केवल 3,572 करोड़ रुपए है। इसलिए यह 18 प्रतिशत नहीं बैठेगा अपितु यह 0.3 प्रतिशत बैठेगा।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): कुल ब्याज की अदायगी लगभग 2,00,000 या कुछ इतने करोड़ रुपये है।

श्री प्रणब मुखर्जी: 2,68,000 करोड़ रुपये जो कि कुल ब्याज है में से कुल घरेलू और विदेशी को एक साथ लिया गया है.. .*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: यह कुल का 18 प्रतिशत है।

श्री प्रणब मुखर्जी: यह काफी ज्यादा है ब्याज अदायगी भारत सरकार के गैर योजनागत व्यय में काफी सबसे अधिक है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 12,50,000 करोड़ रुपये में से यदि 2,68,000 करोड़ रु. ब्याज अदायगी में चले जाते हैं यह प्रतिशत के संदर्भ में बहुत अधिक प्रतिशत है।

श्री हरिन पाठक: मैंने इसी का उल्लेख किया है।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं केवल विदेशी ऋण घटक की बात कर रहा हूं जो अधिक नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद जी जानना चाहते थे कि मैंने रवीन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जन्मशती के लिए दो स्थानों पर 15 करोड़ रुपये क्यों दिए थें इस 15 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये नकद अनुपूरक के माध्यम से और 5 करोड़ रुपये तकनीकी अनुपूरक के माध्यम से दिए जाएंगे क्योंकि इस शीर्ष में कुछ बचत होगी और इसलिए कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा। 15 करोड़ रुपए व्यय होंगे किन्तु कुल निवल नकदी 100 करोड़ रुपये होगी।

श्री शिवसामी ने तिरूपुर की शून्य तरल बहिर्स्राव उपचार प्रणाली की समस्या उठाई है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष

2010-11 न कि वर्ष 2011-12 के मेरे बजट भाषण में मैंने तिरूपुर में शून्य तरल बहिर्स्राव उपचार प्रणाली के लिए 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का आश्वासन दिया और इसकी घोषणा की गई थी। और इसके लिए 100 करोड़ रुपये पहले ही संस्वीकृत और जारी कर दिए हैं।

श्री तथागत जानना चाहते थे कि क्या एआईबीपी योजना समयानुसार चल रही है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2009-10 में वास्तविक व्यय 8,524 करोड़ रुपये था और वर्ष 2010-11 का वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है परन्तु संशोधित अनुमान 9500 करोड़ रुपये था और वर्ष 2011-12 में बजट अनुमान जो मैंने दिया है। 12.624 करोड़ रुपये है।

श्री शैलेन्द्र कुमार जी जानना चाहते थे कि एमपीलैड योजना की निगरानी की जानी चाहिए। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं यह बताना चाहूंगा कि संसद सदस्यों की समिति को स्वयं एमपीलैड योजना पर गौर करना चाहिए। समिति के सदस्यों को इसमें और अधिक रूचि लेनी चाहिए और नियमित अंतराल पर बैठकें होनी चाहिए जिससे कि इससे व्युत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

श्री पाण्डेय जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए संसाधनों के आबंटन के बारे में जानना चाहते थे। मेरे पास वर्ष 2011-12 के बजटीय आबंटन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु वर्ष 2009-10 और 2010-11 के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। वर्ष 2009-10 में 2,845 करोड़ रुपये और वर्ष 2010-11 में यह 1.309 करोड़ रुपये थी।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बार पुन: माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): मैंने डी.वी.सी. के लिए पूछा था।

प्रणब मुखर्जी: जहां तक डी.वी.सी. का संबंध है उनके पास नकदी की समस्या है। मैंने उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। यह एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना हमारी योजना प्रक्रिया के आरंभ होने से पूर्व हुई थी। 1948 में अधिनियम लोक सभा के गठन से पूर्व जिसे संविधान सभा और उन दिनों अस्थायी संसद कहा जाता था में पारित किया गया था। उनके पास नकद निवेश की समस्या है। वे इक्विटी के माध्यम से अतिरिक्त नकद चाहते थे। परन्तु मेरे लिए यह संभव नहीं है और इसके कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि मुझे अपना राजकोषीय घाटा एक विशेष स्तर पर रखना होगा। उनको नकदी प्रबंधन के संकट से निपटने के लिए सरकार उन्हें दिए जाने वाले बैंक ऋण हेतु गारंटी देगी। उनकी नकदी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं संस्तुति करता हूं कि सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगों को स्वीकृति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: अब मैं वर्ष 2011-2012 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है

" कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 30 से 30, 38, 40, 41, 45, से 48, 50, 52 से 54, 57 से 61, 66, 72 से 75, 82, 85, 87, 90, 91, 93, 94 और 101 से 105 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होनेवाले खर्चों की अदायगी करने हेतु कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या और शीर्षक	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
	राजस्व	पूंजी
1	2	3
1. कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	-
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2,00,000	-

1		2	3
4.	परमाणु ऊर्जा	1,00,000	–
6.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	420,21,00,000	–
9.	नागर विमानन मंत्रालय	1,00,000	–
11.	वाणिज्य विभाग	3,00,000	–
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	–
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	2,00,00,000	–
19.	संस्कृति मंत्रालय	15,04,00,000	–
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	1,00,000	–
24.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	85,56,00,000	–
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	–
31.	विदेश मंत्रालय	198,54,00,000	–
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1111,79,00,000	10612,83,00,000
33	वित्तीय सेवा विभाग	–	1,00,000
38	व्यय विभाग	90,00,000	–
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	25,00,00,000	–
41.	राजस्व विभाग	1,00,000	–
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	95,50,00,000	–
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	6,00,000	1,00,000
47.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	3,00,000	–
48.	स्वास्थ्य, अनुसंधान विभाग	2,00,000	–
50.	भारी उद्योग विभाग	32,00,000	–
52.	गृह मंत्रालय	1,00,000	–
53.	मंत्रिमंडल	434,64,00,000	–

1	2	3
54. पुलिस	1759,47,00,000	2,00,000
57. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1,00,000	-
58. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2,00,000	-
59. उच्च शिक्षा विभाग	2,00,000	-
60. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	-	8,63,00,000
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,00,000	-
66. खान मंत्रालय	-	68,87,00,000
72. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,00,000	-
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस गंत्रालय	-	1585,74,00,000
74. योजना मंत्रालय	1,00,000	-
75. विद्युत मंत्रालय	31,49,00,000	-
82. ग्रामीण विकास विभाग	2300,01,00,000	-
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	-
87. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	-
90. अंतरिक्ष विभाग	-	1,00,000
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2375,00,00,000	-
93. कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	18,00,00,000
94. पर्यटन मंत्रालय	2,00,000	-
96. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	35,56,00,000	-
101. शहरी विकास विभाग	1,00,000	2,00,000
102. लोक निर्माण कार्य	1,00,000	-
103. लेखन सामग्री एवं मुद्रण	-	3,55,00,000
104. जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	-
105. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1500,00,00,000	-
जोड़	10391,48,00,000	12297,69,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.10 बजे

विनियोग (संख्याक 3) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया: सभा अब मद संख्या 14 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय ओर विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है कि:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदया: मंत्री विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदर्भ और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2, दिनांक 5.8.2011 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

उपाध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और तीन विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनूसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.13 बजे

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया: अब हम मद संख्या 16 पर विचार करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): महोदया, मैं श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं।

"कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार को भारतीय स्टेट बैंक के स्वामित्व का अंतरण भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम 2007 (2007 का सं. 30) के प्रवृत्त होने के अनुसरण में किया गया। भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 में भारतीय स्टेट के समनुषंगी बैंकों के प्रबंधन और कार्यकरण में भारतीय रिजर्व बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक के स्वामी के रूप में) से परामर्श का अनुमोदन करने संबंधी कतिपय उपबंध हैं। स्वामित्व में परिवर्तन के कारण, इन प्रावधानों को स्वामित्व के परिवर्तन को दर्शाने के लिए उपयुक्त रूप से पारिवर्तित करने की आवश्यकता है।

यह विधेयक 12 दिसंबर, 2009 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने दो विधायी संशोधनों का सुझाव दिया था और सरकार को दोनों को स्वीकार कर लिया।

स्थायी समिति द्वारा संस्तुत पहला संशोधन भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंगी बैंकों की अधिकारगत और अंशधारिता के माध्यम से पूंजी जुटाने की क्षमता में वृद्धि करेगा।

वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए दूसरा संशोधन 'विनियमन बनाने की स्टेट बैंक की शक्ति' से संबंधित धारा 63 के मूल शीर्षक को 'विनियमन बनाने की समनुषंगी बैंक की शक्ति शब्दावली से प्रतिस्थापित करने से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनयिम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। कल जब वित्तमंत्री जी बोल रहे थे कि रिफॉर्म्स आपके हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। 28 फरवरी को वित्तमंत्री जी ने कहा कि-

[अनुवाद]

''1990 दशक के प्रारंभ में वित्तीय क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों के भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छे परिणाम निकले हैं। संप्रग सरकार इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तद्नुसार मैं वित्तीय क्षेत्र में निम्नांकित विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हू: (1) बीमा संबंधी विधि; (2) जीवन बीमा निगम विधेयक; (3) संशोधित पेंशन निधि (विनियामक और विकास) प्राधिकरण विधेयक) (4) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक; (5) फैक्टरिंग एण्ड एसाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स संबंधी विधेयक (6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) विधेयक, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं और (7) आरडीबीएफआई संशोधन हेतु विधेयक।''

[हिन्दी]

हमने जो प्रोसेस शुरू किया, हमारे घोषणा-पत्र में जो है, उसको वे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपने कुछ बातें कहीं। महंगाई के बारे में जो डिस्कशन हुआ, मुझे काफी निराशा हुई। माननीय यशवंत जी ने जो बातें कही थीं और माननीय वित्तमंत्री जी ने उनका जो जवाब दिया था, उससे काफी निराशा हुई। निराशा खासकर तब हुई जबकि उधर से माननीय सलमान खुर्शीद साहब, यदि वे यहां होते तो मैं उनसे पूछने वाला था, उन्होंने दीवार फिल्म के डायलॉग द्वारा कहा कि आपके पास मां नहीं है तो हमारे पास मनमोहन सिंह जी हैं। मैं मानता हूं कि आपके पास मनमोहन सिंह जी हैं, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, श्री सी. रंगराजन हैं, श्री कौशिक बसु हैं, श्री सैम पित्रोदा हैं और सबके गुरू माननीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी जी हैं। सन् 1972 में जब ये वित्तमंत्री बने थे, बाकी सब कहीं नहीं थे। मुझे लगता है कि गुरू गुड हो गया है और चेला चीनी हो गया है। इस सरकार में इतने अर्थशास्त्री हो गए हैं कि एक कहावत है-ज्यादा जोगी, मठ उजाड़। हितोपदेश की एक कहानी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ किताब देखते हैं। किताब देखने के बाद सॉल्युशन निकालने की कोशिश करते हैं। हितोपदेश में अलोकिका पण्डिता की एक कहानी है जिसमें चार लड़के पढ़ने जाते हैं। वे पढ़ने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह अर्थशास्त्री हो जाते हैं जब वे पढ़कर आते हैं, तो एक चौराहे पर भटक जाते हैं। भटकने के बाद उनको घर जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। वे किताब निकालते हैं, उसमें उन्हें दिखाई देता है-महाजनो येन गता सो पन्था। उनको दिखाई देता है कि बड़े लोग जिस रास्ते से गए, वही रास्ता सही है। वे लोग उस रास्ते पद देखते हैं कि कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे हैं, वे उसके पीछे-पीछे चले जाते हैं और श्मशान पहुंच जाते हैं। श्मशान में उनको और कोई नहीं बल्कि गधा दिखाई देता है। गधा देखकर वे उससे लिपटने लगते हैं क्योंकि वे फिर से किताब निकाल कर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि-राजद्वारे श्मशाने ज्यौ, यश तिष्ठति सौ बान्धवा:। उनको लगता है कि श्मशान में खड़ा यह गधा ही हमारा भाई है। इसके बाद उन्हें ऊँट दौड़ कर आता दिखाई देता है तो उनको लगता है कि धर्मम् तीव्रम् गतिम्। उनको लगता है कि धर्म बड़ी तेजी से चल रहा है, यह ऊंट चूंकि बड़ी तेजी से भाग रहा है तो यह धर्म है। फिर वे लोग गधा और ऊंट को बांध देते हैं। जब गधा वाला उसको मारता है तो वे उसके आगे चले जाते हैं। आगे उनको एक नदी मिलती है, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि इस नदी में क्या होगा?

एक पत्ते के सहारे वे नदी क्रास करना चाहते हैं। वे फिर से अपनी किताब निकालते हैं और देखते हैं कि दो आदमी डूब रहे हैं, दो आदमी बच रहे हैं तो वे किताब में देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्याज्यति पाण्डित्य:। उन्हें लगता है कि ये दो आदमी तो डूब रहे हैं, इन्हें छोड़ दो, आधे दो आदमी तो हम बच रहे हैं जब वे उसके आगे एक गांव में जाते हैं तो कोई उन्हें सेवई खिलाता है तो उन्हें किताब में लिखा दिखाई देता है कि दीर्घसूत्री विनश्यति। उन्हें लगता है कि जो लंबी-लंबी चीज है, वह विनाश का कारण है, इसलिए सेवई नहीं खानी चाहिए। मेरा यह कहना है कि जितने भी अर्थशास्त्री सरकार में हैं, उन्हें चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं।

यशवंत सिन्हा जी ने महंगाई के बारे में बोलते हुए सरकार से पूछा कि फएडीआई एंड रिटेल के बारे में जवाब दीजिये। सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरा एक ही सवाल है, आप रोजगार पर मत जाइये, हम लोग गांव से आते हैं। पहले एक आजीविका का साधन होता था। यदि यहां शहर के लोग भी हमारी बात सुन रहे होंगे, आजीविका का एक साधन होता था कि लोग गाय-भैंस पालते थे। गाय-भैंस का दूध बेचते थे और उसी से उनका पूरा परिवार चलता था। आज आप बताइये कि मदर डेयरी आने के बाद कितने लोग गाय और भैंस पोस रहे हैं। उनकी आजीविका का साधन क्या होगा? यदि आप वालमार्ट ले आयेंगे, किंगफिशर ले आयेंगे, टेस्को ले आयेंगे, बड़ी-बड़ी कंपनियां ले आयेंगे तो लोगों के रोजगार का क्या होगा? आपने इसका भी जवाब नहीं दिया। हमने आपसे पूछा कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बंद कीजिये, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने उस एफएमसी का जवाब नहीं दिया। आप हम लोगों को आंकड़ों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी से आम आदमी को क्या मतलब है? आप इंफ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं कि इस बार इंफ्लेशन रेट 9 परसेंट है। इंफ्लेशन रेट वर्ष 2008-09 के आधार पर है या वर्ष 2010-11 के आधार पर है। वर्ष 2008-09 में जितना प्रोडक्शन हुआ था, आज आपका प्रोडक्शन उससे ज्यादा है। चाहे गेहूं का प्रोडक्शन ले लीजिये, चाहे चावल का ले लीजिये, शुगर का ले लीजिये, मस्टर्ड ऑयल का ले लीजिये, किसी का भी प्रोडक्शन ले लीजिये। क्या हम उस रेट पर जा पाये हैं? आप इंफ्लेशन प्ले करते हैं कि वर्ष 2011 में यह रेट था तो उसके आधार पर केवल 9 परसेंट इंक्रीज हुआ है। लोगों को जीडीपी नहीं पता है, लोगों को इंफ्लेशन नहीं पता है, लोगों को यह पता है कि वर्ष 2008 में हम 12 रुपये किलो चावल खा रहे थे और आज 20 रुपये किलो चावल खा रहे हैं और 20 रुपये से रेट नीचे नहीं जा रहा है। आप आंकड़ों में इंफ्लेशन की बात कर सकते हैं। आप आम लोगों के लिए कौन सा विषय लेकर आये और मुझे बड़ी निराशा होगी क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी जब बोलते हैं तो मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने गो का जिस ढंग से जवाब दिया, वह मेरे लिए बहुत बढ़िया था। उन्होंने कहा कि मैं भटक गया हूं और वे लोकपाल पर आ गये। मैं यह कह रहा हूं कि जिस रिफॉर्म्स पर आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की बात कर रहे हैं, हम आपको सहयोग देने की बात कर रहे हैं आज लोकपाल पर यह सरकार गड़बड़ रही है, गर्मा रही है, अन्ना हजारे को किसने पैदा किया? अन्ना हजारे, मैं हुर्रियत से उसकी तुलना करता हूं। वह भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था। हम लोकपाल की बात कर रहे थे। यह ठीक है कि वर्ष 2002 में आपने, कमेटी ने इसे दिया और हम लोकपाल को नहीं ला पाये। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या आप भारतीय जनता पार्टी से बात करने आये? आप बात करने नहीं आये। आपने अन्ना हजारे को बुलाकर बात की, अन्ना हजारे को आपने नेता बनाया और उसकी वही दुगर्ति होनी थी, जो आज दुगर्ति हो रही है। इस पार्लियामेंट की मौकली हो रही है और उसके दोषी केवल आप और आप हैं भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 के अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में काले धन की बात कही थी, हमने काले धन की बात कही थी। आपने हमसे बात नहीं की और आपने बाबा रामदेव को एयरपोर्ट पर वेलकम दिया। यदि आप बाबा रामदेव से मिलेंगे, आप अन्ना हजारे से मिलेंगे, यदि आप भारतीय जनता पार्टी को या इस प्रिंसिपल अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, इस संवधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यही हाल होगा जो आज हो रहा है।...*(व्यवधान)* मैं बिल पर ही आ रहा हूं। चूंकि कल बोलते-बोलते वे भी उस पर बोले थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदया: आप विषय से भटक गये हैं।

श्री निशिकांत दुबे: महोदया, मैंने स्वयं कहा है कि मैं भटक गया हूं। अब मैं बिल पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप बिल पर सुनना चाहे हैं तो बिल पर सुनिये।...*(व्यवधान)*

श्री महेश जोशी (जयपुर): अन्ना हजारे तो कहते हैं कि मेरा एकाउन्ट ही नहीं है।...*(व्यवधान)* आप उन्हें बहस में लेकर आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: आप मेरी बात सुनिये। अभी लेफ्ट के हमारे साथी ने कहा कि बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन की ऑल इंडिया स्ट्राइक है। अब मैं बैंक पर ही आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.25 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

बैंक स्ट्राइक पर हैं। वे क्यों स्ट्राइक पर हैं? ओईसीडी की रिपोर्ट है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूडिड है। वह यह कहता है कि:

"रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निजीकरण के एक सरकारी पूंजी को कम करके 33 प्रतिशत करने और निजी अंशधारिता को बढ़ाकर 67 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।"

[हिन्दी]

आप जो अमैन्डमैंट ला रहे हैं, आप जो बैंकिंग रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसमें से जो ओएनसीडी की रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, वह कहीं न कहीं खतरा बता रही है और इसके कारण इस देश में जो खतरा मंडरा रहा है, उसके कारण बैंक इंप्लाइज़ स्ट्राइक पर हैं। जो रघरामराजन कमेटी की रिकामंडेशन है, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं और जो खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, यह जवाब आपको देना चाहिए। इसके बाद हमारे कुछ प्रश्न हैं। हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे कुछ प्रश्न हैं।

[अनुवाद]

प्रश्न संख्या 1-वर्ष 2007 में वित्त संबंधी स्थायी समिति जिसने भारतीय स्टेट बैंक विधि 2006 की जांच की थी, की सिफारिश के अनुसार कुछ संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों को लागू क्यों नहीं किया गया?

प्रश्न संख्या 2- क्या भारतीय स्टेट बैंक संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बगैर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत अपने समनुषंगी बैंकों के कारोबार को अपने हाथ में ले सकता है?

प्रश्न संख्या 3-एनपीए में वृद्धि के क्या कारण हैं? आज आपने खुद जवाब दिया है कि एनपीएज भी इनक्रीज हो रहा है। ऋण जमा अनुपात, सीआरआर आपरेटिंग मर्जिनस के क्षेत्र में समनुषंगी बैंकों का कार्य निष्पादन कितना बेहतर है और वित्तीय समावेशन के संबंध में इनकी उपलब्धियां क्या हैं? समनुषंगी बैंक कितने स्वायत्त हैं, क्या भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के लिए समनुषंगी बैंक की बैठक में भाग लेना व्यवहारिक है?

प्रश्न संख्या 4-समनुषंगी बैंको के विलय के बाद, भारतीय स्टेट बैंक पर इनके विलयन से पहले और विलयन के बाद इसके कार्य निष्पादन प्रतिमानों पर क्या प्रभाव पड़ें? सामान्यत: बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंगी बैंक के विलय का आर्थिक औचित्य क्या है? बैंकिंग उद्योग में समेकन संबंधी सरकार की नीति क्या है? जब स्वयं भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन ही सही ढंग से नहीं हो रहा है तो इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी?

प्रश्न संख्या 5- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के विलय के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक का क्या अनुभव रहा है। एक या दो समनुषंगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय पहले क्यों किया गया, इस बार क्यों नहीं?

प्रश्न सख्या-6 समनुषंगी बैंको को दी गई स्वायत्तता और राष्ट्रीकृत बैंकों को दी गई स्वायत्तता में क्या अंतर है? समनुषंगी बैंकों को उनके अपने नियम बनाने की स्वायत्तता देने के क्या परिणाम होंगे?

प्रश्न संख्या 7-ऐसा क्यों है कि समनुषंगी बैंकों की एनपीए उनके लाभ से अधिक है?

प्रश्न संख्या 8- कृपया एनपीए और जानबूझकर चूककर्त्ताओं संबंधी आंकड़े प्रदान करें। क्या भारतीय स्टेट बैंक ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया है?

प्रश्न संख्या 9- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सरकार को प्रस्तुत अपने दीर्घवधिक दृष्टि रणनीति संबंधी पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार ने इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है? यदि नहीं, तो इसके कारण बताएं?

प्रश्न संख्या 10-समनुषंगी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलाने का आर्थिक औचित्य क्या है? भारतीय स्टेट बैंक की बढ़ती एनपीए कुप्रबंधन को दर्शाती है। जब समनुषंगी बैंकों की एनपीए भी बढ़ रही है, तो समनुषंगी बैंकों को मिलाने का निर्णय क्यों लिया गया और इस बढ़ती एनपीए का प्रबंधन कैसे किया जाएगा? क्या इससे एनपीए के प्रबंधन की समस्या और जटिल नहीं हो जाएगी?

प्रश्न संख्या 11-विलय पदोन्नति के अवसर और औद्योगिक संबंधों को जटिल बना देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के कर्मचारी इस विलय का हठधार्मिता से विरोध कर रहे हैं। अत: कर्मचारियों के विचार और प्रबंधन तथा एनपीए के कुप्रबंधन की समस्या के बावजूद, सरकार इसकी अनदेखी क्यों कर रही है और भारतीय स्टेट बैंक के साथ समनुषंगी बैंकों के विलय की अनुमति क्यों रही है?

प्रश्न संख्या 12-क्या सरकार अपने अंश के कुछ हिस्से का विनिवेश करना चाहती है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पैसा उगाने हेतु लिया जा रहा है? इसके अतिरिक्त, वर्तमान में सरकार की भारतीय स्टेट बैंक में कितनी अंशधारिता है? सरकार की भारतीय स्टेट बैंक में वर्तमान अंशधारिता कितनी है?

प्रश्न संख्या 13-विलय के बाद कर्मचारियों के लाभ किस प्रकार प्रभावित हुए हैं? क्या भारतीय स्टेट बैंक ने विलय किए गए समनुषंगी बैंकों कर्मचारियों की तैनाती के बारे में सोचा है?

प्रश्न संख्या 14-मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष समनुषंगी बैंकों का भी अध्यक्ष होने के नाते सभी समनुषंगी बैंकों की बोर्ड-बैठकों में उपस्थित होता है।

प्रश्न संख्या 15-यह भी स्पष्ट किया जाए कि एनपीए में वृद्धि के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद किस प्रकार लाभ कमा रहा है।

प्रश्न संख्या 16-यह भी स्पष्अ किया जाए कि क्या समनुषंगी बैंकों की विनियामक पूंजीगत आवश्यकताओं के संबंध में कोई आकलन किया गया है। यदि हां, तो क्या उन्हें आत्म-निर्भर पाया गया है? यदि नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय स्टेट बैंक इन बैंकों में पूंजी बढ़ाना चाहता है। सरकार से अनुरोध है कि वह आंकलन रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करे।

सभापति महोदया: निशिकांत जी, अब अपराह्न के 3.30 बज चुके हैं और हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लेने हैं। आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा क्रमश: 24 मार्च, 2011 और 4 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

सभापति महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा क्रमश: 24 मार्च, 2011 और 54 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवदेनों से सहमत है।"

सभापति महोदया: श्री पन्ना लाल पुनिया अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं: कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए:

"इस आशोधन के अध्यधीन कि 17वें प्रतिवेदन के पैरा-4 के उप-पैरा-3 और पैरा-5 के उप-पैरा-3 में अंतर्निहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) संशोधन विधेयक, 2010 (धारा-3 का संशोधन, आदि) को उक्त विधेयक के संबंध में सिफारिशों पर पुनर्विचार करने हेतु समिति को वापस भेज दिया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदया, इससे पहले कि आप इसके लिए सदन का विश्वास लें, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यह आंकड़े कई सालों से बढ़ रहे हैं। हमारे यहां शिक्षा और अवेयरनेस बढ़ी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में अवेयरनेस और शिक्षा बढ़ी है। उसके बावजूद इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। इसका स्पष्ट प्रमाण है। 156 सीआरपीसी के तहत यदि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो सीधे कोर्ट के हस्तक्षेप से रिपोर्ट लिखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में डेढ़ हजार ऐसी रिपोर्ट हैं ओर अन्य प्रदेशों में भी हैं। मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ही नहीं कह रहा हूं जहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यदि रिपोर्ट बढ़ी मुश्किल से लिखी भी जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हमने इसमें प्रस्ताव रखा है कि ज्यादा दंड का प्रावधान किया जाए। स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। वास्तव में स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रावधान होते हुए भी डेजीगनेट कर दिया जाता है कि फर्स्ट एडीशनल कोर्ट स्पेशल कोर्ट होगी

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार का निवारण अधिनियम, 1989 के प्रयोजन हेतु

[हिन्छी]

वह नाम की स्पेशल है। इसमें प्रावधान किया गया है कि वास्तव में इसको स्पेशल किया जाएगा। केन्द्र सरकार के द्वारा अनेक उपाय किए गए। सबसे पहले छूआछूत को खत्म करने के लिए

[अनुवाद]

नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955

[हिन्दी]

उसमें छूआछूत हमेशा के लिए खत्म करने का प्रावधान किया गया है। कई प्रमाण भी दिए गए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में छूआछूत को समूल नष्ट करने का संकल्प भी दोहराया गया, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। पहले भी अनेक प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखे गए हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। मैं अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी हूं, इस नाते से मैंने पूरे देश में देखा है कि कहीं भी किसी भी प्रांत में इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए संसद, जो कि सर्वोच्च संस्था है, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इसका संज्ञान ले और इसको केटेगिरी-ए में करने के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब मैं भी पन्ना लाल पुनिया द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए-

''इस आशोधन के अध्यधीन कि 17वें प्रतिवेदन के पैरा-4 के उप-पैरा 3 और पैरा-5 के उप पैरा 3 में अंतर्निहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) संशोधन विधेयक, 2010 (धारा-3 का संशोधन, आदि) को उक्त विधेयक के संबंध में सिफारिशों पर पुनर्विचार करने हेतु समिति को वापस भेज दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया: अब मैं आशोधनों सहित प्रस्ताव रखती हूं, क्योंकि संशोधन स्वीकृत हो गया है।

प्रश्न यह है:

''कि यह सभा क्रमशः 24 मार्च, 2011 और 4 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन से इस आशोधन के अध्यधीन सहमत है कि 17वें प्रतिवेदन के पैरा-4 उप-पैरा-3 और पैरा-5 के उप-पैरा 3 में अंतर्निहित श्री पन्ना लाल पुनिया का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार का निवारण संशोधन विधेयक, 2010 (धारा-3क संशोधन, आदि) को उक्त विधेयक के संबंध में सिफारिशों पर पुनर्विचार करने हेतु समिति को वापस भेज दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.36 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) भूमि अर्जन विधेयक 2011*

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनवुाद]

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

''लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री जयंत चौधरी: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्रीमती सुप्रिया सुले—उपस्थित नहीं
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा—उपस्थित नहीं

अपराह्न $3.36^1/_2$ बजे

(दो) मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक, 2011*

[हिन्दी]

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में मृत्यु दंड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2, दिनांक 5.8.2011 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारत में मृत्यु दंड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप टम्टा: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(तीन) सरकारी सेवक (आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण) विधेयक, 2011*

[हिन्दी]

श्री प्रदीप टम्टा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय विभागों में नियोजित सरकारी सेवकों द्वारा धारित आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि कतिपय विभागों में नियोजित सरकारी सेवकों द्वारा धारित आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप टम्टा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2, दिनांक 5.8.2011 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

अपराह्न 03.38 बजे

(चार) आसूचना सेवा (शक्तियां और विनियम) संशोधन, विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आसूचना अभिकरणों के भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर और उससे पर कार्यकरण की रीति और शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने तथा ऐसे अभिकरणों के समन्वय, नियंत्रण और अन्वेक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय आसूचना अभिकरणों के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और उससे परे कार्यकरण की रीति और शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने तथा ऐसे अभिकरणों के समन्वय, नियंत्रण और अन्वेक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनीष तिवारी: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011* (अनुच्छेद 15 और 16 संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस. सेम्मलई: महोदया, मैं विधयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2, दिनांक 5.8.2011 में प्रकाशित

अपराह्न 3.39½ बजे

(छह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011*

नई धारा 302क और 364ख का अंत:स्थापन

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011*

(नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंत:स्थान)

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011—*जारी*

(नए अनुच्छेद 275(क) और 371(ञ) का अंत:स्थापन

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभा मद संख्या 28 पर विचार करेगी। प्रो. रंजन प्रसाद अपना भाषण यादव (जारी रख रखते हैं।)

[हिन्दी]

श्री रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से अपने विधेयक पर अपनी बात आगे रखना चाहूंगा। पिछले सत्र में मैंने संक्षिप्त रूप में बिहार के विभाजन के परिणामस्वरूप राज्य को जो क्षति हुई है, इसके बारे में सदन को अवगत कराया था। यों तो बिहार आर्थिक रूप से हमेशा से पीछे रहा है, परन्तु सन् 2000 में, जब बिहार का विभाजन हुआ, उसके बाद बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई।

मैं बताना चाहूंगा कि बिहार जब 54 जिलों का बिहार था तो उसका एरिया लगभग 1.79 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर था। जब सन् 2000 में बिहार दो भागों में बंट गया तो 18 जिलों में बिहार से झारखंड नाम के राज्य का निर्माण हुआ। उसमें लगभग पूरे एरिया का 46 परसेंट एरिया उन 18 जिलों में झारखंड

अपराह्न 3.43 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

राज्य में चला गया और लगभग 54 परसेंट जो 38 जिलों का बिहार बचा, उसमें गया। उन 18 जिलों में, जिनका एरिया 46 परसेंट है, उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग गये। जब बिहार एक था तो बिहार की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ थी और बिहार बंटने के बाद जो 18 जिलों के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जहां उनका एरिया लगभग 46 परसेंट बचा, उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग उधर गये और जो 38 जिलों का लगभग 54 परसेंट एरिया बचा, उसमें लगभग 9 करोड़ जनसंख्या बची। हालात यह हुए कि उन 18 जिलों में देश में जितनी खनिज सम्पदा है, उसका 40 परसेंट आयरन ओर, कॉपर ओर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, माइका और यूरेनियम, इसका लगभग 99 परसेंट उन 18 जिलों में चला गया

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2, दिनांक 5.8.2011 में प्रकाशित।

और जो फोरेस्ट था, वह भी लगभग 99 परसेंट उधर चला गया, जिसके कारण को 54 जिलों का राजस्व आता था, जब बिहार एक था तो 100 रुपये में से 70 रुपये उन 18 जिलों से आता था और लगभग 30 रुपये, जो 387 जिलों का राज्य बचा, यहां से आता है।

बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और जो 38 जिलों का बिहार बचा, उसमें जो 38 जिले बचे, उनकी भौगोलिक स्थिति यह रही कि बिहार में लगभग 13 बड़ी-बड़ी नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानन्दा, सोन, पुनपुन, क्यूल, चांदन और गंगा, इसके कारण बिहार के हालात यह हुए कि जो बिहार बचा, उसमें 70 परसेंट इन 13 नदियों के कारण फ्लड प्रोन एरिया रहा और जो लगभग 70 परसेंट बचा, उसमें 27 परसेंट ड्राउट प्रोन एरिया बचा। हालात इतने बुरे हो गये कि अब वहां का विकास तक तक नहीं हो सकता, जब तक कि सैंट्रल गवर्नमेंट बिहार को स्पेशन पैकेज नहीं देती। इसलिए मैं विभाजन से संबंधित इन बातों को सदन के समक्ष इस कारण रख रहा हूं कि इन बातों को मैंने दूसरे सदन में उस समय रखा था, जब सदन बिहार का विभाजन करने वाले विधेयक पर विचार कर रहा था।

उसी समय मैंने यह मांग की थी कि लगभग 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की जाए और बिहार के ऊपर लगभग 31 हजार करोड़ रुपए का जो कर्ज है, उसे माफ किया जाए। बिहार सरकार के दो हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष केवल सूद के रूप में चले जाते हैं बहुत से मेरे रखे तथ्यों को स्वीकार करते समय उस समय की सरकार के गृहमंत्री ने सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया था कि बिहार की आर्थिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह भी घोषणा की गयी कि सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नियंत्रण में एक सेल की स्थापना की है जो सिर्फ बिहार के विकास संबंधी मामलों को देखेगी। उस समय सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि राज्य में कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस समय सदन में विपक्ष के नेता माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी तत्कालीन गृहमंत्री एल.के. आडवाणी जी के वक्तव्य से सहमति जतायी थी और गृहमंत्री से यह आश्वासन भी मांग था कि बिहार राज्य के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। मैं प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करता हूं कि उन्हें दस वर्ष पहले कही गयी अपनी बात याद होगी और वे बिहार के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था करने का निर्देश देंगे।

महोदय, राज्य के विभाजन के दस वर्ष से भी ज्यादा गुजर गए हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है और यह समझा जा सकता है कि केद्र सरकार बिहार सहायता के प्रति कितनी गंभीर है। 25 फरवरी, 2011 को वित्तमंत्री प्रणव दादा ने लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए कहा था कि विकास की रफ्तार में बिहार दूसरे नंबर पर है।

महोदय, जो संविधान संशोधन विधेयक सदन के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। यह विधेयक अत्यंत गहन विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। बिहार का विकास सिर्फ उस राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने दस वर्ष इंतजार कर लिया और अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है।

महोदय, सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज बिहार आर्थिक प्रगति के रास्ते पर मजबूती से चल रहा है। बिहार सरकार द्वारा विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए मेरा अपने विधेयक के माध्यम से यह प्रस्ताव है कि बिहार राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य इत्यादि में उपयोग करने के लिए भारत की संचित निधि को बिहार को एकमुश्त सहायता अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष तीस हजार करोड़ रुपए दिए जाएं। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह राशि बिहार राज्य को वित्त आयोग द्वारा दिए गए वार्षिक आबंटन और भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य वित्तीय सहायताओं के अतिरिक्त होगी।

महोदय, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने विधेयक में सिर्फ वित्तीय सहायता की ही बात की है, सिर्फ केंद्र सरकार से पैसे मांगना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हम यह भी चाहते हैं कि इस वित्तीय सहायता को जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमने यह भी प्रावधान किया है कि केंद्र सरकार निम्न विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए उपबंध कर सकेगी।

पहला राज्य के विकास हेतु दीर्घकालीन योजनाओं का कार्यान्वयन, दूसरा पडोसी देशों से आने वाली नदियों में होने वाली बाढ़ का नियंत्रण, तीसरा राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए एक समेकित योजना, चौथा इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, राजमार्ग, विद्युत, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं और पांचवां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सेवाओं में रोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं।

महोदय, सर्वप्रथम इस राज्य को औद्योगिक विकास की जरूरत है। यहां कृषि आधारित उद्योगों के लिए काफी संभावनाएं हैं बिहार बिजली के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार की वर्तमान विद्युत स्थापित क्षमता मात्र 586 मेगावाट है जो देश की कुल स्थापित क्षमता का मात्र 0.4 प्रतिशत है, जबकि इस राज्य में पूरे देश की जनसंख्या का 8.15 प्रतिशत आबादी है। राज्य के थर्मल पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज हम पूरी तरह से केन्द्र सरकार पर निर्भर हैं। केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र इस सरलीकृत कर प्रणाली से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिहार का 30,000 हजार डालर दे कर पुरस्कृत किया। सरलीकृत कर प्रणाली का अनुकरण कर श्रीलंका, अफ्रीकी देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जा रहा है।

विश्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि देश में दिल्ली के बाद पटना दूसरा स्थान है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है।

वर्तमान राज्य सरकार का मूलमंत्र है सुशासन के माध्यम से राज्य का सर्वांगीण विकास। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से राज्य को विकास दर में देश में दूसरे नम्बर पर पहुंचा दिया है। यह अभी शुरूआत है। विकास की यात्रा काफी लंबी है लेकिन बिना विशेष केन्द्रीय आर्थिक सहायता के यह संभव नहीं है।

महोदय, बिहार में निवेश के लिए उद्यमी आना चाहते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि बिहार की आर्थिक विकास में तेजी उस दशा में आ सकती है जब यहां की आधारभूत संरचना का विकास हो सके।

मैं यह जानता हूं कि इन सब कार्यों को रातों-रात पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिल कर प्रयास करने की जरूरत है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि केन्द्र सरकार मजबूती से राज्य सरकार के पीछे खड़ी हो जाए और हर तरह से उसका साथ दे। अभी-अभी समाचार पत्रों की खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसे अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, 20,000 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज देने का काम किया है। हम चाहेंगे कि भेदभाव न बरता जाए और बिहार को भी, जो यहां हालता हैं उसमें स्पेशल पैकेज तुरन्त किया जाए। मैं जानता हूं कि बिना सत्ता पक्ष के समर्थन से मेरा विधेयक पास नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहां सदन में सिर्फ अपनी पार्टी-जनता दल (यूनाइटेड) की तरफ से नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं राज्य के प्रतिनधि और राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी खड़ा हूं। बिहार का समग्र विकास किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। यदि बिहार का विकास होता है तो इससे पूरे देश को लाभ है।

इसलिए मैं हर दल और प्रत्येक माननीय सांसद से यह अनुरोध करता हूं कि मेरे विधेयक को पढ़ें और इस पर अपनी राय सदन में व्यक्त करें। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ बिहार के सांसद इस पर बोलें। मैं सभी राज्यों और सभी दलों वे माननीय सांसदों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे विधेयक पर अपने विचार संसद में व्यक्त करें और अपना समर्थन दें। यदि सभी दलों का समर्थन है तो हम इस विधेयक को पास भी करा सकते हैं।

महोदय, आपने मुझे अपनी बात विस्तारपूर्वक कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मै। अपना विधेयक सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया गया।''

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, प्रो. रंजन प्रसाद यादव जो कौन्सटीट्यूशन (अमैंडमैंट) बिल, 2009 लाए हैं, मैं इनकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूं। हम सब जानते हैं कि बिहार वर्ष 2000 में बाइफरकेट हो गया और बिहार से झारखंड राज्य का जन्म हुआ। मैं बगल वाले सूबे बंगाल से आता हूं। इस बात की सबाके जानकारी है कि बंगाल में 34 साल तक वामपंथियों की सरकार रही। इसके चलते बंगाल की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि उसे हर साल 15 हजार करोड़ रुपये सिर्फ उधार के बोझ के ब्याज के जरिए देने पड़ते हैं। अभी बंगाल सरकार के ऊपर 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये उधार का बोझ है। बंगाल सरकार को हर साल 15 हजार करोड़ रुपये उसका ब्याज देना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बंगाल के लिए भी कोई स्पैशल पैकेज दिया जाए। हां, यह सही है कि बिहार बाइफरकेट हुआ है, इसलिए उसकी डिमांड थोड़ी अलग है और बंगाल की डिमांड अलग है। लेकिन मैं आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ-साथ बंगाल की आर्थिक स्थिति

भी उतनी ही गंभीर है। हम सब बिहार का आदर करते हैं क्योंकि बिहार हिन्दुस्तान में ऐसी जगह है जिसे सभ्यता का उद्‌गम कहा जाता है।

[अनुवाद]

बिहार को सभ्यता का उद्‌गम माना गया है। आप यह देखकर हैरान होंगे कि हमारे देश में प्रथम लोकतंत्र, जिसे लिच्छवी नाम दिया गया था, बिहार में अस्तित्व में आया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसे निवास की संज्ञा दी गई है। बिहार आध्यात्मिक विवेक का स्थान है। बिहार बौद्धिक कार्यकलापों का स्थान है। बिहार ने महान साम्राज्यों का उतार-चढ़ाव देखा है। मगध साम्राज्य यहीं स्थापित हुआ था। महोदय, बिहार न केवल देश का प्राचीन क्षेत्र है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जहां दुनिया के दो सर्वाचित लोकप्रिय धर्मों, प्रथम जैन तथा दूसरा बौद्ध, की उत्पत्ति हुई थी। बिहार में अनेक सुप्रसिद्ध पुरुष और महिलाओं का जन्म हुआ है। यह बुद्ध, महावरी, आर्यभट्ट, चाणक्य, बालमीकी, विश्वमित्र, पतंजलि और गार्गी की जन्मस्थली है। मध्यकालीन युग में भी बिहार शेरशाह, गुरुगोबिंद सिंह के लिए जाना जाता था।

विगत वर्षों में और विशेषरूप से बिहार के दो भागों में विभाजन के बाद विभिन्न मंचों से बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की मांग उठती रही है।

अपराह्न 4.00 बजे

बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने हेतु पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। केन्द्र सरकार ने एक प्रतिवादी के रूप में न्यायालय के समक्ष कहा कि बिहार विशेष पैकेज दिए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिहार को विशेष फैकेज प्राप्त करने हेतु राज्य के रूप में अनुमति न देने के भौगोलिक रूप से अलग-अलग होने, दुर्गम क्षेत्र, कमजोर संसाधन के आधार, बड़े बाजार से दूर होना तथा कमजोर अवसंरचना के कारण बताए गए हैं। किसी राज्य को विशेष पैकेज का दर्जा देने हेतु ये अपेक्षित मानदंड हैं।

भारत में, राज्यों को विशेष श्रेणी और गैर विशेष श्रेणी राज्यों में बांटा गया है। यह सही है कि विभाजन के बाद, इसे अपने काफी संसाधनों से हाथ धोना पड़ा। बिहार के विभाजन से इसे केवल ऋण और आपदा ही मिली। वास्तव में, विभाजन के कारण बिहार पर ऋण और आपदा की मार पड़ी, क्योंकि बिहार राज्य खनिज सम्पन्न क्षेत्र झारखंड में चले गए। स्वाभाविक है कि बिहार की राजस्व अर्जन की क्षमता लड़खड़ा गई और बार-बार आने वाली बाढ़ों से स्थिति और भी बदतर हो गई। कोसी नदी की भयंकर बाढ़ आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। कोसी नदी में हिमाचल तथा कंचनजंगा का भी जलग्रहण क्षेत्र आता है। प्रति वर्ष बिहार कोसी नदी से बहने वाले पानी से तबाही झेलता रहा है, कई बार यह एक बहते समुद्र का रूप ले लेती है तथा सब कुछ तबाह कर देती है, जिससे बिहार कंगाल हो जाता है। इस प्रकार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों बाढ़ झेलते रहे हैं, क्योंकि दक्षिण बिहार में इसका पानी गंगा नदी की तरफ बहता है। अत: बिहार एक ऐसा राज्य है जो अत्यंत बाढ़ प्रवण है। बिहार का 73 प्रतिशत से अधिक भू-भाग बाढ़ प्रवण है। बिहार का बड़ा भाग सूखा प्रवण भी है। इस प्रकार बिहार एक तरफ बाढ़ की मार झेलता है तो दूसरी तरफ सूखे की।

यह एक विडम्बना ही है कि विभाजन के बाद बिहार की तीन-चौथाई सम्पदा झारखंड में चली गई, जबकि तीन-चौथाई देयताएं बिहार के पास रह गईं।

महोदय, भू-क्षेत्र का 46 प्रतिशत झारखंड में चला गया, जबकि पूर्व राज्य की तीन चौथाई जनसंख्या बिहार में रह गयी।

महोदय, वास्तव में, वर्ष 1793 में कार्नवालिस द्वारा लाये गए स्थायी बंदोबस्त के बाद सदियों से पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र किन्हीं उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के बगैर प्राथमिक पूंजी संचलन का शिकार रहा है तथा अभी भी उस औपनिवेशिक मदान्धता का प्रभाव बिहार बंगाल तथा उड़ीसा पर भी है।

महोदय, जहां तक राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का संबंध है, यह रिपोर्ट वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी थी, जिसमें यह कहा गया है कि बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे निचली स्थिति में है। आज, जब बिहार से माननीय सदस्य श्री जगदानंद सिंह ने माननीय मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे से विद्युत के संबंध में प्रश्न पूछा, तो हमें बिहार में बिजली की दयनीय स्थिति के बारे में मालूम हुआ। इसका कारण है कि सभी बिजली उत्पादन केन्द्र, जो पहले बिहार में थे, अब झारखंड में चले गए हैं। इसलिए बिहार अब अपने राज्य में बिजली के लिए केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र पर निर्भर रहने हेतु बाध्य है।

बिहार भारत के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कमजोर अवसंरचना वाला राज्य है-विशेष दर्जे वाले कुछ राज्यों से भी बदतर। इसका सड़क घनत्व देश में सबसे कम 100 कि.मी. प्रति लाख जनसंख्या है, जो विशेष दर्जे राज्यों से कम हैं, क्योंकि अधिकतर प्रमुख सड़क नेटवर्क अब झारखंड राज्य में चला गया है।

समस्या यह है कि भारत संघीय ढांचे के मानदंडों का अनुकरण करने वाला देश है। हमारे पास संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची है तथा वित्त अंतरण के लिए हमें कुछ विशिष्ट

मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। यहां यदि हम पूर्ववर्ती परिपाटी के अनुसार चलें, तो हम पाएंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के पूर्व केन्द्रीय सहायता का राज्यों को आबंटन 'स्कीमैटिक पैटर्न' पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना के पूर्व आबंटन का कोई निश्चित सूत्र नहीं था। लेकिन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु किसी वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी सूत्र की आम मांग के मद्देनजर गाडगिल सूत्र के नाम से जाने वाला सूत्र 1969 में बनाया गया था और जब से लेकर पांचवी पंचवर्षीय योजना तक गाडगिल सूत्र को लागू किया गया था तथा कुछेक संशोधनों के बाद उसे 1980 तक जारी रखा गया। संशोधित सूत्र छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आबंटन का आधार बना। उस सूत्र को पुन: 1990 में संशोधित किया गया, जो केवल वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय सहायता के आबंटन का आधार बना। अभ्यावेदन के बाद सूत्र को फिर 1991 में और संशोधित किया गया था और गाडगिल-मुखर्जी नामक नया सूत्र बना।

यह आठवीं पंचवर्षीय योजना से लागू है। यद्यपि मानदंडों और परिमता सहित तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए सभी चारों सूत्रों को राज्यों में धन वितरण के संबंध में भी अमल में लाया जाता है। इसलिए, समस्या यह है कि हम अपने देश में विभिन्न राज्यों में धनराशि के आबंटन हेतु बनाए गए विभिन्न मानदंडों में फंस गए हैं परन्तु सच तो यह है कि बिहार के विभाजन से बिहार के लोगों को भारी नुकसान हुआ है।

महोदय, बिहार में जैसा कि मैंने पहले ही कहा है तथा मैं पुन: कहता हूं कि ग्रामीण सड़क घनत्व अखिल भारतीय औसत प्रति लाख जनसंख्या पर 141.34 कि.मी. की तुलना में महज 36. 75 कि.मी. है। रेलवे अवसंरचना के मामले में बिहार सबसे कमजोर है। यह प्रति लाख जनसंख्या पर 4.15 कि.मी. है, जबकि गुजरात में प्रति लाख जनसंख्या पर 7.34 कि.मी. है। बिहार में केवल 40 से 45 प्रतिशत लोगों की पहुंच सार्वजनिक दूरभाष सुविधाओं तक है। बिहार के लगभग 47 प्रतिशत गावों में बिजली नहीं है।

विभाजन के बाद बिहार को केवल मिट्टी एवं पानी नामक धन ही मिला। जहां तक पानी की बात है, बिहार के पास जल संसाधनों को चैनलीकृत के लिए अपेक्षित वित्तीय क्षमता नहीं है, जिससे कि जल सम्पदा का अधिकतम दोहन हो सके। जहां तक मिट्टी का संबंध है, बिहार मूलत: कृषि अर्थ-व्यवस्था वाला राज्य है, जहां प्राथमिक रूप से ग्रामीण अपनी आजीविका गुजारे लायक खेती करके चला रहे हैं यही समस्या है। बिहार के साथ 7.00 कि.मी. अन्तरराष्ट्रीय सीमा लगती है। स्वाभाविक है कि बिहार की दशा पर और सहयोगपूर्ण नजर रखनी है। महोदय, में बिहार पर व्यचित की जा रही केन्द्रीय राशि के नुकसान का पता करने के लिए एक उदाहरण आपको दूंगा। केन्द्र सरकार हमारे देश के सभी राज्यों को खाद्य राज सहायता प्रदान कर ही है। परन्तु वास्तविकता यह है कि भारत खाद्य निगम द्वारा चौथाई चावल और 80 प्रतिशत गेहूं हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे समृद्ध राज्यों से खरीदा जाता है। हरियाणा और पंजाब को हमारे देश का चावल का कटोरा कहा जाता है।

मुझे किसी राज्य से कटुता नहीं है परन्तु वास्तविकता यह कि वे राज्य खाद्य राजसहायता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से हमें तीन चौथाई चावल और 80 प्रतिशत गेहूं दे रहे हैं, यद्यपि में राज्य भारत के चावल का एक चौथाई और गेहूं के उत्पादन का लगभग एक तिहाई उत्पादन करते हैं पंजाब और हरियाणा कुल मिलाकर 67 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त करते हैं और औपचारिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम की तुलना में वे एफसीआई राजसहायता में अधिक प्राप्त करते हैं।

बिहार में वार्षिक घाटा उसके कृषि प्रमुख होने के कारण अधिक अन्याय पूर्ण हो सकता है। राज्य की लगभग 11 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इसका अर्थ हुआ कि बिहार की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहां के किसानों की उत्पादक क्षमता घटिया अवसंरचना आधार के कारण प्रभावित हुई है जबकि वे राज्य जहां बेहतर अवसंरचनात्मक आधार और समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था है उन्हें वार्षिक आधार पर भारी केन्द्रीय निधि दी जाती है। पंजाब-हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बेहतर अवसंरचना है इसलिए उन्हें भारी खाद्य राजसहायता मिलती है जबकि बिहार के मामले में वह इससे वंचित है क्योंकि किसान समुदाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्क सुविधाए नहीं हैं।

ऐसा अनुमान है कि दो वर्षों में अर्थात 2002-03 और 2003-04 में बिहार के किसानों को केन्द्रीय राजस्व के 23,196 करोड़ रुपये की राशि अन्य राज्यों के समृद्ध किसानों को दे दी। इसीलिए महोदय

[हिन्दी]

सर, मैंने पहले ही कहा था कि उनकी भावनाओं का मैं काफी सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि बिहार को ज्यादा मदद की जाए। उन्हें जो भी मुआवजे दिये जा सकते हैं दिये जाएं। हमारे फैडरल स्ट्रक्चर का जो सिलसिला जारी है, इसमें हमें बदलाव लाना

पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे राज्य हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां प्रगति हुई है तथा बहुत सारे राज्यों में प्रगति नहीं हुई है। इसलिए एक रीजनल असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसे दूर करने के लिए कम्प्रीहैंसिव तरीके से सोचना पड़ेगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय सभापति जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बिहार के बारे में विस्तार के साथ सभी बिंदुओं को सदन के सामने और देश के सामने रखा है। उन्होंने आंकड़ों के साथ, कागज और तथ्यों के साथ, जो विश्लेषण किया है, इसके लिए बिहार के लोग आपके अनुगृहीत रहेंगे। माननीय रंजन प्रसाद यादव जी विद्वान हैं, प्राध्यापक हैं, अध्ययनशील हैं, उन्होंने काफी आंकड़ों और तर्कों के साथ अपनी बात को रखा है, जो सदन के सामने अभिलेख में है और वह बिहार के लोगों के लिए आपके अनुगृहीत रहेंगे। माननीय रंजन प्रसाद यादव जी विद्वान हैं, प्राध्यापक हैं, अध्ययनशील हैं, उन्होंने काफी आंकड़ों और तर्कों के साथ अपनी बात को रखा है, जो सदन के सामने अभिलेख में है और वह बिहार के लोगों के लिए एक मार्ग-दर्शक सिद्धांत के रूप में रहेगा।

महोदय, मैं बिहार के उस क्षेत्र का हूं, जहां नदियों के जाल हैं, कोसी, कमला, गंडक, भूतही, बालान, लखनदेई और अधवारा समूह-ये सभी नदियों के ऐसे जाल हैं कि हम उस जाल के बीच में फंसे रहते हैं। आपने संसार में सड़कें देखी होंगी लेकिन पानी पर तैरने वाली सड़क आपने कहीं नहीं देखी होगी। आप बाढ़ के समय में बिहार जाएंगे तो हमारी सड़कें ऐसी लगेंगी जैसे पानी पर तैर रही हों। ऐसे दिखाई पड़ी। जब हम चलते थे, छात्र जीवन में तो पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर मिडिल स्कूल में जाते थे, बरसात के समय में, जब कभी साइकिल से जाते थे, तो कब साइकिल मेरे कन्धे पर चढ़ती थी और कब हम साइकिल पर चढ़ते थे, इसकी गिनती नहीं कर सकते थे क्योंकि जब कीचड़ आ जाए, पानी आ जाए, तो साइकिल को कन्धे पर लेते थे और जब सूखी सड़क आ जाए, तो साइकिल पर हम चढ़ते थे। उस कोसी, कमला और गंडक के बीच में, उस बाढ़ की विभीषिका में, जब हम 15 दिन, महीने भर पेड़ की डाली पर बैठे रहते हैं और घुटने भर पानी में हमारी औरतें जब शौच करती हैं, तो उस दर्द का एहसास उसी को होगा, जो उस स्थिति में जीवन गुजरता होगा। ऐसी परिस्थिति है। उससे निकलने के लिए प्रयास भी किए गए। युग-युग स मेरे पूर्वज, हम सभी बैठते हैं और आज तक भोर के समय गांव के किसान लोग परमात्मा की जो पराती गाते हैं, मैं भी गाता था जब मैं गांव का प्रधान था और विधायक था। आज भी कभी-कभी गा लेता हूं। वह पराती जो हम लोग आज तक गाते रहे हैं, उसमें हम यही गाते हैं, यह हमारी मैथली में है, इसे मैं वैसे ही सुना दूंगा:

"कखन हरब दुख मोर, हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर।
दुख ही जनम भेल दुख ही गमाउल, सुख सपनेहु नाहि भेल।
हे, भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर।"

युगों से हम इसे गाते आ रहे हैं, लेकिन न जाने भोला बाबा कहां चले गए, जो युग-युगांतर से मेरे पूर्वजों और हमसे यह गीत सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा दुख अब तक दूर नहीं हुआ है। प्रयास हो रहे हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रयास नहीं हुए हैं, यह नकारात्मक चिंतन है। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही या किसी की रही, लेकिन विकास करने की या उस दुख को दूर करने की जो दृष्टि थी, दिशा थी, वह गलत रही। पिछले छह साल से हम दृष्टि और दिशा के साथ कुछ संकल्प की तरफ बढ़े हैं। जब हमारी दृष्टि सही है, दिशा सही है, संकल्प है, प्रतिबद्धता है और हम पूर्ण निष्ठा के साथ बिहार को खड़ा करके भारत के किसी विकसित राज्य से बढ़ा कर आगे ले जाने का संकल्प ले कर चले हैं और वहां की सरकार वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब मिल कर प्रयत्नशील हैं, वहां की राजनीति में लगे लोग, प्रशासन के लोग सभी एक सूत्र से प्रयत्नशील हैं, तो उस समय केंद्र सरकार का हमें सहयोग मिल जाए, तो वह हमारे लिए वैसे ही कारगर होगा, जैसे खंभे हैं, तार हैं, ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन उसमें अगर बिजली ही नहीं होगी, तो इन सारी चीजों का क्या करेंगे। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सभी चीजें हैं, लेकिन लाइन नहीं है, बिजली नहीं है और केंद्र सरकार कहती है कि बिजली देने का काम राज्य सरकार का है, तो हम बिजली कहां से लाएं? बिजली एक-दो दिन में नहीं आ सकती है। हम खेतों में बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, हम पम्पिंग सैट लगा कर बिजली नहीं निकाल सकते हैं। बिजली पैदा करने के लिए जो पैसा चाहिए, साधन चाहिए, कोयला चाहिए, गैस चाहिए या तेल चाहिए, इन्हीं चीजों से बिजली पैदा होगी। क्या ये सभी साधन हमारे पास हैं? न कोयला है, न तेल है, न गैस है बल्कि इन सभी चीजों के लिए हम केंद्र पर आश्रित हैं। बिजली पैदा न करें और कह दिया जाए कि बिहार ने बिजली क्यों नहीं पैदा की है, तो यह ऐसे ही कहना होगा जैसे किसी आदमी का लीवर खराब है और उससे कहा जाए कि तुमने अपनी तंदुरुस्ती के लिए एक लीटर दूध रोज क्यों नहीं पिया।

जिसका लिवर खराब है, वह एक लीटर दूध पी जाए और जल्दी मर जाए। हमारे पास साधन नहीं हैं आपसे साधन मांगते हैं। बिजली के थर्मल स्टेशन का शिलान्यास भी बाढ़ में किया गया और बनाने की योजना भी पड़ी हुई है। जार्ज फर्नान्डीज की कृपया

है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार में वह मंत्री बने थे तो कांटी में उन्होंने एक थर्मल स्टेशन बनवाया था और जार्ज फर्नान्डीज जो महाराष्ट्र के हैं लेकिन जब वह केन्द्र में मंत्री बने तो उन्होंने ईमानदारी के साथ बिहार को हर चीज देने का प्रयास किया। वह जिस भी क्षेत्र में गये, उन्होंने वहां काफी कुछ दिया। उन्हें लोग याद रखेंगे। इस पर चिंतन करने की बात है। 1,25,000 करोड़ के आसपास रंजन जी मांग रहे हैं सरकार के लिए 1,25,000 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि आज भारतवर्ष के अखबारों को निकाला जाए और सभी राज्यों के घोटालों को निकाला जाए तो इससे दस गुना का रोज अखबार में छपता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र सरकार के हैं। मैं इस सदन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा और जिस मिथलांचल के हम हैं, जब तक मिथलांचल की धरती रहेगी, तब तक मिथलांचल के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऋणी रहेंगे। इसलिए राजामर्ग संख्या 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, यानी 750 कि.मी. सड़कें उस सरकार ने उस उत्तर बिहार में मिथरांचल को एक बार में दी और एन-एच-57 जो पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाला राष्ट्रीय महाराजमार्ग है, जो द्वारिका से लेकर कोहिमा तक जाने वाला है, वह बिहार वे 6 जिलों के बीच से होकर निकलता है। इससे सभी राजमार्ग जुड़े हुए हैं नीतिश कुमार जब रेल मंत्री थे तब अटल बिहारी वापजेयी जी को कोसी में से जाकर रेल का महासेतु का शिलान्यास किया, जो अब तक अधूरा है। उत्तर बिहार के पूर्व और पश्चिम को जोड़कर ऐसा नक्शा बना जिससे कायाकल्प हो सकता है, लेकिन वहां गड्ढा है।

मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा कि एक नौजवान अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। मोटरसाईकिल पर जाते हुए बार-बार पीछे हाथ लगाकर टओल रहा था। मैंने आगे जाकर रोका कि बार-बारी पीछे क्या देख हैं? गड्ढे में मोटरसाईकिल गिरती है तो टटोलता हूं कि पत्नी है या किसी गड्ढे में समा तो नहीं गई। ऐसी दुर्गति चलती रही आप समझ लीजिए कि चाहे बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर हो, भोला पासवान शास्त्री हों या हुक्मदेव नारायण यादव हो, बिहार के लोगों की जिंदगी की 25 परसेंट आयु सड़क खा गई है क्योंकि सड़क पर जब चलते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक हड्डियां चरमरा जाती हैं। और लगता है कि भारत में कहीं इलाज होगा या नहीं या ऐसे ही इड्डियां छिक जाएंगी। हम ऐसी सड़कों पर चलते रहे हैं और बिहार सरकार ने अपने पैसों से मरम्मत करा दी। 711.97 करोड़ रुपए की मरम्मत करा दी और हमने राजमार्ग के लिए पैसे की मांग की तो केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना किए जाने के कारण इस धनराशि की प्रतिपूर्ति संभव नहीं हो सकती है। क्या यह इंसाफ है? वहां की सरकार न अपने पैसों से मरम्मत इसलिए कराई कि ट्रक, बस न उलट जाए, दुर्घटना न हो, आदमी न मरे, 711 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देने में कहती है कि इसलिए नहीं देंगे कि बिना हमारे आदेश के खर्च क्यों किया? बिहार में अगर किसी गांव में आग लग जाए तो क्या केंद्र सरकार से आदेश लेंगे कि दमकल बुलाएं, आग बुझाएं पानी डालें, आप खर्च देंगे या नहीं देंगे? आप देखिए कि यह तर्क कितना अन्यायपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं एक बात की आरे ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप देखिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। रंजन जी भी मांग कर रहे हैं। यहां सड़कें स्वीकृत हुई, आपने पांच केंद्रीय एजेंसियों को सड़क बनाने के लिए लगाया जबकि इसमें हमारी कोई एजेंसी नहीं थी। प्लानिंग कमीशन ने त्रिपक्षीय समझोता के पांच एजेंसियों को काम पर लगाया, दिसंबर 2010 तक पूरी की गई स्वीकृत सड़कों की संख्या कुल 3590, दिसंबर 2010 तक पूरी की गई सड़कों की संख्या 1383, सड़कों की कुल लंबाई 18903 किलोमीटर जबकि पूरी की गई 4884 किलामीटर। यही गतिशीलता थी, क्योंकि पैसा नहीं दिया। सड़कें कब बनी? प्राकक्लन बन गए, अब प्राक्कलन की राशि बढ़ गई। केंद्र सरकार का कहना है कि प्राक्कलन की राशि अब बढ़ गई है इसलिए 2001-02 के प्राक्कलन के आधार पर प्राधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा देंगे, अब प्राक्कलन बढ़ गया है उसका पैसा नहीं देंगे, आप इसका खर्च उठाइए। यह अन्याय नहीं है तो क्या है? अगर बहुत ज्यादा है तो 90 परसेंट राशि आप दीजिए और 10 परसेंट बढ़ी हुई राशि हम देंगे, हम बोझ उठा लेंगे। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है?

महोदय, आप खेती की बात कह रहे थे, समूचे भारत में मार्जिनल फार्मर 64.77 प्रतिशत हैं और स्माल फार्मर 18.50 प्रतिशत है हैं। लेकिन बिहार में मार्जिनल फार्म 89.64 यानी 90 प्रतिशत और दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जोतने वाले लघु सीमांत किसान केवल सात परसेंट हैं। आप देखिए कि इतना अंतर है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को यह पैसा इसलिए देना चाहिए क्योंकि सड़क बनानी जरूरी हैं मैं दो-तीन मिनट और समय लेकर कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि बिहार जातिवादी है। मेरे पास लिस्ट है-स्वर्गीय अशोक महेता, स्वर्गीय आचार्य कृपलानी, स्वर्गीय मधु लिमै, जार्ज फर्नांडिस, रविन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर प्रसाद, युनूस सलीम, शरद यादव, इन्द्र कुमार गुजराल, ये सभी बिहार से एमपी बने। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई राज्य है जो अपने को उदारवादी और विकासवादी कहता हो, जिसने अपने प्रदेश से बाहर के इतने लोगों

को संसद में भेजा हो, उन्हें चुनाव से जिताकर या राज्यसभा के मार्फत भेजा हो? हमने चुनाव में जिताकर या राज्यसभा के मार्फत भेजा है, सबको, भेजा है। यह कहा जाता है बिहार में संतुलन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में कितना संतुलन किया है, उदारता दिखाई है। डॉ. कृष्ण सिंह, पंडित विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र, विद्वेश्वरी दूबे, केदारनाथ पांडे, पांच ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। सरकार हरिहर सिंह, चन्द्रशेखर सिंह, सत्येन्द्र नारायण सिंह, तीन राजपूत मुख्यमंत्री बने। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दरोगा प्रसाद राय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, चार यादव मुख्यमंत्री बने। अब्दुल गफूर, एक अल्पसंख्यक वर्ग से मुख्यमंत्री बने। श्री भोला पासवान शास्त्री, अनुसूचित जाति के एक शाखा के मुख्यमंत्री बने। श्री रामसुंदर दास अनुसूचित जाति के दूसरी शाखा के मुख्यमंत्री बने। कर्पुरी ठाकुर, अति पिछड़े वर्ग के थे जो मुख्यमंत्री बने। हमें इन पर गर्व है कि ये सबसे कम संख्या वाले अति पिछड़े वगै के थे और सबसे ज्यादा दिन तक बिहार में जन नेता के रूप मे रहे। कृष्ण वल्लभ जी, कायस्थ थे, मुख्यमंत्री बने। सतीश प्रसाद कुशवाह मुख्यमंत्री बने। नीतिश कुमार जाति के हिसाब से कुरमी हैं, अब मुख्यमंत्री हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। बिहार ने अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, दक्षता, उदारता और महानता से संपूर्ण विश्व और भारत को प्रतिभावान व्यक्ति दिए हैं। केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। यह केवल हमारा ही नहीं हुआ, आप संपूर्ण भारत का नक्शा उलट कर देखिए, क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विषमता अगर देन है तो वह केंद्र सरकार की आर्थिक नीति और बजट की देन है।

इसलिए मैं श्री रंजन प्रसाद यादव को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात स्वीकार करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारा भी अपराध है। मैं 1959 ईस्वी में ग्राम पंचायक का प्रधान बना था। मैं इतने दिनों से चुनाव लड़ता रहा हूं और बिहार की सक्रिय राजनीति में ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रधान, जिला परिषद का अध्यक्ष, तीन बार एम.एल.ए., एम.पी., भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। 1959 से मैं राजनीति में सक्रिय रहा । लेकिन हमने पाया कि हमारा भी अपराध था और बिहार के लोग आज इसे अंतर्मन से स्वीकार भी कर रहे हैं कि राजनीति का जातिकरण हुआ, जाति का अपराधीकरण हुआ और प्रशासन का चामलूसीकरण हुआ। इन सभी रोगों से बिहार की रचना करना चाहते हैं, नये समाज की रचना करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं पंचायती राज में पचास प्रतिशत आरक्षण देकर हम बिहार से महिलाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। हम सब तरफ नई दिशा दे रहे हैं।

इसलिए सदन से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बिहार के साथ-साथ जहां भी भारत का जो प्रदेश अविकसित है, अल्प विकसित है, जहां क्षेत्रीय विषमता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता है, इन सभी विषमताओं का अंत करो। अगर ये विषमताएं नहीं मिटेंगी तो इन्हीं विषमताओं की अग्नि से ही कहीं न कहीं उग्रवाद और अतिवाद जन्म लेता है, जो आज भारत माता के शरीर को घावों से छिन्न-भिन्न कर रहा है और भारत माता के रोम-रोम से रक्त प्रवाहित हो रहा है और भारत माता रो रही है कि आओ इस विषमता को मिटाकर एक नए समाज की रचना के लिए यह संसद आगे बढ़े।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रो. रंजन प्रसाद यादव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्य को सुन रहा था और चूंकि यह प्राइवेट मैम्मबर बिल है तो आज एक गीत भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह बात सत्य है कि बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड एक नया प्रदेश बना। अभी श्री रंजन प्रसाद जी कह रहे थे कि बिहार में जो प्राकृतिक सम्पदा थी, वह ज्यादातर झारखंड में चली गई। वहां से हमें जो एक आर्थिक उपज मिलनी थी, जो आर्थिक विकस की एक कड़ी थी, वह झारखंड में चल गई। इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने 90 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 के बिल पर बल देने के लिए खड़ हुआ हूं और पूरे तरीके से इसे सपोर्ट भी करता हूं।

सभापति महोदय, यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भी विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य बना। हमारे उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हुआ और उत्तराखंड बना, जहां से आप एक सम्मानित सांसद हैं। लेकिन जहां तक हमारे दल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का सवाल है, हम लोग हमेशा से प्रदेश और जिलों के विभाजन के खिलाफ रहे हैं। इसे हम लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। जब भी जिलों और प्रदेश का विभाजन होता है तो हम यहां आज जो रोना यहां रो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारी एक शक्ति होती है, वह खंडित हो जाती है और खंडित होने के बाद सबकी अपनी आवाज और अपनी मांग होती है और इससे हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर कमजोर होते हैं। हर तरीके से हमारे विकास पर उसका असर पड़ता है।

जहां तक बिहार की बात है, यह बात सत्य है कि आज पूरे देश के मानचित्र पर बिहार को देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे गरीब प्रदेश है। वहां प्राकृतिक संपदा बहुत है जिससे हम वहां विकास कर सकते हैं। लेकिन समय-समय पर बराबर बिहार से यह आवाज उठी है कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए। इस बात की हमेशा मांग उठती रही है। आज तारांकित प्रश्न यह बहस हो रही थी। आपने देखा कि चाहे जेडीयू के सांसद हों या भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, बिहार के जितने भी सांसद थे सबकी एकजुटता बिजली की मांग और आपूर्ति पर थी। कितना हंगामा हुआ। इससे मालूम होता है कि वाकई कितना दर्द है। अभी हुक्मदेव नारायण बिजली और सड़क की बात कह रहे थे। यह तो लाइफ्लाइन है। किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर बिजली और सड़क नहीं होगी तो वह प्रदेश ही बेकार है। दारा सिंह जी भी इसी विषय पर खड़े हुए थे। वहां की जरूरत और आवश्यकता के लिए वे भी मांग कर रहे थे कि हमारे प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है। यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भी हमें जितनी बिजली मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। बिहार के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य जितने स्तरों पर कहा जाए मेरे ख्याल से उसकी कोई मिसाल नहीं है। यह बात नहीं है कि बिहार पिछड़ा और गरीब है तो लोग वहां जाते नहीं है। तमाम विदेशी लोग वहां जाते हैं, वहां बौद्धिक स्थल भी है। हम विदेशी पूंजी लाने की बात करते हैं कि विदेशी धन आए, जिससे हमारा प्रदेश और देश विकास करे। अगर धार्मिक प्रवृति को लेकर वहां पर विदेशी सैलानी आते हैं, तो आज यह कोशिश करनी चाहिए कि वहां का विकास उस हिसाब से होना चाहिए। यह केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए और उसके हिसाब से प्रदेशों को बजट का आबंटन करना चाहिए।

कोसी नदी की बात कही गई। यह बात सत्य है कि वह सबसे निचला इलाका है और तमाम नदियों का वहीं पर भराव होता है। जब बाढ़ का प्रभाव होता है तब सबसे ज्यादा बिहार को ही होता है। बिहार में जब बाढ़ का उबाल होता है और नेपाल से जो पानी आता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आती है। यह स्थिति है। अभी सम्मानित सदस्यों ने बिजली की मांग के लिए बात कही। बहुत अच्छे थर्मल पॉवर वहां लग सकते हैं। हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं लेकन हम वह नहीं कर पा रहा हैं। हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। छोटी-छोटी पहाड़ियां और हरे-भरे जंगल भी वहां पर हैं एवं तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिससे हम बिहार को सजा सकते हैं और संवार सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यही कारण है कि जैसे तेलंगाना को लेकर आज यहां पर घमासान हुआ है। आपने यहां लोगों की भावनाएं और दर्द हैं कहीं न कहीं जनमत संग्रह करवा कर देखना चाहिए कि वहां के लोग किसके साथ कहां रहना चाहते हैं। कहां पर उनका विकास सीमित है। कहां उनका विकास समाहित है। उस ओर हमें देखना पड़ेगा। 600 बेगुनाह, बेवजह लोगों ने आत्महत्याएं की, यह बड़े शर्म की बात है। अगर आपने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना दिया है तो मेरे ख्याल से आप तेलंगाना भी बना दीजिए। लोगों से राय ले लीजिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों से राय लेकर बना दीजिए। बन जाए वहां पर प्रदेश, दे दीजिए वहां पर पैकेज। हमारे उत्तर प्रदेश की तो कहने की बात ही अलग है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहनजी ने तो यह कहा है कि अगर हमारा बस चले तो उत्तर प्रदेश में से चार प्रदेश बना दें। बुन्देलखंड बना दें, पूर्वान्चल बना दें, हरित प्रदेश, पश्चिमांचल बना दें, इसके एक नहीं चार प्रदेश बना दें। हम इसके खिलाफ हैं। आप अपनी राय दे दीजिएयेगा, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। अगर बन जायेंगे तो यही रोना जो यहां रोया जा रहा है, जो बिल लेकर हम आये हैं, वही रोना हमारे सामने रहेगा। यह भी सत्य है कि अगर आज देश का काला धन, जो विदेशों में जमा है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अगर इस धन को एकत्रित कर लिया जाये तो मेरे ख्याल से एक सुन्दर भारतवर्ष, स्वर्णिम भारतवर्ष बन सकता है और जितने भी पिछड़े हुए प्रदेश हैं, उनका विकास हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं हमारी क्या बेबसी है, क्या लाचारी है, हमें इसकी तरफ सोना पड़ेगा।

महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहकर केवल इतना ही कहूंगा कि हमारे सम्मानित सदस्य प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी ने, हुक्मदेव नारायण यादव जी ने और अधीर रंजन जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बातों को पूरी तरह से बल देते हुए आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि बिहार प्रदेश के लिए पैकेज की जो मांग की गयी है, वह पैकेज उन्हें दिया जाए। अभी मैं इस बिल को भी देख रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी से मिलकर योजना आयोग में जाकर गुहार लगायी है। उन्होंने भी पैकेज की मांग की है। इस पैकेज की जरूरत है और हम इस बात पर बल देते हैं कि उन्हें पैकेज दिया जाये और बिहार प्रदेश का विकास किया जाये। इन्हीं बातों के साथ मै पुनः इस विधेयक पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः श्री रमाशंकर राजभर।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति देने की कृपा करें।

सभापति महोदय: ठीक है, आप बोलिये।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय प्रोफेसर साहब जो बिल लाये हैं, यह बिल किस परिणाम को प्राप्त होगा, इसका चाहे जो परिणाम हो, लेकिन इस बिल के माध्यम से जो मंशा सदन में जाहिर हुई, वह काबिलेतारीफ है। आज हमें बिहार के बारे में निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, देश के वे हिस्से जहां जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है, जहां जनसंख्या का बहुत घनत्व है, उन प्रातों को स्पेशल पैकेज देकर उन्हें आगे लाने की बात होनी चाहिए। काफी साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये। यह सही है कि बिहार ने कवि भी दिया, साहित्यकार भी दिया, राष्ट्रपति भी दिया और कई धर्मों के संस्थापक भी दिये, केवल इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ बिहार ने दिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र सलेमपुर, बलिया और देवरिया बिहार के बॉर्डर पर है। मेरी सारी रिश्तेदारियां बिहार में हैं और बिहार के सारे लोगों, सारे मतदाताओं से मेरी सुबह-शाम मुलाकात होती है। गोपालगंज, छपरा, बक्सर और बिहार से हमारी संस्कृति और सभ्यता मिलती-जुलती है। बिहार ने केवल मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और कवि ही नहीं बनाये। बिहार ने तो दुख, तकलीफ सहकर और ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़कर और महोदय जब इलैक्ट्रिक लाइन नहीं थी तो ट्रेन की छत पर चढ़कर हजारों किलोमीटर दूर जाकर हरियाणा बनाया, राजस्थान बनाया, पंजाब बनाया और वहां के मजदूर ने जाकर मुंबई बनाया, वहां के मजदूर ने जाकर गुजरात बनाया। अगर देश के किसी भी कोने में चर्चा होती है और पिच करने वाला लाओ और नहीं तो बंगाल से मजदूर लाओ, छत्तीसगढ़ से मजदूर लाओ, उड़ीसा से मजदूर लाओ। अगर हम उस बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो दो-तीन बातें बहुत साफ होनी चाहिए। सब वुछ बिहार में है, चाहे जनसंख्या का घनत्व हो, सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन हों या पानी और उपजाऊ जमीन हो, वहां सब कुछ है।

महोदय, मुझे दो-तीन प्रांतों के बारे में जानकारी है। जिस समानता की बात अभी सीनियर साथी आदरणीय हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे कि बिहार में एक चीज में समानता नहीं हो पाती। वहां आपको अमीर इतना अमीर मिलेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं और गरीब भी इतना गरीब मिलेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यह कैसे होगा? धन से होगा और यह हर क्षेत्र में होता है। मैं यह नहीं कहता कि समाज के क्षेत्र में वहां काम नहीं हुए, लेकिन आज भी अंधविश्वास से, जादू-टोना से वहां की सामाजिक स्थिति चरमरा रही है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है।

सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश को हमें आगे ले जाना है तो सबसे पहले हम वहां पानी ले जाते हैं जब पानी जाता है तो हरियाली जाती है और हरियाली जाती है तो खुशहाली जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क हर प्रांत की बुनियादी आवश्यकताएं हैं हम खजाने का जो बोझ आज तैयार कर रहे हैं, हमारे भाई साहब ने पैकेज मांगा और उस पर भारत सरकार कहेगी कि हमारे पास धन नहीं है, पैकेज नहीं दे सकते। बताया जाएगा कि खजाना खाली है। खजाना भरेगा कैसे? कई बजट आए, अनुपूरक बजट आए, चर्चा सुनी गई कि पसीने से भारत का खजाना भरा जाएगा, हमने भी अखबारों में ऐसा पढ़ा। मैं कहता हूं कि मैं नया सांसद हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज एक साल से, डेढ़ साल से काले धन की चर्चा हुई। हमारा काफी रुपया स्विस बैंक में है लेकिन हमारे देश में काला धन नहीं है क्या? एक तरफ हमारा खजाना खाली है और दूसरी तरफ हमारे खजानों में दस-दस क्विंटल सोना मिलता है, पांच-पांच क्विंटल चांदी और एक-एक लाख करोड़ रुपये हमारे देश में मिलते हैं। देश का खजाना कैसे भरेगा? आप सौ रुपये छापते हैं तो पचास रुपये कार्यशील पूंजी होगी और पचास रुपये डंप हो जाएंगे तो वह पूंजी कार्यशील नहीं रह जाएगी, आपको कैसे राजस्व मिलेगा? इसलिए मैं उधर न जाकर भारत सरकार को इस बिल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिक घनत्व के ये क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि बंटवारे के बाद बिहार की प्रगति में उसके अपने संसाधनों से जो प्रगति हुई, उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आबादी के घनत्व से ज्यादा प्रांतों के लिए हमें पैकेज का इंतजाम करना ही होगा। इसलिए करना होगा कि हमारा पूरा शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, केवल एक अंगुली में कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर को मिटने में देर नहीं लगेगी। समाज के या देश के एक अंग में, देश के किसी एक कोने में अगर बीमारी होगी तो पूरे शरीर को बीमार होने में देर नहीं लगेगी और यही कारण है कि आबादी के घनत्व के ज्यादा इलाके जहां हम बिजली, सड़क, शिक्षा नहीं दे पाए, स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं कर पाए, आज वहीं पर इसी भारत मां का नौजवान हथियार उठाकर कानून अपने हाथ में लेने का काम कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि उन्हें हम कैसे परास्त करें, कैसे हम अपने डीएम को बचाएं, कैसे हम अपने सेना के जवान को बचाएं। इसलिए यह ईमानदारी होनी चाहिए कि जो कपड़ा साफ है, उसको गंदा न किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि उसको गंदा कर दिया जाए लेकिन जो कपड़ा गंदा हो चुका है, उसको साफ करने के लिए थोड़ा साबुन और सोडा अलग से देना ही पड़ेगा और आप देना चाहते हें तो पैकेज के रूप में उस कपड़े को साफ करने के लिए टीनोपाल पैकेज मांगने वाले प्रांतों को देना चाहिए। केवल बिहार ही नहीं, यूपी में भी पैकेज मांगा गया।

सभापति जी, यूपी का बंटवारा हुआ तो आप हमारी पनबिजली परियोजनाएं लेकर चले गए। उत्तराखंड से आप बिजली दे रहे थे।

वहां बिजली पैदा हो रही थी। उत्तर प्रदेश जो 80 सांसद देता है, 403 एमएलए का क्षेत्र है। वहां से 80 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मांगा गया। किस बात के लिए मांगा गया?

महोदय, हम स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा की बात करते हैं। पूरे देश की सारी भीड़ हमने एम्स में बुला ली है। आदमी को ऑपरेशन की आवश्यकता कल होती है, लेकिन उसे साल भर से पहले का टाइम नहीं मिलता है। पूरे पूर्वांचल और पूरे बिहार में पीजीआई स्तर के कितने हॉस्पीटल हमने दिए हैं। फिर तो वही हाल होगा, जब पूरा देश का बेरोजगार नौजवान मुम्बई, दिल्ली और हरियाणा में चला जाएगा तो आप कहेंगे कि यदि बिहार में फैक्ट्री लग गई होती है तो दिल्ली और हरियाणा में भीड़ कम हुई होती। ठीक इसी तरह से हॉस्पीटल के क्षेत्र में इन्हीं पैकेजों के माध्यम से बिहार, यूपी में, बीएचयू यूनीवर्सिटी को, जिसमें आधा बिहार आता है। क्या हम उसे एम्स स्तर की सुविधाएं नहीं दे सकते हैं? गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज को क्या हम एम्स या पीजीआई के स्तर की सुविधाएं नहीं दे सकते हैं? हम यह नहीं कहे हैं कि इनको बहुत कुछ दे दीजिए। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि पूरा यूपी और बिहार का जो बार्डर है, वहां का आदमी एक मांग के लिए, पूरा बिहार भोजपुरी भाषा बोलता है। वह मॉरीशस में भी है। भोजपुरी उसकी संस्कृति और सभ्यता है। भारत के आजाद होने के बाद से, मैथिलीशरण जी के बाद स, हमेशा से यह मांग होती रही है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हम क्या कर रहे हैं? यूपी और बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं?

महोदय, हम स्वच्छता की बात करते हैं। रात को जब हम गाड़ियों से निकलते हैं और अपनी मां, बहनों और बेटियों को सड़कों के किनारे शौच करते देखते हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है। आजादी के 63 साल बाद भी हम अपनी बेटी और बहनों को शौचालय नहीं दे पाए हैं क्या इससे बड़ी भी कोई शर्म की बात हो सकती है? यदि यह शर्म की बात नहीं है तो इससे बड़ी भी शर्म की बात है, गरीबों के साथ खिलवाड़ है कि देश में गरीब आदमी जब शौचालय बनवाएगा तो उसे ढाई हजार रुपए दिए जाएंगे। फाइव स्टार होटल में बैठकर चार सौ रुपए में अरहर की 50 ग्राम दाल खाने वला देश। फाइव स्टार होटल में बैठक 55 रुपए में एक लीटर पानी पीने वाला देश। फाइव स्टार होटल में बैठकर ढाई सौ रुपए मे एक कप चाय पीने वाला देश। लेकिन गरीबों को शौचालय बनवाने के लिए ढाई हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ढाई हजार रुपए जब शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि वह शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि वह तो केवल कागज पर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल बिहार या उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां भी इस तरह की स्थिति है। आज देश के खजाने का मुंह अवसर वंचितो की ओर करना होगा।

अपराह्न 5.00 बजे

अगर हम सुन्दर भारत बनाना चाहते हैं तो देश के खजाने का मुंह अवसर से वंचित लोगों की ओर करना होगा। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति वशिेष पैकेज देकर हमें जल्दी-से-जल्दी इधर आगे बढ़ना होगा। मैं निचित तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर इसमें देरी हुई तो यह अच्छा नहीं होगा। अभी तो हमने इस देश में गरीबों की पहचान एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., और बी.पी.एल. के रूप में की थी लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ कर आपको देखना होगा कि इस देश में वह आदमी जो सड़क के किनारे एक बरसाती ओढ़ कर अपनी मां-बहनों के साथ वहां लोहा पीटता है और अपना जीवन यापन करता है, उसको आप किस कैटगरी में रखेंगे? अब पूरे देश में ऐसी जातियों की पहचान करनी पड़ेगी। जो घूमन्तु जातियां हैं, और मदारी जाति हैं, वे नही जानते कि वे एस.सी. में हैं, एच.टी. में हैं, या ओ.बी.सी. में है। इसलिए मैं प्रोफेसर रंजन प्रसाद यादव जी, जो प्राइवेट मेम्बर बिल लाए हैं, उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। मैं इस बिल पर पूरा बल देते हुए उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के रूप में जो 80000 करोड़ रुपए की मांग है, उसको भी संज्ञान दिलाते हुए, इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताबः सभापति महोदय, आज मैं यहां प्रो. रंजन प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उस अपराह्न सभा में उपस्थित था जब उन्होंने चर्चा शुरू की थी और आज मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि मुझे यहां पर उपस्थित रहना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चिंता उन्होंनें वक्त की है, बेहतर होता यदि बिहार के संदर्भ में यह चिंता लोक सभा में किसी गैर-बिहारी संसद सदस्य ने कल की होती। इससे यह प्रदर्शित होता कि देश के अन्य भागों में जो कुछ हो रहा है, उस पर यह देश चिंतित हे।

पूरी विनम्रता के साथ मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जब मेरे मित्र श्री अधीर चौधरी ने पश्चिम बंगाल के लिए धन की मांग की, जब मेरे से पहले वक्ता ने उत्तर प्रदेश के लिए धन की मांग की, तो क्या मुझे भी उड़ीसा के लिए धन की मांग करनी चाहिए? प्रत्येक राज्य अपने लिए धन की मांग कर सकता है और

इस बारे में हमारे संविधान में प्रावधान है। 1949 में संवैधानिक चर्चा के दौरान हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमता से यह प्रावधान किया कि जब हम राज्यों का संघ बना रहे है और जब हम केन्द्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, तब संग्रहित किये जा रहे धन/कर का वितरण करने और यह देखने की आवश्यकता है कि सम्पूर्ण विकास हो। विशेषकर, उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है जो सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से अल्प विकसित हैं और विभिन्न कारणों से अल्पविकसित। अविकसित रह गए हैं।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव ने एक विशेष विधेयक प्रस्तुत किया है और उन्होंने संविधान के दो अनुच्छेदों अर्थात् अनुच्छेद 275 का उल्लेख किया है और वे इसमें खंड 'क' शामिल करना चाहते हैं तथा उन्होंने 371 ञ का भी उल्लेख किया है। इन दो अनुच्छेदों का इसमें उल्लेख किया गया हैं वे संविधान के बाहर कुछ नहीं कह रहे हैं। इसलिए, इसे सभा के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

विधेयक पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रारंभ से ही संविधान केन्द्र के पक्ष में रहा है।

इसका अपना ऐतिहासिक कारण है। देश का बंटवारा हुआ था। बहुत से इतिहासकार संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने अपनी पश्चदृष्टि में पाया कि अशोक की मृत्यु, अकबर की मृत्यु के बाद क्या हुआ। जब सत्ता का केन्द्र कमजोर हो गया क्या हुआ और किस प्रकार देश विभाजित हुआ। यही मुख्य कारण था कि जब संविधान बनाया जा रहा था, इसे केन्द्र के उन्मुख बनाया गया, हालांकि यह उल्लेख किया गया कि यह राज्यों का संघ है, प्रकृति में संघीय है। किंतु साथ ही केन्द्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई थीं। क्षेत्रीय दल का सदस्य होने के कारण मैंने अपना भाषण यह कहते हुए शुरू किया कि संविधान ने केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान की है। संवैधानिक संशोधन, जिन्हें बाद में प्रभावी बनाया गया है, ने इसे केन्द्र के और पक्ष में अधिक कर दिया है। मजबूत केन्द्र की अवधारणा विभिन्न तरीकों के माध्यम से संविधान की स्वायत्तता में अंतर्निहित है। मुझे उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए मेरे विचार में प्रो. रंजन प्रसाद यादव आज सभा में गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के माध्यम से इस मामले को उठाने के लिए बाध्य हुए हैं। अन्यथा वे बहार में विरोध कर रहे होते जैसा कि देश के विभिन्न भागों में कई रूपों में बहुत से राजनीतिक समूह विरोध कर रहे हैं।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान में दो स्तरीय सरकार का प्रावधान है-एक केन्द्र और दूसरा राज्य में। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों और दायित्वों के बीच विभाजन की अपेक्षा होती है और इसे बहुत हद तक पूरा किया गया है। यद्यपि केन्द्र और राज्यों को प्रदत्त कराधान की शक्तियां परस्पर अनन्य हैं तथा केन्द्र द्वारा लगाए गए सभी कर आर शुल्क पूरी तरह से संघ के प्रयोजन के लिए नहीं होते। संघ द्वारा लगाए जाने वाले कतिपय करो और शुल्कों से प्राप्त राजस्व राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप राज्यस्व की पूर्ति हेतु पूरा या हिस्से के रूप में दिया जाता है।

अपराह्न 5.08 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

यह प्रशास्ति है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने महसूस किया कि राज्यों को आबंटित राजस्व के स्त्रोत उनके कल्याण, रखरखाव एवं विकास के कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए काफी नहीं होंगे। अत: जब समाजवादी पार्टी के सदस्य यह कहते हैं कि वे छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यदि छोटे राज्य बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, यह एक बड़ा प्रश्न है, जिस पर अलग से विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बार इसका अर्थ यह निकाला गया कि प्रत्येक राज्य पर्याप्त राजस्व का सृजन करे, ताकि वे आत्म निर्भर हो सके, लेकिन हमारे देश ऐसा नहीं होता।

संविधान इसमें उपलब्ध विभिन्न तंत्रों जैसे राजस्व का बंटवारा, वित्त आयोग, बजटीय प्रावधानों के माध्यम से केन्द्र को निधि आबंटन की शक्ति देता है। मैं उन प्रावधानों पर आऊंगा, जिनके माध्यम से केन्द्र अपनी निधि का आबंटन करता है, और राज्यों को वित्त प्रदान करता है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्यों के लाभ के लिए केन्द्र की निधि के एक भाग को अलग रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह प्रावधान सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के रूप में भारतीय संविधान के लचीलापन को दर्शाता है। पिछले छह दशकों से भारत का आर्थिक विकास कई रूपों में अनुपम है।

भारत सरकार के संकल्प द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। इसने संबंधित राज्य सरकारों से विभिन्न योजनाओं की चर्चा का दायित्व अपने ऊपर किया है और तद्नुसार यह निधि प्रदान करता है। यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार को धन के व्यय के बारे में बताता है। आर्थिक योजना का यह मुख्य लक्ष्य उच्च आर्थिक वृद्धि दर सुनिचित करना है। वृद्धि क्या है, इसके बारे में हम पिछले तीन दिनों से चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मुझे विदित है, इसका अर्थ वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि

है। हम प्रति व्यक्ति आय के हिस्से को समान रूप से कैसे बांट कसते हैं, इसके लिए भी काफी लंबे समय की आवश्यकता है।

इस विधेयक के माध्यम से प्रो. यादव जिस मुख्य मुद्दे को इस सभा के समक्ष लाए हैं, वह है क्षेत्रीय असंतुलन हो कतसा है। क्षेत्रीय असंतुलन प्राकृतिक संसाधनों के असमान बंटवारे के कारण हो या कुछ क्षेत्रों के प्रति मानव निर्मित उपेक्षा का भाव और निवेश एवं अवसंरचना सुविधाओं हेतु अर्थ के प्रति प्राथमिकता के कारण हुआ हो।

पिछले 250 वर्षों के दौरान वर्ष 1757 या 1763 के बाद मुगल शासन का पतन होने के बाद हम कह कसते हैं कि इन सब में वृद्धि हुई है। असंतुलन बढ़ गया था। उस समय लोग पूरे देश का भ्रमण नहीं करते थे जैसा कि हम अभी करते हैं, अथवा जैसा हम पिछले 250 वर्षों से कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन बहुत बढ़ गया था। उनके वाणिज्यिक व्यवसाय हेतु महानगर या शहर बसाये गये थे। मैं कहना चाहता हूं और आप मुझसे सहमत होंगे कि इस देश में एक समय था जब पूर्वी भारत-बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा और बहुत हद तक वर्तमान बांग्ला देश और असम इस महाद्वीप में चावल का कटोरा माने जाते थे। पूर्वी भारत पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराता था। इस महाद्वीप का पश्चिम भाग अनेका कारणों से बर्बाद हो गया था। देश के पश्चिमी भाग में पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करना बहुत ही कठिन था। लेकिन उस अवधि के दौरान पूरी भूमि वर्षा सिंचित थी। लेकिन देश के पूर्वी भाग में कई अच्छी किश्मों के धान, गुणवत्त युक्त चावल उपजाया जा रहा था और उनका निर्यात किया जा रहा था। इतिहास गवाह है कि दक्षिण पूर्व एशिया को भी इसी उप-महाद्वीप का "चावल का कटोरा" वाला क्षेत्र भोजन उपलब्ध करा रहा था और नियोजित अर्थव्यवस्था के बाद क्या हुआ? और सिंचाई की व्यवस्था शुरू की गई। इसे देश के पश्चिमी भाग में स्थानान्तरित कर दिया गया। आज श्री अधीर चौधरी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे थे। द्वितीय हरित क्रांति के लिए वर्तमान सरकार ने बहत देरी से 400 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। प्रो. रंजन प्रसाद यादव ने बताया कि आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए हर वर्ष उन्हें हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्हें गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता चाहिए। वे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनके भाई और बहन आत्म सम्मान के साथ अपनी रोजी-रोटी कमा सकें इसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता है। वे धन इसलिए चाहते हैं कि इसका निवेश किया जा सके। मुझे नब्बे के दशक की याद है, इस सदन में कालाआंडी से एक युवा सदस्य निर्वाचित होकर आये थे वे गैर-कांग्रेसी थे। यद्यपि आज वे कांग्रेस के सदस्य हैं। वह जोर-जहारे से बोलकर लड़ रहे थे और तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि उन्होंने कालाहांडी की अनदेखी की है, उन्होंने कोरापूट की अनदेखी की है और उन्होंने बोलंगीर की अनदेखी की है। यह 1966 की बात है जब श्रीमती इंदिरा गांधी कालाहांडी गयी थी और उन्होंने वहां जाकर स्वयं सूखा पीड़ितों की दुर्दशा देखी थी।

1986 में पुनः तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने श्रीमती सोनिया गांधी के साथ कालाहांडी का दौरा किया था। वहां पर कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ था। यह श्री भक्त चरण दास के विचार थे जो उन्होंने श्री पी.वी. नरसिंहराव के समझ नब्बे के दश में रखे थे। हमें विशेष पैकेज की आवश्यकता है; हमारे लिए विशेष ध्यान दिया जाये। जब तक केन्द्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तब तक उड़ीसा राज्य इतनी अधिक निधि प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। यह आवश्यक है। विशेष पैकेज दिया गया और वह नही जिसके लिए प्रो. रंजन प्रसाद यादव कह रहे थे। यह बमुश्किल 450 करोड़ था और वह भी टुकड़ों में सात वर्षों में दिया। यह अनुच्छेद 275 का प्रावधान है। अनुच्छेद 275 कहता है कि अनुदान हर वर्ष के लिए हैं जिसका मतलब है सभी 5 अथवा किसी एक वर्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राशि समान हो, अर्थात वे इसे राज्यों में अलग-अलग दे सकते हैं। वित्त आयोग द्वारा सिफारिश पर विचार करने के सिवाय खंड के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ऐसी धनराशि प्रदान की गई।

सभापति महोदयः क्या आप और बोलना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताबः मैं कुछ और समय लूंगा।

सभापति महोदयः आपको पहले ही 18 मिनट का समय दिया जा चुका है।

श्री भर्तृहरि महताबः मैं पांच से दस मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा।

क्या होता है? कालाहांडी कोरापुट और बोलंगीर जिलों के मामले में हमारे पास यह एक अनुभव है। मैं केवल अपनी आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि अन्य जो केन्द्र से निधि की मांग कर रहे हैं उनके लिए यह अनुभव नहीं दोहराया जाए। श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा बताया गया है कि एक कमजोर व्यक्ति जिसका लीवर कमजोर है-उनके द्वारा प्रयोग किये हुए शब्द हैं-यदि आप उसको एक गिलास दूध देंगे तो, वह खराब पाचन क्रिया के कारण मर जाएगा। इसीलिए आप पहले उसे आधा कप दूध दे सकते हैं, सात दिन बाद, एक कम दूध, तब आधा गिलास दूध और तदुपरांत तीन महा या आठ महा के बाद आप उसे एक गिलास दूध दें ताकि उसका शरीर लिए हुए आहार को स्वीकार कर सके। यही हमने केवीके जिलें के मामले में किया जो उस समय आठ जिलों में बट चुके हैं। ये श्री बीजू बाबू ही थे जो उन्होंने किया।

सभापति महोदय: कुछ वर्ष पहले केबीके जिलों के लिए एक विशेष योजना प्रस्तुत की गयी थी।

श्री भर्तृहरि महताब: जी हां, महोदय। मैंने भी यही उल्लेख किया है। चूंकि पैसा चरण-वार आ रहा था ताकि धनराशि लेने, इसे कार्यान्वित करने और इससे लाभ उठाने के संबंध में लोगों का अनुकूलन और समावेशन किया जा सके। लेकिन, यह हमारा दुर्भाग्य था कि वर्ष 2006-2007 में सरकार ने अचानक परियोजना बंद कर दी।

हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक व्यग्र होकर प्रधानमंत्री जी को लिखा और उनसे मुलाकात भी की। अब उस क्षेत्र में योजना की धनराशि खर्च भी जा रही है, और यह समय उन्हें और अधिक धन देने का है ताकि वे इससे लाभान्वित हो सके, अपनी जीविका कमा सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। यह समय उस क्षेत्र को छोड़कर जाने का नहीं है। काफी अनुनय के बाद हमारी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के बल पर 'बीजू केबीके योजनाएं शुरू की। विभिन्न क्षेत्रों से कुछ धनराशि जुटाई गयी और कुछ धनराशि केन्द्र सरकार से भी आई, लेकिन अब भी उस क्षेत्र से 4500 करोड़ रुपये की मांग भी की जा रही है।

इसी तरह, मैं कहना चाहता हूं कि 90,000 करोड़ रुपये का एक मुश्त अनुदान मांगा गया है वे कैसे इतनी अधिक धनराशि का निवेश करने जा रहे हैं? इसे बीच में ही लड़खड़ाना है। मैं समझ सकता हूं, यदि उन्होंने प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपये की मांग की है तो यह स्वाभाविक है। लेकिन मैं 90,000 करोड़ को एकमुश्त अनुदान को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था जैसाकि विधेयक में उल्लेख किया गया है।

हमें यह याद रखना चाहिए कि संघवाद केवल एकता बनाए रखने का तत्व नहीं है, अपितु बल्कि यह सभी को समान शक्तियां भी प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों अत्यधिक आर्थिक असमानताएं मौजू हैं और इन असमानताओं में कमी लाने के लिए संसाधनों के केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण के पक्ष में तर्क दिया जाता है। अनेक प्रस्तावक राज्य अधिक वित्तीय स्वायत्ता के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य, जहां लोगों का जीवन-स्तर पहले से ही निम्न है, वैसे राज्य इसे ध्यान में रखकर, ज्यादा कराधान शक्तियों का क्या करेंगे।

प्रो. यादव जी का संविधान (संशोधन) विधेयक मूलत: विशेष पैकेज प्रदान करने के संबंध में लाया गया हैं संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत इसे केवल अनुदान के रूप में ही किया जा सकता है।

जब मैं इस विधेयक को पढ़ रहा था, तब सर्वप्रथम मैं थोड़ा ईर्ष्यालु हुआ था-क्योंकि 21वीं सदी में उड़ीसा में अभी भी गरीबी में है, लेकिन जब मैंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, विशेषक उत्तर-प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्यों को बोलते हुए सुना, तब मैंने सोचा कि यह उचित होगा कि मैं अभी उड़ीसा के बारे में न बोलूं और हमारे पार्टी के एक सदस्य इस संबंध में विधेयक लाएंगे, ताकि हम लोग इस पर चर्चा कर सके।

लेकिन मुझे खुशी होगी यदि प्रो. यादव जी द्वारा इस विधेयक के माध्यम से उठाए गई चिन्ताओं पर सरकार जवाब दें। यही समय है जब बिहार पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बिहार भारतीय सभ्यता का 'मंथन मंच' है। इसने महावीर को बनाया, इसने बुद्ध को बनाया, इसने जय प्रकाश को बनाया, इसने लालू यादव को भी बनाया, इसने रंजन यादव को बनाया, इसने नीतीश कुमार को बनाया और इसने भारत रत्न राजेन्द्र प्रसाद जैसे अनेक लोगों को बनाया।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): धन्यवाद सभापति महोदय आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

सर्व प्रथम मैं, स्वयं को माननीय सदस्य, प्रो. रंजन प्रसाद यादव के विचारों से संबद्ध करता हूं जिन्होंने बिहार राज्य के लिए एकमुश्त राजसहायता मांगने हेतु गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक पेश किया।

बिहार के पिछड़ेपन को भौगेलिक इस क्षेत्र की ऐतिहासिक अनदेखी, जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों आदि से जोड़ा जा सकता है। बिहार की भूमि सदाबहार नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है, लेकिन जहां सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बिहार में अग्रणी राज्यों की तरह विकास करने की अपार संभावनाएं हैं शर्ते कि केन्द्र सरकार राज्य को आवश्यक वित्तीय सहायता और समर्थन दें।

यदि केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे तो इससे कर लाभों सहित साथ व्यावसायों को अनेक प्रोत्साहन मिलेंगे जिससे यह राज्य उच्चतर विकास के पथ पर अग्रसर होगा। बिहार में गरीबी की बेडियों को कौन तोड़ेगा? केन्द्र सरकार बिहार के अल्प विकसित होने पर चिंतित प्रतीत नहीं होता है। गैर-कांग्रेसी राज्यों के प्रति केन्द्र को सौतेला व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए।

अब मैं सामान्य मुद्दों पर आता हूं। राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करके संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन

करने की जरूरत है। केन्द्र सरकार संयुक्त कर राजस्व का लगभग 65 प्रतिशत संग्रहण करती है जबकि राज्यों को केवल 35 प्रतिशत कर राजस्व की छूट देती है। लेकिन राज्यों को संयुक्त व्यय में से 65 प्रतिशत व्यय का वहन करना पड़ता है। मैं इसे सीधे तौर पर असमानता ही कहूंगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे विचारों से सहमत होंगे और माननीय वित्त राज्य मंत्री इसे स्वीकार करेंगे। भारत के संविधान में राज्यों को कतिपय जिम्मेदारियां दी गयी हैं जिनका लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतदाताओं के प्रति जबाबदेह राज्य सरकार को राजस्व जुटाने और व्यय पद्धति की योजना बनाने में लचीलेपन की आवश्यकता है। महोदय, जैसा कि हम सभी को पता है कि केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के कारण दो बातें होती हैं, सीधे तौर पर असंतुलन, जिसका कि मैंने अभी उल्लेख किया है और यह संघ के पक्ष में है इसके फलस्वरूप राज्यों में राजस्व का भारी अंतर हो जाता है। इस अंतर का उपयोग करके केन्द्र राज्यों को सशर्त सहायतानुदान प्रदान करता है। यह आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को परियोजनाओं की प्रकृति के साथ-साथ लक्ष्यों का निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जाती। राज्यों को वही लागू करना पड़ता है जैसा केन्द्र द्वारा कहा जाता है। यह मेरे लिए वित्तीय दासता के अलावा और कुछ नहीं है।

केन्द्र अब राज्यों की वित्तीय और राजनीतिक दोनों शक्तियों को लगातार कम कर रहा है और राज्यों को केन्द्र पर निर्भर करने वे प्रयास कर रहा है। जब राज्यों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है एवं उन्हें शासन की कला आती है तो बेहतर शासन सुनिश्चित करने के नाम पर केन्द्र योजनाबद्ध ढंग से राज्यों की शक्तियां कम कर रहा है। यह संघीय शासन की मूल भावना के विरुद्ध है। तमिलनाडु राज्य का मामला लें। वर्ष 2006-07 के 4,545 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष के मुकाबले वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा 3,100 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 13,506.85 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस स्थिति में उबरने के लिए हमारी नेता, तमिलनाडु की माननीया मुख्यमंत्री ने दिनांक 145.06.2011 को माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को उबारने के पैकेज के लिए 40.000 करोड़ रुपए कर्ज राहत के लिए 10,000 करोड़ रुपए शहरी आधारभूत संरचना में सुधार लाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए और छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए 10.200 करोड़ रुपए सहित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 1,82,402.18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री या माननीय वित्त मंत्री से कोई उत्तर नहीं मिला। मैं इसका क्या अर्थ समझू? क्या यह तमिलनाडु के विकास की अपेक्षाओं के प्रति की गई सोची समझी उपेक्षा है।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय पूल से 1000 मेगावाट विद्युत के लिए अनुरोध किया है ताकि एक वर्ष की अवधि हेतु विद्युत संकट से निपटा जा सके। हमारी नेता ने किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आबंटित करने हेतु केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त कैरोसिन के कोटे की स्थिति की पुनर्बहाली एवं कोटे में वृद्धि करने के लिए भी निवेदन किया है। गरीबों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, हमारी आदरणीय नेता ने अन्य मांगों के साथ ये मांगें रखी हैं।

सं.प्र.ग. सरकार ने 'आम आदमी' का नारा तो दिया लेकिन तमिलनाडु में अभी तक वह 'आम आदमी' के लिए कुछ नहीं कर पाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उठाए गए इन सभी मुद्दों पर विचार करें तथा उनकी मांग के अनुसार वित्तीय सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं।

मुझे विश्वास है कि केन्द्र तमिलनाडु की जनता की तरफ बगैर किसी भेदभाव के उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदयः ठीक है, बोलिए।

श्री विश्व मोहन कुमारः महोदय, प्रोफेसर रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। हमारे जो साथी अन्य राज्यों से आए हैं और जिन्होंने बिहार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इसकी बेहतरी के लिए बातें उठाई हैं, उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं। में उनको तहेदिल से धन्यवाद देता हूं।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं बिहार पहले उड़ीसा से अलग हुआ, फिर बंगाल से अलग हुआ और हमारी बदकिस्मती है कि वर्ष 2000 में झारखंड से अलग हुआ। हमारे जितनी भी एसेट्स, मिनरल्स एवं कल-कारखाने थे, वे सब झारखंड में चले गए, बिहार के पास मात्र खेती-योग्य जमीन बची। नॉर्थ बिहार में कोसी नदी के बारे

में सभी ने जिक्र किया हैं आप जानते हैं कि कोसी नदी मेरे ही क्षेत्र से होकर गुजरती है और जो बर्बादियां होती हैं, मेरे ही क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी गयी थीं और वहां पर उन्होंने कहा था कि यह प्रलंयकारी बाढ़ आई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः विश्व मोहन जी, थोड़ा सा रूक जाइए। आप कंटीन्यू करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर चर्चा के लिए आबंटित समय पूरा हो चुका है। मेरे पास पांच सदस्यों के और नाम हैं जिन्हें इस विधेयक पर बोलना है। यदि सदन सहमत हो तो विचार-विमर्श हेतु समय को एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्यः जी हां।

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमारः महोदय, नीतीश जी ने उस समय 14,880 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी, लेकिन वह हमें नहीं मिली। उस बाढ़ में इतनी बर्बादी हुई कि 34 लाख लोग परेशानी में पड़े थे, बहुत से मवेशी बह गए, हमें जान-माल की भारी क्षति हुई थी। उस समय भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। कोसी की बर्बादी के बारे में आप जानते हैं कि कोसी की जो विभीषिका आती है, कोसी नदी का जो नेचर है, 200 साल पहले यह नदी पूर्णिमा और अररिया साइड में बहती थी, वहां से आते-आते आज यह हमारे पश्चिमी बेल्ट में आ गयी है। वहां हम लोगों ने वर्ष 1953 से लेकर 1956 तक बांध बनाया था, उसके बीच नदी बह रही है। नेपाल से जो नदी आती है, खासकर यह कोसी नदी, इसके बारे में सभी को जानकारी है, इसकी मिट्टी के बारे में जानकारी है, इसके नेचर के बारे में जानकारी है कि यह कभी इधर घाट काटती है और कभी उधर गांव काटती है। नदी के बीच में हमारे बहुत से गांव हैं, बाढ़ के समय यह देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा गांव समाप्त विलीन हो गया है, गांव कहां विलीन हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। इसलिए हमें अगर केन्द्र से स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, अगर यहां से सहायता से नहीं मिलेगी, हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं है, वहां कल-कारखाने नहीं हैं कृषि-योग्य जमीन है, लेकिन उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है और दक्षिणी बिहारी में सुखाड़ आता है, जिसके चलते उपज कम होती जा रही है।

इस तरह बाढ़ आने से हमारे यहां रोड्स, पुलिया वगैरह सबकी तबाही होती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में डगमारा में एक हाइडल पावर परियोजना स्वीकृत हुई थी और वह बनने वाली थी, लेकिन नेपाल ने यह कहकर उसमें अड़ंगा लगा दिया कि इससे हमारे बहुत से गांव उजड़ जाएंगे, जबकि कोसी बैराज वहां से दस किलोमीटर पर ही है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराए। पहले पायलट प्रोजेक्ट बनाने की योजना थी, लेकिन नेपाल सरकार ने उसमें भी मदद नही की और जितने भी हमारे इंजीनियर्स और मजदूर वहां गए थे, उन्हें मार-मार कर भगा दिया।

किसी भी राज्य का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक वहां रोड, पुलिया बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था न हो। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बिहार से बहुत सी लेबर पंजाब और हरियाणा में काम करने जाती हैं मैं बताना चाहता हूं कि जब 2005 में नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार ने वहां विकास के काफी काम किए, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में बिहार की लेबर जाने में कमी आ गई है, क्योंकि जब लोगों को वहीं काम मिलेगा तो वे बाहर क्यों जाएंगे। बाढ़ के कारण और सूखे के कारण हमारी कृषि उपज में भी कमी आई है। हमारे राज्य में बहुत सी मैन पावर है, जो बाहर जाती हैं उसके अलावा हमारे बिहार राज्य से कई अधिकारी भी अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं इस तरह से देखा जाए तो हमारे यहां काम करने वालों की कमी नहीं है, जरूरत है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की और मजबूत करने की।

सभापति महोदयः अगर बिहार की लेबर पंजाब-हरियाणा में नहीं जाएगी तो वहां काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही लोग वहां का अधिकांश कृषि कार्य सम्भाल रहे हैं।

श्री विश्व मोहन कुमारः वह तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे राज्य में काम मिलेगा तो फिर लोग बाहर क्यों जाएंगे इसलिए बिहार में केन्द्र सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रांतीय सरकार की मदद करनी चाहिए। हमारे राज्य की आबादी करीब दस करोड़ हैं। जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना तो हमारे यहां के अधिकांश उद्योग वहां चले गए, जबकि झारखंड राज्य की आबादी हमसे काफी कम है। झारखंड में खनिज सम्पदा की भरमार है। अगर बिहार में भी ऐसा हो जाए तो इस राज्य का नक्शा बदल सकता है। वहां भी अगर उद्योग लगें तो लोगों को रोजगार मिलेगा।

किसी भी राज्य की रीढ़ कानून और व्यवस्था होती है। जब नीतीश जी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने इस पर खास ध्यान दिया और अब आप देखें कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी सुधर गई हैं नीतीश जी जो काम कर रहे हैं उसका अनुकरण केन्द्र भी कर रहा है और दूसरे कई राज्य भी कर रहे हैं नीतीश जी ने बिहार में साइकल योजना लागू की, जिसका अनुकरण कई राज्य कर रहे हैं मैं केन्द्र सरकार से और विशेष रूप से प्रधान

मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह आपने देश में कुछ राज्यों, जहां तक मेरी जानकारी है दस राज्य, को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, वैसे ही बिहार को भी दें, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब नीतीश जी मुख्य मंत्री बने 2005 में तो उस समय योजना आयोग ने बिहार राज्य के लिए जो पैकेज दिया था, वह करीब 4000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी हम 24,25,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं इसलिए अगर हमें यहां से सहायता नहीं मिलेगी तो हम अपने संसाधनों से इतनी बड़ी राशि का प्रबंध नहीं कर सकते। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए प्रो. रंजन यादव जी ने विधेयक यहां पेश किया है, उसे पारित किया जाए और हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल। माननीय सदस्य जब अपनी बात कहते हैं तो पहले तो वे बिहार के लिए बोलते हैं, लेकिन आखिर में अपने राज्य के लिए मांग करते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं बिहार के लिए भी कहूंगा और कुछ अपने राज्य के लिए कहूंगा। प्रो. रंजन यादव जी द्वारा सदन में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा जो यह मोशन मूव किया गया है और कांस्टीट्यूशनल की बात कर रहे हैं, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी बिहार में आंदोलन चला और करीब सवा करोड़ लोगों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राष्ट्रपति जी को सौंपा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके मायने यह है कि बिहार की दस करोड़ की आबादी में से सवा करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराना, वहां तक अप्रोच करना, कोई कागज लेकर जाना और उस पर साइन कराना अपने आप में बड़ी बात है। मेरे ख्याल से स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस ज्ञापन को देने के लिए आये थे और माननीय शरद यादव जी भी उसमें शामिल थे। हमने पेपर में पढ़ा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी यह आश्वासन दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को निर्देशित करेंगे।

वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उस समय भी आश्वासन दिया गया और जब कभी बिहार में चुनाव आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आती है। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि प्रो. रंजन जी जो बिल लाए हैं, मेरी जब इनसे चर्चा हो रही थी तो यह कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा, बार-बार आश्वासन इस हाउस में दिया गया और अब भी अगर बिहार राज्य को दर्जा नहीं मिलेगा तो न तो इस हाउस की कोई सेंक्टिअी रहेगी न राष्ट्रपति जी की कोई सेंक्टिरी रहेगी। अगर सेंक्टिटी रखनी है, इस हाउस और माननीय राष्ट्रपति जी की या और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं चाहे माननीय प्रधान मंत्री जी हों, नहीं तो दूसरे जो लोकतंत्र के दूसरे अंग हैं वे हमें जीने नहीं देंगे। माननीय अंडमान-निकोबार के यह सांसद कह रहे हैं अन्ना हजारे भी पेदा होंगे।

सभापति महोदयः ये अन्ना हजारे नहीं बोल रहे हैं ये अंडमान-निकोबार बोल रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवालः जी, दूसरे अंग पैदा होंगे क्योंकि इतने आश्वासन देने के बाद, इतने बड़े-बड़े लोगों के कहने के बाद होता नही तो इसका मतलब यहां कोई गड़बड़ है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है? माननीय मेहताब जी चले गये वे बात कर रहे थे।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): विशेष दर्जे वाले राज्यों पर अगले शुक्रवार को चर्चा हो सकती है। बिहार को राज्यों की स्कीम के तहत 30 प्रतिशत की बजाय 90 प्रतिशत अनुदान लेने हेतु विशेष दर्जे दिए जाने की मांग राष्ट्रीय विभाग परिषद द्वारा नियत मानदंडों को पूरा नहीं करती। अब बिहार के मुख्य मंत्री के इस बारे में पुनः अनुरोध की योजना आयोग पुनः जांच कर रहा है।

सभापति महोदयः हम चर्चा सायं 6 बजे तक जारी रखेंगे। उत्तर बाद में दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवालः ये कह रहे हैं कुछ शुरू किया है। उसके लिए माननीय मंत्री जी धन्यवाद। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार बिहार राज्य को अभी विशेष दर्जा नहीं मिला हे।

सभापति महोदयः रंजन जी को अब खुश हो जाना चाहिए।

[अनुवाद]

कुछ ठोस कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवालः जब अंग्रेज यहां आये और कोलकाता में उनका हैडक्वार्टर था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो एरिया था, उसकी दीवानगी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी और अंत में प्लासी की लड़ाई में जीते और

उन्होंने इन तीन राज्यों की दीवानी प्राप्त की और उसकी बहुत खुशी मनाई। कारण क्या था? यह एरिया इतना खुशहाल था और कृषि उपज में संपन्न था, मिनरल के भंडार में संपन्न था कि अंग्रेजों को लगा कि अब हम हिंदुस्तान पर भी शासन कर सकते हैं और इन्होंने बहुत ग्रांड पार्टी इंगलैंड में दी कि हमने तीन राज्यों की दीवानगी प्राप्त कर ली। वे राज्य आज किस हालत में हैं, कहीं न कहीं अपनी नीतियों की खामियां हैं। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है जबकि संविधान यह कहता है कि हम रीजनल असंतुलन दूर करेंगे जबकि आजादी के बाद क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। अमीर और गरीब की खाई भी ज्यादा बढ़ी है, शहर और गांव की खाई भी बढ़ी है। यह जो विषय प्रो. साहब लाये हैं, वे भी इसीलिए लाए हैं। मैं भी राजस्थान से आता हूं।

अभी जो जनसंख्या सें आंकड़े आए हैं, वह चौंकाने वाले हैं। 34 प्रतिशत की दर से दस साल में लोग शहरों की ओर पलयान कर गए हैं। हमारे राजस्थान को अरावली पर्वत दो भागों में बांटता है। अरावली हिल्स के इधर वाले एरिया में बरसात होती है। प्रगीकल्चरल रिच एरिया है और अरावली हिल्स के नार्थ-वेस्ट में इतनी बरसात नहीं होती हैं उसको रेगिस्तान कहते हैं। थार का रेगिस्तान यहां तक है। भारत में थार का रेगिस्तान इस भाग से ही प्रवेश करता है और यह शुरू ईरान से होता है। थार के रेगिस्तान की और साउथ-ईस्ट, जिसमें उदयपुर इत्यादि हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। प्रादेशिक असमानता दूर करने के लिए कोई न कोई योजना बनानी होगी अथवा नार्थ-ईस्ट की जो शेयरबेल स्कीम है, जिसें 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य देगा या कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिनमें सौ प्रतिशत केन्द्र का होता है, लागू की हुई हैं। इन्होंने जो 90 हजार करोड़ रुपए की मांग की है और फिर उसके प्रति वर्ष 30 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, उसमें इसी तरह की कुछ योजनाएं हैं, जिनमें इन्होंने कहा है कि बिहार की जो दस्तकारी है, उसके लिए कुछ योजना बनायी जाए। बिहार में आजीविका मिशन स्थापित करके हाथ में हुनर को और विकसित करके बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाए, इसलिए मैं इनकी डिमांड के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और बोल रहा हूं। बिहार अभी करवट ले रहा है। किसी भी राज्य में एमएलए लेड स्कीम समाप्त नहीं की गई है। भ्रष्टाचार कम हो रहा है। कई अन्य राज्यों में हो रहा होगा, क्योंकि प्रयास किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में भ्रष्टाचार कम हो रहा है। ऐसा मीडिया भी कह रहा है और स्टडी भी कह रही है। एमएलए लेड स्कीम समाप्त करना एक क्रांतिकारी कदम है। एमएलए नाराज भी हुए होंगे। अभी बिहार सरकार ने कहा है कि हम एमपी लेड स्कीम की मॉनीटरिंग नहीं कर सकते हैं, कोई एकाउंट नहीं रख सकते हैं। बिहार के एमपी भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार यदि कुछ फण्ड दे तो वे भी एमपी लेड स्कीम के माध्यम से कुछ और सहयोग इसमें कर सकते हैं। इनके एमपी भी तैयार है। नीतीश कुमार जी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। यदि उनको मान लिया जाता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद अच्छी स्थिति बनेगी। मगध के समय में अग्रणी राज्य माना जाता था। अभी जैसा बताया कि कई बड़े लीडर बिहार ने दिए, यहां तीन-चार बैठ हुए हैं। बिहार में लीडरशिप है, लेकिन नीतियों के कारण बिहार में जो असमानता बढ़ी है, इसेक लिए बिहार अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है।

महोदय, बिहार में रेल लाइनें ज्यादा हैं, इसलिए बिहार से संबंधित रेल मंत्री बनना चाहते हैं। पासवान जी, नीतीश जी और लालू जी रेल मंत्री बने। रेलवे लाइन के किनारे खाली जमीन पड़ी है। राजस्थान से भी यह विषय उठा था, मैंने प्लानिंग कमीशन में बायो डीजल की बात की। बायो डीजल के लिए जेटरोफा उगाने की बात कही जाती है। रेलवे लाइन के किनारे जो जमीन पड़ी है, उसमें जेटरोफा क्यों नहीं उगाते हैं। रेलवे की जो पाइप लाइन है, उससे जेटरोफा के लिए पानी दिया जा सकता है। हमारे राजस्थान की कंडीशन जेटरोफा के लिए इतनी स्यूटेबल नहीं है, लेकिन बिहार की भौगोलिक स्थिति जेटरोफा के लिए ठीक है। बाये डीजल पैदा हो जाएगा और खाली जमीन पर जो अतिक्रमण होता है, वह रुकेगा तथा रेलवे के कर्मचारी उसमें पानी देने के लिए लगा दिए जाएं, तो जो बायो डीजल पैदा होगा, वह रेलवे के काम आएगा। ये कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे। प्लानिंग कमीशन ने भी कहा कि इस बात में दम है। बिहार में कितनी ज्यशदा रेलवे लाइन बिछी हुई हैं और कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है जिसके किनारे कच्ची झोपड़ियां बनी हुई हैं। आप उसमें जेटरोफा उगाइए, पानी वहां उपलब्ध है और जलवायु भी उपलब्ध है और जो बॉयोडीजल पैदा होगा, वह रेलवे के काम आएगा। रेलवे इसके वज में बिहार को जो पैसा देगा, वह बिहार के विकास में लगेगा। मेरे कुछ ऐसे सुझाव इस संबंध में हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ-साथ बिहार को विकसित करने में अपना सहयोग देंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): सभापति महोदय, आज प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा जो विषय रखा गया है, महत्वपूर्ण विषय है और इस पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि पूरे देश में बिहार की स्थिति बहुत खराब है और जिस जगह का मैं रहने वाला हूं, वहां की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार कभी बाढ़ से जूझता है तो कभी सूखे से जूझता है और विकास के मामले में तो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता है। सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश हमेशा देश के मानचित्र में पिछड़े

हुए के नाम से जाने जाते हैं चूंकि वहां का विकास वास्तव में नहीं हुआ। क्या कारण रहा, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं।

देश की आजादी में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वहां के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बलि दी। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और वहां महान पुरुष पैदा हुए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जहां मैं रहता हूं, जो रानी लक्ष्मीबाई और ढेर सारे देशभक्तों की रणभूमि रहा, लेकिन दुख इस बात का है कि न वहां सिंचाई की व्यवस्था है और न ही नौजवानों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो पा रही है। बिजली के विषय में जो चर्चा यहां हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं है। यदि कहीं बिजली है, यदि कहीं खम्भे लगे हैं तो उनमें तार नहीं हैं। कहीं तार हैं तो ट्रांसफॉर्मर नहीं है और कहीं ट्रांसफॉर्मर भी है तो बिजली नहीं आती। यह बड़ा गंभीर विषय है। उसी तरह से सड़क के मामले को ले लीजिए। पूरे देश में आप गाड़ी से घूमिए। कहीं और दचके नहीं लगेंगे लेकिन जैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे तो अपने आप नींद खुल जाएगी कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश में आ गये हैं क्योंकि सड़के नाममात्र के लिए हैं वहां सड़कें तो हैं लेकिन उनमें बड़े-बड़े गड्ढ़े हैं। इसी तरह से झारखंड की स्थिति भी गंभीर है। हम आपके माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं चाहे रामाबाई नगर हो, चाहे इटावा हो चाहे औरैया हो, जो बॉर्डर के जिले बुंदेलखंड के हैं, वहां नाममात्र के लिए भी विकास नहीं हुआ है।

वहां स्थिति बहुत गंभीर है। लोग गरीबी से मर रहे हैं, भूख से तड़पकर मर रहे हैं, बड़े नगरों में मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। वे जहां जाते हैं अपमानित होते हैं मुंबई में जाते हैं तो वहां के लोग मारपीट करते हैं। अन्य प्रदेशों में जाकर अपमानित महसूस करते हैं, उनके बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है। मेरा निवेदन है कि उनके बच्चों की कम से कम पढ़ाई की व्यवस्था कर दीजिए, दवाई की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा रोग हमारे यहां हैं बिहार और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं आप दवाओं, पढ़ाई और खेतों में पानी की व्यवस्था कर दीजिए। पूरे देश में जमीन का हल्ला मचा, आप हमारे यहां आइए, यहां बीहड़ अनुपयोगी जमीन पड़ी है। आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाए तो यहां उद्योग लगवा दीजिए। बड़े उद्योग लगवा देंगे तो यहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलने से निश्चित तौर पर कुछ तो गरीबी कम होगी। आप कुछ को रोगार दे दीजिए और कुछ को रिक्त सरकारी पदों पर नौकरी दे दीजिए। अगर नौकरी न दे पाएं तो थोड़ा बेरोजगारी भत्ता आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दे दीजिए। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी प्लानिंग बना दीजिए ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लगे जनपदों को विशेष जोन के तहत मदद मिल सके।

सभापति महोदय, हम देखते हैं कि देश में एक तरफ तो सब सुविधाएं हैं दिल्ली में सड़कें बनाने की गजह नहीं है, जमीन के अंदर रेलवे लाइन बिछाई गई है जबकि हमारे यहां सड़के और रेलवे लाइनें नहीं हैं। आप यहां रेलवे लाइन बिछवा दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लगातार चार साल से उत्तर प्रदेश में बजट नहीं गया। राजीव गांधी बिजली परियोजना में गांव में बहुत दूर एक खंबा लगा देते हैं और कहते हैं कि काम पूरा कर दिया। कृपया ऐसा न करें, बिजली दें तो पूरे गांव में दें। एक बल्ब या खंबा से काम नहीं बनेगा, विकास नहीं होगा, विकास तो तब होगा जब किम से कम घर तक बिजली पहुंचेगी। आप वहां एसी नहीं चलवा सकते तो पंखा ही चलवा दें। बिहार और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन क्या करें? रोज अखबारों में आता है कि विदेशों में इतना कालाधन जमा है, आप इसी को वापिस मंगा कर उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी संपत्ति का पता ही नहीं है कि कितनी इकट्ठी हो गई है। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं सरकार ने परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। ये बड़े आदमी कैसे बने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़ी बिजली परियोजनाएं बना दी गई, जहां बनाई गयी हैं वहां भी खेल है। जैसे कॉमन वैल्थ खेल में खेल हुआ, यह गंभीर विषय है। जब आप यहां से योजनाएं भेजते हैं तो कुछ यहां से बंदरबाट हो जाता है और जो उत्तर प्रदेश में जाता है वहां आधा-आधा हो जाता है। यह बहुत गंभीर विषय है, ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। बुंदेलखंड को पैकेज दिया गया, लोगों ने चर्चा की कि बुंदेलखंड को बहुत पैकेज दिया गया। लेकिन सब कुछ कागजों पर दिया गया, फील्ड पर कुछ नहीं हुआ।

सभापति महोदयः अनुरागी जी, छः बजे इस बहस को समाप्त करना है, यह आगे जारी रहेगी। आप गागर में सागर भरिए।

श्री घनश्याम अनुरागीः महोदय, बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया गया, केवल कागजों में आंकड़े दिए गए। क्या बकरी पालने से वहां के लोगों की आर्थिक स्थित सुधर जाएगी। बीमार बकरियां लेकर गए, छः लेकर गए और बुंदेलखंड में एक हफ्ते में मर गईं। क्या बीमार बकरियों से आर्थिक स्थिति सुधरेगी?

सायं 6.00 बजे

आप खेत में पानी की व्यवस्था करिये, सिंचाई की व्यवस्था करिये, बिजली की व्यवस्था करिये और कह दीजिए कि वहां के हर व्यक्ति के लिए पढ़ाई मुफ्त करेंगे, दवाई फ्री करेंगे, सड़कें बनवायेंगे। आपको ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। यदि बांधनी थी तो भैंस बांधते, बकरी दे रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। हम इसका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश का विकास हो और मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केवल वहीं का विकास न हो, जिस राज्य में आपकी सरकार हो, बल्कि उन राज्यों का भी विकास हो, जहां आपकी सरकार नहीं है। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः श्री दारा सिंह चौहान जी, आप बोलिये।

श्री द्वारा सिंह चौहान (घोसी): क्या मैं जीरो ऑवर पर बोलूं?

सभापति महोदयः नहीं, आप इस पर शुरू कर दीजिए, आपका भाषण अगले दिन जारी रहेगा। आप केवल आसन को एड्रैस कीजिए। उसके बाद जीरो ऑवर लेंगे। आपको जीरो ऑवर में भी समय देंगे। लेकिन अभी आप इसी पर शुरू कर दीजिए।

श्री दारा सिंह चौहानः सभापति महोदय, आज प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी ने बिहार के लिए जो पैकेज की बात उठाई है, निश्चित रूप से बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है।

सभापति महोदयः आपका भाषण अगली बार जारी रहेगा। अब हम जीरो ऑवर लेते हैं।

सायं 6.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। केवल पूरे देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लगभग 25 करोड़ जो आवाम है, जनता है, वह भोजपुरी भाषा बोलती है। भोजपुरी भाषा खासकर बिहार से लेकर पूरे पूर्वांचल तक, देश के हर कोने में तथा विदेशों में भी बोली जाती है। यह भाषा उनकी संस्कृति और सभ्यता भावनाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन आज भोजपुरी भाषा बेजुबान बनकर रह गई है। वर्षों से मैं देख रहा हूं, मेरा लोक सभा में यह तीसरा टर्म है। पिछली लोक सभा में श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने यह सवाल उठाया था, तब माननीय मंत्री जी की तरफ से यह जवाब भी आया था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किया जायेगा और जो भी सुविधाएं अन्य भाषाओं को दी जाती हैं, वे सुविधाएं भी दी जायेंगी। परंतु यह दुर्भाग्य है कि पिछली लोक सभा से लेकर अब तक मेरे ख्याल से नियम 377 के अधीन मामलों में, जीरो ऑवर तथा अन्य अवरों पर भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवाज उठी है। आज आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, प्रमुखता से इसके बारे में छपा है। खासकर आपने दिल्ली में देखा होगा कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। इसके बारे में टीवी में भी आया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह 25 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई भाषा है। आज इसके चैनल शुरू हो गये हैं, इसके गीत, संगीत और पिक्चर्स बनने लगी हैं।

सभापति महोदयः वह महुआ चैनल है। आजकल भी शत्रुघ्न सिन्हा जी 'कौन बनेगा करोड़पति' भोजपुरी में कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमारः जी हां, यह भोजपुरी में आ रहा है, उसे भी शत्रुघ्न सिन्हा जी पेश कर रहे हैं। सभापति जी, आपने पीठ से भी इंगित किया है और एक तरीके से आपने इस पर बल दिया है। मैं आपका आभारी हूं, आप भी वहीं से आते हैं। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, वह इस पर कोई आश्वासन दें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): हम भोजपुरी भाषा का बहुत सम्मान करते हैं और करोड़ों-करोड़ों भारतवासी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके बोलने वाले बहुत लोग हैं। इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है। मैं माननीय सदस्य की भावना और सदन की भावना को गृह मंत्री के सामने प्रस्तुत कर दूंगा।

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा डॉ. राजन सुशांत अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तराखंड के टिहरी बांध की ओर आकर्षित करना

चाहता हूं। पर्वत, वादियों के बीच टिहरी बांध से एक हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। विश्व भर के प्रसिद्ध बांधों पर वाहनों आवागमन हो रहा है, परंतु टिहरी बांध पर वाहनों का आवागमन आज तक प्रतिबंधित है।

आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के टिहरी बांध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पर्वतीय वादियों के बीच टिहरी बांध से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। विश्वभर के प्रसिद्ध बांधों पर वाहनों का आवागमन हो रहा है। परन्तु टिहरी बांध पर वाहनों का आवागमन आज तक प्रतिबंधित है।

टिहरी बांध पर वाहनों के आवागमन से लगभग 14 किलोमीटर का रास्ता भगीरथीपुरम से भैंतोगी खाला, टिपरी तक कम हो जाएगा। वर्तमान में जो रास्ता प्रचलन में है, वहां जीरों प्वाईंट क्षेत्र के डैम साईड पर सड़क धंस रही है। बरसात में वहां पहले से ही काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा आज भी दुर्घटना का भय बना रहता है। यह एक मुख्य मार्ग है जो घनसाली होते हुए श्री केदारनाथ धाम को तथा श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ को जाता है। यह मार्ग बार्डर एरिया को टच करता है। प्रशासन कहता है कि सुरक्षा के कारण इस मार्ग पर यातायात आवागमन बंद कर रखा हैं परन्तु प्रचलित रास्ते पर अवरोध आने से इस मार्ग को यातायात के लिए खोला जाता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार फाइव स्टार होटल तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों में गाड़ियों का प्रवेश सघन सुरक्षा जांच के किया जाता है, उसी प्रकार टिहरी बांध पर भी सघन सुरक्षा जांच करने के पश्चात स्थानीय वाहनों के आवागमन के लिए खोल देना चाहिए। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी साथ ही साथ ईंधन का खर्चा भी कम होगा तथा लोग सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे।

श्री अशोक अर्गल (भिंड): माननीय सभापति महोदय, मेरा विषय एटीएम मशीनों के लगाने से संबंधित है। मैं भिंड संसदीय क्षेत्र से आता हूं। जिसमें दतिया भी आता है जो कि चम्बल संभाग का क्षेत्र है। मैंने प्राय: अपने संसदीय क्षेत्र में देखा है कि एटीएम मशीनों में इतनी भीड़ होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं।

सभापति महोदय: अर्गल जी, टीवी में रोज दिखा रहे हैं कि वहां एटीएम में फ्राड बहुत हो रहा है। एक बैंक के एटीएम से सवा करोड़ रुपये निकाल लिए गए हैं।

श्री अशोक अर्गल: उसके लिए सरकार को और व्यवस्थाएं करनी चाहिए। देश में कई बेरोजगार हैं, उनको एटीएम मशीनों पर रोजगार देना चाहिए। काफी सुधार किया जा सकता है। मैं यह चाहता हूं कि एटीएम मशीनों की जो भीड़ लगती है, वह दूर हो। मैंने यह भी देखा है कि बड़े-बड़े गांव और कस्बों में एटीएम नहीं है। गांवों में किसान रहता है, वह अन्नदाता होता है। अन्नदाता के क्षेत्र में कहीं भी मशीनें नहीं लगाई जाती हैं। बड़े-बड़े शहरों और प्रमुख जगहों पर एटीएम मशीनें लगाई जाती हैं। मैं केन्द्र की सरकार से यह चाहता हूं कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी एटीएम मशीनें लगाई जाएं। जो भीड़ लगती है, उसका सर्वे कराएं कि ये भीड़ क्यों लगती हैं, मशीनें क्यों खराब रहती हैं। यही मेरा विषय है, मैं चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाए।

डॉ. राजन सुशांत (कांगड़ा): सभापति जी, भारत देश को आज़ाद हुए 64 वर्ष हो गए हैं, लेकिन खेद है कि हिमाचल प्रदेश स्थित शानन पॉवर हाऊस आज भी गुलाम है। सन् 1922 में तत्कालीन मण्डी रियासत के राजा का ब्रिटिश सरकार के कर्नल बैटी के मध्यम समझौते के अंतर्गत सन् 1932 मेंयह पॉवर हॉऊस बन गया तथा सन् 1933 में लाहौर में तत्कालीन वायस्तराय ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया तथा मण्डी के राजा का भी देहांत हो गया। आजाद भारत में रजवाड़ाशाही भी समाप्त कर दी गई। इसलिए सन् 1922 के इस समझौते को अपने आप ही समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए था। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि इस पॉवर हाऊस का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश को आज तक भी नहीं दिया गया है। जबकि यह हिमाचल प्रदेश के जोगेन्द्रनगर में स्थित है। विचित्र बात यह है कि इसकी भूमि भी हिमाचल प्रदेश की है और पानी भी हिमाचल प्रदेश का है परन्तु स्वामित्व हिमाचल प्रदेश का नहीं है। इस अन्याय के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों में भारी आक्रोश है जो निरंतर बढ़ रहा है।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष के रेलवे बजट की हुई चर्चा पर बोलते हुए भी मैंने हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय की चर्चा की थी। इस पहाड़ी राज्य में सात नई रेलवे लाईनें बिछाने सहित शानन पॉवर हाऊस, भाखड़ा नंगल डैम, बीएसएल व पोग बांध से उत्पन्न बिजली पर स्वामित्व तथा एरियर के रूप में अरबों रुपयों की मांग भी की थी। हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न नदियों के जल पर हिमाचल प्रदेश का स्वामित्व एवं वन सम्पदा व वायु पर रॉयल्टी भी मांगी थी। प्रदेश के दो लाख से ज्यादा सेवारत, सेवानिवृत व शहीद परिवारों के लिए स्पेशल पैकेज भी मांगा थां यह अधिकार न मिलने पर निर्णायक आंदोलन व सत्याग्रह के बारे में चेतावनी भी दी थी। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग तीन वर्ष गुजरने के बाद भी इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता मजबूर होकर इस संघर्ष के प्रथम चरण में 15 अगस्त 2011 को शानन प्रोजेक्ट को आजाद करवाकर अपने हाथ में लेने तथा 11,000 करोड़ का बकाया लेने हेतु सांकेतिक धरना दे रही है। इसलिए भारत सरकार से प्रार्थना है कि तुरन्त इस पावर हाउस का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाये तथा अब तक के बकाया के रूप में अनुमानित राशि लगभग 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान भी इस पहाड़ राज्य को तुरन्त दे दिया जाये। जिससे प्रदेश के लगभग 9 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने, कर्मचारियों व मजदूरों के वेतन, भत्ते व बकाया देने सहित भविष्य में राज्य द्वारा स्वयं ही विद्युत दोहन करने व विकास कर आर्थिक मजबूती प्राप्त करने में मदद मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: क्या इस पर पाकिस्तान का स्वामित्व है? शान प्रोजेक्ट पर किसका स्वामित्व है?

डॉ. राजन सुशान्त: महोदय, इस पर अलग-अलग राज्यों का स्वामित्व दिया हुआ है, जिनका कोई लिंग ही नहीं है।

सभापति महोदय: अच्छा दूसरे राज्यों का।

डॉ. राजन सुशान्त: जी महोदय:

सभापति महोदय: तब तो देश के अन्दर की बात है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको डॉ. राजन सुशान्त जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में वहां का मजदूर और युवा शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर तेजी से शहरों की ओर बढ़ रहा है। हम उसका परिणाम यह देखते हैं कि हर शहर में, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, बंगलौर हो, चेन्नई हो उन शहरों में कई गांव बस जाते हैं। सैंकड़ों, हजारों की संख्या में गांवों से जाने वाले लोग एक-साथ संगठित होकर वहां पर रहने लगते हैं, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बढ़ रहा है। देश में पिछले एक दशक में गांव की तुलना में शहरी आबादी ढ़ाई गुना से भी अधिक तेजी से बढ़ी है। पिछले दशक में देश की जनसंख्या में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि गांव में 12.18 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 31. 80 प्रतिशत की रही हैं। देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण गांव के गांव सूने हो रहे हैं लोग पलायन कर शहरों पर दबाव बनाये हुए हैं। यह स्थिति देश के लिए सुखद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्राकृतिक संतुलन के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। आज भी देश का 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाया है। 47 प्रतिशत गांव नजदीकी बैंक शाखा से 5 किलोमीटर दूर हैं। 78 प्रतिशत गांव में आज भी पोस्ट ऑफिस नहीं हैं। अभी भी हमारे गांव में मिडिल कक्षा पढ़ने के बाद वहां की छात्राओं को हायर सेकेन्डरी और हाई स्कूल पढ़ने के लिए दस-दस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्राओं शिक्षा से वंचित हो रही हैं, डकैती होती है, हत्या होती है तो वह घटना तो शाम को, रात्रि में होती है, लेकिन पुलिस वहां पर सुबह पहुंच पाती है। आज भी अनेकों गांव ऐसे हैं, जहां पर पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। आज गांव को बचाना सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है। वीरान हो रहे गांवों में बुनियादी सुविधाएं बहाल कर शहरी बोझ को कम करने की जरूरत है।

अत: मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गांवों में सड़क, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, सिंचाई, पेयजल, बिजली, पुलिस थाना, जैसी सुविधाओं को ईमानदारी से बढ़ाया जाये ताकि ग्रामीण अपने ही क्षेत्रों में रहकर न केवल अपना विकास कर सकें, बल्कि गांव भी बचें और खेती भी बच सके।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बहुत ही उपेक्षित है और गरीबी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों पूर्वांचल के विकास में पूरी तरह से लापरवाह हैं पूर्वांचल में आबादी ज्यादा है, पूर्वांचल में गरीबी ज्यादा है, पूर्वांचल में बेरोजगारी ज्यादा है। वहां के लोगों का बंबई, गुजरात, सूरत और दिल्ली जैसे शहरों में पलायन हो रहा है और वे वहां जाकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पूर्वांचल में खेती अच्छी है, जमीन अच्छी है, लेकिन पानी के अभाव में वहां का किसान दम तोड़ रहा है। पूर्वांचल के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी यह कहती है कि अलग राज्य बनायेंगे। हम अलग राज्य की बात नही करते हैं आज जो अलग राज्य की मांग उठ रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही तर्क है कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है। चाहे वह बुंदेलखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बिहार का इलाका हो, चाहे उड़ीसा का इलाका हो, जो क्षेत्रीय असंतुलन विकास का हुआ है, उससे नये राज्यों की मांग उठ रही है। हम नये राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास में पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान हैं वहां बिजली नहीं है, वहां पढ़ाई-लिखाई का ठीक से इंतजाम नहीं है, वहां आज भी गरीबी है, वहां कुपोषण बढ़ रहा है। बुनकर बहुत बड़े पैमाने पर वहां बुनकरी का काम करते हैं। उनकी हालत खराब है और वे भुखमरी के कमार पर पहुंच रहे हैं उन्हें रेशम नहीं मिल पा रहा है, उनकी सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं है।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी

भी गोरखपुर से लेकर बनारस तक फैली है। इतना ही नहीं, आज जो नक्सलवादी गतिविधियां पैदा हो रही हैं, वह इन्हीं कारणों से है। असमानता, बेबसी, लाचारी और भुखमरी के चलते आज उत्तर प्रदेश में जो नक्सलवाद बढ़ा है, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में, वह इन्हीं कारणों से है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो क्षेत्रीय असमानता है, उसको दूर करने के लिए पूरे देश को एक ईकाई मानकर पूर्वांचल के विकास के लिए प्रयास किया जाए। यहां की मिट्टी उपजाऊ है, यहां के लोगों का आजादी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, उनके नौजवानों का योगदान है, उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार एक विशेष आर्थिक पैकेज देने को काम करे जिस प्रकार से बुंदेलखंड को दिया गया। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, बुंदेलखंड को मिलना चाहिए था और मिला, यह अछी बात है। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति पर सब लोग रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, लेकिन इसके विकास के लिए किसी ने आगे बढ़कर काम नहीं किया। जब हमारी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो पूर्वांचल के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। आज हमारे पास नहरें हैं, लेकिन वे नहरें क्षतिग्रस्त हैं। हमारा एशिया का सबसे बड़ा लिफ्ट कैनाल है चंदौली में, लेकिन उसका पक्कीकरण न होने से 10-15 किलोमीटर तक पानी नहीं पहुंच पाता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः रामकिशुन जी, आपका गला फंस रहा है, मैं सोचता हूं कि आपको खत्म कर देना चाहिए।

श्री रामकिशुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अवसर देंगे तो गला नहीं फंसेगा। यह कमजोर लोग हैं। आप जानते हैं पूर्वांचल के कमजोर लोगों को, उनका दर्द है, उनकी बेबसी और लाचारी है जो गला जरूर फंस रहा है, लेकिन उनकी आवाज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज वहां कोई एम्स जैसा अस्पताल नहीं है और यही कारण है कि सारे के सारे लोग दिल्ली और लखनऊ जाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी पूर्वांचल में रहती है। इसलिए पूर्वांचल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम पूर्वांचल राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके विकास की बात करते हैं और मैं दोनों सरकारों से कहना चाहता हूं कि दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश को लूटने के बजाय पूर्वांचल में विकास करने का काम करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं। हमें राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह तो पत्थर की मूर्तियां बनाकर लखनऊ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिए काम करे, वहां के योगदान को महसूस करे और एक विशेष आर्थिक पैकेज देने का काम करे, ताकि पूर्वांचल के लोग अपने क्षेत्र का विकास कर सकें।

सभापति महोदयः श्री शैलेन्द्र कुमार एवं श्री पी.एल. पुनिया के नाम श्री रामकिशुन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आज भाषा का मामला चल रहा है। शैलेन्द्र जी ने भोजपुरी का मामला उठाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा विषय भी राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर है। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब मंत्रालय में 30-35 प्रस्ताव पैन्डिंग थे, तो एक सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। उस समिति ने जितने पैन्डिंग प्रपोजल थे, उनका अध्ययन करके यह बताया कि सिर्फ राजस्थानी और भोजपुरी दो ऐसी भाषाएं हैं जो मान्यता की पात्रता रखती हैं उसके बाद 2006 में इसी सदन में गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इसी सत्र में भोजपुरी और राजस्थानी की मान्यता के लिए प्रस्ताव और बिल ले आएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राइट टु एजुकेशन बिल पास किया और उसकी धारा 29(2एफ) में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा हम किस भाषा में दें? आपने राइट टु एजुकेशन पास किया और जो मान्यता प्राप्त पात्रता रखने वाली भाषाएं हैं, उनको संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया।

हम किसी छोटे-मोटे प्रदेश से नहीं आते हैं। राजस्थान भौगोलिक रूप से इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है।

दस करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। आप पूछोगे कि दस करोड़ कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि छह करोड़ लोग तो राजस्थान में हैं एक करोड़ बंगाल और सैवन सिस्टर्स में हैं और एक करोड़ हम शेष भारत में हैं तथा एक करोड़ विदेश में हैं, जहां अमरीका ने मान्यता दी है। एक करोड़ हम पाकिस्तान में भी हैं, जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। मैं यह विषय इसलिए लाया हूं कि 24 जून, 2011 को अमरीका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के प्रैसीडेंशियल एपायेंटमेंट की प्रक्रिया में राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। मैं सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को अमरीका मान्यता दे रहा है और भारत में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि नहीं पिंडारो बाक्स खुल

जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने सीताकांत महापात्र समिति क्यों बनायी? महापात्र जी ने कहा कि दो भाषाएं भोजपुरी और राजस्थानी ये मान्यता के लिए पात्रता रखती हैं आपको मान्यता देने में दिक्कत क्यों आ रही है? यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएं, जिससे 10 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी सकें और राजस्थानी भाषा अपना सम्मान पा सके, जिसके लिए वह हकदार है।

डॉ. राजन सुशान्तः महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, देश में चावल के निर्यात के बारे में बोलने जा रहा हूं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत विश्व व्यापार सगंठन का सदस्य है। हम भारत देश में अनेक देशों से कृषि उपज लेते हैं। सौभाग्य से पिछले वर्ष हमारे देश में कपास, गेहूं, चावल की फसल अच्छी हुई। इसके चलते किसानों ने मांग की थी कि कपास, चावल के निर्यात के लिए सरकार अनुमति दे। पिछले महीने सरकार ने गेहूं, कपास के लिए अनुमति दी है, लेकिन चावल पर संख्यात्मक निर्बंध लगाते हुए अनुमति दी गई है। चावल की देश में बहुत उपज हुई है। यदि चावल का दूसरे देशों में निर्यात होता, तो देश में किसानों को चावल का अधिक मूल्य मिल सकता था। जैसे कि कपास का अधिक मूल्य मिल रहा था, जब हम निर्यात कर रहे थे। अनेक कृषि संगठनों ने मांग की थी कि कपास के निर्यात पर बंदिश हटाई जाए और निर्यात होने दीजिए। जब कपास की मांग थी, तब सरकार ने अनुमति नहीं दी। जब विश्व के बाजार में मंदी आए, तब सरकार ने अनुमति दी, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देश में अनाज का बड़ी संख्या में भण्डारण है और दो में अनाज सड़ रहा है।

सभापति महोदयः हंसराज जी, यदि एक्सपोर्ट करने से भारत में नॉन-बासमती की चावल की किल्लत हो गई, तो क्या होगा?

श्री हंसराज गं. अहीरः नहीं होगी, वही मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश में चावल की उपज जरूरत से ज्यादा हुई है। यह सरकारी आंकड़े हैं इसके बावजूद भी यदि हम किसानों को बलि चढ़ाते हुए देश में महंगाई को रोकते हैं तो यह गलत करते हैं। यदि हमें महंगाई रोकनी है तो नीतियों में परिवर्तन करना होगा। इसमें किसानों का नुकसान हुआ है। जिस समय साढ़े पांच हजार रुपए प्रति क्वींटल कपास बिक रहा था, उस समय सरकार ने निर्यात की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब दुनिया में कपास की मंदी आयी, उस समय कपास के दाम देश में नहीं बढ़े। वही बात चावल के बारे में भी हो रही है। भारत के चावल की मांग अफ्रीकन और गल्फ कंट्रीज में है। वहां मांग होते हुए भी भारत सरकार ने गैर-बासमती चावल की अनुमति नहीं दी, केवल बासमती चावल की अनुमति दी है। इस वजह से देश में चावल के दाम किसानों को नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 80 रुपए प्रति क्वींटल बढ़ाया था। यह कम बढ़ाया था। सरकार एक तो दाम नहीं देती है और दुनिया में जब हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं तो हमें आयात ही क्यों, निर्यात भी करना चाहिए, क्योंकि देश में कृषि उपज में वृद्धि हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चावल के निर्यात पर से निर्बंध हटाया जाए और गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति भी सरकार प्रदान करे। धन्यवाद।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत-से मछुआरे जिनकी बोट होती है और जो फिशिंग करते हैं उनके लिए केरोसिन का खासकर कोटा मंजूर किया जाए। इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। पिछले करीब पाच-छः वर्षों से यह मामला राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र के माध्यम से उठाया जा चुका है। महाराष्ट्र में करीब 720 किलोमीटर का पूरा समुद्री किनारा है जहां ये मछुआरे जाते हैं। करीब-करीब 70000 की संख्या में ये मछुआरे अपनी बोट लेकर समुद्र में जाते हैं रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग, ये जो दो जिले हैं, इनमें करीब 1500 मछुआरे हैं, यह मांग खासकर उनकी ओर से है। इसी तरह का खास कोटा केरल और गुजरात के लि केन्द्र सरकार ने पहले से मंजूर किया हुआ है। यह बात पिछले 7 अप्रैल, 2010 से उठाया गया है। इसके दो साल हुए। इसकी मांग बार-बार की जा रही है कि हमें एक्स्ट्रा कोटा दीजिए क्योंकि महाराष्ट्र में केरोसिन पी.डी.एस. के माध्यम से दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि केन्द्र में पहले से स्पेशल कोटा मंजूर करने के लिए जो प्रस्ताव आया हुआ है, वह जल्द से जल्द मंजूर हो। मैं आपके माध्यम से यह विनती करता हूं।

सभापति महोदयः श्री संजीव जी, केरोसिन के मंत्री तो लम्बे समय तक आपके महाराष्ट्र के ही रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मुझे खुशी है और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का यहां मौका दिया दरअसल, मेरी पीड़ा दिल्ली मेट्रो के बारे में है। अभी यहां तीन-तीन मंत्री बैठे हैं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हम यहां बोलते हैं, क्या कोई उसको नोटिस करता है? कई बार हम बहुत सारी चीजें यहां उठाते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने बुलाकर यह नहीं पूछा कि आप क्या

चाहते हैं, आपने जो बात उठायी है, इसको कैसे हल किया जा सकता है? किसी ने यह नहीं पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय: श्री जय प्रकाश जी, रावत जी यहां बैठ हुए हैं। ये काफी रिस्पॉन्सिबल लगे क्योंकि खड़े होकर भोजपुरी में इन्होंने कुछ अश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि श्री रावत जी इसे और ज्यादा गंभीरता से लें ताकि जय प्रकाश जी को कोई शिकायत न रहे।

श्री हरीश रावत: माननीय सदस्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य काल में माननीय सदस्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। हम पार्लियामेंटरी अफेयर्स से संबंधित मंत्रालयों को, उन्होंने जो सवाल उठाया है, उनको रेफरेंस करेंगे।

सायं 6.29 बजे

(दो) दिल्ली मेट्रो के लिए प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): दरअसल, यहां बैठने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। उसके दिल में कोई न कोई दर्द होता है, यह बात हमें भी मालूम है। यह हो सकता है कि सरकार के साधन सीमित हों। वह किसी चीज को मान सकती है, नहीं मान सकती है। लेकिन उस विभाग के मंत्री को इतना तो करना चाहिए कि वह हमें बुलाकर पूछें कि आपने जो यह मुद्दा उठाया, इसमें आप हमसे क्या सुधार चाहते हैं, इसमें आप क्या लाइन ऑफ एक्शन चाहते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं? लेकिन माफ करना मुझे आज यहां इतने साल हो गए, हमने कितने मुद्दे यहां उठाए होंगे, लेकिन आज तक किसी का फोन तक नहीं आया। इसके बारे में इससे भी बड़ा तमाशा और बताता हूं। यहां जब मैंने नियम 377 के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो बारे में मामला उठाया और फिर मैंने खत लिखा तो मंत्री जी का एक जवाब आया मेट्रो के बारे में कि आपके क्षेत्र में मेट्रो नहीं जा सकती क्योंकि वहां यमुना नदी का किनारा है। माफ करना, जिसको भी मैंने यह पत्र दिखाया, उससे इस पत्र का बहुत मजाक बना। सारी दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई हे। लोग समुद्र से रेल निकाल कर पेरिस से लंदन ले गए। दूसरी जगह छः कंस्टीट्यून्सी में यमुना के ऊपर पुल बनाकर दिल्ली मेट्रो ले गए। मै। कहना चाहता हूं कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली के लिए बनी थी। आज की तारीख में दिल्ली का 75 प्रतिशत क्षेत्र दिल्ली मेट्रो से वंचित है तो किसलिए आपने यह मेट्रो बनाया था?

मेट्रो बुनियादी तौर पर दिल्ली के एक से दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए बनाई गई थी और मेरा दर्द मेरे लिए है, क्योंकि डैंसिटी ऑफ पोपुलेशन मेरे यहां सबसे ज्यादा है, मंत्री जी और जो लोग वहां रहते हैं वे लोग गरीब हैं, नौकरीपेशा लोग हैं, पूर्वांचल के हैं, कुछ उत्तराखंड से आये हैं, कुछ कहीं और से आये हैं और ये नौकरी की तलाश में इधर-उधर जाते हैं। उसमें मैट्रो सबसे बढ़िया उनका साधन हो सकता है। कई बार मैं इस मसले को उठा चुका हूं। सिवाय इसके कि मैं किसी दिन आपके यहां भूख हड़ताल पर बैठ जाऊं या यहां धरना दे दूं और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो मंत्रीगण यहां दोनों-तीनों दोस्त बैठे हैं, ये मेरी इस बारे में मदद करें। मुझे नहीं मालूम कि कृष्णा जी के यहां क्या हाल है, लेकिन मेरे यहा तो बहुत बुरा हाल है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी निश्चित रूप से मदद होगी।

[अनुवाद]

रावत जी, अब यह आपका कर्त्तव्य है।

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): हम इसको बनवा देंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: यह यश्योरेंस है, सर। सभापति महोदय, एक एश्योरेंस मिला है, यह एश्योरेंस में आना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हम बनवा देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मंत्री जी, खड़े होकर कह दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ: जनता के तहत में काम जरूर होने चाहिए और दिल्ली में मेट्रो जब एक रास्ते से जा सकती है तो उसे बढ़ाकर दूसरे रास्ते से भी किया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें शून्य काल में बोलने में मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक मिनट मिथिलेश जी। शैलेन्द्र जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तो कार्य-मंत्रणा समिति में, यानि बिजनेस सडवाइज़री कमेटी में बैठते हैं। जैसे हमने झारखंड में स्पीकर रहते हुए एक जीरो ऑवर की कमेटी बना दी थी, उसका

चेयरमैन बना दिया, मैम्बर बना दिये, अगर जीरो ऑवर की एक कमेटी बन जाये और आप स्पीकर जी की उपस्थिति में अगर यह काम करेंगे तो होगा क्या कि जैसे दूसरी कमेटियां हैं, वैसे ही यह भी आपके बिन्दु को उठाकर समिति ऑफिसरों को बुलाएगी, पूछेगी कि साहब, यह क्यों नहीं हो रहा है, बताइये। इसमें क्या दिरक्कत है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: बात यह है कि जब तक कोई मंत्री नहीं बनता है तब तक तो वह हमारा दोस्त होता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद वह दोस्ती खत्म हो जाती है।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल: इसमें कमेटी बना सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मिथिलेश कुमार: माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से चुनकर आया हूं। हमारा जिला कृषि क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले वर्षों से लगातार वहां बाढ़ आ रही है और वह तराई का इलाका भी है। हमारे यहां धान की दो फसलें होती हैं। एक धान की फसल कट गई है और दूसरी लग गई है, ऐसी जगह से मैं आया हूं। मैं दो साल से उत्तर प्रदेश सरकार को बार-बार पत्र लिख रहा हूं कि हमारे यहां ठोकरें बनवा दी जायें।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): यह केन्द्र सरकार बनवाएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मिथिलेश कुमार: मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। दारा सिंह जी, आप हमारा सहयोग करें, आप बसपा के नेता हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: आप केन्द्र सरकार से डिमांड करिये कि क्यों नहीं बन रही है।

सभापति महोदय: वे आपका सहयोग कर रहे हैं।

श्री मिथिलेश कुमार: मैं अपनी बात कह लूं, जिसमें विकास खंड कलान में एक गांव कुडरिया है। पिछले साल वहां पर बाढ़ आने पर एक गांव ऐसा कटा कि एक आदमी गांव वालों के सामने उसमें डूबकर मर गया। वह पानी में गिर गया और वहां से उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। ऐसे ही 4-5 गांव हैं, कुनिया, मौअज्जमपुर, भरतापुर, नौगया, इस टाइप के विकास खंड मिर्जापर, विकास खंड कलान, जैतीपुर, मदनापुर और निगोही, इन ब्लाकों में जबरदस्त तबाही हुई। वहां हजारों करोड़ रुपये का पैकेज गया।

मैंने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने एक टीम वहां भेजी। 37 करोड़ रुपये भी गये, लेकिन वे ठोकरें आज तक नहीं बनाई गईं। हम बार-बार लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो हम ठोकरें बनवा दें। पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ आप जायें तो क्या चमाचल पत्थर लग रहा है, लेकिन अम्बेडकर गांव का केवल विकास हो रहा है और उन ठोकरों को बनाने के लिए धन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: इनको तो उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देनी चाहिए कि लखनऊ पूरे विश्व के पैमाने पर चमक रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: दारा सिंह जी, उनको अपनी व्यथा कहने दीजिए।

श्री मिथिलेश कुमार: मैं ससदीय कार्य मंत्री जी से एक व्यवस्था चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक निर्देश दें कि कम से कम ठोकरों के लिए पैसा जिले को आबंटित कर दे। हम जब जिले की मीटिंग होती है तब मीटिंग में इस बात को उठाते हैं। अधिकारी कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम कहां से खर्च करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: इन्हें ठोकरें नहीं, तटबंध कहिये।

श्री मिथिलेश कुमार: हमारे जिले में इन्हें ठोकरें कहा जाता है, आप तटबंध मान लीजिए।

सभापति महोदय: आप तो लोक सभा में बोल रहे हैं तो आप तो सैंट्रल गवर्नमेंट से ही मांगेगे न।

श्री मिथिलेश कुमार: मैं सैंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि उसके लिए एक व्यवस्था करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक कोलाघाट का बहुत बड़ा पल बनाया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसमें आप दूसरा टॉपिक नहीं जोड़ कसते हैं।

श्री मिथिलेश कुमार: मैं उसी टॉपिक पर कह रहा हूं। जो कोलाघाट का पुल है, उसकी एक साइड टूटने को तैयार है, इसके लिए चिट्ठी लिखी लेकिन उस बांध के लिए पैसा नहीं है। अगर वह पुल टूट गया तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था दें कि बांध के लिए पैसा आबंटित हो जाए, धन्यवाद।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में देश के सवाल पर, राष्ट्र के सवाल पर और अपने संसदीय क्षेत्र के सवाल पर बोलने का मौका दिया। मैं आज जो भी कहने जा रहा हूं, वह दुख के साथ कह रहा हूं। वर्ष 1973 में कदवन जलाशय परियोजना जिसे आज इन्द्रपुरी जलाशय योजना के नाम से जाना जाता है, उसका शिलान्यास किया गया था, उसकी आधारशिला रखी गयी थी।

माननीय सिंचाई मंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 3.3.1982 को उच्चस्तरीय बैठक कर यहां कदवन जलाशय का डैम और बराज बनाने का निर्णय लिया था। 17 जून, 1989 को बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता करके इसके निर्माण का निर्णय लिया था। वर्ष 1990 में डॉ. जगन्नाथ मिश्र द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। वर्ष 1989 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा डीपीआर समर्पित किया गया। जिसमें उक्त जलाशय पर व्यय 533 करोड़ 26 लाख, जल विद्युत उत्पादन पर व्यय 577 करोड़ 78 लाख रुपए, कुल व्यय 1111 करोड़ 14 लाख यानी एक हजार एक सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख रुपए की प्रस्तावित जलाशय योजना के अंतर्गत 3895 मीटर लंबा एवं 40 मीटर ऊंचा डैम बनाने का प्रस्ताव था। डैम के दाहिने छोर में झारखंड का गढ़वा जिला और बायें छोर में बिहार का रोहतास यानी मटियांवन है। इस योजना का डूब क्षेत्र, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश सम्मिलित होने के कारण इसमें तीनों राज्यों की सहमति आवश्यक थी। प्रस्तावित डैम के उच्चतम जलस्तर 175 मीटर होने के कारण उत्तर प्रदेश का ओबरा डैम का हाइडल पॉवर हाउस का टेल रेस जलस्तर प्रभावित होने पर चोपन नहर एवं रेलवे पुल डूबने की आशंका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जतायी गई थी।

महोदय, मैं दुख के साथ कहता हूं कि मौखिक रूप से इस डैम का जलाशय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था कि ओबरा पॉवर प्लांट और रेलवे ईस्ट डूबेगा, यह मौखिक आरोप लगाया गया था। जिसमें विगत चार वर्षों में नोडल कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनुरोध के बावजूद भी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण कार्य आज तक पूरा नहीं किया गया। सर्वेक्षण कार्य के पश्चात् ही परियोजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के संबंध में इसके अंतर्गत निर्माण की कार्रवाई की जा सकती थी।

उल्लेखनीय है कि बाणसागर एवं रेहंड जलाशय परियोजना बन जाने के फलस्वरूप इंद्रपुरी बराज को आवश्यकतानुसार बाणसागर एकरारनामा के अनुरूप पानी नहीं मिल पाता है।

सभापति महोदय: कामेश्वर जी, आप बाणसागर प्रोजेक्टर बनवाना चाहते हैं न।

श्री कामेश्वर बैठा: जलाशय का पानी मिलना चाह रहा था, उसमें आरोप लगाया गया था कि यह डूब जाएगा, लेकिन बिहार सरकार उत्तर प्रदेश और उस समय झारखंड व बिहार एक थे, मैं झारखंड का ही सवाल उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कामेश्वर बैठा जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि पिन प्वाइंटेड जो बात कहना चाहते हैं, वह कह दें, ताकि वह प्रोसीडिंग में आ जाए और आपको उस काम को कराने में सुविधा हो। आप बहुत लंबा-चौड़ा भाषण देंगे, तो उससे यहां कोई फायदा नहीं होगा।

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वेक्षण का प्रतिवेदन तुरंत केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली को समर्पित किया जाए। यह नंबर एक मांग है ताकि शीघ्र कदवन जलाशय योजना के निर्माण की कार्रवाई शुरू हो जाये।

दूसरा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक किए गये सर्वेक्षण कार्य का अद्यतन विस्तृत प्रगति की मांग की जाए।

सभापति महोदय: आप सभी बिन्दु लिख कर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, इसे पढ़ लेने दिया जाए ताकि देश की जनता यह जान जाए कि किन कारणों से यह जलाशय या बैराज अभी तक नहीं बन पाया है। महोदय, आपसे निवेदन है कि ये जो चार बिन्दु है इसे पढ़ लेने दिया जाए।

तीसरा, सर्वेक्षण कार्य पर अब तक किये गये भुगतान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए।

चौथा, शेष बचे सर्वेक्षण कार्य का समयबद्ध कार्यक्रम सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार से सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया, बी.एच.पी.सी. जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार एवं जल संसाधन विभाग बिहार सरकार की बैठक पटना में ही जाएं। क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय आज भी पटना में है।

हमें दु:ख के साथ बोलना पड़ा रहा है कि अभी 40 लाख रुपया सर्वे के लिए दिया गया था लेकिन अभी तक सर्वे नहीं किया गया। आज अगर सर्वे हो जाता है, मौखिक रूप से इस पर आपत्ति

जताई जा रही है कि हमारा डैम वगैरह डूब रहा है। इसको सर्वे करने के बाद फाइनल कर दिया जाए, और तुरंत बैराज में काम लगाया जाए।

सभापति महोदयः मैंने आपको जो रास्ता बताया आप उस रास्ते को अपनाइए। आपने बहुत अच्छा बोला। मैंने आपको पूरा टाइम दिया। बैठ जाइए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे अत्यंत लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है। आज से तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है वहां पर घाघरा नदी के तेज बहाव के कारण नदी के किनारे बना हुआ पुल/बन्धा जो रामनगर तहसील के ग्राम मांझा रायपुर, माझा, परसावल, बेहटा, पारा, बांस गांव, अटवा, किचुली के पास बन्धा बना था वह टूट गया है, जिससे यहां के हजारों किसान एवं मजदूर विपदा झेल रहे हैं। फसल तथा कृषि योग्य भूमि को नुकसान हुआ है, लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है लेकिन उसके साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान हुआ है उससे शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विकास भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश से होकर देश की विभिन्न नदियां बहती हैं तथा पड़ोसी देश नेपाल द्वारा भी अतिवर्षा होने पर उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर पानी छोड़ दिया जाता है जिसके कारण प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपदों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी में घाघरा नदी बहती है जिसका प्रवाह वर्षा काल में बहुत तेज हो जाता है, जिससे वह वर्ष राम नगर ब्लॉक के अलावा, सूरतगंज, सिरोली गौसपुर ब्लॉक के लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इस नदी की चौड़ाई भी लगभग 6-7 किलोमीटर है। यह सर्पनुमा आकार में बहती है जिसे कुछ जगहों पर अधिक फैलने से रोकने के लिए बन्धों का निर्माण किया गया है। नदी के आस-पास के क्षेत्र में बरीब किसान खेती करते हैं और कच्चे-पक्के मकान बनाकर रहते हैं।

मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में तत्काल केन्द्रीय टीम भेज कर आवश्यक सभी सुविधाएं एवं मदद उपलब्ध कराई जाए और घाघरा नदी के बहाव क्षेत्र में एवं उस पर बने सभी बांध, बन्धें, रेलवे और ब्रिजों के रख-रखाव तथा अलाइन्मंट का सर्वे भी किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से आसानी से निपटा भी जा सके और उसकी जानकारी भी रहे। घाघरा नदी के किनारे जहां-जहां आवश्यक हो पक्की ठोकर बनाई जाए तथा पक्के मजबूत बंधों का निर्माण किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो। धन्यवाद।

श्री दारा सिंह चौहानः सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय जो दुख भी है, की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मधुबन तहसील में गांव ढिलेत, फिरोजपुर है। वायुसेना के जगुवार विमान जेएस 197 ने 11.40 बजे गोरखपुर एयरबेस से उड़ान भरी। उसमें कुछ मिनट बाद तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग की लपटों के साथ विस्फोट हुआ और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फ्लाइट लेफ्टिनैंट सिद्धार्थ पांडेय एवं खेत में काम कर रहे ज्योति रूमा सहित कई जानवर उसकी चपेट में आ गए। सैंकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। ऐसा जगुवार विमान जिसे फ्रांस ने वर्ष 2005 और यूके ने 2007 में ही रिटायर कर दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा रिटायर्ड विमान को अपने देश की सुरक्षा के लिए खरीदा जा रहा है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। विगत तीन वर्षों में 24 फाइटर प्लेन नष्ट हो चुके हैं जिनमें चार पायलट और कई नागरिकों की जानें गईं। विगत सप्ताह राजस्थान में मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें पायलट की मौत हो गई। 4.2.11 को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण मध्य प्रदेश में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विगत वर्ष 10 फाइटर प्लेन जिनमें 4 मिग 27 और दो मिग 21 भी शामिल हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। विशेषज्ञों के अनुसार फाइटर विमान जगुवार 80 फीसदी तकनीकी गड़बड़ी के कारण नष्ट हो रहे हैं। जगुवार विमान काफी कीमती हैं उन्हें भारत सरकार मंगवा रही है। इससे जहां देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, वहां चालक दल के सदस्य और तमाम नागरिकों की...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः दारा सिंह जी, क्या आपका यह आरोप है कि जो विमान वहां से यूज्ड हो जाते हैं, उन्हें भारत सरकार मंगवा रही है?

श्री दारा सिंह चौहानः जी हां।

सभापति महोदयः मंत्री जी, ऐसा तो नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहानः वहां से रिटायर होने के बाद ही मंगवाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवालः मेरे क्षेत्र में विमान क्रैश हुआ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः देश में चलते-चलते विमान पुराना हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे देश का यूज्ड किया हुआ विमान भारत मंगवाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं यूज़्ड किए हुए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जगुवार विमान आए थे, लेकिन वे आउट डेटेड हो गए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भारत में नए विमान आए थे, चलते-चलते आउट डेटेड हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के आउट डेटेड विमान भारत यहां मंगवा लेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: विशेषज्ञों ने कहा है कि 80 फीसदी तकनीकी गड़बड़ी के कारण विमान में विस्फोट हो रहा है जिससे जान-माल की हानि और पैसे की बर्बादी हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र मऊ में...*(व्यवधान)* उसमें पायलट सहित किसान रूमा और उसके जानवर मारे गए। तीन किलोमीटर के रेडियस में उसका मलबा बिखर गया। फसल नष्ट हुई। इसकी गंभीरत से जांच होनी चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री दारा सिंह चौहान के विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, आपकी तरफ से एक बढ़िया सुझाव आया, यहां पर तीन-तीन मंत्री बैठे हुए हैं, कि जीरों ऑवर की एक कमेटी बनी और उस कमेटी की मीटिंग में जिन माननीय सदस्यों ने अपनी मांगें रखीं, उन पर पूछताछ करके पत्रों के माध्यम से जवाब दिया जाए। आजकल एक तरीका बन चुका है कि सांसद क्या मांग कर रहे हैं, लोग क्या मांग कर रहे हैं, जनता क्या मांग कर रही है, उसे सुनने की इच्छा किसी की नहीं है। इस कारण अन्ना हजारे जी का आगमन हुआ। अब श्री अन्ना हजारे जी द्वारा लोग सभा को एक बड़ी चुनौती आयेगी, संविधान की आयेगी।

सभापति महोदय, हम इंदिरा प्वाइंट पर चलते हैं जो भारत का आखिरी हिस्सा केम्प बेल में है। अंडमान-निकोबार का आखिरी हिस्सा इंदिरा प्वाइंट है, जहां 70 और 80 के दशक में एक्स फ्रीडम फाइटर्स को लेकर केम्प बेल में प्रहरी के रूप में बिठाया गया था। उस जगह एक गांव है जिसका नाम लक्ष्मी नगर है। लक्ष्मीनगर में सैटलमैंट विलेज है। वहां रिवैन्यू जमीन पर एक पत्थर की क्वारी थी। उसी के तत एक गांव और है जिसका नाम गोविंद नगर है। उसमें पत्थर क्वारी थी, जिसे प्राइवेट व्यक्ति चलाता था। उस क्वारी के पत्थर से पूरे केम्प बेल में द्वीप का विकास हुआ, जेटी बना, रोड बना, बिल्डिंग आदि सब कुछ बना। वहां सुनामी आयी और सुनामी के पश्चात् अचानक उस क्वारी को रुपये लूटने के नाम पर बंद कर दिया गया। वह क्वारी बंद करके थाइलैंड से केम्प बेल में काम करने के लिए पत्थर मंगाया गया। वह पत्थर पोर्ट ब्लेयर से लाया गया। पोर्ट बैलेयर में एक ट्रक में 20 एमएम चिप्स की कीमत छ: हजार रुपये है और वही पत्थर केम्प बेल में 25 हजार रुपये की कीमत में गिराया जा रहा है। आप खुद हिसाब लगाइये कि कितनी लूट हो रही है। पांच हजार रुपये का पत्थर जो केम्प बेल में मिलता है, उसे न लेकर वहां से लेते हैं जहां 25 हजार या 30 हजार रुपये कीमत पड़ती है। इस तरह से वर्ष 2004 से आज तक यानी इन सात सालों में पत्थर क्वारी प्रोडक्ट्स के नाम पर, ट्रांसपोर्ट कास्ट के नाम पर तीन-चार सौ करोड़ रुपये चोरी हो गए, गबन कर दिए गए जिससे देश का नुकसान हुआ। वहां के लोगों की जो मांग है, उसके लिए मैं यहां खड़ा हूं। उपराज्यपाल महोदय के पास स्टेट प्लान एडवाइजरी बोर्ड में मैंने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में एक पत्र देकर मांग की और मीटिंग में कहा कि केम्प बेल में पत्थर क्वारी खोली जाये, ताकि ट्रांसपोर्ट के नाम पर देश के करोड़ों रुपये का नुकसान न हो। उस बारे में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया।...*(व्यवधान)* आदरणीय उपराज्यपाल जी ने श्री डीसी निकोबार को आदेश दिया कि तुरंत इस पर कार्रवाई करके केम्प बेल में पत्थर क्वारी खोली जाये।

सभापति महोदय, यहां पर तीन-तीन मंत्री बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केम्प बेल में खेत डुबा पड़ा है। सुनामी में खेत डूबा पड़ा है। वहां लोगों के पास काम नहीं है। यह क्वारी खोलने से लोगों को काम मिलेगा, सस्ता पत्थर मिलेगा और कम पैसे में विकास होगा। इस विकास से उन्नति होगी।

आखिर में, मैं मांग करना चाहता हूं कि मिडिल या नार्थ अंडामन में क्वारी की मांग मैंने पहले की थी, जो आज तक नहीं खुली। मैं चाहता हूं कि मिडिल या नार्थ अंडमान में पहले जो क्वारी चलती थी, उसे तुरंत खोला जाये, ताकि अंडमान का स्थानीय क्वारी से विकास हो, पैसा बचे। स्टेट प्लान एकवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में मैंने उपराज्यपाल महोदय के सामने क्वारी खोलने की मांग की, ताकि स्थानीय क्वारी से सस्ता पत्थर मिले जो विकास के काम में लगे, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ। उपराज्यपाल महोदय ने इस बारे में वर्ष 2010 में आदेश दिया था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर ध्यान देकर कार्रवाई करें। केम्प बेल और अंडमान-निकोबार के मध्य उत्तर अंडमान में क्वारी खोली जाये, यह मेरी मांग है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय जी, जब आप आसन पर बैठते हैं, तो आपकी पार्लियामेंट और पार्लियामैंटेरियन के लिए जो सोच है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता

हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि पार्लियामेंट और पार्लियामैटेरियन को जिससे फायदा हो सकता है, उसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं।

महोदय, पिछले दिनों जब आप नहीं थे, मैंने जीरो के प्रति जीरो लगाया। आज मैं उसको कहना चाहता हूं। वे कहें कि क्या कह रहा है? यह समय की बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं आज जीरो की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ हूं कि जीरो तो हम बोलते हैं। यह मेरा सेकंड टर्म है। इससे पहले मैं मिनिस्टर था, एमएलए था, वह अलग बात है, लेकिन यहां सेकंड टर्म है। मैंने कोई सीरियस इंसान नहीं देखा, जिसको जीरों से हमदर्दी हो। जीरो आवर के बारे में यह माना जाता है कि हर बन्दे की ख्वाहिश होती है और मेजारिटी की ख्वाहिश होती है कि मॉर्निंग में बुलाया जाए। अभी का हाल देखिए। यह बहुत खराब हालत है। हम लोग ही हमेशा शाम को पार्लियामेंट की बैठक खत्म करके जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर जनाबेआली चाहें, जीरो आवर के बारे में एक रूलिंग हो जाए कि अगर ये कमेटी बना देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा काम कोई भी नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः लाल सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी यहां बैठे हुए हैं, वह भी एक दल के नेता हैं। मैंने इन्हीं लोगों से आग्रह किया है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, इसलिए मैं तो बीएससी में जाता नहीं हूं, मैं बीएसी में बैठता नहीं हूं। इसलिए ये नेता लोग हैं, अगर ये लोग राय दें, तो अध्यक्ष यह करने के लिए सक्षम है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंहः मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि... *(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अगर आपका कोई विषय हो, तो उसी पर आइए।

चौधरी लाल सिंहः महोदय, आप जानते हैं कि बिना विषय के मैं खड़ा ही नहीं होता हूं।

मेरी कांस्टीट्वेंसी में सात जिले हैं जहां सात डीसी बैठते हैं, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की कांस्टीट्वेंसी है। इनमें से तीन जिले ऐसे हैं जहां बीआरजीएफ दिया गया है और तीन जिले ऐसे हैं, जहां बीआरजीएफ नहीं दिया गया है। मेरा एक जिला है रियासी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में लिखकर दिया है कि उस जिले के 47 प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं। आप बताएं, वहां पौने तीन सौ गांव हैं, आप इसको सीधे-सीधे तक्सीम कीजिए, 120-122 आदमी, पूरा विलेज ही नहीं पढ़ा हुआ है। यह कौन सी परिभाषा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्वेक्षण हैं, जो सर्वे ऑफ इंडिया, जो यहां स्टेस्टिक्स का हिसाब-किताब देता है, ये यह क्यों नहीं देखते हैं कि यहां एजुकेशन ही नहीं है, तो वहां है क्या? अगर आप हमारे इन जिलों में जाएं, रियासी हो, ऊधमपुर हो या कठुआ जिला हो, सभी जिलों में हिली टेरेन है, रिमोटेस्ट एरिया है, डेन ऑफ मिलिटंसी है। वहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली का बुरा हाल है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल आप दे नहीं सकते हैं। मेरी जनाब से विनती है कि आप इसमें इंटरवीन करें, मेरे इन तीन जिलों को बीआरजीएफ में शामिल करवा दें। इनमें सबसे पहले रियासी को शामिल कराएं, जिससे बच्चे पढ़ सकें, बच्चे जी सकें, वह इलाका डेवलप हो सके और इस पार्लियामेंट का गुण गाएं कि इस पार्लियामेंट ने यह डिसीजन करवाया था।

सभापति महोदयः मंत्री जी, इस बिन्दु को अवश्य नोट करें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत)ः माननीय सदस्य ने सिर्फ रियासी की बात कही है।

सभापति महोदयः लाल सिंह जी, आप मंत्री जी को जिले बता दीजिए।

चौधरी लाल सिंहः इन जिलों का नाम रियासी, कठुआ और ऊधमपुर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा सोमवार 8 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 8 अगस्त, 2011/17, श्रावण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर योगी आदित्य नाथ	81
2.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी श्री अर्जुन राय	82
3.	श्री बसुदेव आचार्य श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	83
4.	श्री जयवंत गंगाराम आवले श्री अधीर चौधरी	84
5.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	85
6.	श्री राधा मोहन सिंह श्रीमती मीना सिंह	86
7.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री गजानन ध. बाबर	87
8.	श्री सी. शिवसामी श्री अशोक कुमार रावत	88
9.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे श्री पी. विश्वनाथन	89
10.	श्री अंजनकुमार एम. यादव श्री हरिन पाठक	90
11.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो श्री भक्त चरण दास	91
12.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	92
13.	श्री सुशील कुमार सिंह श्री उदय सिंह	93
14.	राजकुमारी रत्ना सिंह डॉ. संजय सिंह	94
15.	श्री माणिकराव होडल्या गावित श्री बाल कुमार पटेल	95
16.	श्री रवनीत सिंह श्री रमेश बैस	96
17.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा श्री विश्वमोहन कुमार	97
18.	श्री संजय धोत्रे श्री वरुण गांधी	98
19.	श्री आर.के. सिंह पटेल	99
20.	श्री समीर भुजबल	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1010, 1100, 1101
2.	श्री आनंदराव अडसुल	964, 1010, 1101
3.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	961, 1098, 1147
4.	श्री हंसराज गं. अहीर	925, 1005, 1015, 1075, 1084
5.	श्री बदरुद्दीन अजमल	949
6.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	1051
7.	श्री अंनत कुमार	1023
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	992, 1004, 1085
9.	श्री सुरेश अंगड़ी	930
10.	श्री घनश्याम अनुरागी	1019
11.	श्री अशोक अर्गल	990, 1054
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1084
13.	श्री गजानन घ. बाबर	1010, 1100, 1101
14.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	1111, 1115
15.	श्री रमेश बैस	1006, 1047
16.	डॉ. बलीराम	1020
17.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	954
18.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1018, 1091
19.	श्री शिवराज भैया	1051
20.	श्री संजय भोई	986
21.	श्री समीर भुजबल	1091, 1129
22.	श्री पी.के. बिजू	923, 1118

1	2	3
23.	श्री हेमानंद बिसवाल	963, 1104
24.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1037
25.	श्री जितेंद्र सिंह बुन्देला	926, 1029
26.	श्री सी. शिवासामी	1088
27.	श्री हरीश चौधरी	1030, 1095, 1104
28.	श्री जयंत चौधरी	1104
29.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	921, 998, 1089, 1090, 1130
30.	श्री संजय सिंह चौहान	1011
31.	श्री दारा सिंह चौहान	990, 1078, 1112
32.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	933, 1007, 1058, 1084, 1126
33.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	948, 1134
34.	श्री एन.एस.वी. चिहान	1056, 1080, 1084, 1099
35.	श्री भूदेव चौधरी	978
36.	श्रीमती श्रुति चौधरी	946, 1085
37.	श्री अधीर चौधरी	998
38.	श्री भक्त चरण दास	998
39.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1065
40.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	1007, 1091, 1106
41.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	1084, 1100
42.	श्री रमेन डेका	1027
43.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	936, 1104
44.	श्रीमती अश्वमेध देवी	1113
45.	श्रीमती रमा देवी	940, 1107
46.	श्री के.पी. धनपालन	1045, 1084
47.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1007, 1058, 1126

1	2	3
48.	श्री निशिकांत दुबे	1002, 1019, 1029, 1076
49.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1008, 1091
50.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1044, 1095, 1102
51.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	1069, 1088
52.	श्री वरुण गांधी	1091, 1102
53.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	1112
54.	श्री ए. गणशेमूर्ति	1019, 1094
55.	श्री एल. राजगोपाल	960, 1057, 1105
56.	श्री शिवराम गौडा	1084
57.	श्री डी.वी. सदानंद गौडा	1051, 1084, 1110
58.	श्री डी.बी. चन्दे गौडा	999
59.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	1056
60.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1004, 1063
61.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1030, 1090, 1112
62.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	985
63.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1023, 1095, 1140
64.	श्री बद्रीराम जाखड़	962, 1073, 1111, 1115
65.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1097
66.	श्रीमती जयाप्रदा	1032, 1085, 1087
67.	श्री महेश जोशी	1021, 1084, 1111
68.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	992, 1085
69.	श्री प्रहलाद जोशी	982, 1002, 1034, 1106, 1110, 1028

1	2	3
70.	डॉ. ज्योति मिर्धा	1028
71.	श्री पी. करुणाकरन	980, 1095, 1110
72.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	959, 965
73.	श्री लाल चंद कटारिया	1033, 1088, 1102
74.	श्री नलिन कुमार कटील	1079
75.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1005, 1022, 1102
76.	श्री चंद्रकांत खैरे	1029
77.	डॉ. कृपारानी किल्ली	945, 1018, 1084, 1088, 1132
78	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	928, 1091, 1112, 1123
79.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	939, 1020, 1091
80.	श्री पी. कुमार	1028, 1114
81.	श्री यशवंत लागुरी	1084, 1107
82.	श्री सुखदेव सिंह	991
83.	श्री पी. लिंगम	1074, 1100
84	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	971, 1095, 1098, 1145
85.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1009, 1102
86.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1090
87.	श्री नरहरि महतो	967, 1106, 1142
88.	श्री भर्तृहरि महताब	1005, 1016, 1109, 1110
89.	श्री प्रदीप माझी	1003, 1006, 1041
90.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	953, 994
91.	श्री मंगनी लाल मंडल	990, 1088

1	2	3
92.	डॉ. तरुण मंडल	1010, 1088, 1092
93.	श्री जोस के. मणि	952, 1083, 1136
94.	श्री हरि मांझी	1032, 1047
95.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	10853
96.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	988
97.	श्री दत्ता मेघे	993
98.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	970, 1144
99.	श्री भरत राम मेघवाल	1073, 1111, 1115
100.	श्री महाबल मिश्रा	995, 1043
101.	श्री सोमेन मित्रा	1033, 1082
102.	श्री पी.सी. मोहन	1006
103.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1047
104.	श्री विलास मुत्तेमवार	1075, 1085, 1089, 1095
105.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1083, 1084
106.	श्री देवेन्द्र नागपाल	1084, 1112, 1113
107.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	995, 1034
108.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	979, 1047, 1094
109.	श्री इंदर सिंह नामधारी	995
110.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1007, 1058, 1095, 1113, 1126
111.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	989, 1085, 1093, 1094
112.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1084, 1025
113.	श्री संजय निरुपम	941, 998, 1029, 1084, 1091

1	2	3
114.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	931, 1045, 1092, 1115, 1124
115.	श्री जगदम्बिका पाल	981, 1088
116.	श्री वैजयंत पांडा	995, 1005, 1046, 1094
117.	श्री प्रबोध पांडा	1036, 1087, 1102
118.	कुमारी सरोज पाण्डेय	947, 998, 1133
119.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	983
120.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	972
121.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1048, 1085
122.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1003, 1006, 1041
123.	श्री हरिन पाठक	1096, 1097
124.	श्री संजय दिना पाटील	992, 1052
125.	श्री ए.टी. नाना पाटील	925, 1015, 1084, 1087, 1088
126.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1091
127.	श्री सी.आर. पाटिल	1056, 1096, 1097, 1112, 1130
128.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1014
129.	श्रीमती कमला देवी पटले	938, 1105
130.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1017
131.	श्री नित्यानंद प्रधान	995, 1005
132.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	955, 1126
133.	श्री पन्ना लाल पुनिया	977
134.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	1049
135.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	921, 1084, 1103

1	2	3
136.	श्री एम.के. राघवन	1070
137.	श्री अब्दुल रहमान	1055
138.	श्री सी. राजेन्द्रन	1029, 1077
139.	श्री एम.बी. राजेश	996
140.	श्री पूर्णमासी राम	1085, 1093, 1094
141.	श्री रामकिशुन	1062
142.	श्री निलेश नारायण राणे	944, 1084
143.	श्री रायपति सांबासिवा राव	976, 1024, 1083
144.	श्री रामसिंह राठवा	1060, 1095
145.	श्री अशोक कुमार रावत	1067, 1084, 1089
146.	श्री विष्णु पद राय	997
147.	श्री रुद्र माधव राय	1026, 1088
148.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	966, 1141
149.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	974, 1089, 1091
150.	श्री के.जे.एम.पी. रेड्डी	1083, 1150
151.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	992, 1013, 1180
152.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	967, 1106, 1142
153.	श्री महेन्द्र कुमार राय	1002
154.	श्री एस. सेम्मलई	993, 1015, 1094
155.	श्री एस. पक्कीरप्पा	932, 1085, 1125
156.	श्री एस. आर. जेयदुरई	999, 1038, 1091, 1099
157.	श्री एम.एस. रामासुब्बू	957, 1102, 1137

1	2	3
158.	श्री ए. संपत	922, 1116
159.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1042
160.	श्रीमती सुशीला सरोज	1031, 1095, 1100
161.	श्री तूफानी सरोज	1039
162.	श्री हमदुल्लाह सईद	934, 999, 1102
163.	श्रीमती जे. शांता	950, 1135
164.	श्री जगदीश शर्मा	1098
165.	श्री नीरज शेखर	1032, 1085, 1087
166.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	1072
167.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1083
168.	श्री राजू शेट्टी	1000
169.	श्री एंटो एंटोनी	1064
170.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	973, 1095
171.	डॉ. भोला सिंह	1040
172.	श्री भूपेन्द्र सिंह	969, 1113
173.	श्री गणेश सिंह	984
174.	श्री इज्यराज सिंह	1061, 1104, 1128
175.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	942, 1131
176.	श्रीमती मीना सिंह	1087
177.	श्री मुरारी लाल सिंह	1110
178.	श्री राधा मोहन सिंह	987, 1032, 1087, 1149
180.	श्री राकेश सिंह	929, 1085, 1148
181.	श्री रवनीत सिंह	992, 1005, 1085, 1121
182.	श्री सुशील कुमार सिंह	1146
183.	श्री उदय सिंह	993

1	2	3
184.	श्री यशवीर सिंह	1032, 1066, 1085, 1087
185.	चौ. लाल सिंह	1059, 1087
186.	श्री रेवती रमण सिंह	1035, 1095
187.	श्री राधे मोहन सिंह	998, 1071, 1095
188.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1085, 1086
189.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1120, 1128
190.	श्री उदय प्रताप सिंह	992, 1033, 1102
191.	श्री विजय बहादुर सिंह	1011, 1081
192.	डॉ. संजय सिंह	1023, 1120
193.	श्री यशवंत सिंहा	1083
194.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	975, 1088
195.	डॉ. किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी	937, 1088
196.	श्री मकनसिंह सोलंकी	956
197.	श्री ई.जी. सुगावनम	935, 1076, 1102, 1127
198.	श्री के. सुगुमार	927, 1122
199.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1012, 1094
200.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1038, 1055, 1091, 1099
201.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	958, 1029, 1138
202.	श्री मानिक टैगोर	987
203.	श्री बिभू प्रसाद तराई	968, 1005, 1102, 1143
204.	श्री मनीष तिवारी	1001
205.	श्री जगदीश ठाकोर	1180
206.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	959, 1089, 1139
207.	श्री आर. थमराईसेलवन	924, 1047, 1119
208.	श्री पी.टी. थॉमस	943, 996, 1098, 1099

1	2	3
209.	श्री मनोहर तिरकी	953, 994
210.	श्री लक्ष्मण टुडु	1050
211.	श्री शिवकुमार उदासी	1088
212.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1100
213.	श्री हर्ष वर्धन	1100, 1101
214.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	998, 1103
215.	श्री सज्जन वर्मा	1051, 1068
216.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1100
217.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1010, 1085, 1109

1	2	3
218.	श्री पी. विश्वनाथन	1117
219.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1076, 1091
220.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1058, 1089, 1140
221.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1010, 1100, 1101
222.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1085, 1086
223.	श्री ओम प्रकाश यादव	951, 1047
224.	श्री मधुसूदन यादव	938, 1092
225.	योगी आदित्यनाथ	998, 1019, 1084, 1088

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	82, 85, 86, 88, 91, 92
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	84, 87, 89, 93, 95, 98, 10
खान	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	99
पंचायती राज	:	
विद्युत	:	81, 94, 97
पर्यटन	:	96
जनजातीय कार्य	:	83
महिला और बाल विकास	:	90

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	921, 922, 923, 927, 929, 931, 935, 939, 955, 959, 960, 965, 966, 968, 969, 970, 972, 974, 976, 978, 981, 982, 983, 984, 987, 988, 989, 991, 1000, 1003, 1004, 1006, 1011, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1041, 1043, 1048, 1053, 1054, 1055, 1058, 1059, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1079, 1080, 1081, 1083, 1085, 1086, 1087, 1089, 1093, 1097, 1103, 1107, 1111, 1119, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1136, 1144, 1147, 1149
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	924, 928, 932, 934, 936, 938, 942, 943, 944, 947, 949, 951, 952, 954, 957, 962, 964, 967, 973, 980, 986, 990, 993, 995, 996, 999, 1008, 1009, 1010, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1031, 1032, 1037, 1039, 1040, 1044, 1046, 10147, 1052, 1057, 1063, 1068, 1074, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1098, 1099, 1100, 1102, 1104, 1108, 1120, 1124, 1129, 1131, 1132, 1134, 1137, 1139, 1140,. 1148
खान	:	963, 971, 1007, 1029, 1061, 1096, 1101, 1105, 1115, 1143
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	937, 1005, 1012, 1013, 1019, 1049, 1056, 1075, 1077, 1112, 1113, 1145
पंचायती राज	:	930, 997, 1018

विद्युत	:	933, 941, 956, 961, 979, 992, 1015, 1021, 1042, 1051, 1060, 1062, 1082, 1095, 1116, 1121, 1128, 1135, 1138, 1146
पर्यटन	:	926, 945, 946, 958, 975, 1001, 1030, 1071, 1084, 1130, 1133
जनजातीय कार्य	:	948, 977, 998, 1027, 1050, 1078, 1110, 1114, 1150
महिला और बाल विकास	:	925, 940, 950, 953, 985, 994, 1002, 1045, 1076, 1106, 1109, 1117, 1118, 1141, 1142

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/17/5/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।